



चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल



# चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल

[ लेखक की पुस्तक Chandragupta Maurya And His Times  
का अनुबाद ]

लेखक

डॉ० राधाकृष्ण मुबर्जी

एम० ए० पी०एच० डी० डी० लिट्०

कपासतरवार

मुनीश सक्सेना



राजकमल प्रकाशन

प्रथम संस्करण १९६२

गुरुप भाठ एवमे

© १ ६२ दिल्ली मनुवार  
राजराज्य प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड

प्रकाशक  
राजराज्य प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड  
दिल्ली

मद्रास  
डी० पी० कार्पर  
वीन्ड प्रेस इलाहाबाद

## विषय सूची

### अध्याय १ जन्म तथा प्रारम्भिक जीवन

अश्वमेध की महत्ताओं उसकी ऐतिहासिकता पूर्ववर्ती  
गणराज्य साम्राज्यवादी की साम्राज्यवादी तथा मस्कार कार्यक्रम का  
महत्त्व महानता के अन्वय कारण साधन यथा तथा मैटिन सब  
भारतीय रचनाओं अर्थशास्त्र का युग जन्म प्राचीन षष्ठों के उत्तर  
नव्यय का राजाशा का नीच बस में जन्म युगवा की साक्षी उन्हें  
बन्धन बन्ध के नीच कृषि में देखा जाने का ज्ञान है अथवात्मान में भा  
हमी बात का प्रमाण मिलता है मौर्य राज मुद्रागणस की साक्षी  
टीकाकार की साक्षी मुद्रागणस की कुठ और बार्ते काश्मीरी  
परम्परा जैन परम्परा स्नातकों की साक्षी साराण प्रारम्भिक  
जीवन तरागिता में बिद्यागर्भत ।

(१७-२८)

### अध्याय २ विजय अभियान तथा कालक्रम

आजपर तथा अश्वमेध की परकी भेट दिया का बेट पटकि  
पुत्र उपसमन्वय परन्तु द्वारा आजाप का धनमान अश्वमेध का  
पहला नाम युवागी साधन का उम्मुलन अश्वमेध की मना कसा  
मिहन्त में टकरर करने वाली गणाधिक शक्ति महाभारत में

प्रथम संस्करण १९६२

मूल्य : आठ रुपये

- १९६२ हिन्दी अनुवाद  
राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड

प्रकाशक  
राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड  
दिल्ली

मुद्रक  
बी. बी. ठाकुर  
लीडर प्रेस इलाहाबाद

## विषय सूची

### अध्याय १ जन्म तथा प्रारम्भिक जीवन

वंशगुण की महत्त्वपूर्ण उगकी एतद्गामिण्या परीक्षा  
समाप्त साम्राज्यवादी की पालावनी तथा मस्कार कामकम का  
मह्य प्रशानता के बन्ध कारण मापन यथार्थ तथा वैदिक एवं  
भारतीय रचनाओं अर्थात्स्य का पण जन्म प्रारंभिक प्रवाह उदरक  
नदरण के साक्षात् का शीघ्र रूप में जन्म गुणगा की माती उर्ते  
केन्द नर क शीघ्र कम में देना हान का ज्ञान है अर्थात्स्य न भा  
उर्ती बाण का प्रमाण मिलता है यीव जन्म मुद्रागतम की माती  
रीतातार की माती मुद्रागतम की बड़ भोग हान बात्मीगी  
परम्परा जैन बम्परा म्पारका की माती मागम प्रारंभिक  
जीवन तर्कात्स्य में विद्यमानत ।

(१०-१८)

### अध्याय २ विजय अभिमान तथा कालक्रम

बापस्य तथा बह्मण्य की परीक्षा भेज विद्या का बड़ पारमि-  
पुत्र उदरक-नर घन-नर द्वारा बापस्य का अन्तम बह्मण्य का  
बापका काम मुतामी मागम का उम्भूतम बह्मण्य की देना बह्मण्य  
मिहण्य में टक्कर लेने बाकी तर्कात्स्य ज्ञानि बह्मण्य में









## अध्याय ६ प्रशासन विभाग तथा उनके पदाधिकारी

विमान तथा पदाधिकारी मृतानी कृतों जिस के अधिकारी ( एडमोमोई ) नगर के अधिकारी ( एस्टिमोमोई ) पुरा हित गुणवर्ण परमर्षशाता अन्य पदाधिकारी पदाधिकारिया की सूची कौटिल्य की प्रशासन-व्यवस्था जनपद ( प्रान्त ) प्रति रक्षा-व्यवस्था प्रशासन के क्षेत्र प्रान्त का प्रभान ( समाहर्ता ) जिस का कलेक्टर ( श्वाभिक ) राजस्व के स्रोत कुर्ण राष्ट्र सति संतु ब्रह्म बभिकपय समाहर्ता सतिबाठा काषगृह श्वाभिक्य सतिबाक्य तथा कारगार अक्षपत्ताभ्यस्य प्रवेद्यो के विभाग भ्यस उनका बेतन तथा बर्ष उद्योगा का राष्ट्रीकरण कृपि विमाय कृपि मिश्रक ( सीताभ्यस ) बीजों का मदार खेत मङ्गूर खेती के बीजार सिचार्ई के साधन खेती के मौसम फसलो की क्रिमें खाद्यान्न की फसले ईत्थ विभिन्न प्रकार की जमीनें तथा पसध औपधियो के पोषे मङ्गुरी कोष्ठाकाराभ्यस धाना का अभ्यस ( माकराभ्यस ) धानुजों का अभ्यस ( लाहाभ्यस ) टकसाक का अभ्यस धानों का दूसरा अभ्यस लजगाभ्यस सब भाभ्यस राज-स्वर्भकार धन का संरक्षक पस्-ववसाका का अभ्यस मवेधियो का अभ्यस जरासाहो का अभ्यस पासपोर्ट का अभ्यस नौकानयन का अभ्यस बहरगाहो का अभ्यस वाचिभ्य-अभ्यस सुकदाभ्यस सङ्क का कर सुराभ्यस मद-निवेश की सीमाए मधिराक्य मधिरा की विक्री पर प्रतिबन्ध मधिराश्रवा की छात्र सङ्का गुणवर्ण द्वारा निगरानो धौदबीय मधिरा उग्मुक्त मदि रापान मंगाभ्वनीइ पोषबाभ्यस शूबाभ्यस धमिक स्त्रिया मङ्गुरी उन्पाहित बन्धुए सूचना तथा कृत्रिया पुक्ति का विनाय कर्मचारिया की मग्ठी विभाग की हो घाटारै मम्मा धापा सम्भार धापा बेतन मृतानी उन्धेय अघोक के प्रतिबेदक राज कृत विभाग बेवताभ्यस मुख्य पदाधिकारिया की सूची ।

## अध्याय ७ मू-ध्यवस्था तथा ग्राम प्रशासन

कम्पायन्त ग्राम-नियोजन ग्राम-विकास मू-गवस्व मू-राजस्व के छोटे प्रशासन गवस्व अधिकारी दस्तावेज ब्याग निरीक्षण ( प्रवेक्षण ), भूमि का व्यव-विक्रय ।

( १९९-१०९ )

## अध्याय ८ नगर प्रशासन

प्रशासन की प्रभावी सामरिक व्यवस्था समशासन कारणान् दूधाने भावनात्मक अनिधि वास्तव-विविधता तथा गृह स्वामिना का वास्तव सन्धिगत चरित्र वाले लोग कपयु आर्द्ध प्रतिबन्ध न घूट गयी ( पुत्रीय ) कारागार-सबर्धी नियम बच्चियों की मुक्ति आय मे बचाव के उपाय सहाई के नियम भवन-निर्माण सम्बन्धी नियम छुट्टे राय चिकित्सा-सम्बन्धी नियम सर्वदा पिरित्सा औपचिपों की व्यवस्था रक्षक नगर-मुख्य के सामान्य वर्गभ्य मितायन वैतिक आचरण पर नियंत्रण मन्तव्यन कला की पाठशाळाएँ माराग नगरों का विराम समाम्यनीय की मार्षी नगर अधिका श्रुति व विषय में कौटिल्य क विचार नगर की मर्या नगरों का वर्गीकरण विवेकदी की कला मुक्तिपाएँ कौटिल्य तथा मगायननाइ क विवरणा की समानता नगर क अधिकारी विद क अधिकारी कौटिल्य तथा मगायननाइ क विचार की समानता— विचार विचार बन उद्योग तथा गतित्र उद्योग मद्रुते ।

( १८०-१९९ )

## अध्याय ९ विधि

विधि क ग्राह म्यायानय बीरानी का कानून व्यवहार ना

बैदा मुनबाई, कार्य-प्रवृत्ति बयान लिखने वाला जेजव अदि  
 छत्र-ध्याय स्थानीय न्यायालय विधि के उदाहरण विवाह पुन  
 विवाह उत्तराधिकार विभिन्न प्रकार के पुन संहारित के  
 नियम जून तथा व्याज रूपि जून कासातीतता मन्वा जून की  
 तमाही धराहर बीर्बकाम तक उपभोग के फलस्वरूप सम्पत्ति पर  
 अधिकार, मानद्वानि बमकी मिया कांछन विभिन्न अपराध—  
 बौद्ध को भोजन देना फौजदारी का कानून उदाहरण—गिरफ्तारी  
 उच्छ्राषा मिठाबट ध्यापारियो की सुरक्षा यातायात सम्बन्धी  
 नियम थोरा सरशा सान्ति तथा सुध्वबस्था यूनानी सेकको की  
 साक्षी बन्ध-सहिता न्याय की निष्पन्नकता न्यायाधीश के अप-  
 राध गवाही में उलटफेर करना मनस्मृति तथा अन्य स्मृतियों की  
 तुलना में कौटिल्य के नियमों की प्रधानता विवाह-विच्छेद पुन  
 विवाह रजोत्तर विवाह अनुसोम विवाह मोर्म समाज की कुछ  
 अन्य विशेषताएँ ।

(२००-२१९)

## अध्याय १० संना

चंद्रयूथ की सेना स्वामी सेना मेवास्वनीइ का विवरण  
 यज्ञ-कार्यालय सेना के अग महामाण्ड कौटिल्य चिकित्सा तथा  
 वायसों को रक्षक से काने की व्यवस्था डों का रिमासा अन्य  
 पराधिकारी पैदल सेना घोषी-बल आटनिक बल अधिकारी  
 परिक-संतापति-नायक अर्धसाल्य हथियार यूनानी कृतात  
 कौटिल्य का कृतात मूर्तिकला में सैनिकों का चित्रण वाराण में काने  
 बाल भारतीय सैनिक सैनिक अन्मास पैदल सेना व युव सैनिकों  
 को प्रोत्साहन पुरस्कार बडसवार सेना अरबाध्यक चाइों की  
 भारती घोड़ों के रहने का प्रबन्ध प्रतिघ्न पगु-पकिस्सक अरब  
 सेना की साव-सन्ना का यूनानी विवरण बुद्ध के रव न्वाध्यत

राजा पुत्र की पगबंद्य मूर्तिकला में रक्षा का चित्रण यत्र क हावा हाबिया क गुण उप्युक्त समय उम्मुक्त स्थान ह्मयग्ग हाबिया का प्राप्त बन्मा मागवनीध्म्य हाबिया का मापन बाने हाबिया को पानना—यंदा हाबिया के रहन-महन तथा पान-पान की व्यवस्था सैन्य प्रदिगत हापी पर भइल बाने हाबिया का पंयण स्थल—पूर्वी मानन मा-सना विनाय गावध्म्य गीति ।

(२२०-२४१)

## अध्याय ११ सामाजिक परिस्थितियाँ

समाज-व्यवस्था का सकर बनें ब्राह्मण का उद्धान मूर्तार्थ बुना।। में हिन्दू-जमाज का बपन बर्ष तथा व्यवसाय के बीच यदुबइ, मेगाध्मनाइ की दृष्टि में ब्राह्मण छात्रकृति गृहस्थावस्था व्यवसाय भग्मन (समन) इनके व्यवसाय धार्मिक मित्रता 'प्रामना' (प्रामात्रिज) माकिन्ट बीट बीडपूर्व संस्वामी प्रामात्रिक सामान्य चित्र रहन-महन तथा वेग भूरा आहार व्यवसाय पीरोहिय ध्यान भविष्य ज्ञान शर्वेनिर सम्मन्त्र चिदिगता-व्यवसाय संन्यासिनिया ब्राह्मणों की धार्मिक मरणा पत्राय में मूर्तार्थों द्वारा बपन पने मन्वामी शत्रिय सैन्य तथा गू व्यवसाय मृबना बने बाने परामर्शना बने तथा व्यवसाय आचार-व्यवहार तथा रीति-रिवाज वेग भूरा पान-पान बिराह शपी अन्तर्लि-विता दाम-पदा पने ।

(२४२-२५९)

## अध्याय १० आधिक परिस्थितियाँ

आधिक जीवन राज्य द्वारा नियंत्रण की ब मरणा की दृष्टि

क्षेत्र क्षेत्र-मजदूर पशु-धन विचारों नीचे में सामंजसिक निर्माण कार्य प्राप्त-सेवा नीचे के मनोरंजन प्राप्त-कल्याण बंदर-नूनि बत-क्षेत्र बत-कर्मचारी निजी उद्योग व्यापार-मार्ग बौद्ध बंधों में मार्गों का बर्नत अन्तर्देशीय मार्ग समुद्री व्यापार मस्तुत प्रब बर्नत-मार्ग में मार्गों का बर्नत बर्नत-मार्ग उत्तरापथ बलिबापथ व्यापार-सावधी मोठी भणियाँ ह्वीरे-अबाहगत मुंया मुबन्धित सफ़्दी लाले कन्वक रेशम सिमेन टौपेब सूती कपडा नवरों का जीवन विन्के बरक-सहिता विवेधी विन्के नगर-निवेश वास्तु कला तथा कलित कलाएँ ।

(१९०-१९६)

## प्रकाशकीय

इतिहास-श्रेणी पाठक डॉ० रामाशुमुद मुकर्जी की विद्वत्ता से पूरी तरह परिचित हैं। कुछ समय पहले प्रस्तुत पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण हमने प्रकाशित किया था। हमें प्रसन्नता है कि अब हम हिन्दी संस्करण पाठकों को भेंट कर रहे हैं। अब तक हिन्दी में भारत के प्रथम ऐतिहासिक सभ्य और उसके काल का इतना व्यापक अध्ययन तथा मौलिकता की सम्पत्ता और संस्कृति पर इतना प्रामाणिक प्रथम प्रकाशित नहीं हुआ। यथासम्भव हमारा यह प्रयत्न है कि हिन्दी में अधिकाधिक प्रामाणिक सम्पत्तियाँ प्रकाशित करें ताकि यह सभी तीव्र हो पूरी हो सके।

हमें आशा है कि पाठक इस पुस्तक को धन्य और लाभप्रद पाएँगे।











## अध्याय १

### जन्म तथा प्रारम्भिक जीवन

अनुत् की सरुभ्रतार्हें उसकी ऐतिहासिकता अत्रपुण नीर्य की गणना भारत के महानतम शासकों में की जाती है। उसकी महानता की सूचक अनेक उपाधियां हैं और उसकी महानता कई बातों में अद्वितीय भी है। वह भारत के प्रथम 'ऐतिहासिक' सम्राट के रूप में हमारे सामने आता है। इस अर्थ में कि वह भारतीय इतिहास का पहला सम्राट है जिसकी ऐतिहासिकता प्रमाणित काठकम के ठोस आकार पर सिद्ध की जा सकती है।

पूर्वजों तथादः अत्रपुण से पहले भारत में अनेक बड़े-बड़े राजा हुए थे जैसे महापय मंह और अत्रावधनु, अत्रना त्रिभितार, अत्रका शासनकाल महाराम बुट के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण गौरवांगित हो उठा था। और इनसे भी पहले हमें प्राचीन प्रर्थों में पूर्वजों सम्राटों का उल्लेख मिलता है जिसकी बड़ी रोचकार उपाधियां थीं जो उन्हीं अपनी विजयों द्वारा प्राप्त की थीं और यथोचित धार्मिक समारोहों में उनकी सफलताओं की बोनमा करके उन्हें विभिन्न इन उपाधियों से किमूवित किया गया था। वास्तव म इस प्रकार के महान् राजाओं तथा सम्राटों की परम्परा वेदों के काल से जारी आती है। ऋग्वेद में सुवास का उल्लेख मिलता है जिसने बाघराज युद्ध में विजय प्राप्त करके (ऋग्वेद ८, ३३ २, १ ८१ ८) ऋग्वेदकालीन भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था जिसमें उस समय अथमय चाचीस ऋग्वेदकालीन जातियां बास करती थीं।

साम्राज्यवाद की घोषणाओं तथा संस्कार : इस प्राचीन काल में भी सर्वोच्च सत्ता तथा सम्राट की सार्वभौम सत्ता की बरतना इतन बड़े रूप में स्थापित हो चुकी थी कि उसे व्यक्त करने के लिए अलग-अलग उपयुक्त शब्द थे जैसे 'अभि राज' 'राजाभिराज' अथवा 'सम्राट्' जिनका प्रयोग वैदिक साहित्य में बहुत व्यापक रूप से किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण (८ १५) में तो इससे अधिक सार्वभौम शब्द 'एकराट्' का प्रयोग किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में भी (११ ५, ६) भरत-वंश के दो राजाओं की स्थापना तथा साम्राज्य-राजनीति की विभिन्नियों का बहुत यशस्विल किया गया है। उनमें कहा गया है कि "भरत के महान् इतनों तक न तो उनके पहले कोई पहुँचा था और न बाद ही में कोई पहुँच सका। वे तो ऐसे हैं जैसे कोई मनुष्य अपने हाथों से आकाश को छू ले।" इन दो संयोगों में इस प्रकार के बारह अन्य महान् राजाओं का उल्लेख मिलता है। राजत्व के विभिन्न स्तरों के लिए अलग-अलग संस्कारों का भी वर्णन किया गया है। गोप्य ब्राह्मण में राजा के लिए 'राजसूय' सम्राट् के लिए 'बाहरेय' स्वराट् के लिए 'अरवमेव' विराट् के लिए 'पुरुषमेव' एकराट् के लिए 'सर्वमेव' यज्ञ का संस्कार बताया गया है। और आपस्तम्ब श्रौत सूत्र (२ १ १) में 'अरवमेव' यज्ञ का संस्कार केवल सार्वभौम शासक के लिए विहित है।

कालक्रम का प्रत्यक्ष चन्द्रगुप्त के पीछे सम्राटों की यह परम्परा थी। परन्तु उसके उदाहरण में यह परम्परा एक वास्तविकता बन गई और इतिहास की दृष्टि से उसमें प्रामाणिकता आ गई। पुराने राजाओं के केवल नाम ही विहित हैं। उनके बारे में हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि वे किस समय और किस स्थान पर हुए थे और इसके बिना वे इतिहास के पास नहीं माने जा सकते। जहाँ तक चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध है हम प्राचीन भारतीय राजाओं के सम्बन्ध इतिहास में पहली बार ठीक-ठीक बता सकते हैं कि वह किस समय में और कहाँ पर राज्य करता था और कालक्रम के आधार पर उसका इतिहास निर्धारित कर सकते हैं। एक प्रकार से इतिहास कालक्रम द्वारा सीमित है और कालक्रमानुसृत इतिहास ही वास्तविक इतिहास है जिसमें विभिन्न घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दिया जाता है। परन्तु विचारों के इतिहास अथवा सांस्कृतिक इतिहास के लिए कालक्रम इतना आवश्यक नहीं है क्योंकि उच्च इतिहास की रचना अलग-अलग विभिन्न घटनाओं को जोड़कर नहीं की जाती बल्कि उसमें विचारों से सम्बन्धित बड़े-बड़े आंदोलनों का विवरण होता है जो बीच-बीच में आते-आते होते हैं परन्तु इस प्रकार के सांस्कृतिक इतिहास का आधार भी विचारों के एक क्रम पर होता चाहिए और उसमें विचारों के क्रम को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इसी को मंगलमूलर ने 'बिचारों का मान्तरिक कार्यक्रम' कहा है। परन्तु जीवनी रिकसने के लिए कार्यक्रम निरन्तर आवश्यक है। जब तक किती घमिति के जीवन तथा उसके हृदयों के बारे में यह न बताया जा सके कि उनका काम क्या था तब तक यह इतिहास का पात्र नहीं बन सकता। चंद्रगुप्त के जीवन तथा शासन का काम की विषयों काही नहीं-नहीं निर्धारित की जा सकती है।

महानता के अन्य कारण अब हम उन दूसरे कारणों पर विचार करेंगे जिनके आधार पर चंद्रगुप्त को महान् समझा जाता है। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने बृहत्तर भाग्य पर अपना शासन स्थापित किया जिसका विस्तार ब्रिगिम भारत से भी बढ़ा था। बृहत्तर भारत की सीमाएँ आधुनिक भारत की सीमाओं से बहुत माने तक ई-उन की सीमाओं से मिली हुई थीं। इसने अतिरिक्त चंद्रगुप्त भारत का प्रथम शासक था जिसने अपनी विजया द्वारा सिंधु-बानी तथा पंज नदियों के देश को गंगा तथा जमुना की नूर्वी घाटियों के साथ मिलाकर एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जो एरिया (इराक) से बार्दकियुस तक फैला हुआ था। नही पहला भारतीय राजा है जिसने उत्तरी भारत को राजनीतिक रूप में एकत्र करने के साथ विध्यायुक्त की सीमा से माने अपने राज्य का विस्तार किया और इन प्रकार यह उत्तर तथा दक्षिण को एक ही सामंजस्य शासक की छत्रछाया में के आया। इससे पहल यह पहला भारतीय नेता था जिसे अपने देश पर एक यूरोपीय तथा विदेशी आक्रमण के निराशाजनक दुष्परिणामों का सामना करना पड़ा उस समय वेग राष्ट्रीय परामर्श तथा अंतर्घटन का गिकार था और फिर उसने मूनागी शासन से अपने देश को पुन स्वतंत्र करने का अनूतपूर्व ध्य प्राप्त किया। यहाँ पर इस बात का उल्लेख कर दिया जाए कि भारत पर सिकंदर का आक्रमण मई ३२७ ई० पू से मई ३२४ ई० पू तक रहा और ३२३ ई० पू० तक चंद्रगुप्त ने देश पर मूनातियों के आधिपत्य का नाम-निशात तक भिटा दिया था। भारत के बहुत ही बड़े घासकों को इन बात का मय प्राप्त है कि जहाँने अपने इतने छोटे-से साम्राज्य में—मुराओं के अनुसार चंद्रगुप्त ने केवल २४ मय तक शासन किया—इतनी अधिक सफलताएँ प्राप्त की हों। इन सब बातों से बढ़कर मीर्य राजवंश के संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त ने पहली बार भारत को एक ऐसा इतिहास प्रदान किया जिसका कम कहीं नहीं टूटता और जो इसके साथ ही एक ही सूत्र में बँधा हुआ इतिहास है यह ऐसा इतिहास है जो भारत की अन्तम-अन्तम जातियों तथा प्रवेशों का अन्तम-अन्तम इतिहास न होकर एक इकाई के रूप में पूरे भारत को अपने में समेट लेता है। चंद्रगुप्त ने इस प्रकार विश्व साम्राज्यिक इतिहास का बीगनेट किया था यह उसके बाद बहुत समय तक बाकी नहीं रहा। मीर्य सभ्यता के अन्तम भारत की जो राजनीतिक एकता

स्थापित हुई थी उसे उसके उत्तराधिकारी अक्षुण्ण न रख सके। उनके बाद भारत के इतिहास की विधा को निर्धारित करनेवाही कोई एक राजनीतिक सत्ता नहीं रही। भारत एक बार फिर अनेक छोटे-छोटे राज्यों में बँट गया जिनमें से प्रत्येक का अलग-अलग अपना इतिहास है।

साधन : यूनानी तथा लैटिन ग्रंथ मौर्यकालीन इतिहास में एक मुक्तिवा यह है कि उसके साधन पर्याप्त प्रामाणिक तथा विविध प्रकार के हैं। भारतीय इतिहास की एक सबसे बड़ी खोज (जिसके लिए हम सर मिलियम जोन्स के आभारी हैं) यह थी कि यूनानी भाषा का ऐट्रोकोट्टोस अपना ऐंड्रोकोट्टोस नाम भारतीय नाम चंद्रगुप्त ही है (एशियाटिक रिसर्च ४ पृ ११)। इस बात से यह निष्कर्ष निकला कि चंद्रगुप्त सिकंदर का समकालीन था और स्वयं सिकंदर से मिला भी था। यह बात हमें प्लूटार्क की रचनाओं से मालूम हुनी है जिसने लिखा है "ऐट्रोकोट्टोस जो उस समय लखनपुर ही था स्वयं सिकंदर से मिला था। इस खोज के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य तथा उसके शासनकाल के बारे में प्रचुर प्रमाण मिल गए हैं जो भारत में सिकंदर के विजय-अभियानों का इतिहास लिखने वालों ने अपनी रचनाओं में दिये हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बियेपी फोटो के कारण भारतीय इतिहास के एक ऐसे अध्याय पर विपुल प्रकाश पड़ता है जो अथवा अपनी महान् उपलब्धियों के कारण इतना गौरवशाली होते हुए भी अंधकार में ही लोया रहता। भारतीय इतिहास उस खोज के लिए भी इन्हीं खोजों का आभारी है जिसे 'उसके कालक्रम का मूल आधार' कहा गया है क्योंकि भारतीय कालक्रम चंद्रगुप्त के सार्वभौम सत्ता भारत करने की विधि से भारत होता है।

सिकंदर के विजय-अभियान में जो लोग उसके साथ आये उनमें से तीन भारत के विषय में अपनी रचनाओं के कारण उल्लेखनीय हैं (१) निबार्कस जिस सिकंदर ने सिन्धु नदी तथा पारस की खाड़ी के बीच के समुद्र-तट का पूरी तरह पता लगाने के लिए नियुक्त किया था (२) जोनेसिफिटस या इस यात्रा में निबार्कस के साथ था और बाद में उसने इस विषय पर तथा भारत के बारे में एक पुस्तक लिखी थी और (३) अरिस्टोबुलस जिसे सिकंदर ने भारत में कुछ काम सौंपे थे।

तीसरी घटावही ई० पू० में जिन युरोपीय राजदूतों को यूनानी राजाओं ने भारत भेजा था उनमें से कुछ ने सिकंदर के इन साधियों की रचनाओं में पूरक जोड़े हैं। बुर्मास्वयं इनमें केवल मेगास्थनीज ही एक ऐसा था जिसने इस सुभव सर का सदुपयोग किया। क्लासिकल साहित्य में वही भारत का पूर्वतम विवरण छोड़ गया था परंतु वह विवरण अपने मूल रूप में नहीं मिलता। उसका पता

शैवाल बाद के लेखकों की रचनाओं में उसके उद्धरणों से ही स्पष्ट है किमें से निम्नलिखित लेखकों के नाम उल्लेखनीय हैं।—

१ इनाबो इसका जीवनकाल लगभग १४ ई० पू० से १९ ई० तक था। इन्होंने यूगोस की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक के १५वें भाग का प्रथम अध्याय भारत के बारे में है। इसमें सिक्खर के सामियों तथा मेगास्थनीस की रचनाओं से भी गई सामियों के आचार पर भारत के यूगोस उसके निवासियों के रहन-सहन तथा रीति-रिवाजों का वर्णन किया गया है।

२ डिमोडोरस १६ ई० पू० तक जीवित रहा। इन्होंने मेगास्थनीस की रचनाओं के आधार पर भारत का एक वृत्त लिखा।

३ फिरो भ्येष्ठ जो मेथुरल हिस्ट्री (प्रकृति वृत्त) नामक विश्व ज्ञान कोष का रचयिता है। उसकी यह रचना लगभग ७५ ई० में प्रकाशित हुई थी। इसमें यूनानी रचनाओं तथा व्यापारियों के नवीनतम विवरणों के आधार पर भारत का विवरण दिया गया था।

४ एरिमान इसका जन्म लगभग १३० ई० में हुआ था। यह कम-से-कम १७२ ई० तक जीवित रहा। इन्होंने सिक्खर के अभियानों का सबसे अच्छा वृत्त (देनाबसित) और जिआर्कस मेगास्थनीस तथा यूगोसबेता एराटोस्यनीस (२७६-१९५ ई० पू०) की रचनाओं के आधार पर भारत उसके भूगोल, जहाँ के रहन-सहन तथा रीति-रिवाजों के बारे में एक छोटी-सी पुस्तक लिखी है।

५ प्लुटार्क (लगभग ४५-१२५ ई०) जिसकी साइम्स (जीवनियाँ) नामक रचना के ५७वें स ६७वें अध्यायों तक सिक्खर की जीवनी दी गई है। उन अध्यायों में भारत का भी विवरण मिलता है।

६ क्लिडस, जो दूसरी सताव्वी ईसवी में हुआ था। इन्होंने एक एपिडोम (सारसंग्रह) की रचना की थी जिसके १२वें पत्र में भारत में सिक्खर के विजय अभियानों का विवरण दिया गया है।

भारतीय रचनाएँ सेंटिम तथा यूनानी स्रोतों के अतिरिक्त ब्राह्मणों की श्रुतियों तथा जीवन के साहित्य में भी ऐसे स्रोत मिलते हैं जिनसे अत्यन्त के जीवन तथा उसके समय की परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता है। ब्राह्मण स्रोतों में बुराण, श्रौतिक्य का अर्थशास्त्र तथा विज्ञानपत्र का मुद्राशास्त्र और कुछ हद तक रामवेद का कथासहितसार तथा धर्मशास्त्र की बृहत्कथा बम्बरी-बैसी रचनाएँ शामिल हैं। मुख्य श्रुत स्रोत दीर्घवंश, महावंश महावंश-टीका तथा महाभारतिका हैं। श्रुत साहित्य में मुख्य प्रामाणिक स्रोत हैं मत्स्यपुराण का अष्टमस्कन्ध तथा हेमचन्द्र का परिनिष्पत्तवर्षण। श्रुत महत्त्व के अन्य स्रोतों में शिलाशाला अथवा मुद्राओं का अन्वेषण इस विवरण के बीच में अत्यन्त महत्त्व दिया जाएगा।

स्थापित हुई थी उसे उसके उत्तराधिकारी अलग्ग न रख सके। उनके बाद भारत के इतिहास की रिसा को निर्धारित करनेवासी कोई एक राजनीतिक शक्ता नहीं रही। भारत एक बार फिर अनेक छोटे-छोटे राज्यों में बँट गया जिनमें से प्रत्येक का अक्षय-अस्तन अपना इतिहास है।

सावन युवाजी तथा लटिन ग्रंथ : मौर्यकालीन इतिहास में एक सुविधा यह है कि उसके सावन पर्याप्त प्रामाणिक तथा विविध प्रकार के हैं। भारतीय इतिहास की एक सबसे बड़ी खोज (जिसके लिए हम सर विलियम जोन्स के आभारी हैं) यह थी कि पुनाजी भाषा का सेड्रोकोट्टोस अथवा ऐंड्रोकोट्टोस नाम भारतीय नाम चंद्रगुप्त ही है (एशियाटिक रिसर्च ४ पृ० ११)। इस बात से यह निष्कर्ष निकला कि चंद्रगुप्त सिकंदर का सतकालीन वा और स्वयं सिकंदर के भिसा भौ वा। यह बात हमें प्लूटार्क की रचनाओं से मालूम होती है जिसने लिखा है 'ऐंड्रोकोट्टोस जो उस समय नवयुवक ही था स्वयं सिकंदर से भिसा था।' इस खोज के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य तथा उसके शासनकाल के बारे में प्रचुर प्रमाण भिक पड़े हैं, जो भारत में सिकंदर के विजय-अभियानों का इतिहास भिखने वालों में अपनी रचनाओं में दिये हैं। इस प्रकार हम देखत हैं कि बिदेसी शक्तों के कारण भारतीय इतिहास के एक ऐसे अध्याय पर विपुल प्रकाश पड़ता है जो अन्यथा अपनी महान् उपलब्धियों के कारण इतना गौरववासी होत हुए भौ अक्षकार में ही खोया खूता। भारतीय इतिहास उस खोज के लिए भी इन्हीं शक्तों का आभारी है जिसे 'उसके कालक्रम का मूल आधार' कहा गया है क्योंकि भारतीय कालक्रम चंद्रगुप्त के सार्वभौम शक्ता आगन करने की तिथि से आरंभ होता है।

सिकंदर के विजय-अभियान में जो लोग उसके साथ जाय से उनमें से तीन भारत के विषय में अपनी रचनाओं के कारण उल्लेखनीय हैं (१) निजार्कस जिस सिकंदर ने सिन्धु नदी तथा फारस की खाड़ी के बीच क समुद्र-तट का पूरी तरह पता लगाने के लिए भियुक्त किया था (२) जोनेसिथिम वा इस मात्रा में निजार्कस के साथ था और बाद में उसने इस विषय पर तथा भारत के बारे में एक पुस्तक लिखी थी और (३) अरिस्टीबुलस जिसे सिकंदर ने भारत में कुछ काम सपि से।

सौंदरी शठानी ई० पू० में जिन यूरोपीय राजदूतों को युवाजी राजाओं ने भारत सेवा था उनमें से कुछ ने सिकंदर के इन साधियों की रचनाओं में पूरक जोड़े हैं। दुर्भाग्यवश इनमें केवल मेगालनीड ही एक ऐसा था जिने इस सुभव सर का अनुपयोग किया। कलाधिकृत साहित्य में वही भारत का पूर्वतम विवरण छोड़ गया था परंतु वह विवरण अपने मूल रूप में नहीं भिसता। उसका पता:

कैबल बाद के सेमकों की रचनाओं में उसके उद्धरणों से ही समता है, जिनमें से निम्नलिखित सेमकों के नाम उल्लेखनीय हैं।—

१ **स्वाधो** इसका जीवनकाल लगभग १४ ई. पू. से १९ ई. तक था। इसने भूगोल की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक के १५वें भाग का प्रथम अध्याय भारत के बारे में है। इसमें सिन्धु नदी के साधियों तथा मेगास्थनीज की रचनाओं से भी कई सामग्री के आधार पर भारत के भूगोल उसके निवासियों के रहन-सहन तथा रीति-रिवाज का वर्णन किया गया है।

२ **डियोडोरस** ३६ ई. पू. तक जीवित रहा। इसने मेगास्थनीज की रचनाओं के आधार पर भारत का एक वृत्तांत लिखा।

३ **फिनी ग्येथ** जो मेसुरस हिस्ट्री (प्रकृति वृत्त) नामक विद्वान कोय का रचयिता है। उसकी यह रचना लगभग ७५ ई. में प्रकाशित हुई थी। इसमें यूनानी रचनाओं तथा व्यापारियों के नवीनतम विवरणों के आधार पर भारत का विवरण दिया गया था।

४ **एरियान** : इसका जन्म लगभग १३ ई. में हुआ था। यह कम-कम १७२ ई. तक जीवित रहा। इसने सिन्धु नदी के अभियानों का सबसे अच्छा वृत्तांत (ऐनाबसिस) और निमार्कस मेगास्थनीज तथा भूगोलशास्त्रकार मेगास्थनीज (२७९-१९५ ई. पू.) की रचनाओं के आधार पर भारत के रहन-सहन तथा रीति-रिवाजों के बारे में एक छापी-सी पुस्तक लिखी है।

५ **प्लूटार्क** (लगभग ४५-१२५ ई.), जिसकी लाइस (जन्म नामक रचना के ५७वें अध्यायों तक सिन्धु नदी की घाटी के बारे में उन अध्यायों में भारत का भी विवरण मिलता है।

६ **अस्टिन**, जो दूसरी सताब्दी ई. में हुआ था। (सर्वप्रथम) की रचना की थी जिसके १३ वें अध्याय में भारत के विवरण दिए गए हैं।

अर्धशास्त्र का मुम : उपर्युक्त प्रामाणिक भावों में अर्धशास्त्र के विषय में कुछ मतभेद हैं कि यह मीम इतिहास का प्रामाणिक स्रोत है या नहीं। प्रोफ़ेसर एफ० डब्ल्यू टामस का यह मत है (कम्बिज हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया १ पृ० ४१७) कि इसका रचनाकार स्पष्टतः मौर्यवाह की सीमाओं के भीतर वा उससे बहुत निकट है। इससे पहले स्वर्गीय डॉ० जिनमॅट ए० स्मिथ ने अपनी अर्ली हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया में और डॉ० एच० जैकली तथा डॉ० का० प्र० जामसहाल ने भी यही मत प्रकट किया था। प्रस्तुत पुस्तक में इसी मत का अनुसरण किया गया है। अर्धशास्त्र की विषय-सूची तथा उसमें बड़ी गई बातों से पता चलता है कि उसके वर्तमान रूप में उसकी रचना किसी समय भी क्यों न हुई हो उसमें ऐसी प्राचीनकालीन परिस्थितियों का विचार किया गया है जो मौर्यकालीन भारत पर पूरी तरह चरितार्थ होती हैं। जैसा कि एफ० डब्ल्यू टामस ने आगे चलकर (पूर्वोक्त पृ० ४७४) कहा है 'विस्तृत मौर्य साम्राज्य की रक्षा तथा उसके संरक्षण के बारे में युक्तियों से हमें काफ़ी परिमाण में बहुमुख्य जानकारी प्राप्त हुई है और यही अर्धशास्त्र की सहायता से हम उसकी पूरी धारणा-व्यवस्था सु-व्यवस्था विधीय पद्धति उसके कानून और उसकी समाज-व्यवस्था का वर्णन कर सकते हैं इसलिए हम इस विषय पर विचार करने के सजबदर से अपने को बाधित न रखेंगे भारतीय इतिहास में इस प्रकार के सजबदर विरले ही मिलते हैं। बहुत बाद में चाकर भूकर के काल में आइन-ए-अकबरी के रूप में हम इस प्रकार का सूक्ष्म उदाहरण मिलता है।'

अश्वमेध अश्वमेध के जन्म के बारे में अनेक मतभेद हैं। एक मत के अनुसार उत्तम का जन्म कुलीन घराने में हुआ था यह अश्वमेध का लक्ष्य था और राजपूत पाने के सर्वथा योग्य था लेकिन दूसरा मत उसे यह कहकर कर्तव्य करता है कि उसका जन्म नीच कुल में हुआ था यह मूढ़ की सलाह था और इसलिए राजपूत पाने के योग्य नहीं था। हमें इस विवाद का फैसला कराने के लिये दोनों पक्षों की आर से दिये जाने वाले प्रमाणों पर विचार करना होगा।

प्राचीन कालों के उद्धारण सबसे पहले तो हम विद्वान्नी प्रामाणिक स्रोतों की छाँटनी पर विचार करना। इसमें दो मुश्किलें हैं। पहली यह कि यह सामग्री सबसे पुरानी मौर्य अश्वमेध के समय से सबसे निकट की है और हमारे यह समकालीन भारतीय लिपियों और कुछ इतिहासकारों द्वारा रचित इस विषय पर एकदिल की कई प्रचलित कहानियाँ तथा परम्पराओं पर आधारित हैं।

प्राचीन स्रोतों में से हम निम्नलिखित उद्धारण दे रहे हैं, जिनसे इस प्रसंग पर कुछ प्रकाश पड़ता है

(१) कटियस ने (प्रथम अकबरी ईगरी) भारत में (मार्तव्य राजा जिसे

सिकंदर ने हाइड्रेस्तीस (सलम) की सड़ार्ड में पराजित किया था और जो उस समय उस प्रदेश का सबसे महान् व्यक्ति था) सिकंदर का बताया 'वर्तमान राजा (मंदरास का राजा जिसे बाद में हटाकर अंद्रमुष्ट मौर्य गद्दी पर बैठा) न बचस्य एना आदमी है जिसमें मूखता कोई प्रतिष्ठा नहीं की बल्कि उसकी स्थिति नीचतामयी थी। उसका पिता वास्तव में नाई था" जो चारी-छिने रानी का प्रेमी बन गया और उसने छल से राजा का बच करवा दिया। फिर राजकुमारों के अभिभावक के रूप में काम करने के बहाने उसने सारी सत्ता अपने हाथ में कर ली मार मार अत्यवमस्त राजकुमारों की हत्या करवा दी उसके बाद उसके एक सत्तामय हुई जो वर्तमान राजा है जिससे उसकी प्रजा बुया करती है या उस शुद्ध समझती है।"

(२) डियोडोरस से पोरस ने सिकंदर को सूचना दी "कि गगारिबाई का राजा (मंदरास का राजा) बिलकुल बुद्धिमान आदमी है जिसका कोई सम्मान नहीं करता और उसे लोग नाई की संतान समझते हैं।

(३) प्लूटार्क से : "प्लूटार्क (चंद्रगुप्त) जो उस समय नवयुवक ही था स्वयं सिकंदर से मिलना था और बाद में यह कहा करता था कि सिकंदर बड़ी आसानी से पूरे देश पर (गगारिबाई तथा प्रामार्ड) देश पर जिस पर मंदरास का राजा का शासन था) अधिकार कर सकता था क्योंकि वहाँ का राजा स्वभावतः दुष्ट था और उसका जन्म मीच कुल में हुआ था और इसलिए उसकी प्रजा उस बुना तथा तिरस्कार की दृष्टि से श्रेष्ठ थी।

(४) बलिटन से (जिसने वैसा कि हमें पता है ईसा-पूर्व प्रथम शताब्दी की यूनानी रचनाओं के आधार पर, डूमरी शताब्दी ईसवी में अपना पुस्तक लिखी थी) 'सिकंदर की मृत्यु के बाद मौर्य' भारत की शरयत पर से गुलामी का जुवा उठर गया और उसने सिकंदर के नियुक्त किये हुए पदाधिकारियों को मीठ के पाट उतार दिया। भारत को स्वतंत्र जगनबाका तथा सैड्राकाट्टस (चंद्रगुप्त) था। उसका जन्म एक मामूली बरान में हुआ था परन्तु एक क्षत्रिय के कारण वह राज्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित हुआ। अपनी उद्दृष्टता के कारण उसने मौर्य को हरा कर दिया और उसे मार शक्य की आज्ञा दी जो खुशी की परन्तु वह अपने प्राण लेकर वहाँ से भाग निकला।

मंदरास के राजाओं का नीच बल में जन्म उन उद्दरकों से पता चलता

१ "आम तीर पर इस स्थान पर 'अलेक्जेंडर' शब्द मिलता है जिसके बारे में गुडवि ने लिखा है कि वह गलत है इसलिए उसके स्थान पर 'मौर्य' रख दिया गया है।" (ईकिडिस-राचित 'इन्डियन आंड इंडिया बाई अलेक्जेंडर' पृ० ३२७)।

है कि अश्विन के उदरण के अतिरिक्त और किसी उदरण में चन्द्रगुप्त के जन्म का सम्बन्ध नहीं मिलता। अश्विन में केवल इतना कहा है कि चन्द्रगुप्त का जन्म एक शिशु के बरतने में हुआ था यह कही नहीं कहा गया है कि उसका जन्म नीच बरतने में हुआ था अश्विन में केवल यह कहा है कि वह एक सामान्य नाम का आरमी था और उसकी नसों में राजाओं का धून नहीं था परन्तु वह 'राजत्व का पद प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील था। अन्य उदरणों से पता चलता है कि चन्द्रगुप्त राजत्व का पद प्राप्त करने की चेष्टा क्यों कर रहा था ? उन उदरणों में उन समय सायनाक्षर भारतीय राजा के चरित्र के बारे में अनेक अपमानजनक बातें कही गई हैं उसका जन्म अप्रतिष्ठित था वह एक नार्ड का आरज पुत्र था 'उसकी प्रजा उससे बूना कट्टी थी तथा उस छुद्र समझी थी। अश्विन के उदरण से हमें यह भी पता चलता है कि मौर राजा के 'नीच जन्म' में पैदा होने की बात स्वयं चन्द्रगुप्त ने गिफ्टर से कही थी। क्या इस कथन से निश्चित रूप से इस बात का संकेत नहीं मिलता कि स्वयं चन्द्रगुप्त का जन्म नीच कुल में नहीं हुआ था ? यदि उसका जन्म 'नीच कुल' में हुआ होता तो वह भी नीच कहलाता। इस प्रकार चन्द्रगुप्त ने स्वयं अपने जन्म द्वारा अपने-आपका इस कर्मक से मुक्त कर लिया है कि उसका सम्बन्ध किसी अप्रतिष्ठित राजकुलसे था या स्वयं उसका जन्म किसी नीच कुल में हुआ था। उपरोक्त उदरणों से पता चलता है कि किस प्रकार उस समय की राजनीतिक परिस्थितियाँ चन्द्रगुप्त के लिए राजत्व का पद प्रयत्न कर रही थी जिनके लिए वह उच्च ही 'प्रयत्नशील' था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि निदेशी स्रोतों की सहायता में जो उस समय के भारतवासियों द्वारा दिये गए विवरणों तथा उस समय देश में प्रचलित कहा गयीं पर साधारण हैं चन्द्रगुप्त पर इस प्रकार का कोई लांछन नहीं लगाया गया है कि उसका जन्म नीच कुल में हुआ था या उसका सम्बन्ध किसी अप्रतिष्ठित कुल से था। बल्कि इसके विपरीत इस सहायता में यह थाप 'पूर्वी' भारत के तरदासीन सासनाक्षर राजा में बताया गया है और इसका फलस्वरूप उसकी स्थिति शोभाशाली होने का वर्णन किया गया है जिसके कारण वह आश्चर्यक ही गया था कि उसका जन्म उल्टा दिया जाए। मुक्त में चन्द्रगुप्त का यह विश्वास था कि गिफ्टर आसानी से उसे राजसिंहासन से हटा देगा क्योंकि उस जनता के प्रेम का संशय प्राप्त नहीं था जो एक राजा के लिए श्रेष्ठतम सुरक्षा ही समझी है। जनता इस बात पर बहुत धूम्य थी कि नीच कुल के एक व्यक्ति ने एक नार्ड की सहायता एक मूर्ख ने बलपूर्वक सत्ता का अपहरण कर लिया है, और यही इन बातों के अतिरिक्त अंतिम वर्ष सातक का हायाय भी था और

भारत दूरदर्शन तथा स्वभावतः 'बुद्ध प्रवृत्ति' का था। जब चंद्रमुक्त ने देगा कि सिद्धर मार्ग स एत गया है और वह अपने विषय अभियांत्रिकी और आवे नहीं ले जा सकता और नए के साम्राज्य में पार्स जानेवाली राजनीतिक स्थिति का किसी सा प्रदान काम नहीं उग सकता तो स्वयं इस काम का बीड़ा उठाने का विचार उमर मन में उठाए हुना और ऐसा कि जस्टिस ने कहा है 'राज्य का पर प्राप्त कान की प्रेरणा ने उसे प्रोत्साहित किया। परन्तु यदि वह स्वयं उस कर्तव्य में मुरा न हावा विरुद्ध कारण नद से उमरी प्रजा इतनी युवा करती या हां वह इस ध्येय को पूरा करन का बीड़ा बिना प्रकार उठा सकता था ? यदि यह देग को बनाए सता का अपहरण कर लेनास इस युगित स्थिति से मरु कराने के लिए प्रमता का समयन प्राप्त करना चाहता था और यदि वह उनके नैतिक समर्थन का सहारा चाहता था जो अप्रतिष्ठित काल में पैदा होने के कारण तथा अपने निम्ननीय कृत्यों के कारण नर को प्राप्त नहीं हो सका था तो जब तक स्वयं उसकी उत्पत्ति विरुद्ध निकलसक न हुयी तब तक वह इसकी माया नहीं कर सकता था। एक ऐसा स्थिति था इस बात का राजनीतिक काम चगाने की कोशिस कर रहा था कि उसके प्रतिद्वंदी का जन्म नीच कुल में हुआ था वह स्वयं नीच कुल की सदान नहीं हो सकता था। जस्टिस ने चंद्रमुक्त के वार में यह भी वता दिया है कि संदर्भ के राजाओं के साथ कोई दूर या भी अपना अर्थ सम्बन्ध होता तो दूर रहा उसम राजवंश या अभिजात वर्ग के भी एक का कोई अंत नहीं था। वाद क कुछ संस्तर प्रती में दृष्ट मत का अस्तेन मिलता है कि प्रसफा सम्बन्ध नद राजवंश क भाव था। वह तदवस के राजा का इत्किए वही से नहीं हटाना चाहता था कि एक सम्बन्धी के माते उसे उससे कोई ईर्ष्या भी बलिज उसे तो कवल दश को मदवम के राजा के बुधित प्रमुत्त य गुप्त कराने पनता की इच्छा को पूरा करने का पुन वी ठीक उची प्रकार जैसे उमन दश को चिरजी घासन से मुक्त कर लिया था।

यदि जीर्जी-नेवे भारतीय प्रमाणों पर आधारित विपरीत इतिहासों में इस बात का कोई उल्लेख नहीं मिलता कि चंद्रमुक्त की उत्पत्ति में किसी प्रकार का दोष था हां फिर उसका अप्रतिष्ठित कुल में जन्म लेने की बात कहाँ से निकली ? ममस्य उपसम्भ्य शाखा का ध्यानपूर्वक विस्लेषण करने से पता चलता है कि इस बात का साध प्रयोग से बहुत दूर का है, और वह सर्वथा प्रामाणिक भी नहीं है।

बस हम इस विषय से सम्बन्धित सभी भारतीय पंथों का दान बौद्ध तथा जैन-पंथों पर विचार करेंगे।

पुराणों की समीक्षा काद्यों के मुख्य ग्रंथ पुराण है। पुराणों से पता

बलता है कि उनमें चंद्रगुप्त की अनेका नदबरा के राजाओं का संतुलन की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। उनमें बेश म खबियों के शासन का अंत हुआ जाने और उसका स्वातंत्र्य पर नदबरा के गुर्रों का शासन स्थापित हुआ जाने पर बहुत चिन्ता प्रकट की गई है। नदबरा के इन राजाओं की पुराणों में ऐसे तौर पर असाधारण कहा गया है। नदबरा के संस्थापक को पुराणों में 'महापद्म' (पुत्रा ६ अक्षय) और 'महापद्मपति' (विस्मय विद्वान् अर्थ 'अत्यन्त ज्ञानवीर' करते हैं) कहा गया है। टीकाकार के मतानुसार 'महापद्म' शब्द का अर्थ अत्यन्त होता यथवा अपार सम्पदा (महापद्म = १०००० करोड़) हो सकता है। (विस्मय का विष्णु पुराण पृ० १८४)।

पुराणों से हमें पता चलता है कि पूर्ववर्ती विष्णुनाग राजा खबिय के (अथ-बंदर)। उनके बाद नदबरा के गौ राजा हुए, महापद्मपर तथा उसके आठ पुत्र। महापद्म 'अपर परमुराम' 'समस्त शक्ति का अंत करने वाला' (अर्थसाम्राज्य) 'समस्त जगत् को बंद से उखाड़ देने वाला' (अर्थसाम्राज्य-पुत्र) खबियों का विनाश करने वाला' (अर्थसाम्राज्य) बन गया और उसने अपने भाग्यो 'पूरे राज्य के एकमात्र सार्वभौम शासक' (एक-राज) के रूप में स्थापित कर लिया और पूरे राज्य को 'एक ही सत्ता की छत्रछाया में' (एक-राज्य) के ज्ञाना शिसे कोई टककर नहीं ले सकता था' (अनुसूचित-शासन)। इसके बाद पुराणों में कहा गया है कि 'असाधारण' राजाओं के इस बरा को 'एक दिन' 'कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण' 'समस्त सत्ता कर देगा' और वही 'कौटिल्य' चंद्रगुप्त को राज्य के सार्वभौम शासक के रूप में सिंहासन पर बिठावगा' (राज्य-अभिषेकपति)।

उन्हें केवल नद के बीच काल में पैदा होने का ज्ञान है। पुराणों के इन उद्धरणों में किसी प्रकार की संका का स्वातंत्र्य नहीं रहने दिया गया है। इनके स्पष्ट रूप से निम्नलिखित बातों का संकेत मिलता है (१) नदबरा के राजाओं का अन्त नीचे काल में हुआ था और उन्होंने गुर्रा के असाधारण तथा अर्थ-शासन की स्थापना की थी जो शासना के अतिक्रम है (२) बेश को गुर्रा शासकों द्वारा बलान् अपहृत की गई तथा के शासन से मुक्त कराने और पुनः खबियों के बीच शासन की स्थापित करने का काम असाधारण के रूप में कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण ने पूरा किया और (३) नदबरा का 'निर्मुक्त' कर देने अपने जीवन का अन्त पूरा कर भेज के बाद कौटिल्य ने चंद्रगुप्त का सिंहासन का अधिकारी चुना और विभिन्न उपायों द्वारा साम्राज्य के अन्त उगे सिंहासन पर बिठाया। कौटिल्य गौ गुर्रा ब्राह्मण शासकों तथा अर्थ-शासन के द्वारा सार्वभौम शासक के रूप में चंद्रगुप्त का विभिन्न साम्राज्य

इन बात का निश्चित प्रमाण है कि उसने जिस व्यक्ति को इस पर क लिए बना था वह मकरप हा कमीन परान का रजा होया वह अवश्य ही राजस का पर प्राप्त करने के योग्य दानिय रहा होगा ।

अथशास्त्र तो भी इसी बात का प्रमाण विस्तार है यह बात अरयम महत्त्व पूर्ण है कि स्वयं काटिस्य क अथशास्त्र से भी पुराणा क इन उद्धरणों का अथ विस्तृत स्पष्ट हा जाता है । अथशास्त्र के अठ में कहा गया है "अथशास्त्र क सकसन एक ऐस व्यक्ति न किया है जिसने मातृभूमि को उसकी संस्कृति तथा उसका ज्ञान (शास्त्र) का उसकी सैनिक दक्षिण का (शास्त्र) नदबध क राजाओं के बंधु से बतपुत्रक (अमर्षक) तथा शीघ्र (आशु) मुक्त कराया ।" इस उद्धरण से पता चलता है कि कौटिस्य इस बात को अपना शास्त्रात्मिक तथा अपरिहाय पारमिक अर्थस्य समझता था कि वह पूर राजाओं क अर्थक दामन का यथाशीघ्र तथा असपूर्वक अंत कर दे क्योंकि देश के आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक हित यही तक कि सैनिक हित भी उनके हाथों में नहीं छोड़े जा सकते थे । कौटिस्य जिस सामाजिक व्यवस्था तथा समाज-व्यवस्था का समर्थन था उस बनायमबध कहते हैं जिसमें पूरों को राजस क अधिकार नहीं है । केवल दानियों को ही इसका एकमात्र अधिकारी बताया गया है जिसका काम 'शास्त्र चारण करना' (शास्त्राधीन) और 'मनुष्यमात्र को रक्षा करना' बताया गया है अर्थात् सना-सम्बन्धी तथा प्रमातन-सम्बन्धी हत्य दानिया के हैं । दानिय राजा का यह काम है कि वह सर्वोच्च सत्ता क रूप में धर्म की नीति के शासन की रक्षा करने तथा उसका परिपालन कराने के लिए दण्ड क रूप में अर्थात् कार्याग क रूप में काम करे । इसीलिए यह समझना बिल्कुल बतुकी बात है कि कौटिस्य ने जिसने इस धर्म अर्थात् इस व्यवस्था क माने पर से एक पूर के प्रमुख के कर्मक को या देन का बीड़ा उठाया था इस पवित्र ध्येय की पूर्ति के लिए एक ऐसे व्यक्ति को अपना निमित्त बनाया होगा जिसमें स्वयं भी वही वाप रहा हो । यह एक पूर के स्वाध पर दूसर पूर का शासकीय दायक के रूप में अविभक्त नहीं कर सकता था । इनक अतिरिक्त हम उच्च कृष् में जन्म लेने वाले (अभिजात) और शीघ्र कृष् में जन्म लेने वाले (अभिमिजात) राजा के बारे में स्वयं कौटिस्य का मत भी जानना है । कौटिस्य उच्च कृष् में जन्म लेने वाले राजा को चाहें वह जन्मदोर और शक्तिहीन (दुर्बलम्) ही क्यों न हो नीच कृष् में जन्म लेने वाले राजा की तुलना में चाहें वह शक्तिहीन ही बलवान क्यों न हो बेहतर समझते हैं । उनका तर्क यह है कि जन-साधारण उच्च कृष् में पैदा हुए राजा का अपन-आप स्वागत करत हैं (प्रकृत्य स्वयम् उपनमन्ति) और वे उसका अनुसरण करने को तैयार रहते हैं (अनुसरन्ति) क्योंकि उनके हृदय

में कृष्ण-उत्पत्ति (अर्थात् कुतोत्पन्नम्) तथा चरित (ऐश्वर्यप्रकृति एवमयी-  
हृता) से प्राप्त होने वाली महानता के प्रति एक स्वाभाविक सम्मान होता  
है। इसके प्रतिकूल जन-साधारण के हृदय में नीच कृष्ण में कम करने बाध राजा  
के प्रति एक स्वाभाविक अग्रिणी होती है और उसकी तिष्ठन्ती (उपजायम्)  
का समर्पन करने के लिए बेतैयार नहीं होते (विस्मयवर्धित न मनुबर्नते)।  
क्याकि कहावत है कि 'प्रेम सम्पूर्णों से जामुत होता है' (अमुरतो सर्वभूषणम्)  
(अर्थशास्त्र ८)। इसे पढ़कर ऐसा लगता है मानो कीटिस्य अपनी छात्राई  
दे रहे हों कि उन्होंने शक्तिशाली तथा धनवान मूत्र राजा नंद की तुलना में  
ब्रह्मपुत्र-बैधे साधारण व्यक्ति को, जो एक कुलीन क्षत्रिय वा राजपद के लिए  
अधिक उपयुक्त क्यों समझा ?

'मीर्य' शब्द पुराणों के एक टीकाकार ने पुराणों में ब्रह्मपुत्र के लिए प्रयुक्त  
'मीर्य' शब्द की एक अनोखी व्युत्पत्ति का पता लगाकर ब्रह्मपुत्र के नीच कृष्ण  
में वैरा होने का मत पहली बार व्यक्त किया था। इस टीकाकार ने 'मीर्य'  
शब्द का अर्थ 'मुष्ट' का पुत्र बताया था जो राजा नंद की एक पत्नी वी (ब्रह्म-  
पुत्रम् नंदस्यैव कल्पितस्य मुरासंज्ञस्य पुत्रम् मीर्यात्प्रथमम्)। मगवान्  
बचाने ऐसे टीकाकारों से जो मूकपाठ में अपनी कल्पना के गढ़े हुए तथ्य बाढ़  
देते हैं। टीकाकार ने इस प्रसंग में यह भारभयजनक बात कही है कि ब्रह्मपुत्र  
नंदवंशीय राजा का पुत्र था जबकि किसी भी पुराण में इस बाध का एक  
शब्द भी नहीं कहा गया है। यह बात पुराणों में ब्रह्मपुत्र के सम्बन्धित उन  
उल्लेखों के त्रिके बारे में ठप्पर बताया जा चुका है सर्वथा प्रतिकूल बैठी  
है। यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि यदि किसी पूर्ववर्ती तथा परवर्ती  
राजवंश के बीच कोई सम्बन्ध होता है तो पुराणों में इस बात का उल्लेख अवश्य  
किया जाता है। उदाहरण के लिए—शिषुनाय राजवंश के बारे में त्रिके  
बाद नंदवंश के राजा गरी पर बैठे यह बात स्पष्ट रूप से बही मरी है कि दम  
शिषुनाय राजाओं में से तबों नदिबर्पन वा और दमर्वा राजा उसका पुत्र महा  
नदिन वा और "एक मूत्र स्त्री से महानदिन का एक पुत्र होया महापुत्रम् (नंद)  
जो राजा बनेया और समस्त क्षत्रियों का नाथ करेया। इसके बाद जो राजा हाये  
के मूर्खों की संघान होंये। यदि यही बात मीर्य पर भी चरितार्थ होती और  
मीर्यवंश के मूख राजा का पूर्ववर्ती संबंध के राजा के साथ वैसा ही सम्बन्ध  
होना जैसा कि संबंध के राजा का अपने पूर्ववर्ती शिषुनायवंश के राजा के  
साथ था तो पुराणों में इस बात का उल्लेख अवश्य किया गया होता। व्याकरण  
की दृष्टि से 'मुष्ट' से 'मीर्य' की उत्पत्ति निकालना टीकाकार की कोरी कल्पना  
के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। टीकाकार को जहाँ तज्जार्थ की कोई विज्ञा

ही है, वहाँ उसका व्याकरण का ज्ञान भी बहुत ही थाड़ा है। व्याकरण व किसी भी नियम से 'मीर्य' शब्द की व्युत्पत्ति का प्रत्यय शब्द 'मुरा' शब्द में ढूँढ लेना असंभव है। मुरा से जो शब्द बनेगा वह 'मीरेम' होगा। 'मीर्य' शब्द केवल पुल्लिंग शब्द 'मुर' से बन सकता है जिसका उल्लेख पाणिनि के सूत्र के एक पत्रपाठ में एक नाम के रूप में किया गया है (४ १ १५१)। बड़े आश्चर्य की बात है कि 'मीर्य' शब्द की व्युत्पत्ति का श्रोत इस शब्द में नहीं लाया गया है। टीकाकार का व्याकरण की अपेक्षा चंद्रगुप्त की माँ का नाम जोड़ने में एसाया जिसचर्यवीर्य। टीकाकार में अच्छाई की बात केवल इतनी है कि उस में सबसे व्याकरण तथा इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है बल्कि उसे चंद्रगुप्त की कुल-उत्पत्ति में किसी कर्मक का भी ज्ञान नहीं है। क्योंकि उसने यह नहीं कहा है कि चंद्रगुप्त की तथा कथित माता एक भूय स्त्री थी या वह नंदवासी राजा की रक्षक थी। उसने मुरा को राजा की पत्नी तो बताया है पर उसकी जाति के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। इस प्रकार हम पुराण के इस टीकाकार का भी चंद्रगुप्त के कुम्हूँग हल के मत का प्रबलक नहीं ठहरा सकते।

अतः यह है कि बागिर इस साक्ष्य का अर्थवता क्या है ?

मुद्राराक्षस की ताम्बी 'बृपल' तथा 'कुम्हूँग' शब्दों का प्रयोग आम तौर पर यह माना जाता है कि इस कहानी का असली श्रोत मुद्राराक्षस है जिसके इस प्रयोग के उद्धरणों पर हम आनोपनारमक दृष्टि डालेंगे। एसा प्रतीत होता है कि यह सारी कहानी 'बृपल' तथा 'कुम्हूँग' शब्दों के अर्थ पर आधारित है जिसका प्रयोग इस नाटक में चंद्रगुप्त के लिए किया गया है। इन शब्दों को उनके प्रसंग से अलग करके उनकी व्याख्या स्वतंत्र रूप से नहीं की जानी चाहिए। इस नाटक में 'बृपल' शब्द का प्रयोग चंद्रगुप्त के लिए कई जगह किया गया है और उसका वही अर्थ लगाया गया है जो साधारणतया इस शब्द का होता है—'भूय की शतान। परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस शब्द का एक और अर्थ भी हो सकता है, जो कर्मक का सूचक न होकर प्रससा वा बोधक है। स्वयं इस नाटक में एक जगह (३ १८) 'बृपल' शब्द का प्रयोग सम्मानसूचक अर्थ में किया गया है—'ओ राजाओं में बृप के समान हो अर्थात् सबश्रेष्ठ राजा। अन्य कई स्थानों पर भी चाणक्य अपने प्रिय शिष्य को इसी नाम से संबोधित करता है और एक प्रकार से यह उसका प्यार का नाम बन गया है। नाटक में केवल चंद्रगुप्त के शत्रुओं को ही उसका अपमान करने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हुए बिलगाया गया है (६, ९) और यो भी उसके प्यार के नाम के अर्थ का काम उठाते हुए। इस प्रकार नाटक से यह बात कहीं भी सिद्ध नहीं होती कि 'बृपल' शब्द का प्रयोग अपमानसूचक अर्थ में किया गया है। इसी प्रकार

चन्द्रगुप्त के लिए प्रयुक्त दूसरे शब्द 'कृत्वीन' (२, १७) का भी ऐसा ही अर्थ लगाने का प्रयत्न किया गया है, और यह बताने की कोशिश की गई है कि इस शब्द में निश्चय ही उसकी 'निम्न कुल-उत्पत्ति' का संकेत मिलता है। परन्तु जिस प्रसंग में इस शब्द का प्रयोग किया गया है उससे कबल यह पता चलता है कि इसका अर्थ 'निम्न' (साधारण) कुल है—'मीच' कुल नहीं। इस शब्द से उसकी उत्पत्ति पर कोई कलंक नहीं लगता। इसका अर्थ समझ्ये नहीं है या जस्टिन ने कहा है कि 'इसका जन्म एक मामूली घराने में हुआ था। वास्तव में इसका अर्थ यह है कि चन्द्रगुप्त का जन्म एक हीन कुल में जबकि एक मामूली घराने में हुआ था इसके विपरीत सर्वश्रेष्ठ राजाओं की 'प्रविष्ट-कुलज' जबकि 'प्रतिष्ठावान कुल का' या 'उच्च कुल का' [अश्वमेधविजयम् (१, ६)] कहा गया है। इस नाटक में चन्द्रगुप्त के सम्बन्ध में उसके पितापिता जिस बात पर जोर देते हैं वह यह है कि वह एक 'मया' (अप-स्टार्ट) राजा है जिसके बश की कभी कोई क्याति अपवादा कीर्ति नहीं रही (अप्रविष्ट-कुल) जिसमें अभिजात-जन या राजाओं के रक्त का अंश भी नहीं है और इसलिये वह उस सिंहासन पर बैठने के सर्वथा अयोग्य है जिसे नदबध के कुलीन राजाओं ने सुगोभित किया था। वह तो पुराणों के अर्थ का अर्थ करता है। जबकि पुराणों में नदबध के राजाओं का पूज्य बताया गया है और उनकी कुल-उत्पत्ति पर घृणा प्रकट की गई है, मुद्राराक्षस में पाला जिसकुल उत्पन्न किया गया है उसमें नदबधोत्त राजाओं की गौरव धारणी कुल का बताया गया है। एक साधारण कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति के सारे अक्षय्य चन्द्रगुप्त के हितों में आए हैं और उसे एक अज्ञात तथा अप्रतिष्ठित परिवार का 'मया' बनी दिखाया गया है। परन्तु नाटक के पक्षपात अपवादा पूर्णतः ही इतिहास नहीं माना जा सकता और न ही एक ऐसे नाटक को जो चन्द्रगुप्त के समय के आठ सौ वर्ष बाद लिखा गया है इतिहास के अस्त के रूप में पुराणों से अधिक प्राथमिक माना जा सकता है।

टीकाकार की छाती : यद्यपि चन्द्रगुप्त पर कोई कलंक लगाने के लिए मुद्राराक्षस का उद्धरण नहीं किया जा सकता परन्तु चन्द्रगुप्त को इस नाटक के टीकाकार के अक्षय्य से छुड़ाना मुश्किल है जो निश्चित रूप से यह कलंक उस पर लगाता है। मुद्राराक्षस के अठारहवीं शताब्दी के बुधिराज नामक एक टीकाकार ने इतिहास में कुछ नयी बातों का समावेश किया है। अपनी टीका में 'उगोष्पात' में इन्होंने सर्वविधित्व नामक एक व्यक्ति का उल्लेख किया है जिसकी दो पत्नियाँ थी—सुनदा और मुच। सुनदा के भी पुत्र हुए जो नंद कह गये और छापी रानी मुच के मौर्य नामक एक पुत्र हुआ। चन्द्रगुप्त के बारे में जो मान्य प्रकार की कथाएँ प्रचलित हैं, उनके लम्बे इतिहास में 'म' बात की

सोत्र करने का काम पुण्डिराज के लिए ही छाड़ दिया गया था कि मरा 'बृष  
स्वामिन्' की अर्थात् वह 'वृष' यानी गुर की पुत्री थी। पुण्डिराज के इस  
मत का किन्ती ने भी समर्थन नहीं दिया है और हम उसके बस्तुस्थिति का वही मूल्या  
करने को उसका प्राप्ति है। इस टीका में यह भी अर्थ निहित है कि सर्वापि  
सिद्धि तथा उसको शक्ति पत्नी गुणदा के भी पुत्र जा नद बहुसाय अर्थात् आदि  
के प। पुण्डिराज के मतानुसार अत्रमुत्त का पिता मीर का और सर्वापिसिद्धि ने  
अपना मनापति अपने मर पुत्रा को न बनाकर मीर का बनाया था इस पर मर  
अनुभवों ने उस स मीर तथा उसके सय पुत्रों का मरबा दिया नवल अत्रमुत्त  
भाग निकला। मर्यों का एक दूसरा अनु भावनाय भी था। समाज अनुता के कारण  
ये दोनों मित्र बन गए।

मुशारासत को कुछ और बातें मुशारासत में हम विषय में कुछ और बातों  
का भी रहस्योद्घाटन किया गया है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि अत्रमुत्त  
के प्रति हम नाटक का रुचि सर्वथा एक-जैसा भी नहीं है और न ही वह सुमय  
है। वही-वही तो हम बात का अर्थविक्रम ध्यान रख गया है कि उसे बृषक  
कहकर उसके प्रति तिरस्कार न प्रकट किया जाए, वरिष्ठ उसे 'राजकुमार' मर  
बंध की संतान 'नन्दान्वय' या 'मीर-पुत्र' (२ ६) कहकर संबोधित किया  
जाए और जब नंदवंशीय राजा के स्वामिभक्त अनुवर तथा मंत्री राक्षस ने अपन  
आपको अत्रमुत्त का 'पितृपर्यायमत' अर्थात् उसके परिवार में अपने बाप-दायों  
के समय से मंत्री का काम करनेवाला कहा तो उसमें भी इसी भावना का बोध  
होता है। उसने एक जगह अत्रमुत्त को अपना 'स्वामिपुत्र' भी कहा है। यह बात  
भी ध्यान देने योग्य है कि 'स नाटक में अत्रमुत्त को 'नंद-पुत्र' न कहकर 'मीर  
पुत्र' कहा गया है। फिर भी उसे 'नंदबंध की संतान' कहा गया है क्योंकि वह  
सर्वापिसिद्धि के पुत्र मीर का बेटा था और सर्वापिसिद्धि भी मरबा का पिता था  
और स्वयं नंदवंश की संतान था। इस बड़े राजा को भी नंद कहा गया है। नाटक  
में दिखाया गया है कि राक्षस के परामश से वह पाटलिपुत्र छोड़कर बन में भाग  
गया था क्योंकि अत्रमुत्त तथा भावना ने एक-एक करके उसके सभी पुत्रों को  
नंदों को मरबा डाला था। फिर भी अत्रमुत्त को अपना पिता का हारार नहीं  
कहा जा सकता क्योंकि उसे वही नंद-पुत्र नहीं कहा गया है वह उन ही नंदों में  
किसी को भी संतान नहीं था। उसके लिए जिस दूसरे शब्द 'मीर-पुत्र' का प्रयोग  
किया गया उसके कारण वह इस अर्थमय अपराध के बोध से मुक्त हो गया है  
(बेल्गि—सी० बी० चटर्जी इंडियन क्वैरर में 'आइडेंटिफिकेशन ऑफ दि बृहत्कथा',  
खंड १ पृष्ठ २२१)।

इस प्रकार इस नाटक में जो बात नहीं गई है, वह पुराणों के अनुकूल नहीं

है क्योंकि पुराणों में चंद्रगुप्त तथा नंद के बीच रक्त के किसी सम्बन्ध का उल्लेख नहीं किया गया है। नाटक में यह बात पुराण से टीकाकार से भी गई है, जिधने जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, पक्षी बार इस प्रकार के सम्बन्ध का प्रमाण बुटाया था।

मुद्राराक्षस की अन्य कई बातें भी पुराणों से मेल नहीं लाती। जबकि पुराणों में केवल भी नरों का उल्लेख किया गया है इस नाटक में सर्वाभिहित नामक एक बसमें नंद का भी उल्लेख मिलता है जिसे नंदवंशीय कहा गया है और जिसे अंतिम नर राजा के देहान्त के बाद सिंहासन पर बिठाया गया है। इस प्रकार चाणक्य तथा चंद्रगुप्त को जिस घण्टे के बिछड़ सड़ना पड़ा वह स्वयं नंद राजा नहीं था जैसा कि पुराणों में कहा गया है, बल्कि उसका गोती था। नाटक चाणक्य के इस कथन से आरम्भ होता है कि उसने "पृथ्वी पर से भी नरों का नाम-निदान मिटा लिया है और नन्दवंश को निर्मूलक कर दिया है। परन्तु जब तक नन्दवंश की किसी भी शाखा का एक भी व्यक्ति जीवित है, तब तक वह अपने लक्ष्य को पूरा नहीं समझ सकता।" और इस प्रकार, इस दृष्टि से उसने सर्वाभिहित की हत्या कराकर ही काम किया जो उस समय जयल में तपस्विनी का जीवन व्यतीत कर रहा था क्योंकि वह 'नन्दवंश की' एकमात्र शेष 'याजा' के रूप में बच रहा था।

कारागीरी परम्परा काश्मीर की कथासरित्सागर तथा बृहत्कथामञ्जरी नामक दो संस्कृत रचनाओं में जो दोना ही बहुत बाद की (११वीं शताब्दी) रचनाएँ हैं चंद्रगुप्त के बच का एक दूसरा ही चित्र प्रस्तुत किया गया है।

इन रचनाओं में न तो नरों का उल्लेख है और न उनके पिता सर्वाभिहित का ही जिक्र। उल्लेख मुद्राराक्षस में किया गया है। न रचनाओं में केवल दो नरों का उल्लेख किया गया है (१) पूर्व-नंद, जिसे चंद्रगुप्त का पिता बताया गया है (जबकि मुद्राराक्षस में उसके पिता का नाम मौर्य बताया गया है) (२) हिरण्यगुप्त जन्मा हरिगुप्त के पिता योग-नंद।

यह बात स्पष्ट नहीं की गई है कि पूर्व-नंद और योग-नंद का आपस में क्या सम्बन्ध था और न ही यह बात साफ-साफ बताया गई है कि इन दोनों का जन्म ही या इस नरों के साथ क्या सम्बन्ध था जिनका उल्लेख मुद्राराक्षस में मिलता है।

यह बात भी कही नहीं कही गई है कि पूर्व-नंद रामगुप्त या भी या नहीं। हमें केवल इतना पता चलता है कि दूसरा नंद अर्थात् योग-नंद राजा था जो चाणक्य की हत्या अर्थात् जाहू के फलस्वरूप मृत्यु को प्राप्त हुआ और चाणक्य ने उसका स्थान पर चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बिठाया। इस नंद के बारे में भी यह कहा गया है कि वह गृह था और उसका पड़ाव अयोध्या में था।

इस प्रकार यदि ब्रह्म मित्राक्षर दया जाए तो यह बात बिचकल स्पष्ट है कि नंद चाणक्य तथा चंद्रगुप्त के नामों के असाधारण कारकीर्दी की रचनाओं में भी मुद्राराक्षस की कथा में कोई समानता नहीं है। यद्यपि मुद्राराक्षस के बारे में यह श्राव्य धारणा बहुत व्यापक है कि वह या तो गुणाक्षर की बृहत्कथा पर आधारित है या उसके परवर्ती कान्हीरी कथाओं पर। या यह भी समभव है कि वह बृहत्कथामुखरी पर आधारित हो। कान्हीरी रचनाओं का कथानक बिसकुल ही भिन्न है। उगम तथा मुद्राराक्षस की कहानी में कोई समानता नहीं है (सी० टी० चर्चरी इंडियन कल्चर पृ० १ पृष्ठ २१० तथा उसके दाए के पृष्ठ)।

बौद्ध दृष्टिकोण : अब हम बौद्ध रचनाओं के दृष्टिकोण पर विचार करना जिनमें कहा गया है कि 'मंदिर' के कुल का कोई पता नहीं चलता (अनात कुल) और चंद्रगुप्त को अश्वमेध रूप से अभिजात कुल का बताया गया है। चंद्रगुप्त के बारे में कहा गया है कि वह मौरिय नामक क्षत्रिय जाति की संतान था। मौरिय जाति शाक्य की उस उच्छ तथा पवित्र जाति की एक शाखा थी जिसमें महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कथा के अनुसार अब अत्याचारी कोसल नरेश बिहुत्त ने शाक्यों पर आक्रमण किया था मौरिय अपनी मूक बिरादरी से अलग हो गए और उन्होंने हिमालय के एक सुगन्धित स्थान में जाकर छिप कर ली। यह प्रदेग मारों के लिए प्रसिद्ध था जिस कारण वहाँ जाकर बस जाने बाछ में फाग मौरिय कहलाने लगे जिसका अर्थ है मोरों के स्थान के निवासी। मौरिय शब्द 'मार' से निकला है, जो संस्कृत के 'मयूर' शब्द का पालि पर्याय है। एक और कहानी भी है जिसमें मौरियनगर नामक एक स्थान का उल्लेख मिलता है। इस शहर का नाम मौरिय-नगर इसलिए रखा गया था कि वहाँ की इमारतों 'मोर की गरदन के रंग की ईंटों' की बनी हुई थी। जिन लोगों ने इस नगर का निर्माण किया था वे मौरिय कहलाये। महाबोधिसत्त (सम्पादन स्ट्राप पृ० ९८) में कहा गया है कि "कुमार" चंद्रगुप्त जिसका जन्म राजाओं के कुल में हुआ था (मरिच-कुक-संभव) जो मौरिय नगर का निवासी था जिसका निर्माण धान्यपुत्रों ने किया था चाणक्य नामक ब्राह्मण (द्विज) की सहायता से पाटलिपुत्र का राजा बना।

महाबोधिसत्त में यह भी कहा गया है कि चंद्रगुप्त का 'जन्म क्षत्रियों के मौरिय नामक वंश में' हुआ था (मौरियन पालियन बंसे जाल)।

बौद्धों के बीच निकाय नामक ग्रंथ में (२ ११७) पिण्डकिवन में उद्धृत वाला मौरिय नामक एक क्षत्रिय वंश का उल्लेख मिलता है।

विष्णुपुराण (सम्पादन कावेस पृ० १७) में विदुवार (चंद्रगुप्त के पुत्र) के बारे में कहा गया है, कि उसका एक क्षत्रिय राजा के रूप में विभिन्न अभिप्रेक

हुआ था (सश्विन-सूर्यमिषिक्त) और अशोक (चंद्रगुप्त के पुत्र) का शश्विन कहा गया है ।

चैन परम्परा चैन परम्परा में भी यह बर्णन मिलता है कि चंद्रगुप्त एक गाँव के मुखिया की बेटी का पुत्र का जहाँ के रहने वाले 'राजा के मोरों की देखभाल करने वाले' (मयूर-शौचक-दाये) कहलाते थे [ हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्वत (८ २३०) ] । मंद के बारे में इसी संक्षेप में कहा गया है कि उसका पिता माई और माँ बंध्या थी (जिसे पुत्रादिनों ने पिछले राजा की रानी बताया है) (पुर्बोक्त ६ २३२) । इस प्रकार उस पर दोहरा कलक लगाया गया है, क्योंकि उसके माता-पिता दोनों ही कर्मकृत थे । मातृपक्ष लुप्त (पृ १९१) में भी भी नहीं का (जबसे मंद) उल्लेख किया गया है, और इनमें से पहले मंद को माई की सतान बताया गया है (नापितरास राजा काल.) ।

परंतु यह बात ध्यान में रखने की है कि परिशिष्टपर्वत (८ ३२) की कहानी के अनुसार नरवर्द्धीय राजा को सिंहासन से उतार देने के बाद चाणक्य ने उसे इस बात की अनुमति दे दी थी कि वह एक रथ भर सामान लेकर पाटलिपुत्र छोड़कर जा सकता है । पहले समय उसका साथ उसकी दो पत्नियाँ तथा एक बेटी थी जो चंद्रगुप्त को देखते ही उस पर मोहित हो गई और उसके पिता मंद ने उसे चंद्रगुप्त से विवाह कर केनें को इजाजत दे दी "क्याकि शश्विन कर्म्याएँ अपना वर प्रायः स्वयं चुनती है" (प्रायः शश्विन-कर्म्यामाम् शास्त्रे हि स्वयजतः) । इससे तो यही ध्वनि निकलती है कि मंद अभी तक शश्विन होने का दावा करता था ।

स्मारकों की सारणी : स्मारकों के प्रकृत प्रमाण से बीड़ तथा चैन दृष्टिकोणों की बड़े अतीव दृढ़ से पुष्टि होती है इन दोनों में मौरिय व्यवसायीकरण का सम्बन्ध मयूर घाट के साथ बताया गया है । मयूरघाट में अशोक-स्तंभ के निचले सिरे पर जो मूर्ति के चराचर के नीचे था एक मोर का चित्र अंकित है और दोनों के बिना लुप्त में भी परवर पर चूरे हुए अनेक चित्रों में वही मोर की आकृति देखने में आती है । इन चित्रों का सम्बन्ध अशोक से बताया जाता है, क्योंकि उनमें उसी के जीवन की घटनाओं का चित्रण करने का प्रयत्न किया गया है । चूँकि तथा 'सर ऑन मार्शल' दोनों ही 'पुनर्देख' से सम्बन्ध हैं जिन्होंने पहले पहले यह बात कही थी कि मोर का चित्र इस बात का प्रतीक है कि मोर मौर्यी का राज प्रतीक था ।

सारणी : चंद्रगुप्त के जन्म तथा संघर्ष से सम्बन्धित इन विभिन्न प्रकृत परम्पराओं का सारणी त्रिकाले हुए हम देखें कि उनमें किन बातों पर मतभेद है और किन बातों पर मतभेद । यूनानी कृतियों तथा पुराणों में इस बात पर

मतीय है कि कस्मात् उत्पत्ति चंद्रगुप्त की नहीं बल्कि मंत्रबंधीय राजा की थी। यूनानी कृतांतों में मंत्रबंधीय राजा को एक मारि का कारण पुत्र कहा गया है और पुत्रियों में मंत्रबंध को पुत्र कहा गया है। यूनानी कृतांतों में उनकी मीथ-कृत-उत्पत्ति का और विस्तारपूर्वक वर्णन करते हुए कहा गया है कि उनका पुत्र पिता एक टपवान मारि या जिससे राजा मंत्र की रानी प्रेमपाठ म र्वेय गई थी। इन दोनों के बीच अवैध प्रजनन-सम्बन्ध पकड़े रहे और संत में रानी ने अपने राज बनीय पति की हत्या करवाकर उसे मार्य से हटा दिया। परंतु मुद्राराक्षस में विद्वान् ही उस्ता पित प्रस्तुत किया गया है उसमें नदी की अमितात कृत का बताया गया है और चंद्रगुप्त को एक अज्ञात कुल का गया राजा। इस माटक में कहीं-कहीं यह अक्षयति भी पाई जाती है कि उसमें चंद्रगुप्त को मंत्रबंध की संतान कहा गया है। बौद्ध और जैन परम्पराओं का इस विषय पर मतीय है कि चंद्रगुप्त का जन्म कुशीन बंस में हुआ था।

यह बात उल्लेखनीय है कि निबंदरहाग भारत के आक्रमण के यूनानी कृतांतों में मोरियुद्ध नामक एक भारतीय जाति का उल्लेख मिलता है या मौरिय का यूनानी पर्याय है।

प्रारंभिक जीवन चंद्रगुप्त की उत्पत्ति तथा उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में इतनी कम जानकारी प्राप्त है कि इन विषयों पर अनेक कथाएँ प्रचलित हैं। मंत्रधार के बारे में ज्ञान प्रकार की कथाएँ प्रचलित हो ही जाती हैं। जो भी व्यक्ति सामारण कुल में जन्म लेने के बाद महानता का पद प्राप्त कर लेता है उस इन कथाओं में असाधारण गुणों से सम्पन्न व्यक्ति के पद पर बिठा दिया जाता है। चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी हमें बौद्ध कथाओं से प्राप्त होती है। इन कथाओं का स्रोत मुख्यतः दो रचनाओं में मिलता है, जिनका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं (१) महावंस बीका, जिस अक्षय्यकालिनी भी कहते हैं (जिसकी रचना लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के मध्य में हुई थी) और (२) महाबोधिवंस जिसके रचयिता अपरिचित हैं (लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के उत्तरार्ध में)। इन दोनों ही ग्रंथों का आचार, सीहस्रकथा तथा उत्तरबिहाय्य-कथा नामक प्राचीन ग्रंथ है। सीहस्रकथा के बारे में कहा जाता है कि उसकी रचना वेर महिष (अशोक का पुत्र) तथा उनके साथ मगध से भागे हुए अन्य भिक्षुओं ने की थी जिन्हें संघ के प्रधान ने धर्म प्रचार के लिए भेजा था। अशोक ने धर्म-प्रचारकों के इस संकल में बोधिगुप्त तथा सुमित्र-वैश उपासकों को भी भेजा था जो धर्म-प्रचारक नहीं थे। बोधिगुप्त तथा सुमित्र उत्तक की पहली पत्नी देवी के माई थे। लका के राजा देवाप्रिय तिष्य ने उन दोनों को बोधि-गुप्त द्वारा लका की विजय का निवरण मिलने के लिए मुख्य सहायकों के रूप में

(संक्रान्त-महासंक्रान्त) नियुक्त किया। ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी रचना को जब कही उपलब्ध नहीं है, माथिक रूप से उत्तरविहारदृष्टकथा में सम्मिलित कर ली गई थी। इस रचना में मौर्य इतिहास के बारे में कुछ ऐसी बातों का विवरण मिलता है जो सीहणदृष्टकथा में नहीं है। इन बातों का स्रोत कदापि मगध के उपरोक्त इतिहासकारों की रचना में रहा होगा और उन्हें मठनेब रखने वाले तथा स्त्रि-विरोधी उत्तरविहारवासी यथवा पम्पदिकों की रचना में शामिल कर लिया गया होगा (भी सी० डी० चटर्जी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर)।

इन बातों के अनुसार चन्द्रगुप्त का जन्म मोरिय नामक क्षत्रिय जाति में हुआ था जिसका शाखा के साथ सम्बन्ध था। अपनी जन्मभूमि छोड़कर पत्नी जाने वाली मोरिय जाति का मुठिया चन्द्रगुप्त का पिता था। कुर्मास्यबल यह भी माना पर एक क्षत्रिय में मारा गया और उसका परिवार बनाम रह गया। उसकी बचपन विधवा अपने माइयो के साथ नामर पुष्पपुर (= कुमुनपुर = पाटलिपुत्र) नामक नगर में पहुँची जहाँ उठने चन्द्रगुप्त को जन्म दिया। सुरक्षा के विचार से इस अनाथ बालक को उसके मामाओं ने एक घोशाला में छोड़ दिया जहाँ एक गड़दिए ने अपने पुत्र की तरह उसका काय-पालन किया और जब वह बड़ा हुआ तो उसे एक धिकारी के हाथ बेच दिया जिसने उस पाप-भ्रैस चरान के काम पर लगा दिया। कहा जाता है कि इस मापारण प्रामीण बालक चन्द्रगुप्त ने रामकीरम् नामक एक खेस का आविष्कार करके जन्मजात नेता होने का परिचय दिया। इस खेस में वह राजा बनता था और अपने सामियों को अपना अनुचर बनाता था। वह राजसमा भी जुटाता था जिसमें बैठकर वह न्याय करता था। पाँच के बच्चों की ऐसी ही एक राजसमा में आणक्य ने पहुँची बार चन्द्रगुप्त का देखा था। आणक्य ने अपनी दिम्बदृष्टि से कुछ इस प्रामीण अनाथ बालक में राजत्व की प्रतिभा तथा चिह्न देखे और वहीं पर १०० कार्यालय देकर उसे उसके पासक-पिता से खरीद लिया। उस समय चन्द्रगुप्त आठ या नौ वर्ष का बालक रहा होगा। आणक्य जिस तलसिला नामक नगर का निवासी (तलसिला-नगर-बासी) बताया गया है, बालक को लेकर अपने नगर लौटा और ७ या ८ वर्ष तक उसे प्रत्यात विद्यापीठ में उसे शिक्षा दिलाई, जहाँ आठक-कलाओं के अनुसार, उस समय की सम्स्त 'विद्याएँ तथा कलाएँ' सिखायी जाती थीं। जहाँ आणक्य ने उसे अप्राविधिक विषयों और व्यावहारिक तथा प्राविधिक कलाओं की भी सर्वांगीण शिक्षा दिलाई (बहुसंख्याभावश्च जगद्विदितसिष्यकश्च)।

तलसिला में विद्योपार्जन आठक-कलाओं से होने लगा चलता है कि उस समय के राजा अपने राजकमारों का विद्योपार्जन के लिए तलसिला भेजा करते

वे जहाँ 'विद्य-वित्याग' अध्यापक थे। इन कृपाभा में हम पढ़ते हैं "सारे भारत से छात्रियों तथा छात्रों के पुत्र इन अध्यापकों से विभिन्न कक्षाएँ सीखने आते थे।" तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा का ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षा का कदम था। इस बात का उल्लेख मिलता है कि बहूँ बालकों का १६ वर्ष की अवस्था में यहाँ 'क्रिओराबस्था में प्रवेश करने पर' भरती किया जाता था। इसमें बड़ी अवस्था के छात्र अपना गृहस्थ साग भी यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। वे अपने रहने खाति का प्रबंध स्वयं करते थे। हम तत्कालीन के एक ऐसे अध्यापक का भी उल्लेख मिलता है जिसकी पाठशाला में कबल राजकुमार ही पढ़ते थे "उस समय भारत में इन राजकुमारों की संख्या १०१ थी।" बहूँ जिन विषयों की शिक्षा की जाती थी उनमें तीन वेदां तथा १८ विषयों अध्यापित शिक्षा का उल्लेख मिलता है जिनमें पशुचिकित्सा (इस्तराब-तिल्य) आलट तथा हाथियों से सम्बन्धित ज्ञान (हस्तिमुत्त) का उल्लेख किया गया है जिन्हें राजकुमारों के लिए उपयुक्त समझा जाता था। विद्वान् तथा व्यपहार दोनों ही की शिक्षा दी जाती थी। तत्कालीन अपनी विधि-शास्त्र चिकित्सा-विज्ञान तथा सैन्य विद्या की अलग-अलग पाठशालाओं के लिए प्रख्यात था। तत्कालीन की सैनिक प्रक्राप्ती का भी उल्लेख मिलता है जिसमें १३ राजकुमार शिक्षा पाते थे। एक जगह यह विवरण मिलता है कि किस प्रकार एक विषय को सैन्य-विद्या की शिक्षा समाप्त कर लेने के बाद उनके गुरु ने प्रमाणपत्र के रूप में स्वयं अपनी "तलवार, एक धनुष और बाण एक कबूत तथा एक हीरा" दिया और उससे कहा कि वह उसके स्थान पर सैन्य-विद्या की शिक्षा प्राप्त करने वाले ५०० विषयों की पाठशाला के प्रधान का पद ग्रहण करे क्योंकि वह बूढ़ हो गया था और अबकास ग्रहण करना चाहता था। [विस्तृत विवरण के लिए प्रस्तुत पुस्तक के लेखक की ऐंग्लो इंडियन एजुकेशन (सैकमिसेंस संस्करण) नामक रचना का १९वाँ अध्याय बखिए।]

इस प्रकार हम देखते हैं कि चाणक्य अपने जन्मकाल तक विषय की शिक्षा का इससे अच्छा कोई दूसरा प्रबंध नहीं कर सकता था कि उसे विद्योपार्जन के लिए तत्कालीन में भरती करा दे। इतने राजकुमारों के साथ रहकर आठ वर्ष तक सैनिक पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह उस समय की समस्त सैन्य विद्याओं तथा कलाओं में निपुण हो गया होगा। अंत्युत्त को उसका अभिभावक चाणक्य ने जो महात् कार्य सीना था उसे पूरा करने के लिए इससे अच्छी तैयारी तथा इससे अच्छा प्रशिक्षण कोई दूसरा नहीं हो सकता था।

प्रसंगिक यह भी कह दिया जाए कि तत्कालीन में अंत्युत्त के प्रारंभिक जीवन तथा विद्योपार्जन से प्लूटार्क के इस उल्लेखनीय कथन की भी एक तरह से पुष्टि हो जाती है कि वह अपनी युवावस्था में सिक्कर से उस समय मिला



वे यहाँ 'विरम-विद्या' अध्यापक थे। इन कथाओं में हम पढ़ते हैं "सारे भारत से शत्रियाँ तथा ब्राह्मणों के पुत्र इन अध्यापकों से विभिन्न कथाएँ सीखने आते थे।" तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा का ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षा का कदम था। इस बात का उल्लेख मिलता है कि यहाँ बालकों का १६ वर्ष की अवस्था में वर्षान्तर 'विद्योत्सव' में प्रवेश करने पर भर्ती किया जाता था। इससे बड़ी अवस्था के छात्र अपनी गृहस्थ लोग भी यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। वे अपने अपने जाति का प्रवेश स्वयं करते थे। हम तत्कालीन के एक ऐसे अध्यापक का भी उल्लेख मिलता है जिसको पाठशाला में केवल राजकुमार ही पढ़ते थे "उक्त समय भारत में इन राजकुमारों की संख्या १ १ थी।" यहाँ जिन विषयों की शिक्षा दी जाती थी उनमें तीन बराबरी १८ विषयों 'जबान्' विद्या का उल्लेख मिलता है जिनमें धर्तुविद्या (इन्द्रजित्तिय) वायु तथा हाथियों से सम्बन्धित ज्ञान (हस्तिपुत्र) का उल्लेख किया गया है जिन्हें राजकुमारों के लिए उपयुक्त समझा जाता था। विद्वान्त तथा व्यपहार दोनों ही की शिक्षा दी जाती थी। तत्कालीन अगनी विधि-शास्त्र चिकित्सा-विज्ञान तथा सैन्य विद्या की अन्त-अन्त पाठशालाओं के लिए प्रस्ताव था। तत्कालीन सैनिक महासैनिकों का भी उल्लेख मिलता है जिसमें १०१ राजकुमार शिक्षा पाते थे। एक जगह यह विवरण मिलता है कि किस प्रकार एक शिष्य को सैन्य विद्या की शिक्षा समाप्त कर देने के बाद उसके गुरु ने प्रमाणपत्र के रूप में स्वयं अपनी 'तर्जनी, एक वस्तु और बाण एक कबज तथा एक शीर' दिया और उससे कहा कि वह उसके स्वातंत्र्य पर सैन्य विद्या की शिक्षा प्राप्त करने वाले ५० शिष्यों की पाठशाला के प्रधान का पद ग्रहण करे क्योंकि वह बुद्ध हो गया था और अन्तर्गत ग्रहण करना चाहता था। [विस्तृत विवरण के लिए प्रस्तुत पुस्तक के लेखक की रैजेंट इन्डियन एजुकेशन (मैकमिलनस बंदन) नामक रचना का १२वाँ अध्याय देखिए।]

इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञानवन्त अपने अल्पवयस्क शिष्य की शिक्षा का इतने जल्दी कोई दूसरा प्रबंध नहीं कर सकता था कि उसे विद्योत्सव के लिए तत्कालीन में भेजा जाय। इतने राजकुमारों के साथ रहकर आठ वर्ष तक सैनिक पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह उक्त समय की समस्त सैन्य विद्या तथा कलाओं में निपुण हो गया होता। अंतर्गत को उसके अनिभाषक ज्ञानवन्त ने जो महान् कार्य सौंपा था उसे पूरा करने के लिए इससे अच्छी तैयारी तथा इतने जल्दी प्रशिक्षण कोई दूसरा नहीं हो सकता था।

प्रसंगिक यह भी कह दिया जाय कि तत्कालीन में अंतर्गत के प्रारंभिक जीवन तथा विद्योत्सव से प्युटार्क के इस उल्लेखनीय कथन की भी एक वृत्ति से पुष्टि हो जाती है कि वह अपनी मुवावस्था में विद्योत्सव से उक्त समय शिक्षा

या अर्थात् वह अपने विजय-अभियान के दौरान में पंजाब पहुँचा था। उस समय रहने वाले एक युवक के लिए यह बात सर्वथा संभव थी जिसने सैन्य-विद्या का एक विद्यार्थी होने के नाते स्वयं अपने हाथ में बृद्धि करने के लिए उस समय के सबसे बड़े सैनिक नेता से भेंट की होगी।

प्राप्त स्रोतों से प्राप्त अश्वमेध के प्रारंभिक जीवन के इस विवरण से अस्तित्व के इस कथन की भी पुष्टि होती है कि उसका 'अश्व एक मामूली बछने में हुआ था।

## अध्याय २

### विजय-अभियान तथा कालक्रम

बागवत तथा चंद्रगुप्त की पहली भेंट : हम पिछले अध्याय में इस बात का उल्लेख कर आए हैं कि बागवत तथा चंद्रगुप्त एक-दूसरे से दिन परिस्थितियों में पहली बार मिले। यह भेंट एक मुगलरकारी भेंट थी और इतक उल्लेख करने के बाद हम उनके वैयक्तिक जीवन में बकि बेच के इतिहास में भी बहुत बड़े-बड़े परिवर्तन होने वाले थे। बागवत से उसकी इस मुलाकात ने चंद्रगुप्त के जीवन की धारा को एक नयी दिशा में मोड़ दिया। अब उस एक गण्य व्यक्ति की भाँति निर्जन स्थानों में पिछारी का संकटमय जीवन व्यतीत नहीं करना था। अब उसे एक सुगन्धित नागरिक का जीवन व्यतीत करना था जैसे मुद्रर छलप्रिया में भारत की सबसे बड़ी विद्यापीठ में उस समय की उच्चतम शिक्षा मिलान वाली थी और उसे इतिहास के एक सबसे बड़े प्रयास के लिए तैयारी करनी थी। परन्तु चंद्रगुप्त के राजनीतिक जीवन पर विस्तारपूर्वक विचार करने से पहले उन परिस्थितियों को समझना आवश्यक है जिनमें ब्रह्मचर्य प्राप्त करने के लिए बागवत तथा चंद्रगुप्त की यह मुलाकात भेंट हुई थी।

विद्या का सेंट पट्टिसमुद्र : जैसा कि पट्टिसमुद्र कीका में बताया गया है बागवत ने छलप्रिया से पाटलिपुत्र तक की लम्बी यात्रा के दौरान ही तथा साम्राज्य की राजधानी के छात्रावासों में प्राप्त करने के उद्देश्य से ही (बाद परिवर्तनी पुष्पुर्द गत्वा)।

भारत की बीडिक राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र के लिए यह एक असाधारण शौर्य की बात थी कि चाणक्य त्रैमा निष्पात् विद्वान्, वा तस्यसिन्हा-वैसी महानगम विद्यापत् म तिगा प्राप्त कर चुका वा पूर्वी भारत के इस सुदूर नगर में अपने ज्ञान का भीर कीरवान्वित कर्म की शोच में आये।

विद्या के कर्तृ के रूप में पाटलिपुत्र की रथाति युवा तक बनी रही उसके राजनीतिक वैभव का जन हो जाने के बाद भी। इससे सगमय हठार वर्ष बाद की कवि राजात्तर की काव्यमीमांसा मामक धनर स्थला म उदका उल्लेख मिलता है। उसमें राजनेत्र ने लिखा है 'बहा जाता है (भूपते) कि पाटलिपुत्र समस्त प्राच्यकारो विभिन्न दर्शन-पद्धतियों के संस्थापका तथा प्रवर्तकों की पराशा (सास्त्र-कार-परीक्षा) का केंद्र था। यहाँ पर वर्ष तथा उपवर्ष पाणिनि तथा पिपल और व्याधि-वैसी सुविद्यमान गृहनात्मक प्रतिभाओं तथा लेखकों की परीक्षा की गई। बाद में अक्षर विद्या के इस नगर में परीक्षा में उत्तीर्ण हान के बाद ही बरदधि तथा पठम्बलि न विद्वानों के रूप में रथाति प्राप्त की।

यह बात स्पष्ट है कि 'वर्ष एक अत्यंत प्राचीन लेखक वा क्यारि बह स्वर्ष पाणिनि (सकमय ५ ई० पू वा उदस थी पहल) के मुह थे। उनके माई 'उदवर्ष ने भीमांसा सूत्र तथा बेबांत सूत्र की टीकाएँ लिखी थीं जिनके माप्यों के उदरय स्वयं अश्वमेध पम्रणाचार्य ने किये हैं। बहा जाता है कि उद-नास्त्र के रचयिता पिपल पाणिनि के छोटे माई थे। व्याकरणार्थ व्याधि पाणिनि के बाद हुए भीर उन्होंने उनकी व्याकरण-पद्धति के बारे में बहुत कुछ लिखा। बरदधि तथा पठम्बलि तो बहुत बाद में हुए। अतएव एसा प्रतीय होता है कि चाणोत्तर ने वर्ष से लेकर बरदधि तक भीर पिपल में लेकर पठम्बलि तक इन समस्त विद्वानों वा उल्लेख उनके जीवनकाल के क्रमानुसार किया है। वेद के विभिन्न भागों से सम्बन्ध रखने वाले इन सभी विद्वानों ने पाटलिपुत्र की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही रथाति प्राप्त की।

उदकेन-भद्र पाति-धर्मों में मयम के उत्तरीमीन पातक का नाम जिसका उदकेन संस्कृत धर्मों में केवल भद्र के नाम से किया गया है बत-भद्र बताया गया है। इसके अतिरिक्त पाति-धर्मों में भी भद्रों के नाम तथा उनके जीवन से सम्बन्धित कुछ बातें भी बतायी गई हैं। इन बातों से हमें पता चलता है कि बत-भद्र के भी राजा जो सब माई से बाटी-बाटी से अपनी बापु के क्रम में (बुद्धपति पाटिया) परी पर बैठे। बत-भद्र उनमें सबसे छोटा था। उससे बने माई का नाम उदकेन-भद्र बताया गया है वहीं भद्र-भय का संघारक था। अश्वमेध की शरत ही उनका प्रारम्भिक जीवन भी अत्यंत रामांकुल था। बहू मुल्य रीमांत प्रदेश का निवासी था (पश्चिम-व्यतिक) एक बार शक्यों ने उन पर हमला किया



भारत की बौद्धिक गतिशीलता के रूप में पाटलिपुत्र के लिए यह एक असाधारण पीरों की बात थी कि चाणक्य ने मा विष्णु विष्णु ओ लक्ष्मिका-वैद्यी महात्मन विद्यापीठ में जिला प्राप्त कर चुका था पूर्वी भारत के इस सुदूर नगर में अल्प काल का और तोरनाम्बित करने की गति में आया ।

विद्या के केंद्र के रूप में पाटलिपुत्र की गति युगा तक बनी रही उसके राजन्यायिक बीमर का जन हो जल के बारे में । इसके समस्त हृदय बर्ष बार का उच्च राजन्याय का काण्डवीर्योत्सा नामक अमर रचना में उसका उल्लेख मिलता है । उनमें राजन्याय में लिखा है कहा जाता है (सूचते) कि पाटलिपुत्र समस्त पाम्पकारा विविध समत-व्युत्पत्ति के संस्थापक तथा प्रबन्धकों की परीक्षा (प्राक्-कार-परीक्षा) का केंद्र था । यहाँ पर बर्ष तथा उपबर्ष पालिनि तथा पिण्ड और व्याधि वैसे बुद्धिमान मुक्तनामक प्रतिभाया तथा अर्थों की परीक्षा की गई । बार में चलकर विद्या के इस नगर में परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही ब्रह्मि तथा पठ्यक्ति न विद्या के रूप में गति प्राप्त की ।

यह बात स्पष्ट है कि बर्ष एक अत्यंत प्राचीन मन्त्र के ग्याधि बहु स्वर्ण पालिनि (कमला ५ ई पू या उसमें भी पहले) के लक्ष्ये । उनमें भारी 'उत्तर' में भीमोत्सा लुभ तथा बेंदित लुभ की टीकाएँ लिखी थी जिनके माध्यों के उत्तरक स्वयं ब्रह्मपुत्र पाकराचार्य न दिये हैं । कहा जाता है कि छद्म-राज्य के रचयिता पिण्ड पालिनि के छोटे भाई थे । व्याकरण-प्राचार्य व्याधि पालिनि के बाद हुए और उन्होंने उनकी व्याकरण-व्युत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ लिखा । बरधि तथा पठ्यक्ति ती बहुत बाद में हुए । अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि राजन्याय में बर्ष से लेकर बरधि तक और पिण्ड से लेकर पठ्यक्ति तक इन समस्त विद्वानों का उल्लेख उक्त जीवनकाल के क्रमानुसार किया है । यह के विभिन्न भाषा से सम्बन्ध रखते बाये इन सभी विद्वानों में पाटलिपुत्र की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही गति प्राप्त की ।

उपरोक्त-वर्ष पालि-विद्या में मन्त्र के तत्कालीन नामक का नाम जिसका उल्लेख बरधि में बेंदित नर के नाम से किया गया है, बर-नर बताया गया है । इसके अतिरिक्त पालि-विद्या में भी नरों के नाम तथा उनके जीवन से सम्बन्धित कुछ बात भी बतायी गयी है । इन बर्षों के होने का चकला है कि नर-वर्ष के भी राजा को यह भाई से बाँटे-बाँटी से मन्त्री बापु के रूप से (बुद्धि-व्युत्पत्ति) पत्नी पर बैठे । बर-नर उनमें सबसे छोटा था । उसमें बर्ष भाई का नाम उल्लेख-नर बताया गया है वहीं नर-वर्ष का संस्थापक था । ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति ही उसका प्रारम्भिक जीवन थी मन्त्र रोमाच्युर्ष का । यह मुक्त गीमांत प्रदेश का निवासी था (ब्रह्म-व्युत्पत्ति) एक बार राजनी ने उन पर धृष्ट किया



मिथ्या है उसके बारे में हम इनका कहा गया है कि वह पहले कूटकार का बीज बन करती है या जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। अंत में उसने बसपूर्वक सब पर शासन करने वाले राजवंश का उल्लास उल्लास दिया। बीड़ गया तथा अन्य जगहों में एक और उल्लासनीय संदेश यह है कि बीड़-वंशों में भी नंदों का उल्लास तो किया गया है और उनमें से प्रथम का नाम भी बताया गया है पर उन सबका भाई बताया गया है। महाभारत में लिखा है "नव नंदा (नवभातरो मी) लो भागु। बीड़-वंशों में इन संभवियों के विषय जो सबसे बड़ी कलक की बात कही गई है वह यह कि धुक-धुक में व डाकु थे। महाभारत में संभवियों राजाओं की (बीरगुप्ता) पहले के डाकु कहा गया है।

धर्म-वंश द्वारा शासन का अर्थमान कुछ भी ही इतना निश्चित है कि जिस समय शासन परामित्युक्त अर्थात् वा उम समय धर्म-वंश वहाँ का राजा था। वह अपने जन के लोभ के लिए बरगुप्त का वह ८० करोड़ (कोटि) की सम्पत्ति का नाशिक वा मीर खानो मार भूमो तथा परगणों तक पर कर वसूल करता था। निम्नकार में उसका नाम धर्म-वंश रख दिया गया था क्योंकि वह जन के शत्रु करने का धारी था (महाभारत बीका)। महाभारत-संस्करण में नव की ९ करोड़ स्वर्ण-मुद्राओं का उल्लास मिलता है। कहा जाता है कि उसने नया नदी की तटों में एक बड़ा नगर बसाकर उसमें अपना शासन सज्जता पाठ दिया था [महाभारत बीका]। उसकी जन-सम्पत्ति की अंशानुसार तब तक पहुँची। तबिन आजा की एक कविता में उसकी सम्पत्ति का उल्लास इस रूप में किया गया है कि वह नव पाटलि में लखित हुई और फिर लंगा गरी को बाग में उड़ गई। [द्वितीयक इतिहासिक आँक लालय इतिहास हिस्ट्री पृष्ठ ८९]। वरुण शासन ने उसे बिलकूल ही बूतरे रूप में दिया। अब वह धर्म शासन के अन्त में उम शासन-सुख में व्यय कर रहा था यह काम शासनशासन नाशक एक संज्ञा द्वारा लक्षित किया जाता था जिसकी व्यवस्था का लक्षण एक 'धर्म' के द्वारा वे वा शिखा अर्थात् को बाह्य होता था। नियम यह था कि अर्थात् एक करोड़ मुद्राओं तक का धन ले सकता था और नव का सबसे लंबा नवस्व एक मात्र मुद्राओं तक का। शासन की इन धर्म का अर्थात् बना गया। परन्तु हमारी ही बात राजा की उभरी वृत्तता तथा उनका बृहत् स्वभाव अर्थात् न तथा और उनमें उम परम्परा कर दिया। इस अर्थान पर कूटकार

१—वाल्मीकि गीतापदी ने इत नगर को 'व मोरगुप्त' (= व आरगुप्ता) कहा है पर गी. मी. बी. अर्थों के अनुसार वर (११ वि. म. १०९९) अर्थात् इस नगर के अर्थान पर आरगुप्ता का लो रीकार कर लिया है।

जागृत्य में राजा को धार दिया उसके बग को निमूत कर धन की घमकी वी और एक मल्ल व्यापारिक मानु के भेद में उसर जगुम स बच निकसा । धूमने किरते संवागबा उमकी भेंट बायक जगुप्त से हुई जिसरा बनेन पहा ही दिया जा चुका है ।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि बीड़-ग्रंथों की इन कथा की प्रतिष्थानि मुद्रा-रासत नामक संस्कृत रचना में मिलनी है जिसमें कहा गया है कि राजा नर ने भरे दरबार में जानक्य को उमक उम सम्मानित पर पर मे हटा दिया जो उमे दरबार में दिया गया था [अशासनापोषट्टरनाम (I २)] जिस पर जानक्य ने सीमंभ की कि वह उसके सारे परिवार तथा बंग को निर्मूल करके नंद से बन्धा दिया ।

जगुप्त का पहला काम पुनानी शासन का उन्मूलन : अब हम फिर उम इतिहास पर आते हैं जो जानक्य को भाम्यरघु जगुप्त के रूप में अपनी योजनाओं को पूरा करने का स्रापन मिल जाने के बाद पठित हुआ। हम पहले देख चुके हैं कि जानक्य ने किरते धैर्य के साथ बाठ बर्ष तक जगुप्त को यथामनब उष्णतम दिया देने का सबन पहला काम पूरा किया ताकि उसके सामने जो बिनास योजनाएँ थीं उन्हीं पूरा करने के वह माय्य हो जाए। सबसे पहला काम तो उस विपदा से छुटकारा पाना था जो उमक द्वारा पर मा पहुँची थी। अपनी बालों के मामले अपनी मानुभूमि पर बिदगी भाक्रमय पंजाब के छोटे-छोटे गणरा के निवासियों द्वारा विभिन्न म्थानों में उम भाक्रमय का विरोध करने के निष्फल प्रयत्नों और अंत में अपने देश पर बिदगी पुनानी सामन की स्थापना को देखकर मुकक जगुप्त के बिचारों में एक कूटान-सा आ गया था। इस प्रकार उसके सामने साम्कालिक काम अपने देश को इस बिदगी पराधीनता से मुक्त कराना था। इन काम में उसे अपने मुक कौटिल्य की गिसाओं से प्रेरणा मिली। कौटिल्य ने बिदगी सामन को एक अनोखय अभिगाय बहकर उमकी सम्भना की थी। कौटिल्य ने बिदगी सासन (बैराग्य) को योग्य वा निहृष्टतम रूप ठहराकर उसकी निहा की है जिसमें बिजता उम देश का जिसे वह बलभूक अपने अधीन कर मता है, (परस्याकिबध) कनी भी अपना प्रिय देश नहीं समझता (मैतन् मम इति मय्यमाक), उस पर दायबिध कर लपाता है तथा बल बमूल करता है (धर्मयति) और उसकी सम्भना की निबाड़ सेता है (अपबाह्यति) (८, २)। इस बिजय में पूरी जानकारी नहीं मिलनी कि बिदगी की बिजय के कारण और निवासियों द्वारा उम भाक्रमय का विरोध निष्फल हो जाने के बाद जो विरोधाचारों और पैक कई थी उम बाताबान में इस विगाण काय का पूरा करने के लिए उमने कौन स उपाय किया गया जिस प्रकार उमने इसक लिए माधर्न जुटाए। उस उम

बिराह के अक्षयों का सहारा देता वना उसने बिराह की उन पुस्तकी हुई चित्र मारिया का चित्र से ज्वाला क रूप म मङ्गलाया और शैतिका तथा मुद्र-सामग्री के रूप में देश क शैव-साधना का देश की स्वतंत्रता क लिए एक और राष्ट्रीय प्रयास करने के सह्य स मने सिर से सगठित किया ।

अश्वपुत्र को रोना के जोर विक्रम से टकरा मने वाली पञ्चतमिक आतिषी मद्राबंश ईराना से पठा अछता है कि लक्षिका में अश्वपुत्र की शिक्षा समाप्त हो जान क बाद आगम्य तथा अश्वपुत्र बोना विभिन्न स्वाना स (उसी लती कल सभियासेवा) देता क लिए मीनिक दुंदने (अस संनिकृता) निकल पड । इन प्रकार को गता तैयार हुई अने आपस्य ने अश्वपुत्र के सेनापतिक प पय दिया (महाबळकायं संग्रहणा सं तास पटिपारति) । टीका ईदिकुस लिखते है (बुद्धिष्ट इदिया, पृष्ठ २१०) कि "विममना के बल पर अश्वपुत्र न पनस का पंकर अने पगमन किया बा उसका मूल पत्राव से भरती किये म्पु शैतिका पर बा । अस्तित में भी किया है (XV ६) कि अश्वपुत्र ने स्वानीय निवासिका का मरणी करके एक सेना तैयार की । इन स्वानीय निवासिका की पस्तित में मने कहा है । ईसा कि ईरानिकाल में मठाया है (इन्वेन्शन ऑफ इदिया बाई अलेक्जेंडर, पृष्ठ ६०६) मुदरे राष्ट्र से अविश्राव उन पञ्चतमिक आतिषी स बा अिनका पत्राव म उस अमान म बाळभाटा बा इन्हा मारु अथवा अश्वपुत्र मर्षा 'राजा-गृह' आतिषी कहा जाता का—एमी आतिषी की किनी राष्ट्र अथवा राष्ट्रपता के लीन नहीं राष्ट्री की और उस समय राष्ट्रसत्ता का प्रथमिक रूप राजतन पा । शीषायन ने अपने परिसूत्र में (अपमन ४०० ई० प०) पत्राव का 'आर्ट' का रूप मठाया है (१, १ २, १३-१५) । महाभाष्य ने आर्ट' को अममन (८ ४४ २००) अथवा 'पथ नरिका वाले देश के निवासी' और बाहीक (VIII ६५ २११०) अर्थात् 'नरिया वाले देश के निवासी' कहा गया है, अिनम प्रथम मत्र तैयार, अत्र अस्तित सिध् तथा शीषीर नामक आतिषी के लाल से ।

मह बाठ भी ध्यान देने योग्य है कि कीटिक्य ने रोना के लिए मर्या क शीष निम्नलिखित बनाए है—(१) 'अंत' या 'प्रतिरोधक' को मुदरे और डाकूने (२) 'अंत-मथ' मनेरी के लपटिन बल (३) पर्यवगाती किराठ आदि वीनी म्पेण्ड आतिषी (४) वनवासी 'आदि' और (५) पञ्चतमिकी अथवा अश्वपुत्र गण-आतिषी । मह बाण भी उल्लेखनीय है कि आचम्य न इन मय आतिषी में से अनी सिय पा मीनिकों का 'प्रवीर' मठाया है (VII १० VIII १६) । उन समय पत्राव म मत्र प्रसारका मनाक लिए उपयुक्त आतिषी की काई नहीं नहीं थी । स्वय विक्रम का भावने अिनम-अविदान क शीषन

में इनमें से कई जातियाँ का सामना करना पड़ा था। जैसा कि आगे बख्शर बताया गया है इन आक्रमणों के प्राचीन वृत्तांत में इन जातियों के जो यूनानी नाम दिये गये हैं उनके भारतीय पर्यायवाची दायें दूँइ निकालना संभव है।

महानारण्य में उल्लिखित पञ्चान्तिक जातियाँ : महाभारत में इस प्रदेश की इन पञ्चान्तिक जातियों का उल्लेख मिलता है—(१) यौषेय (II ५२ VII ९) (२) दुद्रक [II ५१ VI ५७] (३) मालव [II ३२ II, ५२] (४) बसाति (II, ५२ V १०) (५) शिबि (II, ३२ II, ५२) (६) उदुम्बर (II ५२) (७) प्रस्यस (VIII ४४) (८) त्रिपर्ण (II, ५२) (९) मद्र (II, ५२ VI, ६१) (१०) केरुव (II, १२०) और (११) अश्वेय (III २५४)।

पाणिनि द्वारा उल्लिखित पञ्चान्तिक जातियाँ पाणिनी ने पञ्चतंत्र के लिए 'संघ' अथवा 'मण' (III ३ ८९) शब्द का प्रयोग किया है। इनमें से अश्विनांत पञ्चतंत्र पत्न्यास्तन कारण करने लगे और उन्हें 'मायुपत्रीवि-संघ' कहा जाने लगा। वे वाहीक देश के अर्थात् 'नदियों के देश' का निवासी थे जो पंचाब का ही दूसरा नाम था (V ३ ११४)। मायुपत्रीवियों के इन स्व-शासित संघों के उदाहरणों के रूप में पाणिनि ने इनका उल्लेख किया है—

(१) दुद्रक (यूनानी आस्तीडुकार्डी), (IV २, ४५)।

(२) मालव (यूनानी मरुतोइ) (उपरोक्त)।

(३) वृक जिन्हें शार्ङ्ग्य भी कहते थे (V ३ ११५) कदाचित् यह वही जाति थी जिसे हिण्डोलियन (शक) कहा जाता था जिन्हें द्वारा प्रथम के बेहिल्लुम के सिक्कास्य में बर्कान और क्राग्नी के एक दूसरे प्राचीन सिक्का-क्षेत्र में बर्कान कहा गया है।

(४) बामनि तथा भय जातियाँ (इनकी पहचान नहीं हो पाई है) (V ३ ११९)।

(५) छः बिम्बी का संघ—ये त्रिगर्त से (क) कौशोपरण (ख) शार्वकि (ग) कौण्डकि (घ) जालमालि (ङ) ब्रह्मपुत्र और (च) जातकि।

(६) पर्शु, जिसका सम्बन्ध असुर तथा राक्षस जातियों से था। कदाचित् ये उस देश के निवासी थे जिन्हें द्वारा प्रथम के बेहिल्लुम सिक्कास्य में पार्शु कहा गया है जो अक्षपती जाति के कर्णों का निवासस्थान था और इसी से उस देश का नाम शरस अर्थात् पशिया पड़ा।

(७) यौषेय।

(८) ताम्र (अछतर तथा उसके आस-पास का इलाका) यह एक बहुत बड़ा राज्यमण था जिनमें से जातियाँ सम्मिश्र थीं—(क) उदुम्बर, (ग)

तिलकसूत्र (ग) प्रकार (ब) सुवर्ण, (ख) मूलांग (छ) धारण्य (ज) बुध (झ) पञ्चकंड और (ट) शजमीड़ (IV १ १७३) ।

(९) वर्ष जिनका उल्लेख गण-वाट न इन जातियों के साथ किया गया है—(क) कश्यप (ख) केक्य (ग) काम्पौर, (घ) साम्ब (च) सुखल (छ) उरुषा (हुवाण जिमे के) आर (ज) कौरव्य (IV १ १७८) ।

(१०) अम्बुषुठ (यूनानी अम्बुस्टानीई) जिनका उल्लेख महाभारत में (II ५२ १४ १५) शिशि बुद्धक मालक और उमर-परिचयन की अम्बु जातियों के साथ किया गया है ।

(११) हास्तिनायन (VI, ४ १७४) (यूनानी अम्बुस्टानीई) ।

(१२) प्रकम्ब (VI १ १५३) या भाजकल फरसाणा है जहाँ के निवासियों को परिकानिओई कहा गया है जो प्रकम्पायन का ही पर्याय है (स्टेन कोना एरोप्टी इंडुक्रिप्टान पृष्ठ ΔVIII) ।

(१३) मय (IV २ १३१) ।

(१४) मधुवर्ण (IV २ १३३ महाभारत भीष्म पर्व ९, ५३) इन्हीं को आज मधुमय कहते हैं ।

(१५) माजेल (IV २, ५३) (यूनानी अम्बुस्टानीई जिन्हें आज अफटीरी कहते हैं) ।

(१६) बसति (IV २ ५३) (यूनानी अम्बुस्टानीई) ।

(१७) घिदि (IV ३ ११८) (यूनानी सिबिओई) ।

(१८) भाजकम्ब (IV १ ११०) तथा भाजकम्बयन (IV १ ९९), जिन्हें यूनानी में कमल अम्बुस्टानीई तथा अम्बुस्टानीई कहा गया है जिनका गड़ मसुष (मसुषाकवी) में था ।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिस समय को यूनानियों ने आब्रानॉस कहा है, वह वही है जिस पाणिनि ने बरषा कहा है (IV २, ८२) ।

उत्सुवृषुठ मूर्षी में उन गणतान्त्रिक जातियों को छाड़ दिया गया है जो पंजाब और ब्रह्मसूत्र के प्राय-राज के बाहर थे ।

उत्सुवृषुठ मूर्षी से पता चलता है कि पाणिनि के काळ में मज्ज-अज्ज गणतंत्र भी थे जो स्वर्ण कय ग अपना शासन प्रकाश में और इस प्रकार के कर्तव्यों के राज्य-संघ भी थे जैसे विपुल पण्ड, या साम्ब (बी एन० अम्बुस्टानीई पाणिनिवासीय भारत) ।

जैना टि अरियन ग हम पता चलता है (IV २१) उक्त समय पंजाब का बहुत बड़ा नाम दल स्वतंत्र भारतीय जातियाँ न कथ्य में या जिन्हें कटिपस न (IV ४) तुंगार जातियाँ बनाया है जो अपना राज बहाकर सिक्कर

का मुद्राबन्धन करने का तत्पर थी। मिर्ज़र में जो राज्य अपने पुगने मनु पारम (गौरव) को बापस लींग दिया था उसमें पन्हु ल्गडशा की मुनि धामिनि की "जिनके अधिकार में ५००० बाग़ी बड़े घहर और अस्तव्य छाटे पाँच म (पुटार्क साइम्स ४०)।

वे मिर्ज़र के बिजय होने लड़, उनके सैनिक साबत सिक्कर के आक्रमण में पंजाब की इन स्वयंसेवक जातियाँ की रण-दायता तथा बीरता को प्रकट कर दिया। युद्ध संशुप्त ने इन बाग़ी का भयानक तथा होगा। सिक्कर के आक्रमणों के बिजय उनके प्रतिरोध की कहानी सिक्कर की बिजय की कहानी से कम प्रेरणाप्रद नहीं है। भारत के विभिन्न स्वार्थों में सिक्कर का जो विराय दिया गया उसका मूल्यांकन स्वयं पुनागिना द्वारा उल्लिखित तथा तथा श्रीकृष्ण के आचार्य पर किया जा सकता है।

सिक्कर का सबसे पहले एक गन राज्य के प्रधान के विराय का सामना करना पड़ा जिसे पुनागी एन्टीज कहते हैं जिसेका नाम संस्कृत में हस्तिन है वह उस जाति का प्रधान था जिसेका नामार्थिक नाम हास्तिनायन था (पामिनि VI, ४ (१३४)। पुनागी में इनके लिए अस्ताकनाई या अस्तानेनोई शब्दा का प्रयोग किया गया है और उसकी राजधानी प्युकेलाआटिस अपनी पुष्कलावती सिद्धी गई है। इन बीर सरदार ने अपने मगरकोश पर पुनागियों की घेरेबंदी का पूरा समय दिन तक मुचावला किया और मन में लम्बा हुआ मारा गया।

इसी प्रकार आबायन तथा आरबकायन नी आगिनी दम तक छोड़े वैसे कि इन बात में पता चलता है कि उनके समय में ४०००० सैनिक बंदी बना लिये गए। उनकी आर्थिक समृद्धि का भी अनुमान इस बात में लगाया जा सकता है कि इन लड़ाई में २,३०० सैनिक सिक्कर के हाथ लगे।

आरबकायनों में ३००० पुद्गलवार, ३८०० वंदल और ३००० हादियाँ की सेना लेकर जिसेको सहायता के लिए मीरातों के एने वाले ७००० बेटन भोमी सिपाही और वे सिक्कर से मोर्चा लिया यह पूरी सेना आरबकायनों की कियेबंद राजधानी मसूम में [संस्कृत मसूम जो मघावती नामक नदी के तट पर सिक्कर का बिजय उल्लेख पामिनि के आधिक भाष्य में मिलता है (IV २, ८५ VI ३ (११९))] अपनी बीरगना गनी विक्रयापिठ (संस्कृत रूप ?) के नेतृत्व में आरबकायन ने "जैत तक अपने देश की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प किया।" रानी के साथ ही वहाँ की स्त्रियों ने भी प्रतिरक्षा में भाग लिया। बेटनमोवी सैनिक युद्ध में बड़े भिरसाह हाँकर लड़े परन्तु बाह में उन्हें भी पीछा का गया और उन्होंने "मघमाय के जीवन की अपेक्षा गौरव के साथ मर जाना" ही बेहतर समझा [(सैनिकीविक्र-कृत इतिहास, पुष्ठ १९४

(कटिपत्र) २७ (डिमोडोरस)]। उनसे हम उत्साह को देखकर अभिसार नामक निकटवर्ती पर्वतीय प्रदेश में भी उत्साह आपुष्ट हुआ और वहाँ के लोग भी प्रतिरक्षा के लिए बट गए।

उम प्रदेस के स्वतंत्र नगरों ने भी जैसे कामोनोंस बजौरा और मन्वा हायर्टों आदि ने प्रतिरोध का मही मार्ग अपनाया और उनमें प्रत्येक ने घट्टन कम्बी बरेबरी के साथ ही हुनियार डाम।

भारतीय सैन्यबल अपने शरम शय म राजा पोरस (पौरव) की सेना म रिखाई दिया जो सिकंदर का सबसे प्रतिपक्षी शत्रु था। उनमें अग्रियम ५ अश्वमान के अनुसार १ वैदल सिपाहिया ४ पुत्रमवार १ रण और २ हाथिया की सेना लेकर गिजवर का मुकाबला किया। उसकी पराजय के बाद भी सिकंदर को उसकी तरह मही का हाथ बजाना पया।

अगाहास्मोई जाति के लोगों ने ४ वैदल सिपाहियों और १ पुत्रमवारी की सेना लेकर सिकंदर से टनकर ली। कहा जाता है कि उनके एक नगर के २ निवासियों ने अपने आपको बरिषी के रूप में शत्रुओं के हाथों में समर्पित करने के बजाय बाल-वस्त्रों सहित साथ म कूरकर प्राण दे देना ही उचित समझा।

इसके बाद सिकंदर का कई स्वायत्त जातिया के संप के मपटिन विराय का सामना करना पड़ा जिनमें माछक तथा शुरुक आदि जातियाँ भी जिनकी गरजा मेता में १ वैदल सिपाही १ पुत्रमवार और १ श अधिक रण थे। उनका बाह्यार्ण ने भी पड़ने-सिपम का काम छोड कर लखवार सैमाकी और रणलक्ष में लूट हुए मारे गए, बहुत ही कम लोग बची बचाए जा सके।

कट एक और और जाति थी जो अपने शीर्ष के सिध दूर-दूर तक प्ररमाज थी (अग्रियम V २२, २)। कहा जाता है कि रणक्षेत्र में उनका १० काल मारे गए थे और ७ बंदी बना लिये गए थे।

मानवी ने अक्षय से भी ५०० गैजिका की सेना लेकर एक नदी की पारी की रक्षा की।

अम्बुजा की सेना में १० वैदल १ पुत्रमवार और ५० रण थे। अम्बु गिनु पाटी के निचले भाग में होने बाक मुजा में ८०० गिपाही मारे गए। इस इलाके में बाह्यता न अम्बुजा की और प्रतिरक्ष की भावना तथा मूड के प्रति लीला में अम्बु उत्साह पैदा किया और घम की रक्षा करत हुए देगा-देगा। अपने प्राणों की जाहूति के ही। (प्लुटार्क बाग्था, कम्पिज लिब्री I पुट १७८)।

उनकी पराजय के कारण यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि इन सभी काबजे बड़ी-बड़ी मनामर्जी के लिए सैनिक छोटे-छोटे गणतान्त्रिक राज्या से भरती क्रिये गए थे। हर राज्य की जनसंख्या का दसवें हुए सप्ता में सैनिकों की संख्या का अनुपात बहुत अधिक था। य गणतान्त्रिक जातियों आधुनिकी हम तक छोटी होंगी और वैसासक्ति की भावना के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का रक्षा हेतु अपने पूरे मानव-बल को रण के लिए समर्पित किया था। पुराना के साथ उनकी स्थितियाँ भी सड़ी थी। यदि सिक्ख-जैसे श्रेष्ठ सनानायक के सिद्धांत अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनकी वीरतानुर्ण सजाई उस समय असफल रही तो इसका कारण केवल यह था कि उनमें नेतृत्व संगठन लक्ष्य की एकता और समस्त जातियों को एक जगह केन्द्रित करने की क्षमता का अभाव था। धनु का मुहावला बहुत से अलग-अलग बिखरे हुए कन्दों में बहुत ही संकुचित स्वामीय सीमाओं के भीतर रहकर किया गया। उस राष्ट्रभाषी प्रतिरक्षा के रूप में नहीं संघटित किया गया। इस प्रकार सिक्खों को अलग-अलग टुकड़ों में इस प्रतिरक्षा से निवृत्त का मीठा मिष्ट गया और उसने बड़ी आसानी से उन्हें हरा लिया। अनेक राज्य होने के कारण एक ही धनु के बिच्छु कोई संयुक्त मोर्चा न बन सका और अलग-अलग बिखरे हुए केंद्रों में विरोधी शक्तियाँ बाहु की भीत की तरह बह गईं। यह विभाजन प्रतिरक्षा के लिए घातक सिद्ध हुआ। एक बार तो धुइक तथा मालव जातियों के सब राज्य ने एक प्रकार से राष्ट्रीय विरोध संगठित किया। उन्होंने अपने सैन्य शक्तियों को एक में मिटाकर एक शक्ति-धामी संयुक्त सेना बनाई। पाणिनि के समय में भी इस प्रकार की एक संघीय सेना थी जिसे पाणिनि ने 'धुइक-मालवी-सेना' कहा है। परन्तु अश्वगुप्त-जैसे महात्मा नेता ने जिसमें संगठन की श्रेष्ठतर क्षमता थी धीरे धीरे भारतीय सैनिक परिस्थिति के इन दोषों तथा कमजोरियों को दूर कर दिया।

पंजाब की समस्त गणतान्त्रिक जातियों तथा राज्या और वहाँ के साधारण निवासियों में जो बहुमुख्य सैनिक सामग्री तथा साधन जो निहित क्षमताएँ तथा सम्भावनाएँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी उनका काम उठाने तथा एक बार फिर उनका उपयोग करने का श्रेय आगम्य तथा अश्वगुप्त की मभाषी प्रतिभा का मिला। इस आचारमूढ सामग्री से जनता में प्रतिरोध की अव्यय भावना से स्वतंत्रता का उप्राम सजने और उसमें विजय प्राप्त करने के लिए एक सुसंगठित सेना तैयार करने में उनको कोई कठिनाई नहीं हुई।

अश्वगुप्त की सेना के अग्र सैनिक : यदि हम अश्वगुप्त की सेना के बारे में प्रचलित परम्परागत कथाओं पर विचार करें तो हम देखेंगे कि उसने अपनी सेना को स्वामीय निवासियों के बीच से भरती क्रिये गए सैनिकों तक ही सीमित

मही गता । उदाहरण के लिए, मुद्राराक्षस में इन बात का उल्लेख मिलता है कि बालक्य ने हिमालय पर्वत प्रदेश के एक राज्य के पर्वतक या पर्वतेश नामक प्रधान से मंत्री-संघि की थी । परिशिष्टपर्वत नामक वैन-ग्रह में भी इस मंत्री संघि का उल्लेख मिलता है । उसमें कहा गया है कि "बालक्य हिमवत्कूट गया और उस प्रदेश के राजा पर्वतक के साथ उसने मंत्री की संघि की ।" बीज बुधायो में भी बालक्य के पर्वत नामक एक बलिष्ठ मित्र का उल्लेख मिलता है । इस प्रकार तीन प्रसिद्ध गाथाओं में इस मंत्री का उल्लेख मिलता है । एक इण्डू० टामस ने इससे भी आगे जाकर यह सुझाव रखा है (बैम्बिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, खंड १ पृष्ठ ४७१) कि यह पर्वतक कदाचित् बही व्यक्ति था जिसे बुधायो ने राजा पारस कहा है । इस बात को देखते हुए कि अपने समय में अपने देश को राजधानि में पारस का जितना महत्त्वपूर्ण स्थान था, वह मंड बिम्बकक तकमपन प्रतीत होता है । पौरस का उस समय इतना महत्त्व था कि उसकी सहायता प्राप्त किये बिना उस प्रदेश में किसी भी युद्ध का बीड़ा नहीं उठाया जा सकता था ।

मुद्राराक्षस के ही हमें यह भी पता चलता है कि इस पर्वत-प्रदेश के राजा के साथ मंत्री हो जाने के फलस्वरूप ब्रह्मपुत्र की सत्ता जिसमें विभिन्न जातियों ने नैतिक शक्तों किये गए थे अत्यन्त सुगठित हो गई । इनमें निम्नलिखित जातियों के नाम मिलाये गए हैं एक यवन (कदाचित् यूनानी) किरान काम्बोज पारसीक बह्लीक (II. १२) । पाँच राजाओं से मिलकर ब्रह्मपुत्र का विरोध किया—जगत का राजा विश्वरमा मलय का राजा मिहनाह कासीर का राजा पुष्कराक्ष और सेवकराज सिपयक और पारसीकों का राजा मेघाम्य जो बहुत बड़ी बुद्धिमान सत्ता (पुबुतुरयवकः) लेकर उनमें आ मिला था (I. २०) । मलयकेतु की सत्ता में निम्नलिखित जातियों में से भरली किये गए चीनिक थे जिन भाग्य पामार, यवन एक बेहि तथा हूम (I. ११) । इस समय ब्रह्मपुत्र और यवन में उसके राज्यों के बीच का प्रीयक युद्ध हुआ उसमें इन विभिन्न जातियों के सौधों ने भाग लिया । परन्तु दुर्भाग्य को बाव यह है कि इन सूची के कारण इतिहास के एक स्रोत के रूप में बुद्ध-राक्षस का महत्त्व मट जाता है । इनमें कुछ ऐसी जातियों के नाम हैं जैसे एक या हूण जिन्होंने भारतीय इतिहास के समयों पर ब्रह्मपुत्र के काल से बहुत बाद में प्रवेश किया ।

यूनानी शासन की डोबाडोल स्थिति : अपने ध्येय को पूरा करने के लिए, ब्रह्मपुत्र ने जो नैत्य-शक्ति जुटाई उसके अतिरिक्त भी उस देश की आन्तरिक स्थिति तथा अन्य ऐसे कारणा थे बहुत सहायता मिली जो भारत में यूनानी

शासन के विविध क लिए बहुत धुमसूचक नहीं थी। आरंभ से ही सिक्खर का भावमय बहुत विविध रूप से आवे नहीं बढ़ा। वह केवल ऊपर से देखने में ही विविध प्रतीत होता था। उसकी कठिनाइयाँ अधिक महारई में छिपी हुई थीं। सिक्खर जिस इलाके को जीतकर अपन पीछे छोड़ आया था उस पर उसको पूरा शरोसा नहीं था। यूनानियों तथा भारतवासियों दोनों ही के बीच बिरोह उठ लड़े होने के कारण उसके विजय-अभियान के लिए उत्तरा उत्पन्न हो गया था। सिक्खर ने जिस काम का बीड़ा उठाया था उसकी सफलता के प्रति उसके अनुयायियों के हृदय में स्वयं उसके बीसा उत्साह नहीं था। सिक्खर की नीति यह थी कि वह उचित क्षेत्रों में नये पूर्वी नगरों में अपने विजय-अभियान की प्रगति को सूचित करने के लिए और उस विजय के फलों की रक्षा करने के लिए जैसे हुए यूनानी सैनिकों की बस्तियाँ बना देता था (अध्याय V २७५)। इस प्रकार की बस्तियाँ सबसे पहले बैक्ट्रिया तथा सोप्डियाना में स्थापित की गईं पर ये बस्तियाँ उनमें बचाये गए भागा की इच्छा के विरुद्ध स्थापित की गई थीं जो निर्वासन का यह जीवन व्यतीत करने को तैयार नहीं थे। वे हमेशा इन बातों में रहते थे कि कब मौका मिले और वे भाग निकलें। जिस समय सिक्खर बहुत दूर मामलों से लड़ रहा था और उसके एक भाग लग गया तो धीरे-धीरे उसकी मृत्यु की खबर फैल गई और वे यूनानी प्रवासी जिनकी संख्या ३० थीं अपने देश के लिए चल पड़े (डिओडोरस XVII ९९)। सिक्खर स्वयं भी इन उपनिषदों को बंध देन की बस्तियाँ समझता था जहाँ उसके प्रति बक्रावादी न रहने के कारण बहिष्त यूनानी जैसे बाले थे (अस्टिन XII ५८, १९)।

यूनानी क्षत्रपियों जिस भारतवासियों को उसने अपने अधीन कर लिया था उनका हठ भी कुछ अधिक अनुकूल नहीं था। उनमें बिरोह की भावना बिलकुल बची नहीं थी। अपनी विजय का सुरभिठ करने के लिए सिक्खर ने जो प्रशासनात्मक व्यवस्था की उससे ही पता चलता है कि उसे स्वयं इन क्षत्रपियों के सुरभिठ न होने का किठना भय था। उसने यूनानी भारत को छ क्षत्रपियों में विभाजित किया—तीन सिन्धु नदी के पश्चिम में और तीन सिन्धु नदी के पूर्व में। पश्चिम वाले तीनों क्षत्रप यूनानी थे पर पूर्व वाले तीनों क्षत्रप भारतीय थे। तीन पश्चिमी क्षत्रपों में पेशवन का सिंध का शासक नियुक्त किया गया। निकामोर के सुपूर्द सिन्धु नदी के पश्चिम का भारत नामक प्रांत दिया गया। उसमें काम्बुस की बाली का निचला भाग और हिन्दुकुश तक के पर्वत-श्रेणियाँ शामिल थे। उसकी राजधानी पुष्करावती (चारसदा) में थी। इस क्षत्रप के अधीन अरबुनिवाई सैनिकों की एक द्वाँरसक संना थी जिसका सेनानायक क्रिडिय था।

और ऊपर बसकर आदिवासीयों को परोपानिसरे (काबुल घाटी) प्रान्त का शासन नियुक्त किया गया। इसकी राजधानी 'काबेगम की तराई में मिन्मरिया' नामक नये नगर में थी। पहले सिकन्दर ने वहाँ ईरानी क्षत्रिय नियुक्त किये पर वे असफल रहे, वैसे कि हमें कटियस से पता चलता है (IX ८) "ईरानी क्षत्रिय टाहिरीएमीय के खिलाफ परोपानिसरे के निवासियों ने असमर्थता पैदा करके हार और बर्खास्त करने के अभियोग सिद्ध कर दिए थे। यह समय ३०६ ई. पू. की बात है। सिकन्दर ने स्वयं अपने समूह आदिवासीयों को जाकर ईरानी सामन्त या वहाँ का क्षत्रिय नियुक्त करके परिस्थिति को सुधारने की चेष्टा की।

सिकन्दर सिन्धु नदी के पूर्व की ओर यूनानी क्षत्रिय नियुक्त करने का साहस नहीं कर सकता था। वहाँ की तीन जनपदों भारतीय राजाओं के अधीन रखी गईं। सिन्धु नदी और हाइड्रसीय के बीच के प्रदेश पर लक्षमिता का राजा आग्नि शासन करता था हाइड्रसीय से लेकर हाइड्रसिथ तक के इलाके पर पागस (पौरुष) का शासन था और अभिसार देश (काश्मीर) का राजा बाकी इलाके पर शासन करता था।

भारतीय अश्वमेध : क्षत्रिय काश्मीर की हत्या सिन्धु नदी के पश्चिम की ओर यूनानी शासकों की स्थिति बढ़ी तेजी से बढ़ावा देती गई। सबसे पहले एक भारतीय शासक के मड़काने पर, जिस यूनानी सेनेबलस ब्रह्मा ईमे-रैसम कहते थे कब्रान ने विद्रोह का झंडा उठाया। इसके बाद आश्वमेध की धारें आईं जिन्होंने काश्मीर नामक यूनानी क्षत्रिय को जो उन पर अवरुद्धता का कारण दिया गया था मील के पास उतार दिया (अरियन V २ ७)। आश्व-मेधियों ने अपने यूनानी शासक का बीजा कुम्भार कर दिया। यह सिंधिकोटस ब्रह्मण घासिमुत्त नामक भारतीय देशवासी या जो यूनानी साम्राज्यवाद का भारतीय एजेंट था। सिकन्दर ने अपनी सबसे पश्चिमी लक्ष्य के महायत्ना में ही और अधिक महायत्ना में ही और फिर लक्ष्यिता से अभिन्न के महायत्न में और अधिक महायत्ना में ही।

नये सैनिकों तथा सेना के मनोबल में कमी यह सब पढ़कर उन समय ही रही थी जबकि ३२६ ई. पू. में सिकन्दर देश के भीतर अपने विजय-अभियान में व्यस्त था। ईसा-पूर्व यह आये बड़ता जाता था उसे नये सैनिक मिलना कठिन होता या पता था। बिनाब के तट पर पहुँचकर उसकी प्रगति बिलम्ब कर गई। मुद्रु ईरान के घासिमुत्त विपत्तियों के आने से ही परिस्थिति में कुछ सुधार हुआ। परन्तु वह प्यार नदी से आये न बड़ नया। इसका कारण यह था कि उनका अनुपातियों की महान घासिमुत्त हो चुकी थी। उनके सैनिकों के प्रबलता का दर्शन ने उसे परिस्थिति इस प्रकार स्पष्ट दर्शने में समझाई "इसकी पार्श्व

में से बेतालियाई सिपाहियों का आपने बबरा से बग बापस भेज दिया क्योंकि आपने देखा कि जब व और अधिक कष्ट सहन करने की स्थिति में नहीं हैं।

बाकी यूनानियों में से कुछ को आपके बसाये हुए नये नगरों में बसा दिया गया है, जहाँ सब अपनी तुली घ नहीं रहते हैं। कुछ अभी तक इस धमसाध्य तथा कष्टमय अभियान में हमारे साथ हैं। उनमें से और मकबूनिया की सना में से कुछ लोग रणक्षेत्र में मारे गए हैं। कुछ घायल हा गए हैं। कुछ एशिया के विभिन्न भागों में पीछे रह गए हैं परन्तु अधिकांश राम से मर गए हैं। सैनिका की उस बहुत बड़ी संख्या में से जो शुरू में हमारे साथ थी अब केवल थोड़े-से ही बचे हैं और इन थोड़े-से भागों में भी अब बहु शारीरिक बल नहीं रह गया है जो उनमें पहले था और उनका मनोबल तो और भी टूट चुका है। आप खुद देखें कि आप जब चले व उस समय आपके साथ कितने यूनानी और मकबूनियावासी व और अब कितने थोड़े रह गए हैं।”

सिकन्दर की योजना में अंतर्निहित दोष इन शब्दों से इस बात का पता चल जाता है कि सिकन्दर की महत्वाकांक्षी योजना के पूरा होने के रास्ते में क्या बुनियादी कठिनाई थी। एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण करना असम्भव था जिसे रसद तथा युद्ध-सामग्री के उपलब्ध होने का आश्वासन न हो और जिसे स्वयं अपनी अजिता का समर्पण प्राप्त न हो।

एक भारतीय ऋषि ने बड़ी बतुलाई से सिकन्दर को इस परिस्थिति के बारे में भारतीय जनमत से अवगत कराया। उसने एक सूखी झाल जमीन पर पैसा कर सिकन्दर से उग पर चमने को कहा। जब सिकन्दर एक काने पर पैर रखता था तो उसके हुनरवाने ऊपर उठ जाते थे। झाल को भूमि पर घटाट रखना कठिन था। इस प्रकार सिकन्दर की जाँकों के सामने इस बात का एक स्पष्ट चित्र आ गया कि उसकी इस अनाली योजना का क्या अर्थ था “उसके अपने राज्य के केन्द्र” से बहुत दूर स्थित देशों में बसाए जानेवाले सैनिक अभियानों के अनिश्चित तथा अस्थिर परिणाम उसकी जाँकों के सामने आ गए (मैक ग्रीडिल इनवेडन पृष्ठ ११५)। ऐसा लगता है कि वास्तविकता यह थी कि भारतवासियों ने सिकन्दर के आक्रमण को बहुत महत्व नहीं दिया। ऐसा ही हुआ जैसे सना बड़े छालवार डंग स बेश के एक सिरे स दूसरे सिरे तक चली गई। सुदूर देशों में अपनी विजय को सुदृढ़ बनाने के निष्ठ संघार के ऐसे माधनों की आवश्यकता होती है जो विरवस्त हों। कवि ने भारतीय प्रतिक्रिया की सच्ची अभिव्यक्ति की है—

“The East bowed low before the blast  
In patient, deep disdain,

She let the legions thunder past,  
And plunged in thought again "

—Math w Arnold

क्रिस्ति की हत्या आईये जब हम देख कि यूनानी क्षत्रपिया का क्या हुआ ? भारतीय 'विद्रोहिया' द्वारा अल्प निकालार की हत्या के बाद सिक्न्दर ने उसके स्थान पर सेनापति फिलिप को नियुक्त किया । क्रिस्ति भारत में सबसे अनुभवशील यूनानी प्रधानक था । सबसे पहले सिक्न्दर ने दक्षिणगामी भारतीय राजा पौरव की पठिविधियों पर नजर रखने के लिए लक्षद्विषा में उसे अपना दूत नियुक्त किया था । जब सिक्न्दर हाइडेस्पीज (सेलम) की तरफ अपने विजय-अभियान पर जाने लगा तो पीछे के पीछे हुए इलाके की रक्षा करने का काम उसने क्रिस्ति को सौंपा । बाद में जब सिक्न्दर न माकनतवा झुड़क नामक स्वतंत्र जातिवर्ग के राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली—यह इलाका दक्षिण में चिनाब तथा सिंधु के संगम तक फैला हुआ था—तो उसने क्रिस्ति का वहीं का पासक नियुक्त किया । अब उसके सुपुर्न यूनानी भारत का सबसे महत्वपूर्ण प्रांत कर दिया गया था जोकि एक प्रकार से भारत का प्रवेशद्वार था । इसके बाद शीघ्र ही जब सिक्न्दर हाइडेस्पीज नदी के रास्ते बापस लौट रहा था तो क्रिस्ति अपनी मयी राजधानी छोड़कर उसे बिना कर्म गया । परन्तु उसे क्या पता था कि उसके जीवन के दिन भी पूरे होने वाले थे ! बापस लौटते समय किसी न उसकी हत्या कर दी ।

यूनानी शासन के लिए एक बड़ा आश्चर्य अश्विन के मशानुसार (VL २७ ०) क्रिस्ति की हत्या का कारण यूनानियों तथा मकदूनियावाला की पार करारक ईर्ष्या थी । परन्तु इनकी गम्भार घटना क पीछे और भी पहले कारण थे बिदेगी शासन क प्रति अज्ञानता न अज्ञानीप । क्रिस्ति जैसे महत्वपूर्ण यूनानी पश्चादिकारी की हत्या या यूनानी शासन का श्रेष्ठतम साधार जन तथा प्रतिनिधि का मकदून उस सामन पर एक बालक प्रहार था । यह भारत में यूनानी भाषाशास्त्र का एक आचार-उत्सव था । उसकी हत्या ३२५ ई पू में लेते समय पर हुई थी जब सिक्न्दर अभी इस स्थिति में था कि वह हमका बरता देने क लिए भारत लौट गये क्योंकि वह अभी बापेंदिया तक भी नहीं पहुँचा था । पर वह ऐसा न कर सका । यह हत्या सिक्न्दर की मता को एक चुनौती थी । परन्तु इस चुनौती का उत्तर देना उसकी शक्ति के बाहर था । सिक्न्दर भारत में पीछे हट रहा था और उसके साथ ही यूनानी शासन भी पीछे हटता था । उसकी मजत में केवल यह उपाय आया कि वह अपने भारतीय दिन सभ्यता क राजा की वहाबता ले । उसने उस इन शासक के पत्र भेजे

कि वह हुआ करके 'उम समय तक वे सिध जब तक कि कोई दूसरा धर्म न प्रेष लिया जाए उम प्रेषण वा धामन अपने हाथ म ए से जिस पर पश्य प्रिष्ठिय धामन करना पा" (अरियन VI २७) । उमने कोई धर्मप नहीं भजा । अग्र में विक्रन्दर को इस काम के लिए अपने भारतीय मित्र पर ही मरसा करना पड़ा । इसका अर्थ यह वा कि भारतीय राजा का अपनी मत्ता सिधु नदी और सीमान्त के पार काङ्गुल को बाटी और हिन्दुकुप तक फैला रूप में सहायता दी गई । जब भारत में वृद्धमस नामक एक प्य-बागी यूनान का एकमात्र दूत रह गया था जिसे भारतीय राजा के अपील पुच्छसावर्दी का दुर्गरसक सना का भार सीपा गया और साथ हा उने "इसर उपर बिकरी हुई यूनानी तथा मकदूनियाई वैदिक दुरुद्धिरी का सनापति" और उस प्रदेश में बसे हुए 'यूनानी जाति के विभिन्न प्रवासियों का सासक भी निवृत्त किया गया" (कैम्ब्रिज हिस्ट्री I, पृष्ठ ४२९) ।

३२३ ई० पू० में सिकन्दर की मृत्यु के बाद यूनानी शासन का प्वल : इन मय मुतीबतों के ऊपर सबसे बड़ी भुनीबत यह आई कि ३२३ ई० पू० में सुदूर बैबिलोन में म्वाय विक्रन्दर<sup>१</sup> की मृत्यु हुई । (और उसके कोई सन्तान भी न था) जिसके बाद उसने साम्राज्य में उबल-पुपल मय गई । साम्राज्य किम निम होने लगा । उसके सनापतियों ने फीरन एक सभा की और साम्राज्य को अपने बीच बांट केन का फैसला किया । ३२१ ई० पू० में त्रिपासडिसस में बुबारा साम्राज्य का बँटबारा हुआ जिसमें सिधु नदी के पूरब का भारत का कोई भाग साम्राज्य का अम नहीं माना गया । सिध के यूनानी सासक वेइकन को वहाँ

१ भारतीय साहित्य में सिकन्दर नाम के कई रूप प्रारम्भ हो गए । अशोक के शिलालेखों में अतिक्रन्दर (साहूबाबमड़ी चट्टान लेख सं० १३), और अलि-बदसुबक (कालसी पाठ) रूप मिलते हैं । मिलिन्द पञ्चो में अलेक्जंडरिया (सिकन्दरिया) को अलसग्व कहा गया है । सिकन्दांलेबी ने संस्कृत साहित्य में एक स्थान पर सिकन्दर महान् के उल्लेख का भी सम्बन्ध डूँडा है यह है बाब के हर्षचरित का उल्लेख कि 'अलस खंडकोश ने सारी पृथ्वी जोतकर भी 'स्वीराज्य' में प्रवेश नहीं किया । इस उद्धरण में सिकन्दर ही अभिप्रेत है । इसका पता इस बात से चलता है कि यूनानी परम्परा में इस बात की खर्चा है कि सिकन्दर ने एनेजस के राज्य में कृपापूर्वक प्रवेश नहीं किया । (मेमोरियस सिकन्दांलेबी), पृ० ४१४ (टोब में) ।

१ भारतीय साहित्य में सिकन्दर नाम के कई रूप प्रारम्भ हो गए । अशोक के शिलालेखों में अतिक्रन्दर (साहूबाबमड़ी चट्टान लेख सं० १३), और अलि-बदसुबक (कालसी पाठ) रूप मिलते हैं । मिलिन्द पञ्चो में अलेक्जंडरिया (सिकन्दरिया) को अलसग्व कहा गया है । सिकन्दांलेबी ने संस्कृत साहित्य में एक स्थान पर सिकन्दर महान् के उल्लेख का भी सम्बन्ध डूँडा है यह है बाब के हर्षचरित का उल्लेख कि 'अलस खंडकोश ने सारी पृथ्वी जोतकर भी 'स्वीराज्य' में प्रवेश नहीं किया । इस उद्धरण में सिकन्दर ही अभिप्रेत है । इसका पता इस बात से चलता है कि यूनानी परम्परा में इस बात की खर्चा है कि सिकन्दर ने एनेजस के राज्य में कृपापूर्वक प्रवेश नहीं किया । (मेमोरियस सिकन्दांलेबी), पृ० ४१४ (टोब में) ।

बैबर के अनुसार सिकन्दर की भारत में इसी रूप में पाव किया कि उसके नाम पर एक 'धान' को 'सुई' कहा गया जिसका उपयोग कुछ बच्चों को डराने में होता था । (Berlin S. B 1180 पृ ९३)

त हुआकर सिन्धु नदी तथा पारोपानिखस के बीच का इलाका सुपुर्ण कर दिया गया। यह सब मृतान का एकमात्र बूत वा जो भारत में टिका हुआ वा परन्तु साम्राज्य में उसका कोई सरकारी पद नहीं वा इसलिए साम्राज्य के बंटवारे में उसकी गजना ही नहीं की गई। कदाचित् वह उन मृतानी विदेशियों का नेता बन बैठा जो सिन्धु तथा हाइड्रेस्वीज की घाटियों में बाकी रह गए थे पर वह भी पैदास सिन्धुघाटों बुइसवारो और १२ हावियों की छोटी-सी सत्ता लेकर जो उसने एक भारतीय राजा (कदाचित् पोरस) का जो उसका विरसस्त मित्र वा अश्वघुप्तक बन करके प्राप्त किसे ये एटोबोलस के विरुद्ध अपने घरदार मुमैनीज की सहायता करने के लिए ३१७ ई. पू० में भारत से चला गया। बेबास इडेमस ऐग्यलस के हावा मारा गया (डियोडोरस XIX ४४ १)। अश्वघन भी अजना प्राप्त छोड़कर इस समझे में वा कूरा उसका भी नहीं बन्य हुआ। वह डेमिथियस के साथ लड़ता हुआ नाडा की लड़ाई में मारा गया (Ib ८५ २)। भारत में इन दोनों में से किसी का भी स्थान लेने के लिए कोई बुनामी न मिला।

कालि का नेता अश्वघुप्त बुनामी भारत से अपने-आप ही नहीं चले गये। एक कालि के कारण स्वतन्त्रता के उस युद्ध के कारण तिमिरी शोपना उस युद्ध के नेता के रूप में अश्वघुप्त ने की थी उन्हे भारत से हटने पर मजबूर होना पड़ा। बुनामी अजना की हवाओं को केवल मयोग की बात वा छिप्युन् घटनाएँ न समझ सैना चाहिए। व बुनामी घासन के खिलाफ आक्रमण की एक विशिष्ट योजना की प्राथमिक घटनाएँ थी। ३२५ ई० पू० से ३२३ ई० पू० तक पिसिय और उनके स्वामी की मृत्यु के बीच जो दो बरस का समय बीता उसमें भारत की स्वतन्त्रता की याजनाएँ बनाने वाले बहुत व्यस्त रहे। उन समय जो कुछ हा रहा वा समझना पना हूँ अस्मि के निष्पत्तिगत बर्षम से जो भारतीय इतिहास की इस युगात्तरकारी काल के प्रभाव वा हमारे पास एकमात्र ज्ञेय है अतः तजना है "मिहान्दर की मृत्यु के बाद भारत ने माओ अपने गले से बाण्डा का बुना उतार फेंका और उसक दाजरा की मांग डाला। इन मुक्ति का लक्ष्य सिद्धोकोट्ट वा। उनका जयगाण नाबागम कल में हुआ वा पर कुछ ही प्रोलाहनों से उधे राजत्व वा पद प्राप्त करने की प्रेरणा मिली। हुआ वह कि उसकी वृष्ठा पर सिकन्दर को (अकरैडैजम शिकर स्थान पर कुछ विद्वानों ने पैट्रुम अपर्जि नन्द नाम वा प्रयोग किया है) मान जाया और उनमें उस बरबा डालने की मागा ही पर वह भारी मान लज्ज बरों ने मांग निरखा। जब वह बरकक लेग मो रहा वा उस समय एक बडुन बड़ा घर उनके पास जाया और उसक शरीर ने बहूता हुआ पनाता बाण्डर पीरे न उमे प्रगाया और चला गया। इस अनहोनी घटना से

पहले-पहले चन्द्रगुप्त के मन में राजत्व का सम्मान प्राप्त करने की आशा जागृत हुई, और उसने अपने चारों ओर सूर्यों का एक विरोह जमा करके भारतवासियों का तत्कालीन (यूनानी) शासन का तख्ता उखाड़ने के लिए भड़काया। इसके कुछ समय पश्चात् जब वह सिकन्दर के सेनापतियों से लड़ने जा रहा था तब एक बिनासदाय जंगली हानी अपने भाग उसने सामने आकर पड़ा हो गया और तबही पालसू हाथी की तरह धीरे स्वभाव का होकर उसने चन्द्रगुप्त का अपनी पीठ पर बिठा लिया और युद्ध में उसका पक्ष प्रदर्शक बन गया और रण क्षेत्र में बहुत आगे-आगे रहा। इस प्रकार राजसिंहासन पर अधिकार करके सीइकोट्टस ने भारत को अपने अधीन कर लिया। इसी समय सेल्यूकस अपनी आधी महानता की नींव डाल रहा था। यदि इसमें से आत्मस्तुति तत्त्वों को निकाल दिया जाए, तो वह उदरज इतिहास का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसमें निश्चित रूप से यह कहा गया है कि चन्द्रगुप्त इस भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम का नामक था। इससे चन्द्रगुप्त की योजना का भी पता चलता है। उसकी योजना यह थी कि वह सबसे पहले यूनानी भारत के बोटी के लोगों का अर्थात् प्रांतीय शासकों का जो सिकन्दर के सेनापति से सहाया करे। हम पहले ही देख चुके हैं कि वा सबसे महत्वपूर्ण शासकों निकानार तथा त्रिषिय की हत्या करवाकर इस योजना का किस प्रकार व्यवहार में पूरा किया गया। जब सिकन्दर जीवित था उस समय भी वह इस विरोह के खिलाफ कोई कारगर क्रम उठाने में असमर्थ था और ३२३ ई. पू. में उसकी मृत्यु के बाद ही उसका साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया और उसके सेनापतियों ने आपस में साम्राज्य का बँटवारा करते समय भारत का हाथ नहीं लगाया। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि सिकन्दर की मृत्यु बावत में भारत में यूनानी शासन की मृत्यु थी। हम पहले देख चुके हैं कि ३२१ ई. पू. में जब सिकन्दर के साम्राज्य का पुनरा बँटवारा हुआ तब उसमें यूनानियों ने भारत की स्वतन्त्रता को जिसे चन्द्रगुप्त ने सगनग ३२१ ई. पू. में और ३२१ ई. पू. से पहले ही हर हाथ में प्राप्त कर लिया था कमनग विजयकाल स्वीकार कर लिया।

यह बात भी ध्यान में रखन योग्य है कि अस्तित्व के उपयुक्त उदरज में यदि नैडम सत्य के त्याग पर असेक्सैडर शब्द को मान लिया जाए, तो वह परिस्थिति की सम्भावनाओं के सर्वथा अनुकूल होया। भारतीय स्वतन्त्रता-आन्दोलन के नेता के उज्ज्वल अभिप्रेत की सम्भावना का सिकन्दर पर अवश्य प्रभाव पड़ा होगा और उसके मन में आसका तथा चतुता की भावना जागृत हुई होगी। यूनानी शासन के प्रति चन्द्रगुप्त की चतुता का जो राष्ट्रीय कारण था उसमें यह एक निजी कारण भी जुड़ गया।

मगध के विप्लव युद्ध : इस युद्ध की रचनीति से सम्बन्धित कथाएँ पंजाब का विद्रोही साम्राज्य से मुक्त करके अपने जीवन के अन्त्य का पहला भाग प्राप्त कर मगध के बाद चन्द्रगुप्त ने इस स्वयं के दूरतरे भाग की ओर ध्यान दिया अर्थात् रोम के दूरतरे भागों का उसका ध्यान मगध-वंश के राजाओं के अत्याचार से मुक्त कराने की ओर। बुर्जुआयवा चन्द्रगुप्त द्वारा मगध विजय जैसी महत्त्वपूर्ण घटना के बारे में बहुत सामग्री नहीं मिलती। परन्तु इस बात का प्रमाण अबतक मिलता है कि इस घटना से चारों ओर सनसनी फैल गई और समस्त जनता के बीच इस घटना के प्रति रिलक्षता पैदा हुई। यह बात लोक-परम्परा तथा लोक-कथाओं का एक अद्भुत बत है। ऐसा प्रतीत होता है कि पंजाब में स्थानीय रूप से अपनी सेवा के लिए ऊपर बढाये गए हथ से सैनिक भरती करके आगम्य तथा चन्द्रगुप्त ने सबसे पहले सीमांत के क्षेत्रों पर आक्रमण किया (अतीव्रतपर्व परिचिता) और तार्कमीय सत्ता प्राप्त करने की इच्छा से (रजम् इच्छन्ती) उनके भागों को हटाने आरम्भ किया (मामबाहादिकम्भम्)। चन्द्रगुप्त सीमांत से भारत के अन्त-प्रदेश की ओर, मगध तथा पाटलिपुत्र की ओर बढ़ रहा था परन्तु पहले उसने रचनीति में गलतियाँ की। एक कहानी इस प्रकार प्रचलित है "इसमें से किसी नाबिक में एक स्त्री ने (जिसके घर में चन्द्रगुप्त के एक गुप्तचर ने छुपने से रची की) रक्षा पकड़कर अपने बच्चे को भी। बच्चे ने रोटी के कितारे छोड़कर केवल बीच का भाग खा लिया और कितारे फेंककर और रोटी मांगने लगा। इस पर वह स्त्री बोली 'यह मगध का ही बिल्कुल वैसी ही बात कर रहा है वैसी चन्द्रगुप्त ने राज्य पर आक्रमण करने में की है। कहना बोला 'बच्चों माँ मैं क्या कर रहा हूँ और चन्द्रगुप्त ने क्या किया है?' वह बोली बोली 'बच्चे तु रोटी का कितारा कितारा छोड़कर केवल बीच का भाग खा रहा है। एव ही चन्द्रगुप्त ने राजा बनने की मन्थाहालाता में सीमांत प्रदेशों में आक्रमण किए बिना और राज्यों में पड़ने वाले नगरों पर अधिकार किए बिना रोम के अन्त-प्रदेश पर आक्रमण कर दिया है और उनकी सेवा को पेश्वर नष्ट कर दिया गया है। यह उनकी भूमिका थी" (महावंश टीका पृष्ठ १२३ परिचिप्ट १)। इसके बाद चन्द्रगुप्त ने दूसरी पद्धति अपनाई। उसने सीमांत प्रदेशों में अपना विजय-अभियान आरम्भ किया (पर्वततो बहुदाय) और राज्य में पड़ने वाले बाल बनकर राष्ट्रीय तथा जनपदों पर विजय प्राप्त की। वह उनमें एक इच्छा यह की कि अपनी विजयों का सुरक्षा करने के लिए उनमें पीछे अपनी मनाएँ नहीं नियुक्त की। परिणाम यह हुआ कि रोम जैसे वह भागें बढ़ना गया जैसे-जैसे जिन जातियों को पराजित करते वह पीछे छोड़ना गया वे स्वतन्त्रतापूर्वक आपन में मिल सकती थी और उनकी सेवा को चन्दर उनकी पंजाबियों की नियुक्त बना सकती थी। तब उन्हें नहीं रचनीति

मृती। वह जैने-जैने इन राष्ट्रा तथा जनपदों पर विजय प्राप्त करता गया जैसे जैसे वह वहाँ अपना मन्नाप भी नियन्त्रण करता गया (उपग्रहिततया बलम् संविधाय) और फिर उमन अपनी विजयी गेता क साब मगध की भीमा म प्रवेश करके पाटलिपुत्र पर बरा डाला और पत्तनम् को मार डाला (परिगिष्ट १)।

परिशिष्टपर्वन नामक जैन-ग्रन्थ में भी रजनीति के सम्बन्ध में एक ऐसी ही टीका मिलती है जिसमें कहा गया है 'जिस प्रकार कोई बच्चा बाकी के किनारे के शीतल भाग से घास करने के बजाय कालकवच शीत के परम भाग में उंगली डालकर अपनी उँगली बला करता है उसी प्रकार आत्मन्य की भी पराजय हुई क्योंकि उमने पशु के मुसुङ्ग शेष पर आक्रमण करने से पहले आस-पास के प्रवेश पर अपना अधिकार सुदृढ़ नहीं बनाया था। इस बात से उपदेश लेकर आत्मन्य हिमवतकट गया और वहाँ के राजा पर्वतक से उसन मंत्री की सजि कर ली। फिर उन्होंने प्रांतों को पराजित करके अपना विजय-अभियान आरम्भ किया" (VIII २९१-३ १)। इसी प्रश्न में आगे चलकर बताया गया है कि इस अभियान के आरम्भ में ही आत्मन्य तथा अत्रबुष्ट की पराजय हुई क्योंकि वे एक नगर पर विजय प्राप्त करने में असफल रह अस्त में आत्मन्य ने एक कूट-युक्ति से नगर के रत्नों को चकमा देकर, नगर पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद उन्होंने मयच-राज्य (मम्बदेसम्) का विजय कर दिया और पाटलिपुत्र पर बरा डालकर नन्द को हथियार डाल देने पर विषय कर दिया जिसने जन (लौच-कौष्ठा) सेना (बल) क्षमता (वीर्य) और शक्ति (बिक्रम) में बहुत कमी हो गई थी (पूर्वोक्त, १ १ ११३)। परन्तु राजा नन्द को मारा नहीं गया और आत्मन्य ने उसे अपनी दो पत्नियों तथा एक पुत्री के साथ और एक रूप में जितना सामान आए, लेकर पाटलिपुत्र से चला जाने की अनुमति दे दी (पूर्वोक्त २०१ ३१७)।

परन्तु इन सब कहानियों से भारतीय इतिहास के इस युगों पृष्ठने मूलभूत तथ्य पर प्रकाश पड़ता है कि भारत में जितने भी विजय-अभियान हुए हैं उनकी प्रगति सीमाश्रय प्रदेश से अस्त-प्रदेश की ओर उत्तर से दक्षिण की ओर, पर्वतीय प्रदेश से मैदानों की ओर रही है। केवल अंग्रेजों ने जिन्होंने मुख्यतः अपनी नी-शक्ति का सहारा किया बृहती दिशा अपनाई, समुद्र की तरफ से आये बढ़कर ब्रह्म के मीठरी भाग की ओर।

नन्द की शक्ति : इन कहानियों से यह भी पता चलता है कि कदाचित् नन्द के साम्राज्य पर विजय इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुई। कई प्रयत्नों के बाद ही उसे परास्त करने में सफलता प्राप्त हो सकी। इसका कारण यह था कि उस साम्राज्य के पास विपुल शक्ति तथा सामन्य थे। कटियस का अनुमान है कि उसकी सेना में २, ० पैदल सिपाही २० ०० बुद्धवार, २ चार घोड़ों

बाले रथ और ३ ०० हाथी थे । इसके अतिरिक्त साम्राज्य का विस्तार भी बहुत अधिक था । बहुपंजाब तक फैला हुआ था । कहा जाता है कि जब विक्रम ने पारस इरानीय पर आक्रमण किया जिसका राज्य चिनाम तथा रावी के बीच में था ता उसने भागकर अपने पड़ोसी राजा मन्ध के राज्य में शरण ली थी (सैक क्रिस्टल इन्वेन्टरी, पृष्ठ २७३) । हम पहले देख चुके हैं कि राजा मन्ध किस प्रकार विभिन्न राज्यों पर विजय प्राप्त करके अनेक राज्यों का सार्वभौम शासक (एकराट्) बन गया था और उसने इन राज्यों पर अपना एकलक्षण शासन स्थापित कर लिया था । ये राज्य ऐरावत, पाषाण काशी, ह्यय, अरमक, कर, मैथिल, शूरसेन तथा बीतिहोव नामक जातियों के थे । बीता कि पुराणों से पता चलता है इन समस्त क्षत्रिय राजवंशों को 'निर्मूलक कर दिया गया ।' यूनानी उल्लेख पमार्तिरई तथा प्रासाई नामक जातियों के लोगों के शासक के रूप में अर्थात् यगा की जाती में रहने वाली और प्रायः अर्थात् 'पूरव की रहने वाली' उन जातियों के शासक के रूप में परिचित थे जो 'मध्यसेन' से पूरव की ओर रहती थी जैसे पंचाल, शूरसेन, कोसल आदि । कर्त्तन पर विजय प्राप्त करके जिसका उल्लेख खारबल के हापीरुम्फा शिलालेख में मिलता है राजा मन्ध ने अपना राज्य बढ़ाकर में फैला लिया । उस शिलालेख में एक प्राचीन नहर के प्रथम में 'मेर राज' के नाम का उल्लेख किया गया है और उसके विषय में यह भी कहा गया है कि यह अपनी विजय के प्रतीक-चिह्नों के रूप में प्रथम त्रिभुज की मूर्ति (अथवा पक्ष चिह्न) और राज-परिचार का लज्जाना अपने साथ मध्य ल गया था । मैसूर के कुछ शिलालेखों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि मन्ध का शासन मैसूर के उत्तर में कन्नड प्रांत तक फैला था (राज्य मैसूर एंड कर्ण काण इतिहासिक पृष्ठ ३) । परन्तु ये शिलालेख बहुत बाद (बारहवीं शताब्दी) के हैं और इसलिए अब तक इन बातों का पहले का कोई प्रमाण न मिलने तक उन्हें विश्वस्त प्रमाण नहीं माना जा सकता । हम यह भी देना चुके हैं कि किस प्रकार यह जलता पर अग्रहण कर लवाकर अगार बन-संगति का साक्ष्य बन बैठा था और यह शारीर्य-जगता उसने जमीन के नीचे भण्डारों में भर रानी थी ।

उत्तरी अलोकप्रियता : इस प्रकार राजा मन्ध वाली मक्ति तथा जन संगठन का स्वामी ता बन बैठा पर जनता उसे चाली न थी । जैसा कि पहले बता चुके हैं स्वयं बल्लुपुत्र ने विक्रम को पाकर यह सूचना दी थी कि "उत्तरी प्रजा उससे बुरा करती है" और विक्रम ने पारस (पौरव) तथा कनकान (नगसा) नामक भारतीय राजाओं से पुछकर इन सूचनाओं पुष्टि भी करवा ली थी । अपने आधाचारपूर्ण सामन्य और जनता पर अग्रहण कर के बांझ क अतिरिक्त अपने पूर्वज क मूल पात्र के कारण भी यह लोकप्रिय नहीं बनना था । इन प्रकार उत्तरी सत्ता

पीरे-बीर लीज होती हुई पराभव की जिगा में जा रही थी। उसे जतना वे समर्थन का विन्मूठ आचार प्राप्त न था। इस प्रकार मन्द के विरुद्ध लड़ाई में चंद्रगुप्त को सैनिक तत्वों की अपेक्षा इस नैतिक तथ्य से बड़ी अधिक गह्रायता मिली।

युद्ध में नर-संहार : चंद्रगुप्त तथा मन्द ने बीच-बीच में लड़ाई हुई उमका विवरण नहीं लिखता। परिशिष्टपरबत नामक बौद्ध ग्रंथ के एक छंद में (VIII २०-५६) कहा गया है कि 'मन्द के शासन को समूह मष्ट करने के लिए बमीन के नीचे छिपाकर रत्ने गय घन-कोपी की सहायता से चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सहायक किए सैनिक भरती किए। "कुछ लोगों ने यह मत भी व्यक्त किया है कि कदाचित् नर के विरुद्ध अपनी लड़ाई में उसका मुनाती बेतनमोगी सैनिका को भी इन्तरेमाल किया होगा। (कैम्ब्रिज हिस्ट्री, I पृष्ठ ६५)। लोगों के बीच भीषण रक्त पालपूर्ण युद्ध हुआ इसका संकेत तो मिलिबपन्थो (सैक्रेड बुक ऑफ़ रि इन्ड XXVI पृष्ठ १४७) में भी एव बगह कुछ अधिकृतता के साथ मिलता है जिनमें कहा गया है कि इस युद्ध में "सी कोटि सैनिक १०००० हाथी एव काल पाड़े तथा ५०००० घोड़े" मारे गए थे और उसी में बताया गया है कि महामानव नंद की सेना का सेनापति था। हम इस बात का उत्प्रेक्ष्य पढ़ने ही कर चुके हैं कि मुद्रारत्नक में इस बात का वर्णन किस रूप में किया गया है जिसका आरम्भ में ही चाणक्य कह बोलना करता है कि उसने जो नंदों की तो हत्या कर दी है और वह नंदवंश के बने हुए एकमात्र प्रतिनिधि बड़े मर्बासिद्धि को भी जीता नहीं छोड़ेगा जो अपनी राजधानी कमुमपुर की बेरेबंदी को सहन न कर सका और बाहर बंजर में शरण ले रहा है। यद्यपि वह बड़ी संख्याओं का जीवन व्यतीत करता था पर चाणक्य की आज्ञा पर वहाँ उसकी हत्या करवा दी गई, क्योंकि चाणक्य ने नंद-वंश की अंतिम शाखा को भी नष्ट कर देने की सीमा से रकी थी।

३४ ई० पू० में साम्प्रत की वराज्य ; ईरान तक राज्य का विस्तार : चंद्रगुप्त ने केवल इतना ही नहीं किया कि नंदवंशी राजा को मगध की गद्दी से हटाकर उसकी जगह बैठ गया। वह औरत ही एक ऐसे साम्राज्य का सार्वभौम शासक बन बैठा जो नंद के साम्राज्य से बहुत बड़ा था क्योंकि उसमें सिंधु नदी तक पंचनग बेस भी शामिल था। बाद में उसने जो विजयें प्राप्त की उनका फल-स्वरूप यह राज्य और भी बढ़ गया। चंद्रगुप्त के इसके बाद के जीवन का पता हमें 'प्लूटार्क' के विन्यक्तिवित बक्तव्य से तक सकता है (लाइव्स ब्रह्म्या ४२) "इसके कुछ ही समय बाद एंड्रोकोटस ने जो उसी समय राजसिंहासन पर बैठा था साम्प्रत को ५०० हाथी भेंट किए और १००००० की मैना केकर मारे

बाले रथ और ३०० हाथी थे । इसके अतिरिक्त साम्राज्य का विस्तार भी बहुत अधिक था । बहुपदाय तक फैला हुआ था । कहा जाता है कि जब विक्रमर ने गणेश द्वितीय पर आक्रमण किया जिसका राज्य बिनास तथा रावी के बीच में था वही उसने भागकर अपने पड़ोसी राजा मन्व के राज्य में सरथ की थी (मैक डिडिस इनवेन्शन, पृष्ठ २०३) । हम पहले देख चुके हैं कि राजा मन्व किस प्रकार विभिन्न राज्यों पर विजय प्राप्त करके अनेक राज्यों का सार्वभौम शासक (एकराट्) बन गया था और उसने इन राज्यों पर अपना एकलेश शासन स्थापित कर लिया था । ये राज्य ऐस्वाक, पाषाण काशी इहय अस्मक कृष मीबिस गुर्येन तथा भीतिहोन नामक जातियों के थे । जैसा कि पुराणों से पता चलता है इन समस्त जातिब राजवंशों को "निर्मूल कर दिया गया ।" यूनानी उससे गयारिबेई तथा प्रासाई नामक जातियों के लोगों के शासक के रूप में अर्बात् गंगा की घाटी में रहने वाली और प्राण्य अर्बात् पूरब की रहने वाली उन जातियों के शासक के रूप में परिचित थे जो 'मध्यरेष' से पूरब की ओर रहती थी जैसे पंचाल गुर्येन कोसल आदि । कश्मिर पर विजय प्राप्त करके जिसका उल्लेख पारबेल के हावीपुष्पा भिल्लक में मिलता है, राजा मन्व ने अपना राज्य बधिन में फैला लिया । उक्त बिल्लक में एक प्राचीन महान् के प्रसंग में 'मन्व राज' के नाम का उल्लेख किया गया है और उसके विषय में यह भी कहा गया है कि वह अपनी विजय के प्रतीक-चिह्नों के रूप में प्रथम जिन की मूर्ति (अथवा पद चिह्न) और राज-परिचार का सञ्चालन अपने साथ मनस ले गया था । मैसूर के कुछ शिलालेखों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि मन्व का शासन मैसूर के उत्तर में कन्नड प्रांत तक फैला था (राष्ट्र मैसूर एंड कर्ण कास इंतर्किर्षत' पृष्ठ ३) । परन्तु ये शिलालेख बहुत बाद (बारहवीं शताब्दी) के हैं और इगलिय जब तक इन बात का पहले का कोई प्रमाण न मिले तब तक इन्हें विश्वस्त प्रमाण नहीं माना जा सकता । हम यह भी देना चुके हैं कि किस प्रकार वह जनता पर अमह्य कर लगाकर अपार धन-सम्पत्ति का मालिक बन बैठा था और वह घाटी धन-सम्पत्ति अपने जमीन के नीचे गडारों में भर राखी थी ।

उत्तकी अतोक्षप्रियता : इस प्रकार राजा मन्व वाजी शक्ति तथा धन सम्पदा का स्वामी हो बन बैठा पर जनता उस चाहती न थी । जैसा कि पहले बता चुके हैं स्वयं अश्वपुत्र ने निकरर का जाकर यह सूचना दी थी कि "उसकी प्रजा उससे चूका करती है" और निकरर ने पीरत (पीरब) तथा पनेकाम (बगला) नामक भारतीय राजाओं से पूछकर इन सूचना की पुष्टि भी करवा ली थी । अपने अत्याचारपूर्ण मामल और जनता पर अमह्य करों के बोझ के अतिरिक्त अपने पूर्वज के मूल पाप के कारण भी वह लोभिय न हो सकता था । इस प्रकार उसकी सत्ता

पॉरे-वीर क्षीण होगी हुई परामर्श की दिशा में जा रही थी। उमे जनता के समर्थन का विप्लव आसार प्राप्त न था। इस प्रकार मन्द के विप्लव मन्त्र में अशुभ का सैनिक तत्वों की अपेक्षा इस सैनिक तत्व से बड़ी अपित महत्ता मिली।

युद्ध में मन्द-संहार : अशुभ तथा मन्द के बीच जो लड़ाई हुई उसका विवरण नहीं मिलता। पश्चिमिष्टपक्ष नामक जैन ग्रंथ के एक छंद में (VIII ५ ५८) कहा गया है कि 'मन्द के शासन की समूह मन्त्र करने के लिए तर्जान क नीच टिपल-कर रखे गए मन-सोचों की सहायता से शासक ने अशुभ की सेवा के लिए सैनिक मन्त्रों किए। 'कुछ लोगों ने यह मत भी व्यक्त किया है कि कर्णाट प्रदेश के विप्लव अपनी लड़ाई में अपने मूलानी बेलतभायी सैनिकों को भी इन्तजार किया जाता।' (संश्लेष हिस्ट्री, I पृष्ठ ८३५)। दार्जील क बीच भीयम रक्ष-पाठपुत्र युद्ध हुआ इसका संकेत तो मित्रिष्टपक्षही (संश्लेष कुशल प्रोफ रि ईस्ट XXVI पृष्ठ १४७) में भी एक जगह कुछ अतिरिक्तता के साथ मिलता है जिसमें कहा गया है कि इस युद्ध में "ती कोटि सैनिक १०००० हाथी एक भाग घोड़े तथा ५,००० मारपी" मारे गए थे और उन्हीं में बताया गया है कि महामन्द मन्द की सेवा का संभाषित था। इस हम बाध का उत्प्रेम परम ही कर बुद्ध है कि मुद्राराजत में हम बटला का बर्चन किम रूप में किया गया है जिसका आरंभ में ही शासक यह घोषणा करता है कि अपने ही भर्षों की ता इत्यादि कर ही है और वह मंदबंधन क बंधे हुए एकमात्र प्रतिनिधि बड़े कर्णाटविप्लव की भी सैन्य नहीं छोड़ना जो अपनी राजधानी अशुभपुर की परेबंदी को भजन न कर रहा और बाहर जंगल में शरण ल रहा है। यद्यपि यह बहो संन्यासी का संन्यास इत्यादि करता था पर शासक की आज्ञा पर वहाँ उसकी हत्या करवा दी गई। शासक ने मन्द-बंधन की अंतिम शाखा का भी मन्त्र कर देन की मंद-बंधन करनी थी।

३०४ ई० पू० में सेल्युकस की बराबर, ईसाक तक राज्य का विप्लव अशुभ ने केवल इतना ही नहीं किया कि मंदबंधनी राजा का मन्त्र ही नहीं के हटाकर उसकी जगह बैठ गया। वह औरत ही एक लक्ष साम्राज्य का सैनिक शासक बन बैठा जो मंद के साम्राज्य से बहुत बड़ा था क्योंकि उसके लिए मंदी तक पंचमर देश भी शामिल था। बाद में अपने या विप्लव मन्त्र ही उसके इन्त-स्वरूप यह राज्य और भी बढ़ गया। अशुभ के इनके रूप के बर्चन का क्या हमें प्लूटार्क के निम्नलिखित बरचन से पता चलता है (सायण अभाव ८०) "इसके कुछ ही समय बाद एंड्राकस्टस ने जा उन्हीं समय कर्णाटशासन पर बैठा था सेल्युकस की ५०० हाथी मंत्र किए और ६,००००० की सेवा मंत्र लाए

भारत का अपने अधीन कर लिया।" यहाँ पर 'राजमिहासन' से अग्निप्राय मयक के सिंहासन से है जिस पर उसने मंदबन्ध के राजा को पराजित करके अपना अधिकार जमाया था। सेन्सुकम को यह उपहार इन राजों के बीच युद्ध के परिणामस्वरूप दिया गया था। ऐसा लगता है कि सिन्धु नदी के तट उसके सेनापतियों के बीच आपस में सत्ता के लिए जा छड़पे जहाँ उसमें ३११ ई० पू० के लगभग तक सेन्सुकम ने वैदिकान के छासक क रूप में अपनी स्थिति बहुत दृढ़ कर ली थी और जब उसे सुदूर-निस्तृत प्रदेशों में अपने छासक को सुदृढ़ बनाने का अवकाश मिला। और ३५ ई० पू० के समय या ह्य-से-ह्य ३०४ ई० पू० तक उसने भारत के उस भाग पर बुबारा आधिपत्य जमाने की योजना बनाई जिसे सिन्धु नदी ने पहले जीता था। कानुक मंत्री का रास्ता पकड़कर उसने सिन्धु नदी पार की (ऐम्पियन Syr ५५) परन्तु यह अग्निप्राय निष्फल रहा और योजना में सवि हो गई। इसका कारण यह था कि उस एक नये भारत से मारवाँ केना पडा जा अश्वमेध के छासक में एक सपुत्र तथा सन्निवृत्तानी देता था और उनका नाम बहुत बड़ी सैन्य-शक्ति थी उसने हठधर्मों से लड़ते रहने की अपेक्षा सवि कर देने में ही कस्यमान देना। इस सवि की शर्तों के अनुसार सेन्सुकम ने अरकोसिया (कश्मीर) और परोपानिधिरे (काबूल) की आधिपत्या और उसके साथ अरिया (इरान) तथा वेरोसिया (बकूबिस्तान) के कुछ भाग अश्वमेध की दे दिए। इस प्रकार अश्वमेध के बीरव को चार चौंर जय गए। उसने अपना मायाग्य भारत की सीमाओं में जाने ईरान की सीमा तक फैला लिया। यही कारण था कि उसके पीछे अजोक ने अपने दो सिलासिला (दूसरे तथा १३ वें) में यह घोषणा की कि सीरिया का सम्राट् ऐन्जिओस (अंतिमको पौम-राजा) उनका बर्लमी अज अजवा प्रत्यत राजा था। अश्वमेध ने सेन्सुकम को ५० युद्ध-बयोनी हाथी उपहार में देकर इस नैत्री को सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान किया। यह उपहार सेन्सुकम के लिए बहुत बहुमूल्य था क्योंकि उनका सप के सैनिक, साइसिरीक तथा सैलमी नामक राजाओं ने जो उसके मित्र थे अपने समस्त सन्सुकम के विरुद्ध उनका महायत्न मीमांसा की जिसके कारण वह बहुत चिंतित था। अश्वमेध के लिये हुए हाथी ठीक समय पर इरान के रथधन में बर्लिक गए और सैलमीक तथा सैलमीक नामक राजाओं ने जो उनके मित्र थे अपने समस्त सन्सुकम के विरुद्ध उनका महायत्न मीमांसा की जिसके कारण वह बहुत चिंतित था। अश्वमेध के लिये हुए हाथी ठीक समय पर इरान के रथधन में बर्लिक गए और सैलमीक तथा सैलमीक नामक राजाओं ने जो उनके मित्र थे अपने समस्त सन्सुकम के विरुद्ध उनका महायत्न मीमांसा की जिसके कारण वह बहुत चिंतित था। अश्वमेध के लिये हुए हाथी ठीक समय पर इरान के रथधन में बर्लिक गए और सैलमीक तथा सैलमीक नामक राजाओं ने जो उनके मित्र थे अपने समस्त सन्सुकम के विरुद्ध उनका महायत्न मीमांसा की जिसके कारण वह बहुत चिंतित था।

सत्राई में तोलेमी के जीवियाई द्वारा एनीओनम के भारतीय हाथियों के सामने खड़ा कर न टिक सके (कार्टमिपटन कामल बिटविन टीमन एम्पायर ऐंड इंडिया पृष्ठ १५१) ।

हाथियों के इस उपहार के बाद दोनों राजाओं के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की अभिव्यक्ति अन्य रूपों में भी हुई । ऐपियन (Syr ५५) ने इस बात की ओर भी संकेत दिया है कि दोनों राजाओं के बीच विवाह के सम्बन्ध भी स्थापित हुए और इस प्रकार सस्युक्त या ता चन्द्रगुप्त का समुद्र बन गया या साम्राज्य । राजाओं की यह बात (XV ७२४) अधिक तर्कमय प्रतीत होती है कि 'दोनों राजाओं के बीच विवाह करने का अधिकार स्थापित कर दिया गया । इस बात की ता कल्पना भी नहीं की जा सकती कि दोनों को मानने वाले उम बेरा में होने वाली कालिका के बीच परस्पर विवाह करने का अधिकार दे दिया गया हो । ( कम्ब्रिज हिस्ट्री I पृष्ठ ४३१ ) । सस्युक्त के साथ चन्द्रगुप्त के सम्बन्ध अन्य चम्बर भी बहुत मैत्रीपूर्ण रहे इनका पता एबनीयम की उम बहानी से चलता है जिसमें उसने कहा है कि उसने सस्युक्त को कुछ भारतीय औपचारिक उपहार में मेची (पूर्वोक्त पृष्ठ ४३२) और सस्युक्त ने मगस्थनीज का मीय राज-दरबार में अपना राजदूत नियुक्त करके इस मैत्री की पुष्टि की । इससे पहले मगस्थनीज अरकोसिया के साथ सिबिरियस के दरबार में सस्युक्त का राजदूत था । अरियन के कथनानुसार मगस्थनीज कुछ समय तक पोरस के दरबार में भी रहा था ( V २२ ) परन्तु इबानबेक ने मूल पाठ के इस अंश का अनुवाद दूसरे ढंग से किया है । कुछ भी हा इतना तो निश्चित है कि वह ३०४ ई० पू० और २९९ ई० पू० (जिस वर्ष चन्द्रगुप्त की मृत्यु हुई थी) के बीच किसी समय पाण्डिच्युत राजदूत होकर आया था । इस प्रकार उसने चन्द्रगुप्त के जीवनकाल के अन्तिम वर्षों में मीय भारत को उसके शासन के अधीन एक सुसंरचित राज्य के रूप में अपने पौरव के विश्व पर देखा था ।

इन दोनों राजाओं की मृत्यु के बाद भी भारत तथा पश्चिम के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बने रहे । चन्द्रगुप्त के बेटे बिम्बुसार ने सस्युक्त के बेटे एंटीआकोस प्रथम से कुछ मोठी शरण अर्थात् और एक दार्शनिक मेहनत की प्रार्थना की थी । एंटीआकोस प्रथम ने एंटीइवा के इहमैकस को अपना राजदूत बनाकर बिम्बुसार के यहाँ भेजा था । प्लिनी (नेबरक हिस्ट्री VI, ५८) ने इन बातों का उल्लेख किया है कि टालेमी त्रिफासेस (मिस्र का राजा २८५-२४७ ई० पू०) ने इपानीसियस को अपना राजदूत बनाकर भारत भेजा था । इपानीसियस का जन्म राजा के यहाँ राजदूत बनाकर भेजा गया था वह या तो बिम्बुसार ही सकता है या उसका बेटा अरकोस जिसने अपने १३वें पिताकेस में मिस्र के इस राजा

का उद्देश्य उन पाँच राज्यों में किया है जिनके दरबार में उनका स्वयं अपने सम्मान-संरक्षण में है।

इन प्रश्नों में यह बात ध्यान देने योग्य है कि मेक्सवेलीज ने कहा है कि उनके समय में अनेक सिख (पूजारी केवल) सिंधु नदी का उद्देश्य भारत की पश्चिमी सीमा के रूप में नहीं करते बल्कि भारत में उन चार राज्यों को भी शामिल करते हैं जिनका उद्देश्य अलग किया जा चुका है (पिपली हाथ पृष्ठ ५६वीं सं. १)।

दक्षिण-पश्चिम अपना राज्य भारत की सीमाओं के आगे तक फैला लेने के बाद सिंधु-नदी के पार दक्षिण में अपना साम्राज्य स्थापित करने का विचार उनका मन में उत्पन्न हुआ। जूटार्क का जो उद्देश्य अलग किया गया है उसमें कहा गया है कि "उनका ६०,००० की सेना केवल सारे भारत को अपने अधीन कर दिया।" इस भारत विधि-विशेष के बारे में विचार नहीं मिलते पर अंग्रेजों के विचारों में इसके विरुद्ध प्रमाण मिलते हैं। पहली बात तो यह है कि मैसूर के चिन्मयूय जिसे मैं सिद्धपुर, बड़ाबिरि और अठिय रामेश्वर पर्यंत पर उनके विस्तारों में कोयंबटूर ताक में चौबीस तथा पाठकीपुत्र के विस्तारों में ईदराबाद तक में मस्की के विस्तारों में और कर्नूल जिसे मैं पूरी के विस्तारों में इस बात का प्रमाण मिलता है कि अंग्रेजों का राज्य दक्षिण में फैला हुआ था। इसके अनिश्चित चोक तथा कन्नड़ सत्यपुत्र तथा केरलपुत्र आदि जातियों का उद्देश्य अपने पड़ोसी राज्यों के रूप में करके (विस्तार २ १३) अपने साम्राज्य की पश्चिमी सीमाएं अलग में इंगित कर दी हैं। तीसरे अंग्रेजों ने अपने १२वें विस्तार में इस बात की सूचना दी है कि उनका स्वयं केवल दक्षिण में विस्तार प्राप्त की है और यह कि उस विस्तार के कारण उसे बहुत दुःख तथा परेशानी हुआ क्योंकि उनमें बड़ी हिंसा और रक्तपात हुआ था। उस युद्ध में "१५०,००० लोग बर्बाद हो गए (अपभ्रंश) १,००० लोग मारे गए (हते) और एक ही नदी नद्या में तीन घण्टों में एक पाँच मिनट का समय बर गया। इस भीषण रक्तपात तथा विपदा के लिए बड़े स्वयं उत्तरदायी था। इस बात का उन्हें इतना हीरा आघात हुआ कि उन्होंने तुरन्त धारणा की कि पश्चिम में अब कभी वह ऐसे रक्तपात द्वारा किसी देश पर विजय नहीं प्राप्त करेगा और अपने धर्म विजय को अपने साम्राज्य की नीति पर्यंत दिया और अपने पहले की आशंका तथा देश-विजय की नीति पर अन्त कर दिया। अब वह अहिंसा का पूर्ण प्रचारक बन गया। इस प्रकार यह बात स्पष्ट है कि दक्षिण-पश्चिम का अब अंग्रेजों को नहीं है। और इसका भी कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता कि वह विजय उनके पिता विन्मुक्त में प्राप्त की है, जबकि जूटार्क ने यह बात निश्चित रूप में नहीं

अज्ञानक एने समय पर राजसिंहासन बर्षीं त्याग दिया जब उसकी अशक्तता नी-  
 चरुण अधिक नहीं थी और वह अपनी सत्ता के मिथ्या पर था। जैसा कि उन्होंने  
 कहा है 'चंद्रगुप्त मौर्य का घटनाक्रम सामान्य त्रिभुज से समाप्त हुआ गया उस  
 पर प्रकाश डालनेवाला एकमात्र प्रमाण इन शंका में निहित है। बहुत ही कम  
 आयु में (उस समय उनको सात पचास से कम ही रही होगी) उनका विजय  
 हुआ जाने की मनस्वी का पर्याप्त समाधान हम बाद में हा जाता है कि उनमें स्वयं  
 राजसिंहासन त्याग दिया था।'

इस बात का कि चंद्रगुप्त ने जैन-धर्म अंगीकार कर लिया था सभी जैन  
 रूपकों ने बिना किसी शंका या विचार की आवश्यकता के स्वीकार कर लिया  
 है और इसका खंडन करने वाला भी कोई प्रमाण नहीं मिलता। जैसा कि हम  
 दस श्लोकों में संबंध के राजाका क शासनकाल में जिनका नुकाव जैन-मत की  
 आर का और जिनके दरबार में जैन-मठों का अनाकरण पाटलिपुत्र  
 में स्थापित हुआ चुका था (हिन्दू सभ्यता, पृष्ठ २७७)। मुद्राराधन में पाटलिपुत्र  
 के राज-दरबार में जैन के प्रमुख स्थान और स्वयं शासन द्वारा जो आह्वान  
 धर्म का कट्टर समर्थक का अपन मुख्य दूत के रूप में एक जैन की नियुक्ति के  
 का प्रथम निमित्त है व भी इसी तथ्य की स्तुति है। राज-दरबार में जैन प्रभाव  
 का चुका था [राजस मैसूर ऐंड जैन प्रभाव इतिहास, पृष्ठ ३-९ Ep Carn. II  
 पृष्ठ ३५-४३ अथवा अथवा ५ विद्यालय]।

इसलिए यदि इस बात की सब मान लिया जाए कि चंद्रगुप्त ने अपन जीवन  
 के अंतिम दिन अथवा बचपन में अज्ञान किये थे तो यह मान लना भी अनुचित  
 न होगा कि वह किसी ऐसे स्थान में ही जाकर बसा होगा जो उसके साम्राज्य  
 की सीमाओं के भीतर और जनाके निवासियों के नहीं निकट ही रहा होगा।

तमिल परम्परा इसके अतिरिक्त बलिण पर मौर्य शासन का उत्पन्न  
 तमिल साहित्य में भी मिलता है। तमिल रचनाओं में पार जगह हम बात का  
 उल्लेख मिलता है, तीन जगह अहमदनूर में और बीबी जगह पुरतानूर में। इनमें  
 कहा गया है कि मौर्य के राजा का अंत करण के लिए, जिनके उनके अधिपत्य  
 का स्वीकार करने में इनकार कर दिया था मौर्य अपने रथों और "अपनी  
 पाइलों तथा हाथियों की सत्ता" के साथ चट्टानों को चोखे हुए आगे बढ़त गए।  
 इन अभियान में उनके स्वामीय मित्रों कागलों ने जिन्होंने "रथक्षेत्र में जन्म की  
 सेनाओं को परास्त कर दिया" और बहुतों ने सहायता की जा "अपने तीव्र  
 यामी तीरों" से मारते थे। कुछ लोगों का मत है कि इन प्रकरणों में कदाचित्  
 मौर्य से तात्पर्य काकण के उन बाद के मौर्यों से है जो इतिहास के रणमंच पर  
 पाँचवीं शताब्दी ईसवी में आये परन्तु एक प्रकरण में "नदबंसिया की अकूत सम्पदा



माझ्याच सिंध नदी व पाट के प्रांतों में ईरान की सीमा तब बढ़ा दिया। इस प्रकार हम इस बात का मान सकते हैं कि ३२३ और ३२१ ई० पू० के बीच चंद्रगुप्त पंचाज का शासन और समय का सम्राट बन बैठा। यह मान लेना अनुचित न होगा कि ३२२ ई० पू० में सार्वभौम शासन के रूप में उत्कला साम्राज्य के राजा और उनकी रूप हमने सीमा राजवंश की नींव डाली।

इन तिथि की पुष्टि कराने के लिए हमें और भी तथ्य-सामग्री उपलब्ध है। यदि हम विभिन्न राजाओं के शासनकाल के बारे में पुराणा में भी हुई नियमा वर विधान करें तो हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त ने २४ वर्ष तक शासन किया और इसलिए उसका शासनकाल २९८ ई० पू० में समाप्त हुआ होगा और उसके बेटे बिहुमरान २५ वर्ष तक सर्वात् २७३ ई० पू० तक शासन किया। इस प्रकार हमें मानना पड़ेगा कि अशोक २७३ ई० पू० में सिंहासन पर बैठा होगा इस तिथि की अक्षर्य पुष्टि अशोक के अभिलेखों में होती है। महावंश में अशोक के सिंहासन पर बैठने और उसके साम्राज्य के अंतर्गत किया गया है और बताया गया है कि इन दोनों के बीच चार वर्ष का अंतर था (V २२)। इस प्रकार उसके साम्राज्य-विशेष की तिथि २६९ ई० पू० निकलती है। उसके अभिलेखों पर भी उसके साम्राज्य-विशेष के हिसाब से तिथियाँ टाली गई हैं। उसके १३वें सिंहासन पर उसके साम्राज्य-विशेष के १३ वर्ष शासन की तिथि पढ़ी है। इस प्रकार यदि उसके साम्राज्य-विशेष की तिथि २६९ ई० पू० में मानी जाए तो इस सिंहासन की तिथि २५६ ई० पू० होनी चाहिए। यह तिथि सही है क्योंकि स्वयं १३वें सिंहासन के बारे में सुविदिन तिथि-सम्बन्धी तथ्य-सामग्री में यह निश्चय है। १३वाँ सिंहासन भारतीय इतिहास में तिथि कम की दृष्टि में अपूर्ण महत्व रखता है। इस सिंहासन में अशोक ने पाँच मंत्र महत्वपूर्ण युवाओं राजाओं का उल्लेख किया है, जिन सबके साथ अपने सिंहासनों के लिए अपने मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर रहे थे। इसलिए जिन समय अशोक ने उनका उल्लेख किया है उसकी तिथि हृद-ने-हृद उस समय की रही होगी जब वे मंत्र घोषित थे और उनके जीवन होने का अर्थ ही पता था और हम उन तिथि को अपने एक वर्ष पहले की मान सकते हैं जब वे सब हूट-पुट रहे होंगे।

इसमें से निष्कर्षित तीन राजाओं की शासन-तिथि निम्नलिखित रूप में मान्य है

(१) अशियाक, सर्वात् बैक्सोन तथा ईरान का राजा एन्थोक्स द्वितीय दिवस २६१-२४६ ई० पू०।

(२) गुरगन, सर्वात् दिवस का राजा सीधेन्द्रायन द्वितीय दिवालेख्य, २८५-२४० ई० पू०।

(३) अशिकिनि अर्बान् मरुतुनिया का राजा ऐटियोसस बानाटस २०३-२४० ई पू० ।

यका इन वा राजाओं के सम्बन्ध में है

(४) मरु अर्बान् साइरीस का राजा ममम जिसकी शासनावधि हम बहुत मान सकते हैं जो बैबल तथा गवर दोनों में प्रस्तावित की है, अर्बान् १००-२५० ई पू० ।

(५) अलिबख्खर, जिसके सम्बन्ध में बहुत मतभेद है कि वास्तव में वह कीन वा और उसने कब से कब तक शासन किया । वह या तो एविरस का अले-बख्खर हो सकता है या कारिज का अलबख्खर । इन दोनों में एविरस का अले-बख्खर अरंसाह्त अशिक मरुतुपूर्ण वा और उसी की आर अशोक का ध्यान आह्वान हान की अधिक सम्भावना है । वह एविरस के प्रकाश पाहंस का पुत्र और मरुतुनिया के गैरीपासस योनाटस का प्रतिद्वंद्वी वा । कारिज का अले-बख्खर मममम जिसका ही स्वामीय राजा वा जो अंत में "किबस एक ममर तथा एक शीन का आनतापी धामक बनकर रह गया जिसे न कोई ऐतिक शौर्य प्राप्त वा और न उसका संसकन ही प्रतिष्ठित वा ।" एशिया माइनर के अन्त राजाका का वह भी इन्हीं क अन्तर् में वा इनस जैसा वा जिनका उल्लेख अशोक का करना चाहिए वा जैसे जर्मनी का कुमेनीस ( २९०-२४ ई० पू० ) वा भारत में भार की निकट बैकिट्टमा वा विमारटस । यह बात है कि एविरस का अलेबख्खर जिनका अशोक न वास्तव में उल्लेख किया है, २५५ ई पू० तक जीवित रहा ।

इन पाँच राजाओं के शासनकाल की तिथियों का ध्यान में रखते हुए हम इन दिवसों पर चर्चते हैं कि २५५ ई० पू० तक वे सब जीवित थे । इससे यह नतीजा निकलता है कि १३वें शताब्दी में अशोक ने जब उनका उल्लेख किया था वह २५५ ई पू० में पहले ही किया हुआ । हैम ( हार्तड ) के पी एच० एक एवेंसॉन ने ( जिन्होंने हार्ड पर जर्मन आक्रमण से कुछ ही दिन पहले ३० अगस्त १९४० का 'अशोक के १३वें शताब्दी की तिथि' शीर्षक अपना विद्वान्पूर्ण नए प्रकाश मुझे सम्मानित किया था, बहुत निपुणता के साथ शिवाय लगातार बहुत अण्ड इस में वह लिख दिया है कि हममें से किसी भी मूलानी राजा की मृत्यु का समाचार पालिपुर में अशोक के पास तक पहुँचने में ४ वा ५ महीने न अधिक का समय नहीं लग सकता वा इतना एक वर्ष की युवा हम मने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना कि मैंने अपनी अशोक नामक पुस्तक में किया था । बाकी तर्क-विचारक बाद उन्होंने बाकी वा राजाओं एविरस के अलबख्खर और मारुतुस क ममम वा निबन्ध भी निर्धारित किया है ।

राज्य बर्बाद सार्वभौम शासक का यह परम कर्तव्य था कि वह इस समाज-व्यवस्था की रक्षा करे क्योंकि इस व्यवस्था को समाज क त्यागित्व और राज्य के सर्वोच्च धर्म के रूप में व्यक्तिगत के विनाश बर्बाद प्रत्येक व्यक्ति की समता को पूर्णतम अभिव्यक्ति को सुनिश्चित बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था समझा जाता था ।

दण्ड अर्थात् धर्म के रक्षक के रूप में राजा ऐतरेय ब्राह्मण में [VIII २६] राजा को धर्म का रक्षक (धर्मस्य रक्षता) बताया गया है । द्रतपथ ब्राह्मण में [XIV ४ २ २१] कहा गया है कि धर्म को रक्षा करने के लिए अर्थात् 'न्याय के उन विद्यार्थियों की रक्षा करने के लिए, जिनके द्वारा वक्तव्यों को निर्बन्धों को धा जाने से रोका जाता है' (अबलीयान् बलीयांस मा धंसते धर्मैव यथा) दण्ड अर्थात् राजा की आवश्यकता होती है । महाभारत में कहा गया है कि दण्ड के बिना समाज मत्स्य-न्याय की अवस्था में पहुँच जाएगा बिनाम 'भीम एतन्नुसर को मछलियों या कुत्तों की तरह का जाएगा' (परस्परं ममयन्तो मत्सजा इव जले कुसाल् । परस्परं विनुम्भति सारथेया यथामियम्॥) । कौटिल्य ने इसी मत को इस प्रकार व्यक्त किया है 'जहाँ कोई दण्डधर नहीं होता अर्थात् वहाँ न्याय दण्ड चारण करने वाला कोई नहीं होता वहाँ इसका निबन्ध को उसी प्रकार का आते है जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को धा जाती है । परन्तु राज्य का संरक्षण बाकर निबन्ध भी बाधक हो आते हैं' (अप्रचीतो हि मात्स्यन्यायमुद्गाधपति । अलीयावधसर्म हि प्रसते दण्डधरामथे । तेनमुत्त. प्रभवति ॥) [I, ४] । कौटिल्य ने आगे बढकर कहा है कि जो राजा धर्म का रक्षा करता है वह 'इस लोक में और परलोक में सुख का भोग करेगा' (मेत्य वैह च मन्वति) [ I ३ ] । यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि धर्म अर्थात् उस राज्य-विशेष के कानून तथा संविधान को समाजों के भीतर राज्य के प्रबन्ध के माते सार्वभौम शासक अपने राज्य में सर्वोच्च शक्ति का स्वामी होता था (कूटस्थानीयो हि स्वामीति) [VIII २] । कौटिल्य ने यह भी बताया है [III, १] कि वह राजा जो धर्म (सत्यै स्थिताः धर्मः, अर्थात् सम्पनिष्ठ धर्म) व्यवहार (भिर्धारित नियमों) सत्सा (रीति-रिवाज, लोकधार) और न्याय ( विवेक ) क अनुसार शासन करता है (अनु-शासन) वह समूह की सीमाओं तक समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लेगा (अपुरस्तां महि जयेत्) । कौटिल्य का यह भी मत है [IV २३] कि यदि कोई राजा अपनी शक्ति का अर्थ रूप से उपयोग करेगा तो वह स्वयं भी बंध का भागी होगा ( अदण्ड्यदण्डने राजो दण्डतिप्रधत्तुचोन्वति, ) अर्थात् जो राजा किसी निर्दोष व्यक्ति को बंध देता, वह स्वयं उससे तीस-मुने बंध का भागी होता । यह बंध मोक्ष के बाद बंध अन्वय के पाप से मुक्त हो जाएगा (किं तत पयते

पार्श्व रामो बधूपचारजम्) । यह इस सिद्धांत की उसकी चरम सीमा तक पहुँचा देना है परन्तु इसका उद्देश्य केवल इस बात पर जोर देना है कि अंत में धर्म ही सर्वोच्च सामक है स्वयं राजा भी जिसके अधीन होता है । मनुष्य पर विधि व्यवस्था नियमों का शासन होता है ।

जब आश्वपुत्र ने देखा कि मौरवी राजाओं के भूत शासन के अंतर्गत राजाओं के लिए विहित इस उदात्त कर्म का इनम हो रहा है तब उसने इसी मर्म की पूर्ति के लिए स्वयं अश्वपुत्र को सिंहासन पर बिठाया ।

लौकाचार विधि के रूप में हम यत् भी देखते हैं कि विधि के जा सोत निर्धारित किये गए हैं उनमें से एक आचार भी है जिसे क्रीडिन्स ने अरिज या धम्बा अर्पान् उम देग के आचार-स्वच्छाहार तथा रीति-रिवाज कहा है । परन्तु अक्षय-अक्षय कर्मों जानिये ये विधियाँ तथा अमपदा के आचार भी अक्षय-अक्षय होने हैं और इन विभिन्न समूहों को स्वयं अपने लिए कानून बनाने का अधिकार होता है । इसीलिए मनु ने कहा है [VIII ४१ ४६] कि शासक का यह कर्तव्य है कि वह इन विभिन्न स्वशासित समूहों कूल जाति धर्म तथा अमपदा द्वारा अपने लिए बनाये गए कानूनों को माय्यता से तथा उत्तम सामन करवाए । गौतम ने [II २ २ २१] इससे भी आगे जाकर हुएकी स्थापारिषीं पयु पातकों तथा धिमाधारा की धेविषीं अथवा अर्षीं को भी कानून बनाने का अधिकार दिया है । राजा को क्लि अमपदीय या स्वानीय कानूनों को माय्यता ऐसी चाहिए इसके एक उदाहरण के रूप में मनुस्मृति के एक टीकाकार ने 'मामा की ऐनी में विवाह करने के रिवाज का उल्लेख किया है ।

इस प्रकार अक्षय पाँचा एक और सामाजिक ढाँचे के निम्नतम स्तर तक पहुँच गया था और अक्षय के अक्षय के सबसे अधिकाराली साधन के रूप में अक्षय कर रहा था । राज्यमता की कल्पना ही ही दृष्टि में प्राचीन हिंदू साम्राज्य एक नीहित राजतन्त्र था । जिस स्वशासित समूहों पर राज्य की नींव रखी गई थी उन्हीं निम्नतम एक जैसे अनुभव अक्षय का रूप धारण कर लिया था जिसके कारण राज्यमता के विचार पर आशोक मार्कण्डेय साधक निरंकुश नहीं हो सकता था ।

मौर्य साम्राज्य की अक्षय की प्रभावित के इस परम्परागत माँचे में अक्षयता था । स्वानीय सामन-अक्षयता की बाधना ही कुछ नहीं थी कि अपने साम्राज्य के सामन की समस्याओं को हल कर दिया था । मौर्य को केवल प्रभावित की मौजूद अक्षयता का अक्षय करना था ।

अक्षयतात्मक विचार : मौर्य साम्राज्य अनेक उप-राज्यी तथा प्रांतीय में बँटा हुआ था और इनमें से प्रत्येक हिंदू राज्य रूपों में प्रतिष्ठित तथा एक निरक्षय

रुप में इले हुए समूहों पर संगठित था इनकी शासन-व्यवस्था में सबसे ऊपर साम्यपाल होता था फिर मन्त्रि-परिषद् होती थी इससे बाद विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होने से फिर राजमन्त्र के छोटे-बड़े विभिन्न पदाधिकारी हुए थे अलग-अलग अलग-अलग अधिकार-क्षेत्र होते थे और इन पूरे ढाँचे का आधार होता था स्वशासित ग्राम-समुदाय ।

पञ्चगुण मौर्य के शासनकाल में साम्राज्य किन प्रांतों में विभाजित था इसमें बारे में हमें अधिक प्रमाण नहीं मिलते । परन्तु उसने पौष अशोक के शासनकाल के बारे में हमें कुछ प्रमाण मिलते हैं उसने अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित कुछ संस्थाओं में सुधार किये थे परन्तु वेप को अयो-का-स्था बना रहने दिया था । जो नयी संस्थाएँ उनसे स्थापित की थी उनका उल्लेख उसने अपने सिंहासनाभिषेक में कर दिया है । अशोक ने अपने सिंहासनाभिषेक में किन्तु प्रांतों का उल्लेख किया है उनमें से किसी के भी बारे में उसने यह नहीं कहा है कि उसकी स्थापना उसने स्वयं की थी ।

उप-राज्य : उनमें सिंहासनाभिषेक में कम-से-कम चार उप-राज्यों का उल्लेख मिलता है अशोक की राज्याभिषेक इन स्थानों में थी (१) तक्षशिला (२) उज्जैन (३) तासिली और (४) मुबनगिरि ।

इन उप राज्यों के शासन राजकुमार होते थे जिन्हें अशोक के सिंहासनाभिषेक में 'कुमार' या 'आयुध' कहा गया है । अशोक को उसके पिता ने पहले उज्जैन का शासक नियुक्त किया था फिर वह तक्षशिला में अपने बड़े भाई राजकुमार सुमीम के स्थान पर शासक नियुक्त हुआ । अशोक का बेटा जगल तक्षशिला में सम्राट् के प्रतिनिधि के रूप में शासक नियुक्त था । अशोक ने अपने भाई राजकुमार विस्व का अपने स्थान पर राजधानी में काम करने के लिए उपराज नियुक्त किया था । राज्य के उत्तराधिकारी को मुबनगिरि कहते थे ।

कौटिल्य ने [XII, २] यह भी बताया है कि यदि राजा को किसी कारणवश वेध से बाहर जाना पड़े तो क्या व्यवस्था की जानी चाहिए इस प्रकार जो स्थान खाली (गुप्त) होगा उसे भरने के लिए एक पदाधिकारी नियुक्त होगा और उसे सुव्य-पाल कहा जाएगा उसका पर बहुत-कुछ अशोक के उपराज ब्रह्मा ही था ।

उपयुक्त उप राज्यों (राष्ट्रों) में से तक्षशिला पञ्चगुण के साम्राज्य के एक विद्वित उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रांत की राजधानी थी और उज्जैन मध्य प्रांत की राजधानी थी किन्तु उद्योग-धर्म अन्तिराष्ट्र कहते थे [महावंश XIII, ८] ।

मुबनगिरि दक्षिणी प्रांत की राजधानी थी । तौसिली कश्मिर राज्य की राजधानी थी पर वह पञ्चगुण के समय में मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था ।

यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि भारत जिन पाँच प्रांतों में विभाजित था उनके नाम पुराणों में ये बताये गए हैं

- (१) उत्तरीय्य (उत्तरी भारत) या उत्तरापथ ।
- (२) मध्य देश (मध्यवर्ती भारत) ।
- (३) प्राच्य (पूर्वी भारत) ।
- (४) अपरांत (पश्चिमी भारत) ।
- (५) दक्षिणापथ (दक्षिण तथा दक्षिणी भारत) ।

राजा की तरह ही इन उप-राज्यों के शासकों की भी मंत्रि-परिषद् होती थी इन मंत्रियों का बहामान कहते थे । राजा की तरह ही उप-राज्या के शासक भी ग्वाण-मुम्बन्धी प्रमाणन व निरीक्षण के लिए बिदाय मंत्री (अहापात्र) नियुक्त कर सकत थे [बिबिध मेरी पुस्तक अमोक्ष (वैकमिमत) पृष्ठ ५ ] ।

प्रांतों के शासक : उप-राज्यों के अनिश्चित जिनके पासक राजकुमार होते थे कुछ प्रांत भी थे । इस प्रकार के कुछ प्रांतों की राजधानियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में मिलता है जैसे दक्षिण में इमिल तथा रामापा और आजकल के उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निजद कीपाप्नी । इन प्रांतों के शासक प्राये जिन महासात्र' या 'राजुव' बहुसात्र थे जो लाखों लोगों पर शासन करते थे । इन्हें सामन के ब्रह्म व्यापक अधिकार मिले हुए थे [उपरांत] । परन्तु इसके बाद के काल के १५ ई के इन्द्रम के शिलालेख में प्रांत के शासक का 'राष्ट्रिय' कहा गया है । जैसा कि हम पहले बता चुके हैं इस शिलालेख में ही हमें यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है कि ब्रह्मगुप्त के साम्राज्य में पश्चिमी प्रांत का नाम आनन -

इसरी राज

विशाल में भी भीर उलका

## अध्याय ४

### राजा

राजा : उसकी शिक्षा प्रशासन का बहुत काम राजा को स्वयं करना पड़ता था। इस काम के योग्य बनने के लिए उसे विशेष प्रकार की शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी। हम पिछले अध्यायों में देख चुके हैं कि चंद्रगुप्त इस दृष्टि से बहुत ही साम्यवादी था कि आपस-जैसा निष्ठापत पीठित उसका बुरा बना जिसने उसे सभारिका में बाठ बर्ष तक शिक्षा दिखाई। उस सारे बेस में इससे अच्छी शिक्षा प्राप्त करना संभव न था। कौटिल्य ने बताया है [ I ५ ] कि राजकुमारों को जो शिक्षा दी जाए, उसमें क्या-क्या बाते होंगी चाहिए। शिक्षा में सबसे पहला स्थान अनुशासन (चित्त) का बताया गया है जिसमें निम्नलिखित गुण होने चाहिए (१) ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा (सुभूषा) (२) सीखे हुए सत्य पर ध्यान देना (अवचनम्) (३) जो कुछ सीखा जाए, उसे अच्छी तरह समझना (ग्रहणम्) (४) जो समझ में आ जाए उसे हृदयगत करना (आरचनम्) (५) सीखे हुए सत्य को प्राप्त करने के उपाय तथा साधन जानना (विज्ञानम्) (६) निष्कर्ष निकालना (अज्ञा) (७) चिंतन-मनन करना।

क्रिया से केवल उसी प्रकार को बरा में क्रिया या सकटा है, जो इसके योग्य हो उसे नहीं जो इसके योग्य न हो। (क्रिया हि इष्यं चित्तयति नक्षत्रम्)।

शिक्षा में अध्ययन तथा व्यवहार दोनों का ही समावेश होना चाहिए। उसे केवल शैक्षणिक न होना चाहिए।

यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि भारत जिस पाँच प्रांतों में विभाजित था उनके नाम पुराणों में ये बताये गए हैं

- (१) उषोष्ण (उत्तरी भारत) या उत्तरापथ ।
- (२) मध्य देश (मध्यवर्ती भारत) ।
- (३) प्राच्य (पूर्वी भारत) ।
- (४) अपरान्त (पश्चिमी भारत) ।
- (५) दक्षिणापथ (दक्कन तथा दक्षिणी भारत) ।

राजा की तरह ही इन उप-राज्यों के शासक भी भी मंत्रि-परिषद् होती थी इन मंत्रियों का महामात्र कहते थे । राजा की तरह ही उप राज्या के शासक भी स्वयं-गम्यन्त्री प्रथामन के निरीक्षण के लिए विद्युप मंत्री (महामात्र) नियुक्त कर सकते थे [भिंगिए डेरी पुस्तक असीक (मैकमिस्न) पृष्ठ ५ ] ।

प्रांतों के शासक : उप-राज्या के अनिश्चित क्रिक शासक राजकमार होते थे कुछ प्रांत भा थे । इस प्रकार के कुछ प्रांतों की राजधानिया का उम्भन अंतोक के शिष्यामन्त्रा म मिमना है जैसे दक्षिण म इमिस तथा ममापा और आनकन के उत्तर प्रदेश में इलाहाबा के निषट कीमाम्नी । इन प्रांत के शासक 'प्रादे शिक महामात्र या 'राजक' कहलान थे जो सार्यो सारा पर शासन करत थे । इन्हें प्रथम के बहुत ध्यानक अभिचार मिले हुए थ [उपरांत] । परन्तु इसके बाद, क काउ के १५० ई के इरहाम ने शिलालेख म प्रांत के शासक का 'राष्ट्रीय' कहा गया है । जैसा कि हम पहले बता चुके हैं इस शिलालेख से ही हमें यह महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है कि चन्द्रगुप्त के साम्राज्य के पश्चिमी प्रांत का नाम आनन तथा मुराट्ट था । इनकी राजधानी बिरिनगर में थी और इसका शासक वैद्य पुष्यकुष्ठ था । कौटिल्य ने प्रांतीय शासक के लिए 'राष्ट्र-मुख्य' या 'राष्ट्र-नाक' [I १] या 'ईरवर' [II १] शब्दों का प्रयोग किया है ।

## अध्याय ४

### राजा

राजा : उसकी शिक्षा : प्रशासन का बहुत काम राजा को स्वयं करना पड़ता था । इस काम के योग्य बनने के लिए उसे विशेष प्रकार की शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी । हम पिछले अध्यायों में देख चुके हैं कि ब्रह्मुन्त इस दृष्टि से बहुत ही भाग्यवन्त था कि भाग्यवन्त-वैद्या निष्णात पंडित उसका गुरु बना जिसने उसे तत्संज्ञिका में आठ वर्ष तक शिक्षा दिसाई । उस सारे क्षेत्र में इससे अच्छी शिक्षा प्राप्त करना संभव न था । कौटिल्य ने बताया है [ I, ५ ] कि राजकुमारों को जो शिक्षा दी जाए, उसमें क्या-क्या बातें होनी चाहिएं । शिक्षा में सबसे पहला स्थान अनुशासन (विनय) का बताया गया है जिसमें निम्नलिखित गुण होने चाहिएं (१) ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा (सुधुषा) (२) सीसे हुए सत्य पर ध्यान देना (अवधम्) (३) जो कुछ सीखा जाए, उसे अच्छी तरह समझना (अव्युत्थम्) (४) जो समझ में आ जाए उसे सुदृढगम करना (धारणम्) (५) सीख हुए सत्य को प्राप्त करने के उपाय तथा साधन जानना (विज्ञानम्) (६) निष्कर्ष निकालना (अह्ना) (७) चिंतन-मनन करना ।

“क्रिया से केवल उसी पदार्थ को ज्ञान में किया जा सकता है जो इससे योग्य हो, उसे नहीं जो इसके योग्य न हो ।” (क्रिया हि इत्थं विनयति वाच्यम्) ।

शिक्षा में अध्ययन तथा व्यवहार दोनों का ही समावेश होता चाहिए । उसे केवल सैद्धांतिक न होना चाहिए ।

राजकुमार का अपनी पिता वरित (संख्या) और लिखाई (लिपि) में शरम करनी चाहिए और फिर इन विषयों का अध्ययन करना चाहिए (क) यही यानी तीनों वेद (ख) अध्यापकों में अम्बीसकी अर्थात् दर्शनशास्त्र (ग) अनुसूची प्रसाधकों (अध्यक्षों) से शारीरिक जीवन (बाली) के विभिन्न विभागों का ज्ञान और (घ) राज्य-शासन के निष्ठात तथा व्यवहार (बलुप्रयोक्तृभ्यः) के विद्वान् अध्यापकों से राजनीति अर्थात् शासन-कला । राजकुमार को १६ वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और तब विवाह करना चाहिए । उसे अपनी बाननाओं पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि इन बाननाओं का अधीन भूत हुए, भोग विनाश में पड़कर बड़े-म-बड़े राजाओं ने किस प्रकार अपना विनाश को निवृत्त हुआ [ उपरोक्त I ६ ] और किस प्रकार वे राजा जो अपने आत्म-लयन के लिए प्रयास में ईश्वरप्राप्ति को [उपसृत] ।

पिता पूरी कर विवाह करने के बाद भी उन अपने ज्ञान को बढ़ाते रहने के लिए नई-उम लोका का गान करना चाहिए जो ज्ञान के लोभ में उल्लग बड़े हैं (विद्या-बुद्ध-संयोग) ।

प्रातःकाल उभे हाथिया बाइं तथा तथा वैदिक निपाहिया की मीताओं के साथ कठिन का शैव्य प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए ।

तीसरे पहर का समय उम इतिहास के अध्ययन में रूपाता चाहिए, जिसमें निम्नलिखित सब पाठ्य हैं (१) पुराण (२) इतिवृत्त (जतीय का इतिहास) और रामायण तथा महाभारत (३) शास्त्राधिकार (रचनाओं तथा महागुप्तों को कहानियाँ) (४) उदाहरण (किन्हे तथा जीवितियों या एक टीकाकार के अनुसार व्याय मीमांसा तथा उपन्यास-शास्त्र अर्थात् गम् रचनाएँ) (५) धर्म-शास्त्र अनुसूक्ति द्वैती विधि-नित्याएँ और (६) धर्म-शास्त्र ।

ब्रह्मका का समय उम तथा ज्ञान प्राप्त कर और जो कुछ सीता है उसको आत्मगन्तु करने में व्यय करना चाहिए ।

इस प्रकार पिता तथा बिनय प्राप्त कर देने बाद राजा सचमुच अजेय हो जाता है ।

उम कभी भी अनाशयान न रहना चाहिए, बल्कि नई-उम तथा शत्रिय रहना चाहिए (उत्पार्थ बुद्धि) [उपरोक्त १९] ।

दिवसार्थ : प्रशासन के भार का ध्यान में रखकर ही राजा की दिवसार्थ निर्वहण की गई है ।

दिन और रात बाग को आन-आन जगों में बाँट लिया गया था समय का ज्ञान मूर्ध द्वारा या समय-गुचक जसयन द्वारा प्राप्त किया जाता था । इस

प्रकार समय का प्रत्येक ऐसा विभाजन (मासिका) बड़े बट्टे के बराबर होता था । राजा दिन-भर इतना व्यस्त रहता था और उस पर ऐम-यम कार्यों का भार था कि उसकी दिनचर्या साहित्य में हास्य का विषय बन गई है । ब्रह्मकुमारचरित में [II, ८] वसिष्ठ ने कौटिल्य द्वारा राजाओं के लिए निर्धारित दिनचर्या का मजाक उड़ाया है उसका कहना है कि ऐसी दिनचर्या से राजत्व एक असह्य भार बन जाएगा ।

यदि हम दिन और रात की सम्बाँधी बराबर-बराबर मात्रा में और दिन तथा रात के सोकड़ भागों का हिसाब करने में सपाएँ तो राजा की दिनचर्या इस प्रकार होगी

रात्रि में १॥ से ३ बजे तक—सयौठ या घड़नाई की आवाज (दूर्य-बोप) सुनकर सोकर उठना धर्म के भावनों (शास्त्रम्) तथा आध्यात्मिक विचारों के विचार करना ।

प्रातःकाल ३ से ५॥ बजे तक—नीति तथा योजनाएँ निर्धारित करना और उनमें अनुसार अपने गुण दूत भेजना ।

प्रातःकाल ५॥ से ६ बजे तक—यज्ञ कराने काय पुरोहित राजपुर तथा कृक-पुरोहित के साथ बैठना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना (स्वस्वायम्) विभिन्नसक पाठ्याका के पदाधिकारियों तथा अतिथियों से भेंट ।

प्रातःकाल ६ से ७॥ बजे तक—बरबार (उपस्थान) में बैठना और वहाँ अपने वैदिक तथा ब्रह्मीय परामर्शदाताओं से रिपों सुनना ।

प्रातःकाल ७॥ से ९ बजे तक—बरबार (उपस्थान) में बैठना और वहाँ नगरपाला तथा ग्रामपाला जमता की समस्याओं पर विचार करना और उन्हें बिना किसी रोक-टोक के बरबार में जाने देना ।

प्रातःकाल ९ से १०॥ बजे तक—स्नान भोजन तथा धर्मग्रंथों का अध्ययन ।

१॥ से १२ बजे वापहर तक—पिच्छल दिन की बची हुई स्वर्णमुद्राएँ बसूरु करना (हिरण्यप्रतिग्रहं पतत्रिषसोत्कृतघनस्वीकारम्) ; विभागाध्यक्षों की समस्याओं पर विचार करना और उन्हें काम सौंपना (अध्यक्षान् कूर्चोत्त कामविशेषेषु निमुञ्चति) ।

१२ बजे वापहर में १॥ बजे तक—मन्त्रि-परिषद् के साथ पत्र-व्यवहार गुणबदों के साथ बैठकर आसूरी की योजनाएँ बनाना ।

तीसरे पहर १॥ से ३ बजे तक—मन्त्री-जन तथा विद्याम और अपनी नीति पर विचार करना ।

तीसरे पहर ३ से ५॥ बजे तक—मना अरब-सना हाथियों तथा मन्त्रायार का निरीक्षण ।

संख्याकाल ५॥ से ६ बजे तक—सैनिक शक्ति के विषय में प्रबल सेनापति से परामर्श सम्पादकालीन प्रार्थना ।

संख्याकाल ६ से ७॥ बजे तक—गुप्त दूर्तों से भेंट ।

रात्रि में ७॥ से ९ बजे तक—दुबाह स्वाम तथा भोजन और तदुपर्यंत धार्मिक चिंतन ।

रात्रि में ९ से १०॥ बजे तक—संघीत सुनते हुए विद्याम क लिए बैठना ।

रात्रि में १० से ११ बजे तक—मित्रा ।

राजा के लिए यही दिनचर्या निर्धारित की गई थी ।

एक प्रकार से हुए राजा के लिए यह एक आदर्श था । उस अपनी दिनचर्या बदलने बिन और रात के विभाजनों को अपनी इच्छानुसार विभाजित करने और अपनी क्षमता के अनुसार अपने दूरियों को पूरा करने का पूर्ण अधिकार था ।

उपस्थान तथा अल्पाचार : उपर्युक्त दिनचर्या को देखने से पता चलेगा कि राजा ९ बजे रात्रि से प्रातःकाल ५॥ बजे तक पारंपरिक काम से छूटती गहन विभाम करता था । उसके बाद विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक कार्यों का दैनिक क्रम आरंभ हो जाता था । इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण काम रोज दरबार में बैठना था जहाँ वह साम्राज्यलया प्रातःकाल ९ बजे से तीन घंटे समय व्यतीत करता था स्वयं विचार का निबटारा करता था । प्रत्येक व्यक्ति का किसी भी शक्रे का निबटारा करने के लिए दरबार में विना रोक-ताफ मान की इजाजत थी । यह बताया गया है कि जिन राजा गुरु प्रजा जागामी न गद्दी पर्युक्त शक्रे (शुद्ध) और या अपना काम गुरु-नर्तकानियों का गौरव देना है वह न केवल अपने काम में सचरी पैदा करता है यन्त्रि जन-शासन में विज्ञान की जायदा भी जामून करता है । यह ध्यान ध्यान न करने योग्य है कि उपस्थान उग स्थान का बहुत पदा साग राजा का दर्शन करने के लिए प्रतीक्षा करने हैं (उपस्थिति-संश्लेषादिना राजापालन इति उपस्थानपुहन्) (अवगान्त ८ १ एक अध्याय का टीकाकार) ।

जिन कार्यों पर राजा की स्वयं विचार करना चाहिए उनमें देखनेवाली संख्या निर्यादि विचारविचारों विज्ञान शक्तियों (शोषित) पशुका पवित्र स्वार्थों नाशान्तिता बुद्धावस्था रोम अथवा किसी दुर्घटना के कारण अद्ययन हो जाने काय सोना अनाथा तथा विधियों की समस्याका वा उत्प्रेषण किया गया है । इन समस्याओं पर उसे इसी क्रम में या समस्या-विशेष के अन्तर्गत तथा गभीरता की दृष्टि से विचार करना चाहिए । अन्तर्गत में राजा के बारे में यह कहा गया है कि उन सभी साम्राज्यिक कार्यों की मील गुरुण ध्यान देना चाहिए । (और इन नाम का बिना किसी विचार के गौरव निपटा देना चाहिए ।)

यह भी कहा गया है कि जिन समय यह उपामना-मूह (अप्यमागार) में बैठा हो उस समय उस अपन प्रधान पुराहित तथा राजगुरु के साथ मिलकर चिकित्सका तथा उपस्थितों से सम्बन्धित कामों पर विचार करना चाहिए।

अन-साधारण से मिथिल समय राजा की मूर्खा के लिए कौटिल्य ने यह व्यवस्था बताई है [ I २१ ] कि राजा को अपरिचित लोगों सायुध्या तथा उपस्थितों से उक्त समय तक नहीं मिलना चाहिए जब तक कि उसका विस्वस्त भग रक्षक (आप्तसस्त्रप्रहाषिष्टित) उसकी रक्षा के लिए मौजूद न हो। उक्त चिन्तनों के राजाओं के राजदूतों से भी उसी समय मिलना चाहिए जब पूरी मन्त्रि-परिषद् उपस्थित हो (मन्त्रिपरिषदा सामंतवृत्तम्)।

राज्य के लिए आवश्यक मुक्त : अतः में अर्धशास्त्र में राजा के लिए यह सारथ्य आदेश दिया गया है "निरंतर अपनी प्रजा के हित के लिए (उत्थानम्) काम करना ही राजा का प्रथम है प्रथम का काम (कार्यमुद्यत्तम्) ही उसके लिए श्रेष्ठ धार्मिक कर्म है। सबके साथ समानता का व्यवहार करना ही उसका सर्वोच्च दान (वक्तिना) है।

"प्रजा के मुक्त न ही राजा का मुक्त है जो जोड़ उगे रचिस्वर हा उनमें नहीं बन्दि प्रजा को मनाई मे ही उसकी मनाई है। प्रजा के सुख न ही उसे अपना सुख मोजना चाहिए।

इस प्रकार अन-कस्याप का ही प्रथम का सफलता का आधार' बताया गया है (अर्धस्य मुक्त उत्थानम्) [ I, १९ ]। एक दूसरे प्रसंग में [ VI १ ] कौटिल्य ने राजा के गण यं बनाए है कि उसमें उत्साह का वास्तव्य होना चाहिए जोर उस किना काम में विश्वास न करना चाहिए (महोत्सहो अवीर्यसूतः)। और कौटिल्य ने यह भी कहा है [ XII, ११ ] जो राजा दैवतानी (द्वैतप्रमाणः) होगा जिसमें अकिंच का अभाव होगा (मानुषहीम) या जिसमें पदस करने की शक्ति न होयी (निरारंभः) वह संकट में फँस जाएगा।"

कौटिल्य को इन चलाचलिया की प्रतिध्वनि अज्ञान के छठे शिवात्मक न मिसरी है "कारण कि कोई प्रयास करना (उत्थानम्) या किसी कार्य को पूरा करने (अर्धशरीरथ) में ही मुक्त कोई मतीय नहीं मिलता। वास्तव में सबके कस्याप (सर्व-सोक-हितम्) के लिए सपष्ट रहना ही मेरा परम कर्तव्य है। परन्तु उसका भी तो मूर्ख नहीं हो बाने है प्रयास (उत्थानम्) और कार्य-मुक्ति। सोक-कस्याप के लिए प्रयत्नशील रहन न बड़कर कोई दूसरा काम नहीं है।

अधोक की वितर्कना यह बात ध्यान देने योग्य है कि अधोक की वितर्कना भी कौटिल्य द्वारा निवारित वितर्कना के ही अनुकूल की। अपने छठे मिलापेस में अधोक ने कहा है कि चाहे मोजन करत समय या अपन रनवास में (ओरो-

धर्महि) या राज प्रमाद के पीछरी कर्षों म (गमापारहि), या पशुपाला में (बर्षहि) या बर्षोंदेस गुलन समय (बिनीरहि) या उद्यान म (उपातेसु) हर समय और हर जगह बहु साबजनिक कार्य क लिए सबैक तत्पर रहता है बाह बहु घासन-सम्बन्धी कार्य काय हा (बर्ष-कर्म) या किसी को कोई रिपाटे देना ही (प्रतिबेदनम्) ।

मेघास्पनीय की शाली : इस विषय में मेघास्पनीय ने जो कुछ लिखा है उसमें पता चलता है कि राजाभा क लिए निर्धारित यह दिनचर्या केवल एक बारसों परामर्श-भाष नहीं बा । मेघास्पनीय ने स्वय अपनी बीका से देखा बा कि मघाद् बर्षाद् ब्रह्मगुप्त लिखता व्यस्त रहता बा और दिन प्रकार बहु हर समय सार्वजनिक कामा से भेजा रहता बा । मगास्पनीय ने लिखा है 'राजा दिन म नहीं मना । केवल पुत्र के समय ही नहीं बकि बिबादों का प्रैमसा करने के लिए भी बहु राज-भाताह से निकलना है । ऐम अवसथा पर बहु दिन भर का (गमा) म रलता है और इस काम म कोई बिघ्न नहीं पड़ने देना चाहे इस बीच में उस भाली वैयक्तिक जाबदवतगामा की भार ध्यान देने का ही समय क्यों न आ जाय' [मैकक्रिटिक ऐंसेट इंडिया, पृष्ठ ५८] । कटियम ने भी लिखा है [VIII, ९] 'राज प्रसाद में कोई भी जा-जा सकता है चाहे राजा उस समय भयम बाक लैबास और रूप पहनने में ही क्यों न व्यस्त हा । उसी समय बहु राजदूती म साशास्कार करता है और अपनी प्रजा का स्वाय करता है । [उपरोक्त]

इस बतने है कि यूनानियों की बीका-देवी मारी म कोटियस क कबल की रिक्तनी पुष्टि हुनी है । दाता ही से हम पता चलता है कि प्रजा की हर समय राजा तक पहुँच बा और उल्लस काम का सपिदास बिबादों को निबलना बा । मेघास्पनीय ने त्रिम कार्म (मघा) कहा है उस कोटियस म उपम्बाल तथा अध्या गात्र कहा है । मेघास्पनीय ने ता राजा के स्वाय करने या बिबाद का प्रैमसा करने का ही उल्लस रिखा है पर कोटियस ने राजा क प्रशासनिक कार्य का उल्लस अधिक स्पारत अर्थ म किया है त्रिमम प्रजा के साबेदनी पर तिभय देना भा सामिल है । कोटियस की बर्नाई दिनचर्या म यह भी स्पष्ट है कि बिबादों का प्रैमसा काय म बडा सामानी से बहु पह समय भी जना जाय हागा बा राजा के स्वाय तथा भाजन के लिए रला गया बा जगा कि यूनानी संगर ने लिखा है । बर्नाकि इस दिनचर्या में यह पता चलता है कि राजा प्रातःकाल ९ से ० पर तक उपम्बाल म है हर सार्वजनिक काम निबलना या त्रिमके बाद स्वाय का समय जाता बा । यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि कोटियस की योजना क अनुसार राजा भाजन में बाण दापर क ? पर में नील यह एक अन्य प्रयत्न-

करबन्माताकारकम वास्यः कर्मुः )। कौटिल्य के कथनानुसार राजा के यहाँ उसकी सेवा-टहल करने के लिए नियमित रूप से कुछ गणिकाएँ नियुक्त रहती थीं जिनकी तीन श्रेणियाँ होती थीं। इनमें सबसे निम्न श्रेणी की गणिकाएँ राजा का छत्र तथा साने का बछरा ( छत्रगुरुवार ) लेकर चलती थीं दूसरी श्रेणी की गणिकाएँ पंचा शुकती थी और तिस समय राजा पालकी में बैठता था उस समय उसकी सेवा करने के लिए उपस्थित रहती थी ( व्यवहन-शिक्षिका ) ; और सबसे उच्च श्रेणी की गणिकाएँ उस समय उसकी सेवा करती थी जब वह सिंहासन पर या रथ पर बैठा होता था ( पीठिका-रक्षेपु ) । जिनकी उमर ठसने लगती थी वे राज-प्रासाद के भंडार ( कोष्ठागार ) में या रगोर् ( म्हालसे ) में काम करने के लिए भेज दी जाती थी [II २७]। २४ • पण की रकम जमा करके ( शिक्षिक्य ) कोई भी गणिका दूसर प्रचार वा जीवन व्यतीत करने के लिए मुक्ति प्राप्त कर सकती थी ( उपरोक्त ) । राजा के सम्मुख माग्ने-माने के लिए आठ वर्ष से अधिक आयु की सड़कियाँ नियुक्त की जाती थीं ( अष्टवर्षस्त् प्रमुति राज्ञः कृद्गील्लव कर्म कुर्यात् ) ( उपर्युक्त ) । इस प्रसंग में हम महा स्वनीच का यह बचतभ्य भी उद्धृत कर दें [ भाग XXVII ] कि “जो स्त्रियाँ राजा की किसी सेवा करती थी उन्हें उनके माता-पिता से खरीदा जाता था ।

यह बात भी उल्लेखनीय है कि भग्नग में मूर्तिकला की इतियों ( सगभग ईसा-पूर्व दूसरी सतासी की ) में एक कुतूम वा चित्रक किया गया है जिसमें एक स्त्री सजे हुए घोड़े पर सवार है और हाथ में गददध्वज किये हुए है [ ए वाइड हू स्कम्पबस इन दि इंडियन म्युजियम I २४ ] ।

आखेट : यूनानी लेखकों के अनुसार राजा तीन बखशों पर राज प्रासाद से बाहर जाता है और बन-साधारण के बीच घूमता-फिरता है। “एक तो बियाहों को सुनवाई करने जिसमें वह सारा दिन व्यस्त रहता था वैसे कि हम ऊपर बधा जाए हैं। दूसरे, जब वह शिकारी स्त्रिया से घिरा हुआ शिकार खोजने निकलता था वैसे कि ऊपर बचन किया जा चुका है। “रस्त्रियाँ ठानकर माग की सोमाएँ निर्धारित कर दी जाती है और जो भी इन सीमाओं को पार कर स्त्रियों के बीच जाता वह छोरल मीठ के घाट उतार दिया जाता। डोल पीठवे हुए और पंटे बनाते हुए कुछ सोन जाने-जागे चलते हैं। आखेट-क्षेत्र में पहुँचकर राजा एक ऊँचे स्थान से बैठकर बाण बजाता है, और बा या तीन ससस्त्र स्त्रियाँ उसके पास खड़ी रहती हैं। जब वह किसी ऐसे स्थान में शिकार खोजने जाता है, जो चारों ओर से घिरा हुआ न हो ता वह हाथी पर बैठकर निघाना घामता है।

यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि कौटिल्य ने राजा के बिहार बचवा भीड़ा के लिए जल्ग एक एसा बन हाने की बात लिखी है [ II, २ ] जिनमें



का त्याग कर बिना मत गया राजाशा का फटा क लन म आगन की अनुमति थी ।

हीरू उस समय में भाग्य क बाद राजाओं की सर्वप्रिय चीज़ा हीरू थी । बहगुप्त के समय में एक नाम मम्म क बिन हण म "जो पाड़ा के बराबर तब भाग परत थी । इस प्रकार क हा बीमो बीर उनक बीच में एक बोड़े को एक माड़ी में जाल दिया जाता था । हीरू लगभग पौन का मील की हस्ती थी और राजा तथा उनसे सामत इन हीरू म माने और धारी का सम्बा जुआ सम्भो ब । कीटिय मे भी ऐंठ बीरों का उल्लेख किया है जो पाड़ा क बराबर सेइ हो सकत थे (बलीचर्याना बस्मान्बभ्रपतिवाहिला) [ II २० ] ।

पशुओं की सड़ाई : राजाओं की जय्य घोडाया म गड्डिबन ने तो इसका भी उल्लेख किया है कि उस समय म गाय तीर पर कुछ कावों को पाया जाता था कि उनका पशुओं का मोति सड़ाया जाय । परन्तु उवादातर सड़ाइया 'गुंगार सांगदार जानवरो के बीच' सड़ा जाती थी "जा एक दुमरे को सीगा से मागने से जैसे बननी बीर पापनू दुम्ब और पीडे । हाथियों की भी सड़ाइया कराने जाती थी । बीच-निकाय मे इस प्रकार की चीज़ा का 'यमाज' कहा गया है और उयनी निहा की गई है और "हाथियों पाड़ों मेंसे बीमो बबरा तथा दुम्बा" जैम पशुओं और "मुषी तथा बटेरा बीच पतिवा की सड़ाइयो का वर्णन किया गया है ।

राजा की सवारी तीसरा अवसर जब राजा जन-साधारण के बीच जाता था वह किसी धार्मिक समारोह या किसी धार्मिक यज्ञ का अवसर होता था । जैसा कि पचावा न कहा है [ XV १६ ] इन समारोहों के अवसर पर राजा की सवारी में छान और चौरी में जामूपधों म सुतजिब्य कई हाथी चार घोड़ों वाले रथ और बीमों की जोड़ियाँ चलती थी । उसके बाद बहुत से गीकर-बाकर अपने सबम मच्छ बस्त्र पहनकर पन्ना बैरुय साम जादि रत्नां म जटिल सोने के सुरापान और मुचहियां छ-स छू चौड़ी मेरों राजसिंहासन धारे के बड़े-बड़े तसले तथा परातें छरी-कमरबाब भादि के वस्त्र मीस पीते पास्तु घेर भादि बग्य पशु और नामा रत्नां की सुटीली चिड़ियां लेकर चलते थे । स्के टाकोस ने "चार-चिड़ियों वाली ऐंगी गाड़ियों" का उल्लेख किया है "जिन पर बड़े पत्ते वाले पत्र छडे हान मे जिन पर नाना प्रकार की पास्तु चिड़ियां पिंजरो में मटकी खड़ी थीं जिनमें उसने क्रियान पत्ती का सबसे सुटीला बताया है उसने कतेरु नामक एक दूसरे पत्ती का उल्लेख किया है जो वेगन में सबसे सुन्दर होता था और जिसके पर ननक रंगों के होते थे ।"

राज-बरबार का बीमक : कीटिय म बहगुप्त मीय के धामननाम न भारतीय

राज दरबार के समय का उल्लस इन घर्षों में किया था "जब राजा जन साधारण के बीच दान देने की हुआ करता है तो उसके नीकर चाकर राज में चौरी की घुपदानियाँ सहर चरुत है मीर जिस मान स राजा की उबारी निकरणी की उस पूरे मार्ग का बूपाहि स मुगबिठ करतें थे । राजा रस-जामुपगो स मुगबिठ हंकर मोर काठ रज क तथा मने क तार क बस-बूटा स कटे हुए बड़िया मकमस क बसर पहनकर मान की पासकी में बैठता था । पासकी क पीछे सवासर सैनिठ और उमक अगसरक पटल क जिनम कुछ अगने हाथो म पड़ी की कास निम रहते थे जिन पर सपाये हुए परी बैठ छठ थे जो बीच-बीच म अपनी भासिया से इस कार्यक्रम का मम करने रहतें थ ।

बुद्धाकर्म : श्वाशी क कपतानुमार जब अपन अम शिस पर राजा अपने बास घाता था तो राज-दरबार म बन्धु ममारहा मनावा जाता था । मीम राजा का बहुमस्य उपहार भजने थे और प्रत्यक व्यक्ति अपनी धन-सम्पदा क प्रदर्शन में अपने पनासिया से हाइ करता था [XV L १९] राजा "पगुआ क उपहार, जिनम टिरल वारहमिने या गीठ आदि जगमी जानकर भी घामिठ थे या सारम हस बतल कपुनर आदि शिसिया के उपहार" उनके अधिक पसर करता था । भागवामी अपन राजा को पासमू घर पाछुनू भीते हुतवामी बेस या पाठ पील रंय क कबतर निचारी बल और बहर आदि साकर उपहार म दन थ (एडमियल पुष्ठ १४४ मैरीशिक हुत ऐंसेट इंडिया) ।

हासियों की सलामी : हमे इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि राजा को शीरीग हापी लजामी बैठ थे । सबसे पहले हापी का हम तरह सपाया जाता था कि जय राजा ग्याय करल जाता था तो बहु उसका बनिवारन करता था । र्थ ही राजा निकलता था बहु हापी महाबत क अकस का सतठ पाते ही उसे सैनिठ सलामी देना था (मेवास्वनीय अष्ठ २५) ।

यात्राएँ : राजा की यात्राओं क बारे म यह उल्लेख मिलता है कि "जब जे कोई छाी यात्रा करनी होती थी तो बहु बा" पर सवार हुकर जाता था परन्तु जब उस कहीं दूर जाता हुंता था तो बहु हासियों पर हीरा कमवाकर उसमें बैठता था और पतलि थ हापी बहुत विजासपाय हुते थे पर उनक पूरे घरीर वर साने की घुमें पने रहनी थी । (उषमुक्त)

हमें इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि इन यात्राओं क शीरान में राजा मला मंत्रन शिसा से पकवाता था [श्वाशी VIII ९] ।

कोटिस्य क कपतानुमार, जब कभी राजा पूरी सैनिठ शास-सग्रा के घाय प्रम्नत की गी गना का निरीक्षण करल जाता था तो बहु स्वयं भी पूरी सैनिठ सेवनुग में घा" रज या हापी पर सवार हुंकर जाता था ।

यात्रा के समय बाहू बहू यात्रा पर जा रहा हा या यात्रा स मौन रहा हो (निर्वाची अभियाने व) मार्ग क बोना मार (उपपत्तः) काठाबंद पुस्तिका (बहिर्दिकः) राहो रहती थी जो मार्ग पर निर्मा भी सगस्य व्यक्ति (अपास्तप्रवृत्त) साब या अयोग व्यक्ति का नहीं जान देती थी। राजा भीड़ न नहीं मुसठा वा (न पुपयत्तन्वापनवपाहेत्) (उपपुस्त)।

कौटिल्य ने लिखा है कि राजा समारोहो क मबसर पर निकलने बाव जुमूसो (पामाभो) समनेठ जन-समुदायो (समात्र) बमनोत्सव जैसे उत्सवा और उद्यान भोजा आदि को देखने मो निकलना या पर केवल उनी दया में जब वहाँ उसको सुरसा के लिए सैनिका (ब्रह्मपिका) की उचित व्यवस्था हा (उपपुस्त)।

सुरसा की व्यवस्था : कौटिल्य ने यात्रा के समय राजा की सुरसा क लिए हर समय उपाय का आयोजन रखा है। कौटिल्य न कहा है कि राजा उम समय तक झिनी रब या छोटे या हावी पर (पालवाहून) सवार नहीं होगा जब तक उसक निरवस्थ बहिर्कारी इनके निम्नसर्तीय हाने वा प्रमागरक न ब दे। बहू जाव पर भी उही समय बरना जब कोई विस्वस मप्याउ उम य रहा हा और उसके साथ एक बुरती गाव धँधी हुई हा। परन्तु बहू किनी भा बना में गयो किसी गाव पर मही बैठेगा जिसे कनी भा जावी आदि न बाग्य (बात्रवेगबां) ऐसी दति पडुंनो हो कि बहू जल मे बन्ने याम्य न रह गई हा। (उपपुस्त)

राज-प्रासाद जब हम साम्राज्य की राजधानी पाण्डिपुन म स्थित राज प्रासाद के बीमब का बबत करने। एहस्थित क मनातुमार, मेनताम राजावा के मूमा मामक नगर का सम्मूम बीमब और एकबातन को सारी भय्या" भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी।

“राज-प्रासाद को घोमा बडाने के लिए हर ओर सुनहरे स्तंभ हैं जिन पर चारों ओर सोन की अंगूर की बेलें उनसे हुई बनायी गई हैं। इन ककारमकता में बीभिय्य उत्पन्न करने के लिए जगह जगह उन बिड़िया की चारों की मूर्तियाँ कनी हैं जिन्हें बबते हो बित्त प्रसन्न हो उठता है।”

राज प्रासाद एक बिसूत उद्यान में स्थित वा। उनने लिखा है कि उनमें अर्धस्य “पाछनु मार और जीवक पनी हैं। छायादार कुंज और बुसों के एत शुरुमुट हैं जिनको टांसे उद्यान-कला की किसी बतुर बिधि से एक-दूसरे में उछाती रहती हैं। ये बुस सबैब हरे नरे रहते हैं, न कनी सूखते नहीं और उनकी पतियाँ कनी नहीं झड़ती। इनमें से कुछ बुस हमी देण के हैं और कुछ बिचों से बड़ी छावधानी से काये यए हैं। ये सब बुस राज प्रासाद की घोमा बडाने हे। वहाँ पली स्वच्छंद तथा जगमुक्त हैं। ये अपनी इच्छा स वहाँ भाते हैं और इन

राज-दरबार के बीच का उत्सव इन दिनों में किया था "जब राजा बल साधारण के बीच बहाने बन की हुया करता है ता उसक नीकर चाकर साथ में बाँध की घुपानियाँ लकर बल्लत है और तिस माय स राजा की सवारी निक-सती थी उठ पूरे मार्ग का सुपावि स सुगन्धित करते ब । राजा रत्न-सामुयणों से सुसज्जित होकर और आस रथ के लबा साने के लार के बेस-बुटा स चले हुए बढ़िया मलमल के बस्त्र पहनकर साने की पालकी में बैठा था । पालकी के पीछे सशस्त्र सैनिक और उसके अगलठक बछल स त्रिम कूछ अपने हाथों में पेड़ों की डाल भिन्न रहने थे त्रिम पर सबाये हुए पत्ती बँधे रहते थे जो बीच-बीच में अपनी आसिया से इस कार्यक्रम का मज करते रहते ब ।

**सूडासर्म :** सदाओं के बचनानुसार जब अपने जन्म-दिनस पर राजा अपने आठ पाठा था तौ राज-दरबार में बल्ल मनारह मनया जाता था आग राजा का 'सदुन्स्य उपहार मेरने से और प्रयुक्त व्यक्ति अपनी मन-सुमदा के प्रबर्धन में अपने पनासिया में ही करता था" [XV I १९] राजा पनुभा के उपहार, त्रिममें हिरन बारहसिंगे या गैड आदि जंयपी जातकर भी आसिस से या सारण हूछ बसस कबुतर आदि चिन्तियों के उपहार" सदैव अधिक पसंद करता था । भारतवामी अपने राजा को पालतू घट, पालतू पीठे हुपामी बैस या मार पीसे रग के कजगर निकारी बने और बरर आदि लाकर उपहार में देन थे (एरतिव्यन पृष्ठ १८८ मौर्यचरित हय ऐंसेट इंडिया) ।

**हाथियों की सलामी** हम इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि राजा को शौराग हाथी सलामी देन थे । सबसे पहल हाथी का इछ लच्छ सभाया जाता था कि जब राजा ग्याय करने जाता था ता बहु जसदा अभिचारन करता था । जैसे ही राजा निकलता था बहु हाथी महाबल के अकल का सकेट पाते ही उसे सैनिक सलामा देता था (मसाम्भनीय अध २५) ।

**पशुएं** राजा की सलामा के बार में यह उल्लेख मिलता है कि "जब उसे कोई सानी पशु करनी हेली थी ता बहु पाद पर सवार हाकर जाता था परन्तु जब उसे बड़ी दूर जाना हाता था तौ बह हाथियों पर हीदा कमबाकर उसमें बैठता था और पदवि में हाथी बहुत बिलासकाम हलें से पर उनक पूरे शरीर पर साने की साने पड़ा रणी थी । (उपसुक्त)

जैसे इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि इन सलामाओं के शीघन में राजा जाना भोजन किया स परजाता था [स्यारो VIII ९] ।

**कीर्तिस के कपशाकुमार,** जब कभी राजा पूरी सैनिक राज-सज्जा के साथ प्रस्तुत की गई गता था निर्दोष बन जाता था तौ बहु स्वयं भी पूरी सैनिक सज्जामा में पाद रव या हाथी पर सवार होकर जाता था ।

यात्रा के समय चाहे वह यात्रा पर जा रहा हो या यात्रा से लौट रहा हो (निर्वाचो अभिपाने च) मार्ग के बानो भार (चक्रपत्त) साठोबंद पुलिस (दण्डिभि) सड़ी पड़ती थी जो मार्ग पर किसी भी शरत्स्य व्यक्ति (अपास्तद्वयप्रहस्त) साथ या अलग व्यक्ति को नहीं माने देती थी। राजा भीड़ में नहीं घुसता था (न पुण्यसम्भाषमवपाहेत्) (उपर्युक्त)।

कौटिल्य ने लिखा है कि राजा समारोहों में भवसर पर निकलने वाले चुल्लुओं (यात्राओं) समवेत जन-समुदायों (समाज) बसठोत्यब-वैस उत्सवा और उद्यान भोगों आदि को देखने भी निकलता था पर केवल उसी दशा में जब वहाँ उसकी सुरक्षा के लिए सैनिकों (दद्यार्चयिका) की उचित व्यवस्था हो (उपर्युक्त)।

सुरक्षा की व्यवस्था कौटिल्य ने यात्रा के समय राजा की सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय का आभोजन रखा है। कौटिल्य ने कहा है कि राजा उस समय तक किसी रथ या घोड़े या हानी पर (यात्रावाहनं) सवार नहीं होया जब तक उसके विरवस्त अधिकारी इनके विपुलसनीय होने का प्रमाणपत्र न दे दे। वह यात्रा पर भी उसी समय चढ़ेगा जब कार् विस्वस्त मन्त्राह उस परे रहा हो और उसके साथ एक दूसरी नाव वैधी हुई हा। परन्तु वह किसी भी दशा में ऐसी किसी नाव पर नहीं बैठेगा जिसे कभी भी भीषी आदि न कारण (बातवेगघरां) ऐसी क्षति पहुँची हो कि वह जल में लडन योग्य न रह गई हा। (उपर्युक्त)

राज-प्रासाद जब हम साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित राज-प्रासाद के बँसव का वर्नन करते। एरुसियन के मतानुसार 'मेमनोन राजाओं के सूत्रा नामक नगर का सम्पूर्ण बँसव और एकबाहन की सारी मय्यता' भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी।

"राज-प्रासाद की घोषा बढाने के लिए हर ओर घुमहरे स्वयं हैं जिन पर पारों ओर सोने की अंगूर की बेंसें उमरी हुई बनायी गई है इस कसात्मकता में वैभिय्य उत्पन्न करने के लिए अगह-अगह उन चित्रियों की चाँदी की मूर्तियाँ खयी हैं जिन्हें देखते ही जित्त प्रसन्न हो उठता है।

राज-प्रासाद एक विस्तृत उद्यान में स्थित था। उसने लिखा है कि उसमें अर्धव्य "पाङ्गू मोर और भीबरक पक्षी हैं। जामादार कुंज और बृशों के ऐसे शुरुमुट हैं, जिनकी डालें उद्यान-कसा की किसी बसुर बिधि से एक-दूसरे में उछली पड़ती हैं ये बृख सदैव हरे-नरे रहते हैं, न कभी सूखते नहीं और उनकी पतियाँ कभी नहीं सड़ती। इनमें से कुछ बृख इसी देख के हैं और कुछ बिसेसों के बड़ी सावधानी से छाये गए हैं। ये सब बृख राज-प्रासाद की घोषा बढाते हैं। वहाँ पक्षी स्वच्छंद तथा उन्मुक्त हैं। वे अपनी इच्छा से वहाँ भात हैं और इन

भूमि पर अपना साम्राज्य बसाते हैं। इनमें ज्ञान प्रकाश के पसी होने से पर-  
 तन नहीं विभक्त रूप में रने गए हैं और वे मूढ़ बचकर राजा के चारों ओर  
 मड़ते हैं। इस राज-विदार में अनेक दृष्टि विद्यालय उदय हुए हैं जिनमें बहुत  
 बड़ी-बड़ी मठभियां रखी जाती हैं पर वे किसी प्रकार ज्ञान नहीं पहुंचाती।  
 अनेक साम्राज्य में राजद्वारा वे अतिरिक्त किसी का इन मठभियों का  
 विकास करने की इच्छा नहीं होती। ये बालक इन समाजों के साथ जब वे  
 मठभियों पढ़ने का आनंद लेते हैं तथा अपनी नाईं बलाना सीखते हैं और उन्हें  
 दुःख का भी कोई पता नहीं रहता।

राज-शासन के भीतर : राज-शासन के बाहरी भाग तथा उसके अन्दर  
 का अर्थ पूरानी लेखों में उपर्युक्त भागों में दिया है परन्तु राज-शासन के  
 अन्दर भाग की विस्तृत जानकारी हमें कौटिल्य से प्राप्त होती है [I २० २१]।  
 राज-शासन की शुरुआत के लिए उसके चारों ओर प्राचीर और एक गार्ड होती थी  
 (समाचार-भरिता)। राज-शासन के निचले भाग में स्थिता के निवास-अवस्था  
 होते थे जिनके साथ प्रत्येक में उपयोगी औपचारिकों के सटार भी होने थे।  
 इन कक्षा के बाहर राजद्वारा तथा राजभारिणों के निवास-अवस्था हल थे। इनके  
 सामने शूभार रथ (अंतर्गतभूमि) परामर्श-अवस्था (मंत्रभूमि) राजद्वारा  
 (उपस्थान) और मुख्यालय (कुमार) तथा विभिन्न विभागों के अध्यक्ष के प्रा-  
 मर्श सचिव (अध्यक्षता) होने थे। इन कक्षा के बीच में वे प्राचीर स्थाप-  
 ना का उनका उत्तम की रखा करने वाले सैनिक (अंतर्गतसैनिक) सैनिक  
 रहते थे। राजद्वारा की एक विशेष गार्ड (अध्यक्षता) विभाग ८० पुरुष तथा  
 ५० सिक्का (या ८ वर्ष के बूढ़ पुरुष तथा ५० वर्ष की बूढ़ स्त्रियां) होती थी  
 उत्तम में सैनिक आचार्य के पास पर इतिहास की (उपर्युक्त)।

राजा के अपने के कक्ष अलग हुए थे। प्रायः राजा अपने कक्ष में उठता  
 था या प्रदक्षिणी सिक्का (समीपमेसमिति) का उनका अग्रगण्य के लिए नियुक्त  
 होती थी उनका स्थापना करनी थी। दूसरे कक्ष में अन्न तथा पानी पानाने वाले  
 उद्योगिकी सेवा अन्न वस्त्र सेवा तथा मनुष्य सेवा उद्योग स्थापना करते थे।  
 तीसरे कक्ष में बोता करवा निराशा अथवा विदेशी पर्यटकों की एक  
 शाखा की संस्थापना की जाती थी। राजा के निवास-अवस्था के अन्तर्गत  
 भाग की नियमनी क्रम में राज-शासन के बाहरी भाग में ज्ञान का स्थाप-  
 ना था पर अन्तर्गत अन्तर्गत (साम्राज्यिक) शाखा (सौचरिक) राजा  
 के अन्तर्गत तथा शासन के अन्तर्गत थी।

सौच-शासन : राज-शासन के अन्तर्गत-भागों में वे भाग होते थे  
 (१) अन्तर्गत (२) अन्तर्गत ( ) अन्तर्गत (८) अन्तर्गत (५) अन्तर्गत

(६) संवाहक, (७) आस्तरक (८) रजक (९) मामाकार और, (१०) आह्वानसिक। संवाहकों के सम्बन्ध में स्थावरो ने कहा है कि राजा का "अपने शरीर को स्फूर्तिमय रखने का सबसे प्रिय तरीका विभिन्न प्रकार से शरीर को मालिश करना था जिसमें शरीर पर कृणार की लकड़ी के बिनने बेहम फिरवाना उसे विद्येय रूप में पसन्द था।

इनके अतिरिक्त और कुछ नीकर चाकरों का भी उल्लेख किया गया है। [ I १२ ] जैसे लूब और आरासिक विभिन्न प्रकार के व्यंजन तथा पेय पदार्थ बनाने वाले रमाइले पानी देने के लिए उबरक-परिचारक इनके अतिरिक्त भी राजा के अन्य कई निजी सेवक भी होते थे जैसे (१) कृष्ण (कृण्डे) (२) बामन (बाने) (३) किरात (नागें कद के अल्पानु) (४) मूक (मूने) (५) बघिर (बहर) (६) बड़ (मूर्ल) (७) भंय (भंय)। इस प्रकार शारीरिक विकारों का भी राजा की सेवा के लिए ध्यान रखा जाता था।

राजा की निजी आवश्यकता की चीजों जैसे छत्र कलश (मृगार) चंद्र (व्यंजन) जूते (पादुका) आसन गाड़ी (यान) और बाड़े (बाहन) की देखभाल करने के लिए भी अनेक नीकर चाकर होते थे। जैसा कि पहले बताया था चुका है इनमें से कुछ स्त्रियाँ भी होती थीं।

अन्त में राजा का मनोरंजन करने के लिए भी कुछ विद्येय लोग होते थे जिनकी सूची कौटिल्य ने यह बताई है नट-नर्तक-गायक-वाद्यक-बाम्नीवन-कृष्णिक [ I १२ ]।

कौटिल्य ने बताया है [ I २१ ] कि राजा के निजी सेवक (आसन्न कर्म शारी) अपने ही देश के लोग हो सकते हैं उनमें कोई विदेशी नहीं हो सकता इन सेवकों के लिए ऐसे ही कामों को रखा जाना चाहिए, जो ऐसे विभक्त परिवारों के हों जो कई पुत्रों से राज-परिवार की सेवा करते जाए हों और जिनकी स्वामिमक्ति तथा कर्म-कसलता में किसी प्रकार का संदेह न हो। वे ऐसे लोग होने चाहिए, जिनमें किसी भी प्रकार का भय न हो और जो किसी भी दबाव में आकर विस्वाम्भ्रात न कर सकते हों [ I २० ]।

राजा की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था राज-प्रासाद राजा की सुरक्षा के समुचित प्रबन्ध को दृष्टि में रखकर बनाया गया था। उसमें अनेक मूक-मुसैरियाँ गुप्त रास्त तथा सुरंगें खोजक स्तंभ और-बीने बटका पवान से संरक्षित बाने वाले फर्श होते थे। उसमें वाग विपिके बीच-अंगुओं तथा जहर देने आदि से राजा को सुरक्षित रखने की भी विविध व्यवस्थाएँ रखी थीं। उसमें लोते इसलिये रखे जाते थे कि वे चाप को देखते ही सुरंग बंद कर सकट की मूचना देते थे।

अग्य कई प्रकार के पक्षी भी रस्ते जाते थे जिन पर विप के देखने मात्र से विविध प्रकार की प्रतिक्रियाएँ होती थीं [I २०] ।

विप से रक्षा के उपाय : पाठशाला एक गुप्त स्थान में बनाई जाती है और उस पर कड़ा पहरा रहता है । राजा को नोजन देने से पहले कई काम उसे बताने होते हैं । यदि नोजन में कोई विप पाया जाता है या बचने वालों के व्यवहार से यदि विप का किसी भी प्रकार का सबूत होता है तो उसकी छात्राशाला को जाती है । इसी प्रकार राजा को जो भीपणियाँ दी जाती हैं उनकी भी परीक्षा की जाती है । जो नोकर राजा को बस्त्र पहनाते हैं तथा उसका शृंगार करते हैं उन्हें नहाकर तथा मुँह हुए कपड़े पहनकर जाता पड़ता है फिर उनको एक विशेष अमरसक शृंगार के मुहूर्त्तर प्रसाधन देता है इसके बाद ही राजा के शरीर पर इन प्रसाधनों का प्रयोग किया जा सकता है । राजा को वासियाँ उसक बस्त्र-आभूषणों का पहले निरीक्षण कर लेनी हैं । शेष बाकि पहले उन लोगों पर स्माकर आइमा लिए जाते हैं जो इन चीजों को राजा के लताते हैं । जो लोग राजा के सम्मुख कोई तमाशा या कस्तुरक दिखाते हैं वे किसी ऐसी वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकते जिससे आम लपने या विप बाकि का कोई खतरा हो और वे किसी हथियार का प्रयोग नहीं कर सकते । गबयों को राजा के सम्मुख जाते समय जन्ही बाँधी का प्रयोग करना पड़ता था जो राज प्रासाद में रखे जान थे और इस प्रकार विप से सवधान मुक्त रहते थे । इसी प्रकार राजा की सजायी के बोझों रबों तथा हाथिया की साज-सज्जा भी राज प्रासाद से ही दी जाती थी । राजा के समीप चिकित्सकों तथा विप-विज्ञान के विशेषज्ञों (बाबलीबिर) का हर समय उपस्थित रहना आवश्यक था । [I २१] ।

राजसभारों के प्रति व्यवहार : राजा की वैयक्तिक सुरक्षा के प्रथम में जिस विषय की और अर्धशास्त्र में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है राजा के बयस्क पुत्रों की समस्या पर भी विचार किया गया है जिते एक उम्पू० टामस में अत्यंत उचित शब्दों में "अनेक विवाह करने वाले राजाओं की समस्या" कहा है । उसमें स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया गया है कि "राजपुत्र केकाँकी की शक्ति अपने ही माता-पिता का ना जाते हैं" (कर्कटसपमां नो हि अनकमत्तः राजपुत्रः) [I १९] । प्रसन्न यह है कि उन्हें राजा के पाप ही रहना चाहिए या उनमें दूर रहना चाहिए ? यदि उन्हें दूर रखा जाए तो क्या उन्हें नजरबंद रखा जाए (एकरपाताबरोकः) या किसी भीमांत दुर्ग में रखा जाए (अन्नपातगुर्ग) या किसी दूसरे राजा के दुर्ग में (सामंतगुर्ग) ? परन्तु यदि राजपुत्रों को किसी दूसरे राजा के दुर्ग में रखा गया तो वह बिदेसी राजा

उत्तराज्या के विद्वद् परिस्थिति का काम उठाएमा और जिस प्रकार बछड़े की सहायता से नाव को बूढ़ किया जाता है, उसी प्रकार वह विदेही राजा इस राजा को बूढ़ केदा (बल्लैनेव हि ब्रेनुं पितरमस्य धामतो बुध्यात्) । अंतिम उपाय यह है कि इन राजपुत्रों को सबसे अल्प किसी पांव में उनके निनिहास बालों के पास रख दिया जाए । कुछ भी हो उन पर कड़ो नजर रखी जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उन पर मृत्युचर म्पा दिये जाएँ, जो उनकी मठिबिबिवां को सुपनाएँ देते रहें । यदि राजा के कई पुत्र हों तो उनमें से कुछ को मोमात प्रदेश में या ऐसे दूसरे राज्यों में भेज दिया जाना चाहिए (प्रत्यभ्तं अण्यधिक्यं वा प्रेषयेत्) जहाँ राज्य का कोई उत्तराधिकारी न हो और न जाने बल्कर होने की कोई आशा हो (ताकि उन्हें बहु राजा गौर के के और के राज्य के उत्तराधिकारी नम सकें ) । जो पुत्र सबसे मोम्य हों उसे प्रधान सेनापति या युद्धराज बनाया जाना चाहिए ।

उत्तराधिकार : नियम तो यही था कि सबसे बड़े पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाए (ऐश्वर्यं ज्येष्ठजाती) । परन्तु कौटिल्य ने इस बात पर जोर दिया है कि यदि राजा के केवल एक ही पुत्र ही और वह सिला विनय तथा चरित्र से सबमा संबंधित ही तो उसे भी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहिए (न चैक पुत्रमभिनीतमं राज्ये स्थापयेत्) । यह भी कहा गया है कि यदि राजा अपने अनेक पुत्रों में से किसी दुष्ट पुत्र का निर्वासित कर दे तो यह अनुचित न होगा । यह भी कहा गया है कि सामान्यतः पिता अपने पुत्रों का पुनर्निर्वाह होता है । अनेक पुत्रों में से राज्य का उत्तराधिकारी कितने बनाया जाए, इन समस्या को हल करने के लिए कौटिल्य ने एक युक्ति यह घोषी की कि शार्वभौम सत्ता संयुक्त परिवार के हाथों में हो क्योंकि इस प्रकार की सामूहिक शार्वभौम सत्ता की शक्ति बड़ेय होनी और उन दोनों से मुक्त होनी और एक ही शासक की सुरक्षों से उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार की सत्ता म्वायों भी होगी ( कृत्स्नस्य वा भवेत् राज्यं कुलसंघो हि दुर्बलः । अराजक्यसत्तायाकः शम्भरावसति क्षितीम् ) ।

कुछ विद्वानों का मत है कि मंडरवा की शार्वभौम सत्ता उनके संयुक्त-परिवार के हाथों में थी । आनन्द-कथा (एन सा द्वारा सम्पादित [V ७] ) के अनुसार महात्मन के बाद उसके बेटे राज्य के उत्तराधिकारी बने न सब मिश्रकर धारण करते थे और उनमें से प्रति वर्ष बारी-बारी से एक को राजा चुन लिया जाता था पर शार्वभौम सत्ता उन सबके सम्मिश्रित हाथों में रहती थी ।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि कौटिल्य जिसने प्रचलित कथानों के अनुसार अपनी पद के एक व्यक्ति को वलपूर्वक मयब के राजसिंहासन पर

विद्यया वा राजत्व के पद के लिए वीरुक अधिकार की अपेक्षा उत्तराधिकारी के गुणों को अधिक महत्व देता था। परन्तु वह स्वयं बकात् सत्ताहरण करने वाले हुए व्यक्ति का समर्थक नहीं था [VIII २]। कुछ लोगों का विश्वास होता है कि नया राजा इसलिए अधिक लोकप्रिय होता है कि वह 'अनुग्रह' दिखाए, शान तथा मान प्राप्त लोगों को प्रसन्न करने के लिए सर्वत्र तत्पर रहता है (नवस्तु राजा स्वधर्मानुग्रह-परिहार-शान-मान-कर्त्तव्यः प्रहृष्टिरभ्यजापकारैश्चरति इति) परन्तु कौटिल्य के विचार में यह बात मथ नहीं है क्योंकि बहुत नये राजा वा शासन बल का शासन होता क्योंकि उसके मन में हमेशा यही विचार रहता कि उसने श्रेष्ठ पर स्वयं अपने भूतबल से विजय प्राप्त की है (बलार्थवर्त्त मयेवं राज्यं इति)। यदि राजा अपना कोई योग्य उत्तराधिकारी छाड़े बिना ही मर जाए, तो उस अयोग्य उत्तराधिकारी को ही विहासन पर बिठाकर, उसे प्रजा के सामने अथ नरेशों तथा सामंतों (मुख्य शत्रुमुख्य) के सहमति से राजा नियुक्त कर देना चाहिए। "या महामंत्री को बीरे-बीरे कासन वा शास्य भाग मुखरान को खींचकर वह प्रजा के सम्मुख राजा की मृत्यु की खोजना करनी चाहिए। साधारणतया "राजा के उस पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाना चाहिए जिसमें आत्म-संबन्ध है। यदि कोई ऐसा योग्य पुत्र न हो तो महामंत्री को अयोग्य राजकुमार (कमार) बबबा राजकुमारी या गर्भवती रानी (देवी) को ही विहासन पर बिठाकर मरिचों तथा बन्ध-भाल्य राजकर्मचारियों (महानाशान् सभिजात्य) की एक सभा बुलाकर उनसे कहना चाहिए 'राज्य अब तुम्हारे हाथों में एक बराबर (निलेप) है इनके विवाह को स्वरूप करो और स्वयं अपनी पत्नी तथा अपनी कूल-उत्पत्ति को ध्यान में रखते राजा का यह उत्तराधिकारी सत्ता का कर्त्तव्य प्रतीक-भाव (धरावाचो-प्रभम्) है वास्तविक सत्ता तुम्हारे हाथों में है। यह कहकर उसे राजकुमार, या राजकुमारी बबबा गर्भवती रानी का उम्मात्रिवेक कर देना चाहिए (तपेति समसत्यः कमारं राज-कन्यां पत्नीं देवीं वा अधिकुर्वन्ति मन्त्रिविष्णवे)। इसके बाद उसे राजकुमार को राजत्व के पद के योग्य बनने की सिखा देनी चाहिए (चिन्तकर्मणि च कमारस्य प्रणेते)। यदि राजकुमारी विहासन पर बैठी है तो मत में बलकर उसका पुत्र जिसका पिता उसी जति (समान जाति) वा इनावा चाहिए राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। मंत्री (अपहतम) को राजा के लिए शासन एवं बीड़े हाजी (धन-बाल्य) जानुपय (मानरत्न) बन्ध रखवात विवागरत्न तथा उमदी मात्र-नग्ना (बाध-विशेष-परिहायान्) आदि का राजावा प्रकल्प करना चाहिए" [१ ६]। इन प्रकार कौटिल्य ने आबस्वच्छा बदन पर प्रतिपन्न-मानस वा विचार प्रम्पुन धिया वा ताकि कोई ऐसी बात

म होने पाए जिसमें परम्परागत राजवट को हटाकर कोई नया राजा सिंहासन पर अधिकार कर सके ।

राजधानी पाटलिपुत्र मगधस्यनीच के वर्णन के अनुसार जो पाटलिपुत्र में रहा था यह मगर बंगाल तथा सोन नामक नदियों के संगम पर बना हुआ था, जिसे कौटिल्य ने नदी-संगम कहा है [II ३] । नगर आयताकार क्षेत्र में बसा था जिसकी लम्बाई ८० स्टेड (= १.५ = मील) और चौड़ाई १५ स्टेड (= १ मील १२०० फुट) थी । मगर की सुरक्षा के लिए चारों ओर एक खाई (परिखा) थी जो ६ फीट (= २०० फुट) चौड़ी और ३० गजिट (= लगभग ६० फुट) गहरी थी जिसका अर्थ है कि इस खाई में भावे जल सफ़ती थी । इसमें सोन नदी का पानी आता था । नगर का घाटा गंदा पानी भी आकर इसी में गिरता था । मगर को और सुगन्धित बनाने के लिए उसके चारों ओर खाई के किनारे-किनारे लकड़ी की एक बहुत बड़ी दीवार थी । इस दीवार के बीच-बीच में बरतों की जिनमें से पनुर्यापी ठीर बजाते थे । इसमें ६४ द्वार और ५०० बुनियाँ भी थीं (मेगास्थनीस अध २५ = एनाबो XV-७ २) ।

रोम ईतिहास ने (बुद्धिस्त इतिहास, पृष्ठ २६२) हित्ताब बताया है कि "इतनी बुनियाँ का अर्थ यह है कि वे ७५-७५ गज की दूरी पर रखी होंगी ताकि उनमें बैठे हुए पनुर्यापी वा बुनियाँ के बीच के पूरे क्षेत्र में कहीं भी ठीर मार सकती थीं । पत्थरों की संख्या से हित्ताब बताया जाए, ता दो धरतियों के बीच ६६० गज की दूरी रखी होगी जो बिलकुल संभव और सुविधाजनक दूरी प्रतीत होती है । प्राचीन की लम्बाई सचमुच अविस्मरणीय प्रतीत होती है । परन्तु स्वामीय अभिलेखों से पता चलता है कि अब की तरह ही उस समय में भी मगर शीघ्र नगर बहुत विस्तार में फैले होते थे । इसलिए मेगास्थनीस ने इस नगर के आकार के बारे में जिनमें वह यह चुका था जो अनुमान लगाया है उसे हम यही मान सकते हैं ।

मेगास्थनीस के कथनानुसार पाटलिपुत्र नगर का निर्माण करने में मुख्यतः लकड़ी का प्रयोग किया गया था क्योंकि वह नदियों के तट पर बना हुआ था और बाद से उसकी सुरक्षा करना आवश्यक था [I ६] । यह बात उल्लेखनीय है कि उस स्वान पर, जहाँ पाटलिपुत्र बना हुआ था 'वा सुवार्दी की गई है उसमें भू-तक से कम से पंद्रह फुट तक की गहराई पर लकड़ी की दीवार के अवशेष मिले हैं । ये अवशेष ही उसी मौर्यकालीन नगर की प्राचीन लकड़ी की दीवार का अवशेष हैं ।

नगर का निर्माण उसी संय से किया गया था जैसा कि कौटिल्य ने अपने विचारण में बताया है । कौटिल्य का मत था कि राजधानी का निर्माण क्षेत्र की

रखा के लिए (जनपदारक्षायाम्) एक कुयं के छः में किया जाना चाहिए । इस लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए राजधानी किसी पर्वत पर भवना किसी नदी के किनारे बनानी चाहिए । या फिर उसे राज्य के मध्य में किसी ऐसे स्थान पर बसाया जाना चाहिए जहाँ वास्तुशिल्प क विशेषज्ञ अर्थात् कर्मीनियर उपयुक्त समर्थों (वास्तुक-प्रवृत्ते वास्तुविद्याभिज्ञनिविष्टे श्रेणे) जैसे नदिया के संगम पर (बही-संगमे) या किसी टीक के किनारे (हृद) या किसी वानाश क किनारे (स्यत्क) ताकि निरंतर एक मिसल में कोई अशुभिका न हो । उसके चारों ओर एक महार (प्रवृत्तिबौद्धम) होनी चाहिए और उसमें कम तथा कम लोग ही मारों से प्रवेश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए । और अधिक सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर एक-एक दण्ड (= १ कूट) की दूरी पर तीन परिसार होनी चाहिए । इन तीनों परिसारों की चौड़ाई क्रमशः १४ १२ तथा १० दण्ड (= ८४ ७२ तथा ६० कूट) होनी चाहिए और इनकी बीचों-बीच अथवा ईद की बनानी जानी चाहिए । इनकी महाराई चौड़ाई की चौड़ाई अथवा आधी होनी चाहिए (जिससे इसमें नारें बसाई जा सकें) । इन परिसारों में निरंतर एक का प्रवाह रहना चाहिए और उन्हें कम क प्राकृतिक स्रोतों से जैसे नदियों से जोड़ दिया जाना चाहिए, जिनमें इनके पानी की निकासी की जा सकती है । इन बरिष्णात्मा में कपक के पूर और बढ़ियाल जाय होने चाहिए (तोयाम्निच्छेः आमन्तुतोक्चूर्णा वा लपरिवाहाः पप्रप्रसृच्यतीः) ।

उसके अन्दरवानी परिष्ठा से ४ दण्ड की दूरी पर मिट्टी का एक परकोटा (ध्व) बनाया जाना चाहिए, जिनकी ऊंचाई १ दण्ड और चौड़ाई १२ दण्ड होनी चाहिए । परकोटा बनाते समय मिट्टी को हाथियों तथा हाठों के पैरों से पीटाकर मजबूत करा लिया जाना चाहिए और उसे और अधिक सुख बनाने के लिए उस पर बरिष्ठा लादिया तथा चिपौली लगाई जानी चाहिए । परकोटे के चारों ओर शीत को रोकने के लिए पक्की ईदके पुत्ते (प्रकार) बनवाए जान चाहिए और चौकोर नीपारें (अट्टालक) होनी चाहिए । प्रत्येक दो अट्टालकों के बीच में नायदान (प्रतोली) होना चाहिए और अट्टालक तथा प्रतोली के बीच में एक ऐसा स्थान (ईदकोम) होना चाहिए जिनमें तीन अनुर्बाटी छोड़े हो सकें (विद्यानुष्ठापिष्ठात्म) । प्रकार और परकोटे के बीच में चौर राखे (देवप तथा चामा तथा उत्पच) होने से । इनमें द्वार और चरक (बीजुरम्) छोड़े से । परकोटे पर बोड़ी-बोड़ी दूर पर बड़े-बड़े ताक (कापा) बनवाए जाते से जिनमें नाना प्रकार क अन्न-दान्य रखे जा सकें और परकर के पाकड़े (दुग्गल) कर्शादियां (बजारो) तीर (काण्ड) हाथियों के अंजम (अन्तना) गदार्हें (मुनिक), लगीने (कुचर) दण्ड चक, बीच मीढ़े की नीलों वाले इपियाट

(घातम्बि) इत्यादि के हथियार (कार्मारिकाः) विगूढ भासे, बिम्बोटक पदाथं (अग्निर्संयोगः) आदि ।

नगर के १२ द्वार होने चाहिये, जिनसे देव के विभिन्न केंद्रों तथा नगरी की ओर मार्ग बने होने चाहिये ।

राजा का निवास (राजनिवेश) उसके नवें भाग (नवभाग) में सबसे सुरक्षित स्थान में बनाया जाना चाहिए (प्रचीरे वास्तुनि) ।

राज प्रसाद के निकट राजगुरु तथा पुरोहित के निवासकक्ष तथा यज्ञ भवन (इत्या) अन्न-संभार (सौमस्वानम्) और मंत्रियों के रहने के घर होने चाहिये ।

इन से मिली हुई पाकघाता समा-भवन ( पाकघाता हस्तिपुष्टाकारम् सनापुहम् ) और संभार होना ।

राज प्रसाद के बाहर (ततः परं राजमन्त्रालयं बहिः) सुगंध पुष्पभाण्डाएँ, अन्न तथा पेय आदि के व्यापारियों मुख्य शिल्पकारों तथा लक्षियों के घर होंगे ।

इसके बाद खजाना सत्ता-कार्यालय तथा सनारों की दुकानें (कर्मनिवृत्तः स्वर्चरजतप्रित्पास्वानामि) होंगी ।

उसके बाद अन्य धातुओं के शिल्पकारों की दुकानें (कृष्णगृहं स्वर्चरजतेजस्वानम्) और अन्नप्रान्ता होंगी ।

इसके बाद नगरपालिका (नगर-व्यावहारिक) अनाज की मन्त्री के नियंत्रक (पान्य-व्यावहारिक) घनिष्ठ-क्षेत्रों के निरीक्षण तथा सेनापति के कार्यालय होंगे ।

इसके बाद पका हुआ भोजन प्राप्त मंदिर आदि के भोजनालय तथा उपाहार-गृह, बेध्याओं तथा अभिनेताओं (तालाबधारा नराः) और ईश्वरों के घर होंगे ।

उसके बाद मयों तथा ढोंकों के अस्तबल और रथघाताएँ, गाड़ीखाने तथा उनके निर्माण तथा मरम्मत का कारखाना होंगा ।

इसके बाद विभिन्न शिल्पकारों काठ, रई, सन तथा चमड़े की चीजें बनाने वालों तथा मूर्तों के घर होंगे । इसके बाद दवा की दुकानें (सौम्य गृहम्) होंगी ।

फिर अन्न-संभार, पशुघाताएँ तथा अन्नघाताएँ होंगी ।

उसके बाद राज-परिवार के नृत्त-वैद्यताओं और साधारण नागरिकों के पूज्य बैठकों के मंदिर होंगे फिर मूर्तारों और औद्योगिकों की दुकानें और बाह्यों के घर होंगे ।

नगर के भीतर ही विभिन्न शिल्पों की श्रेणियाँ तथा विशेषी व्यापारियों के संघ स्थित होंगे (प्रबृहन्निकः प्रबृहन्निकः विशेषागता बहिः सैव सपूहः) ।

नगर के भीतर ही ईश्वरों (अपराधिता) विष्णु (अप्रतिहत) बुद्धाध्य (अपत्त) इन्द्र (वैद्यवत्) शिव वैद्यवत् अतिवदन कर्मी तथा मंदिर के मंदिर होंगे ।

बापतिक तथा चाण्डाल आदि धर्मश्रोही दमघान-भूमि के परे रहेंगे ।

राजधानी के भंडार में धीबनोपयोधी वस्तुएँ, बावस्वक आठ-सामग्री औपशिया तथा प्रतिरक्षा के साधन कई वर्ष के लिए, (यदि महर को घनु शीर्षकास के लिए भर के तो उस समय के लिए) पर्याप्त मात्रा में होने चाहिएँ ।

भारतीय साहित्य में पाटलिपुत्र : बौद्ध ग्रंथ : पाटलिपुत्र का उल्लेख भारतीय साहित्य में बटमु-स से पहले और उसके बाद भी बहुत समय से होता आया है । पाकि ग्रंथों में उसकी स्थापना मगध के प्रख्यात सम्राट् अजातशत्रु के शासनकाल में जिसने लगभग ५५१ स ५१९ ई० पू तक शासन किया था बताया जाती है । उसी ने गंगा नदी के किनारे इस नगर को बसाने के लिए एक उपयुक्त स्थान ढूँढा था और सुनीय तथा बस्मकार नामक अपने मुख्यमंत्रियों की निगरानी में उसका निर्माण करवाया था । उसकी स्थापना के समय महारमा बट में उस नगर में आकर उसे नीरवान्धित किया था और उसकी महानता के विषय में यह भविष्यवाणी की थी "जिन प्रख्यात स्वार्थों में स्थित लोग रहने तथा भावे-आये हैं उनमें यह पाटलिपुत्र का नगर, सर्वप्रमुख बन जाएगा वह हर प्रकार की वस्तुओं के आवाग प्रवाग का मन्त्र बन जाएगा" (महापरिनिष्पान सुत्तात् पृष्ठ १८ सेक्केड बुस्त अर्द्ध वि ईस्ट में अनुरिक्त ) । महाभूम में भी [VI २८८] यही भविष्यवाणी की गई है "आनन्द मगध के मंत्री सुनीय तथा बस्मकार ब्रह्मियों की पीछे बहकने के लिए (उपयुक्त स्थान पर) पाटलिपुत्र में इस नगर का निर्माण कर रहे हैं । आनन्द वहाँ तक आये लोग बसे हुए हैं वहाँ तक ध्यापारी यात्रा करके जाते हैं उस पूर विस्तार में यह पाटलिपुत्र का नगर प्रमुञ्जतम नगर बन जाएगा ।

पतञ्जलि : अपने महानाम्य में [ II १ २ ] पतञ्जलि ने ( लगभग क्रमशः पचासवी ई० पू ) पाटलिपुत्र को 'अनुशौचम् पाटलिपुत्रं' कहा है जिसका अर्थ है कि पतञ्जलि को पाटलिपुत्र के शौच नदी के तट पर स्थित होने की बात मालूम थी । जिन ऋषि उँचे मन्त्री तथा मुद्देरों के लिए यह नगर इतना प्रसिद्ध था उनका पतञ्जलि पर इतना महत्त्व प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपनी व्याकरण में उनका ब्युत्पत्ति में प्रयोग किया है । उदाहरण के लिए उन्होंने लिखा है [ IV १ २ ] पाटलिपुत्रया प्रामारा पाटलिपुत्रया प्राकारा इति ।"

मुद्राराक्षस इनके बाद लिगे गए मुद्राराक्षस नामक नामक में पाटलिपुत्र का अर्थ रोषक बरग मिलता है । उनमें इन बात का संकेत मिलता है कि पाटलिपुत्र मगध और शौच नामक नदियों के संगम पर बसा हुआ था । इन बातों में यह बर्तन मिलता है कि मगध राजा के महल पर अधिकार करने के बाद जिनका नाम मुद्राय प्रानार था वह उस महल से रंगा की छटा देवता है, जिन

दारद क्षतु वर्षा क्षतु के बाद की एक उठछठी हुई पल-धार के रूप में बड़ी तीव्र गति से उसके स्वामा के पास वर्षात् समुद्र की ओर से आ रही है [ III ९ ] । इससे पता चलता है कि नगर ठीक यमा नदी के किनारे बसा हुआ था । माप ही इसी नाटक में हमें इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि मलयवेनु को पाटलिपुत्र पहुँचने के लिए घोष नदी को पार करना पड़ा था । यह कहता है "मिरे सबड़ों हाथी नगर की ओर कूब करते समय घोष नदी का सारा जल पी जाएँगे" [ IV १६ ] ।

इस नाटक में यह भी कहा गया है कि नगर के चारों ओर एक परकाण ( प्राकार ) भी था जिस पर नगर की सुरक्षा के लिए बनुर्षारी ( अरासनपरतः ) सैनात किए जा सकते थे । नगर के बगल में यह भी कहा गया है कि उसमें जनक फाटक से जिन पर हर समय ऐसे अस्त्रिणाभी हाथी बड़े रहते थे जो धनु के हाथियों की बड़ाई को परास्त कर सकते थे [ II १३ ] । उसी वर्णन में यह भी कहा गया है कि एक फाटक में यात्रिक किबाड़ ( यंत्र-सोरभ ) लगे थे जिन्हें लोहे का एक पेंच ( लोह-लोककम् ) घुमाकर नीचे गिराया जा सकता था [ II, १५ ] ।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि यूनानियों ने एरासीवासीस शब्द का प्रयोग किया है जिसका संस्कृत पर्याय हिरण्य-बाहू है जो घोष नदी का दूसरा नाम था ( काम का हर्षचरित पृष्ठ १९, परब द्वारा सम्पादित ) ।

आ-व्याप्तः : यह बात भी उल्लेखनीय है कि चीनी यात्री झा-ह्वान ने जिसने ३१९ ई० से ४१४ ई० के बीच भारत की यात्रा की थी मीर्य राज प्रासाद को बहुत अच्छी हालत में पाया था और उगने उसका वर्णन इन शब्दों में किया है "नगर में सग्राद् ( अशोक ) का प्रासाद जिसमें अनेक भवन तथा कला हैं, अभी तक विद्यमान है । ऐसा प्रतीत होता है कि उसका निर्माण किसी अमानवीय योजना के अनुसार बलौकिक शक्तिवों ने किया था । उन्होंने ही उसके पत्थर लगे-ऊपर जमाएँ वे दीवारें तथा फाटक बनाएँ थे उस बेल-बूटों से सजाया था ।"

राज-आदेशः : राजा प्रघासन का कार्य अपने आदेशों द्वारा करता था जिन्हें कौटिल्य ने घासन [ II, १ ] कहा है । राजा एक योग्य सेनाक नियुक्त करता था जो राजा की आज्ञा को सुनकर और उसे भली भाँति समझकर निविबद्ध करता था । राज ये आज्ञाएँ अपने उप राजाओं ( ईश्वरों ) या अन्य पराधिकारियों के नाम जारी करता था । इनलिए सेनाक में उच्च योग्यताओं का होना आवश्यक था । उसमें अमान्यों अर्थात् भविष्य-जैसी योग्यताएँ होनी चाहिए, उसे विभिन्न प्रघासों का ज्ञान होना चाहिए, उसका श्रेष्ठ मन्दर होना

बाहिए, विचारों को सुरंत उचित शक्तों में व्यक्त करने की समता होनी चाहिए और उसे दूसरों की लिखाई पर सेनी चाहिए ।

विचारों का अच्छे ढंग से व्यक्त करने ( लेख-सम्मत ) के लिए वे गुण आवश्यक हैं विषय-वस्तु की सुचाव व्यवस्था ( अर्थकर्म ) उर्जागुच्छता ( सम्बन्ध ) अभिव्यक्ति की परिपूर्णता कर्षप्रिय शब्दों का प्रयोग ( माधुर्य ) भाषा की घालीनता ( औदार्य ) और स्पष्ट अभिव्यक्ति ( स्पष्टत्व ) ।

डॉ एन्ड डब्ल्यू टामस का मत है [ कैंब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया ] ४८८ ] कि इन सेवकों का सम्बन्ध पत्र-व्यवहार मंत्री के विभाग सि होता था जिसे 'प्रजास्ता' कहते थे और जिस पर राजा के आसन प्रकाशित करने का भार होता था ।

राजाआपें सूचना ( प्रज्ञानन ) आश्वासन ( परिवान ) शून ( परिहार ) अधिकार-दान ( निमुष्टि ) आनकारी ( प्रवृत्तिका ) उत्तर ( प्रतिज्ञेय ) या सार्वजनिक उद्घोषणा ( सर्वज्ञा ) किसी भी विषय के बारे में हो सकती थीं । "समस्त शास्त्रों का ज्ञान अजित करने के बाद और शास्त्रोक्त आदेशों के व्यावहारिक परिपालन पर विचार कर लेने के बाद, कौटिल्य ने नरेन्द्र के ही हित में राजा द्वारा अम्पादेश जारी करने के सम्बन्ध में यह कार्य-मर्यादा निर्धारित की है । ( एक प्रचलित मत यह है कि नरेन्द्र चंद्रगुप्त का ही नाम था ) ।

## अध्याय ५

### मन्त्री सेवा के नियम

राज्यसत्ता के अंग : हिंदू शासन-पद्धति के सिद्धान्त में राज्य के जो सात अंग माने गए हैं उन्हीं को आपार मानकर कौटिल्य ने शासन-व्यवस्था की योजना बनाई थी। ये सात अंग हैं (१) स्वामी अर्थात् सार्वभौम शासक (२) मन्त्रस्थ अर्थात् मंत्री (३) जनपद अर्थात् राज्यक्षेत्र (४) धूर्त (५) कौशल अर्थात् वितीय बल (६) दण्ड अर्थात् सैनिक बल ( जिसमें सेना के चार अंग—वीरम, युद्ध-संचार, हथौड़ी तथा रथ शामिल हैं ) और (७) मित्र अर्थात् मैत्री-संधियाँ।

राज्य-क्षेत्र : इन सब अंगों में कौटिल्य ने राज्य के क्षेत्रीय आपार के महत्त्व पर काफ़ी जोर दिया है जिस पर उसकी प्रगति तथा उसका भविष्य निर्भर है। सबसे पहले तो कौटिल्य ने [IX, १] देश-भक्ति तथा देश-प्रेम की अपनी ब्रह्मजात मानना को ध्यस्त करते हुए कहा है "समस्त संसार में देश का वह उत्तरी भाग जो हिमाक्ष से समुद्र तक फैला हुआ है ( हिमवत्समुद्रान्तरमुखी-क्षेत्र ) साम्राज्य का स्वामाधिक क्षेत्र है" ( अक्षयसिन्धुम् )। स्पष्टतः यहाँ पर कौटिल्य का संकेत उस साम्राज्य की ओर है, जिसे अश्वगुप्त ने पंजाब में युगली शासन का वस्त्रा उलटफेर, मगध के मंद-साम्राज्य को बरछामी करके और पश्चिमी भारत में सुराष्ट्र पर अपना शासन स्थापित करके उत्तरी भारत में स्थापित किया था। यह देश आर्थिक साधनों तथा समाज्यताओं की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध है इसमें खेती के कामक ( ब्राह्म्य ) जपली ( भारव्य ) पहाड़ी

( पार्वत ) कुओं से सीपी जानेवाली ( औरक ) सुधी ( भीम ) समतक ( सन ) ड़ेपी-नीपी ( विषम ) हर प्रकार की भूमि की प्रचुरता है जिससे यहाँ पर हर प्रकार की पसके उपाई जा सकती है वे भी जिनके लिए बहुत पानी की आवश्यकता है और वे भी जिनके लिए अधिक पस की आवश्यकता नहीं होती । भारत आज तक मुख्यत एक इमि-प्रधान देश बना हुआ है क्योंकि विविध प्रकार की जलवायु के आकार पर उसमें इस बात की समता है कि वह आधिक्य से स्वावलम्बी हो जाए और इस प्रकार भारत 'समस्त संसार का धार-रूप' है । एक दूसरे प्रकार में [ VII, १ ] कौटिल्य ने कहा है कि देश बड़ी अच्छा है जो पोट्टाभां ( सामुद्रीयप्राय ) कुपकों तथा गिस्तकारों ( जेभीप्राय ) का देश हो और पर्वतीय रुपों का नदियों या बग प्रदेसों द्वारा पर्याप्त रूप में सुरक्षित ही । सीमांत प्रदेश का निवासी होने के कारण कौटिल्य पर उसके अनेक पर्वतीय रुपों की बहुत गहरी छाप पड़ी थी । उसने एक फल्लो-कृतसे देश के लिए इन चीजों की भी आवश्यक बताया है ( १ ) दुर्ग ( २ ) इमि (सिद्ध) ( ३ ) पस ( ४ ) युद्ध के लिए हथियारों के स्रोत के रूप में बानें ( संप्रामोपकरमलान् योधि ) ( ५ ) दुर्ग माङ्गिरी तथा रथ-निर्माण में काम आने वाली ( दुर्गकर्मका यानरबयोरथ ) आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए लकड़ी का जगल ( ६ ) हाथियों के जगल और ( ७ ) माय छोड़ा गया तथा ड़ेट ( सीमांत प्रदेश का घोटक ) यदि पशुओं के लिए चरपाह ( वन ) [VII १४] । देश में अल्प जो बहुमूल्य गुण होने चाहिए ( वनपस लम्बन् ) उनका उल्लेख कौटिल्य ने इस प्रकार किया है [VI, १] उनका हर माग सुरक्षित होना चाहिए । उसमें न केवल वैधवासियों ही अधिक विदेसी के जानेवाले लोगों का भी नरप-नोपप कराने ( अल्पपारथ पर पारपारथ ) की समता होनी चाहिए । उसमें प्रतिरक्षा के प्राकृतिक तथा कृत्रिम बाणों ही प्रकार के साधन होने चाहिए जैसे बर्षन बग नदियाँ तथा रुपें ( स्वारक ) । जने आधिक्य से आभासकम्ब ( स्वाजीक ) होना चाहिए । देश की बनना बस के प्रति इसकी बड़ादार होनी चाहिए कि वह विदेसी आक्रमण का विरोध करे ( सानुंसी ) । उसके पहाड़ी कमजोर होने चाहिए ( अर्य-सादन्त दुर्बल-नामन्त ) । उनके पान लेनी के लायक बहुत-सी खमीन हानी चाहिए, जिनमें बगल कन्दक न हा जो बहुत पकटीकी या सूनी या ऊबड़-गाबड़ या जकनी न ही और न ही जने जगली बाणियों ( कन्दक-जेभी ) से कूटमार का गन्ग हा । देश की बाल्य होना चाहिए, अर्थात् 'उसमें नार्बन्धिक उपपोष तथा सुविधा की सभी चीजों जैसे कर्मों के सामाचार बुरा बड़ी-कृतियों के उद्यान नदियाँ हीन साम्राज्य तथा विद्यालय' ( जिनके लिए असाह की इतनी स्थिति थी ) का प्राचुर्य ही । इनके अतिरिक्त उसमें बहुत-सी उपजाऊ भूमि (सीमा)

घोने तथा हीरे-जवाहरात की चामे ( अनिर्बन्धादिमणि-सुवर्णाद्याकरः ) ठर-कारियों के सेत तथा इमाण्टी लकड़ी के जंगल हाथियों के लिए जंगल पदुओं के बनने के लिए मैदान ( गाम्य ) बस्तियों के लिए जमीन ( पौख्येय ) त्रिका रियों के लिए संरक्षित वन ( पुप्तमोचरो सुम्बकादिरलितभूमि ) और बहुत प्रचुर पशुपन ( पशुमान ) होना चाहिए । उसमें नदियों से इतने काँधी जल की व्यवस्था रहनी चाहिए कि उस वर्षा पर पूर्णतः निर्भर न रहना पड़े ( देवमातृकः ) । उसमें जल तथा पस ऋण यातायात के मार्ग होने चाहिए । उसे व्यापार की बहुमुख्य वस्तुओं तथा विभिन्न प्रकार के उत्पादनों ( सारविज्र-यष्टु-यण्य ) में समृद्ध होना चाहिए । उसकी जनता में काँधी बड़ी सेना के लार्भ तथा कर का भार सहन करने की क्षमता होनी चाहिए ( बण्डकार-सहः ) । उसमें परिभ्रमी रूपक ( कर्मशील-कर्मक ) तथा योग्य प्रशासक होने चाहिए । उसमें बहुत बड़ी संख्या में विद्वान् जातियों के या आदिवासी जातियों के लोग होने चाहिए, जो उसकी कला तथा विद्वान् के विकास में सहायता दे सकें ( अवरलार्भ-श्रायः मयमवच-बहुल ) । यह बात उल्लेखनीय है कि मनु भी देश में नित्य दूढ़ हाथों वाले विद्वान्कारों के होने ( नित्यं दूढः काककहस्तः ) [ मनु० V १२९ ] का स्वागत करते हैं । अंतिम बात यह कि देश की समृद्धि तथा उसका भविष्य देशवासियों के गुणों उनकी बंध-भक्ति तथा उनके चरित्र ( मत्त शुचमनुष्य ) पर निर्भर करता है । कौटिल्य ने भारत का जो यह विवरण किया है उससे अच्छा विवरण संभव नहीं है ।

भारत-देश मेघास्थनीय की दृष्टि में : यह बात उल्लेखनीय है कि मेघा-स्थनीय के धर्मों में हमें भारत और उसकी प्राकृतिक तथा आर्थिक सम्पदा का ऐसा वर्णन मिलता है, जो कौटिल्य के वर्णन से बहुत मिलता-जुलता है । मेघा-स्थनीय ने लिखा है "भारत में अनेक बड़े-बड़े पर्वत हैं जिन पर हर प्रकार के पत्थरों के असंख्य दूढ़ हैं । वहाँ अनेक अति विस्तृत उपजाऊ मैदान हैं, जिनमें अनेक नदियाँ बहती हैं । भूमि के अधिकांश भाग की सिंचाई होती है और उस पर वर्ष में दो फ़सलें उगती हैं । इसके साथ ही देश में कमबोर और बरुवान छोटे और बड़े सभी प्रकार के जानवर, मैदानों में भूमने वाले पशु और आकाश में घूमन करने वाले पक्षी बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं । इससे अतिरिक्त वहाँ हाथियों की संख्या बहुत अधिक है । भारतवासी कला-क्रीडामें बहुत निपुण हैं । वे स्वच्छ वायु में स्वास लेते हैं और श्रेष्ठ जल पीते हैं ।

"एक ओर वहाँ भूमि के ऊपर दो सभी फ़सलें उगती हैं, जिनसे कृषि परिचित है तो दूसरी ओर भूमि में ताजा प्रकार की बातुओं के भंडार हैं । इनसे सोना चाँदी और काँधी बड़े परिमाण में लाया तथा छोड़ू निकलता है, जिनसे नाना

प्रकार की उपयोगी वस्तुएँ तथा आभूषण और मुद्र के लिए सस्त्रात्मक तथा अन्य उपकरण बनाए जाते हैं ।”

“साधारणों के अतिरिक्त सारे भारत में बाजार बहुत होता है जिसके खेतों को असंख्य नदियों के जल से मनी मति सींचा जाता है बहुत बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार की दालें और फल तथा अन्य साधोपयोगी फसलें उगाई जाती हैं । इसलिये यह बात निश्चयपूर्वक नहीं या सकती है कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ा है और कभी पीष्टिक भोजन का अभाव नहीं रहा है ।

“इसके अतिरिक्त अपने-आप उगने वाले फलों और हलदली भूमि पर उगने वाली विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ जड़ों से भी यहाँ के निवासियों को बहुत-सी पीष्टिक खाद्य-सामग्री मिलती है । सब तो यह है कि देश के समस्त सभी मैदानों में हर जगह मधुमेय जाईता रहती है । चाहे वह नदियों के जल से प्राप्त की जाए या दीप्त जल में होने वाली बर्षा से जो प्रतिवर्ष आश्चर्यजनक हब तक नियमित समय पर होती है ।”

शेष राज्य का दूसरा आधारमूल बंध उसके कोष की दृढ़ता ( कौस-सम्पत् ) है । इसका आचार कर की एक सुसंपन्न तथा व्याप्य ( धर्माधिकतः ) व्यवस्था सेने-बाँदी हीरे-जवाहरात तथा स्वर्ण-मुद्राओं ( किरण्य ) का प्राचुर्य है, ताकि वह दुर्भिक्ष आदि वीर्यकाजीन वीची विपदाओं के काल में देश का भरण पोषण कर सके ( वीर्यामप्यापवमनापति सहतेति कौशलसम्पत् ) [ VI १ ] ।

सेना सेना के सम्बन्ध में कौटिल्य का मत यह है कि सेना में ऐसे ही लोगों को भरती करना अच्छा होगा जिनके पूर्वज ( क्षिपितामहो ) भी सेना में रहे हों । उन्हें अच्छा वेतन दिया जाए तथा हर प्रकार से संतुष्ट रखा जाए । उनमें ऐम सुहृत्स्व सोम ( नृत्तपुत्रवारः ) भरती किये जाएँ, जिन्हें अनेक युद्धों का ( बहुयुद्ध ) अनुभव हो जो युद्ध की समस्त कलाओं में निपुण हों जिनका राजा से किसी प्रकार का मतभेद न हो और मुख्यतः वे दक्षिण हों [ उपर्युक्त ] ।

कौटिल्य ने बंध में यह मार्मिक बात कही है “यदि किसी राजा के राज्य का विस्तार बहुत छोटा हो ( अल्परेषेऽपि ) फिर भी यदि उसके पास सार्ध भीम मत्ता के अन्य युव मौजूद हैं, तो वह अजेय हो जाएगा और पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर लेगा” [ उपरोक्त ] । कौटिल्य ने अपने गिन्य ब्रह्मगुप्त के लिए जिन विषयों की कलाता की थी उनके पीछे यही प्रेरणा बियायी थी ।

राजा के हाथ में सुरक्षित धनियाँ : यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि राज्य के विभिन्न बंधों में राजा को भंडों पर, अर्थात् कोण तथा इन्द्र ( धन की धरति तथा संस्वरज ) पर आना निर्यंत्रण राजता या तादृि यदि उनका मंत्री ( अमाप्य ) भी छोटी हो जाएँ, तो वह उन्हें रखा नके । मंत्रियों के हाथ का एक

प्रश्न यह है कि राजा को कितने लोगों को अपना विश्वासपात्र बनाना चाहिए और कितने मंत्रियों या परामर्शदाताओं से उसे सलाह लेनी चाहिए ? भाषा का मत था कि नीति गुप्त रानी रह सकती है जब केवल एक मंत्री हो। विद्या भाषा ने इसके अन्वय में यह कहा है कि इससे मंत्रमुक्ति तो हो सकती है पर मंत्र-सिद्धि नहीं हो सकती। नीति की सफ़रता उसकी गोपनीयता से अधिक महत्व रखती है। वह कहता है "इसलिए राजा को अनेक वद्विमार्यों से परामर्श करना चाहिए।" परन्तु पराधर के अनुयायियों के अनुसार यह केवल मंत्रज्ञान है मंत्रसरक्षण नहीं अर्थात् इस प्रकार नीति को जाना तो जा सकता है पर उसकी गोपनीयता की रक्षा नहीं की जा सकती। उनका मत यह है कि राजा को किसी कल्पित उदाहरण के द्वारा अपने अन्तर्मन से परामर्श करना चाहिए। विद्वान् के मतानुसार ऐसा अन्तर्मन समस्या पर अन्वेषणापूर्वक विचार नहीं करेगा बल्कि वह अपने मन से अपना परामर्श देगा। परामर्श बड़ी उत्तरदायित्वपूर्ण होगा जो किसी ऐसी समस्या के बारे में दिया जाए, जिसका समाधान अस्तुतः करना हो। इस प्रकार अन्वेषणा परामर्श ( मंत्रबुद्धि ) भी मिलता है और उसकी गोपनीयता ( गुप्त ) भी सुनिश्चित रहती है। कौटिल्य ने इस पद्धति को अनिश्चित (अन-वस्था) उद्घोषण पर आपत्ति की है। कौटिल्य का यह मुद्दा यह है कि राजा के तीन या चार स्थायी परामर्शदाता नियुक्त किये जाने चाहिए। वह दो परामर्शदाताओं के पास में नहीं जा क्योंकि उसे यह मय था कि वे कभी राजा के खिलाफ मिलकर एक न हो जाएँ। परन्तु राजा को इस बात का पूरा अधिकार होना चाहिए कि वह अन्वेषणापूर्वकानुसार ( वेदकाल-कार्यवसेन ) अन्वेषणा-अन्वेषण समस्याओं पर उनमें से केवल एक या दो ही से परामर्श करे।

मंत्र या नीति के उद्देश्य मंत्र को अन्वेषण कहा गया है। भाषा की नीति का सम्बन्ध निम्नलिखित पाँच बातों पर विचार करने के साथ है। पहली बात है वेद की प्रतिरक्षा तथा उचित वैदिक सम्बन्धों को सुनिश्चित बनाने के उपाय तथा सामन ( कर्त्तव्यकारणम्भोपाय )। दूसरी है मानव-अन्वेषण तथा नीतिक सम्बन्ध के सम्बन्ध में राज्य के सामन ( पुण्यव्यवस्था )। तीसरी है कोई भी कर्म उठाने के लिए उसका समय तथा स्थान निर्धारित करना ( वेद-कार्यविभाग )। चौथा विषय है अकस्मात् कोई विपदा आ पड़ने पर पहले ही से उसका सामना करने का प्रबन्ध रचना ( विनिपात-प्रतिकार )। पाँचवीं बात है प्रशासनात्मक उपायों को सफ़रतापूर्वक सम्पन्न करना ( कार्यसिद्धि )।

मंत्रपरिपद् मंत्रियों अथवा परामर्शदाताओं के इस छोटे-से निष्ठा के अतिरिक्त राजा की एक नियमित मंत्र-परिपद् भी होनी चाहिए। मनु के अनुयायियों ने इनकी संख्या १२, बृहस्पति के अनुयायियों ने १६ और उषना के

अनुयायियों ने २ निर्धारित की है परन्तु कौटिल्य के मत से मंत्रियों की संख्या आश्वमेधकृतानुसार ही होनी चाहिए । इससे स्पष्टतः यही पता चलता है कि कौटिल्य बहुत बड़ी मन्त्रिपरिषद् के पक्ष में था । उसने अपने मत के पक्ष में इस की १ • अधियों की परिषद् का ब्यक्त किया है । यद्यपि इस की दो ही शक्तियाँ हैं पर उन्हें हजार शक्तियों वाला माना जाता है क्योंकि वे यद्यपि उनकी शक्तियाँ हैं ( तस्माद् इमं इत्यलं साहस्यभ्रमाहः ) [ I १५ ] । कौटिल्य ने राजा की मन्त्रिपरिषद् में की संख्या को राजत्व का गुण बताया है । उसके मतानुसार जो राजा असुखपरिपक्व होता है अर्थात् जिसकी मन्त्रिपरिषद् बहुत छोटी होती है वह अपनी शक्ति के एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत से शक्ति रहता है [ VI १ ] । यह बात उल्लेखनीय है कि चन्द्रगुप्त के समय से बहुत पहले पाणिनि ने जिनका जीवनकाल ५ ई पू से पहले ही समाप्त हुआ था या परिषद् का उल्लेख राजत्व के अमिश्रण के रूप में किया है । पाणिनि ने लिखा है [VI, ४४४] कि परिषद् के सदस्य को 'परिषद्' और वह राजा जिसकी शक्ति अपनी परिषद् के कारण सुदृढ़ होती हो उस 'परिषद्' कहा जाता चाहिए [ V २ ११२ ] ।

मन्त्रिपरिषद् की कार्य-पद्धति : कौटिल्य ने यह भी बताया है कि परिषद् में राजा को किस कार्य-पद्धति के अनुसार काम करना चाहिए । जैसा कि पहले बताया जा चुका है प्रशासन-सम्बन्धी सब ऐसे कार्य होते थे जिन्हें राजा को अपनी पूरी मन्त्रिपरिषद् के साथ बैठकर निबटाना पड़ता था । उदाहरण के लिए, जब तक मन्त्रिपरिषद् के सदस्य उपस्थित न हों तब तक राजा बिदेसी राजाओं के राजदूतों से भेंट नहीं कर सकता था । साम्राज्यता उस प्रशासन-सम्बन्धी सात कार्य अपने मंत्रियों के साथ बैठकर ही करना होता था ( आसन्नस्तह कार्याणि पर्येत ) । यदि परिषद् का कोई सदस्य उपस्थित न होता था तो वह पत्र भेजकर उसका परामर्श पूछता था ( आसन्नस्तह पत्रसम्प्रेषणेन संश्रयेत् ) । यदि कोई आश्वमेध नाम का पड़ता था तो राजा अपने मंत्रियों ( मंत्रिभ्यो ) और अपनी मन्त्रिपरिषद् ( मन्त्रिपरिषदे ) दोनों ही को अपने सम्मुख बुलाकर वह समस्या उन्हें समझाता था ( श्रुयात् ) । साम्राज्यता वह मंत्रियों तथा मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों की उन समूह समा के बहुरूप की रूप के अनुसार ( तत्र यद्भूमिच्छाः श्रुत्वात् कर्तव्यं ) या जो कल्याण की दृष्टि से उपयुक्त समझा जाता था ( कार्य तिष्ठित्वम् ) उसके अनुसार कोई काम उद्योग था ।

अगोत्र की मन्त्रिपरिषद् अगोत्र के लोगों में उसरी 'परिषद्' का उल्लेख मिलता है ( निमात्रेण ३ तथा ६ ) । अगोत्र ने कहा है कि जब कोई उसरी समूह ( आश्वमेध या मन्त्रिपरिषदे—कौटिल्य का आश्वमेध ) उठ पड़ी जाती थी तो वह उसे अपने मंत्रियों ( महायाज ) की परिषद् ( परिषदा ) के सम्मुख

प्रस्तुत करता या और वे उस पर (ताप अडाय) विचार-विमर्श या बाद-विचार करते थे ( विचारो निवृत्ति ) ।

यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि बिष्णुवर्धन ( पृष्ठ १७२, कावेस शाला संस्करण ) के अनुसार ( अंगुष्ठ के पुत्र ) बिदुसार के ५०० अमात्य थे ।

पठम्बजि ने अपने महाभाष्य में 'अत्रमुत्त-समा' का उल्लेख किया है ( पानिनि I १९८ पर भाष्य ) ।

परिषद् का सचिव मंत्रिपरिषद् का अपना सचिव होता था जिस पर उसके कार्यालय की देखभाल का भार होता था । कौटिल्य ने उसे मंत्रिपरिषदाध्यक्ष कहा है ( L, १० ) ।

यूनानी कृतों में अथ हम राजा की मंत्रिपरिषद् के विषय पर यूनानी लेखकों की छात्री पर विचार करेंगे ।

डियोडोरस : डियोडोरस ने मेगास्थनीज की रचनाओं का जो सार-संग्रह तैयार किया है उसमें उसने 'सार्वजनिक समस्याओं पर विचार-विमर्श करनेवाले परिषदसदस्यों ( कौंसिलरों ) तथा निर्धारकों ( असेसर्स ) का उल्लेख किया है । यह सबसे अल्पसंख्यक पर सबसे सम्मानित वर्ग है । इसके सदस्यों के खरिब तथा उनकी बुद्धिमत्ता का स्तर बहुत ऊँचा है क्योंकि उन्हीं के बीच से राजा के परामर्शदाता राजकोषाध्यक्ष तथा जगड़ों का फैसला करनेवाले न्यायाधीश चुने जाते हैं । सेनापति और प्रधान बंधाधिकारी भी बहुधा इसी वर्ग के होते हैं ।

एनासो : राजा के "परिषदसदस्यों तथा निर्धारकों" का उल्लेख करते हुए एनासो ने लिखा है कि 'दासत-व्यवस्था न्यायालय तथा सार्वजनिक प्रशासन के सर्वोच्च पदों पर यही लोग आसीन हैं । ( XV I ४९९ )

एरियन : एरियन ने लिखा है "राज्य के कुछ परिषदसदस्य होते हैं जो जन-साधारण से सम्बन्धित समस्याओं को निबटाने में राजा या स्वशासित नगरों के बंधाधिकारियों को परामर्श देते हैं । सदस्यों की संख्या की दृष्टि से यह बहुत ही छोटा वर्ग है परन्तु अपनी अल्प बुद्धिमत्ता तथा न्यायप्रियता के कारण यह वर्ग विशेष रूप से प्रतिष्ठित है और इसीलिए इस वर्ग को यह श्रेय प्राप्त है कि राज्यपाल प्रांतों के प्रधान उप राज्यपाल राजकोष-निरीक्षक सेना तथा नौसेना के सेनापति इषि का निरीक्षण करनेवाले नियमक तथा आयुक्त इसी वर्ग में सं चुने जाते हैं" ( इंडिका XI, १२ ) ।

गणतंत्रों की परिषदें : यह बात उल्लेखनीय है कि एरियन ने अनुसार मंत्रिपरिषद् राजनीतिक तथा गणतंत्रिक बातों ही प्रकार के सविचारों का वर्ग थी । हम पहले देख चुके हैं कि मौर्यकालीन भारत की राजनीति में प्रमुख रूप से भाग लेने वाली गणतंत्रिक आदियों की संख्या किन्तु अधिक थी ।

ये ही अमात्य थे हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए, कि यूनानी कृतांतों में परिपलसबस्यों तथा निर्धारकों का जो विवरण मिलता है वह कौटिल्य द्वारा दिये गए उन पदाधिकारियों के विवरण के ही अनुसंधान है। जिन्हें उसने 'अमात्य' कहा है। इन्हीं अमात्यों में से कुछ विशेष परीक्षाओं तथा योग्यताओं के आधार पर मंत्रियन तथा विभागाध्यक्ष चुने जाते थे। इन प्रकार अमात्यों के इस विवरण पर ही देश की राज-सेवा का व्यवस्थापन या जिनके लिए सर्वोच्च योग्यता रखनेवाले लोग ही चने जाते थे।

मन्त्री अथवा प्रधान मन्त्री कौटिल्य की प्रशासन-व्यवस्था की पूरी यात्रा का वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले तो राजा सबसे अधिक अपने मन्त्री पर और अपने पुरोहित पर निर्भर रहता है। प्रशासन में उनका पद सबसे ऊँचा माना जाता था। उनके बाद राजा के मंत्रियों अथवा परामर्शदाताओं का स्थान है जो (मन्त्रिय-मंत्रियन) कहलाते हैं इसी श्रेणी में मंत्रियों का वह दूसरा वर्ग भी आता है जो मन्त्रिपरिवर्ग के सदस्य होते हैं। ये सभी उन पदाधिकारियों की श्रेणी में आते हैं जिन्हें अमात्य कहा जाता है।

मन्त्री का पद शक्ति मन्त्री को ४८, • पग वेतन मिलता था या सर्वोच्च वेतन का इतने पता चलता है कि मुख्य मन्त्री का पद उन्नीस का होता था। जो मन्त्री मन्त्रिपरिवर्ग के सदस्य होते थे उन्हें केवल १२ •• पग वेतन मिलता था।

धोम्स्तार्पैः मुख्य मन्त्री की दायित्वों के सम्बन्ध में यह निर्दिष्ट है कि उसे देश का निवासी (आत्मय) होना चाहिए। उसे ब्यावहारी (प्रयत्न) विपुल बलता (बाली) साधन संपन्न (प्रतिपत्तिमान) विस्मय ईमानदार तथा स्वस्थ होना चाहिए।

अप्रामात्य यह बात उल्लेखनीय है कि विष्णुवर्धन के अनुसार अश्वमेध के पुत्र विदुवार का प्रधान मन्त्री जिसे अप्रामात्य कहते थे गम्भाटक या और अघोष का अप्रामात्य सम्बन्ध था।

पुरोहित, प्रधान कोटि का मन्त्री : पुरोहित के बारे में यह कहा गया है कि पगबन्धो तथा छ बेदांगी ग्यातिय (ईश) घट्टन-विचार (निमित्त) और शासन तथा (इष्टनीति) तथा अयवंबेद के प्रयोगों का परिचित होना चाहिए। "राजा का उन्नीस ईश ही आज्ञायारी रहना चाहिए, जैसे प्रिय अपने मूल का पुत्र अपने पिता का और शौकर अपने मासिक का आज्ञायारी जला है। इस प्रकार शासकों के शासन-शासन में रहकर एक माध्य मन्त्री से शासन-कला सीखाकर और शासन के आदेशों द्वारा अनुशासन शासन राजा मन्त्रिय पर भी विचार प्राप्त कर सेवा' (I ) ।

राज-सेवा आयोग : प्रधान मन्त्री और पुरोहित के पदों का बहुत बड़ा शासि-

यादिक महत्त्व होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा स्वयं उन अमात्यों को नियुक्त करता था जो (क) प्रधान मंत्री तथा राज-पुरोहित के रूप में या (ख) उन तीन या चार मंत्रियों के समूह के रूप में जो राजा के मंत्रियों अथवा परामर्शी गणतानों के रूप में सर्वत्र उसके पास उपस्थित (आगत) रहें या (ग) मंत्रिपरिषद् के सदस्यों के रूप में उसके मंत्री रहें। इन तीन मंत्रियों के मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति का फैसला राजा अपने प्रधान मंत्री तथा राज-पुरोहित के साथ मिलकर (मंत्रिपुरोहित सह) करता था (I १०)। इस प्रकार इन या मंत्रियों और राजा की एक अंतर्गम परिषद् होगी जो उच्च प्रशासनिक कार्यों का जैसे विभागाध्यक्ष को नियुक्त करने के लिए एक जन-सभा आयोग की तरह काम करती थी। इन पदाधिकारियों की नियुक्ति बौद्धिक तथा नैतिक दाना ही प्रकार की योग्यताओं के आधार पर उन लोगों में से की जाती थी जिन्हें अमात्य के पद के लिए योग्य समझा जाता था (I, ८)। उन्हें धर्म (धर्म) अर्थ (धन) काम (नैतिक आचरण) तथा भय के सम्बन्ध में प्रसन्न देखकर उनकी परीक्षा भी जाती थी (I, १)।

यह जान सम्भवनीय है कि मेगास्थनीज ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि राज्य के सभी उच्च पदाधिकारियों को प्रांतीय राज्यपालों तक को एक परिषद् ही नियुक्त करती थी।

नियुक्ति के लिए परीक्षाएँ पहली परीक्षा में किसी पुरोहित का झूठ-पुस्तक करके अमात्य के बीच भेज दिया जाता था और वह उन्हें इस आधार पर राजा के विरुद्ध विश्वास करने के लिए उकसाता था कि वह अपायिक है। दूसरी परीक्षा में किसी सेनापति को पैसा का धान का आगेप कनाकर झूठ-पुस्तक निकाल दिया जाता था कि वह जाकर अमात्य को राजा की हत्या करने का पदार्थ करने के लिए उपयुक्त का प्रसन्न है। तीसरी परीक्षा में एक युवक स्त्री को सामुग्री (बहिर्जाजिका) के भेग में महानाथों का पण्डित करने के लिए नियुक्त किया जाता था वह जाकर बायी-बायि से प्रत्येक स कहती थी कि रानी उससे प्रेम करती है। चौथी परीक्षा में मंत्रियों को राजा की हत्या के पदार्थ में सम्मिश्रित होने के लिए प्रसन्न किया जाता था (उपर्युक्त)।

पदाधिकारी चुनने का सिद्धांत : न्यायालयों के पदाधिकारियों को नियुक्ति पदाधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम यह था कि जो अमात्य अथ-परीक्षा में उतीर हों उन्हें न्यायाधीश नियुक्त किया जाए—बीबानी के धी (धर्म स्वीय) और फौजदारी के भी (कष्टकधीयन) (उपर्युक्त)।

राजत्व तथा राज-अन्तर्गत जिन अमात्यों के नियम में यह निश्चित हो जाता था कि वे चुन गरी सेठे उन्हें राजस्व तथा राज-अन्तर्गत से सम्बन्धित विचारों

का अप्यक्ष नियुक्त किया जाता था (समाहर्तु-सन्निपातानुविचय-अकर्मसु) [ उप-  
र्युक्त ] ।

रतिबाध जो ब्रह्मसूत्र-काम-आसनाया के प्रलोभन से परे सिद्ध होते थे वे स्त्रियों से सम्बन्धित विचारों का मार संभारने के लिए सबसे योग्य समझे जाते थे । राजधानी और सुदूर-स्थित स्थानों में भी राजा के रतिबाधों की देखभाल का काम उनके गुरुर किया जाता था (बाह्यधाम्यन्तर-विहाररक्षासु) [ उपर्युक्त ] । राजधानी के बाहर राजा के जो रतिबाध होने थे उनमें राजा की रखी (भौगिन्य) और राजप्रासाद के रतिबाध में रतियाँ रखी थी जिन्हें 'बिदाँ' कहा जाता था (टीकाकार) ।

अशोक के रतिबाध इस प्रसंग में यह बात उल्लेखनीय है कि अशोक ने अपने एक समय में (शिलालेख ५) अपने और अपने माहया के रतिबाधों (जोसे-  
यन) का और अपनी बहनों के निवास-कक्षों का उल्लेख किया है जो पाटलिपुत्र में भी थे (हिंदू पाटलिपुत्रे च) और बाह्यर के नगरो में भी (बहिरेसु च नगरेसु) । अशोक ने अपनी दूसरी रानी (द्वितीयाये बेबीये) का भी उल्लेख किया है जिसका नाम बारबासी था और जो राजकुमार तीवर की माँ थी । अशोक ने कौशाम्बी के बाह्यर नगर में उसके निवास-स्थान का भी उल्लेख किया है । अपने माठवें सर्वप्रथम समय में अशोक ने एक जगह फिर अपनी रतियाँ का और पाटलिपुत्र में तथा प्राता में (विगासु) अपने रतिबाधों का उल्लेख किया है और उसने अपने पुत्रों का भी उल्लेख किया है इनमें उनकी रतियाँ के पुत्र (बेबीकुमार) और दूसरी रतियाँ के पुत्र (बारक) का उल्लेख है । कौटिल्य के आदेशों का पालन करते हुए अशोक ने भी इन रतिबाधों की देखभाल के लिए 'धर्ममहामात्र' नामक विशेष पदाधिकारी नियुक्त किए थे । बरबस यह विचार मन में उठता है कि इन पदाधिकारियों की उपाधि 'धर्ममहामात्र' ही इस बात की द्योतक है की इनकी परीक्षा कौटिल्य की धर्म-उपजा अपवा काम-उपजा द्वारा ही थी (धर्म-परीक्षा में काम का भी समावेश मानकर) । अपने १२वें शिलालेख में भी अशोक ने उस विषय पदाधिकारियों की नियुक्ति की बातचीत की है जो स्त्रियों के हितों का ध्यान रखेंगे और उनमें उक्त सभी-अप्यक्ष-महामात्र की उपाधि से विभूषित किया है । अशोक के अनेक रतिबाधों का उल्लेख करनवाले इन शिलालेखों से अतिरिक्त हमें महार्थ है यह पता चलता है कि त्रिभू नगम अशोक उन्नीस में उप-राजा के पद पर नियुक्त था उस समय उसने बदिमा-महादेवि-शास्वत्कुमारि नामक एक महिला से विवाह किया था । जब अशोक राजा बनकर पाटलिपुत्र गया वहाँ वह अपनी पटरानी (अपमन्त्रिणी) अगन्यविद्या के साथ रहता था जो वह उनके नाम गदीर्ष की बन्धि वह बदिना में ही रहीं इन प्रकार

बतिसा एक और गुरुर स्वात वा जहाँ अपोट का रतिबास बा (V ८५ तथा ८६) ।

राजा वे अंगरक्षकों की नियुक्ति अथ में वे पदाधिकारी के जिम्ह भय छू भी नहीं गया बा और जिन्हें किसी भी उपाय मे राजा क प्रति स्वामिभक्त क पय से विश्वसित नहीं किया जा सकता था । मे पय स्वामिभक्त भाग अपने प्राण की परबाह न करतबास और हर समय सर में कष्टन बाये रहतबास भोग राजा के अयारणक बूते जाने से (आसन्न-बायें) ।

गुरुर स्थित चौकियाँ वा पदाधिकारी उपर्युक्त परीक्षाया म से किसी में उतीर्ण नहीं हो पाते से वे कहीं दूर लाना चकड़ी क अयमा हायिया क जगलों वा कारवाणा (कर्मन्ति) क निरीक्षण नियुक्त किए जाते से ।

मंत्री जो अयान्य उपर्युक्त चारां परीक्षामो में उतीर्ण होते से वे उपर्युक्त तीन श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी के मंत्री के सम्मानित पद पर नियुक्त किए जाने के योग्य समझे जाते से ।

साधारण कर्मचारी यह भी निर्दिष्ट कर दिया गया बा कि जो भोग अयान्य बनने की साम्यता रखते हूंगे पर जिनकी परीक्षा नहीं की गई हागी और जिन्हें परना नहीं गया होगा वे सामान्य विभागों (सामान्य-अधिकार्य) म नियुक्त किए जाएँगे ।

राजदूत सचिव तथा विभागाध्यक्ष अयान्य राजदूत (नितुष्टार) के पद पर भी नियुक्त किए जा सकते से । जिस अयान्य में राजदूत बनने की पूरी योग्यताएँ नहीं होती थी उस विधेय शिष्टमंडला में (परिमितार्थ) वा राजाओं के बाहक क रूप में (सासनहर) नियुक्त किया जाता बा [I १६] । अयान्यों को सेवक अर्थात् राजा के पद-अभ्यवहार सचिव के पद पर [II १०] और विभागाध्यक्ष के पद पर [II, ९] भी नियुक्त किया जाता बा ।

गुप्तचर्या विभाग : कौटिल्य ने यह भी किया है [I ११] कि राजा अपने मंत्रियों के सहयोग से प्रशासन के गुप्तचर्या विभाग के पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा । इस विभाग में जिसका काम बहुत कठिन माना जाता था नियुक्ति के लिए कर्मचारियों को चुनने का काम अयान्यवर्ष के ऐसे भोगों को ही सौंपा जाता था जो अपनी बोधताएँ मित्र कर चुके हों (अपधाधिस्तुड) । इसका मत यह तो यह है कि उन्हें चुनने का काम मंत्रियों क एक वर्ग के सुपुत्र वा जिनमें प्रशासन मंत्री पुरोहित और राजा के परामर्शदाता उपर्युक्त मंत्रिगण हींते से । क्योंकि कौटिल्य ने यह निर्दिष्ट कर दिया बा [I १] कि जो अयान्य सभी समय परीक्षाओं में जरे उतरते उन्हें मंत्री नियुक्त किया जाएगा (सर्वोपबाधुडान मंत्रिष्य कर्मात्) ।

राजा की असाधारण शक्तियाँ : यह बात ध्यान देने योग्य है कि मंत्रियों गुणधरो तथा विभागाध्यक्षों जैसे उच्च पदाधिकारियों का नियुक्त करने का अधिकार अपने हाथ में रखने के अतिरिक्त राजा को मीठरी (अर्थात्) अथवा बाहरी (बाह्य) संरक्षण (कोष) से उत्पन्न होनेवाली आर्थिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी अपने हाथ में कुछ असाधारण शक्तियाँ रखनी पड़ती थी। आर्थिक उत्पाद राज्य के लिए अधिक गम्भीर होता है और उसे सस्ती से कचरा बना आवश्यक होता है। यह कहा गया है कि इस प्रकार का उत्पाद राजा के निम्नलिखित सर्वोच्च पदाधिकारियों के विस्वासघात अथवा ग़ोह के कारण उत्पन्न होता है (१) मंत्री (प्रधान मंत्री) (२) पुरोहित (३) सेनापति, (४) मुख्यालय : यदि कोष राजा का हो तो स्वीकार करके उस कोष खान देना चाहिए (असहयोग-स्वागत)। यदि कोष उमका न हो तो उसके धामने के बहक यही चारा रह जाता है कि वह या तो उन्ह बरी बना के (संरोधन) या उन्हें बेगिननाला (अथवा बंधन) करे। यदि मुख्यालय राजा का करे, तो उसे अधिकतम बड़ (निग्रह) दिया जाना चाहिए। अन्य पदाधिकारियों (अथवा) को राजा के लिए अतिरिक्त दंड दिया जाना चाहिए (अथवा) मुपायान प्रायुञ्जति)।

बाहरी उत्पाद के सत्त्वों की उत्पत्ति का कारण निम्नलिखित पदाधिकारियों के विद्रोह का बताया गया है (१) राज्यसुदर ( ) अन्तर्गत (२) आठविठ (६) पराधीन राजा (अथवा)। इस धर्म को दूर करने का उपाय यह बताया गया है कि एक को दूर से भिड़ा दो (तम योग्यतावप्राप्त्येत) [I. 1. 1]।

प्रशासन तथा सत्ता के नियम कौटिल्य ने वे नियम भी दृष्टि कर दिए हैं जिनसे अनुमान विभागाध्यक्षों को अपने विभागा का प्रशासन चलाता चाहिए [II ]। प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष का अधिकारी बनने से इस बात का हेतु है कि वह अपने विभाग के आय-व्यय को "म प्रचार" मनुष्यित करे कि आय का जो अनुमान लगाया जाए वह बनूत हो जाए। कौटिल्य ने विभागा के अध्यक्ष का अध्यक्ष की मजा भी दी है और उनसे लिए "अनुसूचित" अथवा उच्च पदाधिकारियों की स्थापना तथा वा प्रयोग भी किया है (मुत्तानां उपरि निमुत्तानः)। विभागाध्यक्ष की नियुक्ति उम पर के लिए उमकी अनुसूचना के आधार पर (अथवा) की जाती चाहिए। उम आदेशों के अनुसार (यथा संवेराम्) काम करना चाहिए और 'आय लभ जाने या बाध आ जान' जैसी आर्थिक परिस्थितियों को छोड़कर उम पहले से अनुमान लिए बिना कोई ऐसी योजना नहीं आरंभ करनी चाहिए, जिसमें अन्त पर व्यय होने वाला हो। यदि कोई अपना काम निम्नलिखित आदेशों के अनुसार पूरा करे या आदेशों में अन्त काम करे तो उसे विशेष तथा अन्त दंड (स्वातन्त्र्य) पुरस्कृत किया जाना चाहिए। अनुमान

से अधिक राजस्व नहीं बसूल किया जाता चाहिए। क्योंकि ऐसा करना 'दिग की छा जान' के समान होया (जनपथ भण्डारि)। विभागाध्यक्ष का मुख्य काम यह है कि वह सामान्य रूप से भी और विस्तृत परीक्षण द्वारा भी आय तथा व्यय के हिसाब की जाँच करे।

हम देखते हैं कि अधिकतर विभागाध्यक्षों को मुक्तमिस्स केंद्रों में और देश के भीतरी भाग में काम करना पड़ता था। वहाँ विभागाध्यक्ष को जल सोपों पर कड़ी गजर रखनी पड़ती थी जो अपनी पैतृक सम्पत्ति से अपभ्यय करके विवाहितियों की ओर बढ़ रहे हो (मूलहृद) या जो पञ्चसत्तर्ष हो और कुछ न बचाते हूँ बल्कि एक हाथ से जो गिरिया हो उंसे दूसरे हाथ से उड़ा देत हों (लाहातिरक) या जो धार बजूस (अर्ध) हों और खुद मुले रखकर तथा अपने परिवार वालों को लूटा रखकर धन जोड़ते हों (माभूयसतमपीडाभ्यामुपचिनो र्पर्वम्)। उंसे रूपन तथा धनवान पूजोपधियों की धन र्प्य की सेम-देन पर विवेक रूप से कड़ी गजर रखनी चाहिए और यह देयना चाहिए कि वे अपने घरों में जमीन में पाहकर या जोसके धर्मों में छिपाकर किस प्रकार धन जमा करते हैं (स्वधेस्मनि भूयर्तस्तमश्रौटरादिबु) या किस प्रकार वे छहूरे या पाँचों के लोगों के पास अपना धन जमा करते हैं (अधविपत्ते वीरजानपदेव) या किस प्रकार वे उंसे थोरी से विदेशों की भेज देते हैं (अधस्त्रावपति परिधिपये)। इस प्रकार के लीम जगै बसकर देश के लिए क्षतरनाक छिद्र हो सकते हैं क्योंकि वे तरह-तरह के उपायों से कर देने से बचते हैं और राज्य की समृद्धि में बड़ा उचित योग नहीं देते।

बुकि विभागाध्यक्ष का काम मुख्यतः रुपये-पैसे का और इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसके विभाग का काम बनावत के कारण टप न हो जाए, इसलिए उंसे काम में सहायता देने के लिए उंसे छाप कई जाब दबक पदाधिकारी होने चाहिए। इन पदाधिकारियों के नाम ये हैं: हिसाब-किताब रखनेवाला (संख्यापक) खिलने वाला (लेखक) गुंठा की परलनेवाला (बचवसंक) कोषाध्यक्ष (नीबीपहक) और इन सबके ऊपर एक उच्च पदाधिकारी (उत्तराध्यक्ष = बीपरिक)। इस उच्च अधिकारी के पद पर सेवा निवृत्त सेनिक अधिकारियों को नियुक्त किया जाता चाहिए (बृद्धभावादिना बुडाजनाथ)।

यह भी कहा गया है कि हर विभाग में कई उप-विभागाध्यक्ष (व्युमुत्प) होने चाहिए, परंतु उनकी नियुक्ति स्थायी रूप से नहीं बल्कि थोड़े समय के लिए (अस्थाय) ही की जाती चाहिए। 'स्थायी नीकरी के कारण जो सुरक्षा प्राप्त हो जाती है उससे कर्मचारी के स्वतंत्र तथा दुष्ट हो जाने का घतरा पैदा

हा पाठा है और बेसवामियों (बालपदा) को उसके दोषों की सिफायत करने का कोई उल्लाह नहीं रह पाठा ।

प्राधिकारिया को यह भी आदेश दिया गया है कि वे पवन के लिखाऊ सठक रहें क्योंकि त्रिण राज-कर्मचारिया के हाथ में बहुत पैसा माठा है उनकी ओर से इस बात का मतलब रहता है । मजन को पकड़मा उमी प्रकार कटिण होता है जैसे इस बात का पना समाना कि पानी में तैरनेवासी मछली जब पानी पी करती है । जो राज-कर्मचारी अष्टाचार अच्छा गजन के अग्रणी हा उनके निमाऊ कार्रवाई की जानी चाहिए और सार्वजनिक दोष का जो बत उठाने गजन किया हों वह उनम बागम करग सेना चाहिए (आत्मावयवबोधोपहितान्) । इसक अतिरिक्त उन्हें अपने पद से हटाकर नीचे पद पर नियुक्त करके बड दिया जाना चाहिए (विपयस्यञ्च कर्मसु "कर्मसु विपयस्यञ्च व्यस्ययेन निबेद्रयेत् उच्च कर्मस्थानेष्वेव-वरोप्य नीचकर्मस्थानेषु नियुञ्जीत्") । इस प्रकार गजन के लिए वा बड विहित है (१) आत्मावयव (गजन किया हुआ बत बापस कराना) और (२) विपयस्य (पद पटाना) । डुरयी ओर उन पदाधिकारियों को जो न केवल सार्वजनिक दोष से घन का गजन न करें, बल्कि श्याव के अनुसार (श्यायत) समम बृति भी करें, उन्हें उनके पद पर स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया जाना चाहिए (निर्यापिकारः) ।

राजसेवा के नियम न पठा चमठा है कि कुछ समय तक प्रत्येक राज कर्मचारी का नाम बणा जाना वा और यदि उसका काम अच्छा होना वा ता उसकी लौकरी पक्की बन भी जानी थी ।

बेतन तथा सेवा की कौटियाँ : पूरी राजसेवा विभिन्न कौटियों में विभाजित थी और हर कौटि के लिए अलग-अलग बेतन निश्चित थे । कौटिस्य में इन कौटियाँ का विवरण दिया है (१३) जिससे मसी भाति पठा चमठा है कि दस के विविध दिना तथा उमरी बहुमुपी आयस्वकृताओ को पूरा करने के लिए जो प्रणामन-स्वचरवा स्थापित की गई थी वह कितनी व्यापक तथा बटिल थी । परन्तु कौटिस्य में प्रणामन के सम्बन्ध में एक नियम यह भी बना दिया था कि उन पर प्रानीय गजम्ब के बोर्डा भाव से अधिक व्यय नहीं किया जाना चाहिए (दुर्य जनपदास्या भृत्यकर्म समुद्रपायेन स्थापयेन) [१३] । बेतनके हिसाब में कौटिस्य में इन पदों की जा कौटियाँ बनाई हैं वे इस प्रकार हैं—

४८००० पन बेतन पात्रवाले

- १ मभी (प्रणामनभी) ।
- २ पुण्डित ।
- ३ सेनाधी ।

४ मुख्यालय ।

राज-परिहार के निम्नलिखित सभ्यता तथा घरवालों को भी इतना ही गुंजायुक्तता का राजपुर (भाष्यार्थ) या करानेवाला पुरोहित (अतिथि), यती (राज-महिषी) और राजमाता ।

२५००० पण बेतल पानेवाले

- १ राज-प्रासाद का रक्षक (द्वैवारिक) ।
- २ रतिनाम का निरोधक (अंतर्निहित) ।
- ३ अस्वास्थ्यों का प्रधान अधिकारी (प्रशास्त्र) ।
- ४ प्रधान कल्पक (समाहृत) ।
- ५ प्रधान कोषाध्यक्ष (समिपत्) ।

१२,००० पण बेतल पानेवाले

- १ नगर का मुख्य (वीर-अभ्यासहारिक) ।
- २ इषि तथा वन-श्रेणों का निरीक्षक (कर्मनिष्ठ) ।
- ३ मंत्रि-परिषद् के सचिव ।
- ४ प्रांतों के सासक (राष्ट्रपाक) ।
- ५ सीमांत प्रदेशों के रक्षक (अंतपाल) ।
- ६ अस्वस्थता का सेनापति (कुमार-अभ्यासहारिक)
- ७ अस्ती सैनिकों के रिमाळे का सेनापति (कुमार-माता अक्षतिजन-मेता) ।
- ८ वैद्य सेना का सेनापति (सायक-परिचितेता)

८,००० पण बेतल पानेवाले

- १ घोषियों के सभ्यता (घोषी-मुख्या) ।
- २ हाथियों रथों तथा घोड़ों की देखभाल करनेवाले प्रधान अधिकारी (हस्त्यद्वारकमुख्या) ।
- ३ ग्वाहाधीश (प्रवेष्टा) ।

४,००० पण बेतल पानेवाले

- १ वैद्य सैनिकों घोड़ों रथों तथा हाथियों के निरीक्षक (पर्यावरण-हस्त्याध्यक्षा) ।
- २ हाथियों के जंगलों तथा कच्छी के जंगलों के निरीक्षक (अभ्य-हस्ति-वतपाला) ।

२,००० पण बेतल पाने वाले

- १ रथ-विद्या सिखानेवाला (रथिक) ।
- २ चिकित्सक ।

- ३ सना के घोड़ों को सपानेवाला (अपवधमक)
- ४ सैमा का बड़ई या गिस्ती (वर्षिक) ।
- ५ पद्म पारुनेवाले (योगिपोयका) ।
- ६ हाथियो को सपानेवाला (अनीकसक) ।

१,००० पत्र बेतन पानेवाले

- १ मन्विष्य विचारनेवाला (कस्ताभिक) ।
- २ राशिपुत्र बतानेवाला (नेमिलिक) ।
- ३ ब्योतिपी (मीहलिक) ।
- ४ पुराणो की ब्याख्या करनेवाला (बीराणिक) ।—
- ५ सारपी (सूत) ।
- ६ आरण अपवा गरीये (मायम) ।
७. पुरोहित के कर्मधारयण (पुरोहितपुण्यक) ।
८. सभी विधानों के अध्याय (सर्वाभ्यसा) ।

५००—१,००० पत्र बेतन पाने वाल

- १ किसी वर्ग का प्रधान (अर्थ) ।
- २ अंगली घोड़ों तथा हाथियो को सपानेवाला (मुस्तारोहक) ।
- ३ धनुमबी आमुष (माचक) । (इन्हें अपराध-जीवी पशों में से भरत किया जाता था)।—
- ४ पत्थर का नाम करनेवाला (दीप्तखनक) या राज-मूर्तिहार ।
- ५ संवीर के अध्यायकों धिगकों और प्रमशास्त्र तथा अर्थशास्त्र के विद्वे

जना को उपर्युक्त पत्र बेतन के रूप में नहीं बल्कि सम्मानाथ दिया जायज क्योंकि उनकी संघर्ष सर्वसाधारण का निःशुल्क उपलब्ध रहनी हैं (सर्वोपलब्ध विद्वत् आचार्य विद्यावंतश्च पूजावतमानि) ।

५ • पत्र बेतन पानेवाले

- १ वैदक सैनिक (बाहल) ।
- २ हिमाव-विद्याए रखनेवाले (संख्यापक) ।
- ३ कर्क (सेकक) ।
- ४ गिलाहार (गाम्यवंत) ।
५. संपीठ-निर्देशक (तुर्व-करक) ।

२५० पत्र बेतन पानेवाले

गरीये (अधीलवाक) ।

१२० पत्र बेतन पानेवाले

अथवा गिलाहार (काक-गिस्ती) ।

६० पत्र बेतन पाने वाले

१ परगुमों तथा पक्षियों आदि की सेवा करने वाले गौकर-बाकर (परि-  
चारक) तथा उनके प्रधान (पारिभमिक) ।

२ राजा के निजी सेवक (जीपस्यादिकशरीर-परिचारक) ।

३ गाय पाकनेवाले (गोपातक) ।

४ धमिक (विष्टि) ।

५ परगु-पक्षी आदि पकड़नेवाले (बंभक) ।

सद्विषवाहकों (डूत) को दस योजन एवं संदिस के जाने के लिए १० पत्र  
भीर मी योजन की दूरी तक संदिस के जाने के लिए २ पत्र देने का नियम था ।

राजसूय यज्ञ के अवसर पर मंत्री तथा पुरोहित को उनके सामारण  
बेतन का तीन गुना विशेष बेतन दिया जाता था । उस अवसर पर राजा के  
सारथी को १ ०० पत्र दिये जाते थे ।

विभिन्न बनों के गुप्तचरों को १ पत्र देने का विधान है ।

गाँव के कर्मचारियों को (जैसे बोधिया तथा गुप्तचरों को) ५ पत्र  
मिलते थे ।

गुप्तचरों के मीकरों को उनके काम के हिसाब से (प्रयास-बुद्धिबेतन वा)

२५ पत्र या उससे अधिक बेतन मिलता था ।

१० से १ पत्र तक बेतन पानेवाले राजकर्मचारियों को व्यम्पसों के  
अधीन रखा जाता था जो उनके बुधारे पारिभमिक (पुरस्कार, आदेश तथा  
उन्हें सीपे जाने वाले काम (विशेष) का निश्चय करते थे ।

जब किसी कर्मचारी के लिए कोई काम नहीं रह जाता था (अविशेष),  
तो उन्हें सरकारी इमारतों (राजपरिषद्) किछों (दुर्य) तथा राज्य की रक्षा  
के साधनों (राष्ट्ररक्षा) की देखभाल करने के काम पर नियुक्त कर दिया  
जाता था ।

वैशाल : सार्वजनिक सेवा के सम्बन्ध में कुछ ऐसे उधार नियम थे जिनके  
कारण इस सेवा का आकर्षण बहुत बढ़ जाता था । जब कोई पशाधिकारी अपना  
काम करते हुए मर जाता था तो उसके पुत्रों तथा उसकी पत्नियाँ को राज्य  
की ओर से मरण-शोषण के लिए भत्ता (मस्त-बतन) मिलता था । मृत पदाभि-  
पारी पर आश्रित उसके उन परिवारवालों का भी ध्यान रखा जाता था जो  
अपनी जीविका नहीं कमा सकते थे जैसे छोटे बच्चे बड़ तथा रोगी ।

मकर अवका उपयोप की वस्तुओं के रूप में बेतन की महात्तमी बेतन  
करके दिया जाता था और उपयोप की वस्तुओं के रूप में भी । जब राजा के  
पाठ धन की कमी होती थी तब वह जन की पैदावार पशुओं या सेठी के लिए भूमि

के रूप में बतल देता था और साथ में कुछ लक्ष्य भी देता था। परन्तु जब नयी अस्थियाँ बसाने की योजना होती थी तो बेतन इन्ध्र से ही देने का नियम था [V ३]।

यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि निम्नलिखित पराधिकारियों को भी भूमि के अनुदान दिए जाते थे परन्तु उन्हें यह भूमि बेचने या किसी और को देने (विक्रमादानवर्जम्) का अधिकार नहीं होता था (१) अम्पत्य (२) सत्यापक (हिमाव-किन्नाव रूपने वाळा (३) योप (४) स्वामिक (५) अनीकस्य (हाथियों का सामने वाळा) (६) विदित्सक (७) अश्वदमक (घोड़ों को सामनेवाळा) और (८) अंधारिक (जायिक सवेरावाहक) [II, १]।

साम्यताओं तथा प्रशासनारमक क्षमताओं के अनुसार विशेष बेतन-मान की भी व्यवस्था थी। (विद्याकर्मम्या भवतबेतनविशेषं च कुपत्ति)

सेवा में नियुक्त बेतन पर्याप्त बेतन-मान के थे नियम थे जो नागरिक सेवा में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवाओं का नियमन करते थे।

## अध्याय ६

### प्रशासन विभाग तथा उनके पदाधिकारी

विभाग तथा पदाधिकारी मूलतः कृषि के विकास के माध्यम से मेगासबनीज में भारतीय प्रशासन की जो व्यवस्था स्वयं देखी थी उसके आधार पर बनाए गए विभागों तथा उनके पदाधिकारियों का एक रोचक तथा सम्पूर्ण विवरण दिया है। ई० आर० बेबन ने जिन्होंने मूलतः कृषि के विकास की सामोचनान्तरक परीक्षा की है लिखा है (सेन्ट्रल हिस्ट्री आफ इंडिया, खंड १ अध्याय १६) "मेगासबनीज में विभिन्न पदाधिकारियों का भी विवरण दिया है उसमें पता चलता है कि उस समय एक सम्पूर्ण सुपरीन्टेंडिंग अधिकारी वर्ग (ऑफिसर) था। मेगासबनीज के अनुसार ये अधिकारी तीन प्रकार के थे (१) एग्रीकल्चरल 'डिवीजनल अधिकारी' (२) एग्रीकल्चरल 'डिवीजनल अधिकारी' और (३) कृषि विभाग के कर्मचारी।

डिवीजनल अधिकारी (एग्रीकल्चरल) "इनमें से पहले प्रकार के अधिकारियों के काम में थे (१) सिंचाई तथा भूमि की पैदावार का निरीक्षण करना, (२) सिंचाई का निरीक्षण करना, (३) कृषि तथा वन-सम्पदा से सम्बन्धित विभिन्न जमीनों और लकड़ों के काम, माल की रखाई के वास्तुगत तथा जमीनों का निरीक्षण करना और (४) लकड़ों की देखभाल करना तथा उनकी परम्परा

करना और इस बात का प्रबंध करना कि 'हर बस स्टेडिया' (१३ मील) पर पूरी को इच्छित करने वाला पत्थर खपवाया जाए" (इस उद्देश्य से विद्य होता है कि मेगास्पनीय का मत यह नहीं था कि भारत में खोप खिलने की वजह से आम और पर अपरिचित थे । )

नगर के अधिकारी (एस्टिमीमोई) "दूसरे प्रकार के अधिकारी अर्थात् नगर के अधिकारी पाँच-पाँच सदस्यों के छ मंडलों में विभाजित थे । इनके काम क्रमशः ये (१) कारखानों का निरीक्षण (२) विदेश से आनेवालों की रोकथाम जिसमें सरायों पर पूर्ण नियंत्रण सहायक अधिकारियों की व्यवस्था रोगियों की रोकथाम तथा मृत लोगों की अंतिम क्रिया शामिल थी (३) आम तथा जल्य का हिसाब रखना (४) बाजार पर नियंत्रण रखना (५) नाप तथा ठीक का निरीक्षण करना और माल का निरीक्षण करना गयी तथा पूर्णनी वस्तुओं की अल्प-अल्प विषी का प्रबंध करना और (६) माल की विषी पर १० प्रतिशत कर वसूल करना ।

"ये छ मंडल सामूहिक रूप से जन-निर्माण-कार्यों कीमतों वपरवाहों तथा मंथियों की आम रोकथाम करते थे ।

इन अधिकारियों में हम मेगास्पनीय द्वारा उल्लिखित निम्नलिखित अधिकारियों को और जोड़ सकते हैं ।

पुरोहित : "आम वैवाहायी जीवन-काल के लिए निविष्ट मंत्रों को सम्पन्न करने के लिए और मृतारमाभा को पिंड-दान आदि करने के लिए जिन कार्य निष्ठा की सहायता लेते थे । इन सेवाओं के बदले उन्हें बहुमूल्य उपहार तथा विनोदाधिकार दिए जाने थे ।" वास्तव में यह संकेत धर्म-अधिवागियों अर्थात् पुरोहितों की ओर है, जो जनता के धार्मिक हितों का ध्यान रखते थे ।

गुप्तधर्म 'वे निरीक्षण विनया नाम यह है कि भारत में जो कुछ भी हा रहा हो उसकी जाँच-पड़ताल करें तथा उस पर दृष्टि एवं और राजा को उसकी सूचना दें और जहाँ राजा न हों' (अर्थात् उन गणतंत्रों में जिन्हें मेगास्पनीय ने अपने समय में राजपत्या जितना ही ध्यान दिया था) "वहाँ उसकी सूचना वशापीयों (अर्थात् गणतंत्र के प्रमुख अधिकारियों को) दें ।" स्वामी ने इनके अतिरिक्त यह भी किया है [X] १, ४९ \*] "बहु लोगों के जिम्मे नगर का निरीक्षण हुआ था और बच के जिम्मे मेना का । नगर का निरीक्षण करने वाले नगर की बेर्याओं की ओर तथा का निरीक्षण करनेवाले छावनी की

१ १ योजन = ८ मील १० स्टेडिया = २ २२ ३ मील = योजन का छ भाग = १३ [रीड इंडिक्स बुकिंग इस्टिया पृष्ठ २६५ कैम्ब्रिज सिटी I १८५] । मैकडिडल ने १ स्टेडिया को एक भारतीय नाम अर्थात् कोस के बराबर माना है ।

बेस्याओं की सहायता सेते थे । इस पर सबसे योग्य तथा सबसे विश्वस्त लोग नियुक्त किए जाते हैं ।" एरियन ने यह भी लिखा है 'भूटी सूचना देना उनके लिए बहिष्ठ है पर वास्तव में किसी भी भारतवासी पर भूठ बोझ का भारीप नहीं लगाया गया है ।"

परामर्शबद्धा (कौन्सिलर्स) राजा के परमर्षदाता राज्य के कौपाय्यल सगड़ों का प्रैतसा करनेवाले पंच" (अर्थात् दीवानो तथा फौजदारी के न्यायाधीश) सेना के सेनापति और मुख्य दंडाधीश" (अर्थात् विभागाध्यक्ष जिन्हें कौटिल्य ने अग्र्य कहा है) ।

मेगास्थनीस ने यह भी कहा है कि राज्य के ये उच्च अधिकारी अधिकारियों के उस वर्ग में से भरती किए जाते थे जिन्हें उसने परामर्शदाताओं (कौन्सिलर्स) तथा असेसरो की व्यापक संज्ञा दी है । यह बात उल्लेखनीय है कि अधिकारियों के इसी व्यापक समूह को कौटिल्य ने अग्र्य कहा है । जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, कौटिल्य ने भी विभिन्न बोटियों के अधिकारों और राज्य के अन्य उच्च पराधिकारियों को इन्हीं अग्र्यों में से भरती करने की व्यवस्था की थी जैते सद्रिपता (मेगास्थनीस का कौपाय्यल) न्यायाधीश विभागाध्यक्ष (मेगास्थनीस का मुख्य दंडाधीश कहा है) और अन्य आधीन पराधिकारी ।

अन्य पराधिकारी : "पशुपालक तथा चिकारी केवल इन्हीं को पशु पालने और चिकार करने का अधिकार था और वे ही मारबाहक पशु बेच सकते थे या उन्हें किराए पर दे सकते थे । मुमि को उन अन्य पशुओं तथा पक्षियों से मुक्त करने के बंधे में जो सेंटों में बोये गए बीज या जाते हैं, उन्हें राजा की ओर से कुछ अन्न दिया जाता है ।

"घरनात्म तथा कब्र आदि और बहार बनायेवाले केवल राजा के लिए ही काम करत हैं और उनका पारिपमिक तथा मोहन राजा होता है ।"

"इनमें से कुछ केवल घरनात्म बनाते हैं और बाकी किसानों तथा अन्य छत्रों के लोगों के उपयोग के बीजार बनाते हैं । इस वर्ग के लोगों को कोई कर नहीं देना पड़ता है, बल्कि उनके मरण-नोपण का प्रबंध भी राज्यकोय से ही किया जाता है ।"

"ब पराधिकारी जो अधिकारों पर नियन्त्री रहते हैं अनौन की पैमाइस करते हैं, जैसा कि मित्त में होता है और उन बस-द्वारों का निरीक्षण करते हैं, जिनके रास्ते मुख्य नहरों से उनकी छात्राओं में पानी भेजा जाता है, ताकि हर आदमी को बचकर-बचकर पानी मिल सके ।"

"शैतिक जिनके मरण-नोपण का कार्य राजा होता है और इसलिए बचकर पड़ने पर वे शरीर रखलेन में उतरने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि उनके पाछ

अपने शरीर को छोड़कर स्वयं अपना कुछ नहीं होता ।

“कर बनूल करनेवाले तथा भूमि से सम्बन्धित पेशों पर, जैसे लकड़हारों बड़ईयों सहायों तथा खनिका पर नियन्त्री रखनेवाले पदाधिकारी ।

“य पदाधिकारी जो सड़कों का निर्माण करते थे और हर बस स्टेडिया की दूरी पर उप-मार्गों तथा विभिन्न स्थानों की दूरी को इयित करने वाले फरार कागवाले थे ।

“राजा की अस्वशाला तथा हस्तिशाला और अस्वशाला पर निगयन्त्री रखने वाले पदाधिकारी ।

इसके अतिरिक्त यह भी किता गया है कि किसी भी साधारण नागरिक को योग्य या हावी रखने की अनुमति नहीं है । ये पशु राजा की विधिष्ठ सम्पत्ति समझे जाते हैं और उनकी देखभाल करने के लिए लोग नियुक्त किए जाते हैं । बोगों को सभानेवाले पेशेवर लोग होते हैं और जब वे किसी बोगे को उद्घुष्ट पाते हैं, तो वे एक बक्कर में बीड़ा-बीड़ाकर उस बघ में करते हैं । जो हीम इस काम का मार संभालते हैं उनके लिए यह आवश्यक होता है कि वे बलवान हों तथा उन्हें घोड़ों का पुरा ज्ञान हो । जो लोग इस काम में बहुत निपुण होते हैं, वे रथ को बक्कर में बीड़ाकर अपनी निपुणता का परिचय देते हैं और सचमुच पार उद्घुष्ट बोगों को एक बक्कर में बीड़ते समयकाबू में रखना कोई आसान काम नहीं है ।

पदाधिकारियों की सूची : भारतीय प्रशासन-स्यबस्था के इन यूनानी कृत्ताओं का अध्ययन करने से पता चलता है कि उनमें बहुत बड़ी संख्या में चहरों तथा देहानों सेना ही जनह के प्रशासनात्मक कृतियों की ओर तथा विभिन्न प्रशासन विभागों में इन कृतियों की कृति की स्यबस्था करने वाले अधिकारियों की ओर ध्यान दिया गया है । इन कृत्ताओं में विभिन्न विभागों का उल्लेख किया गया है, उनमें से कुछ ये हैं

- १ मंत्री परामर्शदाता तथा मंत्रि-परिषद् के सदस्य ।
- २ मुख्य बंधापीन (विभागाध्यक्ष तथा नगर बंधाधीन)
- ३ राज्य तथा कर ।
- ४ निचाई ।
- ५ कर्षण तथा बसोबस (मू-राजस्व प्रशासन) ।
- ६ इयि ।
- ७ बत उद्यान ।
- ८ कर्तव्य के कारणाने ।
- ९ पानु की इन्चार्ज के कारणाने ।

- १० घातें ।
- ११ उहूँ के कारनाम ।
- १२ मगर में आनेवाले विन्धो ।
- १३ सरासे (महूर की) ।
- १४ आबदपक तप्य-आकड़े ।
- १५ रोमिया की बेलनाम ।
- १६ बाजार का नियंत्रण ।
- १७ माप-तौल ।
१८. जन-निर्वाह कार्य के नियंत्रक ।
- १ पुरोहित ।
- २० निरीक्षक ।
- २१ कोषाध्यक्ष ।
- २२ न्यायाधीश ।
- २३ पशुपालक तथा सिकारी ।
- २४ धन्नात्म बनानेवाले ।
- २५ जहाज बनानेवाले ।
- २६ लोही-बाटी के मौजार बनाने वाले ।
- २७ नवियों तथा सिपाई की महूरों के निरीक्षक ।
२८. हाथी चोड़े रख ।

उपर्युक्त विवरण से हमें पता चलता है कि यूनानी लेखकों ने तो केवल विभिन्न प्रधानमामिकारियों का उल्लेख मात्र कर दिया था और मोटे-तीरे पर उनके काम बता दिए थे पर कौटिल्य ने विस्तारपूर्वक बताया है कि उनके काम क्या थे और ये विभिन्न विभाग उन्हें सीने वये विभिन्न हितों की व्यवस्था किस प्रकार चलाते थे ।

कौटिल्य की प्रधानमामिकारियों का लक्षण (ग्रन्थ) कौटिल्य की योजना के अनुसार (II १) प्रधानमामिकी "कई जमपद बचवा प्रांत वा विममें आम तीर पर कम से कम ८०० गाँव होशें वे और प्रत्येक गाँव में १-५०० परिवार होते थे ('कलकलावरे बकबलतककवरम्') । यदि एक साधारण परिवार में दो संयुक्त परिवार (कुल) होता था हम इस संख्यात्मक मान में तीन भाई धीरे उनके मातृ-वन्धु तो हर प्रांतीय प्रधानमामिक का आधीन ४० लाख लोगों का हिसाब बैठता है । अशोक के एक शिलालेख [ स्तंभशिल ५ ] में कहा गया है कि प्रांतीय शासक (राजकु) "कई लाख लोगों पर शासन करता था ।

गाँव एक-दूसरे से सुविधाजनक दूरी पर स्थित होते थे ताकि वे सुसंघटित

रह सके (बीस-द्विषीस सीमानामयोरप्यारत्तम्) इन घोषों को एक-दूसरे से अलग रखने के लिए यथासंभव प्राकृतिक सीमाओं का काम उठाया जाता था जैसे पर्वत बल आदि (नदीसंलयन) ।

प्रतिरक्षा-व्यवस्था प्राचीन प्रतिरक्षा की व्यवस्था अर्थात् सुरंगद्विष्ट होती थी । प्रात में प्रवेश के मार्गों की सुरक्षा के लिए सीमागत चौकियाँ होती थी जिनकी निगरानी अथवाकों अर्थात् सीमातटवर्तियों के जिम्मे रहती थी (अनपह हाराभ्यंतपासाभिच्छिन्नानि स्थापयेत्) जब कि प्रात के अंतःप्रवेश की रक्षा का भार हिलन पकड़नेवाला रात्र (गृध्र पिता तथा भीम माता की संतान) पुंसिद (निच्छिन्नेच्छु पिता तथा किच्छु माता की संतान) बगल (समभ्रान भूमि के रत्तवाके समानवाला) तथा बन-रक्षकों आदि लोगों में से भरती किये गए विशेष कर्मचारियों पर हुआ था (तयोर्मंतरानि वायुरिच-शबर-पुंसिद-अज्ञान-रभ्यचरतः रभेयुः) । प्रात के चार चिरां पर (II ३) (अतुर्विदाम् अनपहान्ते साम्प्रामिकं ईवदुर्तं दुर्गं कारयेत् और (II १) अन्तत्पत्तपास-दुर्गाणि) चार दुर्ग बनवाए जाते थे जो एक या पर्वत मरुस्थल या बल जैसे सुरक्षा के प्राकृतिक शक्ति का काम उठाने में (नदी-पर्वतदुर्गं अनपहारत्तस्वानं धाम्बल बनदुर्गम्) ।

प्रशासन के केंद्र : प्रशासन के प्रमाण केंद्र ८००-४०० २०० तथा १०-वीं शताब्दी के बीच में स्थित होने से और इन्हें क्रमशः (१) स्थानीय (२) क्षेत्रीय (३) कार्बेटिक तथा (४) संघेय कहा जाता था । इनमें से 'स्थानीय' उस प्रदेश की व्यवस्था का केंद्र होता था (समुद्रस्यार्त्तं धनोत्पत्तिस्वानभत्तं) (II ३) जिसे हम उस समय की प्राचीन राजधानी बतलाने हैं ।

प्रात का प्रमाण (समाहर्ता) जिसे का कमेन्टर (स्थानिक) : प्राचीन प्रमाण का प्रमाण समाहर्ता होता था जिसके आधीन अपने प्रात के बर्न जिलों के स्थानिक बलान्तर होते थे (I १) । बाग्लर में हर प्रात चार जिलों में विभाजित होता था (II ३५) (समाहर्ता अनुर्पा अनपहं विभाज्य) जिलों से प्रत्येक जिला स्थानिक' मामक एक पदाधिकारी के आधीन होता था जिस पर उग जिस की पूरी व्यवस्था का भार होता था (एवं च अनपह-अनुर्मां स्थानिकः चिन्तयेत्) ।

राज्य के तोत समाहर्ता पर अपने प्रात से राज्यक गदह करने का भार होता था । राज्यक बर्न राजा से बनूत राजा जाना था इनमें से प्रत्येक राजा का बुरा-भूरा काम उठाने तथा उठा बहाने के लिए एक विशेष प्रशासन-विभाग की आवश्यकता होती थी । इस प्रकार राज्यक के राजा का अध्ययन करने में इस बात का पता चल सकता है कि उस समय प्रशासन की व्यवस्था क्या थी तथा उसका गठन किस प्रकार किया गया था ?

समाहर्ता का काम (अवेकोत) कि निम्नलिखित स्रोतों से पूरे राजस्व की बसूली कराना या (१) नगर (बुर्ग) (२) गाँव या बेहूत (राष्ट्र) (३) पार्ने (कति) (४) बागान (सेतु) (५) वन (६) पशु (पन्न) और (७) संचार के माध्यम (सबिकरुपण यातायात के मार्ग) ।

दुर्ग नगरों या शहरी इलाकों (दुर्ग) से जो राजस्व बसूली किया जाता या वह अनेक स्रोतों से बसूली किया जाता या जिनमें से प्रत्येक का प्रशासन अलग एक विभाग के हाथों में होता या नीर हर विभाग का अपना एक अध्यक्ष तथा उसकी सहायता के लिए उचित कर्मचारी होते थे । ये प्रशासन विभाग निम्नलिखित थे (१) सीमा-कर (धुरक) (२) पुक्ति (इण्ट) (३) नाप चीक (पीतक) (४) नगरपालिकाएँ (नागरिक) (५) सीमाएँ (मस्तक) (६) पासपोर्ट (महा) (७) जाबकारी (सुरा) (८) पशु-बचसाबा (सूना) (९) कपास उद्योग (सूम) (१०) लेक उद्योग (लैक) (११) दुग्धशालाएँ (दुल) (१२) चीनी उद्योग (सार) (१३) सोना (स्वर्ण) (१४) मासपोदान (कम्पसंस्था) (१५) बेर्याएँ, (१६) जुवा (छून) (१७) इमारतें (बास्तुक) (१८) धान्य (१९) बस्तकारी (कार) (२०) धार्मिक संस्थाएँ (देवता) (२१) भुँयी (इरादेयम्) और (२२) मनोरंजन (बाहिरिकारिय अमितय नृत्य जैसे जानोह-अमोह) (II १) ।

इन बाईस विभागों का प्रशासन बाईस अध्यक्षों के हाथों में था और इन्हीं को मिळकर नगर की आम प्रशासन-स्यबस्था का निर्माण होता था ।

राष्ट्र राज्य की आम का बहुत बड़ा भाग गाँवों से आता था क्योंकि राजस्व के स्रोत इन्हीं गाँवों में बिकरे हुए थे । इनमें से प्रत्येक स्रोत का ही सावधानी के साथ उपयोग किया जाता था और हर स्रोत का प्रशासन अलग एक विभाग के आधीन होता था जिसका अलग अपना अध्यक्ष तथा उसकी सहायता के लिए विशेष कर्मचारी होते थे । राजस्व के दो स्रोत निम्नलिखित हैं

- (१) सोला राजा की भूमि ।
- (२) भाग भू-राजस्व के रूप में राज्य को लिया जानेवाला कृषि-उत्पादन का भाग ।

(३) बलि सामान्य भू-कर ।

मेगास्थनीस के अनुसार (अंश I) "कृषकरण भूमि की चौबई पैदावार (भाग) के अतिरिक्त राजा को भूमि-कर भी देते हैं ।" संस्कृत में 'बलि' शब्द का सामान्य अर्थ किसी धार्मिक संस्कार के अवसर पर देवता को चढ़ाई जाने वाली वस्तु या स्वीकृत योगदान होता है ।

यह बात उल्लेखनीय है कि अचोक ने यगवान् बुद्ध का परमस्नान होने के

नाते (हिव भवर्षं ज्ञाते सि) कुम्बिनी यौध (कुम्बिनि-गाम्ने) के प्रति अपनी भ्रष्टा प्रकृत करने के लिए उस 'उबलिते' तथा 'अभ्यागिये' (उबलितक तथा अष्ट-भागिक) बाधित कर दिया या यह बात गम्भिरद्वे के स्मृतिलेख में लिखी है। इस प्रकार अश्वमेध के शासनकाल में राज्य की ओर से हवि की पैदावार में नियमानुसूक्त हिस्से के अतिरिक्त जिस 'भाग कहने से समस्त भूमि पर एक कर भी लगाया जाता था जिस 'बलि' कहते थे कुम्बिनी यौध से 'भाग' भाषा ही बसूक किया जाता था अर्थात् चौपाई के बजाय बाटवर्षा भाग। शीटिल्य के पद्यों में (II ३५) कुम्बिनी परिहारक यौध था।

(४) कर पत्तों के बागी पर कर (अश्वमेध-विसम्पन्ध राजदेयम्)।

(५) बलिभू भ्यापार-भाषणी पर उसके उत्पत्ति स्थान पर ही लगाया जानेवाला कर (बलिभू-द्वारेणदेयम्)।

(६) नदीतल तीर्थस्वाना के बाटो पर नदियों के निरीसकों को दिया जानेवाला कर (तीर्थ-रक्षक-द्वारेणदेयम्)।

यूनानी लेखका क यहाँ भी नदियों के इन निरीसकों का उल्लेख मिलता है।

(७) तर बाग के पार उन्नते क भाषा (नदीतर-व्यवेतनम्)।

(८) नाव तीका-मयन क निरीसक का दिया जानेवाला कर (नाव-व्यव-हारतन्म्यम्)।

(९) पत्तन बाजारों वाले पहरा में दिया जानेवाला कर।

(१०) विधीत चरामाहों पर कर।

(११) बर्नेनी सड़क का महसूल जो अंतपालों को अदा किया जाता था (अन्तपाल-द्वारेणदेयम्)।

(१२) राज्य भूमि के बंशोदय क लिए दिया जानेवाला कर, जो विषय पाण्ड नाम देवान-अधिकारी को दिया जाता था।

(१३) खोर-रज्जु खीरीदारी या पुक्तिम-कर जा गाँवों में जमा किया जाता था और बाग पर करने पर लुभ किया जाता था (खोर-रज्जु-व्यव-प्रदानदेयम्)।

जनि : यानी का निरीसक "बाँदी हौरा मणि माठी मूना राज्य धातु लय्य और भूमि पत्तर या लीक-बीहों से निरामे जानेवाले पत्तर जिस अन्य यनित्र पदाहों (रस)" (मुचन-रज्जु व्य-वधि-मुक्ता प्रवाल-सैल-नोह-लवण भूमि-द्वार-रत-व्याकः लकि) की याना क महसूल जमा करता था। ये

सैतु यह सग उन येनाया बासा पर लगाय कर का महसूल है जिनमें से बीस उमाई जाती है। (क) लून (गुण) के पत्रध' (ख) लुगिबी (बल-बाद बागीक-उबाँरबादि) जैसे 'बैंगल नीरा बाँदि' (घ) ईग(बाद-

इन्गु-बाट) (ब) केडे और सुपारी (पख) (च) चाबल जैसी फसलें (केबाए पात्पलेयम्) (छ) 'अदरक हूस्दी आदि' जैसे मसाले (भूकबाय) ।

बन प्रदलों पर छगाया जाने वाला कर, पितनी चार कोटियाँ बटाई गई हैं (१) पद्मों के (२) हिरणों के (३) लम्ड़ी तथा एवर जैसी बाघि ग्यिक वस्तुओं (इय्य) के और (४) हाथियों के ।

बन पद्म-नालाओं या 'गाय भैस बकरी भड़ पवड़ा ऊँ' बोडा तथा खण्वर" जैसे पाछू जातदरों की प्रजननछासाओं पर लगाया जानेवाला कर ।

बनिकपब बक या धस टाय याटायाठ के भागों पर लगाया जानेवाला कर, जो इन भागों के आगम में या अंत में बसूछ किया जाता था ।

इतने बहुत-से तथा विविध प्रकार के शोनों से प्रांतीय राजस्व जमा करने के लिए एक अत्यंत सुविस्तृत प्रशासन-स्यबस्था आवश्यक थी उसके लिए छोटे बड़े अनेक पराधिकारियों की आवश्यकता थी जिनमें सबसे बड़ा समाहर्ता होता था जिसे हम राजस्व मंत्री कह सकते हैं फिर विभिन्न विभागा के अध्यक्ष होते थे और हर विभाग में फिर अर्धस्य छोटे-मोटे कर्मचारी होते थे जिन सबको मिळाने हम प्रांतीय राजसेवा कह सकते हैं ।

कौटिल्य ने अपने अर्धशास्त्र के दूसरे खंड में निम्नलिखित विभागों की कार्य-मण्डि का विवरण दिया है

- (१) महासेनाकार (अस्तपवलाप्यस) ।
- (२) वार्गे (जालर) ।
- (३) सोला (सुबर्भ) ।
- (४) मडार (कौष्ठावार) ।
- (५) बागिज्य (इय्य) ।
- (६) बन-सम्पदा (कूप्य) ।
- (७) अस्त्रशाला (अभुबागार) ।
- (८) माप-ठीक (मुलानानवीतब) ।
- (९) सीमा-कर (मुल्क)
- (१०) कटाई तथा बुनाई उद्योग (सूत्र) ।
- (११) छपि (सीला) ।
- (१२) आबकारी (सुरा) ।
- (१३) पद्म-बनछासा (सूला) ।
- (१४) बेध्याए (गधिकता) ।
- (१५) नी-परिचरम (नी) ।
- (१६) पस (पो) ।

- (१७) घोड़े (अश्व) ।  
 (१८) हाथी (हस्ति) ।  
 (१) रथ ।  
 (२०) वैदक सेना (पत्ति) ।  
 ( १) पामपीन (मुद्रा) ।  
 (२२) बरापाइ (बिबीत) ।  
 (२३) धानु (लोइ) ।  
 (२४) टकटास (समास) ।  
 (२५) पत्राना (कोष) ।  
 (२६) हाथियों के बंधन (मान-बन्ध) ।  
 (२७) सामान्य व्यापार (संस्था) ।  
 (२८) धार्मिक संस्थाएँ (देवता) ।  
 (२९) युवा (युव) ।  
 ( ३ ) धन (बंधनापार) ।  
 (३१) बहरपाइ (पत्तन) ।

विभागों की उपर्युक्त सूची की देखने से पता चलता है कि इनमें सभी राजस्व जमा करने या उसके प्रयोग के लिए आवश्यक नहीं है जबकि कुछ विभागों का संबंध तो नगरों के प्रयोग के लिये आवश्यकताओं से है। (१०) (१२) (१३) (१४) (२९) (३०) तथा (३१) मन्त्रों के विभागों की योजना ऐसी ही विभागों से की जा सकती है। फिर कुछ विभाग ऐसे हैं जिनका संबंध राजधानी के लिये राज-आय से है। जैसे उपर्युक्त सूची में नं० (१) (३) (४) (७) (८) (२४) तथा (२५)। फिर इनमें से कुछ विभाग ऐसे भी हैं—जैसे नं० (४) (६) (२५)—की राजस्व तथा भंडार सभी (समिपत्तन) के आधीन रख दिए गए हैं, जिनका काम राजस्व जमा करनेवाले सभी (समाहर्ता) द्वारा जमा किया गया राजस्व प्रान्त करना है। इस प्रकार सूची राजस्व में से ही पर सबसे अधिकतर हैं और शेष सभी वर्गों में से अधिकांश नगर आधीन होते हैं। एक और अधिकारी का पर इनका ही रुका होता है और वह है 'अनुपत्तनम्पत्त' अर्थात् प्रधान हिमाचल-विभाग समेतान्त जिनके नाम से सभी विभागों का अन्तर्गत हिमाचल पेश करना पड़ता है। इसी प्रकार (१७) (१८) (२९) (२०) नं० के विभाग और मात्र ही (७) नं० का विभाग भी नगरों के आधीन होने से।

यह बात ध्यान देने की आवश्यकता नहीं कि इनमें से अधिकांश विभागों तथा वसतिस्थानों का उद्देश्य यूनानी लोगों ने किया है और उन्होंने जो

जाते नहीं हैं, वे कौटिल्य के विवरण से इतनी मिलती-जुलती हैं कि इन दोनों ही की विभक्तनीयता सिद्ध हो जाती है।

समाहर्ता इसे समाहृता इसलिए कहा जाता था कि वह विभिन्न श्रेणियों से राज्य का राजस्व जमा करता था और कोई बंधन नहीं रखे देता था (सर्वापराजानेभ्यः राजार्थांतां सम्भक्त समप्तात् वा आहृता)। उसका कर्तव्य इसके अतिरिक्त 'समुद्रय प्रस्थापनम्' (I १) भी बताया गया है अर्थात् राज्य प्राप्त करने और उसे बढ़ाने के उपाय तथा साधन माफूम करना (समुद्रयो यनोत्थानं तस्य प्रस्थापनं मार्गपरिकल्पनं समाहर्ता क्रमा क्रमा विभया समुद्रय प्रस्थापयेत् इत्येतत्)। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाहर्ता को वर्तमान वित्त-मंत्री की तरह कर सवाने की नई योजनाएं चालू करने और राज्य में वृद्धि करने के लिए नए कर सवाने का अधिकार था।

समिपता समाहर्ता का पूरक पराधिकारी समिपता होता था जो राज्य के जमा होने पर राज्यकोष में उसके जाने पर उसकी जिम्मेदारी समाप्तता था। समाहर्ता तो कार्यकर्ता तथा पैसा जमा करनेवाला अधिकारी होता था पर समिपता का काम था पैसा बचाना और राज्य जमा करके रखना। राजस्व बिना वस्तुओं के रूप में प्राप्त होता था उनके अनुकूल उसे उचित इमारतों तथा कम बनवाने जड़ित से जिनमें राज्य जमा करके रखा था सफे (निष्पय-कर्म इत्येतद्वद्-रक्षण-कर्म)। इस उद्देश्य से उसे इन इमारतों का निर्माण करवाया पड़ता था (१) कौषण्य जिसमें राज्य के रूप में प्राप्त होनेवाले बहुमुख्य रत्न सोना आदि जमा किया जाता था (२) पण्यगृह, जहाँ बिभी का माक (विषय इष्य) रखा जाता था (३) कौलागार, राज्य का अन्न-भंडार, जिसमें 'जाने-पीने की चीजें, अन्न ऐस आदि' जमा किया जाता था (४) कण्यगृह, जहाँ राज्य के रूप में आनेवाली हर प्रकार की वन-सम्पदा जमा की जाती थी (५) कामुपत्तार राजा की अस्वघाटा।

कौषण्य कौषण्य दो भागों में बंटाया जाता था (१) भूमि के नीचे कामा मास भूमिगृह जिसमें तीन मंजिलें (त्रितल) होती थीं और कई तथा बीमारों पत्थर की होती थीं उसमें लकड़ी के ढाँचे पर बने हुए कई कमरे होते थे (अनेकविधानं सारवाक्यम्बरं) एक सीढ़ी होती थी जिसे संक द्वारा निकटाया जा सकता था (संयुक्त सोपानम्) बीमारों पर लगी हुई लकड़ी पर देवताओं की मूर्तियाँ लुदी होती थीं (देवतापिधानम्) और उसमें केवल एक ही द्वार होता था (२) ऊपरी भाग, जो अटक में कौषण्य होता था एक महल बनवा प्रशासक के रूप का बना होता था, उसके बाहरी तथा भीतरी दरवाजों में छोकलें लगी होती थीं (उपत्योनिवेशं अद्विरेणार्याण-सुक्तं) और उसमें एक प्रवेश

करा होता था (स्यव्रीथं मुखजालया लहितम्) और उसमें बहुमुख्य वस्तुएँ रखने के लिए कई पत्थरियों में अनेक पात्र रखे होते थे (भाण्डवाहिनीपरिकल्पितम्)।

सामन-श्रेष्ठ में अश्वमेध के अतिरिक्त सप्रिवाता को बेश के सीमान्त प्रदेशों में (अनपबन्धे) आपातकाल के लिए महत्त्व दीनी हूबेलियाँ बनवानी पड़ती थी इनके निर्माण के लिए मृत्युदण्ड पाण हुए अपराधियों से काम लिया जाता था (अभित्यक्तीं पुर्वं चर्ष्यः) या भवन का निर्माण पूरा होते ही मार दिए जाते थे ताकि इनकी निर्माणयोजना और इनमें निधि-संग्रह की योजना गुप्त रहे।

अथ्य इमारत बिराऊ माल रखने की इमारत एक चौक के चारों ओर बनी हुई चार इमारतों (चतुष्पातम्) में से एक होती थी जिसमें अनेक कमरे होते थे (अनेकस्वानस्ततम्)। इसे पथ्यगृह कहते थे।

अन्न भरण का कोष्ठागार भी इसी प्रकार की बनी हुई इमारत होती थी। अन्न-भण्डार का भंडार रखने का कृष्यगृह ज्यादा बड़ा होता था जिसमें कई लम्बी-चौड़ी न्माग्न श्रेणी थी जिनमें बीमारों के किनारे किनारे कमरों की कई पत्थरियाँ हानी थी।

अश्व-गाला (आयुधागार) भी इसी प्रकार बनाई जाती थी पर उसमें एक तहखाना (भूमिगृहं) भी होता था।

स्वापात्य लक्षिवालय तथा कारागार सप्रिवाता का यह भी कर्तव्य होता था कि बड़े शीत और महत्त्वपूर्ण सरकारी इमारतों बनवाने (१) स्वापात्य जिनमें मुखदमा कदनवाया के लिए उचित स्थान और अभियुक्तों के लिए इबागाने हां (धर्मस्थायं तत्र वर्मस्वा व्यवहार निर्भेतर- तत्सम्बन्धी वर्मस्वीयं व्यवहारार्थं आगताना अवस्थित्यर्थं व्यवहार-पराश्रित-निरोधार्थं च स्वानम्) (२) लक्षिवालय अथ जिनमें इनके लिए स्थान हो (क) उन अमायों के कार्यालय जो विभागाध्यक्ष हों जैसे समाहर्ता तथा सप्रिवाता (घ) राजगृह और (ग) उन लोगों के लिए जो युद्ध के दौरान में पकड़े गए हों (विश्वाला-बिन्धेन गृहीताना पृष्ट-परिग्रहीतावीनाम्) (३) कारागार (बंधनागार) जिनमें शिष्या तथा पुरोहों के लिए अन्न-भण्डार प्रबंध हो और जिनमें ऐसी कोठरियाँ (बन्ध) हा जिनके डारों पर कान पटना हा (बिन्दस्त-श्रीपुस्वरत्नं भवनास्तः सुगुप्तकथं)।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि इनमें से कुछ अथना में एक स्वापात्य-विशेष में अश्वमेध दशो-वेदनाओं की मूर्तियाँ स्थापित की जाती थी। इराहरण के लिए अश्वमेध में अन्न-वेदना की मूर्ति लक्षिग्य अथना तथा काव्यपाय में दशो की मूर्ति आयुधागार में अन्न-वेदना की और कारागार में अन्न की (दीक्षागार)। इन प्रकार सप्रिवाता बिरावामान वर्मचारियों की स्थापना में (अप्य-

पुरदाबिच्छित) राज्य के राजस्व के सम्बन्ध में अपने शायित्व को पूरा करता था। यह आवश्यक था कि उसे राज्य के साधनों का दाहुरों तथा बेहता दोनों जगह से होनेवासी भाव के साधनों (बाह्य-अर्थरत्न आयम्) की विच्छेद ? क्यों की पूरी-पूरी जानकारी हो ताकि वह इससे सम्बन्धित प्रश्नों का विना किसी कठिनाई के उत्तर दे सक। उसे हर समय यह भी मासम रहना चाहिए कि राजकोष में राज्य का कितना राजस्व बचा है।

अजपदकाप्यज समाहर्ता तथा सप्रियाता की तरह का नैत्रीय प्रशासन में एक और अधिकारी होता था जिसका काम विभिन्न विभागों तथा जिस के अन्त-सरा पर नियंत्रण रखना होता था। वह हिसाब-किताब रखनेवाला सबसे बड़ा अधिकारी होता था जिसके जिम्मे दो विभाग होते थे—अज-मुद्रा (अजपदक) और सेवा (गणना)। अजपदक का अर्थ होता है वह पद या कार्यालय जहाँ विचारितनेवासी शीर्षों के विच्छेद गिनी जाती है (अज गणन-योग्यातिद्वय-कानीनि सेवा पदक स्वार्थ अज-पदकम्) (I १)। उनका पहला कर्तव्य है विभिन्न विभागाध्यक्षों का एक जगह आना (तत्तदध्यक्षानां सम्भूयस्वस्व-कर्मां गुणानावेष्टं कारयेत्) (II ७ की टीका) और फिर उन्हें उनके कार्यालयों के लिए उचित स्थान का प्रबंध करना। उसे अलग-अलग विभागों के लिए अलग-अलग कमरों का और फिर उनके अध्यक्षों के लिए उनके पद के अनुसार स्थान का प्रबंध करना पड़ता था (विभक्तोपस्वार्थविभक्तानि उत्तम-मध्यम-अधमानाध्यक्षानां पृथक-स्थित्यनुकूलतया विभाष्य)। उसे उन कमरों में हिसाब-किताब के बहीखातों तथा अन्य कागजात रखने के लिए उचित स्थान का प्रबंध करना पड़ता था (निबन्ध-युस्तकस्वात्मम्)।

वह विभिन्न विभागों की कम-संख्या तथा उनके नाम (अधिकारवातां संख्या नामतः परिगणनम्) उनका कार्य-क्षेत्र (प्रचारो जतपद) और किसने अपने प्रशासन-क्षेत्र से कूल अजपम) कितना राजस्व जमा किया आदि उनके अलग-अलग जातों में बता करता था।

उसे इन जातों में यह बातें भी बर्न करनी पड़ती थीं कि विभिन्न विभागों ने अपने जिम्मे जो काम किए थे (कर्मास्तः 'बैठे जाते पावल के सेठ, राजि नियक उत्पादन मुद्रा आदि') उनके प्रसंग में वे अपने साधनों का उपयोग (इय्य प्रयोगे) निष्पत्तिगत बातों की दृष्टि से किस प्रकार करते हैं (१) काम (वृत्ति) (२) नैतिक भद्रिका का काम पर लगाता (सय युष्पुद्विनिधोय) (३) अज तथा गणन के हिसाब से कीमत (अय्य धान्यहिरण्य-विनिधोय) (४) कितना माल पैदा हुआ या उसकी कितनी माँग है (धमापः) (५) कितनी प्याजी (गणन या बन्धुओं के रूप में सूब) बन्धु की गई (६) मिच्छा

जट (योगो इष्यत्यइष्यमिधनम्) (७) उत्पन्न का स्वान (८) मज्जुदी (९) मज्जुदी देहर रखे मण प्रमिक (बिष्टि, जिससे अमिप्राय टन प्रमिकों से है जो मज्जुदी पर काम नहीं करते बल्कि जिन्हें मुजारा बेकर परे लू मीकरों की तरह रखा जाना है) ।

अन्नपटभाष्य का अपने छाठों में निम्नलिखित श्लोक भी दख करना होता था ।

(१) विभिन्न श्रुतको (वेश) यौवो (ग्राम) वातियों तथा परिवारों (कुल) में किन वासिक प्रजाजा (धम) कालूता (व्यवहार) और रीति-रिवाज (चरित संस्थानम्) का पालन किया जाता है ।

(२) राज्य के विभिन्न पराधिकारियों (राजोपतौबि) जैसे मन्त्री पुरोहित आदि' क क्या विशेषाधिकार (प्रणह) हैं वे कहाँ रहते हैं (प्रदेशो वास-स्वानम्) उन्हें क्या-क्या उपहार मिलते हैं (भोग-उपायनम्) उन्हें किस-किस करों से छूट मिली हुई है (परिहार) उनके लिए भाइयों भावियों तथा सैनिकों का क्या प्रबंध है (भक्ष्य-अन्न-यज्ञ-यवाति-जस्य-व्यहारः) और उन्हें क्या भेजना मिलता था ।

(३) राजा रानी और राजकुमारों को लिए जानेवाले विशेष भत्ते (निर्देशम्) उत्पन्न क लिए विशेष भत्ते (भौत्पादिकत्तमं उत्तवादिभवं वनत्तमं) और रोग आदि व्याधियों को दूर करने के लिए किए जानेवाले कर्त्यों के दण्ड की जानेवाली विशेष धन राशि (प्रतिकारत्तमं) ।

वह अपने राजा में विभिन्न विभागाध्यक्षों द्वारा (सर्वाधिकारपालाम्) दिया गया निम्नलिखित श्लोक भी दर्ज करवाता था (१) क्या काम करता था (२) विनया काम किया था खुदा है (३) योग धन (४) आय तथा व्यय (५) शिवाय वा सैन्य-जोता (सोदी) (६) सेनकों द्वारा अपने काम की रियायत वातिक करने का समय (उपस्थानं कायस्थानां स्वस्वकार्यवर्तनार्थतन्नि-पालकालम्) और (७) सम्बन्धित स्वान का नाम वहाँ क रीति-रिवाज और वहाँ पढ़े किन प्रमाणियों का अनुसरण किया जाता था ।

वह उक्त मध्यम तथा अवर कोटि के अध्यक्ष को उनकी योग्यता के अनुसार नाम देता था । अथशास्त्र के टीकाकार ने निर्मात्र-कार्य के अध्यक्षों की तीन श्रेणियाँ बताई हैं जिसका मन्थन इन विभागों में था (१) कायागृह (२) अन्न-भक्षण तथा अन्नपालना और (३) महिष तथा माण । अधिकारियों के इन मन्थना में (सामवायिकसु) ऐसे विद्वान् रूप में उपयुक्त मात्र दिव्युक्त विद्या प्राप्त थे जिन्हें बड़ देन में राजा का वा' पारचात्ताप न हो । इत प्रकार इन कोटि में से नाम नहीं नियुक्त किए जा सकते थे जो ब्राह्मण या राजा के मित्र अपना निवृत्त सम्पत्ती हा ।

विभिन्न विभागों के प्रमाण लेखाकार (राजनिषयानि गणनाः सत्यदर्शकाः अभ्यन्ताः) को अपना हिसाब देने आयाङ्क के महीने में राजधानी जाना पड़ता था आयाङ्क बित्तोय वर्ष का अंतिम महीना होता था ।

वे सब अक्षयपटकाभ्यन्त के कार्यालय में एक स्थान पर मुहुरबद बसों में अपने बहीखाते (समुद्रपुस्तकनाम्ब) और आय में से घटा हुआ कल खेप बन कर एकत्रित होते थे । उस भवन में उन्हें एक-दूसरे से बात किए बिना बैठे रहना पड़ता था (एकत्रासम्भाषावरोधं कारयेत्) । राजस्व का कल तथा हुआ बन राजकोष में जमा करने से पहले उन्हें आय व्यय तथा कल राजस्व का हिसाब (सीबी) जवानी देना पड़ता था । जवानी जो हिसाब दिया जाता था उस किञ्चित हिसाब से मिटाकर देखा जाता था । यदि जवानी बतार् गई आय किञ्चित हिसाब में वर्ष आय से कम होती थी या यदि जवानी बतार् गई व्यय-राशि किञ्चित हिसाब की राशि से कम होती थी या यदि जवानी बतारा गया खेप बन (सीबी) किञ्चित राशि से अधिक होता था तो उस पदनाधिकारी को जितना अंतर होता था उसकी जाठ गुनी राशि बंध के रूप में देनी पड़ती थी । इसी और यदि केंद्रीय प्दार्तों में और प्रदेशों के प्दार्तों में आम व्यय तथा खेप-बन के बारे में कोई अंतर होता था तो यह अंतर पूरा नहीं किया जाता था ।

जो प्रमाण के खाकार ठीक समय पर (जर्भात् आयाङ्क क महीने में अपने बही खाते और खेप बन लेकर राजधानी में उपस्थित नहीं होते थे उन्हें बंध मरना पड़ता था ।

इसी प्रकार, यदि वे जोय ठीक समय पर उपस्थित हों (कान्तिके अभ्यन्ते उपस्थिते) और केंद्रीय कार्यालय के पदनाधिकारी (कारणिक गणनाधिकृत) उनका काम न निबटारे तो केंद्रीय कार्यालय के अधिकारियों को दंड दिया जाता था ।

संधियों को सामूहिक रूप से (समप्राः महाभाषाः) प्रदेशों के विभागाध्यक्षों को जमा करके उन्हें प्रांतों की आम राजस्वसम्बन्धी स्थिति आय व्यय तथा प्रत्याघट खेप बन के प्रश्न में समझानी पड़ती थी (प्रचारसर्ग महाभाषाः समप्राः भाषयेयुः अस्वियमभाषा प्रचारो जनपदः जनपदान् सरसि मेकस्विया बोधयेयुः इत्यर्थः) । जो मंत्री इस काम से दूर रहता था या गलत हिसाब पेश करता था उसे दंड दिया जाता था ।

हिसाब रोब टिका जाना आवश्यक था (अहोऽपहृतः) ।

लखाकारों द्वारा प्रतिदिन जो हिसाब तथा रोकड़ बाकी पेश की थी उसकी प्रमाण लखाकार को जांच करनी पड़ती थी उसे यह बेसना पड़ता था कि यह हिसाब किस हद तक निम्नलिखित प्रांतों के अनुकूल है (१) जमन्धि (घर्भ)

(२) कानून (व्यवहार) (३) रीति-रिवाज (चरित्र) (४) पूव परम्परा (तत्प्राय) (५) राजस्व से होनेवाली कम आय (संकलनं सर्ववर्गनीयकारणता) (६) कितना काम हुआ (निर्वर्तन) (७) राजस्व का अनुमान और (८) राजस्व की बगुनी के सबब में कुलचक्रा की रिपोर्ट (वारप्रयोग) ।

हर पाँचवें दिन हर पक्ष के बाद हर महीने हर चार महीने बार तथा हर बर्ष के लिये वा सार तैयार किया जाता था (प्रतिममात्मत्) ।

परि कोई कारणात् कमजोर हो गयी राजस्व की कोई राशि पाने में न सके (राजार्थ अक्षयिभङ्गात् राजार्थ पुस्तकेषु अक्षयिभङ्गात्) या मापों का पाठन न कर (मापानां प्रतिवेद्यता) या आय तथा व्यय का हिमाय निर्धारित विधि (निबन्ध) से न होने तो उस बख दिया जा सकता था ।

हिमाय की उचित क्रम से न मिलना (कामाह्वरहीनं अवस्थितम्) हिमाय उचित क्रम से मिलना (उत्कृष्टं अवस्थितम्) अर्थात् ऐसे ढंग से हिमाय मिलना कि वह आसानी से समझ में न आए (अविज्ञातं अवस्थितम्) दैवित्त्वं अन्तर्गुप्त रीत्या लिखितम्) या एक ही मस को दुबारा लिखना (पुनरुक्तं) हिमाय में दो सब श्रुतियाँ (अवस्थितम्) दृश्यनीय थी ।

गन्ध राजदुबारी लिखना (नीचीमक्षयिभङ्गात्) पवन करना (अक्षयिभङ्गात्) या राजस्व को नष्ट करना (क्षयिभङ्गात्) ये सब दृश्यनीय अपराध थे (II ७) ।

प्रदेशों के विभागाध्यक्ष जब हूँ इस विषय पर विचार करेंगे कि प्रदेशों में विभिन्न विभागाध्यक्षों या राज्य की आय के खाना के रूप में उत्पादन शीघ्र तथा सामर्थ्यपूर्ण कार्यो तथा प्रतिष्ठा के अर्थों को क्या काम लीये गए हैं ?

उसका बेतन तथा बर्ग चीना कि उपर बताया जा चुका है अथवा क्रम के सर्पिकारिता का बेतन १०० पत्र था । १ से १०० पत्र तक बेतन के रूपों के राज-कर्मचारी अथवा के आधीन रग जाने थे और उन्हें उनका मरदान-गानक का सर्व (अथवा) बतन भले (लाभ) आदान तथा काम (विशेष) ही करने का अधिकार होता था । यदि उनके लिये कोई काम न हो तो अथवा अथवा अपने कर्मचारीगण को राज-मन्त्रि (राजपरिष्कृ) तथा दुर्गा की रोग मात करने और रोग में मानि तथा व्यवस्था स्थापित करने (राजदुर्गाभारतम्) के काम पर लया बैठ था । आधीन कर्मचारियों का गरीब जाने-जाने विभागाध्यक्षों (विद्यमन्त्रि) के आधीन काम करना पड़ना था और वे उनके उक्त के अनेक अथवा के भी आधीन होते थे (यत्कर्मचारी) (१३) ।

उसीके वा राष्ट्रीयकृत मद्र भी प्याज म रगने की बात है कि वीरिभ्य का राजनीति बना बांधी हर तक समाजगत और उदात्त के राजनीतिक पर

आधारित थी। प्रशासन के संकटन का बहुत बड़ा भाग राज्य की विभिन्न प्रकार की सम्पत्ति की व्यवस्था बनाने तथा उसका उपयोग करने में लगा रहता था और इस सम्पत्ति का प्रशासन व्यापारिक संस्थानों के हंग पर चलाया जाता था। राजा के पास विद्यालय भू-सोच तथा बन-सोच थे। छात्रों पर राज्य का एकाधिकार था। निर्वाण तथा आमात दोनों ही का व्यापार राज्य स्वयं करता था और इस प्रकार दलानों का मुनाफ़ा स्वयं के होता था। विविध प्रकार के कच्चे माल से नाना प्रकार की वस्तुएं तैयार करने के लिए राज्य की ओर से कारखाने स्थापित किये गए थे। इसके अतिरिक्त चूंकि राजस्व अन्न के रूप में बढ़ा किया जा सकता था इसलिये पूरे देश में बड़े-बड़े कारखाने कायम रखने पड़ते थे जहाँ कर के रूप में विपुल परिमाण में प्राप्त होनेवाली कृषि की पैदावार का तथा राजा की जमीनों की पैदावार का उपयोग किया जा सके। इनके अतिरिक्त राजधानी में कई कारखानों से एक केंद्रीय अन्न-अडार का होना भी आवश्यक था अकाल के समय में उपयोग के लिए, राज-परिहार के उपयोग के लिए, छाही कारखानों में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल के लिए और अंत में राज-कर्मचारियों को वेतन के रूप में देने के लिए।

**कृषि विभाग :** अब हम प्रशासन के मुख्य-मुख्य विभागों के कामों का वर्णन करेंगे।

**कृषि निदेशक (सीताम्पल) :** कृषि निदेशक (सीताम्पल) (IL.२४) के बिम्बे राजा की जमीनों पर या सरकारी कृषि फर्मों पर खेती का काम होता था।

बीजों का अडार उसका कर्तव्य यह होता था कि वह विभिन्न फसलों के बीजों का भंडार अपने पास रखे—जैसे जनाज (बाज्य) चूरा फल सन्धी (घास) बड़ी-मूठी (कंब) धम जादि (सौम) तथा कपास (कर्पास)।

खेत-मजदूर वह खेती-बारी के काम के लिए निम्नलिखित कौटियों के मजदूर रहता था (१) बास (२) मजुरी पर काम करनेवाले मजदूर (कर्म कर) और (३) सधम काउबास का बंड पाए हुए अचरामी (बण्डप्रतिकर्ता)।

खेती के बीजार : उसे इन मजदूरों को देती क लिए आवश्यक सभी चीजें दनी पड़ती थीं जैसे 'हल रस्सी हूँधिया' जैसे बीजार (कर्पक-वीर) और 'साव में बैल भी। किसानों की सहायता के लिए वित्तकारों (काब) का भी प्रबंध किया जाता था जैसे लोहार (कर्मार: अयस्कार:) बन (घुट्टाक: तथा) लोपनेवाला (मेदक अथवा कालक अथवा मेदक) रस्सी बनानेवाला (रजमुबतक:) और कृषि को हानि पहुँचानेवाले जम्बुमो (सर्वप्राहादि) को मेट करनेवाला। वर्षा का बिबरन : ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय विभिन्न प्रदेशों के

करल पण्डित से (१) पिच्छकर, पाँच का कर, (२) पट्टभाग कृषि की पैदावार में राज्य का छठवाँ भाग (३) कैनामस्त, किसी इलाके में हाकर गबरनी हुई रत्ना की रसद के लिए लगाया जानेवाला रीतिक कर (४) चलि, हर गाँव पर लगाया जानेवाला १ से २० पग तक का अतिशय कर (५) कर, फटा की पैदावार में राज्य का हिस्सा (६) उत्तम बप्प के अन्न आदि रसद लुट्टी के मोहो पर राजा को दिए जाने वाले उपहार, (७) पार्श्व आपलनालीन कर, (८) परिहोपक पदाओं द्वारा फसलों को होनेवाली हानि की क्षति-पूर्ति (९) शीपायनिक राजा को उपहार, (१०) बीछेकर राज्य के ठाकाबा द्वारा सीधी आनबासी मूमि का कर ।

बामनगुप्त के रूप में अशा किया जान वाला उपयुक्त सभी कटियों का राजस्व राज्य बढ़ाना का क्योंकि वह बेहानों या गाँवों के इकाया से आनेवाला राजस्व होता था । अप्यदा का राज्य की कृषि की पैदावार की बिन्धी की सरकार का मिलनेवाली रकम भी बसूल करनी होती थी ।

इस प्रकार जो भंडार जमा होता था उसका आधा भाग सरकार के खर्च में लगाया जाता था और आधा रकम पर आने वाली बिपदाओं (जैसे दुर्भिक्ष) के लिए बचाकर रखा जाता था (ततो अर्धे आनपदानां स्थापयेत्) । यह भंडार जैसे जैसे खर्च होता जाता था जैसे-जैसे हमकी पुति होती रहती थी ।

बामनगुप्तराष्यत का यह भी बर्तम्य होता था कि वह स्वयं इस बात की निगरानी रखे कि कटमे (शुष्क) घिलने (पुष्ट) पीमने (पिष्ट) या मूलने (मृष्ट) या पानी में भिगोरन मगाने में उनमें कितनी कमी या बढ़ती जाती है ।

बीछिये न रत्न बाण का भी हिमाय बताया है कि बिभिन्न प्रकार के अन्न की एक निश्चित मात्रा का पगाने आदि पर सम वितना भंडार बन चकता है बिभिन्न प्रकार के निष्पन्ना में से वितना लेय निरकरना है और बगाम (का-पस) और मल या जट (दौब) की निश्चित मात्रा में से वितना लन बाता था मकता है ।

बिभिन्न बाणियां के सारा मनी जोगनों और यक्षा निराहिया सेनापदकों (बसोनां मय्यात्ताम्) गनिया तथा राजरमाग (देविरमाताका) मरके लिए बाखल का मात्रा निर्धारित थी । बिभिन्न पान्शू पगभा के लिए भी यह मात्रा निर्धारित था ।

एत निरमा तथा खोर का बाता न बरत यी दता पन्ना है कि दलो प्रकार की राज्य की रण्यता की व्यवस्था का नार ममारनवाने शपितारी की इस दान का निर्धारित पगाने के लिए कि राज्य की इस रण्यता के बिबिध

अपनों के दौरान में राज्य को आम की कोई हानि न होने पाए किन्तु नियन्त्रण रखना पड़ता था ।

अब में हमें इस बात का भी विवरण मिलता है कि कोप्यगार के भीतर आग पर बहु बँसा दिखाई देता था । वही अन्न क ऊँच ऊँच डेर लग हाथ से पर उसका कोई भाग भूमि के सम्पर्क में नहीं रहता था । गृह की भेजिया बाय की रसिमां स बीभर रणी जाती थी । एक मिट्टी या लकड़ी क पायो में रटा जाता था , और भस्म के डेर भूमि पर अने रहते थे ।

ज्ञानों का अण्डल (आकराम्यल) [II, १२] आकराम्यल को अपने विषय का वैज्ञानिक विषेय्य होता चाहिए, और उसे निम्नलिखित विषयों का ज्ञान होना चाहिए (१) भुम्ब-सात्न (२) धातु-सात्न, (३) रत्न-पाक (४) मधिराम, ज्ञानों की जानकारी कच्ची वस्तुओं की पर्यो तथा पिपमा का ज्ञान (मुमिराविलान) जालिनी और पारद, मलियों तथा बहुमूस्य एला का ज्ञान । उसका काम था नई खाना की खोज करना धातु-मस रास आदि की सहायता से पुरानी धारों का पता लगाना और उनके आकार-अकार तथा रासायनिक गुणों से कच्ची धातुओं का मूस्य जानना । उस जमाने में विभिन्न प्रकार की धातुएँ ज्ञानों से निकाली तथा इस्तेमाल की जाती थी जैसे सोना चाँदी ताँबा लौहा (लोह) टीन (न्यु) लोहा (लीहम) और धिमावतु । कच्ची धातुओं को साठ करने और हाथ उनमें डुपित ताँब अलग करने और वस्तुओं को मुडु बनाने के लिए अनेक प्रक्रियाएँ इस्तेमाल की जाती थीं ।

अनेक पदार्थों से टीमार की जानेवाली वस्तुओं का व्यापार एक ही क्षेत्र के हाथों में (एकमुबम्) था । जो माल टीमार करनेवाले धरीवार तथा बिकेता इन चीजों का व्यापार निरिष्ट क्षेत्र की सीमाओं से बाहर (अन्धम) करते थे वे बड़ क भागी थे । इस प्रकार ज्ञानों से धातु निकालने और उनसे टीमार की जानेवाली वस्तुओं के व्यापार पर राज्य का एकाधिकार था । परन्तु जिन धारों में बहुत अधिक पूँजी खपान की या बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता होती थी (प्यम क्मिामारिकमाकरम्) के उत्पादन में एक भाग के आकार पर या एक निश्चित राजस्व के आधार पर निजी व्यापार करनेवालों को दे दी जाती थी (प्रक्येन अस्मन्कारस्य एतावत् तुवर्षदिकं राजामे देवमिति हरिपम्) । जिन ज्ञानों में कम पूँजी खपाने की आवश्यकता होती थी, उन्हें राज्य स्वयं अपने हाथ में रखता था (लापयिक भात्तना कारयेत्) ।

अपने काम के विनिश्चये में धारों की अण्डल का सर्वत्र कुछ अन्य पदाधिकारियों के साथ रहता था जो इसी से सम्बन्धित काम करते थे ।

धातुओं का अण्डल (कौहाम्यल) : उनके विन्ने ताँबा लौहा टीन,

पीतल तथा पीसा आदि बालुओं के बरतन बनाने (कर्मस्तान् तद्भाम्बुजम् कर्मणि) मीर इन चीजों के व्यापार (व्यवहार) करने का काम रहता था।

दक्षताल का अभ्यस (कस्तबाम्बुज रंजशाकाम्बुज) : यह निम्नलिखित प्रकार के मिश्रक बनवाता था (१) स्यावरूप (बाँधी के सके जितमें ११ हिस्से बाँधी ४ हिस्से लोहा मीर एक हिस्सा लोहा, तीन पीसा या सुरमा होंगी) (२) ताघरूप (ताँपे के सिक्के) जिनमें ८ हिस्सा बाँधी ११ हिस्सा ताँबा और एक हिस्सा लौह (लोहा या कोई बुसरी धातु) होता था। दोनों ही प्रकार के सिक्के चार मूसों के होते थे अर्थात् बाँधी के १ ३ ३ तथा ३ पत्र के लीर ताँबे के १ ३ ३ तथा ३ माप के। ताँबे के ३ तथा ३ माप के सिक्के जो काकावी तथा अर्धकाकावी भी कहते थे।

अर्धताम्र के टीकाकार के अनुसार स्यावरूप और कार्यापक एक ही सिक्के को कहते थे। यह एक मिश्र-धातु का बना होता था जिनमें अधिकाँश बाँधी होती थी और शेषकोय उसे स्वीकार करता था (कोशाप्रबन्ध)।

ताघरूप एक पीठी मिश्रधातु का बनाया जाता था जिसमें मुख्य भाग ताँबे का होता था और यह साधारण व्यवहार की (व्यावहारिक) मुद्रा थी।

इस प्रसंग में यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारत के प्राचीनतम प्रासादिक सिक्के ये थे (१) लोहे के जिन्हें मुकर्ष कहते थे (२) बाँधी के जिन्हें बुराक या बरख कहते थे और (३) ताँबे के जिन्हें कार्यापक कहते थे। ये सिक्के मनु द्वारा ब्रह्मर्षि गई (VIII) १३२ तथा उसके बालों के पृष्ठ) लोक की स्थानीय पद्धति के अनुसार बनाए जाते थे। इस पद्धति में बुनियादी लोक रत्त (रत्तिक) होती थी जो मुकर्षक (धमपी) के बराबर होती थी इसका बरख १८३ ग्रैन था ११/ प्राय के बराबर होता था। सुरभ ८० रत्ती = १४६ ४ ग्रैन = ४८ प्राय का होता था। मुकर्ष के बरखी तम को पयूने पत्ती सिक्क हैं। बाँधी का बुराक या बरख ३२ रत्त = ५८५६ ग्रैन = ३७९ प्राय का होता था और कार्यापक का बरख मुकर्ष के बराबर होता था। बाँधी तथा ताँबे के विभिन्न मूसों के मिश्रक मारे भारत में कई जगह पाये गए हैं। ये पुराने मिश्रक बीजोर या आपनाकार हैं। तथा प्रतीय होता है कि बाँधी के सिक्के बालु की बरती चारर से और ताँबे के सिक्के ८७ में से काटकर बनाए जाते थे। वे मुख्यतः केवल लाल व टकट ही होने के दिन पर पशु-व्याज उनके तापन तथा गुठना पर निबटारी करनेवाले अधिकारी की मुद्रा तथा ही जाती थी।

इसके अनिश्चित एक अधिकारी और होता था जिन्होंने जिम्मे बन्ध-मुद्रा का निरवकाश किया था जो व्यावहारिक बान्ने थे। ये टकटान के लक्ष्य के लिए सिक्क निर्माण कर बनाए गए थे। रत्तिक ८ निर्मित मुद्रा कर सर्वसाधारण

के लिए बनाए गये नाण-नास के विनोय मापनों के प्रयोग के बगैरे में सरकार को लाभ के रूप में ५ प्रतिशत व्याजी १/२ पण प्रतिघट का परीक्षण-सुम्फकारीक।

इन महत्वपूर्ण शासन-विभागों पर टोका करते हुए कौटिल्य ने लिखा है, "अनिज-उद्योग राज्य के लिए सम्पदा (कोश) का स्रोत है सम्पदा राज्य की सैनिक शक्ति का आधार है इन दोनों के समीप से पूरी पूर्वी पर अधिकार प्राप्त होता है" (आठरप्रमथ कोशः कीदृशत् इत्यः प्रमायते)।

सालों का दूसरा अल्पस (अभ्याप्यस) : लोगों का एक बृहत् अल्पस होता था जिसे अभ्याप्यस कहते थे उसका अधिकार-क्षेत्र अधिक सीमित होता था। उसका काम था छत भोती तथा मूगे हीरे और बहुमुख्य रत्नों तथा नमक से सम्बन्धित काम (कर्मास्तान्) और इन चीजों के व्यापार की देखभाल करना।

कर्मचाप्यस : नमक के उत्पादन पर राज्य का एकाधिकार था और उस व्यवस्था का भार जिस अधिकारी पर होता था उसे कर्मचाप्यस कहते थे। यह काम आरम्भ से करके ठेके पर करवा जाता था और टेन्डरर से या तो निश्चित शुल्क लिया जाता था या उसे उत्पादन का एक भाग दे दिया जाता था। बिन लोगों को नमक-खेती का ठेका दिया जाता था उन्हें उसका क्रिया (प्रक्य) और नमक के कुछ उत्पादन का छटा भाग (कर्मभाष) देना पड़ता था। अल्पस यह नमक बाजार के पूरे भाग पर बेचता था और व्याजी वसूल करता था (जो इस प्रकार वसूल की जाती थी कि सर्वसाधारण के उपयोग के और सरकार के उपयोग के दोहरे दरों में पाँच प्रतिशत का अंतर होता था इसका अलावा वह ८ प्रतिशत का अतिरिक्त कर (भूष्य) और १/२ पण (क्य) प्रतिघट परीक्षण कर भी वसूल करता था।

बाहर से खानेवाले (मावन्तु) नमक पर इससे भी अधिक कर लगाया जाता था। इसका छटा भाग न लिया जाता था और जब वह नमक बेचा जाता था तब उस पर ५ प्रतिशत व्याजी और ८ प्रतिशत अधिक वसूल किया जाता था। इसके अतिरिक्त कुछ चुनी (शुम्फ) और कुछ लठि-मूठि (दीवरण) भी इसलिये वसूल की जाती थी कि जिसका नमक बेच में न पैसा होकर बाहर से मयाया जाता था उसकी राज्य को राजस्व की हानि होती थी (कोशः शुम्फं राजस्वभाष्येवानुकर्यं च दीवरणं वदन्तु)।

अब कोई नमक में निष्ठा कर लगा था या मापुर्सी (बावयस्य) के अतिरिक्त कोई भी बिना काइसेस के नमक बनाया या तो उसे बंध दिया जाता था। बर्दहियों के अभ्यापन में संकल्प रज्जेशाले लोगों (योकिव्य) उपस्थितों और बिना अधिकारी पर काम करनेवाले मजदूरों (सिष्टि) के अतिरिक्त अन्य सभी

यमिकों को समझ मुक्त मिथ्या या केवल जाने के लिए, व्यापार के लिए नहीं। इस प्रकार समझ-कर का नार मरीचो पर बल अधिक नहीं पड़ता था।

सुबर्नाम्यसः एक अधिकारी सुबर्नाम्यस नाम का होना या जिसपर सोने और चांदी की चीजें विस्तृत अलग-अलग बनवाने की जिम्मेदारी होती थी उसका नार्नाम्य एक विशेष भ्रम में होना था जिस अज्ञाता कहते थे [II, १३]। यही सोने तथा चांदी की वस्त्रात्मक वस्तुएँ बनाई जाती थी। पर सब-साधारण के लिए एक मान्यता-प्राप्त सुनार की नियतनी में यही मरुद पर (विशिष्टामध्ये) अलग एक प्रकार होती थी। अर्थशास्त्र के टीकाकार के अनुसार 'उसका काम माना चांदी तथा रत्न-आमूष्य बेचने तथा मरीदन में जन-साधारण की सहायता करना होता था। अर्थशास्त्र के इस अध्याय में विभिन्न कोटियों का जाना पगाने तथा अलग-अलग पहचानने के तरीके सोने तथा चांदी की चीजें बनाकर और रत्नों की जमा करने की विभिन्न प्रणियाँ और कारणों से काम करनेवाले कारीगरों की योग्यताओं तथा चांदी से बचने के विस्तृत उपाय बताये गए हैं। नियम यह था कि जो कोई भी अज्ञाता का कामकारी नहीं होता था वह उसमें घुस नहीं सकता था। यदि कोई चांदी से घुसे तो उसका सर उखा दिया जाता था (अज्ञाताजामनापुनो नैपयच्छत् अभियच्छन् उच्छत्)। कारणों से घुसने या कारणों से बाहर निकलने में पहले हर मादमी की उमारी नी की जानी थी (विहित-जामस्त-गृह्यः प्रसोपु)।

राज-स्वर्णकार (सौवर्णिक) अर्थशास्त्र में एक अध्याय [II १४] है जिसका पीरंक है "विहितयाया मौनविरप्रचार" अर्थात् 'बड़ी सच पर बात सुनार। इस अध्याय में यह बताया गया है कि राज-स्वर्णकार (सौवर्णिक) नदरवासीया तथा ग्रामवासीया का सोने तथा चांदी का काम करने के लिए नियतकार नियुक्त करेया (आवप्रतिभिः सिधित्यासीके सुवर्णकारादिभिः)। यह इस बात का नियतनी पगना था कि शाहूओं में 'वेगा और जिनका मान मिल उन्ने रमा और उनका ही मान कारण दिया जाता है कि नहीं।

गिरा हावने के बारे में यह नियम बताया गया है कि सोने में एक सुवर्ण (१६ माने का) हावण में एक चारनी (३ माने) सोने की गुवाण हावण समय मरु हावनीया पानु के लिए रगी जानी चाहिये। किसी ऐसी प्रकार पर जिन मरुकार में कामना प्राण न हा मान तथा चांदी की चीजें नहीं बनाने दी जाती था (सौवर्णिकविरप्रचारण्येन वा प्रयोगे चारण्यो)।

बन का सरास (अध्याय) [II १०] : मरुद के बर्णों तथा उन की रीतिरार की रीतिरार करने के लिए एक अध्याय होता था जिस अध्यायस बरु थे। अरुद के रगारों (दरगात) की गणना में इमानगी तथा अरुद

द्विज ५ में) कुछ पशुओं तथा पक्षियों के संरक्षण की योजना की है। यह सूची कौटिल्य की सूची से बहुत मिलती-जुलती है। अद्योत का जीव-रसा का सिद्धान्त यह था कि किसी जीव का दूसरे जीव को अपना आहार नहीं बनाया जाहिए (क्षोभेन भीषे नो पूसितविये) परन्तु वास्तव में उसका अप्पायेन कौटिल्य के इस सिद्धान्त पर आधारित है कि यह संरक्षण केवल ध-हानिरारक तथा अहिंसक पशुओं तक सीमित रखा जाए। आम तौर पर अद्योत ने "उन सभी जीवों" के संरक्षण की बात कही है "जो न तो किसी काम आते हैं और न जिनका मांस खाया जाता है" (पटिमोमं नो एति न च एतदियति)। दोनों ने ही जिन प्राणियों की रक्षा का उल्लेख किया है वे हैं—हंस मुक, सारिका, जयन्त, तथा बभ्रुवते (येडा)। कौटिल्य का संरक्षण का एक और सिद्धान्त था कि उन सभी प्राणियों का संरक्षण किया जाए जिन्हें पुत्र माना जाता है (मंजल्प्या)।

मन्वेदियों का अध्ययन (गोप्यस्य) [II १९] देश के मन्वेदियों अथवा पशुधन की देखभाल करने का भार राज्य के कर्षी पर था क्योंकि कृषि का आध्यात्मिक राष्ट्रीय उद्योग बहुत हद तक इन पर निर्भर था। गोप्यस्य जिन पशुओं की देखभाल करता था उनमें वे पशु शामिल थे गाँवों में ही इकरियाँ गधे, खरबट, भैंसें, सबर तथा कुत्ते। यह केवल उन पशुओं की ही देखभाल नहीं करता था जो राज्य की सम्पत्ति होते थे। बल्कि उन लोगों के निजी पशुओं की भी देखभाल करता था जो पशु बुरानेवालों से रक्षा चाहते थे और इसके बदल में इन पशुओं से प्राप्त होने वाले घूम-वहूँ आदि का एक भाग राज्य को देते थे।

यह विभाग निम्नलिखित प्रकार के पशुओं की देखभाल करता था

(१) सी-सी पशुओं के गले जिनकी देखभाल पाँच प्रकार के कर्मचारियों का समूह करता था अर्थात् (क) गाँवों का चरवाहा (गोपालक) (ख) भैंसों का चरवाहा (पिष्यारक), (ग) बूब दुहनेवाला (योहक) (घ) बूब मसनेवाला (जो वही था कि बलस्त था; इक्षिमजनदर्मा) और (ङ) चिकारी (कुम्भक) जो जंगली जानवरों से पशुओं की रक्षा करता था। कौटिल्य ने इस बात का भी उल्लेख किया है [XIV ३] कि कुत्ते (पुनका) गाँवों की रक्षायी करते थे (ग्रामे कुतुहलक)। इन सब लोगों को निश्चित भत्ता क व्यवहार पर मौकर रखा जाता था और यह भत्ता वस्तुओं के रूप में दिया जाता था (हिरण्यमूला)। उन्हें बूब या मसने का कोई भाग भत्ता के रूप में नहीं दिया जाता था क्योंकि इसका समय था कि कहीं वहाँ वहाँ बूब से बचिन न रहे पावें जिस के सहारे उनका पोषण होता था।

(२) सी-सी पशुओं के ऐसे गधे (इपराणम्) होते थे जिनमें रक्षक

बराबर संख्या में बूढ़ी मायों दूध देनेवाली मायों गामिन मायों बछड़े तथा बछियाँ हाती थी जिनकी देखभाल एक ही बरबान्ना कर सकता था। उसे दूध-रही माँक का एक भाग पारिधमिक क रूप में मिलता था। इस प्रजाती की करप्रतिकर कहते थे।

(३) सौ-सौ पशुओं के पेशे मस्से जिनमें रागी या अर्पण मवेरी होते थे या पेशे मवेरी जिन्हें कचक बही मान्यी कह सकते हो जो उनसे ममी भाँति परिचित हो या जिग मवेरिया को आमागो में न दूरा जा सकता हो (कुर्बोह) या ऐम मवेरी जो मर हुए बच्चा को जग लेता है (पुत्रधन)। ऐसे बैकार और परिश्रम पशुओं के पेशे (भानोस्मूट) की देखभाल एक ही ब्राह्मी करता था जिग पारिधमिक के रूप में दूध-रही का एक भाग दे दिया जाता था।

(४) ऐसे पशु-मनुष्य का धारण से बचाने के लिए राजकीय पशुपाला की निगरानी में छाँट लिए जाने थे जिनके बदन में रुग्ण उनसे प्राप्त होनेवाले दूध शरीर धारण का बसबो भाग बसक कर लेया था। इस प्रजाती की भयानु प्रशिक्षक कहते थे।

मर्वागिया का सम्बन्ध अपनी निगरानी में गये मए पशुओं का बर्फीकरण इस धर्मिया में कर देता था छाँटे दछट हा से बार वर्ष तक के बछड़े पासनु मवेरी बैल (बाहिक) साठ (बूप) पानी में जाने जाने वाले दैल से मैले जिनका मांस खाया जाता था और बोस गानेवाले मैले।

मर्वागिया का मारने या बुराने पर बढोक्तम दूध दिया जाता था।

माता-पिता से बचायी की जानी थी कि वे मर्वागियों के रोगों की चिकित्सा करेंगे।

वे बच्चा (मामनु) या पहाया हुआ या गुगाया हुआ मांस बेक सकते थे।

वे धारने बछा तथा मूमरा को छाँट (उद्विचत) दिखाते थे।

बारी पशु तथा हमस बनुआ में दिन में दो बार दूध दूना जाता था और गिनार पला तथा बीप्य बनुआ में केवल एक बार।

उ मर्वागियों में एक बार भेदा तथा पररिया का रज (जर्वा) उताग जाता था।

ममी पशुओं के लिए 'प्रचर भाजा में जाने तथा पानी का प्रथम करना' बाध्यक था।

बराहों का सम्बन्ध (विबीताप्यन) : मर्वागियों के बन्धन के गाव पर पाला का भी एक अल्पना होता था जिसे विबीताप्यन कहते थे [II, ३४]। यह अधिपत्ती पशुओं के बरने का प्रथम बन्ना था। बनु पशुओं के बरने के लिए बराहों का प्रथम ऐसी जगहों पर करना था जहाँ पशुओं के बाध तथा

प्रघासन विभाग तथा उनके परामिणारी

घाँसों से घुंरलित हों। निचली भूमि पर स्थित बनों में ये विधेय रूप से पाए जाते हैं।”

बिन इलाकों में पानी गढ़ी होता था वहाँ 'क्यों' ठामना तथा बाँवा (सिन्धु बन्ध) का और फूसो तथा फसा की बाटियामा के सिंग बन्ध के छाट-छाटे स्रोतों (उत्स) का प्रबंध करके नए चरणगाह स्थापित करता था। यह बन्धयत कई शिकारियों (मुष्पक) को मीकर रस्ता या कि वे जंगल की रचबायी करल के लिए अपने शिकारी पत्तों (खाप) सेकर उत्तम भूमा कर। कुम्पनी के बार में यह भी कहा गया है कि वे अपने मिट्टी कतों की महामता से घेर पकड़त थे [IV १]।

अंत में उसका काम यह होता थाकि इनारती सन्धी तथा हापिया के प्रगसों (बन्ध-हुरिस-बन) की जो वैबाचार पत्र जाए (बाजीव) उसका उपयोग निम्नलिखित कामों के लिए कर (१) परिवहन की सुविधाएँ प्रदान करने के लिए (फोनी) (२) खोरा से रखा के लिए (खोर रसाम्) (३) कात्रिबो की रसा के लिए (सापतितवाट्यम्) (४) मन्धियों की रसा के लिए (गौरदम्) और (५) इन बन्धुओं की सेम-दोन तथा अन्य विषय भादि (बन्धुहार)। पासपोर्ट का बन्धयत (मुष्पाप्यत) पासपोर्ट के लिए एक बन्धयत होता था जिसे मुष्पाप्यत कहते थे। यह एक माय का घुलक लेकर हर यापी को घाना का अनुमति-पत्र देता था। इस अनुमति-पत्र के बिना यात्रा करनेवाले को १२ पत्र बंध देना पड़ता था।

लौकानयन का बन्धयत (माबन्धयत) [II २८] उसे एक-मापों से होनेवाले हर प्रकार के यात्रायत पर नियंत्रण रखना पड़ता था—नदियों में भी और समुद्रों में भी समुद्र से उसके छट तक (समुद्र-संघान) या गरी के मुहाने पर (गरीमुय) या शीको (देबतर) तथा ठाकाओं (बितर) में ये मार्ग वहाँ भी हों प्रघासन के क्षेत्र में या स्थानीय मार्ग—माबन्धयत उनका निर्माण करता था। नदियों तथा समुद्रतट पर चौकनी भी वही करता था राज्य की ओर से नावों तथा बहान का प्रबन्ध करता था तमाम यात्रियों से माड़ा (माबन्धयतम्) बसूक करता था अंदरगाह के प्रचलित नियमों (पत्तमानुपत्तम) के अनुसार पाठ पर बदा किये जानेवाले छार मद्रमूक (मुष्कमान) और गरी के किनारे तथा समुद्र के किनारे बसे हुए गाँवों से कर (बन्धयतम्) जमा करता था और जितनी पत्तियाँ पकड़ी जाती थीं उतनी किसी की रकम का छटा घाम नावों के माड़े (बीकामाटल) के रूप में जमा करता था।

मौदी तथा घाँस निकालने पर भी कर सक्ता था पर यदि कोई इस काम के लिए अपनी नाव इस्तेमाल कर तो इस पर बहू कर नहीं लगता था।

का कोई भी बिना अनुमति के नदी पार करता था (यमित्युप्यतारिणः) या सारकार द्वारा निर्दिष्ट किये गए स्थानों अथवा समयों के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान से या अन्य किसी समय पर नदी पार करता था (अदाये अतीर्णे च तरणम्) या उद्य पर अर्माना क्रिया जाता था। अपराधी संशय चरित्र के साथ कर मका करने से बचने की कोशिश करनेवाले या धिय (दियहस्तम्) मुक्त हथियार (पुङ्गवस्त्र) और निष्ठापत्र पत्रार्थ (अग्नियोगम्) लेकर बचनेवाले लोग विरपत्तार कर लिए जाते थे।

इन लोगों में नदी पार करने का कोई भाड़ा नहीं लिया जाता था। मछुण (कवर्त) ; मेषन तथा बास से जाने वाले (काष्ठ कुषमार) पत्र-कुस की बाटिकाया (पुष्पपत्र-बाण्ड) के रउबाये पाय-बीजा की नियमनी करनेवाले परबाहु (पट-यो-वालक) ; अपराधियों का पीछा करनेवाले पुलिसवाने गुप्तचर और राजा को समझ पहुँचानेवाले बीज अमिठी के लिए मात्रम (मस्त) पीपा में प्राप्त हानवाली बीजें बीजे फुल फल सफाये आदि (इष्यं पुष्प-फल-शाकादि) से जानेवाले साथ दलम्बवाने टकाके में रहने वाले साथ (कनूय-शामाणाम्) और बाह्यम साथ, बच्चे बूढ़ तथा गोपी और यम-बन्दी किये।

अप्यक्त का यह कर्मका होता था कि यदि कोई जहाज नुष्टान में पंगकर टूट टूट जाए (बाताहत) या रातना भटक जाए (मुडु) तो बहु पित्त के समान समझी गया करे (पित्त अमुगुहसीयल) और यदि किसी व्यापार करनेवाले जहाज को रक से कोई हानि पहुँची हो (उरर-प्राप्त) या उधसे जाया शुष्क हो (अध-जस्त) या बिपत्त ही गुप्क न हो (अप्रक)।

या जहाज अपनी यात्रा के लीगल में (मेषातीर्ताकः) किसी संदलाह पर रहने से उद्य बदलाह पर रहने का भाग देना पना था।

गुप्तमा करने वाले (दिगता) या मर के साथ की और जानेवाले (अग्निव दियवातिया) या बरमान २ नियमा का उपकरण करने वाले (बष्य-वस्तन धातुरी-दयानिकः) जहाज पर लिए जाने थे।

उप-का मधी अस्या के धादा पर राय का भाग से जहाज और उत्तरा जानेवाले समयवाला का हर समय मधिया प्रसय रहना था। हर जहाज पर एक वानत (दागद) मीरा दा गिता मन्नेबाया (दियामर) जहाज में अज्ञान की दंगमन्त बननाथ (दाद-यातक) पात्र की रसिया की गवादा बननाथ (दियामन्त) तथा पानी उपकरण (उप-वद्य) रहे।

यात्रा का मन्तु नियम था और या त्रिय जहाज का तथा नियम जारी

बोझ के जाता था जैसे इट जैसे बँकगाड़ियाँ आदि उससे उतना ही महामुल किया जाता था ।

बहरगाहों का अघ्यस (पसनाप्यस) [II २८] : उसका काम होता था बहरगाहों पर नियंत्रण रखने के लिए (पष्य-वसतन-वारिजम्) नियम (मिर्घ) बनाना नाबाध्यस इन नियमों को मानने पर बाध्य था ।

बाणिहद-अघ्यस (पष्याप्यस) [II १६] उसके जिम्मे माल की पूर्ति उसकी कीमतों और उसके अय-वज्र्य पर नियंत्रण रखने का काम होता था । देश के भीतर तैयार होनेवाला वह माल जिस पर राज्य का स्वामित्व होता था (स्व-भूमिज-राजपष्य) एक ही मंडी में बेचा जाता था (एक मुद्रम्) और उसकी किन्ही केंद्रीकृत होती थी और विदेशों से आनेवाला माल कई मंडियों में बेचा जाता था (अनक-मुद्रम्) ।

पष्याप्यस के अधिकार-क्षेत्र में चीजों के अय-विक्रय तथा उनकी कीमतों पर राज्य की ओर से नियंत्रण रखने की भी व्यवस्था थी । चीजों की प्रचलित कीमतों (अर्घवित) की पूरी जानकारी रखना उसके लिए आवश्यक था । वह व्यापारियों को लाइसेंस लेकर (अनुमत्याः) जत्र तथा अन्य बिकाऊ माल के मजारों पर नियंत्रण रखता था ।

अनधिकृत मजार जत्र कर सिमे जाते थे । जब व्यापारियों के किसी एक विशेष समूह को व्यापार करने का लाइसेंस दे दिया जाता था तो जब तक उनका छाल माल बिक न जाए तक किसी दूसरे व्यापारी को लाइसेंस नहीं दिया जा सकता था ।

यह नियम इसलिए बनाया गया था कि प्रतिद्विंदिता के कारण कोई व्यापारी कीमतें न गिराने पाए ।

अघ्यस अपना सब माल बिक जाने के समय तक के लिए केवल एक ही केंद्रीय मंडी के लिए बिक्री को नियमित करा सकता था (एकमुल अघ्यसारे स्वाप्येत्) । उस समय तक किसी दूसरे को वही माल बेचने की इजाजत नहीं होती थी ।

मुनाअबोरी को रोककर भी अघ्यस कीमतों पर नियंत्रण रखता था । ऐसा करने के लिए वह लोक कीमत निश्चित कर देता था और उस पर बोझ से मुनाअे (मालीज) की पुंजाइस रख कर फूटकर कीमत तै कर देता था । इस मुनाअे की दर देश के भीतर बजनेवाली चीजों के लिए (स्वदेशीयानां पष्यानाम्) ५ प्रतिशत और विदेशी माल के लिए १० प्रतिशत होती थी ।

यदि कोई व्यापारी कीमतों की नियत दर से अधिक मुनाअा कमाने की

कोषिण करता तो उस कम से कम २० पण जुर्माना देना पड़ता था और यह जुर्माना उससे अपराध के अनपात से बढ़ता जाता था ।

इस हितकर नियम का उद्देश्य काम की मात्रा का व्यापारी की उचित दैनिक आय (विश्वस्यतम्) के हिसाब से सीमित करके अतः उपभोक्तानों को लाभ पहुँचाना था (अनुग्रहेण प्रजातान्) [II १६ IV २] ।

दीमती के बारे में यह नियम था कि वे दलमी नहीं हानी चाहिए, कि जनता उनका माँग सहन न कर सके (अनुग्रहेण अनप्यीडया) और न राज्य को अमता पर धार टाककर मलाया ही जानाना चाहिए (स्वुत्तमपि च ताम्रं प्रजानां औपघातिकं वारयेत्) ।

बिना वस्तुआ की मरना बीपन की निताल आदर्यकताओं में होती है बिनाकी मोग तथा वृत्ति की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती (अव्यक्तव्य 'सिसे ब्रुष तथा तरकारिणो') वे हर समय हर स्थान पर बची जाती थी ।

राज्य अपने माय की बिनी के लिए व्यक्तिगत व्यापारियों को अपना एजेंट नियुक्त कर सकता था लेकिन गर्त यह थी कि यदि हानि हापी तो वह व्यापारी उस पूरा करेगा (छेदानुत्पं वैवर्षं) । पन्तु इन प्रकार की बिनी एक ही केंपीय मंडी में न हाकर कई मंडिया (धुमन्त्रम्) में करने की इजाजत होती चाहिए ।

राज्य को मुदिबार्त के फर (अनुग्रहेण) जैसे इन बात का आस्वागत देकर कि सीमास्त पुनिस बलपाम आदि व्यापारिया को परेशान नहीं करेंगी और व्यापारी भाँति मामूली छे छट देकर जायाल व्यापार को प्रारुणात देना चाहिए । समस्त के गान्त जायाल-व्यापार (भाबित्त-सार्वपण्य) को बिछप गविपार्त की जानी चाहिए ।

बिना न आनेना व्यापारिया पर (जातम्युदान्) ऋण के लिए मुद्रमा नहीं बनाया जा सकता था (अनभिजीगन्नापय) पर जा माय व्यापार में उनकी भावना करने तक प्रति उन भावन वाशित्य पूरे करने चाहिए (अग्यप्र साम्योप वाशित्य तनुपवारि-वर्भ-करान्-अपणाय) । )

दशाप्यस माय का निर्वा भी इतना था कि विभिन्न कर जैसे चुपी (एक) सारत का दर (बर्तनी) गान-वर (भाबित्तारिण) मला कर (धुमन्-देय) पाय कर (तरण्य) आ पायल के माँ गाम नाम की मरान्त हो (उत्तं वयेत्) ।

यह पाला का उदित में विभिन्न दरमन्त्र का नीयत भी करी बिनी दशाप्य का मोर एत । न अतिरिक्त मरिया में माय के नयुने भेजा था आरमन्ता नाम पर ५ एजेंट रिता मर्या रिण तथा मरान्त नाम पर माय ५५

बृहस्पतिता में मिलता है, जो भारतवर्ष के पश्चिम या कर्णाटित् उत्तर-पश्चिम के इलाके में रहते थे ।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि वे मदिचएँ इससे पहले भी इस्तेमाल की जाती थीं । पाणिनि ने कापिनायन तथा कापिधायनी के नाम से उनका उल्लेख इस अर्थ में किया है, कि वे कापिषी नामक देश में बनाई जाती थीं (IV, २, १९) । कापिषी ( = आपुषिक काश्मिरिस्तान ) उस प्रदेश को कहते थे जो कुनर नदी तथा हिन्दुकुश के बीच में स्थित था जिसके बाद बाह्लीक प्रदेश था ।

इसी प्रकार बीसा कि इमर बताया जा चुका है शारङ्गरक उस मदिच को कहते थे जो हृत्पति (अबेस्तन) नामक नदी की घाटी में बनाई जाती थी पुरानी इग्रीसी में इस नदी का नाम ह्युबरी या और आजकल इसे हेम्बद कहते हैं ।

बाब भी इनके के लिए ह्युबरी नाम का प्रयोग किया जाता है और बीसा कि मट्टोबी सीमित में बतकाया है कापिधायन एक प्रकार की मज्ज बर्षित् अधिक होती थी (जो आयत हुए जंगलों से बनती जाती थी) और कापिधायनी एक प्रकार का शाल होता था ।

यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि ब्रह्मपुत्र मीर्य के घाटनकाश में भी प्रदेश वहाँ से मदिचएँ बनाई जाती थी भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत थे ।

उन्मुक्त मदिचपाल : प्रसवों के अवसरों पर (उत्पन्न वास्तुवि-उत्पन्नेषु) सामाजिक समारोहों के अवसर पर (समाजबन्धुजन-नेत्त्रेषु) और धार्मिक उपासना के अवसर पर (वाग्ना इच्छेकस्तान्वा) चार दिन तक किना किसी टोक-टोक के और प्रभावित मदिचकर्मों के बाहर भी मदिचपाल की घूट होती थी । परन्तु यदि कोई इस घूट की सीमा का उल्लंघन करता था तो सूर्यमण्डल उन सोमों पर, जो इस अवधि के बाद भी मदिचपाल करते हुए पाए जाते थे प्रतिदिन घूट जुमाना जाता था (जिससे कि 'वे अपने काम का हर्ष न करें') ।

इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि जाबकाटी कं से सारे नियम मद्य नियम को सरकार का अंतिम कसब मानकर बनाये गए थे ।

मेवातपतीक : हम यह बात भी ध्यान में रखें कि मेवातपतीक से मिलता है कि भारतवासी बनों के अवसर पर मदिचपाल करते थे और यह कथन उस बात को सर्वथा अनुकूल है, जो कौटिल्य ने इन अवसरों पर मदिच के विशेष आदर्शों दिए जाने के बारे में कहा है ।

( नीतवाग्य (नाप-लोक के आपसों का अर्थ) [II, १९] नाप-लोक के आपसों नीतवाग्य बननाता था । बाट कीड़े के या मन्वज तथा मेकल के पत्त

के या अन्य किसी ऐसी चीज के बगवाए जाते थे जो गरम होने पर न तो बढ़े न टूटे होलें पर सिक्के । छः अंशुल या उससे अधिक लंबी डडियों वाली पक्केदार तुलाएँ बनाई जाती थी । जिन्नी व्यापार करनेवाले लोग नाप-तोला के जो मापबंद इस्तेमाल करते थे उन पर अश्वमेध मुहर छयाता था और इस काम के लिए उनसे चार माप का शुल्क लेता था । हर चार महीने बाब नाप-तोला के माप-बंदों की जाँच-पड़ताल की जाती थी और इसका ठरफ पूरा करने के लिए, 'एक काकपी' प्रतिदिन का बिसेप कर वसूल किया जाता था । सरकार ने कम्बोई तथा दोबकक नापने और समान नापने के मापबंद भी निर्धारित कर लिए थे ।

सूत्राभ्यस्त (बुनाई तथा कटाई का अभ्यस्त) [II २३] सूत कपड़ा, कपड (बर्म) तथा रस्सियाँ बनाने के लिए सरकारी कारखाने थे ।

धार्मिक शिक्षा इन कारखानों में ऊन (ऊर्णा) छास (यक्क) कपास (रैसमी कपास (तुल) सन (शाब) तथा शीम का धागा काठने के लिए (पर्वयेत्) औरतों को काम पर रखा जाता था ।

नाम पर ऐसी ही औरतों को रखा जाता था जिसका भरण-पोषण करने-वाला कोई न हो जैसे बिधवाएँ, अपन औरतें (भ्रम्या) सड़कियाँ छाबुनियाँ बंदिब शिक्षा बूझ इववातिका आदि ।

परदा करनेवाली औरतें जो कारखाने में काम करने नहीं आ सकती थीं उनके लिए कारखाने में काम करनेवाली डूमरी औरतों के हाथ (स्ववासिभिः) उनके घर काम भिजवा दिया जाता था । कटा हुआ सूत सूत्रशाला में रखा होता था ।

मजदूरी जितना और जिस बोटि का काम किया जाता था उसी के अनुसार मजदूरी मिलती थी । पारिवर्त्मिक देने में बिलम्ब करने पर दंड दिया जाता था (बेतनकासातिवाने भय्यमः सहस्ररथः) ।

उत्पादित वस्तुएँ शीम (सन या मूह) बुकक (रैसम) इन्डितान (कीड़े से प्राप्त होने वाला रेशम) रट कच (हिरण का ऊन) और कार्पास (कपास) आदि विभिन्न चीजों का सूत बनाता जाता था (सूत्रबाल-कर्म) ।

नए-नए नमूनों के (उत्पापयेन् अपूर्वनि निर्धारयेत्) बने-बनाए कपड कम्बोड (आतरस्य) और परदे (प्रावरस्य) भी बनाए जाते थे ।

सूत की रस्मियाँ और बेंत तथा बाँस की छास की बुनी हुई नेटियाँ (बग्गा) भी कारखाना में बनाई जाती थीं जिनका भारतवाहक नमूनों को धाया तथा मपया जाता था ।

बूझना तथा शक्तिवा गुलिया का विनाय (I ११ १२; II ४५) इन विनाय का काम मुत्तबरी (भग्-मुत्तवः) के हाथ में होता था जो एक विशेष

किसी गाँव में से जाते से और वहाँ पहुँचे से ही किये हुए किसी घर में घुसते से और वहाँ उन्हें से सब अपराध करने देते से ; थोरा को पकड़वाने के लिए वे थोरों का भेद धारण करके वारों के साथ ही जाते से ।

इमें ऐसे जासूसों का भी जस्सेस मिलता है, जो स्टेटों का घप बनाकर अपराधी बन्ध-जातियों के बीच जाते से और उन्हें किसी काठिले पर वा किसी ऐसे गाँव पर हमला करने के लिए उकसाते से जिसमें पहले से सन्धे पताने के लिए गड़की सोला तथा और सामान भर दिया जाता था । जब योजना के अनुसार आक्रमण होता था तो वा तो आक्रमणकर्ता वहाँ पर जनकी ताक में पहुँचे से निवृत्त किये गए सैनिकों द्वारा मीठ के पाट उतार दिए जाते से वा जब वे विशेष रूप से उनके लिए तैयार किया गया विपास्त भोजन करके गले में लो जाते से तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था (IV, ४, ५) ।

राजदूत विभाग (I ११) सरकार का एक राजदूत विभाग भी था जो देश के वैदेशिक सम्बन्धों का काम देखता था । राजदूत पूर्वतः योग्य जमातों में से भर्ती किए जाते से और वे विभिन्न श्रेणियों के होते से (१) निवृत्त्यार्थ सर्वाधिकार-सम्पन्न राजदूत (२) बर्तितार्थ ऐसा राजदूत जो केवल एक सीमित उद्देश्य को लेकर भेजा जाता था और (३) घातक-हृद, वह राजदूत जो कोई संदेश लेकर भेजा जाता था अर्थात् राजाज्ञा के जानेबाना राजदूत ।

जब किसी राजदूत को किसी दूसरे देश भेजा जाता था तो उसे बड़ी धूमधाम के साथ हर प्रकार की मानसिक खामशी से पूरी तरह सैय्य करके ही भेजा जाता था उसके लिए माड़ी (घान्) सवारी (बाहुल) के लिए घोड़ों तथा अन्य पशुओं गीकरों-वाकरों (पुष्प) और बाना के लिए समुचित भोजन तथा विभाग (बर्तितार्थ) का प्रबन्ध कर दिया जात था । राजदूत को राजा का प्रवक्ता (दूतमुखाः राजानः) कहा गया है ; उसे इस बात का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि विशेषों में उसका आचरण किस प्रकार का होना चाहिए । उसे क्षीर नहीं होना चाहिए और जब तक उसका सन्ध प्राप्त न हो जाए और उससे वहाँ से लके जाने को कह न दिया जाए (बतैवविमुच्यः) तब तक उसे वहीं रहना चाहिए । उसके प्रति जो सम्मान अथवा आदर-मत्कार प्रकट किया जाए (पूजाया मीदृतिः) उससे उसे प्रभावित नहीं होना चाहिए । उसे पूर्ण नैतिक संजम से जीवन व्यतीत करना चाहिए और नारी तथा महिला से दूर रहना चाहिए (त्रिभयः बालस्य बर्जयेत्) । उसे अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य होने जाते से जैसे राजा का संदेश पहुँचाना संधियों का पाठ्य करना (संविवाक्यम्) अतिम वैताषणी (प्रताप) देना दिव बनाता (मिन्न-सोपह) राजनीतिक पर्यव (अप जाय) करना सन्ध के मित्रों को ठोड़ना (सुहृद-भेद) आदि ।

द्वेषताम्बल (धार्मिक संरक्षकों का सम्बल) इस पराधिकारी का नाम द्वेषताम्बल सर्वथा उचित ही था (V, २) । यहूतों तथा बाब्यों के सभी मंदिरों तथा उनही सम्पत्ति की जिम्मेदारी उस पर होती थी । वह किसी भी मुराने मंदिर, नई मूर्तियों अथवा विच-रिग की स्थापना कर सकता था और इस पुनः व्यवहार पर धार्मिक जगत् तथा समाजों का आयोजन कर सकता था जिनमें वह इन सत्त्वों के लिए तीर्थ-यात्रियों द्वारा बनाया जानेवाला वन बना करता था (यात्रा-समाजार्थ्यं आजीवेत्) ।

मुख्य पराधिकारियों की सूची कौटिल्य ने इन मुख्य पराधिकारियों की एक सूची की है (I १२) जिनमें ये शामिल हैं (१) बन्धी, (२) पुरोहित, (३) सेनापति (४) युद्धराज, (५) वीरपति (६) अंतर्देशीय, (७) प्रशास्ता जिस पर सैनिक पदार्थों की व्यवस्था का भार रहता था (८) समाहर्ता (९) सन्नि-पत्ता (१०) प्रदेष्टा (११) नायक, (सैनिकनायक) (१२) पौरध्यावहारिक (१३) कार्यान्वितक (जनिक-उद्योग का अध्यक्ष) (१४) धर्म-परिपालक-अध्यक्ष (१५) अन्तपाल (मुख्य सैनिकनायक, जो सेनापति से भिन्न होता था; सेनापति असीद्धिहीन घना का प्रदान अथवा ईश्वर होता था—इस सेना में २१,८७० रथ इनमें ही हाथी ६५,६१० घोड़े और १०९,३५ बैदल बिपाही होते थे) (१६) युधपाल (१७) अन्तपाल और (१८) आडविक (अद्वैतपर्यायपति 'अर्पणं ब्रह्म-राज्यं का स्वामी') । कौटिल्य ने इन अत्यंत मुख्य पदा की अवधारणतों में भी कहा है ।

## अध्याय ७

### भू-व्यवस्था तथा ग्राम-प्रशासन

पैमादस : खेती की जमीन राज्य के पैमाने से नापी जाती थी (१ रज्जु = १० दण्ड = ४० हाथ १ हाथ = ५४ अंगुल होता था)। असम-जलम प्रकार की जमीनों के लिए अलग-अलग मापदंड प्रदीप में बताते थे—जैसे धीनिक पहाड़ की भूमि इमारती कंकड़ी के बराबर सड़कों तथा कुएँ, माट्टी की जमीन जिसका लयान नहीं मिया जाता था।

पैमादस तथा बन्दोबस्त का खर्च जमीन के मालिक से लिया जाता था, जिसे इससे साम होता था।

बन्दोबस्त जमींदार के रूप में राज्य के कलखों के सम्बन्ध में कुछ मजदूरी का बंधन विधे गए हैं। सबसे पहले तो ऐसे गाँवों की स्थापना की जाती थी जिनमें कम से कम १० और अधिक से अधिक ५०० परिवार हों। राज्य बुद्धि प्रवर्धकों के लोगों को सहायता देकर इन गाँवों में लाकर बसाता था (परवैशा-बवाहनेन) या वह स्वयं अपने देश के अधिक बने बसे हुए इलाकों के लोगों को इन लोगों में लाकर बसा देता था (स्ववैशाभिप्यवचमनेन)।

ये गाँवों के बीच में कोई सुनिश्चित सीमा-रेखा होती थी जैसे नदी पहाड़ी जंगल, झाड़ियाँ (गुट्टि) बाटी (बरी) लटबंज (सेमुर्बंज) और सामान्य जमीन या बट के बूट। यह भी आदेश था कि गाँव एक-दूसरे से बहुत दूर न हों। उन्हें एक-दूसरे से हट से हट एक या दो ओर (कोस) दूर होना चाहिए ताकि समय

पक्षमें पर से एव-भूमि की रखा कर सकें। (अधोपारम्भम्) [II १]।

गाँवों में सामूहिक बीजन का प्रोत्साहन देने के लिए १०-१० गाँवों को एक ही प्रशासन-केंद्र के रूप में संघटित कर दिया जाता था जिसे सक्षम कहते थे २ १०० गाँवों के सामूहिक प्रशासन-केंद्र को कारवटिक और ४००-४०० गाँवों के सामूहिक प्रशासन केंद्र को डीणमुख कहते थे इस प्रकार अंत में ८०० गाँवों का सम बन जाता था जिसे महाग्राम कहते थे। और इसके प्रशासन केंद्र की स्थापना कहते थे जो संस्कृति वाणिज्य व्यापार तथा बीजिकोपार्जन के साधना का केंद्र होता था वहाँ उस पूरे इलाके के सामवासी एकत्रित होकर सामूहिक बीजन का निर्वाह करते थे (II, १)।

जिन लोगों की सेवाओं की माँग को उबरता होगी जो उन्हें राज्य की ओर से भूमि दी जाती थी और उन पर कोई कर या कर भी नहीं वसूल किया जाता था। ऐस लोगों में इनकी गणना की जाती थी—(१) जो लोग धार्मिक संस्कारसंपन्न करतल थे (२) अध्यापक (३) पुरोहित तथा (४) विद्वान [II १]।

इस प्रकार की माँग भूमि गाँव के राजकर्मचारियों को भी बनाने के बरतने दी जाती थी जिसे बेचना या देना इतना मना था (विक्रयायातवर्षम्)। भूमि के अनुदान के रूप में विभिन्न कोटिया के परामित्तारियों का वेतन अनुसृष्टि (II, १९) तथा महाभारत (VII, ८७ १-८) होता ही है इस प्रकार निर्धारित किया गया है १० गाँवों के घासक को १ बल भूमि २ गाँवों के घासक को ५ बल और १०० गाँवों के घासक को एक पूरा गाँव और १००० गाँवों के घासक को एक पूरा नगर। बल की व्याख्या यह की गयी है कि "त्रितली भूमि १२ बीलों से होती या लगे"।

जो भूमि कृषि योग्य न हो उन कीर्ई गाँवों के योग्य बनाने को (उस का पट्टा उन के जीवन भर के लिए उगाती कर दिया जाता था। जो भूमि लेनी लायक न हो वह उनमें न ली जाए जो उन लेनी के योग्य बना रहे ही।

यदि किसी क्षमीन पर लेनी न ली जाए, तो वह जल की या मजदूरी थी। इस प्रकार जो भूमि गाँवों होती वह सबसे पहल जमी गाँव के अन्य कृषकों की ही पालनी। यदि यह न हो सके तो फिर राज्य उन पर अधिक लाभों के लक्षण लोगों को बसाएगा जो उसे उपयोधी बना सके और उनका ममान करा कर सकें। इस लाली को स्वयं गाँव की ओर से वेतन बकर भी रखा जासकता है (धामकृतक)। स्थानीय व्यापारी (बैंडेहक) भी लगी लान पर अधिक या शरते थे। इनमें यह सिद्ध होता है कि कृषि की उन्नति के लिए बृहत्त उन लाला वर निर्भर नहूँ के बजाय जो जमीन जानने व या उन पर लेनी बनाने के लिये पृथीगतिर्वी की भी गणना ली जाती थी या स्वयं लेनी मरी करतल थे।

बीज पशु तथा पैसा (हिरण्य) किसानों को उधार देकर कृषि को प्रोत्साहन देना राज्य का कर्तव्य है ताकि विस्तृत भूमि को लाभप्रद बना सकें और बाँ में (अनु) यह ऋण तथा देय-वन राज्य को बिना किसी कठिनाई के बराबर मर्के (सुखेन वदात्) ।

राज्य स्वयं कृषि उठाकर किसानों का कर्जाग में घूट (अनुग्रहपरिहार) नहीं ले सकता (महामारत XII८७,६,८) ।

क्रीटिस्य के मतानुसार [VII,११] जिस देश की अधिकांश जनसंख्या निम्न वर्गों के लोगों की (अवरवर्ण-प्राय) हो वह बाणिक दृष्टि से देश की अथवा बच्चा (भेषी) होता है जिसकी जनसंख्या का अधिकांश भाग चार वर्गों में स उत्तम वर्गों के लोगों (चातुर्वर्ण्यभिनिवेशे) का हो । निम्न वर्गों के लोग कृषिकी आवश्यकताओं के अनुसार हर प्रकार का काम कर सकते हैं तथा हर प्रकार की कठिनाइयाँ सहन कर सकते हैं (सर्व-नोपसहृत्वात्) । इसके अतिरिक्त कृषि पशुओं पर निर्भर रहती है और गृह चरबाड़े होते हैं और पशुचरान द्वारा अपनी औषधियाँ कमाते हैं (पशुपास्म) । इसके अतिरिक्त वृक्षों की भी आवश्यकता होती है, जो अन्न के भंडार बना करके रखते हैं और फसलों के व्यापार पर लेती बारी के लिए ऋण देते हैं (पशु-निचयव्यपानुग्रहत्) । क्रीटिस्य ने कृषि को सबसे अच्छा उद्योग माना है क्योंकि इस बहुत-से स्थानों पर (बाहुस्यत्) बसाया जा सकता है और इसके परिणाम निश्चित होते हैं (प्रव्यत्) । अतएव क्रीटिस्य का मत यह है कि सबसे अच्छी भूमि वह होती है जो (१) कर्तव्यवती अर्थात् खेती के लिए उपयुक्त (२) गोरक्षकक्षी अर्थात् वहाँ चरबाड़े बहुत बड़ी संख्या में हों और (३) जो अधिष्ठी हो अर्थात् वहाँ कृषि में पैसा कमानेवाले व्यापारी बहुत बड़ी संख्या में हों । निम्न जातियों के उचित महत्त्व का समझना और भारतीय अर्थतंत्र का पूर्वतम ज्ञान क्रीटिस्य जैसे कट्टर ब्राह्मण के लिए सम्भव उल्लेखनीय बात है ।

ग्राम-नियोजन हर माँ में खेती की जमीन के अतिरिक्त निम्नलिखित कामों के लिए कुछ ऐसी जमीन भी होनी चाहिए जिस पर खेती न होती हो (अहृष्या भूमि) : (१) पशुओं के चरने के लिए चरगाह (विबिन्त) (२) पानिक अभयन तथा पूजा-उपासना के लिए घान्त वन (बृह-सोमारभ्य) तथा उपस्थियों के लिए उपोवना (३) राजा के शिकार खेलने के लिए एक संरक्षित वन जिसमें 'हरण तथा हाथी जैसे पालतू (दाल्त) जानवर और घेर जैसे हिरण्य पशु हों पर उनके दाँत और तालत निकाल दिये गए हों' (४) सभी प्रकार के पशुओं के रहने के लिए साधारण वन (सर्वातिविमुगम्-मुम-वनम्) (५) विभिन्न प्रकार की बलुएँ पैदा करने के लिए विधेय रूप से सजाए जाने वाले

विभिन्न प्रकार के बन जैसे इबारती लकड़ी के जंगल बांस के जंगल या उन  
दूसों के बन जिनकी छाल उपयोगी होती है (१) बन-सम्पदा का उपभोग  
करने के लिए कारखाने (इष्य-अन कर्मस्थान्) (७) बागबासियों की बस्तियाँ  
और (८) मनुष्यों की बस्ती के परे हाथी पालने के बन [II, २] ।

ग्राम-विकास राज्य को एक ऐसे कार्यक्रम के अनुसार ग्राम-विकास का  
काम अपने हाथों में लेना चाहिए जिसमें ये बातें शामिल हों (१) यन्त्र तथा  
धान उद्योग के कारखाने (आकर-कर्मस्थ) खोलना (२) इमारती लकड़ी और  
खंडन की लकड़ी तथा अन्य सुगंधित लकड़ियों जैसी बहुमुम्भ तथा औषधियों के  
लिए उपयोगी लकड़ियाँ पैदा करने के लिए बन लगवाना (३) हाथियों के  
लिए जंगल लपवाना (४) पशुओं के चरागाह (घस) बनवाना (५) मातायात  
के लिए सड़के बनवाना (बसिन्ध-पथप्रकारान्) (६) जल-मार्ग तथा जल-मार्ग  
(बारिखतपथ) बनवाना और (७) माछ की बिक्री के लिए बाजार (पथ-  
पत्तन) बनवाना [VII १] ।

राज्य को ऐसे जलाशय (सिन्धु) बनवाकर जिनमें गर्मी न पनी जाया हो या  
गर्मी का जल भर जाया हो गाँवों के लिए जल का भी उचित प्रबंध करना  
चाहिए । राज्य को भूमि जल काने के लिए मार्ग लकड़ी तथा अन्य जल  
द्वयक सामग्रियाँ मफल देकर लोहा को नित्री रूप से लालाब बनवाने में भी  
सहायता देनी चाहिए ।

जो सीम नित्री तीर पर पत्रा के स्थान (कुष्य-स्थान) तथा सार्वजनिक  
बाटिकारों तथा उद्यान (आराध) बनवाना चाहें उन्हें भी इसी प्रकार भूमि तथा  
अन्य सामग्री मफा देकर राज्य को उनकी सहायता करनी चाहिए ।

यदि कोई गाँव निगी महकरीय यात्रना का बीड़ा उठाए, तो राज्य को  
निहित यात्रा में धम तथा बीलों के रूप में लीमाँ से उत्तम मापदान करवाना  
चाहिए । यदि कोई व्यक्ति निहित योगदान न करे, तो उसे उसके बराबर  
मूल्य तथा उन यात्रना में अपने हिस्से का मूल्य (ध्वय-कर्मणि च मामी स्थान्)  
दना चाहिए ।

बाप हाथ (सिन्धु) बनाए गए लालाबा में जा बछ भी उत्पन्न होता था  
वैधे महकरीय बतारों तथा जल के पोथे उन पर राजा का स्वामित्व हुना था ।

गाँव में ऐसी बिहाण-बाटिकारों या माछ नृत्य महीन बासन तथा ममगरीं  
और आरा के लिए रपमच नहीं बनवाए जाने चाहिए, जिससे निस्तराय रूपका  
के काम में बाधा पड़नी हो ।

राज्य का अनद्वय नुर्दानों बेपार तथा अव्यधिक समान अथवा कर से  
मुक्तता की रखा करनी चाहिए ।

हर पाँच में पुष्प बाटिकाएँ तथा फलों के भाग (पुष्प-कलबाट) कमलों से रोकर, हाँस के सुरमुट (सण्ड) तथा बान के रोठ (केदार) हाँसे [II १ ६]। स्वल्प पाय्य जीवन के विकास के छिप कस ज्यय हितकर नियम भी बनाए दे। परिवार में अनुशासन के उल्लंघन को रोकना राज्य का कर्तव्य था। यह भी कर्तव्य था कि वह परिवार के सदस्यों के तनमोगी मीकरों-एँ (आहितकों) तथा हाँसों को कृत्स्न स्वामी की आज्ञा का पालन करने पर बाध्य करें। दास पाँच प्रकार के होते थे गर्म-जात जो जन्मत दास होते थे गृह-जा जो स्वामी के घर में जन्म लेने के कारण दास होते थे कीत-दास जो खरीद किए जाते थे लभ्य जो दूसरे से प्राप्त कर लिए जाते थे और दायोपगत जो लभ्य के बदले में प्राप्त किए जाते थे।

पाँच के निस्सहाय लोगों बच्चों बूढ़ों रोमियाँ तथा कंगालों और निः-सहाय स्त्रियों का भरण-पोषण करने का दायित्व भी राज्य पर ही था। पाँच के बड़े-बूढ़ों (धाम-बूढ़ा) को इस बात का दायित्व सौंपा गया था कि वे नाबाकियों की सम्पत्ति की रक्षा करें और जब तक वे बाकिय न हों जाएँ तब तक उनकी सम्पत्ति की उचित देखभाल करें और इसी प्रकार मंत्रियों की सम्पत्ति के संरक्षण का भार भी जन्हीं को सौंपा गया था (बाल-द्रव्य तथा ऐक-द्रव्य)।

यदि कोई व्यक्ति सामर्थ्य रखते हुए भी अपने बच्चों अपनी पत्नी अपने माता-पिता नाबाकिय भाइयों बेटियों बहनों तथा बिकबा बेटियों के भरण-पोषण की व्यवस्था नहीं करता था तो उसे बंध दिया जाता था यदि इनमें से कोई नैतिक आचरण से किमुब हो जाए, तो उसके भरण-पोषण का दायित्व उस व्यक्ति पर नहीं रह जाता था पर माता का भरण-पोषण हर हाक्षत में करता पड़ता था।

यदि कोई व्यक्ति अपने पुत्र तथा पत्नी के भरण-पोषण का उचित प्रबन्ध किए बिना सम्पत्ती हो जाता था और घर-बार छोड़ देता था तो उसे बंध दिया जाता था। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को सम्प्राप्त का पत्र ग्रहण करने पर बाध्य करता था तो उसे भी बंध दिया जाता था।

साक्षों में बताई गई अवस्था से पहले कोई भी व्यक्ति संसार को त्याग नहीं सकता था यदि कोई ऐसा करता था तो उसे बंध दिया जाता था (निय-व्य) [II १]।

भू-राजस्व : भू-राजस्व विभाग का प्रशासन सम्राज्ञा नामक एक पदाधि-कारी के नियंत्रण में चलता था जिसके कामों का उत्सव पहले किया जा चुका है।

म-राजस्व के लोभ नैसा कि हम पहले देख चुके हैं मू-राजस्व में जिन मदा का उल्लेख किया गया है उनके झोठ अनेक हैं जिनका वर्जन राज्य अर्थात् देहात के अंतर्गत किया गया है। दुर्ग को छोड़कर घेप घारे क्षेत्र को राज्य कहने से। इन झोठों के विविष्ट नाम ये बताए गए हैं (१) लौता (राजा की भूमि) (२) माय हृदि-उत्पादन का छटा भाग जो राज्य को दिया जाता था (३) कर, पका के बायो की पैदावार पर लगाया जानेवाला कर (४) बिबीठ अर्थात् चरागाहों से बसूल किया जानेवाला कर (५) बर्तनी सड़क इस्तेमाल करने का कर (६) रज्जू भूमि की पैदाइश का कर (७) बोर रज्जू अर्थात् चौकीदारों अथवा पुलिस का कर (८) सेतु, ठिबाई वाली भूमि तथा टाकाव (९) बज अर्थात् जंगल (१०) बज पशुपालन तथा पशु प्रजनन क्षेत्र (११) बलि राजा को दिए जानेवाले उपहार, एक प्रकार का नक़दना (१२) ज्ञाने जैसे "सोना चंदी हीरे-जवाहरत मणि-मुक्ता मृगा राज बागु गमक तथा पृथ्वी से लोहरकर निकाले जानेवाले अन्य लभिम पदार्थों तथा पत्थर की मार्गें या पारव जैसे लत्ता के लेन-देन (रत) [II, १]

प्रयासन राजस्व अधिकारी: राजस्व विभाग में तीन श्रेणियों के अधिकारी होते थे (१) सत्रहूर्ता राजस्व जमा करनेवाला मुख्य अधिकारी जो इस विभाग का प्रधान होता था (२) स्थानिक और (३) गोव। प्राप्त (बज पर) चार मंडलों अथवा विभागों में बाँट दिया जाता था जिनमें से प्रत्येक एक स्थानिक के आधीन होता था। इस प्रकार के प्रत्येक मंडल को फिर ५-५ या १०-१० गाँवों के समूहों अथवा वर्गों में विभाजित कर दिया जाता था जिनमें से प्रत्येक एक गाँव के आधीन होता था। गोव तथा स्थानिक के अतिरिक्त वर्गों में काम करनेवाले कर्मचारियों में ये लाय होते थे (१) अप्यल जैसे माने तथा रत्न-आमूषको से काम पर निगतनी करनेवाला अधिकारी (सुबर्ना प्यल) (२) संस्थापक गाँव का मुनीम (३) जमीन्दार हाथिया को (जो जाल-गाह के हाथियों के बजसों से पकड़े जाने से) सजानेवाला (४) बिक्रमक गाँव का बीघ (५) साबरमक पीड़ों को सजानेवाला (६) बंधा-वरिक (बाणिक) हरावाप तथा सर्वेसर्कार (सुरवेणसत्तागतजीवी) आदि [II १]।

जनपर क चार वर्गों में से प्रत्येक मंडल से गाँव जमनी आबादी तथा जमनी बाप के अनुसार तीन श्रेणियों में बाँट दिए जाते थे (टीकाकार)।

इलाखेत्र विभिन्न प्रकार के निगुप्त दरमावज (निबंध) तैयार किए जाने से जिनमें विभिन्न प्रकार के गाँवों की सूची होती थी। जैसे (१) जिन गाँवों का एमान मान हो (बतिहारक) (२) जो गाँव जंगल क बरते रीतिक तथा

करते थे (आयुष्यं बन्धकरायणं ग्रामायणम्) या (१) जो नियमित रूप से जाँका नामवाला मयान (प्रतिश्राट् प्रतिनिमातः कटः) घाय (अनाज अथवा बूखरी फसलों) की निश्चित मात्रा के रूप में भेजा करते थे इनमें विभिन्न प्रकार के पशुओं की संख्या तथा यह विवरण कि वे भारवाहक पशु हैं, या दूध अथवा ऊन देनेवाले पशु (बाहू-बौह-सोमादि-उपस्यु नि पशून् इति पशुकटः) सिक्के बनाने में इस्तेमाल की जानेवाली (कीटप्रयोग) मीठा जड़ी तथा ठोड़े जैसी बहुमूल्य धातुओं (हिरण्य) कच्चे माल (कृष्य) की अनुमानित मात्रा तथा मनिष्ठों (निष्ठि कर्मकरपुण्या) की अनुमानित संख्या का हिसाब दिया जाता था [II १५] ।

इन प्रकार गाँवों के ध्योरे में हर गाँव का पूरा सार-उत्प (ग्रामार्थ) उसका बाकिर मूल्य तथा शासन (प्रतिविक्रम्) तथा पूरे देश के हित में यह किस प्रकार का योग देता है यह सब कुछ दर्ज रखा या साथ ही इन हस्तावेजों में किसी भी संदक के सभी गाँवों का सामूहिक सार-उत्प (सामूहिकं च परिमाणम्) भी दर्ज रखा था ।

ध्योप राज्य की आय तथा उसके शासकों में हर गाँव द्वारा दिए जाने वाले योग के अनुसार सभी गाँवों को इस प्रकार असम-अलग भेजियों में बाँट देने के बाद निम्नलिखित बातों की दृष्टि से हर गाँव का असम-अलग अध्ययन भी किया जाता था और योग अपने योग से संबंधित सभी आवश्यक बातें अपने निबंध में दर्ज कर लेता था । हर गाँव का असम-अलग अध्ययन इन बातों की दृष्टि से किया जाता था

(१) नदियों या बंदरों आदि जैसी सुनिश्चित सीमामों द्वारा हर गाँव की सीमा-रेखा का निर्धारण और इस सीमाबद्ध गाँव (सीमाबद्धोयैत ग्रामायणम्) का क्षेत्र-विस्तार मापन करना

(२) भूमि के विभिन्न हिस्सों (क्षेत्र) को निम्नलिखित भेजियों में विभाजित करना तथा उनको मापना (क) खेती की भूमि (ख) बंजर तथा पथरी जमीन (ग) ऊँड़-ताड़ तथा सूखी जमीन (घ) पान के खेत (द्वार) (च) उद्यान (ग्रामान) फलों के बाग (घण्ट) (ङ) ईस आदि के खेत (वार) (ज) ग्रामवासियों की ईशत की सुविधा के लिए बंगला (बन) (द) माशाबी का इलाका जिस पर बर बनें हो (वास्तु) (ड) पूजा के मूल (कृत्य) (ड) मरिच, (ड) सिचाई की व्यवस्था (सिन्धु) (ड) समान भूमि (ठ) मिखापुह (तन) (च) पशुओं को पानी पिलाने के स्थान (ग्राम पत्नीपद्याता) (च) विरस्वान (प) बरपाह (विबीत) और (म) लड़कें ।

(३) ऐसे ध्योरे तैयार करना जिनमें निम्नलिखित बातें दर्ज हों

विभिन्न क्षेत्रों की सीमाएँ (मर्यादा) तथा अन्नफल (प्रमाणम्) (ख) सार्वजनिक उपयोग के लिए वन (अरण्य) (ग) क्षेत्रों में जाने के रास्ते (पथ) (घ) दान में मिले हुए क्षेत्र (सम्प्रदान) (च) बिजली (विक्रय) में प्राप्त किये गए क्षेत्र (छ) कृषकों को दिया गया ऋण (अनुग्रह) और (ज) सरकार द्वारा कर्मान में बी गई छूट (परिहार)

(४) गाँव में बसनेवाले सभी परिवारों की जनसंख्या (पूहाया संख्यालेन) ठीकर करना जिसमें वे गाँव ही जाएँ (क) रजिस्टर में प्रत्येक परिवार का नामांक (ख) वह परिवार कर देता है या कर मुक्त है (करदा अथवा अकरदा) (ग) उस परिवार में कितने बाल्यम कितने दक्षिण कितने शैशव तथा कितने पुरुष हैं (एतावत् चातुर्वर्धम्) (घ) गाँव में कितने कृषक (कर्मक) बरबाह (मौरसक) व्यापारी (बीरोहक) धिस्यकार (काक) कारीगर (कर्मकर) तथा बास हैं (प) मनुष्यों तथा पशुओं की संख्या (छ) हर परिवार राज्य को मकद बन अम-कर तथा सैनिक सेवा के रूप में कितना देता है (हिरण्य-विधि शुल्क-वण्ड) (ज) हर परिवार में (कलाताम्) पुष्पा तथा स्त्रियों की संख्या तथा उनकी व्यवस्था (स्त्री-पुरुषाणाम् बाल-वृद्ध-अप परिच्छेदम्) (झ) वर्ष (जाति) के अनुसार उनके व्यवसाय (कर्मणि) (ट) गाँव के तथा उस परिवार विशेष के रीति-रिवाज (चरित्र) (ठ) हर परिवार की आय तथा व्यय का व्योम (आजीव-व्यय-परिमाण) [II ३५] ।

हर गाँव का इस प्रकार व्योरेबार रजिस्टर ठीकर हो जाने में सरकार को देशान्तों की हालत का पुरा-पुरा पता रहता था और उसे किसी भी रण में अटकल से काम नहीं लेना पड़ता था । यदि सामवासियों के बारे में पूर्व ज्ञान नहीं था यह विवरण हर समय दीन रणता पणता का इसलिए बाड़े-बाड़े समय-बाद गाँवों की परिस्थितियों का सर्वप्रथम आवरणक था ।

इस पर-सांगत में गाँव का सबसे निचला अधिकारी तो अपने सामनाधिकार के गाँव का पुरा व्योम रणता ही था पर उसके अनिश्चित उमरे ऊपर का दूसरा अवरण अधिकारी स्वार्थिक भी जा प्राप्त के बाद विचारों में से (अनपद-अनुर्जातम्) एक का सामनाधिकारी होता था अपने मकद के बारे में इसी प्रकार का व्योम रणता करता था ।

निरीक्षण (अवेप्यार) राजस मंत्री इस प्रमाणन पत्रिका का परिपालन-करण के लिए निरीक्षण निपुण रणता था जो भेद अन्तर सुलभर के रूप में देखा अवरण कर्ता से और जिसे तथा गाँव के अधिराज्या द्वारा क्षेत्रों परों (गृह) तथा पणिया (कल) के बारे में रणे जानबाने निर्णय तथा सेतों का निरीक्षण करने से (क) गाँव का अवरण तथा उनकी रणता रणता है

(माल-सम्पत्ताम्यां सत्राणि) (क) किस परिवार पर किसका लगाव जाता क्या है (भोग) और किस कितनी छूट (परिहार) की गई है और (ग) विभिन्न परिवारों की जाति उनका व्यवसाय उनके सदस्यों की संख्या (अंधाध, सदस्यों की संख्या इस हिसाब से न करके कि कितने सिर हैं इस हिसाब से की जाती थी कि कितने जोड़ नहीं हैं) उनकी आय तथा व्यय । वे इस बात की भी जानकारी प्राप्त करते थे, कि किस गाँव से कौन गया और किस गाँव में कौन बाहर से आया और कौन लोग संरिग्य चरित्र (अनर्घ्यानाम्) के हैं जैसे (मर्त्यक अभिनता आदि) और कौन लोग विदेशी जातूस हैं ।

अप्य ऋणियों के निरीक्षण खेतों फलों के बागों जगलों खानों तथा कार खानों के उत्पादन में से राज्य को मिलनेवाले भाग की मात्रा तथा उनके मूल्य का निरीक्षण करते थे ।

कछ निरीक्षक ऐसे होते थे जो बल-मार्ग अथवा बल-मार्ग से इस के भीतर जाने वाले मास पर तथा उन पर लगाए जानेवाले विभिन्न प्रकार के करों की वसूली पर निगरानी रखते थे जैसे भूमि (शुल्क) चक्रक का कर (भर्तनी) माड़ी का कर (आलिवाहिक) सेना का कर (सुम्न-भेय) घाट का कर (तर भेय) चौदागरीं द्वारा राज्य को दिया जानेवाला अपने भाग का छठवाँ हिस्सा (भाग) रहने का लर्ष (भक्त) और सरकारी गोदामों (पण्यागार) में मास रखने का भाड़ा [II १५] ।

क्रिषाणों चरवाहों चौदागरीं तथा सरकारी विभागों के अध्यक्षों पर नजर रखने के लिए साक्षुजां क भेय में निरीक्षक भेजे जाते थे । जिन स्वानों पर पेड़ों की पूजा की जाती थी औराहों पर, निर्जन स्वानों में टालावों नदियों तथा नहाने के स्वानों के आस-पास तीर्थस्वानों में तपोवनों में मकस्थक प्रवेश में पहाड़ियों पर और पने जगलों में गुप्तचर पुराने डाकुनों तथा उनके साथियों का भेय बरतकर जाते थे और यह पता लगाते थे, कि थोर, सन्तु तथा डाकु उन स्वानों में कैसे और क्यों जाते हैं और वहाँ किस उद्देश्य से ठहरते हैं ।

निम्न भेभी के निरीक्षकों के अतिरिक्त कुछ उच्च भेभी के प्रदेष्टा भी होते थे जो नियमित रूप से हर जिले में अपने जमीन काम करनेवाले राजस्व अधिकारियों के काम का निरीक्षण करते थे (उपपुस्तक कथम की पुष्टि के लिए देखिए II १५) ।

भूमि का फय-विषय (III, ९) भूमि भी जतनी ही भासानी से बेची जा सकती थी जैसे कोई बल-सम्पत्ति । जिस भूमि या मकान को बेचना होता था उसे उसके आस-पास के आसीस जामदारवालों की उपस्थिति में सार्वजनिक रूप से नीलाम पर बड़ा दिया जाता था । वे लोग उस बिकाऊ भूमि या मकान के

सामने एकत्रित होकर उसके विकाऊ होने की घोषणा करते थे। साथ ही उस उम इलाके के बयोबुद्ध लोग की उपस्थिति में होता था। उस सम्पत्ति की सीमाओं तथा अन्य आवश्यक बातों का विवरण दिया जाता था। फिर सीमा बनाने वाला ऊँचे स्तर में तीन बार कहता था 'इस भूमि अबका मकान को इस मूरुप पर कौन परीक्षण चाहता है (अनन अर्थेण कः चेत्) ? यदि किसी को आपत्ति नहीं होती थी (अभ्याहृतम्) तो इसके बाद वह भूमि लीजनेवाले को मिल जाती थी। परन्तु यदि कोई म्यादा ऊँची बोली लगा देता था तो वह अधिक मूल्य और उमके साथ बित्री की रकम पर कनाया जलेशामा कर राजकोष में जमा कर दिया जाता था। जो भारतीय बोली बढ़ाकर मूल्य में वृद्धि करता था वही उसका कर भी देता था। यदि कोई भारतीय बित्री ऐसी जमीन या मकान का बेचना या बिक्रम मासिक उपस्थित न हो या बिक्रम मासिक का पता न हो उसे २४ पण दंड देना पड़ता था (III ९)।

कर देनेवाले किसान अपनी भूमि को बेचकर आपस में ही बेच सकते थे या गिरवी रण सकते थे। जिन लोग के पाम कर मुक्त (इच्छेयिक) भूमि होती थी व इन भूमि को बेचकर ऐसे ही लोग के हाथ बेच सकते थे जो इसके लिए उचित पाम है। या जिनको पहले ही से ऐसी भूमि मिल चुकी हो। इन नियम का उल्लंघन करने पर बेचनेवाला को ४ पण दंड देना पड़ता था (III १०)।

दूसरी प्रकार कर देने वाले को कर देनेवाला व गाँव में ही रहना पड़ता था। यदि कोई कर देनेवाला कर न देनेवालों के गाँव में रहता था तो उम दंड देना पड़ता था। यदि कोई कर देनेवाला कर देनेवाला के गाँव में कोई सम्पत्ति हासिल करता था तो उसे वही अधिकार तथा अधिकारों मिल जाती थी जो उम सम्पत्ति के पराँद मासिक को प्राप्त रहनी थी (उपर्युक्त)।

यदि किसी भूमि का मासिक अपनी भूमि पर गनी करन में अशक्य होता था तो दूसरा भारतीय गाँव लाल व परदे पर उम पर लगी कर लगता था पर अधिकारी नहीं है। जान पर वह भूमि आपस लौटा देता था और उम भूमि में उमके या मघार दिया जाता था। उमका मुजायजा उमके मासिक से लें लेता था। यदि किसी कर-मुक्त भूमि के मासिक को किसी कारणवश पछ मजबूत व लिंग बरी बाहर जाना पड़ता था तो उम उम भूमि के बचक उपाय लवा लाभ (बोप) का अधिकार होता था। भूमि से फलवादे अन्य लाभ पर राजा का अधिकार होता था (उपर्युक्त)।

कर निर्धारण : देगा कि हम परदे लगा चुके हैं। मगान का हिमाय दग आपार पर लगाया जाना था कि वैशाखा का पर रिग्ना आम तीर पर उम बाग राज्य को मिलता था। निर्धार की भूमि पर दमक अधिकार गनी का

कर (ब्रह्मभाग) भी देना पड़ता था वैसे कि पहले बताया था चुका है यह कर सिंघाई की विभिन्न व्यवस्थाओं के अनुसार बरकता रहता था—पैदावार के पाँचवें भाग से लेकर एक-तिहाई तक। यदि कोई सिंघाई के लिए कोई नया ठाकाब आदि बनवाता था तो उसे ५ वर्ष के लिए अगाम अदा करने से मुक्त कर दिया जाता था (सटाकसेतुबन्धाना नवप्रवर्तने पाञ्चवर्षिकः परिहारः) ठाकाब की मरम्मत आदि करवाने पर चार वर्ष की छूट (मन्तोस्तुष्टानां चातुर्वर्षिकः) अथवा साफ करके नई भूमि पर सेती करने पर तीन वर्ष की छूट (समुपाकृताणां त्रैवर्षिकः) और यदि भूमि अच्छी अवस्था में हो (स्वल्गम्) तो २ वर्ष की छूट मिलती थी (III ९)।

पैदावार के एक हिस्से के रूप में बसूल किए जानेवाले इस बुनियादी कमान में (जिसे मुख्य कमानों में असल जमा' कहते थे) आष की तरह ही और बहुत से कर जोड़ दिए जाते थे (जिन्हें सब आबवाब' कहते हैं)। आवश्यकता पड़ने पर (कोशमकोसः प्रत्युत्पन्नार्थकृच्छः) राज्य मन्त्री-मार्ति चीनी गई भूमि पर होने वाली भरपूर फसल का तिहाई या चौथाई भाग तक ले सकता था (देव मातृकाल्)। राज्य अन्न का (वाग्यालाम्) चौथाई भाग और निम्नलिखित वस्तुओं का छठा भाग बसूल कर सकता था—(१) कन्ध (जगमों की पैदावार) (२) सूत (रेसमी कपास) (३) कासा (मास) (४) जौन (बूट) (५) कन्ध (पेड़ों की छाल) (६) कर्पास (कपास) (७) रौम (अन्न) (८) जौसेय (रेसम) (९) जौषब (दवार) (१०) पंचपुष्प (फूल) (११) फल (१२) शाल (ठरकारियाँ) (१३) कृण्ड (ईं पत्त) (१४) बेणु (बाँस) (१५) मांसवस्तु (सुखाया हुआ मांस)। (१) बस्त (हाथी बाँस) तथा (२) अन्न (गाय आदि) पशुओं की सालों का आधा भाग कर के रूप में लिया जाता था।

इसके अतिरिक्त 'चिक्रियो तथा सूभरों पर पैदावार का आधा भाग छोटे जानवरों (जैसे मेंढ़ तथा बकरी आदि) पैदावार का छठा भाग घायों मीनों चोड़ों अण्डरों गहनों और जैनों पर पैदावार का बसवा भाग कर के रूप में बसूल किया जाता था।

यह सारी बसूली केवल एक बार ही की जाती थी किसी भी रथा में दुबार नहीं (सचिद्येव न द्विः प्रयोज्यः)।

परन्तु किसी कार्य विशेष के लिए समाहर्ता शहर तथा देहात के निवासियों से बड़े की अपील करके भी पैसा जटाता था (समाहर्ता कार्यमपरिचय पौर आलपवान् निजेत) (V २)। इनके साथ ही समाहर्ता द्वारा गाँव पर लगाए जाने वाले उन अन्य करों का भी उल्लेख कर दिया जाए, जैसे पिण्डकर, बलि, अर्त्तव पार्श्व अथवा पाण्डूनीक दिनका वर्जन पहले किया जा चुका है।

## अध्याय ८

### नगर-प्रशासन

प्रशासन की प्रणाली : कौटिल्य ने एक पूरी प्रणाली बताई है जिसके आधार पर नगरों का प्रशासन व्यवस्थित किया जाता था। यह प्रणाली पौर जीवन की विभिन्न समस्याओं तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी। (II ३६)

नागरिक (सेक्टर) : शहर के सेक्टर को नागरिक कहते थे। शहर से अधिक प्रायः केवल नगर से होता था जिसे स्वामीय कहते थे। नागरिक की पुरमुख्य (II ३६) भी कहते थे। जैसा कि पहले बताया जा चुका है। नागरिक एक सामन्तपिशाची की इंगित से समझता है अधीन होता था। समझता था पण मंत्री का हाथ था जिसके कार्य-क्षेत्र में पहले बताये गए अन्य विषयों के अतिरिक्त एक विषय नगर प्रशासन भी होता था। इन विषयों की सूची में दुर्ग के नाब के एक विषय का उल्लेख है जिसमें अनेक विभागा तथा जिलों का समावेश है और यह बताया गया है कि इन जिलों में से नगर के जिलों की रोगनाश नागरिक नामक सामन्तपिशाची करता था।

स्वामिक तथा गोप : इनमें आये चक्रकर इस बात का भी उल्लेख किया है कि नगर में नागरिक का बगी स्थान होता था जो प्रान्त में समझता था होता था (सामन्तपिशाची नगर चक्रवेत्) प्रान्त की ही भाँति नगर का भी पार प्रान्त व्यवस्था महर्षि में विभाजित कर दिया जाता था और इनमें से प्रत्येक नगर स्वामिक नामक एक सामन्तपिशाची के अधीन रखा गया था।

प्रत्येक स्वामिक अपने अर्बन काम करनेवासे अनेक पदाधिकारियों पर नियंत्रण रखता था जिन्हें गोप कहते थे प्रत्येक गोप पर इस बीछ या पानीस परों की देखभाल करने का दायित्व रहता था।

कौटिलीय प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक नगर के स्वामिक अपना गोप कराचित् नहीं काम करते थे जो मीगास्वनीय ने समिति नं०३ के सदस्यों के बताए हैं जिसका हमें मीगास्वनीय से केवल एक आधिक्य बर्षन ही मिलता है।

जनपचना : ये जनपचना अधिकारियों के रूप में काम करते थे और प्रत्येक नर के स्त्री-पुत्रों की सख्या (अंशाप्रम-जनसंख्या) उनके नाम उनके बर्ष गोप तथा व्यवसाय उनके पशुधन और आय तथा व्यय का व्योरा रीमार करते थे। जनसंख्याएँ उचित अधिकारियों को नगर में जानेवाले तथा नगर से जाने वाले सभी लोगों के बारे में रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी। धर्मशास्त्रों के प्रबंधकों (धर्मव्यवस्था) को नगर के अधिकारी के पास पहले से इस बात की सूचना भेजनी पड़ती थी कि उनको धर्मशास्त्र में कौन यात्री अब वा धर्मश्रेणी (टीका) का के अनुसार पालुप्त तथा सामयिकीय वीर लोय) जाएँगे और उन्हें अपने यहाँ रखने के लिए नगर के अधिकारियों की अनुमति प्राप्त करनी पड़ती थी। परन्तु दिन छात्रों अपना संग्रहालयों पर उन्हें विश्वास हो (स्व-प्रत्ययः) उन्हें अपने यहाँ आश्रय देने का उन्हें पूरा अधिकार था।

कारखाने : इसी प्रकार सिम्पकार तथा हस्तकार अपने कारखानों में कारखाने अपने अपने धर्मश्रेणियों को धरती कर सकते थे।

बूझाने व्यापारी भी अपनी बूझानों में अपने बर्ष के लोगों को भरती कर सकते थे परन्तु ऐसे तमाम लोगों की सूचना देना उनका कर्तव्य था जो किसी व्यक्ति स्वान अब वा समय पर कोई मास बेचते हों या जिनके पास ऐसा बिकाऊ मास हो जो उनका अपना न हो।

मौजनात्मक : इसी प्रकार भविष्य बेचनेवालों (शौचिक) पका हुआ मांस (वाचवर्मासिक) तथा वाचक बेचनेवालों (शौचिक) और बेस्याओं को उन लोगों को अपने छात्र ठहराने की इजाजत थी जिनसे वे प्रथम-मार्ति परिचित हों परन्तु जो जोप बहुत पैसा सार्ब करते हों या जिनमें अतलाक प्रवृत्तियाँ हों उनको सूचना उन्हें देनी पड़ती थी।

वास्तव में वासन के कुछ नियम बहुत ही कठोर थे पर वे धार्मिक दृष्टि में नितान्त आवश्यक थे। हम इन नियमों के कुछ और उदाहरण देते हैं।  
 १. अतिथि हर पुद्गलानी को अपने यहाँ जाने-जानेवासे अतिथियों की सूचना देनी पड़ती थी। ऐसा न करने पर यदि उस रात को जन उनके यहाँ कोई अपरिचित व्यक्ति ठहरा होता था कोई कारखाने हो जाती थी तो उनका

रोमी उन्हें छुड़ाया जाता था और यदि एठ को कोई बाराबात न भी हो तब भी उन्हें इस नियम का उल्लंघन करने के अपराध में दंड दिया जाता था।

२ धर्म-विक्रिस्तकों तथा गृहस्थामियों का बाधित्व यदि कोई धर्म-विक्रिस्तक किसी एम रोमी की विक्रिस्ता करे जिसके संदेहजनक घाब (प्रसंगप्रसंग) हों या यदि किसी घर के मालिक को सुतरनाक अथवा घातक औपमियाँ बनानेवाले आदमी का (अपम्यकारिणम् रोम-अरभोत्पादक-द्रव्यम्) पता चले तो उसका यह कलम ही होता था कि वह इस बात की सूचना प्रदान नकर अधिकारियों अथवा औप तथा स्थानिक को दे। ऐसा न करने पर उन्हें भी वहीं बंद दिया जाता था जो अपराध करनेवाले को मिलता था।

३ संदिग्ध परिवारवाले लोग : घर के भरी यदि वह परिवारवाले लोगों तथा घर के घेरी जातूमा की एणचाम के लिए बनेक नियम बनाये गए थे। नगर के भीतर या बाहर बड़ी सड़की पर (पबिका महामार्गचारिण) या छोटी सड़की पर (उरथिकाविवीतपवचारिण) माधियों का यह नागरिक बाधित्व था कि वे मंदिरों अथवा तीर्थस्थाना जयमें अथवा एतमाता में जानेवाले सन्धि परिवारवाले लोगों या दुःखरिण लोगों को गिरफ्तार करें। इस कोटि में वे नव लोग आ जाते थे जो सदहजनक घाबा (सवणम्) स पीटिन हा या जिनक पान गनरमाए औडार जैसे मंत्र समाने के औडार (अनिष्टोपकरणम्) हो या जो अपनी समता में अधिक भारी बोझ ले जा रहे हों या जो बेचने में संदिग्ध परिवार के समक हों या जो बहुत देर तक नोते हुए (अतिस्वप्नम्) पाए जाते, या बहुत लम्बी यात्रा के कारण अल्पधिक बर हए हों या जम इलाके में किन्-कृत अपरिचित हों। वे नव अपराधियों के चिह्न मान जाते थे।

इन प्रकार के मीरा की मात्र नगर के भीतर भी निर्जन घरों (आवेदान) तथा बागानों (शिल्पशाला) मदिगणवा पका हुआ आकर तथा मान बेचने वाले आरजानवा जुआबरा तथा धर्मशाहिया के घरों में भी ली जाती थी।

४ कर्तु आर्डर : नागरिकों की मूर्खता के कारण मालिका बाद से मूर्खत्व के ए लहर पूर्व तक घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। एक माधिका २४ मिनट के बगहर हाणी थी। इन प्रकार यह प्रतिबंध बड़े राग में प्राप्त बात है। बड़े तक रगता था। कर्तु आर्डर जाने तथा ममाण हल के समय की पीठमा करने के लिए मुग्गी (माम-मुर्खम्) बनाई जाती थी और यदि इन समय के दौरान में कोई आदमी मूर्खता-रिक्तता पाया जाता था बिना घर के रात्रप्रमाए के निवट (रातो महाम्यातो) तो उन पर जुर्माना दिया जाता था। इन प्रतिबंध के कारण जन-माबाधन की कोई अपेक्षा न होने पाए, इस उद्देश्य में निम्नलिखित लोगों पर भी यह प्रतिबंध हटा दिया

बाठा या (१) प्रसविनी माताओं की देखभाल करनेवाले (सतिष्कानिमित्तम्) (२) बीछावि (३) हाथ से जानवाले (प्रतनिमित्तम्) (४) सामटेन लकड़ बल्लेबाज लोग (प्रवीपयान-निमित्तम्) (५) नगर बंधापीठा के डिडोरा पिट जाने पर (नागरिकपूर्व) जानेवाले लोग (६) सखर द्वारा स्वीकृत माटन का अभिनय देखन के लिए जाने वाले लोग (प्रेषानिमित्तं राजानुगत-नाडकादिप्रयोग बर्तने निमित्तं) (७) आग भावि सग जाने जैसी किसी दुपटना क समय जिन लोग को घर से बाहर पस जाने के लिए कहा जाता या (८) जो लोग कर्बु का समय हो जाने के बाद अनुमति-पत्र लेकर बाहर निकलने से (मन्त्र-मिह्व अघाह्या अक्षयचारिको) (I ३६) ।

प्रतिबंध से छूट : उसका भी रातों को (चार रात्रि) सोयों को बिना रोक-टोक भूमने-छिन्न की छूट रहती थी परन्तु मन्त्र पढ़कर या अनुपयुक्त बल नष्ट करने भूमनेवाले लोगों पुत्रों के बल पहले हुए स्त्रिया अथवा स्त्रियों के बल पहले हुए पुत्रों (प्रवृत्तप्रतिपरीतवद्या) मन्वासिया और ह ब में काटी जबका कोई अस्त लेकर बल्लेबाजे लोमा (बद्ध-बास्त्र-हस्ताज) की पाँच की काटी भी और यदि वे दोपी होते वे तो उन्हें बंध दिया जाता था (दोषतो बध्याः) ।

रती (पुलिट) यदि रात्रि के समय कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, जिससे किसी के प्राण अथवा सम्पत्ति को क्षति पहुँचे (केतनाक्षैतनिकम् रात्रिबोधम्) तो अधिकारियों को उसकी सूचना देने के लिए पुलिट होती थी । यदि वे किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे स्वतंत्रतापूर्वक भूमने का अधिकार हो नहीं जाने-जाने से रोकेँ या इस प्रकार की स्वतंत्रता न रखनेवाले को रोकने में बूढ़े (अचार्य वर्धयसं नारायण्यताम्) तो उन्हें बंध दिया जाता था । यदि किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए, जिसे गिरफ्तार न करना हो या किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार न किया जाए, जिसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में पुलिट को बंध दिया जाता था ।

यदि पुलिटवाले किसी स्त्री क साथ बलाचार करते वे तो उन्हें कठोर बंध दिया जाता था और यदि वह स्त्री किसी प्रतिष्ठित कुल की होती थी (कुलस्त्री) तो मृत्युदंड तक दिया जाता था । यदि पुलिट बामोद-प्रमोद के स्थानों में (प्रमोदस्थाने) निबंधन रखने में डीलबाज करती थी तो उसे परिस्थिति की संमीरता के अनुसार बंध दिया जाता था । (उपर्युक्त) ।

कारागार-संबंधी नियम प्रत्येक नगर में एक कारागार होता था जिसके प्रधान अधिकारी की बंधनामाराम्यस (IV ९) कहते थे । कारागार के नियम अत्यंत कठोर किन्तु न्यायपूर्ण थे । मुख्य कारागार को बंधनामार कहते थे और

बहु प्रवेष्टा न न्यायात्म्य का एक अंग होता था वह उस हवालात से विस्तृत नित हावा था जिसे चारक करते थे और जो सर्वस्वीय के न्यायात्म्य का एक अंग हानी थी । यदि कोई अधिकारी रिस्वत लेकर किसी अधिव्युक्त को छोड़ देता था (विस्तारण्यः कुरुव्युत्थेन) तो उस प्रकार बंद दिया जाता था । इसी प्रकार यदि कोई अधिकारी किसी अधिव्युक्त को चारक से रिहा कर देता था तो उसे बंद दिया जाता था और अधिव्युक्त के विरुद्ध जितने का दावा होता था उतना वह उसे दंड के रूप में देना पड़ता था (अधिव्युक्तवानम्) । यदि कोई अधिकारी (समय से पहले तथा अनुचित रूप से) किसी बंदी को कारागार से मुक्त कर देता था तो उसकी सारी सम्पत्ति (सर्वस्व) जब्त कर ली जाती थी और उसे नृत्वबंद (अधः) एक दिया जा सकता था ।

अन्य अपराधों के लिए इस प्रकार जुर्माना किया जाता था कारागार के सम्पत्ति को अनुमति के बिना हवालात से किसी बंदी को छोड़ देने पर २४ पण किसी बंदी से अनधिकृत रूप से धन करवाने पर ४८ पण किसी बंदी को उसके स्थान से हटाकर उसे खाना-पीना न देने पर १ पण किसी बंदी को याचना देने पर सारी जुर्माना और इसी प्रकार मूल (उत्कोष) लेने पर भी सारी जुर्माना किया जाता था ।

बंदियों की मुक्ति : निम्नलिखित अवसरों पर एक मीमिष लक्ष्या में बंदी कारागार से मुक्त कर दिए जाते थे (१) जिस मसक में राजा का जन्म हुआ था उस मसक के दिन (२) पूर्णमासी के दिन—इन दिन केवल सामक बंदी बुड़े रोमी तथा अपंग मोल छोड़े जाते थे ।

राष्ट्रीय उत्सवों के अवसर पर सारे बंदी मुक्त कर दिए जाते थे जैसे— (१) जब किसी नए राज पर विजय प्राप्त हुई (२) मसक के राज्याभिषेक के अवसर पर (३) राजवमार के जन्म के अवसर पर ।

कारागार का एक नियम यह भी था कि प्रतिदिन या पांच दिन में एक बार इन पांच का लेगा-अंगुठा किया जायगा (विज्ञापयेत्) कि बंदियों को (क) कितना काम (कर्म) दिया गया था (ग) निश्चित काम के न करने पर कितना सारीरिक दण्ड (वायव्यः) दिया गया और (घ) सारीरिक बंद के बदले में कितना जुर्माना (हिरण्य) वसूल किया गया (II ३६) । जो लोग स्वभावतः सपथरिण (पुष्पतीकाः) होते थे (जिबहा अत्यय आरम्भिक होता था) या जो किसी कारण (अपराध) का पुण्य न कर मारने के कारण बंदी बना दिए जाने से वे बदले जलन समाप्त की जाती है के अनुसार जुर्माना देकर बंदी को प्रति प्राप्त कर सकते थे (शाय-निकष) (अपवृत्त)

आग से बचाव के उपाय : आग लाने की साधना न मिल भी नग्न्याभिरा

के कई नियम थे। उस समय के घरों में जितना अधिक लकड़ी का प्रयोग था उसके कारण छायाद आग बहुत लगती होगी। जिन घरों की छत फूस की होती थी उनमें गर्मी के दिनों में दोपहर को तथा तीसरे पहर राग बसना मना था। यदि खाना पकाना हो तो आग घर के बाहर पकानी पड़ती थी। हर आदमी को अपने घर में आग बुझाने के लिए बाठ साबन (अग्नि-निर्वापक-साधन) रखने पड़ते थे (१) कुम्भ(बड़ा) (२) डोली—पानी भर कर रखने के लिए लकड़ी की गाँव (३) मिश्री—यदि ऊपर आग लग जाए तो बड़ने के लिए सीढ़ी (४) परधु 'छत की धरियाँ काटने के लिए' कुन्हाड़ी (५) झुँप—घुमाँ उठाने के लिए सूत (६) अकूश—बम्भी हुई चीजों को तोच कर फेंकने के लिए काँटा (७) कचपहूनी—घरों के छप्परों में से बछटा हुआ फूस नोचने के लिए चिमटा और (८) बृति पानी छिड़कने के लिए बमड़े की मसक। बाग से बचाव के लिए बड़े-बड़े सार्वजनिक मामों पर, चौकहों पर, नगर के फाटकों पर, और साठी सरकारों इमारतों में हर समय हजारों की संख्या में पानी से भरे हुए बरतन (कुटबबट) पकित में रखे रहते थे। नगर की सीमा के भीतर गर्मी में फूस के घर बनाने की इजाजत नहीं थी जाती थी। इस प्रकार के घरों के मासिकों को राठ के समय घर के भीतर ही रहना पड़ता था और कहीं बाग लग जाने पर यदि वे बटनास्वस की मार नहीं भागते थे तो उन्हें बंध दिया जाता था। इस प्रकार के अपराध के लिए बुकानदारों पर भी जुर्माना किया जाता था पर उन्हें घर के मासिकों की अपेक्षा कम जुर्माना देना पड़ता था। जो छोप अपनी छापबही के कारण कहीं बाग सभा वेते थे उन्हें ५४ पस जुर्माना देना पड़ता था पर जो छोग जानबूझकर बाग लगाने के अपराधी होते थे उन्हें स्वयं बिदा जमा दिया जाता था (प्राचीनिको अग्निना जग्ग)। और अठिन बात यह कि जिन छोत्रों को खान से काम ही करना पड़ता था जैसे छोहार, उन्हें नगर के एक अलग हिस्से में रहना पड़ता था (अग्नि-श्रीदिक एक स्वान वास्येत)।

सजाई के नियम : नगर के सजाई के नियम बड़ी कठोरता के साथ लागू किए जाते थे। इधर-उधर कड़ा फेंकने पर (प्रायुष्यते) या सड़क पर कीचड़ करने पर (पंकोदकसमिरोचे) जुर्माना देना पड़ता था। राजपस पर इस प्रकार का अपराध करने पर दुपना जुर्माना देना पड़ता था। पवित्र स्थानों (पूष्पस्थान) बलाघवों मंदिरों तथा छाही इमारतों में पेसाव करनेवालों को भी बंध दिया जाता था पर यदि वह अपराध जानबूझकर न किया गया हो और किसी औपच रोग अथवा भय के कारण अनायास ही हो गया हो तो बंध नहीं दिया जाता था। नगर में साप अथवा बिस्मी कुत्ते या नेबस जैसे पशुओं की

लाठ फेंकने पर ३ पण जुर्माना किया जाता था । यद्यपि, ऊट लम्बर या पीड़े जैसे किसी बड़े आमबर की लाठ फेंकने पर जुर्माना दुगुना कर दिया जाता था और किसी मनुष्य का घब फर्ज पर ५० पण जुर्माना देना पड़ता था । निम्नित्त भावों अथवा द्वारा के अतिरिक्त अन्य किसी मार्ग अथवा द्वार से घब लं जाने पर दंड दिया जाता था और जो द्वारपाल इस प्रकार नियम का उल्लंघन होने देने व उगहू भी दंड दिया जाता था । इसी प्रकार निरिच्छत स्थानों के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर भुद्रे अथवा अथवा याइने (स्थाते बहुने च) पर भी दंड दिया जाता था (उपर्युक्त) ।

अन्न-निर्माण सम्बन्धी नियम (वासुदेव) नगर-नियोजन सफ़ाई की आवश्यकताओं का ध्यान में रखकर किया जाता था । हर घर में एक भीक्षक (अन्नकर) नामी (अन्न) तथा कर्ण (उद्योग) का होता आवश्यक था और वं बीजे अन्न स्थान पर (गृहोचितम्) ही बनायी पड़ती थी । प्रमुक्तिगृह के लिए (मुक्तिगृहम्) या उत्सवा के लिए अन्नापी अथ स विमी भी स्थान पर बंधू पात्र या मरने के पर इन्हें आवश्यकता पूरी हो जाने पर पौत्र भर देना पड़ता था । इन स्थानों की अन्न स्थिति के बारे में भी स्वार्थ्ययोगी नियम बना दिये गए थे (१) अन्न-स्थान अन्निया तथा भारवाहक पशुओं के लिए पशुगामार्ग (२) अनुपह-स्थान (हाथी आदि बड़े जानवरों के रहने के लिए) (३) अग्नि (लगा) (४) उद्योग-स्थान पानी के बरतने करने का स्थान (५) रोवनी (अन्न पीमने की बनी) और (६) कष्टनी (मोतली) (III ८) । करक बहू गया जाता था कि पडागियों को कम से कम अमुत्रिया हो । यदि दो घरों के उत्पुल भागों के एक-दूसरे में लट जाने की सम्भावना होती थी तो उनके बीच अन्नार्थ अथ से कुछ अथवा छोली पड़ती थी ।

घरों के बीच में कुछ गुमी अथवा छोली पानी थी (उर्व-वासुदेवोः प्रातिपक्षयोर्वा किच्छरन्तरिवा विचरी वा) । इन जाने के लिए हर घर में अन्निया का होता आवश्यक था (अन्नापार्यम् अल्पम् ऊर्ष्यं यन्नापनं कारयेत्) । पर बनवाने में लक्ष्यियन नियम अन्त में मनाहू अन्निय करक भी छे निवे या मरने में ताहि एक-दूसरे का कर्त्त अमुत्रिया व हान पात्र (लम्बुय वा गृह स्वामिनी अथैव कारयेत्तरिच्यं कारयेत्) ।

यदि कोई लम्बे दरवाजे या गिरिया बनाया था या दूर के मरान के लानन करने हा और दिग्गे दूर के अन्निया होनी हो ता उगे दंड दिया जाता था । पर यदि इन प्रकार के वा मराना व बीच मरान व कोई दूर की बड़ी मरान हा तो पर दंडनीय नहीं था । यदि किसी मरान के किसी दिग्गे में अन्न का मार्ग रक जान व वाग्ग दूर के पशुओं की अमुत्रिया होनी हा और

पानी जमा हो जाने के कारण हमारे घर की नीब को हाथि पहुँचनी हो (पर कड़म उदकेन उपगतो) तो उस घर के मालिक को बंध दिया जाता था। यदि इस प्रकार की बमबिधा मक-मूक आदि के जमा हो जाने के कारण हा तो बंध हुयुना कर दिया जाता था (उपर्वक)।

शास्त्र में मकान मालिकों का अपने घर की मालिकी इतनी साफ रखनी पड़ती थी कि वहा पानी जमने होकर बिना किसी राक्ष-शोक के बंध राह। उन्हें अपने घरों के सामने बहूतरे भी बनवाने पड़ते थे। पुरातन सामुदायिक शासना के अनुसार ऐसे स्थानों को सार्वजनिक उपयोग के लिए गुहा छोड़ देना पड़ता था वहाँ जगिन की पुजा की जाती थी या जानब पीसा जाता था। उपर्वक नियमों का उल्लंघन करने पर विभिन्न प्रकार के जुर्माने दिये जाने थे (उपर्वक)।

छुट्टे रोम (उपनिषत्-प्रतिकार) छुट्टे के रोगों के फैल जाने पर उनकी रोकथाम के लिए विशेष उपाय किए जाते थे। चिकित्सक नगर में बूम-बूमकर दबाए जाटते थे (औपवी चिकित्सकाः) और सामु-मत् इन्हें को भयान के नासिक उपाय करते थे। पशुओं में ताऊन (पशु-व्याधि-मरके) फैल जाने पर भी ऐसे ही उपाय किए जाते थे (IV १)।

बूहे : बूहों से उत्पन्न होने वाली व्याधियों का पूर्व रूप में आभास था और उन्हें नष्ट करने के उपाय किए जाते थे। बूहों को मारने के लिए विभिन्न उपाय नोबले छोड़ दिए जाते थे और जो इन्हें पकड़ता था उसे बंध दिया जाता था। बूहों के लिए विपान्त भोजन भी बहुत बड़े पैमाने पर बँडा जाता था। ताऊन की बीमारी बहुत ज़रूरी रूप में फैल जाने पर 'बूहा-कर' (मूकिका-कर) लगाना जाता था जिसके अंतर्गत हर घर के मालिक को प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में बूहे पकड़ने पड़ते थे (उपर्वक)।

चिकित्सा-सम्बन्धी नियम : देश में चिकित्सा-सम्बन्धी व्यवस्था का नियमन करने के लिए भी कुछ नियम थे। अंतरजात रोगों की सूचना देना अनिवार्य था। यदि कोई रोगी किसी ऐसे रोग से मर जाए जिसकी सूचना पहले से ही की गई हो तो उस चिकित्सक को बंध दिया जाता था। मृत चिकित्सा के कारण (कर्मिराधेन) मृत्यु (विधत्त) हो जाने पर अधिक बठोर बंध दिया जाता था। यदि ब्रह्म सत्य-विद्या के कारण किसी रोगी को अपने किसी अंग से संबंधित होना पड़ता था तो चिकित्सक का भी वही अंग काट दिया जाता था (नर्मोद्वैवृथ्यकरणे बर्धनि शस्त्रक्रिया मन्थन-करणे श्ववाम्य विद्यात् निबन्धनप्राप्तोयेन रोगिणो यन् अर्थम् उपार्त्त तद् म्रियन् उपहृयत्) (IV १)।

चिकित्सकों में विशेषज्ञों की निम्नलिखित श्रेणियाँ होती थीं (१) नावा-

एक चिकित्सक (त्रिपक्ष या चिकित्सकः) (२) जो विष-मन्त्रणा रोगों की चिकित्सा करते हैं (आयुर्विद्य) (३) प्रभृति-कार्य के विशेषज्ञ (मन्त्रणाचिकित्सा तथा सूतिका-चिकित्सकः) (४) सेना के साथ शस्त्र-क्रिया के यंत्र तथा अन्य सामग्री लेक तथा पट्टियाँ आदि लेकर चलनेवाले चिकित्सक (चिकित्सकः प्राप्तमंत्रणापद-स्नेहक-स्तः) और (५) पशु चिकित्सक जो मवेशियों घोड़ों तथा हाथियों के रोगों का इलाज करते हैं जिनका वर्णन पहले दिया था हुआ है (I, १) ।

सर्व-वेद चिकित्सा बहु बात उल्लेखनीय है कि ताप के काटे का इलाज इतनी लक्षणापूर्वक किया जाता था कि सिद्धर का ध्यान भी इस ओर आकर्षित हुआ और वह भी किसी को साथ काट लेता था तो वह अपने मृगाली विषयवा की जगह हमें भारतीय बीजा से परामर्श करता था (अरिपत्र) ।

धीपिषों की व्यवस्था : मकरा में जैसे चिकित्सालय भी होते हैं जिनके धीपिषभहारों में कई बयों के लिए पर्याप्त मात्रा में विभिन्न औषधियाँ रखी थी और निरंतर नई औषधियाँ द्वारा इन संसारों की पूर्ति की जाती थी (मन्त्रेण अनर्थ सोपयेत्) । रात्र प्रातः के औषधि भहार में विशेष रूप से वे सभी औषधियाँ रखी थी जिनकी प्रसवकाल में आवश्यकता पड़ती है और विषय प्रकार के निश्चित तापमान वाले कीच-मूत्रा में बमला में जड़ी-बूटियाँ उमाई जाती थी । रात्र में रात्र के रश्मि पर जड़ी-बूटियाँ के उद्यान लगाए जाते थे (II, ४) ।

रक्त : रक्त का रोग माह करने के लिए घोड़ी होने से जिनमें निश्चित स्थानों में लक्ष्मी के मकरा या चिकने बकरों पर बगड़ों की मुलाई करनी पड़ती थी । किसी अन्य स्थान पर बगड़े वाले पर पुर्माना दिया जाता था । इन उद्देश्य से ही घोड़ी किसी प्रकार की बेईमानी न करने वाली बनेक नियम बनाये गए थे । पुर्मान के बगड़ों में अन्न रखने के लिए धीपिषों के मन्त्रेण अपने बगड़ों पर बुद्धर का बिह्न बना हुआ था । यदि वे कोई पुंसा बगड़ा पहने हुए जाएँ और वे जिन पर यह बिह्न न बना हो या यदि वे पुंसा के बगड़े बनने गिरवी रखने या दिग्ग पर देन हुए पक्षे जाने से तो उन पर पुर्माना दिया जाता था । एक घण्टा के बगड़े किसी पुंसा के बगड़ों में बदल देन पर भी दंड दिया जाता था । बगड़े देन में पोतर जाने पर भी पुर्माना देना पड़ता था । पक्ष हुए बगड़ा में लक्ष्मी की चार बगड़ियाँ निर्धारित थीं । पुंसा के लिए या लक्ष्य दिया जाता था वह इनमें अनुशास्य हुआ या ही बगड़ा में दिग्गी गरी जाती है । पुंसा के लिए महम अक्षिष मरती बापी गहमे बगड़ी घण्टा के लिए चार गारा का समय दिया जाता था जबकि बहम रैन निराश्रय

की साधारण बुलाई के लिए जबल एक रात का समय दिया जाता था साधारण रोलाई (कनुरागम्) के लिए ५ रात का समय दिया जाता था बीस (बीसम्) आऊटन के घूर्नों (गुप्प) लाक (लाला) तथा मञ्जीप्टा के घूर्नों से रौलाई के लिए ६ रातों का समय दिया जाता था । महीमें कपड़े (जाल्थे काल्) बीने के लिए, जिनमें अधिक कौमस सावधानी तथा धन की आवश्यकता होती थी ७ रातों में घोर कर वापस करना होता था (IV १) ।

नगरमुरय के सामान्य कर्तव्य : नगर क प्रथम कामकारी परामितारी के कुछ कर्तव्य ऐसे बताये गए हैं, जिन्हें उस प्रतिदिन पूरा करना होता था । उस प्रतिदिन (१) नगर की जल-व्यवस्था (उदक-स्थापन) (२) नगर की सड़कों (मार्ग) की रक्षा (३) उसके मैदानों (भूमय) (४) जमीन के नीचे बने हुए मार्गों (छमवचा) (५) नगर की प्रतिरक्षा के साधनों जैसे बर (कपुरेदार बीबारें) प्राकार (नित्त) और अड्डालक (मीनार) जवना परिक्षा (बाई) का निरीक्षण करना पड़ता था ।

उसे नगरपालिका की उचित व्यवस्था के अंतर्गत उन चीजों की भी देखरेख (रक्षन्) करनी पड़ती थी जिन्हें उनके मालिक अपनी लापरवाही के कारण वा भूल से (प्रतूत) खो देते थे (मष्ट) और उन पशुओं की भी अपनी निमरणी में रचना पड़ता था जो मटककर इतर-उमर बसे जाते थे (मपस्तानाम् स्वर्ष मपस्तानां द्विबह-वतुप्पदानाम्) (II ३१) ।

मिलावट : अंतिम बात यह कि जाच-धामरी जैसे जद धार, नयक पंथ जवना बीपनि में किसी भी प्रकार की मिलावट करनेवाले को (समवर्षे-पथान् तुम्यवर्षे हीनमूर्खे धलयादिभिः मिथये) दंड देकर जन-स्वास्थ्य की रक्षा का उपाय किया जाता था ।

नैतिक आचरण पर नियंत्रण : मजिकाध्यक्ष नामक एक विशेष परामितारी के नियंत्रण में नगर की बेस्वार्थों (गभिका) के बारे में कुछ नियम बनाकर लापरवाहियों के नैतिक आचरण की रक्षा की जाती थी (II २७) । गजिकाध्यक्ष पमितारियों की आज तथा उनकी सम्मति पर नियंत्रण रहता था । अपने बाहुतों के साथ उनके सम्बन्धों का नियमन करने के उद्देश्य से कुछ कानून बना दिये गए थे । उनकी आज पर प्रति माह दो दिन की आज कर के रूप में ले ली जाती थी ।

मनोरंजन : नगर में मनोरंजन तथा आनंद प्रमोद की व्यवस्था की कोई कमी नहीं थी । इसके लिए (१) अमितेठार्यों (मष्ट) (२) नाचनेवालों (वर्तक) (३) नर्तियों (४) जाच-संगीत के नगाकारों (वाइक) (५) कहानी सुनाने वालों (वापरीबी) (६) नाचनेवाल्या (कशीतवट नतकीप्रधानः) (७)

रानी पर कायब दिवाने के विद्योपज्ञो (प्लवक रजम्बारीक) (८) आहुपरों (दौमिक) (९) मांनों (धारण) तथा (१०) दलानों की मइसियां थीं ।

कला की पाठशाखाएँ नगरपालिका की आर से निम्नलिखित कलाओं की निता बनें बागी सम्प्राप्ति की भी व्यवस्था की जाती थी (१) पीत ( ) बाघ (२) बहानी कहने की कला (वाष्पम् भाट्याधिकारि) (४) मय (मूल पराकाशितम्) (५) अमिदय (मद्यं बावयार्पाजिनय) (६) निवि (७) विपकाग (विभ्रं मासैष्य-कर्म) (८) बीगा धामुरी (बेबु) तथा मृदग बजाता (९) दूनरे क विचारो को बजाता (परचित्तजानम्) (१०) गण धजाता (११) हाग पिरोना (माम्य) (१२) मासिष्ठ करना (संवाहन) और (१३) बनीकरक (बीसाक) (बलक नामक गृह द्वारा सिखायी गईं बंधुओं की कला) ।

सारांश नगरों का विकास अब हम संक्षेप में उस समय के भारत में नगरों के जीवन का बिन्दु प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे । वीर जीवन के काशी विकास के पदम्बर ही ऐसी परिनिष्ठित नगर व्यवस्था का जन्म हुआ होगा ।

वेदात्मनीय की साक्षी : मेमात्मनीय ने किया है (अथ \ \VI)

कि भारत में नगरों की सत्ता इनकी अधिक है कि वह टाक-ठीक बताई नहीं जा सकती बही 'अदिया के किनारे या समुद्रतट पर' या 'विश्वत तुले मैदान में या ऊँचे स्थान पर' बन हुए नगर हैं ।

नगरों व्यवस्था दुर्गों के विषय में वीटिस्य के विचार : नगरों की स्थिति के बारे में मेगात्मनीय का उपर्युक्त विचारक वीटिस्य द्वारा निर्धारित गुणों से बतल बटी है कि नगर मय गाछा है (नदीपर्वतदुर्ग नदीसंगमों दूरस्थ या अशुद्धीय स्थान प्रास्तर पार्वतम्) (II ३) । वीटिस्य ने इस मूल में सभी प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया है जैसे (१) किमी नदी के तट पर (२) नदियों के मय पर (३) किमी द्वीप के किनारे (४) किमी द्वीप पर (५) किमी मग्नक (घाटन) में (६) किमी जगद (बन) में (७) या किमी पर्वत पर परपर में (पार्वत प्रास्तरम्) बनाए जाने वाले काल दुर्ग । कि कि दुर्गों में वीटिस्य पर्वत पर बने हुए दुर्ग को नगर में अथवा समानता या बराबरी का प्राकृतिक रूप में सुरक्षा (सहारकम्) ईगा है । कि दुर्ग का घेरा कर्म (दुर्गगीयि) तथा उन पर जाता (दुर्गारोहकम्) गुप्तक जाना या और बर्तों से रात्र पर (महापकारिणम्) पथक की निवारण तथा बुरा आदि विनाश (निन्दा-सुप्त प्रयोपय) दुर्ग की और भी बरणी नगद तथा की जा जाती थी । बहू मरी नगर पर बने हुए दुर्गों को (जैन पार्वतियुव) बगल नदी बगल या बराबरी नदी को लकड़ी के गुणों द्वारापरी तथा नारा की लकड़ा से घेर दिया जा जाता था (इति-नगरम्

संक्रम सेतुबन्धनीनि- साम्यम्) इसके अतिरिक्त नदी के पानी को बिस्कुम  
 सूखाया भी जा सकता था (अभिरयगामीयं अवलाम्बुबन्धम्) या उबका किया  
 जा सकता था (VII १०)। यूनानी लेखकों की तरह ही कौटिल्य भी उज्जयिन्मा  
 का निवासी होने के नाते सिकंदर की बरेबरी के विक्रम मत्स्य या भावोर्नस  
 जैसे बट्टानी किलों से ली गई बीछापूर्ण प्रतिरक्षा के अपने निजी अनुभव के  
 आधार पर पर्यंत पर बने हुए दुर्गों की अधिक पसंद करता था। उसने अवश्य  
 ही यह भी देखा होगा कि सिकंदर अपने नाबों के दुर्गों की सहायता से विजयी  
 आसानी से नदियां पार कर लेता था। इसी प्रकार होलम नदी को पार करके  
 उसने अपने सबसे शक्तिशाली धनु पोरस को पराजित किया था। अर्धमासत्र  
 के सातवें अध्याय के १२वें सूत्र में उसने निश्चित रूप से अपना यह मत प्रकट  
 किया है कि वह नदी के किनारे बने हुए दुर्ग की अपेक्षा पहाड़ी पर बने हुए  
 दुर्ग को और लुटे मंडाग में बने हुए दुर्ग (स्वल्प-दुर्ग) की अपेक्षा नदी के किनारे  
 बने हुए दुर्ग को अच्छा समझता है। अर्धमासत्र के ८वें अध्याय के प्रथम सूत्र में  
 कौटिल्य ने इस बात का उल्लेख किया है कि किसी पहाड़ी अन्तरीप या द्वीप  
 पर बना हुआ अकेला दुर्ग सुरक्षित नहीं होता क्योंकि नहीं अधिक लोच नहीं होते।  
 नगरों की संख्या यूनानी लेखकों से हमें यह भी ज्ञात होता है कि पोरस  
 के राज्य में "५० काफ़ी बड़े नगर तथा असंख्य गाँव" थे (प्लूटार्क सिकंदर  
 LX)। ग्रीष्मकालिक (मसीस्कार्) नामक गण-जाति को इस बात पर गर्व था  
 कि उनके छोटे-से राज्य में ३७ नगर थे। मेगास्थनीज ने बताया है कि अनेके  
 गाँवों का बर्गीकरण नगरों की अनेक श्रेणियाँ भी सबसे छोटा नगर सप्त

हूय कहलाता था और वह १० गाँवों के मंडल का कोट होता था। उसके बाद  
 वेहाटी करने जाते थे जिन्हें कार्बदक तथा शोचमुक कहते थे और जो २ या  
 ४ गाँवों के कोट होते थे। फिर कस्बे अर्थात् स्थानीय (बाबकल के बाने)  
 जाते थे फिर घट्टर (नगर या पुर) बंदरगाह (पट्टन) और अंत में राजधानी  
 होती थी। इनमें सीमांत प्रदेश में स्थित उन दुर्गों की भी जोड़ दिया जाता चाहिए,  
 जो अस्तपालों के अधीन होते थे या जो देश के भीतर किसी मस्बक में जिसे  
 कौटिल्य ने वाचन कहा है, या जंगल में (बन दुर्ग) या बधरम तथा नीची भूमि पर  
 (निम्नावच्छमौबन्धम्) बने होते थे।

किलेबंदी की कला : नगरों के विकास में किलेबंदी की कला भी निहित  
 थी जिसके बारे में प्राचीन काळ से एक मानक योजना बनी आई थी। पुष्क  
 काबरी मघकाबरी या बरणा (माथोर्नोस) तथा पाटलिभुव जैसे नगरों में भारतीय  
 किलेबंदी के जो नमूने यूनानियों ने देखे थे तथा जिनका वर्णन उन्होंने

रचनाओं में किया है और अर्द्धरास्त्र में प्रतिपादित मूल, प्राचीन महाकाव्यों में बर्णित नगरों पर भी चरितार्थ होते हैं। महाकाव्यों में बर्णित नगरों की सुरक्षा के लिए यादों तथा कंग्रेजों के मीनारों सुरंगों बल-शरों तथा अंतर-नीचे सरफेजों के अंगतदार काफ़ी की व्यवस्था रहती थी।

अनुसूचित तथा जातों के स्मारकों की मूर्तिकला में जो विचित्र मिश्रण है वह इन विवरणों के अनुरूप है। ये स्मारक लगभग उही काल के हैं।

राजधानी की इमारतें कौटिलीय मण्डल अथवा राजधानी अपनी इमारतों के वैविध्य के कारण अत्यंत ही उत्कृष्टनीय रहे हुाने जैसे राजकोष की इमारत (कोषागार) राजकीय अन्न भंडार (कोष्ठागार) राजकीय पीठान (भाष्यागार) राजकीय अस्त्रभण्डार (आयुधभण्डार) व्यापारियों का मालगोशान (व्यापारगृह) व्यापारिक (वर्गस्थलीय) परिषद् भवन (उपस्थान अथवा मन्त्रालय) प्रशासन कार्यालय अथवा मन्त्रालय के कार्यालय (महामन्त्रीय) कारागार (अन्धकारगार) तथा औद्योगिक कारखाने (कर्मस्थ)। यह बात ध्यान देने योग्य है कि राजकीय रत्न-दीप के लिए जमीन के नीचे एक तिमंडिकनी इमारत हानी थी (पहले दिया गया विवरण देखिए)।

सविषय : नगरपालिकाओं द्वारा साधारण नगरवासियों को सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत-सी सुविधाएँ प्रदाय की जाती थी। इनके लिए नियम बने हुए थे जिनका उल्लंघन पहले किया जा चुका है। हर सड़क पर नाकियाँ होती थी जिनमें पत्तों का पानी बहकर माता का और ये सब नाकियाँ अंत में जाकर किचि की गार्ड में मिलती थी। यदि इनमें कूड़ा-करकट अथवा अन्य कोई वस्तु आकर बोर्ड इनका प्रवाह अवरुद्ध करना या तो उसे बंद दिया जाता था। इस प्रकार क नियम बनाये गए थे जिनसे पड़ोशियों को किसी प्रकार की अनुविधा न होने पाए। किसी घर में ऐसी गिरफ्तारी जो दूसरे के घर की गिरफ्तारी के नामसे गुलामी हो उस तक नहीं बनाई जा सकती थी जब तक बीच में कोई सड़क न हो। आम बहानों के लिए वर्षाकाल व्यवस्था क बनाय मददों पर हर समय पानी के भरे हुए "हजारों" बरतन रगे रगे थे। संपत्ति की सुरक्षा के लिए यह व्यवस्था भी थी कि रात्रि के समय एक निश्चित अक्षयि के बीच कोई अग्नि घर में बाहर नहीं दिखाना सकता था। इस अक्षयि की पौरुषा गुणों बनाकर बर ही जाती थी। नगरपालिका क प्रशासन (सेक्टर) को सभी पट्टनाओं की सूचना देनी पड़ती थी और सभ्यता गों हूँ अथवा साधारण संपत्ति अग्नी निगरानी में रखनी पड़ती थी। नगर का सुरक्षा और शांति तथा सभ्यता के लिए नगरपालिकाओं क यह नियम बना दिया था कि सभ्यता परिवारों का अक्षयि विभाग स्थानों नगरों तथा आसपास प्रशासन क स्थानों पर गिरफ्तारी रात्रि जाग और वे

हर महायमुक्त के आगमन की सूचना दें।

नगर के जीवन की रमणी उसके महिरासमो जलपानगृहो मांजनासम्यो  
 सपमो बुभाषरो तथा कसार्बादा में देखने म आती थी। नगर म मावजनिक  
 मोज तथा नाट्य-अभिनय भी होते थे। चिकित्सको को भी बड़ी मुक्ति थी।  
 राजा की सवारी बड़ी मूमनाम से निकलनी थी।

कौटिल्य तथा मेगास्थनीज के विवरणों की समानता उपयुक्त विवरण से  
 यह भी पता चलता है कि कौटिल्य ने प्रशासन-सम्बन्धी जिन बातों का विस्तार  
 पूर्वक उल्लेख किया है, वे मूलतः लेखकों की रचमात्रा म शिथिल हुए आम विवरण  
 से पूरी तरह मेल खाता है। परन्तु हम इस विषय पर कुछ अधिक विस्तारपूर्वक  
 विचार करेंगे क्योंकि इस प्रकार हमें इस बात का प्रमाण मिलता है कि जब  
 शासन में मौर्यकालीन भारत का सजीव चित्रण किया गया है।

नगर के अधिकारी मेगास्थनीज ने अस्तोलोमोइ नामक नगर-अधिकारियों  
 का उल्लेख किया है, जिनके दायित्वों का वर्णन कौटिल्य ने विस्तारपूर्वक किया है।  
 इन कामों में कौटिल्य ने 'चैत्ररियो के निरीक्षण' का भी उल्लेख किया है।  
 कौटिल्य ने कहा है कि नगरों की ये 'चैत्ररियो' कपास उद्योग कटाई तथा बुवाई  
 उद्योग सीने-बाँधी के आनुपम बनाने के उद्योग जो मुख्यतः नगरों का ही उद्योग  
 था और सीने-बाँधी के अतिरिक्त अन्य बागुनों की चीजें बनाने सम्बन्ध उद्योग  
 मयन-निर्माण उद्योग सरकारी टकसाक रूप की चीज बनाने तथा बन-सम्पदा  
 का उपयोग करने के कारण बने होते थे। मेगास्थनीज के अनुसार नगरों की  
 'चैत्ररियो' पर सरकार की 'नियन्त्री' रहती थी। कौटिल्य ने बताया है कि यह  
 नियन्त्री के सरकारी अम्पल रहते थे जिन पर इन 'चैत्ररियो' की नियन्त्री  
 का दायित्व रहता था जैसे सूनाम्पल चौबन्धक लोहाम्पल लसबाम्पल  
 दूपाम्पल आदि।

मेगास्थनीज ने इसके बाद नगर-अधिकारियों के एक ऐसे वर्ग का उल्लेख  
 किया है जिनके काम में महिरासमों का नियंत्रण नगर में बाहर से आने वालों  
 की देखभाल तथा उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करना शामिल था। कौटिल्य  
 ने विस्तारपूर्वक इस बात का वर्णन किया है कि नगर का प्रशासन इन कार्यों तथा  
 अन्य कई कामों का सार सम्भालता था जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका  
 है। स्वयं एक विदेशी यात्री होने के नाते मेगास्थनीज ने 'अजनबियों' अथवा  
 विदेश के लोगों के सम्बन्ध में नगर के कर्तव्यों का विवेक रूप से उल्लेख किया  
 है। कौटिल्य ने इस दायित्व को नगर प्रशासन के अन्य प्राथमिक कामों में शामिल  
 किया है।

मेगास्थनीज ने कामों की जिस तीसरी श्रेणी का उल्लेख किया है, वह अथवा

सम्बन्ध मृत्यु तथा जन्म का हिसाब रखने से है। कौटिल्य ने भी स्वार्थिक तथा मीप नामक अधिकारियों का उल्लेख किया है जिनका काम यह था कि वे जनसंख्या की पूरी सूची रखें और घुसघुस मसूदा के आँकड़ों का हिसाब रखने के अनिश्चित नियमित रूप से जमावगना करें। इस काम के लिए अधिकारियों को घर-घर घूमना पड़ता था और इन उद्देश्य से नगर की बनेक मंडलों में बिभाजित कर दिया जाता था।

मेगास्थनीज का ध्यान नगर-अधिकारियों के कामों की जिन चौकी खेजी की जाए आइएट हुआ उसे उसने 'वाइर का नियंत्रण' कहा है। कौटिल्य ने बताया है कि इस काम के लिए एक विशेष अधिकारी होता था जिसे पञ्चाय्यस कहते थे जिन्हें कामों का उल्लेख विस्तारपूर्वक पढ़ाया जाता था।

मगर बाद मेगास्थनीज ने नगर-अधिकारियों द्वारा "माप-तोक के मामलों" के निरीक्षण का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने बताया है कि यह काम एक विशेष अधिकारी के जिम्मे था जिसे पौत्रवाय्यस कहते थे।

मेगास्थनीज ने नगर-अधिकारियों के कामों की पाँचवीं श्रेणी का उल्लेख इस प्रकार से किया है "शहर का निरीक्षण करना और नई तथा पुरानी चीजों में नदी-गद्दी अन्तर रखते हुए उस मास की विषय की व्यवस्था करना।"

य सब काम नगर का यह अधिकारी करता था जिस कौटिल्य ने पञ्चाय्यस कहा है। जैसा कि हम देण चुके हैं कि यह मुख्य पर, रखेटी तथा बिदेटी राजों प्रचार की नीति के बाजारों पर, रात-नामपी पर और बाजार तथा निरीक्षण पर नियंत्रण रखता था।

अन्य में मेगास्थनीज ने दिके हुए मास पर लगाए जाने वाले कर की बमूची ग गणनायक राजों का उल्लेख किया है। मेगास्थनीज तथा कौटिल्य ने दिके हुए मास पर उमर बूम्य के अनुसार कर बमूल करने का उल्लेख किया है। जन्म के बाद यह है कि मेगास्थनीज ने लिखा है कि यह कर विशाल नभय्य हाता था जबकि सर्वप्रथम में प्रतिगत से १५२२ प्रतिगत तक कर की विभिन्न दरों का उल्लेख किया गया है। यह कर वमूल करने का काम अस्काय्यस नामक अधिकारी के जिम्मे रहता था।

मेगास्थनीज ने "नई तथा पुरानी चीजों के बीच गद्दी-गद्दी अन्तर रखने" की बात कही है उसका उल्लेख कौटिल्य द्वारा उल्लेखित पञ्चाय्यस नामक अधिकारी पर रहता था। जैसा कि हम पहले देण चुके हैं इस अधिकारी की दण पाठ का अधिकार था कि यह राजों द्वारा जाने मास की मात्रा अथवा उनका मूल्य कम बाजार या कर देने में बचने के लिए जाने मास की बाजारिक गति थी। लिखने में उद्देश्य ही पटिया बमूना दिनाए ता यह उन दण के मतवा

था। हम पहले इस बात का भी उल्लेख कर चुके हैं कि गिलाबट करने पर किस प्रकार दंड दिया जाता था।

स्वादा के मतानुसार नगर-अधिकारियों के इन शायिलों को पाँच-पाँच सदस्यों के छ मद्रस पूरा करते थे। वैसे कि एक डम्प्यू टामस ने लिखा है (केम्ब्रिज हिस्ट्री I ४८९) "इसने सन्नेह नहीं कि यह पद्धति अलग-अलग स्वानों में अलग अलग रूपों में लागू होगी थी और समझ है कि यह अन्तर इस आकार पर होता हो कि वह नगर राजधानी या या कोई साधारण कस्बा वह किसी सार्वभौम शासक के आधीन था या स्वतंत्र था। हम इसकी तुलना स्वयं अपने इंग्लैंड में म्युनिसिपल के इंपरैड के समतल बरौन तथा स्वतंत्र नगरों के अन्तर से कर सकते हैं।

इसके के अधिकारी इसके के अधिकारियों अर्थात् एपोनोमोई के सम्बन्ध में जिनमें से अधिकतर सासन-कर में काम करने वाले समाहर्ता के नियंत्रण में रहते थे कौटिल्य तथा मेगास्थनीज के विचारों में हम एक समानता पाते हैं।

कौटिल्य तथा मेगास्थनीज के विचारों की समानता सिर्चार्ड मेगास्थनीज ने बताया है कि उनके पहले काम का सम्बन्ध सिर्चार्ड तथा जमीन की पैमाइश से था। हम देख चुके हैं कि अर्धशासन में सिर्चार्ड को समाहर्ता के कृतधर्मों में से एक बताया गया है। इसका सकेन नवीपाल (नदियों तथा उनके घाटों पर नियंत्रण रखने वाला अध्यक्ष) तट नाथ सेतु तथा सीता बादि अनेक पार्श्वों में मिलता है। इस बात का भी पता चलता है कि समाहर्ता प्रथम नियंत्रक अधिकारी अपने विभाग का अध्यक्ष होता था पर उसके आधीन जिलों में अनेक छोटे-छोटे विभागीय अध्यक्ष होते थे जिनमें से एक सीताध्यक्ष अर्थात् द्विपि निर्देशक होता था जिसके जिम्मे सिर्चार्ड की व्यवस्था करने तथा सिर्चार्ड का कर वसूल कराना काम होता था। हम पहले देख चुके हैं कि सिर्चार्ड के सबनों के अनुसार सिर्चार्ड-कर की दर किस प्रकार बढ़ती रहती थी।

मेगास्थनीज ने अपने बलकर उन अधिकारियों का भी उल्लेख किया है 'जो नदियों पर नियंत्रण रखते थे। मूमि की पैमाइश करते थे। उन जल-शायों का जाता था ताकि सबको बराबर-बराबर पानी मिल सके। वैसे कि हम पहले देख चुके हैं कौटिल्य ने नदियों पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारी को नवीपाल का बहूत ही उचित नाम दिया है। सीताध्यक्ष के बारे में यह कहा गया है कि "वह नदी सील (घट) बलासय (तटस्थ) तथा धूमों (कूप) से जल-शायों के निबन्धन द्वारा पानी के उचित वितरण की व्यवस्था करता था" (उद्गर्त उद्घाटनमे निस्साम्ते जल जननति उद्बन्तो अरध्वदकादि-यंत्रम्) (II 211)



था। हम पहले इस बात का भी उल्लेख कर चुके हैं कि मिमाबट करने पर किम प्रकार दंड दिया जाता था।

स्त्राबा के मतानुसार नगर-अधिकारियों के इन शक्तियों को पाँच-पाँच मन्व्यों के छ मंडल पूरा करते थे। जैसा कि एप डब्ल्यू टामन ने किया है (कॉन्ट्रिब्यूटिंस I, ४८९) "इसमें सन्देह नहीं कि यह पद्धति अलग-अलग स्त्राबा में अलग अलग वर्गों में काम होती थी और समग्र है कि यह अन्तर हम आचार पर होता हो कि वह नगर राजधानी का या कोई भाषारक कस्या वह किसी साक्षरीय शासक के आधीन था या स्वतंत्र था। हम इसकी तुलना स्वयं अपने इपेनैड में मम्पकास के ईपेनैड के 'रामस बरोज' तथा स्वतंत्र नगरों के अन्तर से कर सकते हैं।

बिले के अधिकारी : बिले के अधिकारियों अर्थात् एगोनोमोर्ई ने सम्बन्ध में जिनमें से अधिकतर शासन-क्षेत्र में काम करने वाले समाहर्ता के नियंत्रण में रहते थे कौटिल्य तथा मेगास्थनीज के विचारों में हम एक समानता पाते हैं। कौटिल्य तथा मेगास्थनीज के विचारों की समानता सिखाई मेगास्थनीज ने बताया है कि उनके पहले काम का सम्बन्ध सिखाई तथा जमीन की पैमाइश से था। हम देख चुके हैं कि अर्धसाक्ष में सिखाई को समाहर्ता के कल-या में एक बताया गया है। इसका उल्लेख नवीपाल (नदियों तथा उनके घाटों पर नियन्त्री रखने वाला अम्पल) तर नाथ सेतु तथा सीता जाति जनक राज्य में मिलता है। इस बात का भी पता चलता है कि समाहर्ता प्रथम नियंत्रक अधिकारी अर्थात् अपने विभाग का अध्यक्ष होता था पर उसके आधीन बिले में अनेक छोटे-छोटे विभागीय अध्यक्ष होते थे जिनमें से एक सौताम्पल अर्थात् कृषि निर्वहन होता था जिसके जिम्मे सिखाई की व्यवस्था करने तथा सिखाई का कर बसूल करने का काम होता था। हम पहले देख चुके हैं कि सिखाई के सामनों के अनुसार सिखाई-कर की दर किस प्रकार बदलती रहती थी।

मेगास्थनीज ने मागे बलकर उन अधिकारियों का भी उल्लेख किया है 'जो नदियों पर नियन्त्री रखते थे। भूमि की पैमाइश करते थे। उन अलग-थलग का निरीक्षण करते थे जिनके रास्ते बड़ी नहर में से उसकी शाखाओं में पानी पहुँचाया जाता था ताकि सबको बराबर-बराबर पानी मिल सके। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कौटिल्य ने नदियों पर नियन्त्री रखने वाले अधिकारी को नदीवाक का बहुत ही उचित नाम दिया है। सौताम्पल के बारे में यह कहा गया है कि "वह नदी जीव (सः) अन्नाद्य (उद्योग) तथा कुर्णों (कूप) से अलग-थलग के नियंत्रण द्वारा पानी के उचित वितरण की व्यवस्था करता था" (अर्थात् उद्वापयते निस्तार्यते अल अननति उद्वापटी अरम्बुकादि-यंत्रम्) (II २५)।

एक नियम यह भी था कि यदि 'कोई निश्चित क्रम के विपरीत (अधारे) पानी देता था या प्राप्त करता था या जिध जेठ की बारी होती थी (धारे) उसमें पानी पहुँचाने से रोके, तो यह अपराध है और इसके लिए बंध दिया जा सकता है। (III ९)। इससे पता चलता है कि (क) उपभोक्ताओं अर्थात् कारखानों के बीच नहर के पानी का वितरण बारी-बारी से किया जाता था और (ख) यह वितरण बल-हार की क्रिया द्वारा किया जाता था। जिन जेठों में नहर के पानी से सिंचाई होती थी उन्हें कृष्या-वाप कहा गया है (II, २४)। सिंचाई की एक ऐसी व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता है जिसे ज्योतीर्ष-त्रावतिमम कहा गया है, जिसका अन्विषय उस व्यवस्था बनना यंत्र से है जिसके द्वारा सिंचाई-अधिकारी बहती हुई बल-वारों से पानी लाकर जेठों में पहुँचाता था (सारथीपायित अतनिष्पन्नं उदकत्राकम् उपर्युक्त)। मेगास्थनीज के इस कथन के सम्बन्ध में कि बल का वितरण ऐसा होना चाहिए कि 'सबको बराबर-बराबर पानी मिल सके' यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि कीटिस ने सिंचाई का पानी सबको बराबर-बराबर मिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर ही थी। सबसे समान दर से कर वसूल किया जाता था और जो भी अपनी सिंचाई की आवश्यकता के लिए जितना पानी लेता था उसके लिए उस समान रूप से वैसा देना पड़ता था। विभिन्न स्तरों पर स्थित विभिन्न जेठों (कैदार) के बीच पानी के वितरण के सम्बन्ध में उल्लेख होने वाले जगहों का निश्चय ही सिंचाई कार्यालय करता था। यदि बाह में निचले स्तर पर कोई अकारण बनाया जाता था (पदवाग्विचित्रमपर-उदकम्) तो उसे इस प्रकार बनाया पड़ता था कि उसका बल पहले से ऊँचे स्तर पर बने हुए बलासय द्वारा सीधे जाने वाले जेठ में न सरने पाए (उदकेन जाग्रावयेत्)। और न ही ऊँचे स्तर पर बनाये गए गए ढाकाब से नीचे स्तर पर बने हुए पुछने ढाकाब में पानी के बहाव को रोकने की इजाजत थी ऐसा केवल उही दशा में किया जा सकता था जब वह पानी सिंचाई के लिए आवश्यक न हो (III, ९)।

जमीन की पैदावार के बारे में (मेगास्थनीज की अन्तिम बात के सम्बन्ध में) हम पैदाइश तथा संशोधन पर आधारित नू राजस्व प्रशासन का बर्नन विस्तार-पूर्वक पहले ही कर चुके हैं।

प्रकार मेगास्थनीज ने इसके बाद जिसे के अधिकारियों के दायित्वों की जित जेठी का उल्लेख किया है, उसका सम्बन्ध धिंकार पर नियन्त्रण रखने से है। इन दायित्वों के प्रथम में कीटिस ने कृष्याग्यत नामक एक अधिकारी के आधीन एक नियमित बल-विभाज का उल्लेख किया है। बीसा कि हम पहले बता चुके हैं, इस अधिकारी का काम यह होता था कि वह बनों के ऐसे रक्षक (बल-

पाल) नियुक्त करे, जो हर पेड़ के बारे में छोटी-से-छोटी बात से भी परिचित हों और वन में पैदा होने वाली विभिन्न चीजों जमा कर उन्हें बतों तथा उनकी सम्पदा के संरक्षण की व्यवस्था कर सकें। कृष्याप्यक्ष के साथ विद्विताप्यक्ष नामक एक और अधिकारी होता था जिसका काम मवेशियों की चरागाहों की रक्ष्य पशुओं के अधिकार से सुरक्षित रखना था। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं उसे इस काम के लिए बहुत-से अधिकारियों (मुस्यक) को नौकर रखना पड़ता था जो अपने अधिकारी कुत्तों द्वारा (शवण) बगलों को समस्त हानिकारक तत्वों से मुक्त रखते थे।

हम यह भी देख चुके हैं कि इस बात के बारे में मेगास्थनीज तथा कौटिल्य दोनों का मतभेद था कि शिकार मुख्यतः राजा का एक मनोरंजन था। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कौटिल्य शिकार को राजा के लिए एक स्वास्थ्यप्रद तथा हितकर क्रीड़ा समझता था परन्तु उसने इसके साथ ही यह शर्त भी लगा दी थी कि राजा की सुरक्षा के लिए ऐसे अधिकारी (मुस्यक) भी साथ रहे जाएँ जो राजा की खानपान के शिकारी कुत्तों की सहायता से बगलों को घेर भाँकि उन्हें पशुओं से मुक्त रखें ताकि राजा सुख्या के बाधाकरण में भागते हुए मृष जैसे पशुमान समय पर निघाना लगाने की दुःसाध्य कला सीख सके।

वन-उद्योग तथा खनिज-उद्योग : मेगास्थनीज ने लिखा है कि कृषि वनों कटौती के काम वातु की इकाई के कारखानों तथा जंगलों से सम्बन्धित विभिन्न उद्योगों की देख-रेख का भार जिले के अधिकारियों पर रखा था। कौटिल्य ने इन शायित्यों को कई विभागों के अस्पष्टों के बीच बाँट दिया है, जैसे सीताप्यक्ष कृष्याप्यक्ष आकराप्यक्ष लोहाप्यक्ष सुवर्णाप्यक्ष तथा जस्याप्यक्ष जो अपने अपने विभागों के काम का केसा-जोबा समामूर्ता तथा लक्षिपाता मायक अपने प्रधान अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करते थे। ये अधिकारी राजधानियों में रहते थे।

सड़कें : अंत में मेगास्थनीज ने सड़कों की देख-भाल करने के सम्बन्ध में इन अधिकारियों के शायित्यों का उल्लेख किया है। हम पहले देख चुके हैं कि कौटिल्य की प्रशासन-व्यवस्था में यातायात के मार्गों (बभिक्षुष) की अच्छी रक्षा में रजता समाहर्ता का एक मुख्य कर्तव्य था। कौटिल्य ने देश की अनेक प्रकार की सड़कों का उल्लेख किया है, जिन्हें उसने निम्नलिखित नाम दिए हैं (१) राजमार्ग [I २१ II ४], (२) रज्या अर्थात् जिले के वाहन-केंद्र तक जाने वाली प्रांतीय सड़कें (३) हाथियों के वनों को जानेवाली सड़कें (४) खेतों को जानेवाली छोटी सड़कें (अरण) तथा अन्य छोटी सड़कें (५) यादियों के जाने-जाने के लिए सड़कें।

कौटिल्य तथा मेगास्थनीज ने विवरणों की अनेक समानताओं को एच० पी० गॉल्डिन मानक प्रख्यात विद्वान ने संक्षेप में इन शब्दों में व्यक्त किया है (इंडिया ऐंड द बेस्टरन वर्ल्ड, पृष्ठ ६७) : "अष्टगुप्त के वर्तमान का जो विवरण मेगास्थनीज ने दिया है उसकी बहुत-सी बातों की पुष्टि कौटिल्य अर्बक्षासत्र द्वारा होती है। इस प्रप में राजप्रासाद का वर्णन उसकी बाह्यों प्राचीरों तथा मीनारों का विवरण बहुत हद तक उसी रूप में किया गया है जैसा कि मेगास्थनीज ने वर्णन किया है। राजा के साथ हर समय "चतुप-बाण से ससस्त्र स्थियों" का एक अवरोधक रह रहा है (जिन्हें अर्बक्षासत्र में स्त्रीगणों नाम्निः कहा गया है, II ३)।

'अर्बक्षासत्र' में अधिकारियोंके अति सुसंगठित पर-सोपान का वर्णन त्रिन शब्दों में किया गया है यह मेगास्थनीज के विवरण से बहुत कुछ मिलता-जुलता है अतः केवल यह है कि अर्बक्षासत्र में यह वर्णन अधिक विस्तारपूर्वक दिया गया है। जैसे मेगास्थनीज ने हमें बताया है कि जंगलों मेंदिनों बंदरगाहों लागो तथा सड़कों बादि की देखभाल करने के लिए विद्या-अधिकारी होते थे। उतने नगरपालिका की व्यवस्था बनाने वाले छ मंडलों का भी वर्णन किया है, पर उन सबके सामान्य नाम लगभग एक जैसे ही बताये गए हैं। उदाहरण के लिए कौटिल्य ने एक वाणिज्य अध्येक्ष तथा एक मालगाधामो के अध्येक्ष किया है, जो मिलकर बाजारों की व्यवस्था की देखभाल करते थे बाजार में विभिन्न चीजों का मूल्य निर्धारित करते थे छपि की पैदावार के व्यापार का नियमन करते थे सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर लगाते थे और सहीदे तथा बेच जाने वाले माल पर राजा की ओर से कर वसूल करते थे। मेगास्थनीज न राजन-व्यवस्था का जिस रूप में वर्णन किया है, उसमें पहले चीने चीनके तथा छ मंडलों के वर्तमान रूपमें मही बताये गए हैं।

"अर्बक्षासत्र में बेरपाजों तथा सार्वजनिक स्थानों में बुझा बनने पर निगरानी रखने वाले एक अध्येक्ष का उल्लेख मिलता है मेगास्थनीज के यहाँ पुलिस विभाग के इन वा वासियों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। पर मेगास्थनीज ने इस बात का उल्लेख अवश्य किया है कि राजा के युवाचार बाणकारी प्राप्त करने के लिए किस प्रकार बेरपाजों की सहायता लेते थे। इस प्राचीन पंथे की एक व्यवस्था के रूप में मान्यता प्राप्त थी उच्च पर कर लगाया जाता था उतका निरीक्षण हुआ था और सरकार उतका काम चलायी थी।

एक महत्वपूर्ण बात के बारे में कौटिल्य से हमें ऐसी जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें मेगास्थनीज के विवरण की कमी हर तरह पूर्ति होती है। यह है अज्ञान-रानी के मंडल से सम्बन्धित जानकारी। अज्ञानराजों का आयुक्त समूह तथा स्थियों

के रास्ते होने वाले यातायात तथा बाटों पर निगरानी रखता था। मसूअो ब्यापा रियों तथा यात्रियों सभस कर किया जाता था और बाट सरकार के अधीन थे। बिन स्वानों से मरियों को पार किया जा सकता था वहाँ पर संतरियों का पहरा रूठा था जो संदिग्ध लोगों को इन स्थानों में घुसने या वहाँ से निकलने से रोकते थे। बंदरगाहों के प्रबाम अधिकारिया का यह कतम्य था कि वे बिपदमस्त बहाजों की सहायता करें और नरिया के बाटों की देख भास करन वाले अधिकारियों का यह कतम्य था कि जब नदी खतरमाक हालत में हो तब वे किसी को उसके पार न जाने दें।

“कुल मिलाकर देखा जाए, तो ये दोनों विवरण अत्यंत सराहनीय ढग से एक-दूसरे के पूरक हैं।”

## अध्याय ९

### विधि

विधि के स्रोत : कौटिल्य ने (III १) उनकी सार्वकथा के क्रम के अनुसार विधि के चार स्रोतों का उल्लेख किया है (१) धर्म (सत्य पर आधारित धर्मविरस सत्ये स्थितो धर्मो) (२) व्यवहार (जो बल्लो आपस में लै कर ली गई हों) (३) पतिव्र (रीति-रिवाज) और (४) राजशासन (राजशा)।

यह भी कहा गया है कि राजा को (१) धर्म (२) व्यवहार, (३) संस्था (सौकर्याय) तथा (४) न्याय के अनुसार इस कानून का पालन करवाना चाहिए (अनुशासन)।

इस प्रकार हम देखते हैं कि राजशासन अर्थात् राजशासे जिसे विधि का चौथा स्रोत बताया गया है वह न्याय पर आधारित है, अर्थात् इस बात पर कि राजा की दृष्टि में क्या उचित है।

राजशासन अर्थात् यह बात कि राजा कानून को किस रूप में लागू करता है या जिसे हम न्यायाधीश का निर्णय अथवा न्यायाधीश का बताया हुआ कानून कह सकते हैं वह न्याय अर्थात् धर्म द्वारा निर्धारित होती थी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विधि का अर्थित शब्द न्याय है। यह बात भी समझाई गई है कि किसी विचार में (अर्थ) लोकाचार अर्थात् संस्था और धर्म शासन (उदाहरण के लिए कानून का धर्मशास्त्र) के बीच का राजशासे (शासन राज शासनम्) तथा सारी द्वारा नियंत्रित होने वाली परिस्थिति में (व्यावहारिक सारी

बचन) कोई मतभेद हो तो उसका निवारण यम वर्मात् धर्मशास्त्र के अनुसार किया जाता था। ऐसी परिस्थिति में न तो सबाहा की शांति को कोई महत्त्व दिया जाता था न राजा के मत को। परन्तु यदि शास्त्र वर्मान् धर्मशास्त्र और स्थानीय धर्म तथा आचार वर्मान् रीति-रिवाजों द्वारा समर्थित ध्याय के बीच कोई मतभेद हो तो ध्याय को प्रधान माना जाता था। ऐसी स्थिति में धर्मशास्त्र के धृष्ट का कोई महत्त्व नहीं होता था (तत्र पाठा हि नश्यति)। उदाहरण के लिए, जैसा कि टीकाकार ने बताया है धर्मशास्त्र का एक धृष्ट यह है कि यदि कोई ठट्ठक टूट गया हो और उसके पास ही कोई आदमी हाथ में फावड़ा लिये हुए पाया जाए तो वह माना जाएगा कि उसी आदमी ने ठट्ठक ठोका है (कुदात्प्राविकल्पेय-केतुमेता समोपमः)। परन्तु यदि वह फावड़ा किसी बच्चे के हाथ में हो जो वह अपराध करने की क्षमता ही न रखता हो तो यह निर्णय स्वीकार्य न होगा।

कौटिल्य ने इस परिस्थिति पर जोर दिया है कि राजा दण्ड का प्रतीक होता है और दण्ड धर्म का वर्मात् वह वर्माभिम धर्म और उस पर आधारित लोकधार का नियमन करने वाली विधि की रक्षा करता है। यही राज-धर्म अथवा सभी धर्मों की रक्षा करता है, जो इस संरक्षण के बिना नष्ट हो जाएँगे (अधुर्बर्माभिमत्तव्यं क्रौडस्थाधाररजनात् । नश्यती सर्वधर्माणां राजधर्म-प्रवर्तकः)। इस प्रकार दण्ड, जो सबसे ज़्यादा धर्म से धर्म का पालन करता है चाहे वह बेटा हो या धर्म, और जो किसी भी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं करता इस लोक में सुलभी स्थापना कटेगा और परलोक में भी सत्य के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा (दण्डो हि केवलो मीरं परं धर्मं च रक्षति । राजा पुत्रं च क्षत्रीं च धनदोषं सर्वं भुतः)।

ध्यायकर्म अथवा धर्म रूप में धर्म की व्याख्या की गई है, उसका पूर्ण ज्ञान रखने वाले लोगों को ध्यायधीन नियुक्त किया जाता था जिन्हें धर्मस्थ कहते थे। ध्यायधीन व्यक्तियों के स्तर के अधिकारियों ने नै नियुक्त किए जाते थे और वे ही ऐसे अमरत्व को धर्म वर्मात् सबाहा की कसौटी पर भी पूरे उतारते हैं (धर्मोपमाधृष्टान् धर्मस्थीयकण्ठकप्रोचनेषु स्थापयेत्) (I १०)।

ध्यायकर्म में छ ध्यायधीन होते थे जिनमें से तीन विधि के विशेषज्ञ होते थे और तीस अमरत्व होन थे। ध्यायकर्म विभिन्न प्रशासन-केंद्रों में स्थापित किए जाते थे देश के भीतर भी (अनवरत) और उसके सीमान्त प्रदेशों के पनरो (धुर्य) में भी जहाँ से अन्तर्गत इन सीमान्त प्रदेशों का प्रशासन चलता था। देश के भीतर से संघर्ष प्रोत्साहन तथा स्थानीय नामक केंद्रों में स्थापित किए जाते थे (अनवरतसम्प्राप्त्यु अनवरतसम्प्री अनवरतसुगुणं संघर्ष-प्रोत्साहनस्थानीयेषु)।

ध्यायकर्म का समय प्रायःकाल होता था।

स्थानीय का कर्मन - यद्यपि ध्यायकर्म विभिन्न विधि धर्मों के अन्तर्गत की

पई है दिवाह तथा बहैक उत्तपधिकार, नर तथा पाछ-पत्रोस (अितमें अतिअमन  
भी शामिल है) अण अमानत बास अम संबिदा बिधी हिसा तथा बनावार,  
पूजा तथा बिबिध ।

अप्यह्वार औ बंभवतः कछ नियमों में यह बताया गया है कि किन परिस्थितियों  
में समझौते (अप्यह्वार) बंध नहीं रह जाते जैसे (१) तिरोहित, अर्थात् यदि  
उस समझौते को नियमित करने में गिम्नसिद्धि कारकों से कोई दोष उत्पन्न  
हो गया हो (क) वह स्वामी की अनुमति के बिना (स्वानतिरोहित) क्रियान्वित  
निका गया हो (ख) वह किसी ऐसे अनुपयुक्त स्थान में क्रियान्वित किया गया  
हो (बेधतिरोहित परोक्षसाक्षिक) जहाँ कोई प्रत्यक्ष साक्षी उपस्थित न हो  
(ग) यदि वह उचित समय अतीत हो जान के बाद पूरा किया गया हो (काल-  
तिरोहित) (घ) किसी अनुचित क्रिया द्वारा पूरा किया गया हो (क्रियानिरोहित)  
(च) या अथवा सम्पत्ति के किसी ऐसे भाग के प्रसव में क्रियान्वित किया गया  
हो जो द्रव्य वस्तु न हो (द्रव्यतिरोहित) (२) अन्तरगण (बहु समझौता जो  
किसी गुप्त कक्ष में किया गया हो) (३) अन्त (रात्रि के समय किया गया  
हो) (४) अरथ्य (किसी वन में किया गया हो) (५) उपनि (अप्यह्वारः)  
(अन्तकर्मट द्वारा सम्पन्न किया गया हो और (६) उपह्वार (उस समझौते में  
भाय लेनेवाले दो पक्षों द्वारा युक्त रूप से किया गया हो) ।

परन्तु इनमें से प्रत्येक परिस्थिति के कुछ अपवाद हैं विशेष रूप से ऐसी  
वशा में जब साक्षी मौजूद हो या समझौता घर के भीतर ऐसी औरतों के बारे  
में किया गया हो जो परदा करती हैं (स्त्रीका अविष्कासिनीमान्) या जो बीमारों  
या ऐसे लोगों के बारे में किया गया हो जिनका दिमाग ठीक न हो और जो  
घर के बाहर निकलकर बहु समझौता सम्पन्न न कर सकते हैं ।

कौटिल्य ने विभिन्न प्रकार के बैंक तथा अनेक समझौतों (अप्यह्वारों) का  
उल्लेख किया है और ऐसा प्रतीत होता है कि उनका अंतर स्पष्ट नहीं हुआ है ।

ऊपर बताया गए (१) (ख) वर्ष के उस समझौते पर, जो किसी द्रव्य तथा  
स्त्री के बीच गाम्बं दिवाह (निध लज्जाम्) के सम्बन्ध में किये गए हैं या  
वर्ष (३) के उस समझौते पर जो बनबानियों (अरथ्यकराणां) द्वारा किये गए  
हैं या जहाँ में व्यापारी (साख) हैं या बरवाहे (अन्तः मीठ्युत्तयो कोशलाः)  
या अन्त में रहते हैं (आमनो वनवृद्धिम्बन्ध) या मिचारी हों (व्यावा किराताः)  
या अन्त-किलने बाक नर हों (चारणाः लक्ष्मणवनादिबीबिन) ये प्रतिबन्ध  
राम् नहीं होते थे ।

अनपिठित गणों द्वारा किय गए समझौते बंध नहीं माने जाते थे ।

सम्बन्ध दिवसों के बारे में निर्णय देने की कार्य-प्रणति के बारे में भी कुछ

नियम बना दिये गए थे जिनसे अत्यंत बानी को अपनी दाल कहल प्रतिवादी को उसका लंडन करने तथा बारी को फिर उनका प्रत्युत्तर देने का मौका दिया जाता था।

कार्य-पद्धति मुकदमे की शुरुवात से पहले समझौते की विधि वाली तथा प्रतिवादी के नाम उनके निवासस्थान जाति गोत्र तथा उनकी हस्तियत (इततमर्चावस्थयो) दर्ज करना आवश्यक होता था (अतिमिष्य निवेशयेत्)।

बारी तथा प्रतिवादी के दामान भी यथाचित ढंगसे लिखकर दर्ज कर लिए जाते थे।

इन लिखित बक्तव्यों की बड़े ध्यानपूर्वक जांच की जाती थी (निबिद्योश्च अचेतेत्)।

दामान लिखने वाला कैपल यदि म्यायालय का सेलक (मुद्दरि) बक्तव्यों को उस ढंग से दर्ज नहीं करता था जिस ढंग से वे लिए जाते थे या यदि वह ऐसी बातें लिखता था जो न कही गई हों और कही गई बातों को नहीं दर्ज करता था (इक्षत् न लिखति अनुक्तं लिखति) कही गई बात में अपनी तरफ से कुछ घमट जोड़कर उसे अनापतिजनक (दुष्कृत उपलिखति) या आपतिजनक (सुस्त इक्षत्कति) बना देता था और इस प्रकार उस विवाद के आधार का बदल देता था (अर्चतिपतिम् वा विकल्पयति ताप्यसिद्धिमस्यवयति) तो उसे उसके अपराध की गंभीरता के अनुसार (यथापराधम्) सजा दिया जाता था।

अबिलम्ब म्याय म्याय में अधिक बिलम्ब नहीं होता था। प्रतिवादी को अपनी सज्जई पेश करने के लिए ३ से ७ दिन तक का समय दिया जाता था। बिलम्ब करने पर उसे जुर्माना देना पड़ता था। बारी को अपना प्रत्युत्तर उसी दिन देना पड़ता था (प्रत्युक्तः सा अभिमुक्तवसोत्तः प्रतिवृपस्त) जिस दिन प्रतिवादी अपनी सज्जई (प्रत्यस्त) पेश करता था अन्यथा उसे जुर्माना देना पड़ता था (III १)।

स्वाधीन म्यायालय म्याय की व्यवस्था को विकेंद्रित करके म्याय में बिलम्ब होने की संभावना को और भी कम कर दिया गया था। "जाम तीर पर विवादों का निबटारा स्वामी अबका कुछ समय के लिए स्थापित की गई पंचों की एक छात्रा हाउस या विभिन्न कोठियों के पदाधिकारियों द्वारा कर दिया जाता था। इसके अतिरिक्त राजा के पास तक अपील करने की पद्धति भी प्रचलित थी या नियमित रूप से अपने म्यायालय में मौजूद रहता था या कोई मंत्री प्राडिबबाल उसका प्रतिनिधित्व करता था। बर्ष अबका बर्ष से सम्बन्धित अपराधों की शुरुवात हरिबद नामक समितियों के सामने होती थी" (केम्ब्रिज हिस्ट्री I ४८५)।

उदाहरण के लिए, गंधों में यदि सीमाया के सम्बन्ध में कोई विवाद उठ

आइया हुआ था (सीमाविवाह) तो उस गाँव के बड़े-बूढ़े तथा आस-पास के ५-१० लोगों का समझदार लोग (परब्रह्मण्यी ब्रह्मण्यी वा) मिलकर तुरन्त वहीं पर उसका निबटारा कर देते थे (III ९) ।

या फिर कारतकारा तथा चरबाहों में से बड़े-बूढ़े (कर्त्यक-भोवात्मक-बुद्धकाः) या विवादाधीन भूमि के भूतपूर्व मालिक (पूर्वभुक्तिताः) एक या दो ऐसे लोगों की सहायता से या उत इलाके से बाहर न रहते हों (अबाह्यः) तथा जिन्हें विवादाधीन सीमाओं के बारे में वैयक्तिक ज्ञानकारी हो (जैसे आस-पास के शिकारी) उस क्षण के निबटारा कर देते थे । व उन्हीं उस जगह पर से बाहर उन्हीं ठीक-ठीक सीमाएँ बना देते थे । ऐसा करते समय वे दूसरे लोगों से भिन्न अपनी विमिष्ट पोशाक पहने रहते थे (विपरीतवेषा) । शिकारियों तथा अन्य ऐसे लोगों को जिन्हें विवादाधीन सीमाओं के बारे में वैयक्तिक ज्ञान था या तो एक समूह में या उनके किसी एक प्रतिनिधि को (बहुव एको वा) उस विवाद का निबटारा करने वालों की सहायता के लिए बुलाया जा सकता था ।

लोगों के स्वामित्व के सम्बन्ध में जो झगड़े होते थे (क्षेत्र-विवादम्) उनका झगड़ा पड़ोस के गाँव के बड़े बूढ़े (सामन्त-पामबुद्धाः) करते थे । यदि उनमें कोई मठनेत्र होता था (ईर्षीवान्) तो निर्णय ऐसे लोगों के बहुमत द्वारा होता था जिनकी ईमानदारी तथा लोकप्रियता को सभी लोग स्वीकार करते हों (सतो बहुव धुषयो अनुमत वा ततो निबन्धेषु) [III ९] ।

इसी प्रकार स्थानीय पक्षों की समितियों द्वारा निम्नलिखित स्थानों से सम्बन्धित विवादा का निबटारा किया जाता था (१) तपोवन (२) विहीत अर्थात् चण्ड्याह, (३) महत्त्व अर्थात् बड़ी-बड़ी सबके (४) इमदान (५) वैशकुन्त, अर्थात् मन्दिर, (६) यज्ञस्थान, तथा (७) पुण्यस्थान ।

म्याप करते समय कटनास्थान पर उपस्थित लोगों की सारी की सबसे अधिक महत्त्व दिया जाता था (सर्व एव विवादाः सामन्तप्रयायाः) (III ९) ।

साम्प्रदायिक तथा स्थानीय जमानकारी के इन सिद्धान्त को बाद के धर्मशास्त्रकारों ने भी स्वीकार किया है । जैसे मनु (VIII १२ २५८ २६२ २५९ २६ ) यातकस्य (II १५०-२) बृहस्पति (II २५-७) और शुक्लीति में (IV ५ २८) जिनमें कहा गया है कि 'वनवासियों के विवादों का निर्णय वनवासियों की सहायता से व्यापारिका के विवादा का व्यापारियों की सहायता से सैनिकों के विवादा का सैनिकों की सहायता से किया जाना चाहिए' । इस प्रकार विवादों तथा उनके निबटारे के मामलों में समाज का हर वर्ग स्वशासित था ।

विधि के उदाहरण विवाह क्रौटिल्य ने मात्र प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया है—ब्राह्म, प्रजापत्य, मार्ग ईव पौषर्ष आगुर, राजसूय, तथा वैशाख । ब्राह्म

विवाह में कड़की का बहेम उसका पिता द्वारा अपनी इच्छा से उम्र प्रमपूर्वक दिया जा उपहार होता था। आर्य विवाह की विशेषता यह होती थी कि उममें कन्या का पिता को मायों की एक जोड़ी (पो-मिचुन) उपहार स्वरूप दी जाती थी। उम उमय विवाह की यह पद्धति बहुत प्रचलित थी जिसका पता महास्यनीक के इन उचन से चलता है कि भारतीय विवाह की विशेषता यह होती थी कि उममें "बैसां की एक जोड़ी" उपहार में दी जाती थी [अम XXVII]। आसुर विवाह में कन्या के पिता का कुछ धन (शुष्क) दिया जाता था जिसके बदलमें वह अपनी कन्या का विवाह कर के मान कर देता था (शुष्कादानावासुष्ट) [III २]।

विवाहित स्त्रियों की सम्पत्ति तथा उनके अधिकार : स्त्रीधन में वृत्ति अर्थात् धरम-यापन के साधन तथा आवगम्य अर्थात् आनुषंग आदि दानों ही सम्मिलित थे। भूमि अर्थात् खेती की जमीन और कम से कम २ कार्पायन से अधिक की गहूँ रकम (हिरण्यादि) को जिस पृथी के रूप में कमाने से कुछ आय हो सकती थी वृत्ति माना जाता था। कम से कम २ कार्पायन की सीमा इमलिए निर्धारित कर दी गई थी कि इससे कम धन राशि से कोई आय नहीं हो सकती थी।

यदि पति रोग अथवा अपचा विपत्ति के समय या किसी संकट से बचने के लिए या किसी धार्मिक काम के लिए अपनी पत्नी की सम्पत्ति का उपयाग कर छंटा उसे वैध माना जाता था। पक्ष चार प्रकार की प्रतिष्ठित विवाह पद्धतियों के अंतर्गत जब किसी सम्पत्ति के दो सन्तानें हो जाएँ, या तीन वर्ष तक उमक द्वारा व्यव किया गया स्त्रीधन वापस नहीं लौटाया पड़ता था।

यदि किसी विवाह के सन्तान न हो तो वह अपने समुर की अनुमति से अपने पति के माई से विवाह कर सकती थी।

यदि वह अपने समुर की इच्छा के विरुद्ध किसी से दूसरा विवाह कर स तो अपना मूठ पति तथा समुर द्वारा दी गई सम्पत्ति पर उमका कोई अधिकार नहीं रह जाता था। यदि अपने पति के जीवित रहते कोई स्त्री उम छाड़कर किसी दूसरे से विवाह कर के (आतिहस्तत् अभिमुष्टा) तो दूसरे पति को उसके पहले पति तथा समुर द्वारा दी गई सम्पत्ति वापस लौटानी पड़नी थी।

यदि किसी विवाह के पुत्र मीजुद हो तो दूसरा विवाह करण पर उसे अपनी सम्पत्ति अपने पुत्र का दे बनी पड़ती थी [III २]।

पुनर्विवाह कौटिल्य एक विवाह के पस में था। उसने सन्तान कचका पुत्र प्राप्त करने के लिए ही दूसरी पत्नी से विवाह करने की अनुमति दी थी।

विधेय भेव दिए गए राज-कर्मधारी (राज-पुष्टवम्) को छोड़कर यदि कोई व्यक्ति बीर्बकाक तक अपनी पत्नी से बलग रहे तो वह विवाह नम हो सकता था।

यदि पति संन्यासी हो जाए या बिना कोई सन्तान छोड़े मर जाए तो स्त्री दूसरा विवाह कर सकती थी। सन्तान होने पर भी यदि पति दीर्घकाल तक उससे अलग रहे तो स्त्री दूसरा विवाह कर सकती थी।

परन्तु पुनर्विवाह मृत पति के सम्बन्धियों तक ही सीमित था। अथवा के क्रम से मृत पति के भाइयों को सबसे उचित पात्र समझा जाता था। यदि ऐसा सम्भव न हो तो उसी मोक्ष के निकटतम सम्बन्धी से विवाह हो सकता था। यदि कोई स्त्री किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेती थी (बेदने) जो उसके पहले पति का सम्बन्धी न हो तो जो व्यक्ति कन्यादान करता था (दत्त) और जो उस स्त्री से विवाह करता था उन दोनों ही को बंध दिया जाता था।

यदि कोई स्त्री किसी अन्य पुरुष के साथ अवैध ढंग से रहती थी (आर कर्मणि) तो दोनों पर (आर-स्त्री) जारी—का अभियोग लगाकर मूक्यमा बनाया जाता था (अपमृत)।

बारह वर्ष की अवस्था प्राप्त कर लेने पर लड़की को और १६ वर्ष की अवस्था प्राप्त कर लेने पर लड़के को बालिग (प्राप्त-व्यवहारा) मान लिया जाता था [III १]।

उत्तराधिकार माता-पिता के जीवित रहते-पुत्रों का सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता था।

पिता की सम्पत्ति केवल पुत्रों को उत्तराधिकार में मिलती थी। पुत्रियों को नहीं। यदि कोई पुत्र न हो सभी पुत्री को सम्पत्ति पाने का अधिकार होता था। ऐसी दशा में पुत्रियों के साथ-साथ उत्तराधिकार में मृत व्यक्ति के भाइयों का भी हिस्सा रहना था [III ५]। मेगास्थनीज ने भी कहा है "पिता का उत्तराधिकार पुत्रों को मिलना है [अस LXVII]।

अपने जीवनकाल में सम्पत्ति का बटवारा करते समय कोई व्यक्ति किसी एक पुत्र के साथ परंपरा नहीं कर सकता था (नैर्धं विप्रोचयेत्) बल्कि उसे सबके साथ समान व्यवहार करना पड़ता था। जब तक कोई पर्याप्त कारण न हो तब तक वह किसी पुत्र को उत्तराधिकार से बंथित भी नहीं कर सकता था। इससे यह संकेत मिलता है कि उत्तराधिकार से बंथित करने का अधिकार था।

विविध प्रकार के पुत्र पुत्र अनेक प्रकार के बताये गए हैं (१) औरत स्वामाधिक बंध पुत्र (२) बुद्धिकान्-पुत्र जिस पिता के कोई पुत्र न हो उसके द्वारा पुत्र-सन्तान को जन्म देने के लिए नियुक्त की गई कन्या का पुत्र (३) दत्त, दासजीन विधि-सम्कारों के अनुसार माता-पिता द्वारा किसी ऐसे दूतरे व्यक्ति को दिया गया पुत्र जो उसे अपने पुत्र के रूप में जीवित से ले (४)

उपगत, जो स्वयं विधी का पुत्र बनने की दृष्टि प्रकट करने और वह उम गोर से ले (५) वृत्तक, जिस विधा विधी विधि-अस्कार के स्मृतपूर्वक पुत्र मान लिया जाए (६) शीत जिसे उसका माता-पिता से लरीदकर मोद स लिया जाए (७) शेषक, पुत्र उत्पन्न करने के लिए निवृत्त किये गए (निवृत्तेन) विधी दूसरे ध्यस्त्रि का अपनी पत्नी से पुत्र (८) मूडक, पति द्वारा किसी ध्यस्त्रि के निवृत्त किए गए विधा सम्प्रदायों के घर में मृत रूप से अपनी पत्नी के उत्पन्न होने वाला पुत्र (९) अपविद्ध जिस पुत्र को उसके माता-पिता ने त्याग दिया हो (उत्सृष्ट) और किसी दूसरे ध्यस्त्रि ने विधि-अस्कार द्वारा उसे गोद स लिया हो (१०) कालीन विवाह से पहले किसी कन्या के उत्पन्न होनेवाला पुत्र (११) छोड़, वह पुत्र जो विवाह के समय कन्या के घर में हो (१२) पौनर्म्य पुनर्विवाहित स्त्री का पुत्र [III ७] ।

यदि बन्ध किसी कोटि के पुत्र को गोद लेने के बाद किसी के स्वयं अपनी पत्नी से स्वाभाविक रूप से पुत्र उत्पन्न हो तो इस औरत पुत्र को अपने पिता की ही तिहाई सम्पत्ति पाने का अधिकार होता । उसी वर्ग के (सर्व) अन्य पुत्रों को एक-तिहाई सम्पत्ति पाने का और अन्य पुत्रों को जो दूसरे वर्ग की स्त्री के ही केवल अरथ-सोपन तथा बस्बादि अपरिच्छिन्नात्-अपड़ा पाने का अधिकार होता । सर्व पुत्र की परिभाषा यह की गई है, कि जो पुत्र पिता के वर्ग से एक वर्ग नीचे की माता से उत्पन्न हो जैसे ब्राह्मण पिता का क्षत्रिय माता से उत्पन्न पुत्र असत्त्व पुत्र कह होता है जो उससे भी एक वर्ग नीचे की माता से अपरिच्छिन्नेय माता से उत्पन्न हो ।

यदि कोई उच्च वर्ग का पुत्र अपने से निचले वर्ग की कन्या से विवाह करे, तो वह अनुत्तम विवाह कहलाता है । यदि कोई उच्च वर्ग से उच्च वर्ग की कन्या से विवाह करता है तो वह प्रतिस्त्री विवाह होता है । प्रतिस्त्री विवाह वर्ग के प्रतिफल (समातिफल) होता है और राजा को द्रम प्रचार का विवाह नहीं होने देना चाहिए । अन्यथा वह नरक में जाएगा (नरकमम्यथा) ।

भिन्न वर्गों की संतानों (अन्तरात्) को उत्तराधिकार में बराबर-बराबर हिस्सा मिलता है [III ७] ।

सहकारिता के नियम : ग्रामीण जीवन का नियम करने के लिए अनेक शिष्टक नियम बना दिए गए थे ।

जो लोग बुरे नाथ के शिष्य के कार्यों में अपना निरिच्छित योगदान नहीं देते वे उन्हें क्षुण्णता देना पड़ता है । यदि कोई काम्यकार क्षम में अपना योगदान नहीं करता है (अक्षुण्णता) तो उसे जिसकी मजदूरी (कर्मवेतन) मिलने वाली होती है उसका दुकान उसे क्षुण्णता देना पड़ता है । जो व्यक्ति निरिच्छित भाग

के अनुसार पूर्वी जपदा वन के रूप में जपदा योगदान नहीं करता या उसे उसकी पुगुनी रकम जूरमनि में देनी पड़ती थी। जिसे छाने-पीने की चीजों के रूप में योगदान करना होता था यदि वह उसे पूरा नहीं करता या तो उसे गाँव के सामुदायिक भोजनों के लिए (प्रबहुभेषु गोष्ठी-भोजनानिद्यु) बिनक लिए उन चीजों की आवश्यकता थी और उसने देने का बचन दिया था उससे दुगुनी मात्रा में वे चीजें देनी पड़ती थी।

यदि कोई व्यक्ति पूरे गाँव द्वारा आयोजित सार्वजनिक मनोरंजन (प्रेसा) के लक्ष्य के लिए, जैसे संगीत मृत्य आदि के लिए जपदा हिस्सा नहीं देता या तो उस तथा उसके रिश्तेदारों को वहाँ मुसने नहीं दिया जाता (सम्बन्धनों न प्रेसेत)। यदि वह फिर भी कुछ-छिपकर उस कार्यक्रम को बेजाने का प्रयत्न करता था तो उससे बितने बरि की मात्रा की जाती थी उसकी दुगुनी उच्चतम जूरमनि में देनी पड़ती थी।

यदि कोई व्यक्ति पूरे गाँव के हित के लिए किए जाने वाले किसी काम में योगदान नहीं करता था (सर्वहिते कर्मणि निग्रहेषु) तो उसे प्रति व्यक्ति के लिए निर्धारित योगदान की दुगुनी रकम जूरमनि में देनी पड़ती थी।

यदि कोई व्यक्ति पूरे गाँव के कल्याण के लिए (सर्व-हित) कोई काम करता था तो सबको उसकी बात माननी पड़ती थी। जबका करण वामे पर १२ पत्र जूरमनि किया जाता था।

एक नियम यह भी था कि यदि गाँव का मुखिया (ग्रामिक) किसी सार्वजनिक काम से (ग्रामाण) नहीं बाहर गया हो तो गाँव के खेती-बारी के कामों से सम्बन्धित उसके दायित्व का भार बारी-बारी से वे लोग उठाएँगे जो गाँव के बतनबोधी कर्मचारियों के रूप में (उपबाराता) अपनी जीविका कमाते हैं।

अंत में यह भी कहा गया है कि राजा का यह कर्तव्य है कि वह ग्राम-वासियों के ऐसे संगठनों को कुछ रियासतें दें जो आपस के समझौते (सन्धय) द्वारा गाँव में समाजोपयोगी (बेसह्निताम्) काम करने का बीड़ा उठाएँ, जैसे खेती-बारी में बृद्धि (सिद्धि, जिसकी व्याख्या II ६ में की गयी है) सड़कों पर पुनों का निर्माण (बन्धि संकमान्) जबका गाँव की सीमा बढ़ाने तथा उसकी रक्षा के लिए कोई काम (ग्रामघोभाउच रसात्थ)।

उप्य द्वारा इन कार्यों को दी जाने वाली सुविधाओं में एक सुविधा यह भी शामिल थी कि सहकारिता तथा पारस्परिक हित की भावना से बंक्ति उपर्युक्त प्रकार के लोगों पर जो जूरमनि किया जाए वह राज्य को न मिलकर, स्वयं उस गाँव को मिल जाए [III १]

जब तथा ध्यात्र ध्यात्र की वीच (वर्ग्य) दर १५ प्रतिमत्त प्रति वर्ष

कटाई गई है। जैसा कि टीकाकार ने बताया है यह दर कदाचित् उन ऋतुओं के लिए भी जो कोई भीज गिरवी रत्न बर (बन्नाबालपूर्व) प्राप्त किए जाते थे। व्याज की दरों में जो अत्यधिक अंतर या उसका कारण इस बात से मासूम हो जाता है। व्यापारी (व्यापहारिक) व्याज की दर ५ प्रतिशत प्रति माह दुर्लभ स्थानों से मायी गई चीजों का क्रय-विक्रय करने वाले व्यापारियों के बीच (कन्तारगणा दुर्गममार्त्यरष्यबाहितां बन्निजाम्) १० प्रतिशत और समुद्री (समुद्र) व्यापार करने वालों के बीच २ प्रतिशत बताई गई है।

निर्धारित दर से अधिक व्याज लेने वाले को दंड दिया जाता था। जो शेष इस प्रकार की अनुचित दर पर लेन-देन के सखी होते थे (श्लोकधाम्) उन पर भी जुर्माना किया जाता था [III ११]

**कृत्रिम-व्यय** यदि किसी व्यक्ति को अनाज उधार दिया जाए और यदि वह उसे फसल के समय वापस लौटाए (सत्यमिष्यती) तो उससे व्याज के रूप में (बान्ध-वृद्धि) उधार दी गई मात्रा के आधे से अधिक अनाज नहीं लिया जा सकता था।

यदि व्याज फसल के बाढ़ बढ़ा किया जाए, तो ऋण का हिसाब मकद रकम के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता था (सूक्ष्मज्ञता)।

किसी मने समझौते के अन्तर्गत ऋण पर व्याज की मात्रा (प्रक्षेपवृद्धि) मूलधन के मूल्य के आधे से अधिक नहीं हो सकती थी (उदयाद्मर्ष)।

यदि ऋण देनेवाला (फसल के समय) चुकाने के लिए न कहे (सन्निबाल-धर्मा) जबकि ऋण देनेवाला उसे आसानी से चुका सकता है तो ऋण देने वाले को केवल एक वर्ष का व्याज पाने का अधिकार होगा उसके बाढ़ उस ऋण पर कोई व्याज नहीं बढ़ेगा (बायिकी हैय)।

जो लोग किसी शीघ्र सामना में संलग्न हों (शौर्यतत्रा) या रोगी हों या सिला के लिए अपने घर से अलग अपने गृह के महाँ रहते हों (बुधन्तुलोपच्छ) या जो नाबालिग हो या जिनके पास कुछ न हो (असार) तो उनके ऋण का व्याज मूल ऋण की राशि में जोड़कर, उसमें वृद्धि नहीं की जा सकती (ऋणम् न वर्धेत)।

काष्ठातीतता जबका ऋण की तमाही यदि कोई ऋण बस वर्ष के भीतर बसूल न कर किया जाए तो उसके बाढ़ वह बसूल नहीं किया जा सकता था। परन्तु यदि कोई ऋण देनेवाला ऋण की बसूमी के लिए कार्रवाई न कर सकता हो जैसे यदि वह नाबालिग हो या बहुत बूढ़ा या बीमार हो या कहीं परदेस चला गया हो (प्रोबित) या रेल छोड़कर चला गया हो (वेगस्याप) या राज्य में विप्लव की परिस्थिति हो (राज्य-विभ्रम) तो उसके लिए समय की यह सीमा लागू नहीं की जाती थी [III ११]।

कायलकारों तथा राजकर्मचारियों (राजपुरुषाः) को काम करते समय (कर्मकालेषु) शून्य अथवा न करने के अपराध में विरूप्यार नहीं किया जा सकता था (अपमृक्त) ।

बरोहर : यदि कोई बरोहर (अपनिधि) ऐसी परिस्थितियों के कारण लो बाए जिनकी जिम्मेदारी बरोहर के रखवाले पर न हो तो वह बरोहर वापस नहीं माँगी जा सकती थी । इन परिस्थितियों की व्याख्या इस प्रकार की गई है— (क) यदि शत्रु अथवा अन्य जातियाँ (आह्विक) समस्त नगरों तथा देहातों सहित उस देश पर कब्जा कर लें (ख) यदि शत्रु (प्रतिरोधक) उस गाँव को उसके व्यापारिक मार्ग के भँडारों को (सार्थ अथवा बन्धु-संस) को तथा उसकी पशुशाकाओं (इत्र) को लूट कर दें (ग) उसके साथ कोई बोल्ला करे या वह मरनाक हो जाए, (घ) आग लग जाने या बाढ़ आ जाने के कारण गाँव को क्षति (आबाध) हो और (च) मार्ग से लूटा हुआ अथवा डूब जाए या समुद्री शत्रु उसे लूट लें [III १२]

शीर्षकाल तक उपमोय के पञ्चस्वस्व सम्पत्ति पर अधिकार शीर्षकाल तक किसी सम्पत्ति का उपमोय करने के पञ्चस्वस्व उस पर स्वामित्व हो जाने के बारे में भी कुछ नियम बना दिये गए थे । यदि कोई व्यक्ति उस वर्ष तक अपनी सम्पत्ति की ओर कोई ध्यान न दे और कोई दूसरा व्यक्ति उसका उपमोय करता रहे तथा वह उसके स्वामित्व में रहे तो उस सम्पत्ति के मूल स्वामी को उस पर कोई अधिकार नहीं रह जाता था जब तक कि इस परिस्थिति का कारण यह न हो कि वह नाबालिग हो या बहुत बूढ़ा हो या कहीं बाहर रहता हो या राज्य में असाक्षि फैल जाने के कारण बेश छोड़कर चला गया हो । अथवा सम्पत्ति के स्वामित्व का अधिकार प्राप्त करने के लिए बीस वर्ष तक उस पर स्वामित्व रहना आवश्यक था [III, १५] ।

मानहानि : इस शीर्षक के अन्तर्गत ये अपराध गिनाये गए हैं उपबाध (मानहानि) कृतान्त (विरस्कारपूर्ण बात या अपमान) और अचिन्तन (गाली या बमकी) । किसी भी प्रकार का अपराध कहने पर, चाहे वह सच हो या झूठ अपराधी को बँड दिया जा सकता था ।

बमकी : यदि कोई किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचाने की बमकी देता या तो उसे वह क्षति पहुँचाने पर जितना बँड मिलता उसका आधा बँड दिया जाता था [III ८] ।

विप्या लीछन : किसी व्यक्ति के ज्ञान (शुश्रीपवाद) या वेद्ये (शुशुपवाद) के बारे में झूठे कहानी कहनेवालों (बाग्वीचन) दस्तकारों (बाध) या कर्म-कारों तथा गर्तकों (कुञ्जितव) के बारे में कोई अपमानजनक बात कहने पर

दंड दिया जाता था। यदि किसी व्यक्ति के किसी क्रूरतायुक्त स्थान का निवासी होने के कारण उसका अपमान किया जाए (अनपरोपवाद), तो भी अपमान करने वाले को दंड दिया जा सकता था। अपमान सुषुक्त देशों तथा जातियों के उदाहरणों के रूप में कौटिल्य ने प्रायुष्यक तथा गान्धार का उल्लेख किया है। प्रायुष्यक उमरवेम का नाम है जो हूणन नामक देश के पूर्व में स्थित है जिसे टीकाकार के अनुसार, सोम नाम बोकवास में अष्टाक्षरायु भी कहते थे। गान्धार तथा उसके भी जाने के देश के उल्लेख में इस बात का एक और प्रमाण मिलता है कि कौटिल्य को अपने अग्रस्थान के बारे में कितनी अधिक जानकारी थी। [III १८]।

बिबिच अपराध बौद्ध को भोजन देना अन्य बिबिच अपराधों में कौटिल्य ने किसी पूजा अथवा श्राद्ध के अवसर पर (विश्वपितृ-कार्येषु) धारणों (बौद्धों) माजीवकों, शूद्रों तथा प्रशक्तियों को भोजन करने के अपराध का भी उल्लेख किया है और इस अपराध की दंडनीय छद्मता है [III २]।

फौजदारी का कानून : फौजदारी के कानून की व्यवस्था के लिए कष्टक-घोषक शब्द का प्रयोग किया जाता था [IV १]। इसके अंतर्गत जो अपराध होते थे उनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं। चोरी हत्या संभ्रमना या अदरिस्ती किसी के घर में घुस जाना किसी को बिराह देना किसी को हानि पहुँचाना सम्पत्ति को हानि पहुँचाना अपनी लापरवाही के कारण किसी को हानि पहुँचाना कर्मचारियों द्वारा धाकड़ तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य-कर्मों को इच्छानुसार चढ़ाने या फिराने के लिए संभ्रमना या भाप-तोक के मानदंडों के सम्बन्ध में धाकड़-घाबी करना। इन सब मामलों में दंडनीयता (प्रदोष्यता) अथवा राजस्व तथा पुण्ड्रिच विभाग के अधिकारियों की सहायता के लिए कुष्ठचरों तथा इस प्रकार के अपराध करने वालों के बीच कुष्ठकर उनका मेद लेने वालों का बहुत बड़ा कर्म चाली-नडक काम करता था जिसका कि उल्लेख पहले किया जा चुका है।

उदाहरण कुछ विशेष कानूनों के उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं।

भिरफ्तारी जब तक कि अपराध का कोई बहुत पक्का प्रमाण मौजूद न हो तब तक किसी अपराध के बटित होने के समय से तीन दिन बीत जाने पर किसी व्यक्ति को उस अपराध के सबेह में (अधिकृत) बिरस्तार नहीं किया जा सकता था (भिरात्रापूर्व अग्रहण)। किसी पर केस सबेह होने के कारण उसे बिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। इसके पीछे दलील यह थी कि ३ दिन बीत जाने पर बहुत-से आवश्यक प्रमाण गप्ट हो चुके होंगे और उसके बाद जिस व्यक्ति पर अपराध का सबेह हो उससे सवाध-वबाध करने से कोई काम नहीं होता और इस बीच में अपराध की छिद्र करने वाले बीबार जादि ऐसे लोगों के साथ पहुँचाए

जा चुके होंगे तब पर उस अपराध का संदेह भी न किया जा सके (परिष्ठा नावाहन्वज्रोपकरमवर्धनात्) [IV ८] ।

उकतावा अपराध के लिए उकसाने वाले को बीसे किसी हत्यारे अथवा चोर को लामा-कपड़ा (अस्तवास) तथा माक आदि बीसे बीजों देनेवाले को या उन्हें सूचना अथवा परामर्श देनेवाले को दंड दिया जाता था [IV ११] ।

बिना लाइसेंस (अनुज्ञा) के कोई बीज बेचने पर भी दंड दिया जाता था । यदि किसी अनधिकृत स्थान पर कोई बीज बिक्री के लिए जमा करता था तो उसका सारा माक जब्त कर दिया जाता था [IV २] ।

मिठावट : जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं, किसी बीज में किसी भी प्रकार की मिठावट करनेवाले को भी दंड दिया जाता था बीसे किसी पुरानी बीज को नई कहकर बेचना [IV २ तथा ६] बहुत गम्भीर, घटिया तथा बिसेही माक को शुद्ध प्राकृतिक बकिया तथा स्वदेसी कहकर बेचना और विशेष रूप से खाने पीने की चीजों में मिठावट करना अपराध था [IV ९] ।

व्यापारियों की सुरक्षा : व्यापारियों के कारखानों (कारिखतः) को पाँच में उनके लिए निरिष्ट स्थान में ठहरना पड़ता था और पाँच के मुलिया (ग्राम-मुख्य) को अपने माक की कीमत बतानी पड़ती थी । यदि कोई बीज को चाटी भी या लट्ट हो जाती थी तो पाँच के मुलिया (ग्रामस्वामी) को उस क्षति की पूर्ति करनी पड़ती थी । यदि चाटी अथवा क्षति बीज के बाहर उसकी सीमा के निकट होती थी तो उस क्षति की पूर्ति किसीताप्यन्त को करनी पड़ती थी । यदि यह दुर्बलता उसके भी अधिकार-क्षेत्र के बाहर होती थी तो चौररन्मुख नामक अधिकारी को उस क्षति की पूर्ति करनी पड़ती थी । यदि क्षति किसी ऐसे स्थान में होती थी जहाँ ऐसा कोई अधिकारी न हो यदि वह किसी अर्जित स्थान में भी होती थी, तब भी उस क्षति की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति पर पड़ती थी जिसकी ईसमाक में वह "बो सीपारों के बीज का अर्जित स्थान" होता था । इसे सीमा-स्वामी कहते थे । यदि वह भी तमब न हो तो बास-पास के पाँच या दस पाँचों के लोगों को उस क्षति की पूर्ति करनी पड़ती थी । इस प्रकार यह अपराध प्रायः तथा सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए एक प्रकार का बंध-कर था [IV ११] ।

इस प्रकार व्यापारियों के लम्बे-लम्बे कारखाने बीरे-बीरे दिग् के समय भी और रात के समय भी पूर्ण सुरक्षा के आरक्षण के साथ विभिन्न प्रदेशों को पार करते हुए पाठलिपुत्र के बन्धुपार तक जाते थे । एक प्रदेश की सीमा समाप्त हो जाने पर, उन प्रदेश के प्रहरी उनकी रक्षा का भार दूसरे प्रदेश के प्रहरीयों को सौंप देने में । यातायात की इस सुगता के कारण देश में व्यापार की वृद्धि बहुत बढ़ि हुई होगी ।

मातापिता सम्बन्धी नियम : मातापिता के सम्बन्ध में बहुत ही दिक्कत नियम था यदि कोई सारथी किसी राहुवीर को "हट जाओ ! हट जाओ !" (अपेहि ! अपेहि ! ) कहकर रथ के जाने की चेतावनी देता जाता हो तो टक्का हो जाने पर भी (सम्पत्तने) उसे बंध नहीं दिया जाता था [IV १३]। मही बात हाथी के महाबल पर भी सामू होती थी।

मार्ग अवरुद्ध करने पर या सिंघाई के पानी का प्रवाह रोकने पर (कर्मविक-कार्यसम्पत्तः) भी बंध दिया जाता था [IV १०]।

भोरों से रखा उस जमाने में भी जेबें काटी जाती थी (ब्रह्मिभेव) और इस अपराध पर कठोर बंध दिया जाता था [IV १०]।

प्राण तथा सम्पत्ति की रक्षा का भार एक विमान के जिम्मे था जिसके प्रमाण को प्रवेष्टा कहते थे। उसके अधीन काम करने वाले कर्मचारियों में दो प्रकार के अधिकारी होते थे धोप तथा स्वामिक। जिस प्रकार नगर के भीतर (अन्तर्बुर्ज) भोरों से रक्षा करने की जिम्मेदारी नगर के मेयर (नायरिक) की होती थी उसी प्रकार बेहूतों में (बाह्य) भोरों का पता लगाने की जिम्मेदारी इन धोप तथा स्वामिक नामक अधिकारियों की होती थी [IV ४]।

शान्ति तथा सुख्यवस्था : मूलानी कैज़कों की साखी उस समय पूरे देश में शान्ति तथा सुख्यवस्था की जो सामान्य परिस्थितियाँ थीं उनका वर्णन मेगास्थ नीज ने किया है। भारतवासियों की ईमानदारी के प्रमाण के रूप में म्बायात्म्यों के सम्मुख जाने वाले विवाहों की अल्प संख्या का उल्लेख करते हुए उसने यहाँ तक कहा है कि "नाम तक किसी भी भारतवासी को झूठ बोलने का बंध नहीं दिया गया है" [अंश ३५]। उसने यह भी कहा है कि 'भारतवासी मुकदमेबाज नहीं होते हैं। किसी के पास कोई बरोहुर रखते समय यवाहों की या उस चीज पर मुहर लगाने की आवश्यकता नहीं समझी जाती। वह दूसरे पर विश्वास करके ही उसके पास बरोहुर रखता है। आम तौर पर उनके बरों की रखावामी करने के लिए कोई नहीं होता।

साबो [XV ५३] ने लिखा है 'मिनास्कीव वैन्डोकोट्टोस (चंद्रगुप्त) के पड़ाव में रहा था जिसमें ४०००० सिपाही थे और उसका कहना है कि उसने यह बात देखी थी कि किसी भी दिन २० ब्रासमाई (= सगम १ इयमे) से अधिक की बोरियों की सिकावतें नहीं आती थीं।

जानेसिक्टस के कथनानुसार सिंध में हुएया अथवा मारपीट के अतिरिक्त और किसी बात का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। 'हम हुएया या मारपीट से रोक पाम का तो कोई उपाय नहीं कर सकते परन्तु यदि हम सहज ही किसी पर बरोहा कर लेने के कारण बोला जा जाएँ तो बोल हुआ ही होगा। आरंभ

में हमें बहुत ध्यानधान रहना चाहिए, कि कहीं हम नगर में मुकदमों की भरमार न कर दें" [साबो XV ७०२]। मुकदमों करने की सुविधाओं का यह अभाव देश के सभ्य नैतिक स्तर का सूचक है। साबो ने लिखा है (उपसुक्क) 'उनके कानूनों तथा उनके करारों की धारणी इस बात से सिद्ध होती है कि वे धायर ही कमी म्यामात्तया की धरण में जाते हैं। जाये बसकर उसने फिर लिखा है "वे बहुत बड़ी अस्पष्टता भीड़ को पसन्द नहीं करते और इसलिये वे सुस्पष्टता के नियमों का पालन करते हैं।

मेगास्थनीज ने यह भी लिखा है [अंश XXVII] "मारतवासी न तो सूय पर पैसा देते हैं और न ही वे उधार लेना जानते हैं। किसी के साथ कोई अत्याय करना या किसी अत्याय को सहन करना आचार-व्यवहार के प्रतिष्ठित मानदंडों के विरुद्ध है और इसीलिए न तो वे कोई कानूनी लिखा-पढ़ी करते हैं, और न उन्हें किसी की जमानत की आवश्यकता पड़ती है।

बंड-संहिता परम्पु धान्ति तथा सुस्पष्टता की इस व्याप्त मायता के साथ एक कठोर बंड-संहिता का होना कोई असंगत बात नहीं थी और क्याचित् इसी के कारण यह धान्ति तथा सुस्पष्टता कायम थी। कुछ अपराधों में बंड के रूप में अपराधी के अंग काट दिए जाते थे। साबो ने लिखा है "यदि कोई व्यक्ति झूठी गवाही देता था और उसका यह अपराध सिद्ध हो जाता था तो उसके हाथ-पैर काट लिए जाते थे। यदि कोई जादूमी किसी दूसरे व्यक्ति के किसी अंग को बेकार कर देता था तो उसका न केवल वही अंग काट दिया जाता था बल्कि उसका एक हाथ भी काट लिया जाता था। यदि कोई किसी कारीगर के हाथ या उसकी जाँच को नष्ट कर देता था तो उसे मृत्युदंड दिया जाता था।" अर्बशास्त्र के दो अध्यायों में [IV ८ तथा १०] विभिन्न प्रकार की संभ्रामों (संकाक्य-कर्मानिपण) तथा अंध-विच्छेद (एकीवच) का उल्लेख किया गया है, पर इस प्रकार के शारीरिक दंडों के बदले में जुमनि आदि का उपबंध करके अंग काट देने के दंड को निरर्थक कर दिया गया है।

म्याय की निष्कलकता : इसके लिए समाहूर्ता तथा प्रवेद्या नामक प्रधान अधिकारियों के अहीम म्याय के प्रघासन के कठोर निरीक्षण की व्यवस्था की गई थी [IV ९]।

म्यायाधीशों के अपराध : यदि कोई म्यायाधीश (मर्मत्व) म्याय करते समय गरीब पर भीषण बर्ताव (तर्जवति) उसे डाँटकर (मर्त्तपति), म्यायालय से निकालकर (अपतारपति) या तिड़ककर, बचवा अपमानित करे या गामी देकर कोष का प्रदर्शन करता या (बाकपाइय) तो उसे दंड दिया जाता था।

यदि वह ऐसे प्रश्न नहीं पूछता वा जो पूछे जाने चाहिएँ, या ऐसे प्रश्न पूछता वा जो नहीं पूछे जाने चाहिएँ, या स्वयं उसके हाग पूछे गए प्रश्नों के उत्तर की ओर ध्यान नहीं देता वा या किसी गवाह को सिखा-पढ़ाकर उसके छापी विष-बाधा वा या उसे किसी प्रश्न का उत्तर बताता वा या किसी भी प्रकार का संकेत देता वा (पूछद्वयं न पूच्छति अपूच्छम् पूच्छति पूच्छ्वा वा किमुचति प्रिसयति स्मारयति पूर्वं ददाति भेति) तो भी उसे दंड दिया जाता वा ।

किसी म्यायाधीश के लिए इससे भी बड़ा अपराध यह वा कि वह किसी गवाह से ऐसे प्रश्न पूछे जिनका उस विवाद से कोई सम्बन्ध न हो (अवेयं वैच पूच्छति) गवाह की बात को घुटिगत रने बिना विवाद का निर्णय करे (कार्ये अवेद्येन अविवाह्यतिसाक्षिम निर्णय निर्णयति); किसी छप्ने गवाह को प्रसन्न विद्या में से जाए (उत्तमेन अतिहुरिति सत्यवाहितमपि साक्षिणं उत्तवागयेन अप-राधयति) विवाद के दोनों पक्षों को इतना भय दे कि वे अपना बीयं प्यो बैठे और स्वयं में इतना विकम्ब करे कि वे विषय होकर म्यायालय से चले जाएँ (कालहुरभेन धाम्तम् अपवाहयति) गवाह ने कथय्य जिस कर्म से दिए हों उन पर उची क्रम के अनुसार विचार न करके समस्या को उत्तथा दे (मापयिष्य तन पर उची क्रम के अनुसार विचार न करके समस्या को उत्तथा दे (मापयिष्य बत्तयं अपरिषक्त-कर्म साक्षिवालयं उत्कम्पयति) वा गवाह को संकेत देकर तथा अपेक्षित उत्तर बताकर उसकी सहायता करे और इस प्रकार उसके साथ घाट-बाँठ करे (मति-साहाय्यं साक्षिम्यो ददाति) और अंतिम बात यह कि किसी ऐसे विवाद पर, जिस पर पहले निर्णय हो चुका हो फिर से विचार आरंभ करे (वारिक्तानुसिप्टं कार्यं पुनरपि गृह्णाति) यदि कोई म्यायाधीश बार-बार इस प्रकार के अपराध करता वा तो उसे परच्युत कर दिया जाता वा (स्वामान् म्यबरोमकम्) [XVI ९] ।

गवाहों में उत्कन्ध-धेर करना : जैसा कि हम पहले बता चुके हैं गवाहों के कथनों को सही-सही दर्ज न करके उनमें उत्कन्ध-धेर करने या उनके कथनों को बाद में बदल देने पर म्यायालय के उस लेखक को उसके अपराध की संभारणा के अनुसार दंड दिया जाता वा ।

मनुस्मृति तथा दण्ड स्मृतियों की तुलना में कौटिल्य के नियमों की प्रयातता : ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य ने जिस समाज के लिए नियम बनाए थे वह मनु तथा याज्ञवल्क्य की स्मृतियों के समाज से बहुत पुराना वा । किसी भी समाज व्यवस्था का एक से बुनियादी तथा मूलमूल तत्त्व विवाह-सम्बन्धी तथा समाज में रिश्तों के स्थान से सम्बन्धित नियम होते हैं । जैसा कि हम पहले बता चुके हैं इस मामले में कौटिल्य के नियम उन सामाजिक प्रथाओं पर आधारित हैं, जो मनु तथा याज्ञवल्क्य की स्मृतियों में

प्रतिनिधित्व होने वाले बाब के समाज की अपेक्षा वैदिक समाज के अधिक निकट है।

**बिबाह-विच्छेद :** उदाहरण के लिए, जबकि स्मृतियों में तलाक की कल्पना करना भी असंभव है कौटिल्य ने कुछ परिस्थितियों में उसे उचित ठहराया है। इसमें ही संदेह नहीं कि मनु ने पुरुष को यह अधिकार दिया है कि वह अपनी पत्नी को तलाक देकर दूसरा बिबाह कर सकता है परन्तु स्त्री को इसका अधिकार नहीं है। मनु के मतानुसार, 'यदि कोई पत्नी मदिरोपाम करती हो जिसका आचरण अनैतिक हो जो अपने पति के प्रति भ्रूणा प्रकट करती हो जो वृष्ट प्रभृति की हो या अपनी सम्पत्ति का दुष्प्रयोग करती हो उसे उसका पति तलाक दे सकता है और उसके स्थान पर दूसरी पत्नी ला सकता है' [II ८]। मनु ने ऐसी भी कुछ परिस्थितियाँ बतायी हैं, जब पति कुछ समय के लिए अपनी पत्नी को छोड़कर जा सकता है। परन्तु उपर्युक्त स्मृतिकारों ने तलाक देने या छोड़कर बच्चे बाले के ये अधिकार केवल पति के लिए ही सीमित रखे हैं और स्त्री को इन अधिकारों से सर्वथा वंचित रखा है। स्त्री का कर्तव्य यह बताया गया है कि उसे इस जीवन में और जीवन के बाद भी बिना कोई शका किए या कोई दर्द कषाय, अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए तथा उसके प्रति एकनिष्ठ रहना चाहिए [मनु, V १५१ १५४ IX ७७-७८ V १४८ ब्राह्मवस्त्रय I ७५, ७७]। परन्तु कौटिल्य ने स्त्रियों की पुरुषों के समान अधिकार देकर अधिक बुद्धिसमय तथा मानवीय भावनाओं के अनुकूल व्यवस्था की स्थापना की है। कौटिल्य ने कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्री के लिए अपने पति को तलाक दे देना उचित ठहराया है। इनमें से एक परिस्थिति यह है कि बेटों अपनी निरन्तर पारस्परिक शत्रुता के कारण पर तलाक के लिए सहमत हों (परस्परं हवस्त मोक्ष) [III ३] ताकि वे अपना वैवाहिक जीवन नए धिरे से आरम्भ कर सकें। परन्तु यदि बेटों में से कोई एक पक्ष इसके लिए सहमत न हो तब कौटिल्य तलाक की उक्ति नहीं ठहराता। कौटिल्य के मतानुसार कोई स्त्री चाहे उसके हृदय में अपने पति के प्रति किनासा ही हव क्यों न हो उस समय तक तलाक नहीं दे सकती जब तक पति इस पर सहमत न हो जाए। न ही कोई पति चाहे वह अपनी पत्नी को कितना ही मायसद क्यों न करता हो उसकी इच्छा के विरुद्ध तलाक दे सकता था।

इसके साथ ही कौटिल्य ने पत्नी को इस बात का अधिकार दिया था कि यदि निम्नलिखित किसी कारण से उसका अपने पति के साथ रहना असंभव हो जाए, तो वह उनसे अलग हो सकती थी उसका पति "दुर्बलित (नीच) हो उसने पशुपनम पात्र लिए हा (वर्तित महत्प्रकृत्युपित) या वह हत्या

(प्राणाभिहृता) हो या गर्भसक (बन्नीज) हो या क्षय रोग से पीड़ित हो (राज किस्त्रिणी) या उस पर बृहसोरी अथवा राजरोह का अभियोग लगाया गया हो या वह कहीं विदेश बना गया हो [III २] ।

परन्तु कौटिल्य ने कड़ियों तथा समातन पद्धति के आदशों को बिल्कुल ही ख्याम नहीं दिया था क्योंकि विवाह की मान्य पद्धतियों में से बिनका उल्लेख पहले किया था चुका है, पहले चार प्रकार के विवाहों में वह ठकाक को स्वीकार नहीं करता था (अमौज्ञो बर्भविश्रुतानाम्) [II ३] ।

पुनर्विवाह : इसके अतिरिक्त स्त्रियों के पुनर्विवाह के सम्बन्ध में भी कौटिल्य तथा बाद के स्मृतिकारों में मतभेद है । मनु के अनुसार, बर्भसों में विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं दी गई है और विद्वानों ने उसे पसुओं के लिए ही उचित ठहराकर उसकी निरा की है [IX, १५, १६] । मनु ने यह बात भी जोर देकर कही है कि कन्या का विवाह केवल एक बार ही हो सकता है [IX, ५७] । वह विधवा को इस बात का भी अधिकार नहीं देते कि वह विवाह के प्रसंग में किसी दूसरे पुरुष का नाम भी से [V १५७] ।

इतना ही नहीं पत्नी वीर्यकाण्ड तक अपने पति की अनुपस्थिति के आचार पर, उसकी अनुपस्थिति का काल कितना ही कन्या क्यों न हो दूसरे पति से विवाह नहीं कर सकती [IX, ७६, ७८ याज्ञवल्क्य I ८९] । याज्ञवल्क्य ने कहा है कि अपनी पहली पत्नी से मर जाने के बाद किसी पुरुष के लिए दूसरा विवाह न करना एक अपराध है [I ८९] पर इन्हीं परिस्थितियों में स्त्री को दूसरा विवाह करने की इजाजत नहीं दी गई है । इसका बर्भस यह भी था कि दूसरा विवाह करने के अवार्थिक काम में उसका साम देने के लिए विधवा को अपने किसी सम्बन्धी का सहाय्य भी नहीं मिल सकता था और यदि वह अपने आप दूसरा विवाह कर लेती थी तो उसे स्वैरिणी ठहराया जाता था [I १३ १४ १७] । स्त्री का बर्भस यहाँ तक बताया गया था कि पति की मृत्यु हो जाने पर उसे सती होकर अपने प्राणों का अन्त कर देना चाहिए [I ८६] ।

मनु ने ऐसी स्त्री का उदाहरण दिया है जिसे उसका पति छोड़कर चला गया हो या जो विधवा हो गई हो और उसने दूसरे पति से विवाह कर लिया हो ऐसी दशा में इस विवाह से जो पुत्र उत्पन्न होया वह पौनर्भव अर्थात् 'बासना की संतान' कहलाएगा [IX १७५] । परन्तु वह स्पष्ट है कि कुमारी विधवा की पुनर्विवाह की अनुमति भी ( उपरोक्त १७६ ) ।

जैसा कि पहले बताया था चुका है कौटिल्य का मत यह था कि यदि पति कहीं चला जाए, तो उसकी पत्नी दूसरा विवाह कर सकती थी । पति की अनुपस्थिति का काल अल्प-अधम परिस्थितियों के अनुसार अल्प-अल्प निर्धारित किया गया

या जैसे यह कि उसका बर्ष क्या है, उस स्त्री के कोई संतान है कि नहीं या उसके भरत-नोपन की कोई व्यवस्था है कि नहीं (अप्रजाता अथवा प्रजाता प्रतिबिहिता या अप्रतिबिहिता)। यदि पति ब्राह्मण विद्याधी हो और विद्योपासन के लिए विदेश गया हो तो पत्नी को १ वर्ष तक प्रतीक्षा करना पड़ती थी और यदि उसके संतान हो तो १२ वर्ष तक। यदि पति राज-कर्मचारी हो और उसे राज्य के किसी काम से विदेश भेजा गया हो तो स्त्री दूसरा विवाह नहीं कर सकती थी। यदि प्रतीक्षा की उपर्युक्त अवधि बीत चुकी हो तो स्त्री उसी वर्ष के किसी व्यक्ति से दूसरा विवाह कर सकती थी ताकि उसका बंधनम बचता रहे। यदि पति की अनुपस्थिति के कारण किसी स्त्री के पास भरत-नोपन के साधन न रह जाए और उसके सने-सम्बन्धी उसके भरत-नोपन का प्रबन्ध न करते हों और इसलिए वह अपनी भीदिका चलाने के लिए या अपने आप को विपत्तियों से बचाने के लिए दूसरा विवाह करने पर विवश हो तो वह अपनी परतद के किसी व्यक्ति से दूसरा विवाह कर सकती थी (यथेष्टं विभेत्) [III ४]। विवाह की उपर्युक्त चार मान्य पद्धतियों (वर्मविवाह) के अन्तर्गत उस कुमारी पत्नी को जिसका पति विदेश गया था हो निर्दिष्ट काल तक प्रतीक्षा करने के बाद जिसकी अवधि तीन माह से एक वर्ष तक रखी गई थी दूसरा विवाह कर लेने की अनुमति थी। परन्तु इससे पहले स्वाहात्म्य की अनुमति से विवाह को औपचारिक रूप से भंग करा लेना आवश्यक था (वर्मस्वैदितुष्य)।

उन स्त्रियों को भी दूसरा विवाह कर लेने की अनुमति थी जिनके पति बीर्बकाल से विदेश में हों (बीर्बप्रजातिनः) या संख्याही हो गए हों (प्रव्रजित) या मर चुके हों (मृत) [III ४], या पत्नी के कोई संतान न हो (कटुम्बकामा) ऐसी दशा में उसे अपने पहले ससुर तथा पति द्वारा दिये गए स्त्रीधन पर पूरा अधिकार रहता था [III २]।

रक्षोत्तर विवाह इस प्रकार के विवाहों को कौटिल्य तथा स्मृतिकारों दोनों ही ने उचित दृष्ट्यमा है पर इसके बारे में दोनों के दृष्टिकोण में अन्तर है। यदि कोई प्रौढ़ कन्या अपनी इच्छा से अपना बर चुन ले तो उसे अपने पिता से कुछ पाने का अधिकार नहीं रह जाता [मनु IX १० ११ III २७-३ ३५ IX ११ III ३५ ४० ब्राह्मणस्मय I १४ II २८७ आदि]। कौटिल्य का मत यह है कि उस विवाह का अनुमोदन किया जाना चाहिए, जिससे सभी सम्बन्धित पक्षों को सन्तोष प्राप्त होता हो (सर्वेषां प्रोत्थारोपनम् अप्रतिविद्यम्) [III २]।

अनुमोम विवाह : कौटिल्य तथा स्मृतिकारों दोनों ही ने अनुमोम विवाह की अनुमति दी है [याज्ञवल्क्य I ५७ मनु III, १४ १९]। परन्तु कौटिल्य से स्मृतिगी इस बात में निश्चि हैं कि उनमें तीन उच्च वर्णों के पुरुषों के दूह कन्या के

साथ विवाह की अनुमति नहीं दी गई है। इस प्रसंग में तीन उच्चतर बनों तथा पुत्रों के बीच कोई अन्तर न मानकर, कौटिल्य ने अधिक उदार विचारों का परिचय दिया है। कौटिल्य ने केवल उत्तराधिकार के अंतगारे के मामले में इनमें अन्तर किया है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। ब्राह्मण पत्नी के पुत्र को पिता की सम्पत्ति में चार हिस्से पाने का अधिकार होता था। क्षत्रिय पत्नी के पुत्र को तीन हिस्से, वैश्य पत्नी के पुत्र को दो हिस्से और भूखण्ड पत्नी के पुत्र को एक हिस्सा पाने का अधिकार होता था (III ६)। इसके अतिरिक्त यदि तीन उच्चतर बनों के किसी व्यक्ति न भूखण्ड स्त्री के साथ वैध रूप से विवाह न किया हो, तो उस पत्नी से उत्पन्न होने वाले पुत्र को पिता की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता था पर कौटिल्य ने इस प्रकार के पुत्र को अपने पिता की विहाई सम्पत्ति का अधिकारी ठहराया है। [मनु IX, १५५ अर्धशास्त्र III ६]।

सौर्य समाज की कुछ अन्व विद्योपत्तयें कौटिल्य ने जिस रूप में सौर्य समाज का चित्रण किया है वह स्मृति-कालीन समाज से अन्व कई बातों में भी भिन्न है। हम बोल चुके हैं कि आर्य ऋषि एक निर्धारित सीमा के भीतर महिष्पान करते थे। इसके विपरीत आसवन्मय ने महिष् बंधकर अपनी जीविका कमाने वाले (सुराजीव) के घर पर भी भोजन करने में दोष ठहराया है [I, १६४]। फिर, सौर्य समाज में हम देखते हैं कि ब्राह्मण विना किसी रत्न-टीक के सेना में भरती होते थे। सौर्य सेना में जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, ब्राह्मणों के रिशाले होते थे [IX, २]।

इस अन्व में यह भी बता दें, कि ऋग्वेद में रजातर विवाहों का उल्लेख मिलता है उसमें सती प्रथा का कहीं उल्लेख नहीं मिलता और विधवा विवाह की भी बात कहीं नहीं है। ऋग्वेद में अल्पेष्टि सम्बन्धी जो मंत्र है, उसमें यह कहा गया है कि विधवा केवल एक क्षत्र के किर्य विद्या पर अपने पति के साथ बैठती थी। उस "पिर जीवन के क्षेप में लीट जाने" का आदेश दिया गया है (आश्व. X ८५, २१२२ १८ ८)। महाकाव्यों में भी हम देखते हैं कि स्वर्धर की प्रथा के साथ-साथ रजातर विवाह की प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित थी।

इस प्रकार हम देखते हैं, कि कौटिल्य के अर्धशास्त्र में जो विधि-सम्बन्धी उच्च-सामग्री तथा अन्व सामग्री मिलती है वह उसकी प्राचीनता का बहुमुख्य प्रमाण है (इस विषय की बहुत अच्छी व्याख्या के किर्य मनु इंडियन ऐडिशनरी के फरवरी १९३ के अंक में एच. जी. मरहुरि का लेख सोसायटी इन मौर्य इंडिया देखिए)।

## अध्याय १०

### सेना

अश्वगुप्त की सेना : हम मौर्यकालीन सैनिक ( सिबिल ) प्रशासन के विभिन्न बहलुओं पर विचार कर चुके हैं। अब हम मौर्यकालीन सैनिक प्रशासन का विवरण देंगे। अश्वगुप्त ने अश्विनीवासी सैन्यबल का निर्माण किया जो वासि की सहायता से न केवल पंजाब में युवानी शासन और तन्त्रबंशी राजाओं के अश्विनीवासी साम्राज्य का उद्वेग उसे उलट दिया बल्कि प्लूटार्क के शब्दों में "दूरे माघ पर अपना आधिपत्य प्रभा किया"। युवानी वृत्तों के अनुसार मगध-साम्राज्य की सेना में अनुमानत १,००० पैदल १००० बुद्धवार, १००० हाथी तथा ८,००० चार चौड़ी घाले रख थे। इसीलिए पुण्डरी में मगध को महा पदपति, अर्थात् 'महत्त्व सैनिकों की सेना का स्वामी' कहा गया है। इतनी बलवती सेना को परास्त करने के लिए अश्वगुप्त ने इससे बड़ी और इससे अधिक अश्विनीवासी सेना जुटाई होगी। प्लिनी ने अनुमान लगाया है कि उसकी सेना में १,००० पैदल सिपाही १००० बुद्धवार और १००० हाथी थे [ नेचुरल हिस्ट्री V २२ ]। प्लिनी ने इस बात का उल्लेख नहीं किया है, कि उसकी सेना में युद्ध के एक दिन से परे यह मात्र सेना ठीक ही होना कि उसे कब से कब मगध की सेना मिलने ही अर्थात् ८,००० रख रहे होंगे। यदि जैसा कि एरिबन ने कहा है हर रम में सारथी के अतिरिक्त दो सिपाही और होते हों और हर हाथी पर महाबल के अतिरिक्त दो अनुबर्तते होते हों तो अश्वगुप्त की सेना

में ६,००००० पैदल सिपाही ३०००० घुड़सवार, ३६,००० आदमी हाथिया पर और २४००० आदमी रथों पर रहे होंगे कुछ मिसाकर ६९००००। इनमें सेना के साथ बसनेवाले अन्य नौकर-बाकर सामिक नहीं हैं।

स्वामी सेना : यह बिनाम सेना नागरिकों की अस्थायी सेना नहीं थी बल्कि एक नियमित स्थायी सेना थी जिसके हर सैनिक को राज्य की ओर से वेतन मिलता था राज्य की ओर से ही उन्हें युद्ध के समय आवश्यक सामान जैसे घोड़े हाथी हाथियार तथा रसद आदि मिलते थे और हर समय राज्य को उनकी सेवा उपलब्ध रहती थी और वे सबैव आकाशापानन के लिए तत्पर रहते थे। कौटिल्य के मतानुसार यह आवश्यक था कि सैनिक सर्वत्र युद्ध के लिए तत्पर रहे बजाय इसके कि उन्हें कोई ऐसे असंग-असंग काम सौंपकर विभिन्न क्षेत्रों में बिछेर दिया जाए, वहाँ से उन्हें फौज रखलेख के लिए कृष्य करनेके लिए छूट्टी न मिल सके (विशिष्टसंभ्रमेतेरत् कार्य-व्यासक्तं प्रतिसहर्तसवयम्) [ VII ९ ]। इसी बात को धृष्टि में रखते हुए, कौटिल्य प्रांतीय दुर्नरहाक सेनाओं के लिए गए भरती क्रिये गए वेतनमोची सैनिकों की अपेक्षा आज्ञामय हुए पुराने सैनिकों को अधिक पसंद करता था क्योंकि पुराने सैनिकों में स्वभावतः अपने स्वामी के प्रति सेवा तथा स्वामिमनित का भाव होता है (निरयस्तकारानुयमाच्च मौलजलं भूतवस्त-प्येवम्) [ २ ]।

मेगास्थनीज का विवरण : युद्ध-व्याप्तियः मेगास्थनीज के अनुसार सेना पर युद्ध-कार्याध्यय नियंत्रण रहता था जिसके तीस सचस्य होते थे। इनमें पाँच पाँच सदस्यों के ९ मंडल होते थे। ये ९ मंडल सेना के निम्नलिखित ९ विभागों का कार्य-भार संभालते थे (१) पैदल सेना (२) घुड़सवार सेना (३) युद्ध रथ (४) युद्ध के हाथी (५) परिवहन रसद तथा सैनिक सेवा जिसमें डोक बजाने वाली घोड़ों आदि की देखभाल करनेवालों मिस्त्रियों तथा बसियारों आदि का प्रबन्ध करना भी सामिक था (६) नौ-सेना के सेनापति से सहयोग स्थापित करनेवाला मंडल।

पाँचों मंडल के नाम ये बताये गए हैं 'इस मंडल के सदस्य बीष्मगादियों का प्रबन्ध करते हैं, जिन पर युद्ध की सामग्री सैनिकों के लिए रसद पशुओं के लिए चारा और सेना की आवश्यकता का अन्य सामान ले जाया जाता है। वे ही उन नौकरों का प्रबन्ध करते हैं, जो डोक बजाते हैं और उनका भी जो बंटे लेकर चलते हैं। वे ही घोड़ों की देखभाल करनेवाले सेवकों तथा अन्य सहाकारियों के लिए मिस्त्रियों का भी प्रबन्ध करते हैं। बंटे की आवाज पर वे बास लाने के लिए बलि बानों के चेतते हैं और पुष्कार तथा बंध देकर इस बात की व्यवस्था रखते हैं, कि काम बीघ तथा मुचाद रूप से सम्पन्न हों' [मेगास्थनीज अथ XXXIX]।

सेना के अंग महाभारत : हिन्दु सना के बारे में परम्परा यह रही है कि उसके चार अंग होते थे । अर्धसासन म हर उसह उसे चतुर्ययजक कहा गया है (वैसे II, १३ IX I २ आदि) । मेगास्थनीज ने सेना के दो और अंगों का उल्लेख किया है इन्हे भी प्राचीनकाल से सेना का अंग माना जाता रहा है । उदाहरण के लिए, महाभारत के अनुसार पूरी सेना के इतने अंग होने चाहिए : (१) रथ (२) हाथी (३) घोड़े (४) पैदल सिपाही (५) परिवहन रथ तथा अन्य सवालों के लिए आम यमिक (विष्टि) (६) गी-सना (७) मुत्तपर और (८) वैशिक, वा क्वाक्त् स्काउट तथा वास-वास की परिस्थितियों का पता लगाने वाली टोळिया के नेता होते थे । यह स्पष्ट है कि इसमें (५) (६) (७) और (८) न के अंग मेगास्थनीज द्वारा बताये गए सेना के पूरक अंगों के अनुक्रम थे ।

कौटिल्य चिकित्सा तथा घासलों को रजसेत्र से काने की व्यवस्था : यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि कौटिल्य ने भी सेना के इन पाँच अंगों का उल्लेख किया है । 'स्काउटों का काम जैसे शिकरों सड़कों नदियों तथा कुओं की खुदाई मरियों के बागों का निरीक्षण और उन्हें उपयोग के लिए तैयार करना बावक सैनिकों को उनके घस्रासनों तथा कबज आदि सहित रजसेत्र से हटाकर ले जाना— ये सब काम यमिकों के एक विशय समूह के है (शिकर-मार्ग-नेतु-रूपतीर्थगोपन-कर्म यत्रस्युवावरणोपकरण घासावहन आयोचनाश्च प्रहरणावरण प्रतिविद्ध-पलयन इति विष्टि कर्माणि) [X ४] । बावस्यकटा की अस्थ सेबाएँ, जिनका कौटिल्य ने उल्लेख किया है पर जिन्हें मेगास्थनीज ने छोड़ दिया है, चिकित्सा और घासलों को रजसेत्र से हटाने की व्यवस्थाएँ हैं जिनका वर्णन कौटिल्य ने इन अध्या में किया है 'अपने साथ घस्य चिकित्सा क जीवार (घस्य) यंत्र बवाएँ (अनर) घावों को बन्धा करने वाले ठेक (स्नेह) और पट्टियाँ (बस्त्राणि) किये हुए घस्य-चिकित्सक और पत्र तथा पीठिक पेद लिये हुए परिवारिकार्ये तरेव सेना के साथ रहने चाहिए और उन्हें सैनिकों को लड़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए (XI ३) ।

उस युग में आज कल की रेडबास सोसायटी के अंग की व्यवस्था करना सम्भव बहुत ही श्रेयस्कर बात है क्योंकि यह व्यवस्था सेना की रज-अमठा के लिए उसके चारों अंगों की अनेका कम महत्व नहीं रखती । मेगास्थनीज ने नौकरों आठरों मित्रियों तथा यमियार का भी उल्लेख किया है, उसकी पुष्टि कौटिल्य के कथन से भी होती है कौटिल्य ने लिखा है कि "वेतानायक को अपने नौकरों-आठरों सहित जिनमें मित्र्यी (वर्षिक स्वपति) और साधारण मजदूर (विष्टि) हों आने-आने बनने चाहिए और सेना के लिए पहले से मार्ग तैयार करके रखना

बाहिए तथा पानी के लिए कर्षे त्वादन बाहिए [Δ, १] 'इस बात का पता पहले से लगाकर रखना बाहिए, कि घास ईंधन और पानी कहाँ मिल सकता है' ( २ ) । 'किसी आकस्मिक आवश्यकता में जितनी साध-सामग्री की जरूरत पड़ सकती हो उससे दुगुनी मात्रा में साध-सामग्री तथा अन्य सामान लेकर चलना बाहिए' [Δ २] । अंत में कौटिल्य ने तुर्य पताकारों तथा ध्वजाओं का भी उल्लेख किया है [X, १] ।

अंतों का रिसाला : यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि कौटिल्य ने बौद्धों तथा अंतों की एक सहायक सेना का भी उल्लेख किया है जिसके साध कुछ गधे भी हों जो सूखे मौसम में ऐसी जगहों में काम कर सकें जहाँ दलदल न हो (सरो-प्रास्ववकप्रत्य) ।

सेनापति : कौटिलीय पद्धति के अनुसार युद्ध-सम्बन्धी पूरे प्रशासन तथा उसके सभी विभागों पर प्रधान सेनापति का पृथ निबंधन रहता था । सेनापति में सभी सैनिक योग्यताओं का होना आवश्यक था । उसे युद्ध की सभी विधियों (सर्वयुद्ध) में तथा युद्ध में काम आने वाले सभी प्रकार के यस्त्रास्त्रों का प्रयोग करने की कला में (ग्रहरथ) निपुण होना बाहिए । उसकी सामान्य शिक्षा का स्तर उँचा होगा बाहिए (विद्याविभीत) और उसमें सेना के चारों अंगों पर निबंधन रखने की क्षमता होनी बाहिए । इनमें से प्रत्येक अंग का खपना अस्य प्रमाण होता था पर इन सब पर सेनापति का नियंत्रण रहता था । सेनापति का यह काम था कि वह शान्तिकाल में (स्वाने पमतनिवृत्तौ) जिस समय सेना कूच कर रही हो (याने) और आक्रमण के दौरान में (ग्रहरथे) सेना में अनुशासन कायम रखे । वह सेना की अलग-अलग ग्युहों अर्थात् रेजिमेंटों में विभाजित करता था और हर ग्युह की पहचानके लिए अलग तुर्य ध्वजा तथा पताका निर्दिष्ट करता था [ II ३३ ] ।

अस्य पदाधिकारी : पहले विभिन्न पदाधिकारियों के बेटन की जो सूची दी जा चुकी है उससे पता चलता है कि युद्ध-प्रशासन में निम्नलिखित मुख्य पदाधिकारी होते थे

१ सेनापति जिसका बेटन ४८ •• पत्र होता था । (राजसेना में यह सर्वोच्च बेटन था) ।

२ प्रशास्ता जिसका बेटन २४ पत्र होता था ।

३ नायक जिसका बेटन १२, •• पत्र होता था ।

४ मुख्य जिसे ८, • पत्र मिलते थे ।

जब हम सेना के प्रत्येक अंग के सम्बन्ध में प्रशासन की व्योरे की बातों पर विचार करेंगे ।

सैन्य सेना ६ प्रकार के सैनिक हम पहले ही देख चुके हैं कि बन्धुवृत्त की सेना के लिए विभिन्न सौतों से सैनिक भरती किये गए थे और उसमें अनेक बयों के लोग थे। कौटिल्य ने उनका वर्णन इस प्रकार किया है

(१) मील : प्रान्तीय प्रशासन के क्षेत्र अर्थात् मूल की निगरानी करने वाले सैनिक। यह प्रान्तीय दुर्ग-रक्षक सेना होती थी (मूल-रक्षकम्) काउम्बेज [X, २ में]।

(२) भुत बतनमोपी सैनिक।

(३) धेमी काम्बोज सुराष्ट्र आदि देशों की सैनिक जातियों की नैगम सेना। (X १) इसका अर्थ यह भी बताया गया है कि धेमी उन सैनिकों को कहते थे जो प्रांतों में सैन्य-कला को अपना बीजकोपाजन का साधन बनाते थे (जनपरकर्यामुबीयमन्) [I ३३ IX २ तथा IX, १।

(४) मित्र-बल, किसी मित्र देश द्वारा दी गई सेना के सैनिक।

(५) अमित्र-बल, शत्रु देश से भरती किये गए सैनिक।

(६) अटवी-बल, जन-संरक्षक (मन्वीपाल) की निगरानी में रहनेवाली बन्धु-जातियों में से भरती किये गए सैनिक (उपवृत्त)।

धेमी-बल : सैनिकों की इन कोटियों में जो सैनिक जातियों से आते थे वे धरतों से ही अपनी बीजिका कमाते थे और इसीलिए कौटिल्य ने उन्हें धरती-पञ्जीबन् [XI १] कहा है। बीजा कि ऊपर बताया जा चुका है कौटिल्य ने काम्बोज तथा सुराष्ट्र नामक जातियों का उल्लेख ऐसी ही सैनिक जातियों के उदाहरण के रूप में किया है। कौटिल्य ने एक प्रकार के आनुवीय जातियों का भी उल्लेख किया है, जो पेटोवर सैनिकों की बस्तियाँ होते थे जिनकी जन-गणना ग्राम्य-अधि कारी करते थे (II ३५)। यह बात सम्भवनीय है कि पानिनि ने भी आनुवी बीजिक जन-समुदायों का उल्लेख किया है।

आसन्निक कौटिल्य और सैनिकों के एक जोड़ के रूप में बन्धु जातियों के महत्त्व की प्रती-संति समझता था। उसने लिखा है (VI १०) जिस देश में किसी चोरों की जातियों (चोर-बन्धु) श्लेष्म लोगों (जैसे पर्वतवासी किरात) और बन्धु जातियों की बहुतायत है वह हमेशा एक पत्रे का शीत रहता है। इनके अतिरिक्त यह भी परामर्श दिया गया है, कि जब किसी राजा की सब आचार्य मष्ट हा गई हा (धरताहूहीन) तो उसे धरति के अंतिम रोल के रूप में सैनिक जातियों (धेमी) कुटरोके गिरोहों (चोरबन्धु) जनजातियों (आटबिन्) और श्लेष्म जातियों (जैसे किरात) में से भरती किये गए निर्दोष सैनिकों (प्रवीर पुण्यात्ता) की सेना का महत्त्व सेना चाहिए [VII १४] इनमें भी कौटिल्य ने चोरों या प्रतिरोधकों की बनेला आन्धिकों को अधिक महत्त्व दिया है [VII ४]। चार तथा प्रतिरोधक तो यह को ही अपना काम करन है अन्त में उठो रहने

हैं (रात्रि-सत्र-बरा) और जनबाल व्यक्तियों को मीका पाकर मूट लेते हैं (प्रधान कोपकाइच) । इससे विपरीत माटविक एक जमह बसे हुए सोम (स्वैरुत्साह) होते हैं उन्हें अपने देश पर गर्व होता है वे लुके आम तथा दिन में अपना काम करते हैं (प्रकाशा बुश्याइचरदित) लुके मैदान में युद्ध करने हैं (प्रकाशयोधिन) और स्वतंत्र राजाओं की भाँति (राजसपर्भाच) लुके आम सम्पत्ति षटने हैं तथा लोपों का मारते हैं (अबहृत्तारो हप्तारवच) वे बहुसंख्य तथा अपराधेय (बिकाता) होते हैं । कौटिल्य ने राज्य के सिव बाहर से पैदा होने वाले जनरा (वाह्यकोप) के लोटा में राष्ट्रमुख्यों (प्रातो क गबनेरा) तथा अस्तपालों क साथ ही माटविकों का भी सम्भक्त किया है [IX ३] । इन सैनिकों को वस्तुओं (कूप्य) के रूप में तथा सत्र के देश में प्राप्त होने वाले लूट के मास में से सबसे अधिक वेतन दिया जाता था [IX २] ।

कौटिल्य का कहना है कि एक प्रकार से बेतनमोयी सैनिक ऐनिक जातियों में से भरती किए जान भास सैनिकों से अच्छे होते हैं । वे हमेशा रणक्षेत्र में उतरने के लिए तैयार रहते हैं और उन्हें बरा में रखना ज्यादा आसाम होता है (बन्ध) ।

कई कौटिल्य ने इस परम्परा को कायम रखा कि सैनिकों की मरती बाह्यज जातिय बंधु तथा धूर्त सभी बर्षों क लामा म से की जा सकती थी । परन्तु कौटिल्य बाह्यज सैनिकों को बहुत अधिक महत्व नहीं देता था क्योंकि वे घर में जाने हुए धनु को धमा कर देते थे । क्षत्रिय सैनिक सैन्य-कला में अधिक निपुण होते थे । अन्य बर्षों के सैनिक अपनी बहुसंख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझे जाते थे [IX २] ।

अधिकारी : पबिक-सैनापति-नायक : रणक्षेत्र में सैन्य-संचालन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति एक परम्परागत योजना के अनुसार की जाती थी । १ हाथी तथा १० रथ और उनके साथ ५० बुइसवार तथा २० पैदल सिपाहियों की हर सैनिक टुकड़ी का एक सेनानायक होता था जिसे पबिक कहल वे प्रत्येक १० पबिकों के ऊपर, अर्थात् १० हाथियों और उनके साथ ५० बुइसवारों तथा २०० पैदल सिपाहियों के ऊपर, अथवा १०० रथों और ५० बुइसवारों तथा २०० पैदल सिपाहियों के ऊपर जो सेनानायक होता था उसे सेनापति कहते थे । इस प्रकार के १ सेनापतियों के ऊपर नायक नाम का अधिकारी होता था [X १] । यह स्पष्ट है कि अधिकारियों तथा सैन्य-संचालकों की नियुक्ति षडमसक प्रणाली के अनुसार की जाती थी । पूरी पैदल सेना परयाप्यक नामक एक अधिकारी के नियंत्रण में रहती थी [II ११] । उसका काम यह था कि वह विभिन्न सेनाओं के सैनिकों को उनकी क्षमता के अनुसार अलग-अलग स्थाओं में तैनात करे । उसे पैदल सेना (पत्ति) की विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में

सड़ने की प्रसिद्धा देनी पड़ती थी जैसे (१) नीची तथा बलवन्ती भूमि पर, (२) ऊँची तथा घुफ़ भूमि पर, (३) दिन के समय (प्रकाश) (४) दक्षिण के साथ (सूर्यमुख) (५) खंदकों में (कमल मुख भूमि साज्जा तथा लिखाया क्लियमार्च मुख) (६) किण्वों की ऊँची दीवारों पर से (आकाशमुख प्राकारारिच आकल्प क्लियमार्च मुख) (७) दिन के समय तथा (८) रात्रि में [उपरोक्त] ।

अर्थशास्त्र : [V १] में विभिन्न अधिकारियों का जो पद-क्रम तथा उनके बैठन बताये गए हैं, उन पर हम यहाँ कुछ विस्तार से विचार करेंगे । सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी सेनापति होता था वह राज्य के उच्चतम पदाधिकारियों में से एक होता था और उसके पद राजी मुखराज तथा प्रधान मंत्री के पद के बराबर होता था और उसे उन्हीं के बराबर ४८ पत्र बैठन मिलता था । उसके नीचे नायक होते थे जिन्हें १२ पत्र बैठन मिलता था । फिर मुख्य होते थे जिन्हें ८००० पत्र मिलते थे और उनके बाद अध्यक्ष होते थे जिन्हें ४००० पत्र मिलते थे । मुख्य तथा अध्यक्ष जिस पर सेना के विभिन्न अर्थों—पैरल मुखराज हाथी तथा रथ—का कार्य मार होता था वे कदाचित् प्रधान पदाधिकारी होते थे अन्य-संभाजन करने वाले अधिकारी नहीं बँसा कि ऊपर कहा गया है ।

हथियार मूनागी बुलातः पैरल सेनिकों के हथियारों का विस्तृत विवरण हमें अनेक स्रोतों से मिलता है । अरियन के वर्णन के अनुसार पैरल सेनिकों के पास एक अनुप होता है जो उनके ऊपर के बराबर ही लम्बा होता है । वे इसे जमीन पर टिकाकर अपने बाँधे पैर से दबा लेते हैं और प्रत्यक्ष को बहुत पीछे खींचकर बाण चलाते हैं जो बाण वे इस्तेमाल करते हैं वे तीन गज से कुछ ही कम लम्बे होते हैं और भारतीय अनुपातों के अनुसार हुए तीर को कोई भी बाँध नहीं रोक सकती—न बाण न कण्ठ और यदि इसमें भी मजबूत कोई सुरक्षा का धारण होता हो तो वह भी नहीं । अपने बाँधे हाथ में वे तीर के कण्ठे चमड़े की डाल रखते हैं जो इन सेनिकों की बाँझाई से कुछ ही कम चौड़ी होती है पर लम्बी लगभग उनकी बितनी ही होती है । कुछ सेनिकों के पास अनुप के बजाय भाँके होते हैं, पर उसबार तक सेनिकों के पास होती है जिसका प्यक चौड़ा होता है पर वह तीन बाणिकृत है अथवा लम्बी नहीं होती और जब वे आग्नेय-साधने लड़ते हैं (जिससे वे यथासंभव बचने की कोशिश करते हैं) तो वे तरपूर बार करने के लिए इस उसबार को दोनों हाथों से चलाते हैं ।

कौटिल्य का बुलातः : कौटिल्य ने उस जमाने में इस्तेमाल होने वाले हथियारों तथा सेनिक संघों का पूरा विवरण दिया है । कौटिल्य ने इनकी इनके उपयोग के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में बाँट दिया है, चाहे वह उपयोग रणतंत्र में हो

या बुजों के निर्माण सबका रखा के लिए हो या धातु के नयरो तथा उमक पक्कि घाली कोंडों को मण्ट करने के लिए हो। इनमें से कुछ बज ऐसे होते थे जा मण्ट ही नमह रखे गये थे (स्थितपत्राणि); कुछ बज ऐसे होते हैं जिन्हें एक नमह से दूसरी नमह में जाया जा सकता था (वर्ण्यत्राणि) जैसे चक विभुल मुद्गर, बजा आदि कुछ हथियार ऐसे होते थे जो मुष्मील (हलमुलानि) होते थे जैसे घण्टि, माल, कस्त आदि। बनुया को इस आयाग पर अलग अलग धोचिता में विभाजित किया गया था कि वे किस चीज के बने हैं बांस के या लकड़ी के या सीब के और उनको मण्यंथा किस चीज की है और उनके बाधा की नाक माहे की हड्डी की या लकड़ी की है—लौहे की नोक काटने के लिए, हड्डी की नाक मण्डनी के लिए तथा लकड़ी की नोक बेचन के लिए होती थी। तीन प्रकार की लकड़ारों का भी उल्लेख किया गया है—कुछ की नोक टेढ़ी या प्थाम बालाई लिये हुए होती थी, कुछ बहुत तेज धार की होती थी और कुछ लम्बी होती थी इनकी मुठ नैडे या जैसे के सीब या हाथी के दाँत या लकड़ी की बनी होती थी। कुछ और धारधार हथियार भी होते थे जैसे बरसु, कुडार आदि। कुछ बज पत्थर पत्थरों के लिए होते थे। पूरे शरीर की रखा के लिए अनेक प्रकार के कबज भी होते थे जैसे लोह-आल (पूरा कबज जिसके साब छिर की रखा के लिए एक टोपी भी होती थी) लोह-आलिका (जिसमें टोपी नहीं होती थी) लोह-कूट (बिना वास्तीमा का कबज) लोह-कम्ब (जिसमें घीने तथा पीठ की रखा के लिए धातु की चादर लगी होती थी) सूत्र कंठ (घाघे का घुना हुआ बज) और जैसे हाथी मगर आदि के राल के बने हुए विभिन्न प्रकार के कबज फिर शरीर के विभिन्न भागों की रखा के लिए अलग-अलग साबन हाँड में जैसे शिर की रखा के लिए शिरमाल, पले के बजाव के लिए कंठमाल बंधो की रखा के लिए कूर्पास घर पर पहनने के लिए हस्तिकर्ण और कयर के लिए पेट्टी; ये सब चीजें निपुण चित्त कर बनाते थे [II, १८]।

मूर्तिकला में लेखकों का चित्रण : मुताबी नमवा भारतीय साहित्य में प्राचीन भारत के चरित्राचरो के जो विवरण मिलते हैं उनकी पुष्टि प्राचीन भारत की उपलब्ध कलाकृतियों से होती है। भरतुठ की मूर्तियों में मिलने वाले में आम तौर पर बहु माता जाता है कि उनका निर्माण बजों के समय से शुरू हो जाता है। एक पैरल ऐनिक की समय पूरे आकार की एक मूर्ति है, जिसमें उठे लती प्रकार हथियारों से सम्भित दिखाया गया है, जैसा कि मेघास्थनीय ने अपने विवरण में बताया है। परन्तु प्राचीन भारतीय हथियारों का सबसे सही विवरण कनिषम तथा कर्मुत्तन के पहली घटान्डी ईतपी के लोपी के तथा बज लूर्पा की मूर्तियों के वर्णन में मिलता है। कनिषम ने लिखा है, "इनमें से एक में घेरे-जैरी का चित्रण

किया गया है जिसमें सैनिक कसे हुए कपड़े तथा एक पात्रामे खेती कीज पहने हैं उनके पास हथियार के कम में तलवारें और बन्दूक-बाण हैं। तलवारें छोटी तथा खड़ी हैं और बूबड़ बेसी ही है वीसा कि मेगास्थनीज ने अपने वर्णन में लिखा है जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। उत्कीर्ण चित्रों में लगभग सभी वैदिक सैनिकों को बन्दूक-बाण लिये हुए दिखाया गया है और यह बात भी मेगास्थनीज के कथन से पूरी तरह मेल खाती है। मेगास्थनीज ने कहा है कि उनमें से कुछ बन्दूक-बाण के बजाय भासे इस्तेमाल करते थे। इन बात की पुष्टि भी पत्थर पर खुदे हुए एक चित्र से हो जाती है जिसमें एक सिपाही का चित्रण इस रूप में किया गया है कि वह डाल से अपने शरीर की रक्षा किये हुए है और पृथ्वी के समानांतर एक भाका लिये हुए है जिस वह फेंकने जा रहा है। पश्चिमी द्वार पर एक भारवाहक के हाथ में भी ऐसा ही भाका दिखाया गया है। पत्थर पर खुदे हुए इन चित्रों में आम तौर पर जो डाल दिखाई गई है वह सम्झी तथा पतली और ऊपर की तरफ मोल है वीसा कि मेगास्थनीज ने भी अपने वर्णन में लिखा है। मेगास्थनीज के कथनानुसार बुद्धवारों की डालें वैदिक सैनिकों की डालों से छोटी होती हैं। पत्थर पर खुदे हुए इन चित्रों में हर जगह इस बात की भी पुष्टि होती है उनमें बुद्धवारों की डालें हमेशा लगभग वा फुट ऊंची दिखाई गई हैं।

भेससा के स्तूपों में इन हथियारों के चित्र मिलते हैं बन्दूक-बाण खड्ग तलवार, तिखोनी मोकबाधा भाका कूडर, फरसा त्रिशूल और वैदिक सैनिकों तथा बुद्धवारों की डालें।

साँची के स्तूप में पत्थर पर खुदे हुए एक और चित्र में राजकुमार सिद्धार्थ से सम्बन्धित एक प्रकलित कथा का चित्रण किया गया है, जिसमें उन्हें छोड़े की बेच बान बाका बाण बलाठे हुए दिखाया गया है। इस चित्र के अग्रभाग में तीन घोड़ा सड़े हैं, जिनके हाथ में पाँचवा के हथ के बन्दूक और रामन डग की छोटी छोटी तीली तलवारें हैं जिन्हें वे अपने बाहिने कपों पर रखे हैं अपने तर्कम रपने के लिए वे पैर पर एक-दूसरे को काटती हुई पैदियाँ भी बाँधे हैं। उनके साथ डाल तथा दुहुनी बजाने वाले हैं।

यूरोप में लड़ने वाले भारतीय सैनिक : यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय सेना का घीव की घूम बहुत प्राचीन काल से ही भारत की सीमाओं से बाहर भी बहुत दूर-दूर तक फैल चुकी है। बहुत पहले ४८ ई० पू० में ही बर्बास की सेना में अलग-अलग पर व्याकरण किया जा एक टुकड़ी भारतीय सैनिकों की भी थी। ये मूनी बरत पहल कर लड़ते थे (कदाचित्त यह वही चीज थी जिसे

क्रीटिस्य ने सूत्र-कंडक कहा है जिसका उत्पन्न हम ऊपर कर आए हैं) और उनके अनुप बँत के होते से और बँत के बाँधों पर साँदे की नाक छमी हुनी थी ।

सैनिक अन्यास वैदक सैनिकों को नियमित रूप से कबायब करनी पड़ती थी और प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता था । राजा स्वयं प्रतिदिन प्रातः काम न्यूनो दय के समय सैनिकों का निरीक्षण करता था और उनके सैनिक शिव-पंच देखता था (निस्पन्दनम् कुर्यात् क्षिप्योप्य्या कुर्युः) [V ३] ।

वैदक सेना के गुण : क्रीटिस्य ने बताया है कि एक बाण जिसमें वैदक सेना सेना के अन्य लोगों की अपेक्षा श्रेष्ठ होती है यह है कि वैदक सेना किसी भी प्रकार की भूमि पर (सर्वत्र) तथा हर प्रकार के मौसम में (सर्वकाल) दाल पारण करके (सर्वत्रबहुतम्) सैनिक अन्यास (व्यायाग) कर सकती है । चाँड़े हाथी तथा रथ हर मौसम में या दसबल वाली जमीन पर गड़ी सड़ सकते [X, ४]

सैनिकों को प्रोत्साहन क्रीटिस्य ने बताया है कि रणभूमि में सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको निम्नलिखित प्रेरणादायक वाक्यों से सम्बोधित किया जाना चाहिए । राजा को अपने सैनिकों के सम्मुख इस प्रकार भाषण देना चाहिए "मैं भी तुम्हारे ही समान बतनमोगी सेवन हूँ इस देश की सम्पदा का सुर हम सभी मिल कर मोगेने तुम्हें मरे बताये हुए धनु को परास्त करना है (तुस्यबेतनोस्मि भवद्विमस्तह भोग्यमिदं राज्यं मयाभिहितं परोऽभिहस्तभ्यः) [X ३] ।

उसके मंत्री तथा पुरोहित को सेना को इन वाक्यों द्वारा प्रोत्साहित करना चाहिए "बिहों में कहा गया है कि उचित विधि के अनुसार यज्ञ करने से यह करने वाका जिस गति को प्राप्त हुना है वही गति भीरों के भी भाम्य में होती है" (वेदेऽप्यनुमृते— तमाप्तावशिवातां यज्ञानामवमृचयु सा ते गतिर्या दूरात् इति) [X ३] ।

और इन वाक्यों द्वारा "स्वर्ग जाने की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण यज्ञ तथा तपस्या द्वारा जहाँ तक पहुँच पाते हैं भयमुक्त में झड़त हुए अपने प्राणों की बलि देने वाला पुरबीर तत्काल उससे भी आगे पहुँच जाता है" (यान् यज्ञसंज्ञं मृतपत्तं च विप्राः स्वर्गं विभ्यः पात्रज्यैश्च यान्ति । सन्नेन तान्प्यति यान्ति दूराः, प्राणात् तुमुञ्चु परित्यजन्तः ॥)

'इसके विपरीत यदि कोई सैनिक अपने स्वामी से प्राप्त होने वाले मरज-योपक बदले में झड़ने से इन्कार करता है, तो वह अबश्य नरक का भागी होगा और उसकी मृत्यु पर विधिबत् उसकी अंत्येष्टि किया भी नहीं की जाएगी (नच शरत् सल्लसस्य पूर्वं सुतच्छतं वर्षहस्तोत्तरीयम् । तत् तस्य मा भूत्सर्कं च गच्छेत्, यं मर्तृविष्यस्य हृत्ते न युद्ध्येत ॥)

ज्योतिषियों तथा राजा के अन्य अनुचरों को राजा की सेना की व्यूह रचना तथा उसके सैन्यबल की अपरजयेता का मुखगान करके सैनिकों में उत्साह का उंचार करना चाहिए और शत्रु को भयभीत भी करना चाहिए (व्यूहसम्पदा कर्त्तामितादिश्चास्य वर्म- धर्मसद्वचसंयोपाख्यात्मनाभ्यास्वपलाउच्चर्ययेत् परपक्षं बोद्धेजयेत्) ।

भारतों तथा राजसभा के कवियों को अपने वर्णों में यह बताना चाहिए कि शूरवीर स्वर्ण पाते हैं और भी कायर होत हैं वे तरक की जग्मि में जसतै हैं । उन्हें सैनिकों के वर्ण सब कुछ हस्तों तथा चरित्र का भी मुखपाम करना चाहिए (सूतनापथा शूराणां स्वर्णमस्वर्णं जीवन्नां जातिसंयत्कर्मवृत्तास्तत्रं च योवानाम् वर्णयेयुः) ।

युद्धचरों बड़बड़ों तथा ज्योतिषियों को अपनी सेना की सफलताओं तथा शत्रु की विघ्नकटा की बोपना में विहम्ब नहीं करना चाहिए (सत्रिकवर्चिक मीधुस्त्रियाः स्वकर्मसिद्धिमसिद्धि परेयां) ।

पुरस्कार अथ में इस बात का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, कि प्रधान सेनापति सैनिकों को पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान करता था जिसका निर्णय हम आचार पर किया जाता था कि किसने कितना महत्त्वपूर्ण काम कर दिखाया है या किसने कितनी बड़ी विजय प्राप्त की है । शत्रु राजा का बध करने वाले को १० पय उसके सेनापति या युवराज को मारनेवाले को ५००० पय बीरों में जो सबसे प्रमुख होता था उसे १००० पय हाथियों या रत्नों की सेना के मुख को ५००० पय बुद्धिवातों के मुख को १००० पय और पैदल सेना के मुख (पति-मुख्य) को १००० पय पुरस्कार दिया जाता था शत्रु-सेना के किसी सैनिक का तिर काटकर लाने वाले को उसके बैठनका पुत्रता धन और २ पय पुरस्कार दिया जाता था जो कुछ बह स्वयं हस्तागत कर लेता था बह तो उसका होता ही था" [X, १] ।

घुड़सवार सेना बुद्ध-क्षेत्र में घुड़सवार सेना का विशेष काम क्रीटिस्य ने यह बताया है कि उसे सेना में अनुज्ञान की निगरानी करनी चाहिए, उसके मोर्चों की लम्बाई को बताना चाहिए, उसके पारणों की रक्षा करनी चाहिए, सबसे पहले आक्रमण उभी को करना चाहिए, और इसके अतिरिक्त सेना की दिशा को मोड़ने तथा शत्रु का पीछा करने आदि के काम भी उसी के हैं [X, ४] ।

अस्वाप्यक्तः अश्वपुत्र की सेना में बाँड़े इतना आवश्यक तथा महत्त्वपूर्ण अर्थ थे कि सेना के लिए घोड़े चरती करने तथा उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए सरकार था एक अलग विभाग था । अस्वाप्यक्त को बाँड़ों की एक सूची रानी पड़ती थी उन्हीं उनही गस्स बायु, रम तथा आकार आदि के अनुसार अलग-अलग

वेदियों में बाँटना पड़ता था उनके लिए अस्तबसों का प्रबन्ध करना पड़ता था उनका आहार नियत करना पड़ता था और उन्हें निकालने तथा प्रसिद्धि करने और पशु-चिकित्सकों द्वारा उनके रोगों की चिकित्सा का प्रबन्ध करना पड़ता था ।

घोड़ों की भरती पन्द्रगुप्त की युद्धसभार सेना इतनी बहुसंख्यक थी कि उसके लिए कई जगहों से घोड़े साने पड़ते थे इन स्थानों के नाम कौटिल्य ने इस प्रकार बताये हैं [II ३०] कम्बोज (अफ़गानिस्तान जिसे युबाड या अफ़ ने कामोफू कहा है) सिंधु (सिन्ध) आरट्ट (पंजाब) पनामु (अरब) बास्तीक (बख्त) सोबीर (सिंध अथवा सिंधु नदी का डेल्टा) पापेय और तीतस (जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है) महाभारत में आम ठौर पर 'पश्चिमी घोड़ों' को बहुत मूल्यवान बताया गया है पर सबसे अधिक उल्लेख सिंधु तथा कम्बोज के घोड़ों का मिलता है [महाभारत III ७१ ७२] । बास्तीक के घोड़े भी इतने ही प्रख्यात थे [महाभारत I २२१ ५१ V ८६ ६ आदि] ।

घोड़ों के रहने का प्रबन्ध : वैसे कि कौटिल्य ने बताया है घोड़ों की छपठामों का अनुमान उनके शरीर के कुछ भागों को नापकर समाना जाता था । उनके लिए अस्तबस सफाई तथा स्वास्थ्य के नियमों का पूरी तरह ध्यान रखकर बनाए जाते थे । इसके बारे में भी कठोर नियम बना दिए गए थे कि किन परिस्थितियों में घोड़ों को क्या खाने को दिया जाए ।

प्रसिद्धय सेना में घोड़ों की रणक्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार नियमित रूप से विलोप प्रसिद्धय दिया जाता था ।

पशु चिकित्सक यदि घोड़ों को कोई रोग हो जाए, तो अन्वेषण की उसकी सूचना देनी पड़ती थी । पशु-चिकित्सकों को केवल इन रोगों की चिकित्सा ही नहीं करनी पड़ती थी बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता था कि पशुओं का शारीरिक विकास सुचारु रूप से हो । चिकित्सा में कोई त्रुटि होने पर दंड दिया जाता था [II ३०] ।

अश्व-सेना की साज-सज्जा का मूलानी विवरण : अरियन ने अश्व-सेना की साज-सज्जा का बर्णन इन शब्दों में किया है (इंडिका अध्याय १४) "भारत बासी अपने घोड़ों पर न पीन कसते हैं न उनके मुँह में समान कपाते हैं । वे बाड़े के मुँह पर बँस के कंधे चमड़े का सिंहा हुआ एक मोल टुकड़ा बाँध देते हैं जिसमें भीतर की ओर छाड़ या पीतल के कांटे निकलते हैं जो बहुत मुकीके नहीं होते । घोड़े के मुँह में छोड़े का एक मुकीका भाके वैसे टुकड़ा पड़ा रहता है जिसमें बाब के दोनों सिरे बाँध दिए जाते हैं ।" परन्तु यह विवरण मेगास्थनीज के उस विवरण का लक्षण करता है (मैकबिडिल अंश ५ ) जिसमें बताया गया है कि भारतवासी घोड़ों को बघ में रखने के लिए और उनकी चाल को नियमित

करने तथा उनकी बिना ठीक रखने के लिए बगाम तथा बाय का इस्तेमाल करते हैं। परन्तु वे म तो मूँह पर कटिहार बमड़े का टकड़ा बाँधकर, उनकी पीठ को बिपास्त करते हैं न उनके ठामू को पीड़ा पहुँचाते हैं। मेगास्थनीस के इस कथन की पुष्टि सीधी में बनी हुई मूर्तियों से भी होती है जिनमें दिखाया गया है कि उस समय पोंडों के मूँह के साथ किञ्चन सुन्दर होत थे।

युद्ध के रथ : ये सेना का महत्त्वपूर्ण अंग माने जाते थे। कोटिस्य ने युद्ध में उनके कामों का वर्णन इन शब्दों में किया है [  $\Delta$  ४ ] 'सिना की रक्षा करना घनु की सेना के चारों अंगों द्वारा किए जाने वाले आक्रमण को निष्फल बनाना युद्ध के समय घनु के मोर्चों पर कब्जा करना तथा आवश्यकता पड़ने पर अपना मोर्चा छानने में सहायता देना यदि कोई ब्यूह टूट जाए, तो उसे फिर से स्थापित करना और घनु के सुमठित ब्यूह को भंग करना अपनी मध्यता तथा युद्धबीज द्वारा घनु का मयनीत करना तथा उसके हृदय में आतंक बिठा देना' (स्वयम्पत्ता बभ्रुगुप्तप्रतिषेध सप्रामे प्रहर्ण मोक्षार्थं विघ्नसम्बन्धानम् अविघ्ननेवमां प्रासनम् श्रीवार्धम भीमघोषश्चेति रथकर्मणि)।

रथाध्यक्ष जैसा कि मेगास्थनीस ने लिखा है युद्ध-प्रशासन में एक अल्प विभाग होगा या जिसका काम होता था सेना के एक अंग के रूप में रथों को हर समय कार्य-राम रखना। इस विभाग के अध्यक्ष को रथाध्यक्ष कहते थे जिसके काम का वर्णन कोटिस्य ने विस्तारपूर्वक किया है [ II ३३ ]। उतका मुख्य काम यह था कि उस समय जो सत्त विभिन्न प्रकार के रथ काम में आते थे उनका प्रामाणिक आकार क अनुसार निर्माण करवाना। युद्ध के रथ (सोप्रामिक बबबा पत्पुतामिपानिक) इस मुख्य (कदाचित ७३ फुट के बराबर) ऊँचे और ९ हाथ बर्बात् की फुट चौड़े होते थे। रथ बनाने वालों को पर्याप्त पारिष्मिक दिया जाता था। इनके बाद अध्यक्ष का दूसरा महत्त्वपूर्ण काम यह था कि वह रथ पर कड़नेवाले सैनिकों को ठीक बनाने पत्बर तथा उनके रथ बनाने पोंडों को बग में गन्त और आग तीर पर रथ पर से कड़ने का उचित प्रशिक्षण देकर उनकी रथ-सामता को उचित स्तर पर रने [ II ३३ ]।

राजा युद्ध की पराजय : निकबर की सेना का मुकाबला करते समय राजा युद्ध में मरण अपने रथ पर मरोसा किया था। बटिपस द्वारा उतक रथों का निम्नलिखित वर्णन [ VIII १४ ] अत्यन्त रोचक है "प्रत्येक रथ में चार पोंडे पूज होने से और उम पर ९ भारतीय होने व जिनमें स वा डाग सिवे रहने से दो रथ के दार्ता आग तीर बनाने के लिए तैयार रण से और दो रथ भी बनते थे और हथियारों में कान्ने भी थे बजाकि सब आग्ने-आग्ने कड़ाई होने कगती थी वष व बीना की बाग छोड़कर मात्र पर भागे मरमाने सपने थे।

कौटिल्य ने यह भी कहा है [ II, ३३ ] कि रथ पर से झड़ने वाले ईनिका को तीर चलाने की कला में (इयु) निपुण होना चाहिए और गधा तथा मुद्गर चलाने (अस्त्रप्रहरण) में भी ।

आधे घण्टाकर कटिपथ स्थिता है परन्तु उस दिन रथ किनी भी काम न जा सके क्योंकि वर्षा होने के कारण जमीन पर फिसलाने से नहीं थी और उस पर मोड़ नहीं कर सकते थे और रथ के पहिये बार-बार कौचक में फँस जाने के कारण अत्यधिक भार के कारण आगे नहीं बढ़ सकते थे ।

इस प्रकार पुरु-राज की पराजय का कारण यह था कि रथभूमि रथ के चलने के लिए अनुपयुक्त थी कौटिल्य के मतानुसार रथ सबसे उपयोगी उस भूमि पर सिद्ध हो सकते हैं जो ऊँची-नीची न हो और जहाँ कौचक न हो और जहाँ रथों की मोड़ने के लिए काड़ी जगह हो (तोयाश्रयाध्रजपतो निष्कलातिनी केदारहीमा ध्यावर्तन-सत्येति रथानामतिशायः) [ X ४ ] । वह समय भी रथों के लिए उपयुक्त नहीं था क्योंकि रथ सबसे अच्छी तरह सुने मौसम में काम कर सकते हैं (अस्पर्शपर्यक वर्धति मरुप्रोपम्) [ LX १ ] । महाभारत में भी बताया गया है कि रथों के लिए कौन-सा स्थान तथा समय सबसे उपयुक्त होता है ( अर्पक-मर्तं पठिता रथभूमिः प्रशस्यते ) [ शांतिपर्व २२१४ ] ।

रथों का व्यूह यह बात ध्यान में रखते योग्य है कि कौटिल्य [ X ५ ] ने लिखा है कि रथों के एक व्यूह में आठ रथों का एक समूह होता था ४५ रथ होते थे जिनमें से प्रत्येक को पाँच घोड़े खींचते थे । इस प्रकार रथों के अतिरिक्त सेना के इस अंग के प्रत्येक विभाग में २२५ घोड़े ६७५ सैनिक और ६७५ अश्व अनुपर (पारधीय) होते थे ।

यह भी हिसाब लगाया गया है कि हर घोड़े का मुकाबला करने के लिए (प्रति युद्ध) तीन पीछे सिपाही और हर रथ का मुकाबला करने के लिए १५ सैनिक होने चाहिए । इसके अतिरिक्त एक हाथी का मुकाबला पाँच घोड़ों से करना चाहिए और घोड़े हाथी तथा रथ की बेधभास के लिए १५ सैनिकों की आवश्यकता होती थी [ X ५ ] ।

मूर्तिपूजा में रथों का चित्रण सौधी में परदेर पर लुबी हुई मूर्तियों में प्राचीन भारतीय रथों का चित्रण मिलता है जिसमें बताया गया है कि इन रथों में दो पहिये होते थे और हर पहिये में १६ १६ आटे होते थे रथ में बैठने के लिए बस्य पीसा एक स्थान बना हुआ था जो पीछे से जुड़ा था इस रथ को दो घोड़े खींचते थे । रथ के बीच में एक सम्बी-सी बन्सी जैसी हुन्डी थी जो घोड़ों की गरदन के पास पहुँच कर ऊपर की ओर की पौड़ा-सा बूम जाती थी इसमें दोनों ओर दो छोटे-छोटे लकड़ी के लम्बे टुकड़े और लगे होते थे जो रथ की चौड़ाई

तक ही जाते थे पर इसमें पूजा नहीं होता था। एय में मुक्ति से वो भारमियों के एक साथ बड़े होने या बैठने की अपह होती थी। परन्तु इन मूर्तियों में विभिन्न एय शक्ति कर्मों के लिए होते थे। सभी की मूर्तियों में शत्रु भी दिखाई गई है जो कड़े बमड़े का एक टुकड़ा होता था पर उसमें एक छोटी-सी लकड़ी की मूठ भी लगी होती थी।

पुत्र के हाथी : हाथियों की सेना का बहुत महत्व था क्योंकि कौटिल्य के कथ नामुसार राजाओं की विजय और शत्रु की सेना का संहार उन्हीं पर निर्भर रहता था (हस्तिसूत्रनामो विजयो राज्ञाम्) [ II २ ] हस्तिसूत्रनामो हि परलीक्यब इति [VII २] मेवास्वनीय क इय उस्सेक में भी कि 'हाथी सदाई में विजय बचवा पद्यय का निर्णय करते थे' इसी तरह की प्रतिष्पनि मिच्छी है।

हाथियों के पुत्र : कौटिल्य ने हाथियों के विशेष कर्मों का उल्लेख इन शब्दों में किया है "सेना के माये-जाने बचना (पुरोयानम्) ऐसे स्थानों में जाना जहाँ शत्रु न हो (सहस्यार्थ) या बाध्य सेने का कोई स्थान न हो या जहाँ शत्रु पर घाट न हो" सेना के पार्श्व की रक्षा करना शत्रुओं पर करना ऐसे स्थानों में बचना जहाँ शत्रुओं बचवा साइ-सबाइ के कारण घुसना समब न हो शत्रु की सेना के सुगठित मोर्चे (सम्बाध) को शीरकर माये बड़ जाना शत्रु के पडाव में भाग लगाना और यदि अपने पडाव में भाग लम जाए तो उसे बुसाना सेना के अन्य बसों की सहायता के बिना विजय प्राप्त करना (एकॉस-विजय) अपनी सेना का मोर्चा मंग हो जाने पर उसे फिर स्थापित करना और शत्रु के मोर्चे को तोड़ डालना (मिससन्धानाम् अमिप्रनेवतम्) संकट से रक्षा करना (व्यसने प्राचम्) शत्रु की सेनाओं को रोड डालना (अभिबल) शत्रु की सेना में मार्गक पैदा करना (बिनीयिका) भय उत्पन्न करना (प्रासतम्) को परकृता (पहम्) तथा अपने शीमकों को छुडाना (मोसतम्) दुर्ग की दीवारों (माल) प्यटकों (डार) तथा उन पर बनी हुई बुजियों (स्युडालक) तथा कसा को मट्ट करना और राजकीय से जाना [३, ४]। एक दूसरे प्रकार में [II २] कौटिल्य ने यह बताया है कि विशालकाय (अतिप्रमाव सरीरः) होने के कारण हाथी अन्य विष्वसामक कार्यों के अतिरिक्त शत्रु के मोर्चे को तोड़ सकते हैं ( परलीक्य ब्यूहप्रवर्तनम् )। उसके जिनों (दुर्ग) तथा शीमक पडावों (सम्बाधार) को मट्ट कर सकते हैं।

अश्वपुत्र सभय : हाथियों से काम लेने के लिए यमी के मौनम को छोड़कर श्व के भीर मनी मौनम अश्वपुत्र है क्योंकि यमियों में "हाथियों के पधीना बहुत निरक्षता है जिससे उनकी शाल को हानि पहुँचती है और उन्हीं कच्छ-रोम

(कुच्छिनो) हो जाता है। जब वे पानी में स्नान नहीं कर पाते और उन्हें पीन पौ बहुत-सा पानी नहीं मिलता तो उनकी अन्दर की गरमी ( अंतरबभाराः ) उग्र लीज बनाती रहती है और वे मरे जाते हैं ( अर्थात् मरन्ति ) [IX १]। इसलिए हाथियों को ऐसे ही देश में लड़ने के लिए ले जाना चाहिए जहाँ पानी बहुत हो ( प्रभूतोदके देश ) और जब वर्षा हो रही हो ( वर्षति )।

उपयुक्त स्थान : हाथिया से काम लेने के लिए उपयुक्त स्थान गौटम्य ने ये बताए हैं [X, ४] "ऐसी पहाड़ियाँ जिन पर चढ़ना मजबूत हाँ (गम्यशक्त) मीची इच्छा ( निम्नचित्तमा ) और ऐसी ऊँची-नीची भूमि जिन पर ऐसे पेट न हो जो विराण जा सकते हों जिस पर तेस पीये हों जो उखाड़े जा सकते हो और जिन पर बहुत कीचड़ न हो और बहुत लट्टू तथा गड़े न हों (बंछन्नगुम्बरण-हीन) वह भूमि भी जहाँ बहुत घूस ( बाँसु ) कीचड़ ( कर्बस ) दलदल और घाम-धुन हो तथा जहाँ बड़े-बड़े वृक्षों की डालों से मार्ग न बंदता हो।

हस्तयध्यक्ष [ II ३१ ३२ ] सेना के एक अंग के रूप में हाथियों के प्रति धन तथा कार्यक्षमता की देखभाल का काम यद्द प्रशासन की एक विशेष शाखा के हाथ में था वैसे कि मेयास्थनीज ने लिखा है। इस विभाग का प्रधान हस्तयध्यक्ष नामक एक पदाधिकारी होता था जिसकी सहायता के लिए और बहुत-से छोटे पदाधिकारी होने थे जो राज्य के लिए हाथियों की पर्याप्त सेना तैयार करने के लिए आवश्यक विभिन्न काम करते थे।

हाथियों को प्राप्त करना : सबसे पहला काम तो विभिन्न स्थानों से हाथियों को प्राप्त करने और जंगली हाथियों को विलेप जंगलों तथा संरक्षित क्षेत्रों में रखने का काम था। हाथी इन जगहों से भाए जाते थे (१) कश्मिर (२) अंग (३) प्राच्य (पूर्वी भारत) (४) जेरि (५) कन्नड (६) बर्मा (७) अफगान ( पश्चिमी भारत ) (८) मुराष्ट्र तथा (९) पाञ्चाल (पंजाब)।

नायकनायक [II २] हाथियों के जंगल अर्थात् संरक्षित बन नायकनायक नामक एक पदाधिकारी के नियंत्रण में रहने थे जिसके साथ नायकनायक नामक अनेक सहायक अधिकारी होते थे, जो इन जंगलों में घूमने तथा उनसे निकलने के मार्गों पर कड़ी निगरानी रखते थे।

हाथियों को लाने वाले फिर जंगली हाथियों को पकड़ने तथा उन्हें प्रशिक्षित करने का काम होता था जिसके लिए अलग से ऐसे लीवों की आवश्यकता होती थी, जिन्हें इन कठिन काम का विशेष ज्ञान तथा अनुभव हो वैसे हाथियों के महाबल तथा उनकी सज्जाई आदि करने वाले ( हस्तिपक ) सीमा के पहरेदार ( सैनिक ) जंगल के रतवाले ( बन-बर्ह ) हाथियों के पैरों में लंका डालने वाले ( शर-प्राप्तिक ) और हाथियों को लाने वाले ( मनीचस्त ) [II ३]।

या लोग हाथियों को खाते थे उन्हें सबसे पहला महत्त्वपूर्ण काम यह करना पड़ता था कि वे उन हाथियों में अंतर कर जो पकड़ने योग्य हों वे और जो राग बजवा किसी अन्य वायु के कारण पकड़ने के लायक न हों जैसे धन्वायु (बिस्क) रोग (ध्याहित) सर्भोवस्था या बहुत छोटे-छोटे बूझ-पीने बच्चों का होना (ममिषी तथा सेनुका) और हाँसा का छोटा होना (मुड) या बिस्कुल ही न होना (मत्कुल) [II, ३१] ।

हाथियों को पकड़ना : छोटा हाथिया को पकड़ने के लिए (हस्तिबन्धी) हथनिया को इस्तेमाल किया जाता था । हाथिया का पना उनके मऊ-मूत्र उनके पद-नि ही उनका बिभ्राम करने के स्थानों या चलते समय मार्ग में उनके द्वारा की गई शक्ति द्वारा (कल्पयन्तीहेमेन) लगाया जाता था । मेगास्थनीज ने हाथियों को पकड़ने के तरीके का वर्णन करते हुए बताया है, कि कुछ हथियाएँ एक घेरे में बंध कर ही जाती थी और उसके चारों ओर एक गहरी खाई खोद दी जाती थी जगली हाथी एक पुरुष पर से होकर इस घेरे में पहुँच जाने से और फिर वह पुरुष हटा लिया जाता था ।

हाथियों के रहल-सहल तथा खान-पान की व्यवस्था पीसते, हाथियों के रहने की व्यवस्था करने का काम होता था जिसके लिए कुछ विशेष कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी जिनमें से कुछ कर्मचारी वे थे चिकित्सक, हाथियों को खाने वाला (अभोकश्च) साधारण महाकठ (आरौहक) या कुशल महाकठ (आबीरक) घण्टी बाँध कर ले वाला (हस्तिपक) सेवक (जीवधारिक) खाना पकाने वाला (विधायाचक) पास बने वाला (वार्सिक) रखवाला (कडीरलक) और रात को बेल भाल करने वाले (मीपशायिक) [II ३२] । ये लोग हाथिया के आहार तथा उनकी दैनिक आवश्यकताओं (जैसे स्नान प्रदिक्षण तथा विधाम) का नियमन करते थे ।

सैन्य-संग्रहण भीमे राज्य के हाथियों को विशेष रूप से मुड में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों (साप्राहप) को उचित प्रशिक्षण देने का महत्त्वपूर्ण काम था जिसके लिए नियमित रूप से नियुक्त सहायकों की आवश्यकता रहती थी । उन्हें मुड के लिए आवश्यक सभी विधाओं (साप्रायिक) की प्रशिक्षण देनी पड़ती थी जैसे उठना झुजना या बूझना (अवस्थाम) मुडना (सर्भन) मारना या पकड़ना (वधाचय) घूमर हाथियों से सड़ना (हस्तिमुड) और किसी तथा गहरों पर आक्रमण करना (नापरायणम्) [II ३१ २] ।

हाथी पर चढ़ने वाले : मेगास्थनीज के अनुसार [अंग. XXXV] मुड का हाथी "अस्ती मीगी पीन" पर या पीठ पर बसे हुए हीरे में तीन सैनिकों को लेकर चलता है, जिनमें से दो हाथों तरफ में हीरे बसाते हैं और तीसरा पीछे से । हाथी

पर एक बीया सादमी भी होता है जिसके हाथ में एक भंकरा होता है जिसकी गता यता में वह हाथी का उसी प्रकार धम में रखता है जैसे जहाज का संचालक दिना बहसने वाले यज्ञ की सहायता से जहाज को सही माग पर रखता है।”

इस प्रकार हम देखते हैं कि युद्ध के लिए अच्छी तन्त्र के हाथी तैयार करने में अनेक प्रकार के बर्तमानियों का सहयोग आवश्यक होता था। चंद्रगुप्त के साम्राज्य के सिम्प्यस में हाथियों का योगदान कुछ कम नहीं था।

हाथियों का पोषण-स्थल—पूर्वी भारत ऊपर हमने भाग की जिन सम कालीन समाप्ती का उल्लेख किया है उसकी तुलना करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रगुप्त की सेना हाथियों की दृष्टि से अन्य समाप्ती के मुकाबले में बहुत आगे बढ़ी हुई थी। प्राचीन भारत के सभी कृतान्त में इस बात का प्रमाण मिलता है कि हाथियों को पकड़ने तथा उन्हें प्रशिक्षित करने में पूर्वी भारत अर्थात् मगध सबसे आगे बढ़ा हुआ था (रीड ईन्विजिस बुद्धिस्ट इन्डिया पृष्ठ २६६)। इस प्रसंग में हम यह भी बता दें कि कौटिल्य ने प्राच्य (पूर्व) के बारे में यह कहा है कि वहाँ से सबसे अच्छे हाथी मिलते थे और महाभारत में भी एक जगह [XII १०१] विभिन्न जातियों के लोगों के रण-कीर्ण की तुलना करते हुए हाथियों की सहायता में प्राच्यों की अष्टना का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही हम उस काल की भी तुलना कर सकते हैं, जिसे मेगास्थनीज का बताया जाता है (एशेट इन्डिया पृष्ठ ११८) कि सारे देश में सब बड़े हाथी प्रेषित हाथी हाते थे अर्थात् प्राचियाई देश के अर्थात् पूरब के भागों के देश के।

गौ-सेना विभाग : नावप्यस हम अब सेना के सभी मुख्य अंगों पर विचार कर चुके हैं और गौ-सेना विभाग का उल्लेख करके हम इस विवरण को समाप्त करेंगे। मेगास्थनीज के अनुसार यह चंद्रगुप्त के युद्ध-कार्यालय का एक विभाग था। गौ-सेना के बारे में बहुत कम सामग्री मिलती है। कौटिल्य के अनुसार, गौ-सेना विभाग नावप्यस नामक एक अधिकारी के अधीन था जिसे युद्ध से सम्बन्धित सभी समस्याओं पर विचार करना पड़ता था। युद्ध में जहाजों के प्रयोग का उल्लेख सबसे पहले सिकन्दर के अभियानों के सिन्धु में मिलता है जिसने अपनी नावों के बड़े की सहायता से सिन्धु नदी तथा मेसम नदी को पार किया था (बी ए० स्मिथ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पृष्ठ ५५)। अरियन ने (मेरी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिपिय पृष्ठ १०२) आबरोई नामक जाति के लोगों द्वारा जहाजी-जाटों का निर्माण करने ३० पतवारों से बनाई जाने वाली नावें तथा माक डोने वाले जहाज बनाने का उल्लेख किया है। जहाजों के निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था परन्तु जहाज लोगों को किराए पर दिए जाते थे [भागो XV ४६]। कौटिल्य ने भी इस बात की पुष्टि की है [II २८]। गौ-

सना वा यह कलात्म्य वा कि जो बहादुर कूटमार करते हों ( विसृष्ट ) या जो किसी शत्रु के देश से आ रहे हों ( अमिश्रितविवर्तितः ) उनका पीछा करने वह उन्हें मार कर दे । नौ-सेना विभाग वास्तव में नदियों पर तथा समुद्र तट पर पहुँचे वा प्रवेश करता था । बाटो पर जितनी भी बुंगी बसुम की जाती थी बंदरवाहों का साग मूल्य और तट-कर वसूल करने का काम भी नौ-सेना विभाग के सुपुर्ब वा परम्पु उन्हें उन लोगों को मित्ररूप में लेना पड़ता था जो सेना के लिए कोई भी ( रसद या आश्रय ) ले जा रहे हो [II २८] । इस प्रकार नावों की बखरत इतनी ज्यादा रुदन के लिए नहीं पत्नी थी जितनी कि अश्व-मार्ग द्वारा सेना के लिए हविषार तथा सामान ले जाने के लिए ।

नीति साम्राज्य के विपुल सैन्य सामर्थों का उपयोग उस नीति के अनुसार किया जाता था जिसका लक्ष्य हो उद्देश्यों की पूर्ति करना होता था (१) अश्व और (२) व्यापार अथवा प्रवास काम का अर्थ वा व्यापार द्वारा प्राप्त होने वाले फल का सुरक्षा के बाधाकरण में उपयोग करना [ VI २ ] ।

ये दो मुख्य ६ बुधी नीति पर निर्भर थे जिसे धर्मसुधम् कहते थे इति नीति के ६ अंश ये थे (१) संधि अथवा पक्षबंध बन्धो अथवा आस्वाहनो द्वारा राज्यो के बीच समझौता (२) विग्रह अथवा अश्वार, अर्थात् युद्ध (३) आतन अथवा उपसन्न अर्थात् तटस्थता (४) दान अथवा अश्वमुच्य अर्थात् युद्ध की तैयारियों के लिए सामग्री एकत्रित करने के लिए अनियोग (५) संघय अथवा परार्थकम् अर्थात् वन या बंदी लेकर अधिक शक्तिवाली राजा को दान देना (६) ईश्वी अथ अर्थात् एक के साथ घाति और युद्ध के साथ युद्ध करना (VII १) ।

इस ६-बुधी नीति से प्राप्त होने वाले फलों के अनुसार राज्यो की दशा मित्रकियिण तीन दशाओं में से कोई भी हो सकती थी अथः अर्थात् पतन स्वानम् अर्थात् ज्यों का त्यों रहना और बुद्धि अर्थात् फलना-फलना ।

राज्य की दशा इस पर निर्भर करती थी कि उसकी नीति अच्छी (तय) है या बुरी (अपतय) और इस बात पर भी कि उसका भाग्य (ईश) अच्छा (अय) है या बुरा (अपय) ।

आदर्श राजा यही है जो बुद्धि को अर्थात् अपने राज्य का विस्तार बढ़ाने को अपना लक्ष्य बनाए और उसे एक विजेता के रूप में (विजिगिषु) इस कदम की पूरा करना चाहिए ।

उपनी सफलता (सिद्धि) उसकी शक्ति पर निर्भर रहती थी ।

शक्ति तीन प्रकार की बताई गई है (१) बुद्धिमत्ता (अज्ञानतम्) तथा अज्ञान परामर्श (अज्ञानतम्) (२) साधन सामग्री तथा सेवा (कोशहृदयतम् प्रभु-शक्ति) और (३) संघस्य ( विक्रमवतम् उत्साहशक्ति ) [VI १] ।

इस ६-सूत्री नीति का लागू करने का क्षय से राज्य होते से जिनके साथ वह राजा मित्रता अथवा घबुता के सम्बन्ध स्थापित करता या (वाङ्मण्यस्थ प्रकृति मण्डलं धोक्ति) [VI २] ।

इन वैदिक सम्बन्धों में अंतर इस प्रकार किमा गया है

पड़ोसी राजा को घबु मानना चाहिए । उसका पड़ोसी राजा मित्र है । अन्य शाक्यों घबु की मित्र होंगी या उस राजा की अर्थात् विजेता की मित्र होंगी या फिर वे घबु के मित्रों की मित्र होंगी ।

विजेता और उसके घबु के बीच में एक मध्यम राजा भी हो सकता है, जो दोनों में से किसी भी पक्ष की सहायता कर सकता है ।

और अंत में ठटस्म (उदासीन) राजा होता है ।

विजय की याचना यह बताई गई है कि सबसे पहले घबु के राज्य पर अधिकार करना चाहिए, फिर मध्यम और उदासीन राजा के राज्य पर [XIII ४] ।

यह विजय का पहला तरीका है (एव प्रथमो मार्गः पृथिवीं जेतुम्) ।

यदि कोई मध्यम या उदासीन राज्य न हो और विजेता को सीधे-सीधे घबु से ही निबटना पड़े तो उसे पहले घबु के मंत्रियों को और फिर उसकी सेना को अपनी ओर भिन्नाने और उसके बाद उसके राजकोष पर अधिकार करने के लिए अपनी उच्चतर शक्ति का उपयोग करके विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए (मरिप्रकृतो ममत्पारीन सापयेत तत उत्तराः प्रकृती कोशरणादिका) । यह विजय प्राप्त करने का दूसरा तरीका है ।

यदि विजय प्राप्त करने के लिए राज्यों का कोई मडक न हो तो उसे अपने घबु द्वारा अपने मित्र पर या अपने मित्र द्वारा घबु पर विजय प्राप्त करनी चाहिए उसे उन दोनों के बीच युद्ध करा देना चाहिए, ताकि वे दोनों कमबोर हो जाएँ और वे दोनों पर विजय प्राप्त कर सके । यह विजय प्राप्त करने का तीसरा तरीका है ।

या फिर वह अपने मित्र की सहायता से अपने घबु पर विजय प्राप्त कर सकता है, और इस प्रकार अपनी शक्ति को दुगुना करके वह दूसरे राजा पर विजय प्राप्त कर सकता है और जब शक्ति तिपुनी हो जाए, तो वह तीसरे राजा पर विजय प्राप्त कर सकता है । यह विजय प्राप्त करने का चौथा तरीका है ।

उसे धर्म के अनुसार शासन करके विजेता (जित्वा च पृथिवीम्) जैसे आचरण का परिचय देना चाहिए (XIII ४) ।

उसे स्वयं अपने पुर्णों द्वारा पराजित राजा के दोषों को डक लेना चाहिए और अच्छे प्रशासन द्वारा रिवायतों (मनग्रह) करके सूट (नरिहार) देकर

दान तथा मान देकर अपने गुणा में वृद्धि करनी चाहिए और इस प्रकार अपनी नई प्रजा के सुख तथा कल्याण में योग देना चाहिए (प्रवृत्तिप्रियहितानि मनु कर्तव्यं) । बिबेका को इस बात का भी परामर्श दिया गया है कि उस विद्वित लोगो के पीछे-रिवाज (शील) उतका पहनावा (वेद्य) भाषा तथा कानून (आचार) संपीकार करना चाहिए । उसे उनके धर्म सामाजिक व्यवस्थाओं तथा उत्सवों का सम्मान करना चाहिए । उसके सुपुत्र (सत्रिणः) विभिन्न स्वागा (द्वेष) यात्रो (प्राप्त) जातियो तथा सत्रो के भोगो के नेताओं का इस बात की सूचना देगे कि राजु ने देश को क्या हुआ (अपचार) पहुँचाई है, और स्वयं वह राजा कितना पाकिशाली है उसके हृदय में प्रजा के लिए कितना प्रेम है और वह उनके कल्याण के लिए क्या उपाय कर रहा है । अपनी नई प्रजा के देवताओं का सम्मान करना तथा उनके विद्याओं (विद्याधुर) वस्त्राओं (वास्यधुर) तथा धर्मनियमों (धर्मधुर) को भूमि तथा अन्य वस्तुएँ दान देकर तथा उनके घर मान करके उन्हें पुरस्कृत करना बिबेका राजा का कर्तव्य है । उसे अपनी विजय के उपलक्ष्य में सत्र बंदियो को मुक्त कर देना चाहिए (सर्वबंधनमोक्षणम्) और बंधाला निराश्रितो तथा रोपियो के भरण-पोषण की व्यवस्था की घोषणा करनी चाहिए । उसे अश्वपुत्रत्व ( कुछाई स सिठम्बर तक ) के दौरान में बाबे महीने के लिए, पर्वमासी के समय चार दिन के लिए, और राजा के अम्मदिवस के मसत्र में और वेद्य-विजय के मसत्र में एक-एक दिन के लिए ( टीकाकार ने राज-मसत्र तथा वेद्य-मसत्र मसत्रों की व्याख्या इसी प्रकार की है ) पशु-वध निषिद्ध कर देना चाहिए । अन्तिम बात यह कि तू देश में उत्पात तथा असंतोष के सभी बीजों का दमन करके उसे अपनी सुरक्षा तथा अपनी विजय का सुनिश्चित बनाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने चाहिए [XII ५] ।

अश्वपुत्र मौर्य जैसे सम्राट के लिए साम्राज्य-निर्माण के इच्छे अन्ते सूर्यो तथा सिद्धांतों की कल्पना भी नहीं की जा सकती । उसके विस्तृत साम्राज्य में विभिन्न सामाजिक पद्धतियों तथा वर्णों को मानने वाला अनेक लोक-समुदाय वास करते थे । उसमें उत्तरी-पश्चिमी सिरे पर बिबेकी अर्थात् वीर जाति के लोग रहते थे और साम्राज्य के दक्षिण भाग में भी स्वयं भारतवर्ष में अनेक जातियाँ रहती थी जो सामाजिक विनाश की विभिन्न व्यवस्थाओं में थी—आदिवासियों वन-पालियों (अप्रविष्ट) और यायावर जातियो से लेकर उन सुसंस्कृत वर्णों (आर्यों) तक जो वर्णाश्रम-धर्म की पद्धति के अनुसार पने-बदे वे और समाज नीतान के सिद्धांत पर थे । दिम्बिजयी सम्राट के लिए हीटिस्य ने संरक्षक तथा विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों को पूरी तरह समझने का या व्यापक सिद्धांत बनाया था वही अपने विस्तृत क्षत्र में इतने मानवता तथा अपने विनाश सामाजिक तथा

सांस्कृतिक वैविध्य को इस प्रकार स्थान दे सकता था कि उनके क्षेत्रों को मिटाकर उन्हें एक समष्टि का रूप दे सके और उन्हें एक ही राजनीतिक पत्रिका बपवा साम्राज्य के विभिन्न अर्थों के रूप में संयुक्त कर सके । इस प्रकार बौद्धिक तथा चन्द्रगुप्त अपने साम्राज्य-सम्बन्धी बुद्धिसंगत सिद्धान्तों तथा इस क्षेत्र में अपने व्यवहार के कारण भारत के सर्वप्रथम साम्राज्य-निर्माता थे । उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना उसक सभी लोक-समुदायों के लिए पूर्ण सांस्कृतिक स्वतंत्रता उनकी मिश्र-मिश्र भाषाओं की रीति-रिवाजों तथा उनके धर्म के प्रति सम्मान और उनके सामाजिक, धार्मिक तथा भाषा-सम्बन्धी उन सभी अधिकारों की रक्षा के आधार पर की जिसके कारण लोक-समुदाय की एकता स्थापित होती है ।

## अध्याय ११

### सामाजिक परिस्थितियाँ

समाज-व्यवस्था : वर्ग समाज उस कट्टर राष्ट्र-पद्धति पर आधारित था जिसने इस बार मुख्य वर्गों में बिभाजित कर दिया था जिसका उत्पन्न पहले किया था चुका है। इस बार वर्गों के अतिरिक्त कई निम्न वर्ग (अउर-वर्ग) भी थे [VI १ VII २]।

संसार वर्गों के अनेकानेक सहर वर्गों (असुराज) के साथ भी थे जो निम्न वर्गों के लोगों के बीच बिबाह से उत्पन्न संतान थे। अधीनस्थ ने निम्न वर्गों के बीच इस प्रकार के बिबाहों से उत्पन्न होने वाली संतान का वर्णन इस प्रकार किया है [III ७] (१) अनुभोग बिबाह से उत्पन्न होनेवाली संतान अम्बळ निपाथ, या पारथक (ब्राह्मण पिता की संतान) उध (अश्विन पिता की संतान) धूर (बैश्य पिता की संतान) (२) प्रतिज्ञा बिबाह से उत्पन्न होनेवाली संतान मायागव अत तथा अण्डाल (धूर पिता की संतान) मायक तथा वैरेहक (बैश्य पिता की संतान) और सुत (अश्विन पिता की संतान)।

इन सहर वर्गों के बीच परस्पर बिबाह से उत्पन्न होनेवाली संतान का उल्लेख इन प्रकार किया गया है उध पिता तथा निपाथ माता की संतान कुवट्टक निपाथ पिता तथा उध माता की संतान पुवकत अम्बळ पिता तथा वैरेहक माता की संतान वैक वैरेहक पिता तथा अम्बळ माता की संतान कुशीकत उध पिता तथा अत माता की संतान इवपाक कहुतापी थी।

राष्ट्रपत्रों का जल्बान यह बात स्मरण रखने की है कि वैसे कि एफ० स्म्यू० टामस ने कहा है [कॉम्बिज हिस्ट्री I ४८४] 'मौल्य साम्राज्य की उत्पत्ति एक प्राकृतिक से तथा एक राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप हुई थीर कौटिल्य के नेतृत्व में उस साम्राज्य में समाज का नियमन वर्गभेदधर्म के नियमों के अनुसार किया। इस पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। इस समाज के गायर पर ब्राह्मण का स्थान का जो पुरोहित तथा राजकुल के रूप में राजनीति तथा प्रशासन पर बहुत बढ़ी हुई एक प्रभाव डालता था और परिपक्व का महत्त्व होने के नाते विधान-निर्माण पर भी प्रभाव डालता था। कानून में उसकी इस सर्वोपरि सामाजिक स्थिति को स्वीकार करते हुए उस समस्त करा में मुक्त कर दिया गया था उसकी सम्पत्ति बचत नहीं की जा सकती थी उसे कोई पारिस्थिक बंध बंधना मृत्युबंध नहीं दिया जा सकता था उसे अधिकतम दंड यह दिया जा सकता था कि उसे बन्धकित करके देग निकाला दे दिया जाए [VI ८]। परंतु इस सारे सामाजिक सम्मान का कारण यह था कि वह सही माने में समाज का अंग होता ही नहीं था वह सभार में रहते हुए भी उससे परे था। उसका वास्तविक कार्य अन्वयन तथा अन्वयण था और उसका उचित निवास-स्वाम्य की कृतियाँ ये था जहाँ वह अपना समय बर्न-बर्न में व्यतीत करता था और परलोक की चिन्ता में ही सीन रहता था [कॉम्बिज हिस्ट्री I ४८४]।

परंतु अब धीन-मत्त तथा बीड़-मत्त जैसे सम्प्रदायों के विकास के कारण और कई दूसरे सम्प्रदायों के विकास के कारण जिनका जलेश्वर उस समय के साहित्य में मिलता है (देखिए प्रस्तुत पुस्तक के देखककी दूसरी पुस्तक शिखर सम्पत्ता, पृष्ठ २२) और जो प्रकल्पित धर्म में विश्वास नहीं रखते थे और धर्म-परिवर्तन-करते थे इस समाज-व्यवस्था के लिए सतरा पैदा हो गया था। ये सम्प्रदाय प्रवृत्तियों के संघ बनाकर उसकी बुनियादों को हिला देने की धमकी दे रहे थे। इस बात से हम बड़ी माति समझ सकते हैं कि ब्राह्मण-पद्धति का ध्वजावाहक होने के नाते कौटिल्य इस बात के पक्ष में नहीं था कि कोई वैधानिक धर्म-कारियों की अनुमति प्राप्त किए बिना (मिला० आपुष्यम धर्मस्थान्) [II १] और पुत्र तथा पत्नी के लिए कोई उचित व्यवस्था किए बिना (पुत्रधारं अग्रति-विधाय) [II, १] इस संसार से और बृहत्त्व जीवन के वादित्यों से नाया लोड़ के। कौटिल्य ने जो इस बात की भी मनाही कर दी थी कि यदि मैं कोई भी इस प्रकार के अपमानित संस्थाओं को स्मरण न दे क्योंकि उसे डर था कि इससे साम्य-समाज में उपलब्ध-पुत्रक पैदा हो सकती है (न कल्पयं उच्यते) [II १]।

“इस प्रकार हम मौर्य युग में केन्द्रीयकरण की अवस्था का सूत्रपात देखते हैं जिसमें केवल कुछ बहुत बड़े-बड़े सम्प्रदाय ही एक संस्थापित ब्राह्मण कट्टरसंघ के सामने टिके रह सकते थे। और यह बात एक महान् साम्राज्य का स्वाभाविक परिणाम थी” [कैम्ब्रिज हिस्ट्री I ४८४]।

यूनानी वृत्तान्तों में हिन्दू समाज का वर्णन : बर्न तथा व्यवसाय के बीच पड़सङ्ग : यूनानी वृत्तान्तों में हिन्दू समाज के जो उल्लेख हैं उन से पता चलता है कि वे तो उस व्यवस्था को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे जो अपने ढंग की बनायी व्यवस्था थी और विदेशियों के लिए एक अपरिचित चीज थी। इस लिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। मेगास्थनीज और उसके बाद के भ्रष्टकों ने बर्न तथा उनसे सम्बन्धित व्यवसायों के अंतर को ठीक से न समझ सकने के कारण सात ‘भारतीय बर्नों’ का वर्णन किया है। वेबान ने ठीक ही कहा है [कैम्ब्रिज हिस्ट्री पृष्ठ ४९] “परन्तु वे सात बर्न उन विभिन्न प्रतिनिधियों को प्रतिबिम्बित करते हैं वा पाटलियुव में रहनेवाला कोई यूनानी ईसा-पूर्व चौथी शताब्दी में अपने चारों धार देखता था।

मेगास्थनीज की बुद्धि में ब्राह्मण : परन्तु यूनानी वृत्तान्तों में वे बर्नों के विवरण को विभिन्न बर्नों के लोगों के व्यवसायों या एक ही बर्न के लोगों के विभिन्न व्यवसायों के उन विवरणों से अलग करना संभव है, जिनके साथ उन्हें मिला दिया गया है।

एक बर्न के रूप में ब्राह्मणों के बारे में मेगास्थनीज ने निम्नलिखित बातें कही हैं

वह कहता है कि ब्राह्मण ऐसे “दार्शनिक होते थे जिनमें समाज में सर्वोच्च पर प्राण था पर जो संख्या की दृष्टि से सब से छोटा वर्ग था (अथ XXX)। परन्तु इस विषय में मेगास्थनीज ने जो कुछ लिखा है उसका अधिक विस्तृत विवरण हमें स्वामी क बर्न मिलता है

‘ब्रैकमेन’ (Brachman) “दार्शनिक दो प्रकार के होते हैं। (१) ब्रैकमेन (Brachman) और (२) बरमेन (Barmenes)। बरमेन सबसे अधिक सम्मान के पात्र हैं, क्योंकि वे एक अधिक सुसंगत ऋषिद्वय पद्धति का पालन करते हैं।

छात्रवृत्ति छात्रों के रूप में वे “नगर के सामने एक छोटे से बिरे हुए स्थान में किसी कुंड में रहते हैं। वे सख्त जीवन व्यतीत करते हैं और बात फूल जयवा नृगञ्जाला की शय्या पर विधाम करते हैं। वे मांस नहीं खाते और संन्यास के मूल से दूर रहते हैं और अपना मातृ समय ब्रह्मीर उपदेश मनने में व्यतीत करते हैं।”

गृहस्वास्थ्य "इस प्रकार सैतीस वर्ष तक जीवन व्यतीत करने के बाद प्रत्येक छात्र अपने घर लौट जाता है और शेष जीवन सुख तथा सुरक्षा के वातावरण में व्यतीत करता है।

'तब वे बड़िया मसमस के बरत पारण करते हैं और अपने उद्योगों पर तथा कानों में छोल के छोटे-मोटे धानूपष भी पारण करते हैं। वे मौस खाते हैं पर परिश्रम करने वाले पदार्थों का नहीं। वे बहुत चटपटा तथा मछानेदार भोजन ग्रहण नहीं करते।

यह जीवन के प्रथम आधम अर्थात् ब्रह्मचारी के जीवन का और उसके बाद गृहस्थ के जीवन का वर्णन है। इसमें केवल एक बात यह है कि विद्योपाजन का काम ३७ वर्ष का बताया गया है, जो एक अपवाद है मनु ने विद्योपाजन की अधिकतम अवधि सैतीस वर्ष बताया थी [III ?]। यहाँ पर मेगास्थनीज ने हिन्दू पद्धति के अनुसार जीवन के चार आयुओं में विभाजन के बारे में भी अपनी अनभिज्ञता का परिचय दिया है।

मेगास्थनीज ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि उस समय के ब्राह्मण दिन-दिन व्यवसायों में काम करते थे।

व्यवसाय : 'जा श्रेय कोई मज कराना चाहते हैं और कोई संस्कार सम्पन्न कराना चाहते हैं' उनके लिए वे पुरोहित के रूप में काम करते हैं।

"राजा लोग उन्हें बड़े-बड़े सास्त्रार्थ सम्मेलनों के लिए सार्वजनिक रूप से भी बुलाते हैं जिसमें गण वर्ष के आरम्भ में सभी सार्वजनिक एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और यदि किसी सार्वजनिक में कोई उपयोगी बात किसी होती है या फसल में तथा पशुओं की रक्षा में सुधार करने का या सार्वजनिक हित का कोई उपाय मान्य किया जाता है, तो वह सबके सामने उसकी घोषणा करता है।"

विद्योपाजन में मेगास्थनीज की रचनाओं का जो बहुत संघट्ट पैवार किया है, उसमें उसने इस बात को कुछ भिन्न रूप में अंकित किया है।

वह कहता है, (पुरोहित के रूप में) "अपनी सेवाओं के बदले उन्हें बहुत-बहुत उपहार तथा विद्योपाजनकार मिलते हैं।

"वे लोग सभी भारतवासियों का बहुत हित करते हैं क्योंकि जब वे नववर्ष के आरम्भ में एक स्थान पर एकत्रित होते हैं तो वे एकत्रित जन-समुदाय को पहले से अनाकृष्टि तथा वर्षों की हानिकारक हवाओं तथा रतों की सूचना देते हैं और धानियों को ऐसी बातें भी बतलाते हैं जिनसे वे बच सके हैं। इस प्रकार राजा तथा प्रजा पहलेसे ही अविष्य का ज्ञान प्राप्त करने और पहले

से ही ज़ाही विपत्ति का सामना करने के लिए उचित व्यवस्था कर लेते हैं और हमेशा पहले से ही आवश्यकता पड़ने पर काम करने वाली चीजों का प्रबंध करके रखते हैं।

इसी विषय पर बरियन ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये हैं "डोफ़िस्टो की संस्था उतनी नहीं है जितनी अन्य दार्शनिकों की। पर उन्हें 'बादर तथा' सम्मान का खबोख पद प्राप्त है क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई-छात्रीक बम करने या अपने बम के फल में सामूहिक निधि में कोई योगदान करने की कोई आवश्यकता नहीं होती नहीं किसी कर्तव्य कापालन करने पर वे धर्मवा वाप्य होते हैं। उनका केवल एक कृतव्य होता है—राज्य की बार से वेवस्थाओं को प्रसन्न करने के लिए यह कथना।

'सरमेन' (अमन) अब हम दार्शनिकों की उस बूझटी बेनी पर विचार करेंगे जिन्हें अनात्मनीय ने सरमेन कहा है। स्त्राबो ने लिखा है 'जहाँ तक 'सरमेन' का संबंध है उनमें से जो सब से अधिक सम्मान के पात्र होते हैं, वे 'हाइलोबिजोई' अर्थात् 'बन में रहने वाले' (बायबल भववा यमजाकिन्) कहलाते हैं। वे पेडा की पतिप्रा तथा प्रवर्षी फल खाकर बन में जीवन व्यतीत करते हैं और पंजों की छात्र के बन्ध पहनते हैं। वे समोम तथा मरिरापान से दूर रहते हैं।" क्लीमेंस के बचनानुसार, 'वे न तो नररो से रहते हैं, न रहने के लिए घर ही बनाते हैं। वे बूझों की छात्र के बन्ध पहनते हैं और कबमूख जाहि पाते हैं। वे न बिबाह करते हैं न संतान उत्पन्न करते हैं।" यह विवरण उन ब्रह्मचारियों के विवरण से मेल खाता है जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और नैष्ठिक-ब्रह्मचारी कहलाते थे।

यूनानियों ने जिस 'सरमेन' शब्द का प्रयोग किया है, वह संस्कृत के अनात्म शब्द का पर्याय है। उस समय प्रायःक सम्प्राप्ति को चाहे वह बौद्ध हो या न-बौद्ध समझ नहने थे। यद्यपि असोक के प्रासनकाक में यह शब्द केवल बौद्ध मिराजों के लिए उपयुक्त होने लगा था।

जैसा कि बेबान ने लिखा है, बह लोपों ने यह विचार प्रकट किया है, कि अनात्मनीय द्वारा सरमेन का उल्लेख पारथाय क्लेकों की रचनाओं में बौद्धों का सर्वप्रथम उल्लेख है। परन्तु हम विवरण में कोई ऐसी बात नहीं मिलती जो केवल बौद्धों का चरितार्थ होनी हो और बौद्धों के सम्प्रदायों के लिए भी भारतीय साहित्य में अनात्म शब्द का प्रयोग किया गया है। अतएव जिन लोपों के बारे में अनात्मनीय ने इस शब्द का प्रयोग होने मुना का यदि वे बौद्ध थे

तो हम यही कह सकते हैं कि उसे उन लोगों के बारे में "तनी कम जानकारी थी कि वह उनका कर्मन केबाद ऐसी विशेषताओं के आधार पर कर पाया जो विभिन्न प्रकार के हिन्दू माधुमा में समाप्त रूप में पाई जाती थीं। उनका कर्मन बौद्ध सम्प्रदायों की अपेक्षा प्राकृतिक सम्प्रदायों पर अधिक श्रितान्ध था।" [कैम्ब्रिज हिस्ट्री I, २२०]।

इन व्यक्तियों के कर्मन से ऐसा प्रतीत होता है कि वे जीवन के तीव्र तथा जोड़े आधार के आधार पर जिन्हें परिष्कारण तथा सम्प्राप्ति कहा जाता था।

पौतम ने अपने धर्म-सूत्र में तीव्र आधार में जीवन व्यतीत करनेवाले व्यक्ति को त्रिभु कहा है और उन्होंने उनकी विशेषताएँ ये बताई हैं (१) अनिश्चय, जिसके पास किसी भी बन्धु का कोई भ्रष्टार नहीं और (२) ऊपरता, जो काम-वासना से सर्वथा मुक्त हो (जैसा कि मेगास्थनीज ने भी कहा है)। जीने आधार में जीवन व्यतीत करनेवाले व्यक्ति को उन्होंने बरवान्त कहा है जिसे (जैसा कि मेगास्थनीज ने भी कहा है) जयन्त में (जने) रहना चाहिए, कर्ममुक्त तथा फल पाने चाहिए और कर्मक बन्धों की छाक बन्धना पदुकों की लाल के बन्ध धारण करने चाहिये (कीरानिन) [III तथा Δ]।

बौधायन तथा आपस्तम्ब ने जीने आधार में जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति के लिए परिष्कारण मन्त्र का प्रयोग किया है और सम्प्राप्ति धर्म का भी।

उनके व्यवसाय : यूपानी लेखकों ने इन व्यक्तियों के कार्य-रूप का भी कर्मन किया है।

"जो राजा उन से विभिन्न बटनियों के कारणों के विषय में अपने मन्त्र बाह्यो द्वारा उनका परामर्श माँवते है उन्हें वे अपने विचारों से अवगत कराते है जन्ही के द्वारा राजा देवताओं की आराधना तथा उपासना करते है।

"उसमें से कुछ शिकित्सक भी होते है, जो मानव-प्रकृति का अध्ययन करते है। वे औषधियों का प्रयोग न करके आहार के नियमन द्वारा रोग को दूर करते है। औषधियों में भी वे पी जानेवाली औषधियों को अपेक्षा बाह्य लमाई जाने वाली औषधियों को अधिक महत्व देते है। सबसे अधिक महत्व मत्स्य तथा शिप को दिया जाता है। अन्य सभी औषधियों का वे प्रकृतियाँ हासिल कर मानते है।

"शास्त्रों की तरह ही वे भी कठिन तपस्या द्वारा सहजमीलता प्राप्त करते है इस उद्देश्य से वे सक्रिय परिश्रम भी करते है और पीडा भी सहन करते है, वे दिन भर एक ही आसन से निष्कल बैठे रहते है।

कैसा कि एंकारिस्टम ने बताया है "इन चिकित्सकों की जीवनचर्या को ये मामय (संस्था) का जीवन व्यतीत करनेवाले ब्राह्मणों से बहुत-कुछ मिलती-जुलती है।

और मैककिन्डिस ने भी ठीक ही कहा है कि 'सबसे बहुत ही विचित्र बात है कि बर्षों की बर्ष का अस्तित्व चिकित्सक के आक्रमण से दो घण्टा की पहले से या पर मुनाजी कैबकों ने कभी उस अलग एक धर्म के रूप में नहीं देखा। इसका एकमात्र कारण यह हो सकता है कि इस धर्म के अनुयायियों का रंग रूप तथा उनका आचार-व्यवहार दूसरों से इतना अलग नहीं था कि कोई विदेशी उन्हें आम लोगों से अलग पहचान सकता।

स्त्रायो ने उनकी जीवनचर्या के विषय में यह भी लिखा है कि 'वे काले रंगों में नहीं रहते वे बाबू तथा ऐसे माजरा पर निर्भर रहते हैं, जो उन्हें भिक्षा में आसानी से मिल जाए, या फिर जिनके घरों में वे अतिथि होते हैं वे भी कुछ खिला दें नहीं वे खा लेते हैं।

उनके बारे में यह भी कहा गया है कि वे 'वेद-अध्याय का ज्ञान' भी प्राप्त करते हैं।

इसमें से कुछ सरनेम के बारे में यह भी कहा गया है कि वे "अद्विष्ट विचारों से, साह-रूक करते हैं और मुतात्माओं से सबधित संस्कार सम्पन्न कराने में निरुण होते हैं। वे गाँवों तथा नगरों में दोनों ही समूह घूम-फिरकर भिक्षा माँगते हैं।

इसमें से कुछ "अधिक सुसंस्कृत तथा परिभाषित होते हैं और जीवों में ऐसे अन्ध-विश्वासों का उच्चार करते हैं जिन्हें वे जीवन की शुद्धता तथा पवित्रता के लिए हितकर समझते हैं।

शास्त्रिक स्त्रियाँ : "इसमें से कुछ के साथ स्त्रियाँ भी दर्शनियों का जीवन व्यतीत करती हैं पर वे संभोग नहीं करती। इस प्रसंग में हम औपनिषदिक श्रुति याज्ञवल्क्य का उल्लेख कर सकते हैं जिसकी पत्नी मैत्रयी अपना घर-बार छोड़कर अपने पति के साथ उर्वोच्च दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वन में चली गई थी।

'प्रामनाई' (Pranai) अर्थात् प्राणविक स्त्रायो ने बार्सनिशों की एक हीसनी श्रेणी का भी उल्लेख किया है जिन्हें उनसे प्रामनाई कहा है। "वे ऐसे धार्मिक होते हैं जो 'समय' के विरोधी होते हैं और जिन्हें सास्त्रार्थ से प्रेम होता है तथा जो शास्त्रार्थ की अपनी समता पर बर्ष भी करते हैं। वे शरीर-श्रिया तथा श्रुति का अध्ययन करनेवाले ब्राह्मणों को मूर्ख तथा पार्श्वी

बता कर उनका उपहास करते हैं। इनमें से कुछ पर्वतीय 'ग्रामनाई' कहलाते हैं। कुछ 'त्रिभुजाई' कहलाते हैं और कुछ नगर के 'ग्रामनाई' अथवा गाँव के 'ग्रामनाई' कहलाते हैं।

"जो पर्वतीय हाठ हैं वे मृगछाला धारण करते हैं और जड़ी-बूटियों के शीस लेकर चलते हैं और जत्र-मत्र साइ-कूक तथा पड़े-शाबीर द्वारा रोवा को बचठा करने का शौक करते हैं।

"वैसा कि उनके नाम से ही विदित है 'त्रिभुजाई' गने पढ़ते हैं और साधारणतया वे युवा धाकान के नीचे सतीस वर्ष तक तपस्या करते हैं वैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ।

"उनके साथ स्त्रियाँ भी रहती हैं पर वे समोच नहीं करनी।

"नगरों के 'ग्रामनाई' उपनगरों में रहते हैं और मतमल के बस्त्र पहनते हैं बाँवों के 'ग्रामनाई' मृगछाला अथवा कोपीन पहनते हैं।

सोफिस्ट अरिस्तो समी शार्पनिकों की सोफिस्ट कहता है [इंडिका, XI ΔII]। उनके बारे में उसने निम्नलिखित बातें लिखी हैं

"उनके मतानुसार भारतवासियों में भविष्य बताने का ज्ञान सीमित लोगों के पास है और सोफिस्टों के अतिरिक्त और किसी को इस कला का अभ्यास करने का अधिकार नहीं है। पर वे अलग-अलग व्यक्तियों का भविष्य नहीं विशारते।

"वे संत नर महते हैं धीरकाष् में भूप का मानन्द सेने के लिए लसे आवास के नीचे रहते हैं और गर्मियों में जब सूर्य का ताप बहुत बर जाता है तब वे पास के हरे भर मदानों तथा पड़े-पड़े बूखों की छाया में नीची भूमि पर रहते हैं।

"वे विभिन्न पशुओं में उत्पन्न होनेवाले फल तथा बूखों की छाया खाते हैं — बूखों की यह छाया कबूर से कम नीची या पीथिक नहीं होती।"

अरिस्तो ने इस अनेकी बात का भी उल्लेख किया है (XII) कि 'सोफिस्ट किसी भी वर्ग के हो सकते थे क्योंकि सोफिस्ट का जीवन सरल नहीं होता था बल्कि सबसे कठिन होता था।" इससे यह पता चलता है कि किसी भी वर्ग का आरामी संन्यासी का जीवन अंधीकार कर सकता था। संसार का तथा समस्त सामाजिक बंधनों का परित्याग करके संन्यासी वर्ग के नियमों के क्षेत्र से बाहर हो जाता था। इसे हिंदू धर्म की उपासना का भी पता चलता है, जिसके अंतर्गत आध्यात्मिक जीवन के क्षेत्र में धर्म का कोई भेदभाव नहीं रखा जाता।

बौद्ध ग्रंथ में हम निम्नीकृतित बकतम्य के लिए सिद्धांतियों के क्लीमेंस के बानापी है

'भारतवासियों में ऐसे शार्धनिक भी हैं, जो बौद्ध (Boudha) के सिद्धांतों को मानते हैं और वे उनकी असाधारण शुद्धता के कारण देवता के रूप में उनका सम्मान करते हैं।' ऐसा कि कोल्ब्रुक ने बताया है। यहाँ पर बुद्ध के अनुयायियों और ईश्वरों तथा सार्वभौम को भी स्वयं रूप से अंतर किया गया है" (मैकडिडल द्वारा उद्धृत)।

भारत के उन सर्वोच्च बौद्धिक तथा सुसंस्कृत वर्गों के वे विभिन्न विवरण जिन्हें यूनानियों ने शार्धनिक साहित्य ईश्वरों प्रामताई, जिमनेटारी और बौद्धा (बुद्ध) के अनुयायी भावि विभिन्न नाम दे रखे थे वास्तव तथा ब्राह्मणोत्तर बौद्ध, जैन भादि सम्प्रदायों के विभिन्न वर्गों के विवरण माने जा सकते हैं।

बौद्ध-युग सम्पत्ती ईसा-पूर्व चौथी शताब्दी से बन्धि कहना चाहिए। ईसा पूर्व पाँचवी शताब्दी में जैन-मत तथा बौद्ध-मत का उदय होने के समय से भारत सम्प्रदायों की विभिन्न विचारधाराओं तथा सम्प्रदायों के कारण उल्लेखनीय रहा है। इनके पूर्वज वैदिक काल के यूनाने-फिरने वाले सम्पत्ती के जो चरक कहलाते थे। उनके बाद परिव्राजक हुए और फिर बौद्धों से पहले के आर्मीबिक (जो मने रहते थे) निर्धन (जो बहुत पारं चरक धारण करते थे) तथा अतिरिक्त भादि सम्प्रदाय हुए। ज्ञानलाभ भादि वि बुद्ध (बुद्ध-प्रवचन) में [II ११५] इन विभिन्न सम्प्रदायों के सम्पत्तियों को समग्र-ब्राह्मण 'वामिक वीर्य के नेता' (सचिनो) कहा गया है। अर्थात् के विभाजकों में समग्र-ब्राह्मण का प्रयोग बार-बार किया गया है। अनुत्तर निकाय में [VI १५] परिव्राजकों के दो वर्गों का उल्लेख है, जिन्हें (१) ब्राह्मण और (२) अकर्मित्त्विय अर्थात् अन्य बौद्धोत्तर सम्पत्ती कहा गया है। ब्राह्मण परिव्राजकों को वास्तविक, (तत्त्व निपात ३/२) ब्रिहत्त तथा मोहास्त कहा गया है (बुस्तकण V १ २)। उदात्त (पाणि टैन्ट साहायटी द्वारा सम्पादित संस्करण पृष्ठ ११ १७) में ब्रह्म अर्थात् ईश्वर ने इसे मान-रूप में इस प्रकार कहा गया है "अर्थात्तुसा नानासिक्तियया समग्र-ब्राह्मणा परिव्राजकना नाना-विदित्वा नाना विदित-निष्ठापनित्तता अर्थात् समग्रों तथा ब्राह्मणों के अनेक सम्प्रदाय के वे सभी परिव्राजक ने पर सब विभिन्न दिष्टियों दानों भाग्यों और समष्टियों के अनुयायी थे।"

प्रामाणिक : दिन शार्धनिकों को दानों ने 'विद्याम्पनीय के अतिरिक्त

अप्य किसी स्रोत के आधार पर” प्रामाण्य कहा है उनके बारे में बेबात में टोक ही कहा है 'इसमें जिन साधों की ओर संकेत किया गया है य अवश्य ही प्रामाणिक है जो विभिन्न वर्ण-पद्धतियों के अनुयायी हैं जिनमें से प्रत्येक पद्धति का इस बात के बारे में अपना अलग मत है कि प्रमाण अर्थात् सही ज्ञान प्राप्त करने का साधन क्या है? वे सभी सामाजिक बिना किसी अपवाद के कट्टर धारणा होते हैं, पर वे वैदिक संस्कारों में विश्वास रखनेवाले ब्राह्मणों को विरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। [कम्बिज हिस्ट्री I ४२१]।

सामान्य विषय रहन-सहन तथा बेश-सूया सभी यूनानी बुद्धियों को एक साथ मिलाकर देखने पर हमें यह पता चलता है कि ब्राह्मणों के बारे में यह बताया गया है कि वे (१) पहाड़ों पर, (२) जंगलों में (३) भेड़ों में (४) मयूरों में तथा (५) गाँवों में रहते थे। कुछ नंगे रहते थे और कुछ जो पर्वतों पर रहते थे मृगछाया पहनते थे। बेहस्तों में रहनेवाले ब्राह्मण भी मृगछाया पहनते थे। मगरा में रहनेवाले ब्राह्मण बड़िया मलमल के बस्त्र धारण करते थे सोने की अंगुठियाँ तथा कुडक पहनते थे "अपने कंधों पर वे मृगछाया का झुपट्टे डालते थे दाढ़ी और जटाएं रखते थे जिन्हें वे बट छेदते थे और ऊपर से पगड़ी बाँध लते थे" [कम्बिज हिस्ट्री, I ४२२]। जो जंगलों में रहने से वे बूखों की छान के बस्त्र पहनते थे। छात्रावस्था में वे पास-दूत की अमवा पशुओं की शाक की शय्या पर विद्याम करते थे और पशुओं की शाक के बस्त्र भी पहनते थे।

आहार : विद्यार्थी मांस नहीं खाते थे।

बनों में रहनेवाले संन्यासी पतियाँ तथा फल और बूखों की पीष्टिक छाछ खाकर अपना पेट भरते थे।

गृहस्थ ब्राह्मण मांस खाते थे पर परिश्रम करनेवाले पशुओं जैसे गाय-भैस आदि का मांस वे नहीं खाते थे। वे परम तथा मसाफेबार आहार से बचते थे। वे जाबल तथा जौ का भोजन करते थे।

ध्वजताम : पीरोहियम कुछ सोग मिला माँगकर अपना भोजन बुटाते थे।

वे बेतन सेक्टर किसी की सेवा नहीं करते थे।

वे पुरोहित का काम करते थे और इसके बदले में उन्हें उपहार मिलते थे। यही उनकी जीविका का स्रोत था।

ध्यान : उनका मुख्य काम ध्यान लगाया तथा चिंतन करना है, जो वे दिन भर एक ही आसन में निरन्तर बैठे हुए करते रहते थे।

बौद्ध मत में हम निम्नलिखित वक्तव्य क लिए सिद्धारिया के क्लीमेंस के आभाषी हैं

“भारतवासियों में ऐसे वार्षिक मी हैं, जो बौत्ता (Boutta) के सिद्धांतों को मानते हैं और वे उनकी मसाबाराण धुविता के कारण देवता क इन में उनका सम्मान करते हैं। वैसे कि कोल्लुक ने बताया है “यहाँ पर बुद्ध के अनुयायियों और बौद्धों तथा सरमेन के बीच स्पष्ट रूप से अंतर किया गया है” (ऐक्रीटिक द्वारा उद्धृत)।

भारत के उन सर्वोच्च बौद्धिक तथा सुसंस्कृत वर्गों के ये विभिन्न विवरण जिन्हें पूनामिया ने वार्षिक छोफिस्ट बौद्धों के नामों, जिमनेटारी और बौत्ता (बुद्ध) के अनुयायी जादि विभिन्न नाम दे रखे थे ब्राह्मण तथा ब्राह्मणो-पर बौद्ध और जादि संन्यासियों के विभिन्न वर्गों के विवरण माने जा सकते

बौद्ध-पूर्व संन्यासी ईसा-पूर्व चौथी शताब्दी से बल्कि कहना चाहिए ईसा (चौथी शताब्दी में चीन-मत तथा बौद्ध-मत का उदय होने के समय से भारत न्यासियों की विभिन्न विचारधाराओं तथा सम्प्रदायों के कारण उत्प्रेक्षणीय रहा है। इनके पूर्वज वैदिक काल के ब्रह्मणे-फिले वाले संन्यासी थे जो बर ब्रह्मणों थे। उनके बाद परिव्राजक हुए और फिर बौद्धों से पहले क माजीबिक (जो गने रहते थे) निर्धन (जो बहुत बड़े वस्त्र धारण करते थे) तथा कबिलक जादि सम्प्रदाय हुए। इयत्तास भाक रि बुद्ध (बुद्ध प्रवचन) में [II ११५] इन विभिन्न सम्प्रदायों के संन्यासियों को समग्र-ब्राह्मण 'धार्मिक जीवन के नेता' (पवित्रों) कहा गया है। अशोक के शिलालेखों में समग्र-ब्राह्मण का प्रयाग बार-बार किया गया है। अगुत्तरनिकाय में [VI ३५] परिव्राजकों के दो वर्गों का उल्लेख है जिन्हें (१) ब्राह्मण और (२) अश्वजित्तिय बर्बान् बन्ध बौद्धों के संन्यासी कहा गया है। ब्राह्मण परिव्राजकों को बावनीक, (सत निपात ३८२) बिनक तथा कोटावत कहा गया है (बुद्धवचन V ३ २)। उबाल (पारि-टिकर मोमायनी द्वारा सम्पादित संस्करण पृष्ठ ११ १०) में बहुत अच्छे रूप इस गार-रूप में इस प्रकार कहा गया है “सबकुछा गतामितिबया समग्र-ब्राह्मण परिव्राजकका गतामितिबया गता विद्वि-नित्तयमित्तिवता बर्बान् पमपों तथा ब्राह्मणों के अनेक सम्प्रदायों के दो वर्गी परिव्राजक थे पर सब विभिन्न विद्वि-दर्शनो पापाओं और संगठनों के अनुयायी थे।”

आभाषिक : जिन धार्मिकों का उवाचो ने “मयास्वनीय के अतिरिक्त

अन्य किसी चीज के आकार पर' प्रामाणिक कहा है उनके बारे में बेबाक में ठीक ही कहा है 'इसके बिना माया की आत्मा मरने किमा गया है वे अन्तम ही प्राणानिक है जो विभिन्न दर्शन-पद्धतियाँ के अनुयायी है जिनम म प्रत्येक पद्धति का इस बात के बारे में अपना अलग मत है जि प्रमाण अर्थात् सही मान प्राप्त करने का सामन' क्या है ? ये सभी दार्शनिक बिना किसी बेपदार के बहुर ब्राह्मण होने है पर वे वैदिक सम्प्रदाय म बिन्वाम रत्नेबासे ब्राह्मणों का तिरस्कार की दृष्टि में रहते है । [ईम्ब्रज हिस्ट्री I ४२१] ।

सामान्य चित्र रहन-सहन तथा बेदा-भूषा सभी पूजाधी बुजानों को उन साथ मिलाकर बेगन पर हमें यह पता चलता है कि ब्राह्मणों के बारे म यह बताया गया है कि वे (१) पहाड़ों पर, (२) जगलों म (३) मैदाना म (४) नगरों में तथा (५) गाँवों में रहते थे । कुछ मगों रहते थे और कुछ पर्वतों पर रहते थे मृगछाया पहनते थे । देहानों में रहनेवाले ब्राह्मण भी मृगछाया पहनते थे । नगरों में रहनेवाले ब्राह्मण बकिया मत्तमम क वस्त्र धारण करते थे धोने की बेंगुटियाँ तथा कुछ पहनते थे "अपन केशों पर क मृगछाया या कुफ्टे बासते थे दाढ़ी और अटाए रखत थे जिहू वे बट कने प और ऊपर से पगड़ी बांध लेते थे" [कम्ब्रज हिस्ट्री I ४२२] । जो जंगलों में रहने थे वे बुझा की छात के बस्त्र पहनते थे । छात्रावस्था में वे शास-कुस की अथवा पत्थरों की लाल की धम्मा पर विश्राम करते थे और पत्थरों की घास के दन्त भी पहनते थे ।

अपहार विद्यार्थी मौस नहीं लाते थे ।

बनों में रहनेवाले सम्बाधी पतियाँ तथा एक और बुझों की पीठिक छात्र छाकर अपना पेट भरते थे ।

मृहस्य ब्राह्मण मौस जाते थे पर परिष्कृत करनेवाले पदुओं जैसे गाव मैस बारि का मौस थे नहीं लाते थे । वे गरम तथा मसालेदार अपहार से बचते थे । वे चाबड़ तथा जौ का भाजन करते थे ।

ध्वजसाय पीरोहित्य कुछ भोग भिमा माँगकर अपना भोजन जुटाते थे ।

वे मैसन सेकर किती की सेवा नहीं करते थे ।

वे पुरोहित का काम करते थे और इसके बखत में उन्हें अपहार मिलते थे । बही उनकी पीबिका का सोल था ।

ध्याम उनका मुख्य काम ध्याम बनाना तथा चिंतन करना है, जो वे दिन भर एक ही काम में निरबल बैठे हुए करते रहते थे ।

भविष्य-ज्ञान : वे भविष्य ज्ञान करने की शक्ति प्राप्त कर लेते थे और मीठम अमावृष्टि तथा सूक्ष्म आदि क बारे में वहाँ तक कि महामारियों क बारे में भी पहले से जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्य उनकी इस शक्ति का उपयोग करता था ।

पर वे किसी व्यक्ति का निजी भविष्य नहीं बिचारते थे ।

राजा उनसे सलाह लेते थे ।

शासनिक सम्मेलन राजा प्रतिवर्ष शार्वरिका के सम्मेलनों का आयोजन करते थे इन सम्मेलनों में वे वर्ष तथा वर्तन क क्षेत्रा में अपने सम्मेलनों की घोषणा करते थे । यूनानियों का कहना है कि वे कृषि तथा पशुपालन के बारे में अपने सुझाव देते थे और राजनीति तथा देश की उम्ब सभी समस्याओं पर सलाह देते थे । उपनिषदा में विद्वानों के इस प्रकार के सम्मेलनों का उल्लेख मिलता है इन्हीं सम्मेलनों के फलस्वरूप स्वयं उपनिषदा की उत्पत्ति हुई थी । इनमें सबसे प्रख्यात सम्मेलन वह था जिसका आयोजन विवेक के राजा अमर ने किया था जिसमें भाग लेने वालों में सबसे प्रमुख ऋषि वासिष्ठ्य थे ।

विश्वविद्यालय-व्यवस्था : अब में यूनानियों ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि इनमें से कुछ सन्वासी विश्वविद्यालय के विद्येपत्र होते थे और राजियों की शिक्षता भी करते थे पर वे रोग को दूर करने के लिए औषधि न लेकर बाह्यर का नियमित करने का ही उपाय बताते थे । उन्होंने बहुमूर्त्य मरुत्यों तथा लेपों का आधिष्ठान किया था । वे अन्न-मद्य तथा गन्ध-समीर द्वारा भी रोगी की शिक्षता करते थे । वे सार्वैतिक अथवा सास्त्र तथा नक्षत्र-विज्ञान के विद्येपत्र होते थे ।

वे मराज तथा गरी से दूर रहते थे ।

सम्बन्धितियाँ : हमें इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि "बाह्यर अपनी पत्नियों को अपने दर्शन के राज्यों से परिचित नहीं करते क्योंकि यदि पत्नी उच्छ्वसत स्वभाव की हुई, तो इन बात का भय रहता था कि वह कहीं से रहस्य नीच लाना का न बता दे और यदि वह सञ्चरित हुई तो वह अपने पति को छोड़कर चली जा सकती थी क्योंकि जिस किसी ने भी मूल-तथा दुःख जीवन तथा मृत्यु की विरस्कार की दृष्टि के देखना सीखा हो वह कभी भी दूसरे क नियंत्रण में रहना पसन्द नहीं करेगा ।"

परंतु वह बात मृत्यों क जीवन पर लागू होती है । क्योंकि हमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि "कुछ मन्त्र (जो बंगलों में रहते थे) स्त्रियों का

भी अपने दार्शनिक जीवन में भाग लेने की अनुमति दे देते थे पर उन्हें पुस्तकों की तरह संभोग का परित्याग करना पड़ता था जैसा कि हम पहले बता चुके हैं।

ब्राह्मणों की आध्यात्मिकता मैगालोप्रीस के इस कथन में एक वर्ग के रूप में ब्राह्मणों की विविधता का चित्र मिलता है 'ब्राह्मण जिन विषयों पर बात करते हैं उनमें सबसे मुख्य मुख्य का विषय है क्योंकि उनका मत है कि वर्तमान जीवन उस काल के समान है जो मनुष्य अपनी माँ के गर्भ में व्यतीत करता है और जो लोग दर्शन को अपनी माँति समझ लेते हैं उनके लिए मृत्यु एक वास्तविक तथा सुखी जीवन में जन्म लेने के समान होती है। इस कारण वे अपने आपको मृत्यु के लिए तैयार करने के लिए कठोर संयम का पालन करते हैं।

यह ब्राह्मण-जीवन-व्यक्ति तथा ब्राह्मणों का बहुत उचित मूल्यांकन है। इसमें जिस 'कठोर संयम' का उल्लेख किया गया है वह उस संयम की ओर संकेत है जिसका पालन मनुष्य अपने जीवन के चारों आधर्मों में करता है जो प्रत्यक्ष रूप से मृत्यु की तैयारी ही होते हैं।

बंबाई में यूनानियों द्वारा देखे गये सम्प्राप्ती सिंहर के आक्रमण के समय यूनानियों ने पहली बार तक्षसिला में भारतीय सम्प्राप्ती देखे। चूँकि वे स्वयं सिंहर के पास जाने के इच्छुक नहीं थे इसलिए सिंहर ने ओनेसिक्रिस को उनके पास भेजा जिसने बताया है, कि उसने मगर से लगभग १० मील दूर १५ सम्प्राप्ती देखे जो घुप में लगे बैठे हुए ध्यानमग्न थे। जब उनसे कहा गया कि यवन राजा उनका ज्ञान सीखना चाहता है तो उनमें से एक ने साठ-साठ उत्तर दिया कि "योरपीय वेप मूपा में अपनी बीरता का प्रदर्शन करनेवाला— पड़सवारों काका कबादा चौड़ी कपार का टोप और लम्बे जूते जो मकड़मिया-निवासी पहनते थे—पहने हुए कोई व्यक्ति उनका ज्ञान नहीं सीख सकता। यह ज्ञान सीखने के लिए उसे बिस्कुल गन्ध होकर उनके पास लपटे हुए पत्थरों पर बैठने का अभ्यास करना होगा" [क्लेमिन्ड हिस्ट्री I १५८]।

ब्रिस्टोबुचस ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उन्होंने तक्षसिला में इस प्रकार के दो सम्प्राप्ती देखे एक का सिर घटा हुआ था और दूसरे के सिर पर जटारें थी दोनों के साथ उनकी शिष्यों की मंडली भी थी। जब वे बाजार में जाते थे तो लोग उनसे परामर्श करने के लिए उन्हें घेर लेते थे [क्लेमिन्ड हिस्ट्री I ४२]।

इन सम्प्राप्तिओं के बुब की यूनानी इंडेमिस (मगधा मेंडेमिस) कहते थे जो

एक अद्वितीय धार्मिकवादी वा जिसने मृत्युबंध का भय निश्चाय जाने पर भी सिक्ंदर से मिन्नता स्वीकार नहीं किया और इन उदात्त शब्दों में अपना उत्तर भिन्नबा दिया "मैं केवल भगवान के प्रति श्रद्धा रखता हूँ। सिक्ंदर भगवान नहीं है। क्योंकि वह मृत्यु का नाभी है। मैं उससे न डरता हूँ और न ही उससे मुझे कुछ पाने की इच्छा है। सिक्ंदर जो कुछ है सकता है वह सर्वथा व्यर्थ है। मैं जिन चीजों को मूर्खवान समझता हूँ वे ये पत्थियाँ हैं जो मेरा व्याधय है ये फूलों से लदे हुए पीपे हैं जो मुझे स्वादिष्ट भोजन प्रदान करते हैं। चूंकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसकी मैं रक्षा करके इसलिये मैं निर्विचल होकर सोता हूँ जबकि यदि मेरे पास सोना होता जिसकी मुझे रक्षा करनी पड़ती तो मेरी नींद उड़ जाती। शाहजान न सोने से प्रेम करते हैं और नहीं वे मृत्यु से डरते हैं। मृत्यु का अर्थ केवल यही है कि मनुष्य अपने बनेल साथी से अर्थात् अपने धरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है।"

ये पद्य वास्तव में जीवन के उस बर्धन का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका पावन आज तक सभी युगों में भारत के सन्धासिया ने किया है। वे मनुष्य के पार्थिव जीवन तथा आध्यात्मिकता की आभासधिका के रूप में अस्तित्वनिरोध में अर्थात् पदार्थ के वस्तु जगत् से अस्तित्व की अलग कर लेने में विरवास करते आए हैं।

अश्वमेधः मेवास्वमीय मे भारतवासियों को साठ श्रेणियों में विभाजित किया है। इनमें पाँचवाँ स्थान क्षत्रियों का है। अश्वमेध के शब्दों में "यह योद्धाओं का वर्ग है जिसका शस्त्रा की दृष्टि से कृपकों के बाद दूसरा स्थान है, पर जो पूर्ण स्वतंत्रता तथा आनन्द-प्रमोद का जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें केवल दैनिक कार्य करने पड़ते हैं। उनके हृदयार दूधरे लोभ बनाते हैं, उन्हें चोड़े भी बूतरे खोले से मिल जाते हैं। सेना के धिभिर में उनकी सेवा करने के लिये भी बूतरे खोले होते हैं जो उनके घोड़ों की देखभाल करते हैं, उनके हृदयार साक करते हैं, उनके हाथी चलाते हैं, उनके रथ तैयार करते हैं और उनके रथों पर सारथी का काम करते हैं। जब तक भावभ्यकता होती है, वे मुड करते हैं और जब शांति स्थापित हो जाती है वे भांग-विभास में लिप्त हो जाते हैं। उन्हें राज्य की धोर से भी बेतन मिरुता है वह इतना काश्री होता है कि उधमें से बरी आसानी से अपने अतिरिक्त दूसरों का भी भरण-पोषण कर सकते हैं।"

अश्वमेध तथा अश्वः मेवास्वमीय की सुधी में बूतरे तीसरे तथा चौथे वर्ग बाल वीरव और अश्वः हैं। "बूतय वर्ग कृपकों का है। अतस्तथा का अर्थकाय भाग इती वर्ग के लोनों

का है और स्वभाव में ये लोग सबसे मूढ़ तथा सुधील होते हैं। वे सैनिक सेवा के दायित्व से मक्त होते हैं और निर्विघ्न होकर खेती करते हैं। वे सहरों में कभी नहीं जाते न वहाँ की बहुत-बहुत में भाग करने के लिए और न किसी अन्य काम से बल्कि अपने बाल-बच्चों सहित गाँवों में ही रहते हैं। भूमि धारणनेवाले इन लोगों के काम है हथ पलाना अनाज उगाना पड़ों की रखरखाव करना या फसल काटना।

इसके बाद “ब व्यापारी हाव है जो पीछें बेचते हैं और वे धिस्मकाव जो पारौरिक धम करते हैं। इनमें से कुछ मुठ के हथियार बनाते हैं। कुछ अहाव बनाते हैं और कुछ मयियों में नाबों बलान के लिए मस्साहो के रूप में मीकर रखे जाते हैं। उन्हें राजा की ओर से मजबूरी तथा खाने-पीने की सामग्री मिलती है और वे केवल राजा के लिए ही काम करते हैं। वे छपकों तथा अग्य व्यवसायों के लोगों के लिए उपयामी औजार भी बनाते हैं।

फिर आते हैं “सिकारी तथा खरबाहे जो न सहरों में बसते हैं न गाँवों में बल्कि तन्तुओं में रहते हैं और यावावरा जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। वे बस इन्हीं को सिकार करने और पशु पालने तथा भारबाहक पशु बेचने या फिटाए पर उन्हें दूसरों को बेने की अनुमति होनी है। निकार करके और पशुओं को पककर वे गाँवों को जंगली पशुओं तथा पक्षियों तथा उन हातिकारक जीव जन्तुओं से मुक्त कर देते हैं जो वहाँ बहुत बड़ी सख्या में पाए जाते हैं। वे गाँवों को उन जंगली पशु-पक्षियों से मुक्त कर देते हैं, जो छपकों द्वारा खेतों में बोमे गए बीज खा जाते हैं। इन सेवाओं के बदले उन्हें राजा की ओर से अन्न के रूप में पारिभमिष मिलता है।

व्यवसाय मेपास्वनीव ने अपनी सूची में छठें तथा साठवें स्थान पर जिन वनों का उल्लेख किया है वे वास्तव में बर्ष हैं नहीं। उस ने बर्ष और सिस्य अथवा व्यवसाय को एक में मिला दिया है। इन दो वनों में वास्तव में विभिन्न श्रेणियों के राज-कार्यवाही जाते हैं।

सूचना देनेवाले: छठी कोटि में वे लोग आते हैं, जिन्हें ‘ओपटियर’ अर्थात् सूचना देने वाला कहा गया है जिनके कामों का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है।

परामर्शदाता साठवीं कोटि में वे लोग आते हैं, जिन्हें परामर्शदाता तथा असेसर कहा गया है जो “सार्वजनिक समस्याओं पर विचार-विमर्श करते हैं और शासन के सर्वोच्च पदाधिकारी—न्यायाधीश राजा के मंत्री सेनापति मुख्य सहायक—इसी वर्ग के लोग होते हैं।

अरिषम के कथनानुसार "इस शासकी कोटि में राज्य के अधिकार जाते हैं जो राजा को या स्वशासित नगरों को सार्वजनिक समस्याओं का हल करने के बारे में परामर्श देते हैं और राष्ट्र-मुखी प्रांतपालों उप-राष्ट्रमुखी राजकीय के अधिकारों सेना के मेजानायकी की-सेना के सेनापतियों कृषि की बेजमाल करने वाले नियंत्रकों तथा आनुकूलों को चुनने का अधिकार उन्हीं का होता है।

मह शासक म्यान देने योग्य है कि मेगास्थनीज ने जिन लोगों की पणना करवाहों तथा शिक्षारिषों में की है उनका उल्लेख अर्बेनासब में घोषालकों लक्षकों तथा मालिकों और कृषि पशुओं तथा करवाहों के अधिकारों के अर्बेन काम करनेवाले मध्य कर्मचारियों के रूप में किया गया है वैसे कि ऊपर बताया जा चुका है।

"हृषिकार बनानेवालों" के बारे में यह कहा गया है कि वे आमुबागाराध्यक के विनाश में काम करते थे और 'अहान' बनानेवालों को नाबध्यक के अधिकार बताया गया है।

अन्य शिक्षकारों का उल्लेख कोटिस्व में विभिन्न विभागों के अर्थात् किया है।

हम यह बात पहले ही बता चुके हैं, कि मेगास्थनीज ने जिन पदाधिकारियों को बोधसिपर तथा परामर्शदाता कहा है, उनका उल्लेख कोटिस्व में बुद्ध-मुखी, अर्बेन्यों तथा विभिन्न दूतों अधिकारों के रूप में किया है।

वर्ष तथा व्यवसाय जहाँ पर मेगास्थनीज ने यह किया है कि "कोई सैनिक कृषक नहीं बन सकता था या कोई शिक्षकार सार्वजनिक नहीं बन सकता था या यह कि 'किमी को अपने वर्ष से बाहर विवाह करने की अनुमति नहीं थी या कोई अपने व्यवसाय अथवा शिक्ष के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यवसाय अथवा शिक्ष नहीं संगीकार कर सकता था " या "कोई अपना पेशा या व्यवसाय किसी दूसरे के पेशे या व्यवसाय से बदल नहीं सकता था " या (कोई एक से अधिक कारोबार नहीं कर सकता था वहाँ स्पष्टतः उगने वर्ष तथा व्यवसाय के अंतर की म्यान में नहीं रखा है। कोई भी 'दिएकार' को मृत वर्ग का होता था 'यार्थ निक' अथवा बाह्यन नहीं बन सकता था इन्हीं प्रकार सैनिक या अधिकार वर्ष के होने से कृषक नहीं बन सकते थे जो श्रेष्ठ होते थे। मेगास्थनीज ने जाने भरकर किया है [अध्या XXXIII] "केवल सार्वजनिक को इस मामले में छूट दे दी गई है जिसे अपने उत्तुओं के कारण वह विशेषाधिकार प्राप्त है।" यह संकेत हिनुओं के उन नियम की ओर है जिसके द्वारा बाह्यों को इस बात की अनुमति है, कि वे आपस-वर्ष के रूप में अपना संकट के समय पकड़ होकर

बीबिकोपार्जन के लिए किसी निम्न रूप का व्यवसाय अपीकार कर लें क्योंकि भारत-नाम में कोई नियम लागू नहीं होता।

आचार-व्यवहार तथा रीति रिवाज बेदा भूषा मयास्वनीय ने पाटलि-पुत्र में यह बात कही कि बस्वा क मामला में भारतवासी आमदौर पर अपने जीवन की सरलता के बावजूद इस बात को पसंद करते थे कि उनके बस्वा में गाना प्रचार के तथा अर्थहीन रण हा के सोने तथा हीरे जवाहरात के सामुपनी तथा बेलबूटेदार मसमर का प्रयोग लुप्त करते थे और उनके पीछ सबक छत्र केकर चलत थे।

मिथार्कस ने मिथु गनी के किनारे रहने वाले लोगो के बस्वा का वर्णन करत हुए लिखा है कि वे आमदवार सूती बस्त्र धारण करते थे 'एक विडली तक लम्बा कुर्ता तथा दो अन्य बस्त्र होते थे जिनमें से एक को वे कंधे पर डाल देते थे और दूसरे को सिर पर बांध लेते थे। वे हाथी-दाँत के कृष्ण तथा चमड़े के सज्जेर जूत पहनते थे जिन पर बेल-बूटे बत होने थे और जिनकी एड़ियाँ उँची होती थी ताकि उन्हें पहननेवाले का ऊँच कठ अधिक लम्बा मालूम हो।

जान-पान मूत्राणियों को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि भारतवासियों के आहार में मद्यिका का कोई स्थान न था। "उनका मुख्य आहार मात था। हर आदमी अकेले ही भोजन करता था। न तो सब लोग साथ बैठकर खाते थे न भोजन करने का कोई निश्चित समय ही था। रात्रि के भोजन के समय सोने की बाली में एक मेज पर भोजन परोस दिया जाता था सबसे पहले उसमें भात रखा जाता था और ऊपर से मसालेदार मांस।

विवाह मयास्वनीय के कथनानुसार भारतवासियों में कई पत्नियाँ रखने की प्रथा मौजूद थी। उसने इस बात का उल्लेख किया है कि पुरुष बीबी की एक जाड़ी के बच्चे में कन्या को करीब सकता था। यह संकेत मनु द्वारा प्रतिष्ठित कार्य विवाह की ओर है जिसमें कन्या के पिता को प्रथा के अनुसार (धर्मतः) बीबी बचवा यासों की एक जाड़ी (गोमिबुल) पाने का अधिकार था (मनुस्मृति III २९)। मिथार्कस के अनुसार, कुछ भारतीय जातियों में मह प्रथा भी कि धारीरिक बल के प्रदर्शन की किसी प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करनेवाले को पुरस्कार के रूप में कन्या का जाती थी। यह कदाचित् स्वर्धर की प्रथा की ओर संकेत है।

सती मूत्राणियों न भारत में सती की प्रथा भी रली थी। बनेसिकिटस

ने कौड़ी बर्तन कठ जाति के लोगों में यह प्रथा देखी थी। डियोडोरस का कहना है कि कठ जाति के लोग में यह प्रथा थी कि विधवा स्त्री को उसके मृत पति के मांस ही बना दिया जाता था (प्लिनिअस की इन्सैक्शन आन्ड इंडिया बाई अलेक्जेंडर, पृष्ठ १७९)। अरिस्टोबुलस ने बर्तन किया है कि ३१६ ई पू० में एक भारतीय सेनानायक ईरान में पुमेनीस की सेना में कड़ने गया था और अपनी दो परिचयों को साथ ले गया था। बुर्माप्यबस वह एक में बैठ रहा जिस पर उसकी दोनो परिचयों सही होने के लिए व्यापस ने कान्ने लगी। चूकि कड़ी पत्नी के गर्भ में बच्चा था इसलिए दूसरी पत्नी बिना पर यह गई और 'अपने पति की बयल में छेद गई। जब अग्नि की भ्वासात्रा ने उसे अपनी कनोट में ले लिया तब भी उसके हुठो से राने की कोई आबाज नहीं निकली।

अलेक्जेंडर-क्रिया यूनानियों को यह बेलकर बहुत आश्चर्य हुआ कि अलेक्जेंडर क्रिया के समय भारतवासियों में कोई बूमवाम नहीं होती और न कोई अन्य स्मारक ही बनवाए जाते हैं। भारतवासियों का यह विचार था कि मृतात्मा के गुण शीतल से तथा दध-आत्रा के समय गाए जाने वाले गीतों की अनेका अधिक शिरस्वायी होने हैं (कैम्ब्रिज हिस्ट्री I ४१२ १६)।

बाध-प्रथा : अरियन का यह कथन कि "सभी भारतवासी स्वतंत्र हैं और उनमें से कोई भी दास नहीं है" मेगास्थनीज के मत पर आधारित है। वास्तव में भारत में व्याप्त तबान-वित्त बाध-प्रथा उस दास प्रथा की तुलना में बिद्यमे यूनानी परिचित थे इतनी धीम तथा सीमित थी कि मेगास्थनीज उसके अस्तित्व की दृष्टि ही न सदा। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र में यह आदेश भी दिया गया है कि किसी भी कार्य को दास नहीं बनाया जाना चाहिए। (III १३)

कौटिल्य ने दूता को भी अग्मन आर्ज (आर्यशास्त्र) बताया है। कौटिल्य ने इन नभ्रावना को स्वीकार किया है, कि कोई व्यक्ति विपत्ति-काल में अपने बाल बच्चों के दारण-शोषण के लिए अपने बाप को दास के रूप में बेच सकता है (तदुत्तरात्मावाता) या युद्ध में बनी हो जाने के कारण दास हो सकता है। परंतु हिन्दू विधि-शास्त्र के अंतर्गत इन प्रकार के हर दास के लिए यह मार्ग सर्वैव धुका रहता था कि वह अपने स्वामी की सेवा से होनेवाली कमाई के अतिरिक्त और कहीं से कमाई करके अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के। इसके अतिरिक्त वह भी कानून था कि उमक नरो-नदबी उक्त स्वामी को घन दकर उसे दासता से मुक्त कराने में और उन्ह प्सा करना चाहिए। दास की उत्तराधिकार में अपने पिता की सम्पत्ति मिल सकती थी। यदि किसी दास स्त्री के साथ उसका मानिक संबंध

के जन्म-म स्वपितृ कर के तो यह तथा उनके बच्चे अपने आप स्वतंत्र हो जाते थे (स्वामिन स्वस्या दाम्ना जात समानुक्त भवास विद्यात्) (III १३) ।

धर्म अर्थशास्त्र में बताया गया है कि उस समय इन देवी-देवताओं की उपासना आम तौर पर होती थी (१) अपराजिता (दुर्गा) (२) अग्रतिहुत (बिल्व) (३) अयत (सुब्रह्मण्य) (४) वैजयंत (इंद्र) (५) शिव (६) वैश्वदेव (७) अग्नि (८) धी (९) मदिरा (II ४) (१०) अग्नि (११) अनुमति (१२) सरस्वती, (१३) सविता (१४) अग्नि (१५) सोम (XIV १) (१६) इण्ड और (१७) पीसायी (XIV ३) ।

‘मंत्र तथा जादू-टोना आदि उस समय के प्रचलित धर्म के अंग थे । युद्ध मंत्रों के उच्चारण अथवा जादू-टोने (अपिनिपदकम्) द्वारा पाप की क्षतिपूर्ति को दूर करने की चेष्टा की जाती थी ताकि बाह्यण धर्मी समाज विधमिया क आक्रमण से सुरक्षित रह सके (आप्तुर्बन्धुवर्णम्) । ऐसे मन्त्रों का भी उत्सव मिरता है, जिनके उच्चारण से बलकार कर के (अद्भुतोत्पति) शत्रु को अक्षत कर दिया जाता था । यह भी कहा गया है कि राजा को मन्त्रों अपिधियों तथा जादू-टोने की सहायता से अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए और शत्रु की प्रजा को हानि पहुंचानी चाहिए ।’ इन मन्त्रों द्वारा निम्न काल के देवी-देवताओं का आह्वान किया जाता था जैसे अग्नि-वीरोचन शम्बर, देवक नारय मन प्रमिला आदि (XIV ३) ।

बाह्यण यज्ञों पर आधातित वैदिक धर्म का पालन करते थे जिनके लिए यज्ञों के साथ बाधाकरण में विशेष यज्ञशास्त्रों का प्रयोग था (II १) । राज प्रासाद में यज्ञ के लिए अलग एक स्थान होता था (इत्यास्थानम्) । नाना प्रकार के सन्यासी देश-विदेश में घूमते थे जिन्हें सद्धतापतप्रवृत्ति कहते थे । तपस्वी तपोवनों में रहते थे (IV ४ II १) ।

अवैदिक सम्प्रदायों में शाक्य तथा आर्जुनिक सम्प्रदायों का उल्लेख किया गया है (III २) । उन्हें आश्रय देना वर्जित था ।

इन बातों से यह प्रतीत होता है कि कौटिल्य को बाद क शास्त्रोक्त देवी-देवताओं तथा धार्मिक संस्कारों की अपेक्षा वैदिक धर्म यज्ञ देवी-देवताओं तथा अवैदिक धर्मों तथा जादू-टोनों का अधिक ज्ञान था ।

## आर्थिक परिस्थितियाँ

आर्थिक जीवन : राज्य द्वारा नियंत्रण पिछले विवरण से स्पष्ट ही चुका होगा कि देश के आर्थिक जीवन का बहुत बड़ा भाग राज्य के नियंत्रण में था। राज्य द्वारा जितने समियों को काम दिया जाता था उतना अन्य किसी द्वारा नहीं।

इसका अर्थ है कि हम देख सकें हैं राजा की निजी जमीन के रूप में देश की इतिहास का बहुत बड़ा भाग सीधे-सीधे राज्य के हाथों में था। यदि कर के रूप में उत्पादन का एक निश्चित अंश मिलता रहे तो खेती के काम में प्रत्यक्ष रूप से राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता था परन्तु देश में इतिहास को सगठित करना तथा उसे बढ़ाना राज्य का काम था। इसके लिए राज्य नई बस्तियाँ बसाने की योजनाएँ बनाता था। यदि वहाँ आबादी बहुत बनी होती थी तो वहाँ के कुछ लोगों को नए तथा बीरान इलाकों में बसने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता था। विदेशवासियों को देश में आकर बसने में भी राज्य सहायता देता था (मूलपूर्व समुदायों का जनसंख्या परबर्धनवादी स्वदेशीकरणवादी या निवेशवादी)।

यदि पाँच के जितने इलाके में कर (बास्तु) बने होंगे वे उसके बसावा प्रत्यक्ष पाँच के इतिहास की पूरी व्यवस्था इन स्थानों में होगी थी (१) केदार अर्थात् जिन लोग में कम बोयी जाती हो (२) पुष्प-वाट अर्थात्

फुलबाड़ियां (१) फल-बाट फलों के बाग (४) शण्ड अर्थात् केले तथा गन्ने आदि के गेठ और (५) फुल-बाग, अर्थात् जड़ों जैसे मदरक हस्ती आदि के खेत (मर्जकहृदिआदि)। इस प्रकार गाँव में अनाज फल-फुल सब्जियाँ मसाले ईश तथा केले सभी चीजों की लेती होती थी (II ९)।

गाँव का कुछ अतिमा शोचक सरकारी गाछों में बर्ब होता था उसमें से सीमा-रेखाओं (सोमाबरोबेन) द्वारा बिरी हुई जमह को निकालने के बाद दोप माग में से चीजें होती थी (१) लेठी बाकी (दृष्ट) भूमि (२) बहु बंजर जमीन जिस पर लेठी न होती हो (अदृष्ट) (३) ऊँची तथा सूनी जमीन (स्पल) (४) केदार, (५) आराम (बपीचे उपवन), (६) शण्ड (कनस्यादि क्षेत्रम केस जैसे फलों के बाग) (७) बाट (इक्वादिभूमिः, गन्ने के गेठ) (८) बल (जहाँ से गाँव के सिध्द इंसन तथा अन्य आबस्यन चीजें मिलती थीं, (९) वास्तु (जिधनी भूमि पर बर बने होते थे) (१०) चौर (पवित्र वृक्ष), (११) बैकगृह (मंदिर) (१२) सेतुबंध (तटबंध) (१३) इनाल (१४) तत्र (मिथ्या-गृह) (१५) प्रपा (पीने के पानी का स्थान) (१६) पुष्पस्थान (१७) विधीत (गाँव के पशुओं के लिए चलने का स्थान) और (१८) पवित्र जिधनी भूमि पर सड़ने वाली हों) (II ३५)।

तत्कालीन पालि ग्रंथों में भी धाम-निर्पोजन का वर्णन बहुत कुछ इसी ढंग पर किया गया है। सबसे पहल तो गाँव की लेठी की जमीन होती थी जिसके बाद गाँव के मवेशियों के सिध्द (आतक कबाएँ, III १४९ IV ३२६) या बकरियों के लिए (III ४ १) बाड़े थे राजा की हों (I २४) या प्रजा की (I १९४ ३८८) एक पंचायती बरनाह (I ३८८) होती थी। गाँव की तरफ से एक बरबाहा नियुक्त कर दिया जाता था जिसका काम होता था कि वह रात को सब आमदारों को या तो बाड़े में बंद कर दे या उन्हें मिन-मिनकर उनके आँकड़ों की बापस कर दे (I ३८८ III १४९)। उस घोषाक (V ३५०) कहते थे। पशुओं को राख नई जमह पर चलने के लिए ले आया जाता था (अंगुत्तर निहाय I २)

बरपाहों के पार गाँव की सीमा के निकट बगीचे होते थे, जैसे राजगृह में खेतुवन साकठ में अम्बतवन या आबस्ती में खेतवन।

फिर उससे बाद वे जंगल जाते थे जिन्हें साछ मही किया गया था जिन्हें गाँव वाले ईंधन तथा अपनी आबस्यकता की अन्य छोटी-मोटी वस्तुएँ प्राप्त कर सकते थे (आतक I ३१७ V १)। इस प्रकार के कुछ वर्ना के उदाहरण हैं कीचक का बंधवन मनध का सीठावन या साधय बेध का प्राचीन संसदाय जिनके बारे में यह कहा गया है कि उनमें बग्य पशु तथा चोर-डाकू रहते थे जो

उपर से जाने-जानेवाले छावों (काफिलों) को सूट डेटे वे (I १९) (मेरी पुस्तक हिन्दू सम्प्रदाय पृष्ठ २९७-९८) ।

आर्थिक दृष्टि से गाँवों को इन श्रेणियों में विभाजित किया गया है (१) परिहारक राजा की कृपादृष्टि के कारण दान के रूप में जिसका राजस्व माफ़ कर दिया गया हो (२) जायबोय जो गाँव सैनिक सेवा के रूप में राजस्व देता हो (३) वास्य-प्रतिहार जो अन्न के रूप में भू-राजस्व देता हो (४) वास्य-प्रतिहार अर्थात् पशुओं के रूप में (जैसे दूध देनेवाली गायों बोस होनेवाले बैलों या ऊन के लिए मँड़ों तथा बकरियों के रूप में) (५) हिरण्यप्रतिहार अर्थात् सोने चाँदी या ताम्र के रूप में (६) कुम्भप्रतिहार अर्थात् बन की पैदावार के रूप में और (७) विष्टि-प्रतिहार अर्थात् भ्रम के रूप में राजस्व देने वाले गाँव (II ३५) ।

गाँवों की क्रमों में विभिन्न प्रकार के जायतों कीदो (कोइब) तिल मिर्च तथा केसर (प्रियाणु) मूंग (मुद्ग) उड़ब (माय) मसूर, कृत्तल आदि दालों पर गेहूँ (मोक्षम) कज्जाल अलसी (अतवी) सरसों (सर्पप) धारु मूल आदि सन्धियों और केला कद्दू लौकी कुम्भाई बगूर (मुष्बीका) आदि फलों तथा मधु का उल्लेख किया गया है (II २४) ।

सरकारी कृषि-क्षेत्र : ये आवस्य कृषि-क्षेत्र देश की कृषि में सुधार करने के लिए बहुत उपयोगी थे । विभिन्न प्रकार की फसलों बोनो के लिए बीज यही तैयार किए जाते थे । सरकार के स्वयं अपने फुलों फसो तथा सन्धियों के बाग थे और कपास (कार्पास) तथा जूट (जौम) वीही वाणिज्योपयोगी फसलों की सेती थी सरकार की तरफ से की जाती थी (II २४)

खेत-मजदूर नृनिहीन खेत-मजदूर (विष्टि) होते थे । इन्हें मुफ्त मोहन तथा पोड़ा-ना गन्ध बैठन मी मिळता था । ये बरेकू नौकरों के रूप में काम करते थे । साधारण मजदूर (कर्मकर) भी होते थे जो मजदूरी लेकर काम करते थे । कुछ लोग एस भी होते थे जो अपने बापको दारों के रूप में बेच दते थे । भत में किसान जाने व अर्थात् वे किसान जिनके पास अपनी जमीन होती थी या राज्य की पैदावार का कुछ हिस्सा समान के रूप में देकर देती करते थे । राज्य इनसे अपने हिस्से या भू-राजस्व के रूप में पैदावार का छुट्टी भाग ले लेता था ।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि उस समय के बौद्ध साहित्य में इस बात को आदर्श माना गया है कि जमींदार को स्वयं अपनी भूमि पर देती करनी चाहिए और जिन्ही भी दान में उसने अपना सम्बन्ध नहीं तोड़ना चाहिए । बौद्ध साहित्य में खेत-मजदूरों अथवा मजदूरी करने वालों को समान पर एक कर्मक माना गया है और उन्हें दानों से भी नीचा स्थान दिया गया है (वीथ निबन्ध)

I ५१ अंगुस्तर निकाय I १४५ ००६ (मिस्र पञ्च १६७ ३३१) जातक कृषाजों में (उदाहरण के लिए I ३३९) में उमरी निश की गई है कि हट करके विमान अपने घरों पर अपने खलिहाना का खामी छाड़कर राज-संग्रह से सम्बन्धित पृथीपतियों की आगीरों पर मजदूरा के रूप में काम करें और भूमिहीन श्रम-मजदूरों को सभ्या में वृद्धि करें। इस सामाजिक पन का बिहान माना गया है।

पशुधन गाँव के पशुधन में साथे भीसे बकरियाँ भेईं गच्छे ३ सुभर तथा कुत (XIV ३ में घृतका शब्द का प्रयोग किया गया है) (V २)। हाँवे से।

राज्य की ओर से पशुपालन-क्षेत्रों पशुप्रजनन क्षेत्र तथा दुग्ध-गामाभा की व्यवस्था की श्रिममें आवश्यक कर्मचारी जैसे पशुपालक (चरवाहा) विण्डारक (भैंस चरानेवाला) डोहक (दूध पुग्नेवाला) मन्धक (दूध मचनेवाला) नियुक्त किये जाने से। इनके अतिरिक्त गिकारी (कुग्धक) तथा गिचारी कर्तों के रख वाले (द्वयमिन- II २९ II ३४) हाँवे से आचरवाहा को अगली जानवरों में मुरदित रखते से।

पशुपालन क्षेत्रों में बछड़े बबिया बील बाज डानबाये बील मीड तथा भैंसे पाये जाने से। इनमें अंगली मबेधियों की पालतू भी बताया जाता था।

कुक्कट-पालन भी हाता था (V २)।

सिंचाई सिंचाई का प्रबन्ध राज्य की ओर से किया जाता था। सिंचाई के अलग-अलग साधनों के अनुसार जो बल-जर बसूत किया जाता था वह राज्य की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। अलग-द्वारा की महामता से राज्य पानी के बितरण पर नियंत्रण रखता था। तात्का तथा नहों खदवाकर बस के नये स्रोतों का निर्माण करने की जिम्मेदारी भी राज्य पर ही थी।

उस समय के पालि ग्रंथों में (विशेष रूप से वास्तव-कथामों में) इस बात का उल्लेख मिलता है कि गाँव की खेती की जमीन अलग-अलग भागों के बीच बँटी हुई थी और सब के सब सहकारी सिंचाई के लिए लौरी गई नहों द्वारा एक दूसरे से अलग कर दिए गए थे (V ३३६ IV ३६७ I ४१२ (असवाल द्वारा सम्पादित संस्करण))। मयक के क्षेत्रों की मुलना जा इस प्रकार सिंचाई की नाशियों द्वारा आयवाचार भबवा टेड़े-मड़े क्षेत्रों में बाँट दिए गए थे बड़ से अपन मिश्रणों के बन्धों से की है जो फटे-पुराने कपड़ों के छोटे-छोटे टुकड़ा को जाड़कर बनाए जाते थे ((विनय-II २ ७-९)।

गाँवों में सार्वजनिक निर्माण-कार्य हर गाँव में परवत्त समाजोपयोगी स्थान तथा सामाजिक संस्थाएँ हाँपी थी। उनमें आराम (विधामगृह) भग्ना (तालाब)

तत्र (मिता-गृह) पुष्यत्वान् चैत्य (पूजा-गृह) वैश्वगृह (मन्दिर) और समीत  
 नृत्य तथा नाटक (प्रेक्षा) के लिए सार्वजनिक मनोरंजन-अवसर तथा सार्वजनिक  
 जीवन-कला (प्रबहण) (III १०) होते थे। कुछ इमारतें गाँव की शोभा बढ़ाने  
 के लिए भी हाँसी थी (ग्रामशोभा)। जैसा कि हम देख चुके हैं, ये सार्वजनिक  
 निर्माण जीवन-काल के समुक्त प्रयास (सम्बन्ध) द्वारा तथा उनके बीच सहकारिता  
 के सामूहिक समझौते (समय) द्वारा होते थे (III १ II १)। जो कोई भी  
 इस प्रकार तय किए गए सामुदायिक कार्यों में योग नहीं देता वा उसे बुरा मिसला  
 या (III १०)।

ग्राम-सेवा गाँव की तरफ से बेतन देकर कुछ कर्मचारी रखे जाते थे। इन्हें  
 ग्रामभूतक कहते थे। इनमें इस प्रकार के लोग होते थे जैसे बड़ई (कुट्टक)  
 कोइर (कर्माट, व्यवहार) कुम्हार, नाई (नापित) जो अनिर्धार रूप से हुए  
 गाँव में होता था (V १ V २) और बोबी (II, १)। हुए गाँव में जमीन  
 खोदनेवाले (मेढक) तथा रस्ती बटने वाले (रज्जुकर्तक) होते थे। याँवों के निम्न  
 लिखित पदाधिकारियाँ जो जमीन भी जाती थी पर वे इस जमीन को किसी दूसरे  
 को नहीं दे सकते थे (१) अग्र्यक (जैसे सुवर्णाग्र्यक) (२) लक्ष्याग्रक (गाँव  
 का मूलीक) (३) योप (४) स्वातिक (५) अन्तिकक (हामियाँ को सामने  
 वाला) (६) चिकित्तक (७) अक्षयक (बोड़ों को छापनेवाला) (८)  
 अयाकरिक (हरकारा) (II १)।

गाँवों के मनोरंजन महुरा तथा बाँधों में बोगों ही बरह कुछ अन्य कर्म  
 चारी भी होते थे जो प्रतिदिन के सार्वजनिक मनोरंजन का प्रबन्ध करते थे। विभिन्न  
 कोटियों के इन कलाकारों में निम्नलिखित होते थे (१) नट (अभिनेता) (२)  
 अर्क (३) पायक (४) चारक बीजा वगैरे, मूर्धन आदि वाले बनाने वाले  
 (५) बाजीवन (अलङ्कृत नापा में जोड़ीय भाषण देने वाला या कविताएँ पढ़ने  
 वाला) (६) कशीलक (नृत्य-विशेषज्ञ) (७) प्लवक (नट) (८) सीमिक  
 (बाहुपर) (९) चारक (भाट) (१) चारक (कविताओं का पाठ करने  
 वाला) (११) अर्क अग्र्यक (गर्बी) (१२) मात्स्यसम्पायक (मात्सी) (१३)  
 संघाटक (मात्स्य करनेवाला) (१४) चिकित्तक, (१५) अक्षिक (प्रेम-कला का  
 पिसक) और (१६) प्रबिल-नापित् (बिचारों को पानेवाला) (II २७)।  
 इन सब लोगों की सरकार थी और वे बेतन मिलता था।

ग्राम-अवस्था गाँव तथा उसके कल्याण के सम्बन्ध में राज्य के कर्तव्य संशोधन  
 में इन प्रकार थे (१) मू-अम्पति की सीमाएँ निर्धारित करना (सेतु) (२)  
 अग्र्य स्वार्थों में जाने के लिए मार्ग बनवाना (पबिसकमात्) (३) गाँव की  
 सुधारना (ग्राम-शोभा) तथा रक्षा के लिए आवश्यक निर्माण-कार्य करना (III

१०)। गाँव की रक्षा का काम गाँव की पुलिस व ह्राय में था जिसके लिए निम्न कितित्त वर्गों में स साग भर्तों किए जाने थे (१) बागुरिक (जातवर पकड़न बाल) (२) दाबर (भीस) (३) पुलिस (किरल) (४) छण्डाल मोर (५) अरथ्यवर (बनवासी) (II १)। गाँवों के चारों ओर परबर तथा लकड़ी के गंधों की एक अहारपीचारी (उपनासम्) बनवाकर भी गाँव की रक्षा करने की व्यवस्था थी (III १०)।

आलक-कचामों में यह भी बताया गया है कि गाँव के चारों ओर एक बीवार होती थी जिसमें फाटक सगे होते थे (ग्रामशार) (I २३९ II ७६ १३५ III ९)।

गाँव के छतों (ग्राम-शेख) के चारों ओर बाड़े लीचकर (I २१५) जाल बिछाकर (I, १४३ १५८) तथा खेतों के रखासों की सहायता से (II ११० IV २७७) हातियारक क्रीट-पतंगों तथा पशु-पक्षियों से उनकी रक्षा की जाती थी। क्रीटिस्य ने इन सब उपायों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है।

इस प्रकार गाँवों का जीवन निजी सम्पत्ति जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा सचार के मामलों तथा सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर आधारित था।

बंजर भूमि: वन-शेख लती की जमीन का प्रबन्ध था इस प्रकार कर दिया जाता था पर इसके साथ ही गाँव के बाहर बंजर भूमि (अकृष्या भूमि) के विस्तृत क्षेत्रों में भी गाँव के पशुओं के लिए चरागाह (बिबीत) बनाकर तथा विभिन्न प्रकार के वन लगाकर उनका पूरा-पूरा उपयोग किया जाता था। लतों के बाह पहले ये चरागाहें होती थी फिर बाहगों के लिए बेसों का अध्ययन करने तथा सोम यज्ञ करने के लिए वन में एकान्त स्वाम (ब्रह्म सोमारथ्य) और तप-स्त्रियों के तपस्या करने के लिए तपोवन होते थे।

इसके बाह बंगलों का काम भार्यम होता था। सबसे पहले वह सुरक्षित अंगल होता था जो केवल राजा के अधिकार लेने के लिए (बिहार) होता था फिर सामारण बन आते थे।

उनमें उत्पन्न होनेवासी वस्तुओं के आधार पर उन्हें अलग-अलग धेनियों में बाँट दिया गया था जैसे बाघ (इमारती लकड़ी) बेंबू (दाँस) बस्ती (बेत) अम्क (छाल) रज्जू (रस्सी बनाने के काम जानेवाले रेशे) पत्र (लिखने की सामग्री जैसे ताड-पत्र या मोक्षपत्र ताल-भूर्ज-पत्र) पुष्प (रगने के लिए फूल जैसे किन्नुक कुसुम्भ या कंकुज) मीष (जड़ी-बूटियाँ) विप (II १७) ईबन तथा पशुओं का चारा (काष्ठ-वधस) हाथियाँ और इमारती लकड़ी के जगलों का विशेष ध्यान रखा जाता था। युद्ध के लिए हाथी बहुत जरूरी होते थे और बाहरों तथा किचों के निर्माण की सामग्री के लिए इमारती लकड़ी के जगलों का

पर्याप्त महत्व था। हाथियों के बंगलों की निगरानी नापबनाप्यस नामक बग  
अधिकारी करता था (II २)।

बंगलो से बीठा संर, बाघ हाथी मैसा याक मयर कटुबा सॉप तथा  
पक्षियों आदि के बगड़े लाले लाल हड्डियाँ हाँठ सीप कुर तथा पुमें आदि  
बीजों मिश्री की जिनका आर्थिक दृष्टि से पर्याप्त महत्व था।

बन-कर्मचारी बंगलो की निगरानी का काम बन-संरक्षक का होता था  
जिसे बनपाल कहते थे। इन बिनाय म बृह-मर्मज्ञ भी हाते थे जो बृषों के  
पुषों तथा उनके इन भाग के आर्थिक महत्व की विशेष जानकारी रखते थे।  
(II १७)।

इस बिनाय में ऐसे चित्पकार (इत्यबल-कर्मज्ञः) होते थे जो गाँवों के  
कारखाना म जगल की कर्तव्यों से इन मुसर बीकार हथियार, पाकियाँ आदि  
मर्मक उपयोगी वस्तुएँ बनाते थे।

उद्योग राज्य द्वारा नियंत्रण करने ऐसे उद्योग पर, जिनमें बहुत  
पोज करने का काम आवश्यक होना था और जिन पर खर्च बहुत माता था  
राज्य का एकाधिकार था।

जाने सम्पदा की माय स्रोत (आकर प्रभाव कोसः) हैं। राज्य के लिए  
इनका अत्यधिक महत्व है। इसलिए कनिष्ठ उद्योग का राष्ट्रीकरण कर लिया  
गया था।

साला चाँदी हीरा विविध प्रकार क रत्नों के मतिरिक्त ताँगा सीसा  
(सीस) टील (अन) सोहा (तीक्ष्ण या अपस) और वेरु शिलाबु) जैसे  
निम्न कोटि के कनिष्ठ सरकार खुद निकलवानी थी।

राज्य की आर से मुक्ता (मोती) शूलित (मीप) शंख तथा प्रवाल (मृगा)  
आदि की लोब लमुजों में भी की जाती थी।  
राज्य की आर से शंख-सेजों में भी काम हाया था (जिनसे पारे जैसे रत्न  
निकाले जाते थे)।

मिट्टी से भी बानुएँ निकाली जाती थी।  
तमक के उत्पादन पर भी राज्य का एकाधिकार था। तमक बनाने के लिए  
बट मीयों को तमक-शेज के पट्टे कर दिये जाते थे।

मापी शंख मूने तथा हीरे-जवाहरात के सरकारी व्यवहार की देखभाल  
करने क लिए खम्बाप्यस नामक एक विशेष पणविकारी होता था।

एक और विशेष पशाधिकारी होता था जिन सीबिक कहते थे। जो धस  
शासना नामक गजनीय कारखाने में नैपार होने वाले मान तथा चाँदी क नामानों  
की देखभाल करता था (II १३)।

कपास, तेल, चाकर, तथा दूध-मखन आदि के सरकारी उद्योग भी ये (II ६) ।

मदिरा बनान तथा उस बेचने का सारा काम राज्य ने अपने हाथों में रखा था । आपुष और नाबें तथा बहाइ बनाने के उद्योग पर भी राज्य का ही एकाधिकार था ।

सिक्के ढालने का अधिकार केवल राज्य को था । राज्य के पदाधिकारी सब साधारण से सोना मा चाँदी लेकर उसके सिक्के ढाल देते थे और इसके लिए वे कुछ इनाई बसूल कर लेते थे । टकसाल के प्रधान अधिकारी को लक्ष्माम्यल कहते थे ।

बरीगृहों में भी कारखाने होते थे जिसमें बतियों से काम किया जाता था । राजकीय कटाईपर कटाई तथा बुनाई दानों ही का कारखाना होता था जिसमें कपास रेशम तथा जूट का सूत कपड़ा कचब (बम) रस्मियाँ कम्बळ (भास्तर) तथा परदे (प्राररन) तैयार किये जाते थे । इसमें गिराभित औरताँ को काम दिया जाता था । परदेबाली औरतों को कारखाने की औरतों के हाथ गुल कातने का काम भिजवा दिया जाता था ।

राजकीय कारखानों में बाकी सब अधिक ठेके पर रखे जाते थे । मजदूरी रोकना अपराध था जिसके लिए बंड की व्यवस्था थी ।

राजकीय सेतों बंधनों तथा गानों की पैदावार राज्य के गोदामों (कोष्ठागार) में जमा की जाती थी । इसका उपयोग करने के लिए राज्य को अपने कारखाने चलाने पड़ते थे । ये सब चीजें जमा करने की जरूरत इसलिए भी पड़ती थी क्योंकि राज्य को राजस्व मकद (हिरण्य) नहीं बल्कि बस्तुओं के रूप में मिलता था इसलिए सारे देश में इस प्रकार के कोष्ठागारों की व्यवस्था आवश्यक थी जहाँ ये चीजें रखी जा सकें । इस प्रकार पहले गोदामों की स्थापना हुई, फिर कारखाने बने ।

निजी उद्योग देश के सारे उद्योग राज्य के हाथों में नहीं थे । बहुत बड़ा क्षेत्र निजी कारोबार करनेवाले उद्योगपतियों के हाथ में था ।

स्वामाधिकार रूप से कौटिल्य ने राज्य द्वारा बसाए जाने वाले उद्योगों की और अधिक ध्यान दिया है पर मध्य शंभों में उद्योगों में निजी कारोबार की भूमिका पर प्रभाव डाला गया है । इन शंभों में सबसे महत्वपूर्ण अस्तक कपाई है । ईसा पूर्व तीसरी तथा दूसरी सताब्दियों में भरहुत तथा साँची की मूर्तियों में विष्णुकारों में इन्ही कपाइयों के विषयों का चित्रण किया है । राज बेबिड के शंभों में इन अस्तक कपाइयों में प्राचीन इतिहास सुरक्षित है । उनमें उस समय के अठारह मुख्य इस्तिस्मियों का उल्लेख किया गया है, जैसे अकड़ी का नाम करनेवाले कोड़े

तथा अन्य वातुओं का काम करनेवाले जमड़ा कमाने वाले चित्रकार, पत्थर का काम करने वाले हाथी-दाँत का काम करने वाले बुनकर, हुक्याई, बीहरी बटु मूस्य वातुओं का काम करने वाले कुम्हार, बनप-बाप बनाने वाले । इन हस्त शिल्पियों का संगठन श्रेणियों के रूप में किया गया था । प्रत्येक श्रेणी का एक प्रमुख अर्थात् मुखिया और एक छोटछक होता था । हमें श्रेणियों के ऐसे सभों का भी उल्लेख मिलता है जिन सब का एक ही मुखिया होता था जिसे माण्डगारिक कहते थे । उद्योगों की तरह व्यापार का संगठन भी व्यापारियों की श्रेणियों के रूप में किया गया था जिनके प्रधान को सैद्धि कहते थे । शाबली का अनाथ पिच्छिन्क प्लातेद्धि था । वह एक ऐसे बालिम्ब सब का प्रधान था जिसके आधीन ५० सैद्धि अर्थात् उस सब में सम्मिलित श्रेणियों के प्रधान थे । सापों के रास्त में सूट धाने का कठपय रतुना था इसलिए व्यापारी इनका संगठन सहकारिता के आधार पर करत थे । विभिन्न व्यापारी अपनी गाड़ियों अपने माक तथा अपने आहरणियों को एक में मिलाकर एक समवाय यानी कम्पनी बना लेते थे जिसका एक नायक होता था जिसे सात्वबाह कहते थे । वह यह बताता था कि कहीं पड़ाव आरुना चाहिए, कहीं जानवरों को पानी पिछाना चाहिए, किस मार्ग से चलना चाहिए, कहीं पर नदी को पार किया जा सकता है और कहीं कठपय है । रात के कुछ और अधिकारी भी होते थे जिन्हें बतलिम्प्यानक कहते थे जो बक पर मार्ग-दर्शन करते थे । वे पथ प्रदर्शकों के रूप में काम करते थे और यात्रा के बीरान में अनाथपिट अकाल अंगमी जानवरों टाक्यों तथा पिछारों से यात्रियों की रक्षा करत थे । इसी प्रकार हमें समुद्री व्यापार करनेवाले कई छोटी-मोटी के मिलकर एक जहाज ले केने या व्यापारियों के बीच माक के भाड़े के सम्बन्ध में संयुक्त रूप से कोई करम उठाने के उल्लेख भी मिलते हैं । साब साबों में भी व्यापार करते थे । जैसे बाबुल को बिड़ियों के निर्यात का व्यापार या 'उत्तर' से बनारस में घोड़ों के आयात का व्यापार, कई स्वान ऐम भी थे जो किसी विशेष उद्योग के केन्द्र बन गए थे । हम कुम्हारों बड़ियों लुहारों यहाँ तक कि जानवर पकड़ने वाला के गाँवा के उल्लेख पढ़ने को मिलते हैं । महरों में हाथी-दाँत का काम करनेवालों की मड़दों (बीबी) रयरेजों की मड़दों बस्मनों की मड़दों या बुनकरों की बलियाँ (ठान) होती थी । कुछ हीन-तल्प अर्थात् गुच्छ ऐसे भी थे जिनमें अपनी जीविका कमानेवाले लोग जल्म रल्ले खाते थे जैसे शिकारी तथा जानवर पकड़नेवाले मसुण, कमाई, जमड़ा कमानेवाले या सँदरे गट गर्तक गायक मूँब की बीजे बुननेवाले या रब बनानेवाले जो अधिकतर आदिवासी होते थे (हिंदू साधना पृष्ठ ३०१ ३०७ ३०८) ।

(हिन्दी संस्करण से)

व्यापार : व्यापार के सम्बन्ध में राज्य के ऊपर एक विशेष उत्तरदायित्व था। उसकी आय दम पर निर्भर थी। ऊपर बताई गई परिस्थितियों के कारण उसका कारखानों में निरन्तर बहुत बड़ी मात्रा में जो विविध प्रकार का माल एकत्रित होता रहता था उसे बेचकर लाभ कमाया जाता था। इस प्रकार राज्य देश में मूल्य बढ़ा व्यापारी था और उस स्वयं अपने हितों की रक्षा के लिए देश के पूरे व्यापार पर नियंत्रण रखना पड़ता था।

व्यापार का नियंत्रण राज्य द्वारा कीमतों के नियंत्रण पर आधारित था। नियंत्रण की यह व्यवस्था कुछ अनिवार्य उपकरणों पर आधारित थी।

कोई माल अपने उत्पादन के स्थान पर, क्षेत्रों में या कारखाने में नहीं बेचा जा सकता था। उन्हीं नियत मंडियों (पब्लिसाउस) में ले जाना पड़ता था जहाँ व्यापारी को यह बताना पड़ता था कि कितना माक है, वह किस कोटि का है और उसके माक की कीमत क्या है। इस माक की जाँच करके उसे बहीखातों में चढ़ा लिया जाता था।

हर व्यापारी को अपना माक बेचने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। बाहर से आनेवाले व्यापारी को इसके अतिरिक्त पासपोर्ट भी लेना पड़ता था।

वाणिज्य का अध्याय (पब्लिसाउस) सुसंरचना में वर्ण किए हुए मूल्य के अनुसार माक की बोक कीमतें तै कर देता था। फुटकर कीमतें तै करते समय वह कुछ लाभ की मुंजाइश रखता था।

कोरी से माल ले जाने या माल में किसी प्रकार की मिश्रण करने पर कठोर बंद किया जाता था।

छुट्टेबाजी और कीमतें बढ़ाने-घटाने के लिए सारा माक दबा लेने की इजाजत नहीं थी।

मजदूरी बढ़ाने के लिए मजदूरों की हड़तालें बर्बर थीं।

अनधिकृत कीमतों तथा व्यापार में बोधेबाजी से जन-साधारण शाहकों तथा उपभोक्ताओं की रक्षा करने के सम्बन्ध में राज्य को बहुत बड़े तथा कष्टसाध्य उत्तरदायित्व को निभाना पड़ता था। यह पता लगाने के लिए कि किसी व्यापारी ने अपने माक के बारे में कोई झूठ बात तो नहीं लिखवायी है, उसे व्यापार-मार्गों पर बहुत बड़ी संख्या में अपने मूल्तखर या मंडियों के निरीक्षक नियुक्त करने पड़ते थे और अन्य व्यापारियों को इस बात की सूचना देनी पड़ती थी (II २१)।

कीमतों पर राज्य के नियंत्रण के अतिरिक्त माप-तोला पर भी राज्य का नियंत्रण था। सरकारी मापबंध सार्वजनिक उपयोग के मापबंध से थोड़ा-सा कम होता था जिस अंतर के कारण राज्य को बैठे-बिठाए कुछ आय हा जाती थी जो ५

प्रतिमत ध्यारी के बराबर होती थी। यह उसी प्रकार की भाव थी जैसी सिक्कों की इगई से होती थी।

आयात तथा निर्यात-कर चुनी तथा उत्पादन-कर के रूप में व्यापार पर प्रति मद टैक्स लगाया जाता था। कर चुकाने के लिए व्यापारियों को अनेक मंडियों पर रक्ता पड़ता था। बिंदियों से आनेवाले व्यापारियों से सीमांत-कर, मार्ग-कर (बर्तनी) तथा महामूल और नगर के फाटक पर चुनी वसूल करके उनका मूमाध्य ब्रह्म काम कर लिया जाता था। नगर के द्वार पर मुस्कदाया के पदाधिकारी रुका पहुँच रखते थे और इस उद्देश्य से मुस्कदाया में एक और कलून से बंध निकलने की कोशिश करने वाले व्यापारियों को बंदी बनाकर रखने के लिए भी एक स्थान होता था।

परन्तु वहाँ व्यापार पर इस प्रकार टैक्स लगाया जाता था वहाँ उक्त उक्त पुराने जमाने में बंध हर अपहृ बीबल तथा सम्पत्ति की सुरक्षा का कोई आश्वासन नहीं था सरकार के आश्वासन के रूप में सुविचार्य भी ही जाती थी। यात्रा के पूरे मार्ग में मार्ग के यातायात की रक्षा की जाती थी। यदि यातायात के दौरान में कोई घटि होती थी तो उक्त स्थान के सरकारी पदाधिकारी को वहाँ से मुक्त हो समव क्षति हुई हो इसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ती थी। मार्ग में यह जिम्मेदारी उस गाँव के मुखिया (ग्रामस्थानी या वाकमुख्य) पर होती थी गाँव के बाहर विधीताध्यस की और उसके क्षेत्र के बाहर जिम्मेदारी सरकारी पुलिस की होती थी जिस बोर-रक्षक कहते थे उसके बाद सीमा-स्थानी अर्थात् सीमांत प्रदेश का प्रबान होता था।

उक्त जमाने में सारे देश में फैले हुए लटेरों के गिरोहों (बोर-मध) से व्यापार की रक्षा करनी होती थी। उत्पत्ती स्पष्ट बातियाँ (जैसे किरात) और बन में रहनेवाले जंगली ज्ञाप (बाइबिक) सब लूटमार पर उठाए रहने से (VII, १०)।

गाँव की पुलिस का उत्प्रेक हम पहले कर आए हैं। परन्तु हर गाँव की चोरों (ठगकर) से रक्षाकी काम के लिए निकायी और कसे पाप्नेहाके (मुख्य-रक्षक) होते थे जिनका उत्प्रेक भी पहले किया जा चुका है। उनका चोरों से रक्षाकी करत का तरीका यह होता था कि वे किसी जैसी जगह पहुँची या वेड़ से वहाँ उन्हें कोई देण न सके सय या डोस बनाकर बाधकियों को कैता-बनी देण से या सेडी में भागकर उन्हें मुचना बते से (II ३४)।

व्यापार मार्ग व्यापार अपने मार्गों पर निर्भर था। जैस बिस्तृत देस के लिए मार्गों की व्यवस्था एक बहुत बटिन समस्या थी।

प्रेट-इंक रोड युनातियों ने उत्तर-पश्चिमी सीमांत से पाटलिपुत्र तक जाने वाले राजपथ का उत्प्रेक किया है यही उक्त जमाने की इंड इंक रोड थी जो

१०००० स्टेडिया अर्थात् १२०० मील लम्बी थी (स्त्राबो \ V १ २)। हम यह भी देख चुके हैं कि मेगास्थनीज ने भी उन सरकारी पदाधिकारियों का उल्लेख किया था जो सड़कों का प्रबंध देखते थे और चाड़ी-थोड़ी दूरी पर मोड़ों तथा दूरियों की सूचना देनेवाली ठग्नियाँ लगाई जाती थीं।

यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि मेगास्थनीज ने उत्तर-पश्चिमी सीमांत से पाटलिपुत्र आनेवाले राजपथ के बारे में यह लिखा है कि यह सड़क पहलू से सीधे थी।

भारत में प्रवेश करने पर सीमांत से पाटलिपुत्र तक आनेवाले दस राजपथ को देखकर, जिस पर जन धर्म के पालन के लिए उसने स्वयं यात्रा की होगी मेगास्थनीज आश्चर्यचकित रह गया था। कहा जाता है कि यह सड़क माठ भाग में बनावी गई थी। इन आठ भागों की सम्बाँध हाइर्फैमिस (ध्यास) नदी थी सिन्धु के बाएँ तथा कामागनेटस नामक सर्वेक्षण अधिकारियों ने नापी थी और कहा जाता है कि ध्यास से बंधा एक की सम्बाँध, सिन्धु के मिनेटर के आदेश पर मेगास्थनीज तथा अन्य यूनानी यात्रियों ने नापी थी। इन आठ भागों का विवरण इस प्रकार दिया गया है (१) प्यूकेलाओटिस (संस्कृत में पुष्करावती नगर की राजधानी आधुनिक जारसहा) से लक्षधिका तक। (२) लक्षधिका से सिन्धु नदी को पार करके हाइडेस्पीज (हेलम) तक। (३) वहाँ से हाइर्फैमिस (ध्यास) के किनारे उस स्थान तक जहाँ सिन्धु ने अपनी बेदियाँ बनवाई थीं। (४) ध्यास से हेसिद्रस (सतमुज) तक। (५) सतमुज से इयोमेनीज (यमुना) तक। (६) यमुना से हस्तिनापुर होती हुई गंगा तक। (७) गंगा से रोडोक्रा नामक स्थान तक (कहा जाता है कि यह वही स्थान था जहाँ आजकल अनूप शहर के निकट उमाई नामक स्थान है)। (८) रोडोफ़ से कस्मिनेक्सा (कदाचित् कास्यकुब्ज अर्थात् कमीज) तक। (९) कमीज से प्रयाग में बंधा तथा यमुना के समतल तक। (१०) प्रयाग से पाटलिपुत्र तक। (११) पाटलिपुत्र से गंगा के मुहाने पर कशाचित् ताग्रलिप्ति तक। इन सड़क के किनारे हर मील पर एक पत्थर लगा हुआ था जिस पर इस सड़क की दालाओं तथा विभिन्न स्थानों की दूरी अंकित थी। इस मार्ग की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग के पदाधिकारियों पर थी जो इसकी देखभाल करते थे इसकी मरम्मत करवाते थे और हर दस स्टेडिया की दूरी पर पत्थर तथा विद्यासूचक ठग्नियाँ लगावाते थे (प्लिनी नेचरल हिस्ट्री VI २१)।

बीज प्रबंधों में मार्गों का वर्णन प्राचीनकालीन बीज साहित्य में यातायात के मार्गों के विषय पर काफी प्रकाश डाला गया है।

अन्तर्देशीय मार्ग : जिस के भीतर व्यापार गादियों द्वारा तथा सार्व के रूप में

होता था। हमें इस बात का उल्लेख पढ़ने को मिलता है, कि अनापदिष्टिक के कार्य छावन्ती (घावन्ती) से दक्षिण-पूर्व की ओर राजगृह (राजपुड) तक बाटे और वहाँ से वापस लौटते थे (कालमय ३०० मील) (आतक कर्पार I १२ ३४८)। ये मार्ग 'सीमा' तक कदाचिद् गंधार की ओर भी जाते थे। (आतक-कर्पार I ३७७ तथा उसके बाद के पृष्ठ)। नदियों को पार करने की सुविधा की दृष्टि से कदाचिद् यह मार्ग कुशीनारा तक पर्वतों की तरफही न होकर जाता होना कुशीनारा और राजगृह के बीच रास्ते में बाण्डू बंधू टहरने के स्थान (याम अर्थात् नगर) से जिनमें बेसाकि (बैशाली) नामक नगर भी था इस प्रकार बर्मोपदेम के लिए महात्मा बुद्ध की अंतिम यात्रा के किञ्चित्त मार्ग-विवरण के अनुसार केवल एक बंधू पटना में गया नदी पार करती पत्ती थी (दीर्घनिकाय II सुताठ XXXI ८१ तथा उसके बाद के पृष्ठ)।

एक दूसरा महात्त्वपुत्र मार्ग छावन्ती से दक्षिण-पश्चिम की ओर पकिटान (प्रतिष्ठान = पीठ) तक जाता था जिन पर रास्ते में छ पञ्चम पर्वते थे (सुत-निकाय १ ११ १३) और कई बार नदियाँ पार करती पट्टी थी। हमें इन पर्वतों में इन बात का उल्लेख भी मिलता है कि गया नदी में मार्ग सङ्ग्राहिक तक (विजय सुत, III ४०१) और यमुना नदी में कोसम्बी तक (विजय सुत III ३८२) जाती थी। उस पयाम में पुल नहीं होते थे केवल ऐसे स्थान हाठ थे जहाँ नदियाँ की पेरत पार किया जा सकता था या फिर नदियों को पार करने के लिए बाट होते थे (आतक कर्पार, III २८८)। मनु ने यादिया क बाटों का उल्लेख किया है (III ४ ४) तथा उसके बाद के पृष्ठ। पुल (सैतु) नहीं होता था बल्कि केवल नदी के किनारे बना हुआ तटबन्ध होता था।

एक तीसरा मार्ग पश्चिम की ओर सिन्ध तक जहाँ बोरे और गदहे बहुतायत से पाए जाते थे (आतक कर्पार II १२६ १०८ १८१ II ३१ २८७) और मोषीर तक (विजय बरधु (टीका) ३३६) और उसके बदरगाहों तक जाता था जिनकी राजधानी राव (आतक कर्पार III ६००) मन्वा रोल्क (द्विज विजय, II २३५ विष्णुब्रह्म ५४४) थी। हमें बल-मालों से 'पूर्व तथा पश्चिम' जाने वाले मार्गों (आतक-कर्पार I १८ तथा उसके बाद के पृष्ठ) तथा रेगिस्तानों के पार करने वाले मार्गों का उल्लेख भी मिलता है। इन रेगिस्तानों को राजपुताना के रेगिस्तान) को पार करने में कई दिन लग जाते थे वे काफिले रात्रि के समय नदियों से दिया का पना मचाने हुए बल-मार्गदर्शक (बलनिष्पामक) (आतक-कर्पार, I १०७) के नगुन में पाया करने में।

पश्चिमी बंदरगाहों के पार व्यागादि बरु से जोमक" हुंकर महासागर पार बाण्डू (बादिल) से व्यापार करने थे।

अंत में उत्तर-पश्चिम में बहु बृहद् व्यापारिक बल-मार्ग या जो तथाकथित और गया की बाटी के साक्ष्य साक्षरणी बनारस तथा राजगढ़ आदि नगरों से होता हुआ भारत और मध्य तथा पश्चिमी एशिया के बीच सम्पर्क स्थापित करता था (विनय II १७४ महावग्य VIII I १) । चूंकि यह मार्ग बहुत खालू था इसलिए इस पर यात्रा करने में कोई परतग मही था । इस बात के उल्लेख भी है कि अनेक विद्यार्थी बिना किमी को साथ लिए और निहत्थे विद्योपार्जन के लिए (तत्रतककसिमा (तखणिसा) की यात्रा करते थे (आतक कथाएं, II २७७) ।

समुद्री व्यापार उम समय में समुद्रों के रास्ते बिन्दियों के साथ या व्यापार होता था उसके भी कुछ प्रमाण मिलते हैं पर ये प्रमाण बहुत ही थोड़े हैं । उदाहरण के लिए इस बात के उल्लेख मिलते हैं कि राजकुमार महाजनक समुद्र के रास्ते चम्पा से सुवर्णभूमि तक (आतक-कथाएं, VI ३४) और महिन्द्र पाटलिपुत्र से तामकिलि और वहाँ से लंका गया था [विनयसुत III १८८ समन्तपामादिक] । एक जगह इस बात का भी बर्नन मिलता है कि राजसव अद्या न करनेवाले बहुर्यों का एक पूरा यात्र रात्रि के समय एक "विशाल जलपोत" में बैठकर बनारस से मंगा के रास्ते समुद्र की ओर भाग निकला था (आतक कथाएं, IV १५९) । एक रोम्य पोत-संभासक जहाज पर सुरक्षित रूप से "समुद्र पार से भारत जानेवाले यात्रियों को नदी के रास्ते बनारस तक" ले जाता था (आतक-कथाएं, II ११२) । इस बात का भी उल्लेख है कि व्यापारी भारत के समुद्रतट के किनारे-किनारे भटकन्ठ (भड़ोंच) से सुवर्णभूमि तक चले जाते थे (आतक-कथाएं, III १८८) । रास्ते में वे लंका के एक बहरवाह पर ठहरते भी थे (आतक कथाएं, II १२७) । जब कोई नया जहाज आता था तो उस पर लगे हुए मास से जाहूट होकर सैकड़ों व्यापारी उसे लीराने के लिए वहाँ जमा हो जाते थे (आतक कथाएं, I १२२) । उस समय के जहाज इतने बड़े होते थे कि उनमें सैकड़ों यात्री बैठ सकते थे । इमें दुःख में पँसकर डूब जाने वाले जहाज पर बैठे हुए ५० व्यापारियों (आतक-कथाएं V १२८ I ७५) और सुप्पाक के सुरक्षित सञ्चालन में यात्रा करने वाले ७० व्यापारियों (आतक-कथाएं, IV १३८) (हिंदू सम्मता पृष्ठ ३ २ १०४) के उल्लेख पढ़ने को मिलते हैं ।

संस्कृत ग्रंथ पाणि प्रर्थों में एक व्यापारिक बल-मार्ग के अस्तित्व का जो प्रमाण मिलता है उसकी पुष्टि पाणिनि द्वारा उत्तरपथ (V १७७) के उल्लेख से होती है । पाणिनि ने उत्तरपथ से होकर जानेवाले (उत्तरपथेन गच्छति) यात्रियों और इस मार्ग द्वारा लगे मास (उत्तरपथेन माहृतम्) का उल्लेख किया है ।

स्त्राबो के अनुसार, सिकंदर के जमाने में भीक्सस (जामू) नदी में नावें बड़ी आसानी से चल सकती थीं और इस प्रकार पश्चिम की ओर जाते समय भारत

तानेवाला मार्ग इस नदी के रास्ते कैम्बियन सागर तक पहुँचाया जाता था। यह कि बामिगटन ने बताया है (कामर्स डिक्शनरि रोमन एम्पायर ऐण्ड इंडिया २१) पश्चिम से भारत तक जाने के तीन प्राकृतिक मार्ग थे (१) जहाँ अफ़ग़ानिस्तान के पहाड़ काबूल नदी के उद्गम के ठीक उत्तर में बहुत कम चौड़े होते हैं और आमू तथा सिन्धु नदी की बाटिया के बीच में केवल हिन्दुकुश तमाम्ना पहुँचाती है (२) पश्चिम तथा दक्षिण-पश्चिम में ५ मील दूर ही पर अफ़ग़ानिस्तान के पर्वतों का क्रम समाप्त हो जाता है और हरात से उत्तर तथा काबूल तक ४० मील में फेले हुए पठार पर होकर हेसमद नदी के तारे-किनारे एक सुव्यवस्थित मार्ग खुल जाता है और एक दूसरा मार्ग बोलूम अबका बरें से होता हुआ कमार के दक्षिण-पूर्व से सिन्धु नदी के निचले मैदानों तक (३) मरकान के रेगिस्तानों में होकर या बलोचिस्तान के समुद्र के किनारे-किनारे जाता था।

पाणिनि ने जिस उत्तरपथ का उल्लेख किया है वह इनमें से पहला या दूसरा ही रहा होगा। यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि इन प्रदेशों पर चन्द्रगुप्त मौर्य की विजय के फलस्वरूप उसके साम्राज्य की सीमाएँ लगभग ऊपर से नीचे तक फैली इसलिये इन मार्गों से होकर पश्चिम के साथ भारत का व्यापार बढ्ना हुआ। भारत में यह व्यापारिक बल-मार्ग (उत्तरपथ) उसके उत्तर प्रदेशों से होकर पारगता होगा तथा उनके बीच सम्पर्क स्थापित करता हुआ उनका उल्लेख पाणिनि तथा पतञ्जलि ने किया है जैसे वास्तुकी कापिथी कलावती मरकवाती तससिमा शाकल इस्तिनापुर, कौषाम्बी काशी पाटलिपुत्र आदि नगर।

पतञ्जलि ने (पाणिनि की टीका में II, २, १८ तथा III ३ १३६) कौषाम्बी या वाराणसी के पास चले जाने वाले यात्रियों के प्रसंग में निच-कौषाम्बी : वा नर-वाराणसि की समाप्ता का उल्लेख किया है इसमें यह संकेत मिलता है उस समय ईड टुक रोड कौषाम्बी तथा वाराणसी नामक नगरों से होकर जाती थी। पाणिनि के एक नियम (III ३ १३६) के प्रसंग में पतञ्जलि ने यह बूझाया है कि साकत तथा पाटलिपुत्र नामक नगर एक ही मार्ग पर स्थित थे और इस प्रकार हम ईड टुक रोड की कम्बोई का हिसाब लगा सकते हैं जो साकत तथा कौषाम्बी और वाराणसी तथा पाटलिपुत्र नामक नगरों को जोड़ती थी। आरभय की बात है कि जादिका में माना कि आरम-विन्दु के रूप में कौषाम्बी का उल्लेख किया गया है जबकि पतञ्जलि ने साकत को आरम-विन्दु कहा है। यद्यपि दोनों ही वर्षों में यात्रा का अंतिम स्थल पाटलिपुत्र ही बताया गया है। 'इन दो व्याकरणशास्त्रों में यह मतभेद किसी वैयक्तिक अथवा मनोव्या-

सम्बन्धी कारण से भी हो सकता है। कदाचित् बागों ही अपने जन्मस्त्राग को नौसाकिन केन्द्र समझते हावे (इंडियन कम्पार में मेरी टिप्पणी II २)।

अर्धशास्त्र में मार्गों का वर्णन अर्धशास्त्र में भी इसी उपयुक्त साराणी को दोहराया गया है।

कौटिल्य के अनुसार (VII १२) व्यापार-वर्ग (बणिजपत्र) काम की दृष्टि से स्थापित किये जाने चाहिए।

जलमार्ग एक मत यह है कि व्यापारी के मार्गों में जल-मार्ग को प्रधानता दी जानी चाहिए, क्योंकि जलमार्ग अधिक लाभदायक होता है। इस मत का आधार इस बात पर है कि जलमार्ग द्वारा मार्ग ४ जाने में खर्च कम आता है और महानत भी कम लगती है (अस्पृश्य-व्यापार-प्रभूतपञ्चोदयवर्ष)।

कौटिल्य ने इस मत का समर्थन नहीं किया है। कौटिल्य के मतानुसार, सबट के समय जल-मार्ग पर किसी प्रकार की सहायता नहीं पहुँचाई जा सकती (सद्व्यगति विपदि सर्वतो-निरुद्धगमन)। इन मार्गों को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता (असर्वकामिन्ः) ('जैसे बर्षा ऋतु में') उनमें सतारा व्यापार रहता है और इस खतरे से बचने का कोई उपाय भी नहीं किया जा सकता।

कौटिल्य ने जल-मार्गों को दो भेजियों में विभाजित किया है (१) समुद्र तट के किनारे के जलमार्ग (कूलपत्र) और (२) महासागर के बीच से होकर जाने वाले जल-मार्ग (विदेशों के लिए) (संयानपत्र)। इन दोनों में कौटिल्य ने पहली योजना के मार्गों को प्रधानता दी है, क्योंकि अधिक बदरगाहों तक उनकी पहुँच होने के कारण (पथ्य-पट्ट न-बाहुक्यत्) वे अधिक काम से भौत होते हैं।

दूसरा जल-मार्ग नदियों का है। इसके भी कुछ ऐसे गुण हैं जो अन्य जल-मार्गों में नहीं पाए जाते। इसका कम नहीं टूटता और इससे यात्रा करने में बहुत अधिक सतारा भी नहीं रहता।

सड़कें : वहाँ तक जल-मार्गों का संचय है उन्हें छोटे-छोटे ठौर पर दो भेजियों में विभाजित किया गया है (१) हीमवत या उत्तरापत्र उत्तरी हिम प्रदेशों को जानेवाली सड़क (२) बसिचापत्र।

उत्तरापत्र एक मत हीमवत मार्ग को बेहतर समझता है क्योंकि उसके रास्ते अधिक कामवापक वस्तुओं (साखत्तराः) — जैसे चीड़े हाथी कस्तूरी (गंध कस्तूरी) हाथी-बाँट आदि साजा तथा बाँड़ी — के चीतों तक पहुँचा जा सकता है।

बसिचापत्र परन्तु उत्तरवासी होते हुए भी कौटिल्य ने बसिच का पक्ष लिया है। कौटिल्य का कहना है कि यद्यपि बसिची मार्ग इन चीतों को मुहूर्त-

जाता जहाँ से कम्बल लालें या बोड़े बादि वस्तु जाते हैं, पर इस मान के रास्ते हमें संक हीरे, मणि मुक्ता तथा स्वर्ण जसी अधिक बहुमूल्य वस्तुएँ प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त बलिनी माग कई खनिज-श्रेणों (बहु-खनिः) और बहुमूल्य पदार्थ (आरपण्यः) उत्पन्न करनेवाले प्रदेशों से होकर गुजरता है और उस पर यात्रा करने में किसी लठारे या कठिनार्थ का सामना नहीं करना पड़ता (प्रसिद्धपतिः भावप्यायामः)।

इसी काय की दृष्टि से कौटिल्य राज्य से यह भी चाहता था कि वह देश में यात्रियों के जाने-आने के लिए सड़कों (बन्धन्य) बनवाए, जिनके रास्ते हमेशा बहुर-सा मान एक बगल से दूसरी बगल जाया तथा के जाया जा सकता है (विपुलारंभवाद्)। कौटिल्य ने बरहों तथा झंटेँ जैसे मारवाहक पशुओं के लिए भी मार्ग बनवाने का परामर्श दिया है (VII १२)।

मार्गों की विभिन्न श्रेणियाँ : कौटिल्य ने देश के विभिन्न प्रकार के मार्गों का संश्लेष किया है (II ४) जैसे

- (१) राज-मार्ग अर्थात् राजपथ बड़ी सड़क
- (२) विभिन्न प्रशासन केन्द्रों तक जानेवाली प्रांतीय सड़कें जैसे स्वामीय-पथ
- (३) ग्रामयुक्त-पथ
- (४) राष्ट्र-पथ देहातों को जानेवाले मार्ग या
- (५) विबीत-पथ देहातों में बरामाहों को जानेवाले मार्ग और मार्गों की अन्य श्रेणियाँ जैसे

(१) संपत्तीय-पथ जो उन सड़कों को जाते थे जहाँ हाट मगते थे (संपत्तीयं अय-विजयं व्यबहार-अयानं कृतम् तत्पथः)

- (७) व्यवपय सैन्य के लिए मार्ग
- (८) सैन्यपथ सिन्धु नदी के तटों को जानेवाले मार्ग
- (९) बन्धन्य अयन को जानेवाले मार्ग
- (१०) हस्तिपथ हाथियों के लिए मार्ग
- (११) श्वेत्पथ श्वेतों को जानेवाले मार्ग
- (१२) रथपथ रथों के लिए मार्ग
- (१३) पशुपथ मवेशियों के लिए पथदिवियाँ
- (१४) मृगपशुपथ घेड़ बादि छोटे पशुओं के लिए पथदिवियाँ और अंत में
- (१५) मनुष्यपथ मनुष्यों के चलने के लिए मार्ग।

व्यापार-ताबदी इन विभिन्न मार्गों के रास्ते देश के सभी मार्गों से जहाँ जो भी चीज पैदा होगी वही लागें तथा जहाँ जैसे दुर्बल स्थानों से वाण-प्रकार की चीजें बिकने के लिए बाजार में जाती थी।

मोती : विभिन्न प्रकार के मोतियों के नाम उन स्थानों के नाम पर रखे गए हैं जहाँ वे पाए जाते हैं। इतने प्रकार के मोती होते हैं (१) ताग्रपत्निक जो पाण्ड्य देश के उच्च स्थान से निकल आते हैं जहाँ ताग्रपत्नी नदी समुद्र में गिरती है (समुद्र समय प्रवेश समुत्पन्नम्) (२) पाण्ड्यराज्यक जो पाण्ड्य देश के मलयगौड़ नामक पर्वत पर पाए जाते हैं (३) पाणिष्य जो पाटलिपुत्र के निकट पाण्डिका नदी से निकाले जाते हैं (४) कौत्स्य जो सिन्धुनदी (संका) के मयूर नामक गाँव की बूछा नदी में से निकाले जाते हैं (५) चर्ष्य जो केरलदेश में मुरशि नामक नगर (पट्टन) की बूर्जी नदी में से निकाले जाते हैं (६) महेन्द्र जो महेन्द्र पर्वत पर पाए जाते हैं (७) कार्बनिक जो पारसीक अर्थात् प्यरस की कर्दमा नदी में से निकाले जाते हैं, (८) द्यौत सीय जो बर्बर-देश के समुद्रतट पर नीतसी नदी में से निकाले जाते हैं (९) ह्याबीय जो समुद्रतट पर स्थित बर्बर देश की श्रीषष्ट नामक झील में से निकाले जाते हैं और (१०) हीमवत जो हिमालय पर पाए जाते हैं।

मणिषी मणिषी कौटि तथा मासा नामक पर्वतों और संका की रोह्य नामक पहाड़ी पर पाई जाती हैं (पार-समुद्रकः पारसमुद्रः तिहसरोह्यवात्रिः तग्जः)।

हीरे-अबधरात : हीरे अमाराष्ट्र में जो उच्च समय में विदर्भ देश का नाम था मध्यम-राष्ट्र जो आजकल कोसल देश है कास्तीर-राष्ट्र में श्रीकटन नामक पहाड़ी पर उत्तरत्यथ पर मणिमन्थक नामक पहाड़ी पर और कश्मिर देश की इन्द्रनामक नामक पहाड़ी पर पाए जाते हैं।

मूषा : मूषा अलकंड नामक स्थान से जो बर्बर देश की एक बंजरनाहू या खीर यवन-द्वीप में समुद्र के किनारे स्थित विषर्भ नामक स्थान से छाया जाता था।

सुगंधित लकड़ी : चन्दन अथवा (अगल) तथा काम्बेयक जैसी सुगंधित लकड़ियों का भी व्यापार होता था। इनमें से अधिकतम कामस्य अर्थात् आसाम में पैदा होती थी।

खालें विभिन्न प्रकार की खालों का व्यापार भी बहुत बड़े पैमाने पर होता था जो कान्तनाथ तथा प्रेम जैसे स्थानों से जाती थीं ये हिमालय (उत्तर पर्वत) पर स्थित प्रदेश हैं। बिछी तथा महाबिसी जाति की खालें हिमालय के आच्छ प्रख्यात पर्वतों (इन्द्रप्रामाईये) से जाती थीं जहाँ खेच रहते हैं। हिमालय के आच्छ नामक एक दूसरे प्रदेश से विभिन्न प्रकार की खालें जाती थीं।

हिमालय के बाष्पक नामक एक दूसरे प्रदेश से अन्य प्रकार की — — — थीं।

और फिर जल में रखेवाले पत्रुओं की छात्रों का भी व्यापार होता था।

कम्बल छनी कम्बल का व्यापार काफी बड़े पैमाने पर होता था। मैपाक का उल्लेख उन स्थानों में किया गया है जहाँ से अच्छे कम्बल आते थे वहाँ से भाठ टकड़ों की आपस में जोड़कर बनाए गए काल रंग के कम्बल आते थे जिन्हें निर्मित कृत से और इन पर बर्षा का कोई अछर नहीं होता था (धर्माचार्यम्) वहाँ से असारक नामक कम्बल भी आते थे।

रेसाम बंग से बुकूल (सफ़ेद रेसमी कपड़ा) आता था उत्तरी बंगाल में पद्म नामक स्थान से पीरुचु नामक रेसमी कपड़ा आता था और घासाम का सुवर्णकूट नामक स्थान भी अपने रेसाम के लिए प्रसिद्ध था।

जिनेत शीश बर्षान् सिलत काशी देश से तथा पुष्प से आता था। रेसे वार बस्त्र (पञ्चोर्णा) मयप तथा मुश्बलकूट में बनाए जाते थे।

कौटोय (जो कौटुकार देश में बनता था) और चीनपट्ट (चीनभूमिकः) भी इसी प्रकार के कपड़े थे। बी० मार मार सीसितार का मत है कि चीन देश का सम्बन्ध चीन से है जो गिज्जित में रखेवाली एक जाति का नाम था जो रेसम तैयार करने के लिए प्रसिद्ध थी (मीर्यत पाणिनी पृष्ठ ७)।

मूठी कपड़ा सबसे अच्छा मूठी कपड़ा इन स्थानों में बनता था पाण्ड्य देश की राजधानी मयन अपराल (कोडकच) कर्किग काशी बंग बस्त्र कृतम देश की राजधानी माहिष्मती।

नगरों का जीवन प्रायः जीवन की भाँति नगरों के जीवन में भी नगरवासियों की मात्रा प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध थी। इनकी व्यवस्था विभिन्न प्रकार की अनेक सम्धारणें करती थी। हर शहर में माहिषा के लिए धर्मशास्त्र (धर्मशास्त्र) कक्षाकारणें (सिस्वी) तथा दानकारण के काम करने के लिए कारखाने बुधामें पागव बनेवाले (श्रीशिकः) मीर्यतकय जहाँ पका हुआ मांस (बहववमीत) चायक (ओहन) तथा टिकिया (आयुष) मिलनी थी और अहिराम्य (दालशाखा) हल्ले थे। मात्रा प्रकार के सार्वजनिक मन्तव्यन की व्यवस्था रहती थी जैसे —नाटक (प्रेक्षा) गव तथा बाघ संगीत अमिनय नृत्य बाजीगरी (बक बर) जादू (कहक) कहानी सुनाने बन्गुठा मठों के कर्मचर चित्रकला आदि के प्रदर्शन इन सब कार्यक्रमों में राज्य की मात्र लक्ष्मी जानबानी कला पाठ्यासाधो में प्रतिष्ठत पाए हुए विभिन्न वर्गों के कलाकार मात्र मिले थे (II ३६ II २७ IV ४)।

नगर की विज्ञान तथा मनुष्य का प्रतिनिधित्व से भाव करते थे जो अपने ज्ञान अपनी बन्गुठा की समता और अपनी साम्यारिकता के कारण क्याति प्राप्त कर चुके होने थे (विद्या-वाचप-व्यसूत्र) (VIII ५) इन सबका भरव-

पोषक के लिए राज्य की ओर से अनुदान तथा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया था। हम परम ही बना चुके हैं कि परम तथा बिया की सेवा करन बाल आगा को राज्य की ओर से हमारा क लिए कर-मुक्त भूमि दान व कर में नी जाती थी (अद्वय-कराणि अनिदरबायणानि) इनमें से पाय माने व (१) प्रत्विक्त (२) आचार्य ( ) पुराहित और (४) श्रोत्रिय (II १) नगर के सीन व अध्यापकों (आचार्यः गव्यर्षाचार्यः) और विद्वानों (दिद्यावस्त) को सम्मान के रूप में राज्य की ओर से बेतन (पुत्रावैतनानि) मिलता था इनकी सबाएँ हर समय सब-साधारण को उपलब्ध रहनी थी (सर्वोपस्थापिन)। यह बेतन साम्यता के अनुसार (धर्माह) दिया जाता था (V १)।

सिक्के मौर्य साम्राज्य का आधार धन-मंत्र था।

साहित्यिक रचनाओं में जितने प्राचीन समय से सिक्कों के प्रयोग का उल्लेख मिलता है उतने पुराने सिक्के अभी तक नहीं मिले हैं।

बेरों में सिक्के के लिए निष्क शब्द का प्रयोग किया गया है (श्रुतबोध I १२६ २)।

बृहदारण्यक उपनिषद् में इस बात का उल्लेख किया गया है कि मातृवस्वय का १ • पायों की सीमा में ५-५ माने के पाय छटकाकर, अर्थात् बस मिला कर १० • पाय दान में दिए गए थे। अर्थात् अष्टाशुभ (काठक संहिता अध्याय XII १) या अतपस्य जीम शस्त्रों में त्रिमका अम १ कृष्णका के बराबर मात्र" बताया गया है (अतपस्य ब्राह्मण V ५, ५, १६) सोन के बहन तथा कर्णाथित स्वर्ण-मुद्रा का संकेत मिलता है। अतमान ब्राह्मण में (XII २, २ २) इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि यज्ञ की रक्षिणा हिरण्य (सोने) के रूप में दी जाती थी या तो सुवर्ण के रूप में या अतमान के रूप में।

हमें इस बात के भी उल्लेख मिलते हैं कि सोना (हिरण्य) सिंधु जैसी नदियों में से (श्रुतबोध X ७५, ८) या पूर्वी के गर्भ में (अथर्ववेद XII १ ६ २६ ४४) या कर्णवी पातुको गलाकर (अतपस्य ब्राह्मण VI १ ३ ५) या स्वर्ण मिश्रित बालू को धाकर (अतपस्य ब्राह्मण II १ १ ५) निष्कला जाता था।

पाणिनि ने (संगम ५ ई पू) अपने व्याकरण में इस बात की पुष्टि की है कि सिक्कों के लिए बेरों में प्रयुक्त इन शब्दों में से कुछ शब्द बाद तक भी इस्तेमाल किए जाते रहे। पाणिनि ने निष्क अतमान तथा सर्वत्र नामक सोने के सिक्कों का उल्लेख किया है। जब निष्क के हिमाचल से चीना का मुख्य बताना जाता था तो उन्हें नयिक द्विर्नयिक आदि कहा जाता था (V १ २ ३)। जिस भाषणी के पास १ निष्क होते थे उसे निष्क-शासिक और जिसके पास हजार होते थे उसे नैष्क-साहसिक कहते थे (V २, ११९)।

जो बीड़ १ अस्तमान की खरीबी पाठी थी उसे अस्तमानम् (V १ २७) कहते थे ।

यह बात ध्यान में रखने योग्य है, कि बनारस के श्री दुर्गा प्रसाद ने इस बात का निश्चित रूप से पता लगाया कि तक्षशिला की खुदाई में पाई गई सबसे पुरानी सतहों में बीड़ी के जो १९ सिक्के पाए गए थे उनमें से प्रत्येक का भार १ रती (= १८ घेन) था । श्री दुर्गा प्रसाद ने बीड़ी की आहत मुद्राओं का विशेष रूप से अध्ययन किया था और उस समय तक जो सिक्के पाए गए थे उनमें से हजारों उनके हाथ से प्यारे थे । उनकी इस खोज को दृष्टि में रखते हुए यह नहीं माना जा सकता कि ये सिक्के प्यारस क दोहरे सिपलोई नामक सिक्के थे जिनका उल्लेख आगे चलकर किया गया है क्योंकि प्यारस क सिपलोई सिक्कों का भार १९ ४५ घेन से अधिक नहीं होता था और दोहरे सिक्के का भार ७२ ९ घेन होता था । इसलिए हम यह मानने पर विवश हैं कि वे यहीं के सिक्के थे जिन्हें हमारे धरा में अस्तमान का नाम ठीक ही दिया गया है । यह बात भी मान लेना उचित होगा कि ये सिक्के अचमक्य प्रजापती के अनुसार बनाए जाते थे । अस्तमान के और छोटे भाग होते थे जिन्हें पर कहते थे खुदाई में जो बोरे-से बीड़-बीड़े टुकड़े पाए गए हैं जिन पर ४ चिन्ह अंकित है और जिनमें से प्रत्येक का भार २१ रती अर्थात् अस्तमान के भार का १/४ है, वे कदाचित् पाद नामक सिक्के ही होंगे ।

पाणिनि न ऐसी वस्तुओं का भी उल्लेख किया है जिनका मुख्य सुवच नामक सिक्कों में आका जाता था (IV ३ १५३ VI २,५५) ।

पाणिनि न साथ नामक साने के सिक्के का भी उल्लेख किया था (V १ ३५) ।

अरक-संहिता (अस्य-स्वान ΔII २ ८९) में १ सान को ४ मापे के बराबर बताया गया है ।

जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कीटिस्य ने १ सुवर्ण को १६ माप के बराबर और सुवर्ण के एक पाद को ४ सान अर्थात् १ सान के बराबर माना है (II ४) ।

कार्यायच से जो प्राचीन भारत का प्रतिष्ठित सिक्का था पाणिनि भसी ताति परिचित थे उन्होंने कार्यायच-क हिसाब से बीड़ों के क्रय-विक्रय का उल्लेख किया है (V १ २१ २७ २९ ३४) ।

पाणिनि कार्यायच के १/२ (अर्ध) तथा १/४ (चार) मूल्य के सिक्कों से भी परिचित थे (V १ ४८ ३४) ।

प्रामाणिक मुद्रा के रूप में कार्यायच बीड़ी का बना होता था । कीटिस्य

में इसी अर्थ में एक शब्द का प्रयोग किया है।

पाणिनि भाव नामक एक छोटे सिक्के से भी परिचित थे (V २ ३४)। कौटिल्य ने माप को कार्पाण के सोलहवें भाग के बराबर माना है और यह भी कहा है कि यह ठाँबे का सिक्का होता था (II १९)। यदि यह चाँदी का बनाया जाता तो बहुत छोटा होता हास्यादि तक्षशिला जैसे कुछ स्थानों में चाँदी के माप भी पाए गए हैं। इसलिए ठाँबे के सिक्के के रूप में उसके और छोटे भाग भी हाथ में १।२ मापक १ काकणि = १।४ माप और १।२ फाकणि = १।८ माप। काकणि तथा अर्धकाकणि का उल्लेख कात्यायन (V १ ३९ पर बार्तिक) तथा पतञ्जलि ने भी किया है।

उस कार्पाण के लिए, जिसका बीस भाग होते थे पाणिनि ने बिसतिक्क शब्द का भी प्रयोग किया है। कौटिल्य द्वारा उल्लिखित १६ भागों वाला कार्पाण के साथ ही देस के कुछ भागों में यह सिक्का भी चलता था।

ऐसा प्रतीत होता है कि यी दुर्गा प्रसाद को ४० तथा ६० रत्ती के सिक्के भी मिले थे जो २० तथा ३० माप के बराबर हुए, क्योंकि १ माप को रत्ती चाँदी के बराबर होता है। इसलिए हम यह मान सकते हैं कि ये बड़ी सिक्के थे जिन्हें पाणिनि ने अपने समय की प्रचलित शब्दावली में बिसतिक्क तथा त्रिसतिक्क कहा है।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि बिसतिक्क (जटुकवा II पराजिक) से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि "उस (बिम्बिसारे या जनातक्षत्रु के) समय में राजतह में बीस मापक का कार्पाण चलता था" (बिसतिमातको क्वापणो) जिसका पाँच पाँच मापक होता था। बुद्धघोष ने अपनी समस्तप्रास्ताविका में इस सिक्के को भीलकाहुत्थय कहा है और साथ ही यह भी कहा है, कि साम्राज्य की राजधानी में जो सिक्का चलता था वही उसके सभी प्रांतों में भी (सम्बजन परेषु) चलन लगता था। यह भी कहा गया है कि यह सिक्का प्राचीन प्राविधिक मूद्रा-शास्त्र (पुराण-शास्त्र) में दिए गए विवरण के अनुकूल बनाया गया था (बुद्धिदिक्क स्तबीज में मी० डी चटर्जी का लेख पृष्ठ ३८४ ३८६)।

पतञ्जलि ने (पाणिनि की स्मृत्या १ २ ६४) इस बात का उल्लेख किया है कि १६ माप का कार्पाण २ माप के कार्पाण से जिससे वह स्पष्ट-मही मांति परिचित थे बजिक पुराना (पुराकम्प) था। कौटिल्य इस पुराने कार्पाण से अपने समय की मूद्रा के मानक के रूप में परिचित था पर उसने बरण नामक चाँदी के एक और सिक्के का भी उल्लेख किया है जिसके २० भाग होते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानीय रूप से देश के विभिन्न भागों में दोनों ही प्रकार के कार्पाण चलते थे। यह बात ध्यान देने योग्य है कि

ऊपर जिन बीड़ प्रयोगों का हवाला दिया गया है उनमें २ माव के सिक्के को १६ माव के सिक्के की अपेक्षा अधिक पुराना बताया गया है।

भारत के विभिन्न भागों में चाँदी के कार्यालयों के हजारों सिक्के पाए गए हैं उनमें से प्रत्येक का औसत वजन ३२ रस्तिका (= ५६ ग्रेन) है। यह कौटिल्य मनु (VIII १३९) या याज्ञवल्क्य (I ३६४) द्वारा बताया गए मानक के अनुरूप है। सारलक्ष्मीपत्नी में भी यही मानक बताया गया है जिसमें 'छ' नामक नामक सिक्के (= ४२ ग्रेन) का मार पुराण (पुराने) कार्यालय के ३।४ के बराबर बताया गया है (बुद्धिस्थिर स्तब्धों में सी डी चटर्जी का लेख पृष्ठ ३८४-८६)।

पाणिनि न क्व (V २ १२) शब्द का प्रयोग किया है और उससे बनने वाले शब्द क्व्य शब्द का अर्थ 'मुहर' अर्थात् मुहर बना हुआ' (आहत) बताया है। वाचस्पत्यु अर्थ में यह शब्द सिक्के के लिए इस्तेमाल होता है। अर्थशास्त्र में रूप शब्द का प्रयोग केवल सिक्के के अर्थ में किया गया है और उसमें क्व्यशब्द अर्थात् 'सिक्के की जाँच करनेवाले एक पदाधिकारी का उल्लेख भी किया गया है। जैसा कि हम पहले बताना चुके हैं। यह बात उल्लेखनीय है कि पठम्बकाल में पाणिनि के एक सूत्र (I ४ ५२) के शालिक पर टीका करते हुए, क्व्यशब्द का उल्लेख किया है जो कार्यालयों की जाँच करता है (दर्शयति)। यह बात भी बतलाने योग्य है कि कौटिल्य ने चाँदी तथा ताँबे के सिक्के के लिए क्व्याशब्द तथा ताम्र-शय शब्दों का प्रयोग किया है।

अब हम अब तक पाए गए प्राचीन भारतीय सिक्कों पर विचार करेंगे।

सबसे पुराने सिक्के उत्तर-पश्चिम में भारत के उन हिस्सों में पाए गए हैं जो ईरान-पूर्व अर्थात् पाकषी घाटाधिसा में एकेमनिड-पश्चिम (Achaemenian Persian) साम्राज्य के भाग थे। इनमें से कुछ सिक्के टसगिस्ता की खोज के समय एक पुरानी परत में डिबाटोटस (२५० ई. पू.) के एक सिक्के के साथ पाए गए थे और एक दूसरी परत में निकदर महान के सिक्कों के साथ जो खनने में प्राप्त करने से माना "अभी एकछास से बतकर आए हों और चाँदी तथा चाँदी ईरान-पूर्व के एकेमनिड सिंगलिस के साथ भी ये सिक्के पाए गए थे। जैसा कि हम उपर बताना चुके हैं इन का औसत भार १० रानी (= १८० ग्रेन है)। सिक्कों का भार ६४५ बत होना या जबकि ऐटिच ६७५ मानक के बराबर था।

ये सिक्के "मौजे तथा चाँदी की कुछ बजाकर छड़ों के रूप में हैं जिन पर चाँद या गुरुव की चक्र व चिह्न मकल है जो छ बाँहा बाल उम प्रतीक-चिह्न से बहुत मिलने मिलने है जो बाल की चाँदी की बहुत मुद्राओं पर बना हुआ

या य सब सिक्के एक ही प्रकार के हैं (एकम ईटेलग आऊ दि बवापस्त वाऊ ऐंनेष्ट इटिया \N, \XVII) ।

कदाचित् इसासिमा व राजा यन्त्रि मे इन्ही सिक्कों के रूप में मिस्टर को यह उपहार दिया था जिस यूनानी सख्तों ने ८० टनेल चाँदी के सिक्के किया है (कटियस VIII १२४२) ।

दुर्गा प्रसाद के मतानुसार (जर्मन आऊ दि रामल एगिप्टिक सातापटी आऊ पंगाल मुद्रा-गान्त्र परिशिष्ट, \LVII पृष्ठ ७६) प्राट मीयका-मि ये पुरान सिक्के १०० रत्ती के मानवड के आधार पर बनाए जात थे जबकि बाद में मीयका-मि के सिक्के ३२ रत्ती के मानवड के आधार पर बनाए जात थे । इससे बिनापिठक म उस्मियत इस समय की पुष्टि होनी है कि २० मपक का पुसना चार्पापय बजल में हुस्का होना था ।

इसके बाद गोसगपुर में जहाँ पर प्राचीन पाटलिपुत्र नगर समा जमा था सिक्कों का एक डेर पाया गया । ये चाँदी की प्राचीनतम ज्ञात आहत मुद्राएँ हैं । इन्हें मीयका-मि से पहले की कदाचित् नदबंम की मुद्राएँ बताया जाता है । इन पर मीयका-मि से पहले का एक प्रतीक-चिन्ह 'एक पत्थानी पर गग्गाण गया कृत्ता' बना हुआ है जिस हम मरवंगीय राजाओं का प्रतीक-चिन्ह मान सकते हैं । यह बात ध्यान देने योग्य है कि इनमें म बतृत-म सिक्का पर मीयों के रूप अपने प्रतीक-चिन्ह की मुख्य सगाकर उन्हें कौन्टिय के मद्रा में कौन्-प्रवेस्य अर्पात् वीथ जसमुद्रा' बना दिया था सर्वसाधारण के बीच व्यापारिक लेन-देन के लिए या सिक्के प्रचलित थे वे इनसे मिले थे और उन्हें कौन्टिय ने 'प्याबहारिजी पय्य-यात्रा की उचित सजा ही है वीसा कि इन पहले उन्नेक क आए है । स्मरणीय है कि काशिका में उस बात का उल्लेख मिलता है कि मरवंग के राजाओं ने अपना एक मानवड प्रचलित किया था (नरोपठमपि मानामि) (II ४०१ VI २ १४) और प्राचीन साहित्य में उनकी अकूल बन-सम्पत्ति का जो उल्लेख मिलता है उसका रहस्य कदाचित् उनके जसाण हुए मण सिक्का तथा उनकी मुद्रा-प्यबस्था में निहित था ।

तिथि क्रम के अनुसार गाल्कपुर में पाए गए सिक्कों के बाद पंजाब से लकर मामबा तक और मध्यप्रदेश से लकर बकल तक बल्कि मद्रास तथा मैसूर तक भारत के विभिन्न भागों में हजारों की संख्या में चाँदी की आहत मुद्राएँ मिली हैं इन पर अंकित अलग-अलग प्रतीकों तथा चिन्हों के अनुसार इन्हें छ भेदियों में विभाजित किया जा सकता है । फिर भी ये सभी पय या परण की तरह ३२ रत्ती ( ४५६ ग्रेन ) के एक ही मानवड के आधार पर बाले गए हैं । इन सब में एक और विशेषता समान रूप में यह पाई जाती है कि 'इसमें एक मोर

नियमित रूप से पाँच चिन्ह विभिन्न शक्तों में पाए जाते हैं और दूसरी बार एक या एक से अधिक चिन्ह अंकित हैं जो आमतौर पर दूसरी ओर के चिन्हों से भिन्न हैं" (पृष्ठी, XIII) ।

इन चिन्हों में सामने की तरफ से पाँच आकृतियाँ अंकित हैं (१) सूर्य (२) (टारिन) पद्मज्जी एक बृत्त ३ तीर की तीरों और ३ इय राशि (टारिन) के चिन्ह (३) पर्वत (४) पहाड़ी पर मोर, कुसा (या करणोद्य) या बृत्त (५) हाथी बँल करणाद्य को पकड़े हुए कछा या गीटा जादि पद्म और किसी-किसी में मछलियाँ तथा मेढक भी कुछ चिन्हों में एक चरे के नीचे पवित्र बृक्ष भी दिखाया गया है (जो कदाचित् बौद्ध प्रभाव का संकेत है जो मीर्य सम्राट् अशोक के समय तक बहुत व्यापक रूप से फैल चुका था) । (पृष्ठी XX तथा उसके आगे के अध्याय) ।

इन चिन्हों में पीछे की ओर जो चिन्ह अंकित हैं, वे केवल उनकी जाँच करते समय विभिन्न अधिकारियों तथा अधिकारियों द्वारा अंकित किए गए चिन्ह हैं । हम इस बात को मान सकते हैं कि जिस चिह्नके पर इस प्रकार के अंकन ही अधिक चिन्ह अंकित हैं वह चिह्न उतना ही पुराना होगा । इस आधार पर कहाचित् इन चिन्हों की तिथि का पता लगाया जा सकता है ।

ध्यान देने की बात है कि क्रीटिस्य ने टकसात के जिस प्रबान अधिकारी सप्तभाष्यज का उल्लेख किया है उसका काम सम्राट् के चिन्हों पर अक्षर अंकित करवाना था । प्रचलित मुद्रा की समय-समय पर जाँच भी करनी पड़ती थी और यह काम उपहारिक का था जो हर बार जाँच करने के बाद उन पर अपनी मुहर अंकित कर देता था । इसका अर्थ यह था कि चिह्नके के पीछे की ओर परीक्षण के बाद अगामी जानेवाली इन मुहरों की सख्या बढ़ती जाती थी । इन मुहरों की अधिकतम संख्या अब तक चौदह है । जिस पर इनसे अधिक मुहरें भयी हैं, वे चिह्नके बेसन में अधिक पुराने तथा जिस हुए सम्ये हैं ।

इन प्रतीका तथा अंकित चिह्नों का अर्थ पूरी तरह समझना कठिन है । उनका कोई अर्थ अवश्य है इसका पता बुद्धनाथ की रचनाओं से लगता है जिसने सप्तभाष्यजिक में इन बात का उल्लेख किया है कि मुद्रा-शास्त्र के प्राचीन ग्रन्थ उपगुत्र में यह बताया गया है कि कोई भी मद्रा विमेषज (हेरकजको) किसी चिह्नके पर अंकित चिह्न की देखकर यह बता सकता था कि वह चिह्न किस राजा विमेष अथवा नगर में और यहाँ तक कि किस टकसात में बना गया है और यह भी बता सकता था कि वह राजा अथवा नगर किसी पहाड़ी पर स्थित है या नहीं के तट पर' (नवीतीरे वा) (बुद्धिस्तिक स्टडीज पृष्ठ ४३२) । चिह्नके पर अंकित इन रहस्यमय चिह्नों की बुद्धिबोध में चित्र-विचित्र अर्थानु

“माना क्यों तथा जाहृतियों” का बताया है (कुट्टिरिटक स्टडीज पृष्ठ ४३२) । उपासि मामक बालक की माता का इस बात की चिन्ता थी कि यदि उनसे बेने ने सर्राऊ का पेशा अपनाया तो उसकी औरों लराह हो जाएंगी (महाबषा संश्रेड बुनस आऊ दि इर, XIII २०१) । सब ता यह है कि यदि मात्र भी कोई इन प्राचीन भारतीय सिक्का पर अंकित रहस्यमय चिह्नों का अर्थ उगाने का प्रयत्न करे तो उसकी औरों लराह हो जाएंगी क्योंकि प्राचीन रुपसुभ उपस्य न होने के कारण इन रहस्यों को समझने की कुंजी लो गई है ।

इन सिक्कों को जिन छः क्यों में विभाजित किया गया है उनमें स दूसरे तथा छठे क्यों का एक-दूसरे से अतिर निकट सम्बन्ध है और नीचे विस्तारपूर्वक बताए गए आभार पर उन्हें मौर्यकालीन माना जा सकता है । साम्ब में भारत क विभिन्न भागों में पाए गए चाँदी की इन आहत मुद्राभा पर बने हुए विभिन्न प्रतीकों तथा चिह्नों के आभार पर, और इन सारी के आभार पर कि ये सिक्के ईसा-पूर्व चौथी सीसरी तथा दूसरी सताशियों में देण में प्रचलित थे यही निष्कर्ष निकलता है कि “ये सिक्के मौर्य साम्राज्य के” थे । इस बात में तो तनकि भी संदेह नहीं है कि इन सिक्को को अलग-अलग लोग निजी तौर पर नहीं बल्कि कोई सासनाधिकारी जारी करता था । कबल एक केंद्रीय सामनाधिकारी ही नियमित रूप से सिक्कों को अंकित करने की स्पष्ट इतनी जटिल पद्धति को चला सकता था परन्तु इसमें भी संदेह नहीं कि यदि हमें इस रहस्य की कुंजी निकल जाए तो यह पद्धति विस्तृत सरल मामूम होगी ।

“इन सिक्कों में से हर एक पर सामने की तरफ पाँच प्रतीकों का होना स्वामा निक रूप से इस बात की ओर संकेत करता है कि इन सिक्कों को जारी करने वाले मद्रक के पाँच सदस्य रहे होंगे । मेघासनीड ने भी यही बताया है कि मौर्य प्रशासन के अधिकारों विभागों की बागडोर पाँच आधिमियों के एक संघ के हाथ में रखी थी । परन्तु यह मानना कठिन है कि वे प्रतीक-चिह्न उन पाँच अधिकारियों के प्रतीक-चिह्न हैं जो इन सिक्कों को जारी करने थे क्योंकि सूर्य तथा छः मुद्राओं वाले प्रतीक-चिह्न तो माना प्रकार के सिक्को पर पाए जाते हैं । ये चिह्न यद्यपि एक ही ठप्पे से नहीं अंकित किए जाते थे पर वह एक ही समय पर अवश्य अंकित किए जाते थे । समझ है कि वे पदाधिकारियों की एक ऐसी गृहलका के दोतर हों जिनका अधिकार-क्षेत्र क्रमशः एक-दूसरे से कम हो । अंतिम और सब से अधिक बढ़ने वाला प्रतीक-चिह्न उस पदाधिकारी का होता होगा जो वास्तव में इन सिक्कों को जारी करता था । सब सिक्कों पर पाया जानेवाला सूर्य का चिह्न सर्वोच्च पदाधिकारी का समभव स्वयं राजा का प्रतीक-चिह्न रहा होगा और उसके बाद जो चिह्न सबसे अधिक सिक्कों पर पाया गया है

छ. मुजोमों का प्रतीक चिह्न क विभिन्न रूप यह कहाबित् इस क्रम में उसके बाद के सब से ऊँचे पदाधिकारी का प्रतीक-चिह्न रहा होगा" (देखन जर्मन भाषा हि रायल एशियाटिक सोसायटी काऊ बयान XX, XXI) ।

बर्ग २ के समूह II तथा उसी बर्ग के समूह IV के सिक्कों पर एक पहाड़ी पर मोर का वा चित्र अंकित है समूह IV के सिक्कों पर ता यह चित्र और पट दोनों तरफ अंकित है उनसे इस बात भी कहाबित् और पुष्टि होती है कि इन सिक्कों का सम्बन्ध मोरों से है । वैसे कि पहले बताया जा चुका है मोर मीर्य राजवंश का प्रतीक-चिह्न था । हम इस बात को भी ध्यान में रखें कि इन सिक्कों पर अंकित भी पशुओं के चित्र अंकित हैं उनमें हाथी सबसे प्रमुख है जो कि मोरों की सैनिक शक्ति का मुख्य अंग था ।

दुर्गा प्रसाद का विचार है कि 'पहाड़ी के शिखर पर त्रिदशित चंद्रमा' का जो चित्र है वह मोर के अतिरिक्त मीर्यों का दूसरा विधिष्ट प्रतीक-चिह्न था । उन्होंने बताया है कि सारे वन में पाए गए बाँदी के सिक्कों में अधिकोद्य पर और प्रमाणित मीर्य स्मारकों पर यह प्रतीक-चिह्न पाया जाता है (वैसे कि पहले बताया जा चुका है) । पटना में कुम्हार नामक स्थान पर बरदाई में जो मीर्य स्तम्भ निकला था उसके नीचे भी यह प्रतीक-चिह्न बना हुआ है । सोहनौर के ताग्र-पट्ट पर, जो लगभग ३२ ३ ई पू का है भी यह प्रतीक-चिह्न मौजूद है इस ताग्र-पट्ट पर अंकित लेख में बताया गया है कि मकाल के समय शार्ङ्गशक्ति ब्रह्म संहारा से बस बाँटा जाता था जिस व्यवस्था का उल्लेख वैसे कि हम पहले देण चुके हैं कौटिल्य ने भी किया । अन्तिम बात यह कि हाल ही में मुल्दीबाग में उस स्थान पर जो लुहारि हुई है, वहाँ प्राचीन पाटीकपुत्र नगर बना हुआ था उसमें तीन मिट्टी के पट्ट देते पाए गए हैं, जिन पर सगी हुई मुहर में भी तीन अन्य प्रतीक-चिह्नों के साथ यह प्रतीक-चिह्न भी मौजूद है । लुहारि में जिन स्तर पर ये पट्ट पाए गए हैं वह मीर्यकालीन है । हम मुहर को मीर्य मगधा की मुहर नरेश्वरक मानने के मामले में जायसबाग दुर्गा प्रसाद से सहमत हैं । कौटिल्य के अनुसार मगधा की समस्त सम्पत्ति पर, जैसे हविषारों पर (I ३) या पशुओं पर (II २९) यह मुहर लगा दी जाती थी (१९३३ में बनीस की ऑरिएण्टल कांफ्रेंस में समाप्ति के पक्ष में जायसबाग का वाक्य) ।

दुर्गा प्रसाद ने ही यह बुद्धिमत्तापूर्ण सुझाव भी रखा है कि जब भी किसी मिनर में पट ब्रह्म पहाड़ी के शिखर पर जयत चंद्रमा का प्रतीक-चिह्न या मोर का प्रतीक-चिह्न मौजूद हो तो यह समझना चाहिए कि वह सिक्का मीर्यकाल का पहल का है, जिसे मीर्यवंश के राजाओं ने बुकारा अपनी मुहर लगाकर बनाया

का (जर्नेस आफ दि रायल एन्थिपॉटिक सोसायटी आउ बंगाल मुद्राशास्त्र परिशिष्ट पृष्ठ ६७) ।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है उपर्युक्त भाषि व गिब्राल्टा का विभाजन जिन छ बगों में किया जा सकता है, उनमें स बग २ तथा ६ क मिकर मौर्य काफ़ीन मान जात है । "लगभग मनी एक ही जैसी धातु के बने हुए है हालांकि उनका रंग-रूप तथा बनावट बहुत भिन्न है बग २ क सिक्के छोटे तथा माटे है और बग ६ क सिक्के बड़े तथा पतले है । फिर भी इन दानों बगों का निरन्तर एक दूसरे स सम्बन्धित किया जाता आच्छप की बात है । यह पता लगा है कि इन दाना ही बगों क सिक्के 'पगाबर मे सेक्टर गोरारबरी क महान एक और परिषद ने पालनपुर स ककरपुरब में मिन्नापुर तक' एक साथ चलत थे । इनमें जा अंतर है वह स्थान का अंतर नहीं है । एक ही वासन-मत्ता उन्हें अपने अधिकार-दान क मर्षी स्थानों क लिए प्रचलित सिक्का के रूप में जारी करती हामी । जिन सत्ता न ये सिक्के जारी किए थे उसका नामन पगा की घाटी तथा सिंधु घाटी क ऊपरी भाग पर रहा होगा उनने अपना राज्य ममुना की सहायक नदियों के किनारे-किनारे परिषद में पैसा किया हामा और पूरे समुद्रतट क किनारे किनारे उड़ीमा स होत हुए वह बहुत दूर तक दक्षिण में पहुँच गया होगा । जिन स्थानों में ये सिक्के पाए गए हैं उनस यही लिख्य निकलता है" (ऐरल जर्नेस आफ दि रायल एन्थिपॉटिक सोसायटी आउ बंगाल, IV VI) । जिन स्थानों में ये सिक्के पाए गए हैं वही अशोक क स्तूप भी पाए गए हैं और इस प्रकार उनस निश्चित रूप में यह संकेत मिलता है कि इन छ बगों क सिक्के जिनके बीच इतना निकट सम्बन्ध है मौर्य साम्राज्य ने ही जारी किए होंगे ।

बिहारी सिक्के चूकि पञ्जाब का एक भाग प्राचीन अरस क एकमिसल (हरशामनि) सम्राटों क राज्य का अंग बन गया था इसलिए उनकी विजय के बाद भारत में उनकी मुद्रा का आना स्वाभाविक बात थी । परन्तु भारत में पाए गए अरस के सिक्का स इस बात को निश्च करना आमान नहीं है ।

प्राचीन अरस का प्रामाणिक सोने का सिक्का डेरिक या जिसका भार लगभग १३ सेन हुआ था इस सिक्के को पहले-पहल फ़ारसि सम्राट् बाउ ने बनवाया था जिसने सिंधु की घाटी का सब से पहले अपने साम्राज्य का अंग बनाया था । इस सिक्के पर सामने की तरफ इस महान सम्राट् का चित्र बना है जिनमें उस हाथ में बनुप तथा माछा लिए हुए अपने राज्यों क विजय-अजियान की क्रिया में दिखाया गया है ।

परन्तु अरस का सोने का सिक्का एष महत्वपूर्ण आर्थिक कारण स भारत में व्यापक रूप स प्रचलित न हा सका । वह कारण यह था कि भारत सोने क

बाहुस्य के लिए प्रसिद्ध था यहाँ तक कि यहाँ सोने का भाव चाँदी का केवल आठ गुना था जब कि फारस की सही टंकसाळ ने सोने का भाव १३ ३ गुना ही कर रखा था। इस प्रकार जो डेरिक सिक्के भारत में आ भी जाते थे उनका मुख्य अनावश्यक रूप से बढ़ा-बढ़ा प्रतीत होता था और वे भारत की मुद्रा व्यवस्था का रस नहीं बन पाते थे और फौरन उनका निर्यात कर दिया जाता था। फिर इन डेरिक सिक्कों को भारत में चलाने से कोई काम भी नहीं था क्योंकि दूसरी जगहों पर उनके बदल में ज्यादा चाँदी मिल सकती थी। इसलिए फारस के सोने के सिक्के भारत में बहुत बड़ी संख्या में नहीं पाए गए हैं।

इन्हीं के साथ के फारस के चाँदी के सिक्के सिलौड या रोकेस्य कहलाते थे ये भीस सिक्के एक डेरिक के बराबर होते थे। उनका वजन लगभग ८६ ४५ ग्रेन होता था। इस प्रकार के चाँदी के सिक्के भारत में जाते थे क्योंकि यहाँ उनका मूल्य अधिक था और उनके बदले में अधिक सोना मिल सकता था। भारत में बहुत-से सिलौड नामक सिक्के मिले हैं, जिन पर बार में कुछ विचित्र-से चिह्न भी अंकित किए गए थे। ये चिह्न उन चिह्नों से बहुत मिलते-जुलते हैं जो भारत के प्राचीनतम स्थानीय माहूत मुद्राओं के रूप में बरनेवास चाँदी के चौकोर टुकड़ों पर पाए गए हैं।

परन्तु सिर्फ़र शाह डेरियस तृतीय का उल्टा उलट दिए जाने के बाद फारस के सिलौड नामक सिक्कों का अस्तित्व बहुत दिनों तक नहीं रहा।

पंजाब पर फारस की विजय के बाद यूनानियों ने उस पर विजय प्राप्त की जो बहुत ही बड़े समय तक रही। पंजाब पर सिर्फ़र के शासन का प्रभाव केवल यही हुआ कि उसने देश की एकता को और भी बुरे रूप से स्थापित कर दिया। छोटे-छोटे राज्यों को एक में मिलाकर एक बड़ा राज्य बनाया गया जो सिर्फ़र ने अपने भूतपूर्व राजा पोरस को भेंट कर दिया। भारतीय शासन का एक और प्रभाव यह हुआ कि स्वतंत्र जातियों ने अपने छत्र बनाने आरंभ किए, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। वैसे कि पहले देश बुरा है इन संघियों ने ब्रह्मगुप्त मौर्य के लिए अपने विघात साम्राज्य का निर्माण करने का माय प्रयत्न किया।

इस बात का सही-सूरी पता लगाना कठिन है कि इस यूनानी सम्पर्क का भारतीय सिक्कों पर कौन सा प्रभाव पड़ा भी कि नहीं। इसमें तो शक नहीं कि डेरियस तृतीय के शासन के सिलौड का लोप हो जाने से यूनानी प्रभाव के लिए मार्ग बिल्कुल खुल गया। परन्तु यह प्रभाव बहुत धीरे-धीरे ही प्रकट हुआ।

एपेस के 'उम्पू' के विश्व शासक सिक्कों की मरकल पर सबसे पहले सिक्के उन समय बने जब मरकलिया का सिंहासन अंबाई पर था परन्तु सबसिद्धी

में पाए गए इन सिक्कों का जो नमून ब्रिटिश म्यूजियम में रखा है वे भारत के बने हुए नहीं बल्कि मध्य एशिया के हैं।

भारत में जो मूनागो सिक्के पाए गए हैं वे डेढ़ाडाम हों या डेढ़डाम या डाम उनका भार में भी यह सिद्ध नहीं किया जा सका है कि वे भारत के बने हुए सिक्के हैं। ऐटिक मानक के अनुसार जो असली डाम बनाया जाता था उसका भार १७.५ ग्राम होता था जब कि भारत में पाए गए डाम का भार ५८ सेन से अधिक नहीं है। इसके अतिरिक्त इन छोट मूल्य के सिक्का में डाम में भी मोर डायोबोल में भी एपेस के उस्तू के स्थान पर गरड़ (ईगल) का चित्र बना हुआ है। कनिष्क को पञ्जाब में ऐटिक मानक के अनुसार बनाए गए जो चाँदी के डाम के सिक्के मिले हैं उनसे कदाचित् यह सिद्ध होता है कि भारत के उत्तर में एबन्स के छोटे सिक्कों की लकड़ पर सिक्के बनाए जाते थे। इन सिक्का पर चित्त मोर एक घोड़ा का चित्र बना है जो एक कसा हुआ टोप पहने है जिसके चारों ओर खैतून की पत्तियों की माला बनी है। इस सिक्के पर पीछे की तरफ एक मुर्गा तथा मूनागो देवताओं के दूत मर्करी का प्रतीक-चिह्न बना है। इन सिक्कों को देखकर यह अनुमान होता है, कि ये इससे मिलते-जुलते एबेगम के किसी सिक्के के लहने पर बनाए गए थे। ऐसा माना गया है कि ये सिक्के साफ़रुद्स यानी समूति नामक राजा ने बनाए थे। यदि ऐसा है तो ये सिक्के भारत पर सिक्कर के आक्रमण का एक स्मारक हैं।

इस बात में संदेह है कि एक विजेता के रूप में सिक्कर ने भारत में अपने कोई सिक्के बनाए थे। कुछ सिक्के जिन पर सिक्कर का नाम मिलता है, मार टीप सिक्के माने जाते हैं जिनका सबसे अच्छा उदाहरण एक कांसि का सिक्का है। पर इसमें संदेह है कि ये सिक्के भारत में बनाए गए थे। राबलपिडी में पाए गए बहुत-से चाँदी के डेढ़ाडाम के सिक्के जिन पर खीमस तथा गरड़ और मूनागो सभ्यों का मुकुट बना था मध्य एशिया के बने हुए सिक्के थे। बाद में यही सिक्के ऐटिकोस प्रथम ने जारी किए थे जिसका अद्भुत मीर के हाथों अपने पूर्वज सेसुस की पछाप के बाद भारत से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया था।

यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि इन सिक्कों पर राजा की उपाधि अंकित नहीं है। परन्तु ब्रिटिश म्यूजियम में ऐटिक मानक के अनुसार बनाए गए चाँदी के डेढ़ाडाम का जो एक अलौकिक लहना रखा है उस पर राजा की उपाधि तथा उसका नाम दोनों ही अंकित हैं। इस सिक्के पर चित्त मोर एक बुड़सवार का चित्र बना हुआ है जिसके पास एक बरछी है पर वह बरछी जला नहीं रहा है वह एक भागते हुए हाथी का पीछा कर रहा है, जिसकी पीठ पर दो आरामी बैठे हुए हैं जो मुड़कर पीछा करनेवाले को देख रहे हैं। इस सिक्के पर पीछे की तरफ

एक लम्बे-से आदमी का चित्र बना है जो परदेन एक की लोहे का टोप लम्बा-सा कपड़ा पहने है। उसकी बगल में एक तलवार लटक रही है और हाथ में वह बगल तथा भागा लिए हुए है। हीड का कहना है कि यह चित्र स्वयं सिकंदर का है। हीड ने इस चित्रके पर सामने की तरफ बने हुए चित्र की व्याख्या इस प्रकार की है कि उसमें रजपूत से पोरस के पराजय का चित्रण किया गया है। हाथी पर बैठा हुआ उसका सारी जो पीछे की तरफ बैठा है, पीछा करते हुए बुद्धसवार पर आगे का निशाना लगा रहा है। यह शेरम की कड़ाई में घाही हाथी पर बैठे हुए पोरस का चित्र है जो लखशिका के विश्वासवादी राजा जाम्बि पर, जो उसके पीछे मोटा बौद्धाण बना जा रहा है, भागा लगा रहा है। इस चित्रका वर्णन अरियन ने इस प्रकार किया है (अध्याय XVIII) "टैक्ससस घोड़े पर सवार था और वह उस हाथी के विस्तृत निकट पहुँच गया जिस पर पोरस बैठा हुआ था और अपने की सुरक्षित समझ रहा था। चूंकि अब पोरस के लिए भाग निकलना सम्भव नहीं था इसलिए टैक्ससस ने उससे हाथी को रोककर सिकंदर द्वारा भेजा गया सवेश सुनने का अनुरोध किया। परन्तु अब पोरस ने देखा कि जो आदमी उससे बात कर रहा था वह उसका पुराना शत्रु टैक्ससस है तो वह मुटकर उसे अपने भाके से मोत के बाट उतार देने के लिए उत्तर हुआ और यदि टैक्ससस क्रोरम अपना बोझ मरणा मनावा हुआ उसकी पहुँच से बाहर न हो गया होता तो कदाचित् वह उसे मार ही शकता।"

नगर-निवेश वास्तुकला तथा कलित कलाएँ: यूनानी लेखकों के अनुसार उस समय पंजाब में ऐसे अनेक नगर थे जो निरसरेह उद्योग तथा आर्थिक समृद्धि के केंद्र थे। इनमें से कुछ का उल्लेख किर्कों तथा रक्षा-केंद्रों के रूप में किया गया है जैसे अरबकों के देश में स्थित मस्तय (अशकावती) या बाजोर्गोस (बरणा) के नगर। मीस्ताह नामक स्वतंत्र कबील के राज्य-क्षेत्र में ३० नगर थे और मस्तोह आस्मीडाकाह बाकि अन्य जातियों के इलाके में ५००० नगर थे। इनमें से सबसे छोटे नगर में भी ५०० से कम आदमी नहीं रहते थे और कई सहरों की आबादी तो १ लकड़ी की। कुछ गाँवों की आबादी सहरों की आबादी से कम नहीं थी" (मैक्सिमिलियन इन्वेन्शन आउट इंडिया बाई जैक्सन ११२)। आबा के अनुसार (वही) शेरम तथा ध्यात के बीच में बनी हुई नौ जातियों के राज्य में ५० सहर थी।"

उपनिषत् "एक विशाल तथा समृद्धिप्राप्ती नगर था। वास्तव में वह सिंधु तथा शेरम के बीच के इलाके में सबसे बड़ा नगर था" (वही पृष्ठ १२)।

कुछ नगर नगर-निवेश तथा वास्तु-कला और अपने दुर्गों की मजबूती की दृष्टि से मराहनीय थे।

उदाहरण के लिए मस्सग का निर्माण एक ऐसे किस्मे के रूप में किया गया था जिसमें बन्द प्राकृतिक सविचार प्राप्त थीं। वह एक ऐसे ऊँचे स्थान पर बना था जिसके चारों ओर ऊँची ऊँची पड़ी चट्टानों से घिरा हुआ महीरी बन्द-घाटा होने के कारण वहाँ तक पहुँचना असम्भव था। इन सब के अतिरिक्त उस ही रक्षा के लिए एक दीवार और उसके चारों ओर एक महीरी छाई बनाई गई थी। इस दीवार की "कुछ परिधि लगभग १५ स्टेडिया (= लगभग ४ मील) थी इसकी भीच बन्दर की थी जिस पर कच्ची ईंटों की दीवार बनाई गई थी। ईंटों की जुड़ाई को पत्थरों द्वारा बहुत मजबूत ठोस दीवार का रूप दे दिया गया था" (वही पृष्ठ १९५ (अध्याय))।

बामोर्लोस का किछा भी इसी प्रकार एक ऊँची पहाड़ी पर बना हुआ था। एक स्थान पर बन्द-घाट से इस किस्मे के लिए पानी का प्रबंध किया गया था और पास ही के क्षेत्र में एक हजार लोग किस्मे में रहनेवालों के लिए अनाज उगाते थे ताकि यदि किस्मे पर बुरा हाल दिया जाए, तो वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके।

इस बात का उल्लेख मिलता है कि इन किस्मों की दीवारों तथा उनके पुराने इतने मजबूत थे कि सिकंदर को "उनकी दीवारों का ध्वस्त करने के लिए फौजी इशत माने पड़े थे" (वही पृष्ठ १७)।

कबाइमन जाति के लोगों का किछ क रूप में बना हुआ समास नामक एक नगर या जिसकी दीवारें ईंटों की बनी हुई थीं (वही पृष्ठ ११९)।

मस्कोइ जाति के लोगों के भी कई नगर ऐसे थे जिनके चारों ओर दीवारें बनी हुई थी और इनमें ऊँचे तथा दुर्गम स्थानों पर किस्मे बने हुए थे। सिकंदर को इन दीवारों पर चढ़ने के लिए चारों तरफ सीढ़ियाँ लगाानी पड़ी थीं तथा उनमें छेद लगाकर रास्ते बनाने पड़े थे। इन दीवारों में चौड़ी-चौड़ी दूरी पर मीनारें बनी हुई थीं। इन दीवारों पर चढ़ने का प्रयत्न करते समय चारों तरफ की पास की मीनारों पर से सिकंदर के सिपाहियों पर आक्रमण किया गया था। मीनारों के बीच में दीवारों में जो फाटक होते थे उनमें ब्योड़े लगे रहते थे। [ वही पृष्ठ १४५, १४९ (अध्याय) ]।

मौर्यकालीन भारत के नगरों के बारे में मेगास्थनीज ने लिखा है "कहा जाता है कि उनके नगर इतने अधिक हैं, कि उनकी संख्या ठीक-ठीक बताई नहीं जा सकती। जो नगर नदियों के किनारे या समुद्रतट पर स्थित हैं, वे लकड़ी के बने हुए हैं क्योंकि जो नगर ईंटों के बने हुए जाते हैं वे अधिक दिन तक नहीं चलते—क्योंकि जब वर्षा होती है और नदियों में बाढ़ आने पर उनका पानी नदियों में भर जाता है तब ईंट के मकान बड़ी आसानी से बह जाते हैं। परन्तु

एक लम्बे-से आदमी का चित्र बना है जो परदेन तक की लोहे का टोप सम्भालता हुआ पकड़ा पहने है। उसकी बगल में एक तरुवार लटक रही है और हाथ में वह बन्ध तथा माला लिए हुए है। हीड का कहना है कि यह चित्र स्वयं सिकंदर का है। हीड ने इस चित्रके पर सामने की तरफ बने हुए चित्र की व्याख्या इस प्रकार की है कि उसमें रणक्षेत्र से पोरस के पलायन का चित्रण किया गया है। हाथी पर बैठे हुआ उसका साथी जो पीछे की तरफ बैठा है, पीछा करते हुए मुहसवार पर भाले का निघाना लगा रहा है। यह श्लोक की लड़ाई में घाही हाथी पर बैठे हुए पौरस का चित्र है, जो तक्षशिला व विश्वासवासी राजा आम्बि पर, जो उसके पीछे बोझा बोझा चलता जा रहा है, भागा चला रहा है। इस चित्र का वर्तन बरियन ने इस प्रकार किया है (अध्याय XVIII) "टैक्साइस्स बोड़े पर सवार था और वह उस हाथी के विस्तृत निकट पहुँच गया जिस पर पोरस बैठा हुआ था और अपने को सुरक्षित समझ रहा था। चूंकि जब पोरस के लिए भाग निकलना सम्भव नहीं था इसलिए टैक्साइस्स ने उससे हाथी को रोककर सिकंदर द्वारा भेजा गया संदेश सुनने का अनुरोध किया। परन्तु जब पोरस ने देखा कि जो आदमी उससे बात कर रहा था वह उसका पुराना शत्रु टैक्साइस्स है तो वह मुड़कर उस अपने भाले से मौत के घाट उतार देने के लिए तत्पर हुआ और यदि टैक्साइस्स फौरन अपना बोझा सरपट मगाता हुआ उसकी पहुँच के बाहर न हो गया होता तो क्याचित् वह उसे मार ही जायता।"

नगर-निर्देश वास्तुकला तथा कल्पित कलाएँ : यूनानी लेखकों के अनुसार उस समय पञ्जाब में ऐसे अनेक नगर थे जो निस्संदेह उद्योग तथा आर्थिक समृद्धि के केंद्र थे। इनमें से कुछ का उल्लेख किशों तथा रत्ना-लेखकों के रूप में किया गया है जैसे अरबकों के देश में स्थित मस्सप (मथकावती) या भाओर्गोस (वरणा) के नगर। म्लीम्साइ नामक स्वतंत्र कबीले के राज्य-क्षेत्र में ३७ नगर थे और मल्सोइ, आकमीड्राकाइ आदि अन्य प्रांतियों के इलाके में ५, ० नगर थे। इनमें से सबसे छोटे नगर में भी ५, ०० से कम आदमी नहीं रहते थे और कई शहरों की आबादी तो १ तक थी। कुछ गाँवों की आबादी शहरों की आबादी से कम नहीं थी" (मैकब्रिडिस इन्वेंशन ऑफ इंडिया बाई जेम्स ब्रैडर, पृष्ठ ११२)। भाषा के अनुसार (बही) मजम तथा व्यास के बीच में बसी हुई नौ प्रांतियों के राज्य में ५०० शहर थे।"

तक्षशिला "एक विमास तथा समृद्धिवाली नगर था वास्तव में यह तिवु तथा मजम के बीच के इलाके में सबसे बड़ा नगर था" (बही पृष्ठ १२)।

कुछ नगर नगर-निर्देश तथा वास्तु-कला और अपने दुर्गों की मजबूती की दृष्टि से सराहनीय थे।

धर्मकाल से भी पहले की हों। ये मूर्तियाँ उस समय की लोक-जन्मा का प्रतिनिधित्व करती हैं जिन्हें पीछे कुछ छान-मोटे देवी-देवताओं की जनम्यापी उपासना की प्रेरणा प्रियायीक थी। जन-साधारण का धर्म छोटे-मोटे देवी-देवताओं की उपासना पर आधारित था जिन्हें यज्ञ तथा यज्ञी भाग अथवा मागी गन्धर्व और अप्सराएँ कर वे। इनमें कुछ बृक्षा के तथा जम्ब के भी देवी-देवता थे। अब तक देवी-देवताओं की इन अतिक्रम्य मूर्तियों के व्यापक समूह पाए गए हैं।

(१) परसम (मथुरा) की यज्ञ की मूर्ति (२) मन्मथा की (मथुरा) यज्ञ की मूर्ति, (३) मथुरा के एक और गाँव में यज्ञी की मूर्ति जिसकी उपासना मनसा देवी के रूप में की जाती है (४) मथुरा की एक और यज्ञ की मूर्ति जिसका पता अभी हाल ही में मया है (यू० पी० हिस्टोरिकल सोसायटी जर्नल मई १९३३ पृष्ठ ९५) (५) पटना की यज्ञ की मूर्ति जो अब भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में है, (६) भारतीय संग्रहालय में पटना की एक और यज्ञ की मूर्ति (७) बीहारराज (पटना) में पाई गई खंजर लिए हुए एक स्त्री की मूर्ति (८) पत्थर (आकस्मिक) में पत्थर पर लदी हुई मन्मथ यज्ञ की मूर्ति (९) बेसनगर में पायी गयी एक स्त्री की मूर्ति (१०) बेसनगर में ही पायी गयी एक दूसरी स्त्री की मूर्ति (११) कोसम में पाए गए एक यज्ञ की मूर्ति के सम्बन्धसे। इनमें से कुछ मूर्तियाँ पर उन देवी-देवताओं के नाम भी अंकित हैं जिनका इन मूर्तियों में चित्रण किया गया है। इस प्रकार न (१) तथा (८) कुबेर के यज्ञ सेनापति मन्मथ की मूर्तियाँ हैं न (३) यज्ञी सायना की मूर्ति है पटनावासी मूर्तियों में से एक भगवान् असत-बोधि (खंजर) की है और दूसरी यज्ञ सर्वत्र गन्दी की। यह भी कहा जाता है कि न (१) तथा (३) की मूर्तियाँ मूर्तिकला की उस दौरी की कृतियाँ हैं जिनके प्रतिनिधि कृत्तिक उनके शिष्य नाक तथा उनके शिष्य के शिष्य धामितक हैं।

यह बात कि मूर्तियाँ बनाने या पत्थर पर किसी का चित्र अंकित करने की यह कला बहुत पुरानी है इसमें भी शिष्ट होनी है कि यह कला बहुत बाद तक भी जीवित रही और इनमें से कई कलाकृतियों के प्रतिरूप भी बनाए गए। ये मूर्तियाँ तो स्वतंत्र रूप से उपासना की वस्तु हैं पर दूसरी पत्थरों ईसा-पूर्व की मरुत की मूर्तियों की पाजना में वे एक समष्टि के विभिन्न अंगों के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। मरुत की मूर्तिकला में इन गीज देवी-देवताओं की अनेक मूर्तियाँ हैं जिनकी जन-साधारण उपासना करते थे और जिन पर धर्म आधारित था।

इस प्रकार की साककला परवर्ती समूह बोधिसत्व की उन मूर्तियों में मिलते हैं जिन्हें मथुरा-दौरी की कृतियाँ माना जाता है। सारनाथ में बोधिसत्व की जो

के क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ हैं जिनके कारण बालों की ख्याति आज तक बरकरार है। उसने नगर, स्तूप और विहार बनवाए, कठोर चट्टानोंके को बटवाकर मठ बनवाए, चट्टानों में गुफाएँ तथा महक बनवाए और पत्थर के स्तंभ बनवाकर बपहू-जगह लपकाए। इन स्तंभों के पत्थर को चिकना करके उसमें जो चमक पैदा कर दी गई है वह आजकल के संगठरास नहीं पैदा कर पाते हैं। सम्राट् की बताई हुई योजना के अनुसार बनाए गए इन स्तंभों की वास्तुविज्ञान तथा सजावट में इतनी उच्च कोटि की निष्कलक कला प्रतीकता का परिचय मिलता है कि हम इन्हें महान ही मूर्तिकालीन कला की श्रेष्ठतम कृतियाँ कह सकते हैं। इनमें पशुओं तथा वेद-वीरों के प्राकृतिक रूप को पत्थर पर अंकित कर देने की कला की बहुत उच्च स्तर पर पहुँचा दिया गया है। ये स्तंभ इजिप्टियरी की दृष्टि से भी सराहनीय हैं क्योंकि इनमें से प्रत्येक का बज्रन शीतल से लगभग ५० टन और ऊँचाई ५ फुट है और उनमें से प्रत्येक एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है, जिससे पता चलता है कि कितनी बड़ी-बड़ी चट्टानों को काटकर इन स्तंभों का रूप दिया गया होगा। फिर यह बात भी सराहनीय है कि किस प्रकार इतनी भारी स्तंभों को संकड़ा मील दूर से जाकर उन स्थानों पर लगाया गया जो सम्राट् ने सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए इन स्तंभों के लिए चुने थे क्योंकि ये स्तंभ सार्वजनिक हित के उद्देश्य से ही बनवाए गए थे। उदाहरण के लिए पाटलिपुत्र से बुद्ध के जन्मस्थान तक बीस तीर्थस्थानों की यात्रा करनेवाले तीर्थयात्री की प्रगति की विभिन्न मंजिलों को इंगित करने के लिए स्तंभों के एक पूरे क्रम की आवश्यकता पड़ी।

जिस प्रकार मगध बालों से पहले के उसी प्रकार स्तंभों की उत्पत्ति भी बालों से पहले की थी। बालों ने स्वयं इस बात का उल्लेख किया है कि उससे पहले इन स्तंभों का अस्तित्व था और उसने अपनी प्रसिद्धियाँ अंकित कराने के लिए उनको इग्नेमाल किया (बपलास के ग्रीक शिलालेख पर अंकित शब्द और स्तंभ का VII बैसिए मेरी पुस्तक अज्ञेय पृष्ठ ८७)।

जब हम इस बात का स्वीकार करते हैं कि मूर्तिकालीन कला ने सम्राट् बालों के शासनकाल में अपनी प्रगति की तो हमें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अपनी उन्नति एक दिन में नहीं हासिल होगी। आरंभ में यह कला बहुत ही अपरिष्कारित रूप में रही होगी इस स्तर तक पहुँचने के लिए उसे विकास का बहुत लम्बा मार्ग तैयार करना पड़ा होगा। सीमाप्यवसत आज तक इन कला-कृतियों का कुछ एक समूह मौजूद है, जिससे हम भारतीय कला के विकास का अनुमान कर सकते हैं। पत्थर की विनायक्य मूर्तियों का एक पूरा वर्ग ऐसा है जो विभिन्न रूप से बालों के समय से पहले का है और समझ है कि ये

सौंदर्यास स भी पहुँची की हों। ये मूर्तियाँ उन समय की सांख्य-कथा का प्रतिनिधिभित्तव करती हैं जिसके पीछ कुछ छोटे-मोटे देवी-देवताओं की जनभाषा उपासना की प्रेरणा जिवासीस बी। जन-भाषारण का सम छोटे-मोटे देवी-देवताओं की उपासना पर आचारिक या जिन्हें यम तथा यती नाम अथवा मार्गी गण्यव और अप्पराएँ कर से। इसमें कुछ बूजों क तथा जम क भी देवी-देवता व। जब तक देवी देवताओं की इन अतिशय मूर्तियों के प्यारह मभूने पाठ गए हैं

(१) परासम (मधुरा) की यम की मूर्ति (२) बनीस की (मधुरा) यम की मूर्ति (३) मधुरा के एक और गाँव में यमी की मूर्ति जिसकी उपासना मनपा देवी के रूप में की जाती है (४) मधुरा की एक और यम की मूर्ति जिसका पता अभी हाल ही में मगा है (पु० पो० हिस्टारिकस सोसायटी जर्मन मई १०३३ पृष्ठ ०५) (५) पटना की यम की मूर्ति जो अब भारतीय मद्रहास्य कसकता में है (६) भारतीय सप्रहास्य में पटना की एक और यम की मूर्ति (७) बीवारनम (पटना) में पाई गई यम सिण हुए एक स्त्री की मूर्ति (८) पलापा (खासियर) में पत्थर पर खुदी हुई मनिमद्र यम की मूर्ति (९) बेसनगर में पायी गयी एक स्त्री का मूर्ति (१०) बमतगर में ही पायी गयी एक दूमरी स्त्री की मूर्ति (११) कोमम में पाए गए एक यम की मूर्ति से मन्नाबसप। इनमें स कुछ मूर्तिया पर उन देवी-देवताओं क नाम भी अंकित हैं जिनका इन मूर्तियों में चित्रण किया गया है। इस प्रकार न (१) तथा (८) कुबेर के यम संनापति मनिमद्र की मूर्तियाँ हैं न० (३) यती सायाका की मूर्ति है पटनावासी मूर्तियों में से एक अथवा अस्त-शोचिक (कुबेर) की है और दूमरी यम संनत्र मन्दी की। यह भी कहा जाता है कि न (१) तथा (१) ही मूर्तियाँ मूर्तिकला की उस शैली की कृतियाँ हैं जिसके प्रतिनिधि कुनिक, उनके पिप्य नाक तथा जमक पिप्य के पिप्य गोभितक हैं।

यह बात कि मूर्तियाँ मन्ना या पत्थर पर किसी का चित्र अंकित करने की यह कला बहुत पुरानी है, इसमें भी सिद्ध होती है कि यह कला बहुत बाद तक भी जीवित रही और इनमें स कई कलाकृतियों क प्रतिरूप भी मनाए गए। ये मूर्तियाँ तो स्वतंत्र रूप से उपासना की बस्तु हैं पर दूमरी सायासी मन्ना-यम की मरदुव की मूर्तियों की मायना में वे एक समष्टि के विभिन्न भागों क रूप में प्रस्तुत की गई हैं। मरदुव की मूर्तिकला में इन गौण देवी-देवताओं की बनेक मूर्तियाँ हैं जिनकी जन-भाषारण उपासना करते वे और जिन पर बर्म आचारित था।

इस प्रकार की कोककला परबनी मभूने आधिमत्य की उन मूर्तियाँ में मिलते हैं जिन्हें यधुरा-दीली की कृतियाँ माना जाता है। सारताय में शोचिमत्त की बी

विमालकाम मूर्ति पाई गई है उस पर एक कल अंकित है जिसमें यह बताया गया है कि वह कनिष्क के शासनकाल के तीसरे वर्ष में बनाई गई थी और यह भी बताया गया है कि मथुरा के मिश्र<sup>1</sup>बल ने उस काम के रूप में दिया था। इस प्रकार बोधिसत्व की मूर्तियाँ एक दूसरे प्रथम में यज्ञों की मूर्तियों के ही क्रम की एक कड़ी थी।

डा थातव कुमारस्वामी के मतानुसार इस तथाकथित आदिम अथवा साक-कला में भी अपने युग है। इसमें तो संदेह नहीं कि अशोक के समय की परिष्कृति कला की तुलना में जिस हम मुसकृत वर्गों की कला सरकारी या दरबारी कला भी वह सफ़ते हैं जो उस समय के बौद्धमत के हीनयान पंथ की धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी उस कला की तुलना में यह कला आदिम अंग की तथा भोड़ी है। इन विद्याकलाय मूर्तियों के बारे में कुमारस्वामी का मत है कि ये 'बिस्मयग सारीरिक बल को व्यक्त करती हैं जो उनकी आदिम अंग की अड़ता के कारण बनने नहीं पाता और केवल अपने विद्यास आकार की दृष्टि से ही वे विपुल नीतिक शक्ति की चोख हैं और एक ऐसी कला' का प्रतिनिधित्व करती हैं 'जिसका सार-सत्व सौमिक है और जो मानो बड़ी निममत्ता से हमारे हृदय पर अपनी छाप बासती है। इस कला का रूप इस समय तक आध्यात्मिक नहीं है और उसमें अतर्कित आत्मनिष्ठा अथवा आध्यात्मिक आकाशा का कोई पट नहीं है। 'शैली की दृष्टि से इस विशेष कोटि की मूर्तियाँ विद्यास तथा अतिक्रम हैं और उनकी कल्पना बिस्मय उन्मुक्त अंग से की गई है वे आहुति की रूप-रेखा की सीमाओं में अकड़ी हुई नहीं है।

आदिम धाम्य तथा परिष्कृत पौर कला में आपस में क्या अंतर है—इसका कुछ प्रमाण हमें पाणिनि (लगभग ५० ई. पू.) के व्याकरण में मिलता है। पाणिनि ने (V ४०५) ग्रामसिन्धी तथा राजसिन्धी में अंतर किया है। ग्राम सिन्धी उन कलाकारों को कहते थे जो गाँव के लोक-समुदाय के अंतर्गत ही कामचाली होते थे और राजसिन्धी उन दरबारी कलाकारों को कहते थे जिनकी  मूल्य तथा अमिताव वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करती थी। यह बात भी स्पष्ट होने योग्य है, इन सभी मूर्तियों में गले में हार लैसा एक आभूषण है जिसके लिए पाणिनि <sup>१</sup> बहुत ही मर्मपूर्ण शब्द शैलेयक (IV २, १६) का प्रयोग किया है।

इसलिए इस बात को मान लेना अनुचित न होगा कि अशोक-कालीन कला की उत्पत्ति उससे पूर्व ही के काल में इन मूर्तियों के रूप में हुई, जो उस समय के गाँववासियों की उपासना तथा लोक-कला का प्रतिनिधित्व करती है।

